चतुर्दश माला, खंड 27, अंक 22

गुरुवार, 3 मई, 2007
13 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 22, गुरुवार, 3 मई, 2007/13 वैशाख, 1929 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	401, 402, 404 से 406	2-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	403, 407 से 420	33-77
अतारांकित प्रश्न संख्या	3902 से 4131	77-412
सभा पटल पर रखे गए पत्र		412-416
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		
इक्यासीवां और बयासीवां प्रतिवेदन		416
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
बाईसवां और तेइसवां प्रतिवेदन		417
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
पिछले सप्ताह के दौरान किए गए कार्य		417
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) देश में स्वदेशी खेल-कूद को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता		
श्री एन.एस.वी. चित्तन		425
(दो) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री मनिक सिंह		426
(तीन) देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए प्रसाधन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
श्री महावीर भगोरा		427

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और अन्य भागों में बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह कौशल 427

(पांच) राजस्थान के अजमेर, में सेना भर्ती कार्यालय पुनः खोले जाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अजमेर रेजीमेंट तथा मेरवाड़ा बटालियन बहाल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत. 428

(छह) मध्य प्रदेश के नीमच से "गार्ड्स लॉबी" को पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 428

(सात) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से मांडला तक रेल लाइन बिछाए जाने की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले 429

(आठ) केरल के पालाक्काड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास 429

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में घटते जल स्तर को रोकने के लिए नए बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 430

(दस) सेतुसमुद्रम परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 430

(ग्यारह) तमिलनाडु के शिवकाशी में कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन के निकट रेल सड़क उपरि पुल के समीप सार्वजनिक प्रयोग के लिए सर्विस रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई 431

विषय कॉलम

(बारह) केरल के इदुक्की जिले में 'बैम्बू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज . . . 431

(तेरह) मणिपुर में तामेंगलांग और उखरूल जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारेनामै . . . 432

वित्त विधेयक, 2007

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के.एस. राव . . . 433

श्री सी.के. चन्द्रप्पन . . . 437

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु . . . 443

श्रीमती वी. राधिका सेलवी . . . 450

श्रीमती किरण माहेश्वरी 452

श्री पी. करुणाकरन . . . 456

श्री किन्जरपु येरननायडु . . . 460

श्री अधीर चौधरी . . . 464

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 468

श्री किरिप चालिहा . . . 473

प्रो. एम. रामदास . . . 474

श्री तथागत सत्पथी . . . 479

श्री बालासाहिब विखे पाटील . . . 482

श्री सुनील खां . . . 485

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर . . . 488

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल . . . 489

श्री पी. चिदम्बरम . . . 491

खंड 2 से 134 और 1 . . . 514

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 558

विषय	कॉलम
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	559
श्री के.एस. राव	563
श्री वरकला राधाकृष्णन	565
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	567
श्री तथागत सत्पथी	570
श्री तापिर गाव	571
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	573
श्री संतोष गंगवार	573
श्री एम. शिवन्ना	575
श्री भर्तृहरि महताब	575
श्री कीरेन रिजीजू	577
श्री पी.सी. थामस	578
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	579
खंड 2 और 1	586
पारित करने के लिए प्रस्ताव	587
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	601-602
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	601-616
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617-618
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617-620

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 3 मई, 2007/13 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल काफी मूल्यवान समय होता है। मुझे आपका नोटिस मिला है। कृपया 12 बजे तक इंतजार करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम 12 बजे मौका देंगे।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय,... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको 12 बजे बोलने की अनुमति दूंगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब केवल 59 मिनट बाकी हैं। 59 मिनट के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्र.सं.-401 श्री कीरेन रिजीजू।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दोपहर 12 बजे बोलने का अवसर देने का वचन दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, यह हमरी संस्कृति का सवाल है। दुनिया हमारी संस्कृति को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले नंबर पर बुलाने का वचन नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं इसे 12 बजे उठाने की अनुमति देने जा रहा हूं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे 59 मिनट के बाद उठाएं।

प्र.सं.- 401, श्री कीरेन रिजीजू—उपस्थित नही है। श्री धर्मेन्द प्रधान।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

इथेनाल मिश्रित पेट्रोल

\+

*401. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान** :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार को विभिन्न तेल कंपनियों से पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा में वृद्धि करने के सुझाव से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ इथेनॉल का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 20.9.2006 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 580(ई) द्वारा तेल कंपनियों को वाणिज्यिक व्यावहार्यता के अध्याधीन और भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टियों के अनुरूप अधिसूचित 20 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) बेचने का निर्देश दे दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए इथेनॉल के आयात की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सन् 2006 में तेल कंपनियों को एक आदेश दिया कि 5 प्रतिशत इथेनॉल को ब्लैंड किया जाए। आज उसकी स्थिति क्या है? हम आज विश्व में इन्वायर्नमेंट और पेट्रोलियम स्केयर्सिटी के बारे में बात कह रहे हैं कि उसकी डेफिसिएंसी बढ़ रही है, उसको लेकर सभी बायो-डीजल के बारे में बात कह रहे हैं। सरकार ने काफी समय पहले पांच प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंड किया जाए, ऐसा आदेश दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऑयल कंपनियों ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की है? जितना तेल हम विदेश से आयात करते हैं, उसके कंपैरिटिव अगर इस पांच प्रतिशत को हम ब्लैंड करते हैं, तब इसके इकॉनामिक इंपैक्ट क्या है, आपने क्या इसके ऊपर समीक्षा की है? महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 6 महीनों में इसकी क्या प्रगति है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कई प्रश्न आ गए हैं। *[अनुवाद]* इसका क्या भविष्य है? *[हिन्दी]* आपको जो पंसद हो, आप उसके उत्तर दीजिए।

श्री दिनशा पटेल : महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। आज जो इथेनॉल की जरूरत देश में है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : ऑयल कंपनियों ने क्या किया है, मैं यह जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या कह रहे हैं?

[अनुवाद]

आप बहुत ही समझदार सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : आप पहले मेरी बात सुनिये। अगर आपको जवाब ठीक न लगे, तब फिर से पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं हैं। *[अनुवाद]* आप मेरे माध्यम से उनसे बात करें।

श्री दिनशा पटेल : ठीक है, श्रीमान

[हिन्दी]

महोदय, हमारे देश में कुल 155 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की क्षमता स्थापित की गयी है। पांच प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंडिंग प्रोग्राम के लिए प्रतिवर्ष साठ करोड़ लीटर की कुल आवश्यकता है। इसके लिए कंपनियों ने टेंडर दिए हैं। इथेनॉल के बारे में उन्होंने सोचा है और करीब 83 करोड़ लीटर इथेनॉल का कांट्रैक्ट हो गया है, उसमें से 2.4 करोड़ लीटर इथेनॉल स्टोरेज भी किया गया है। यह तीन साल का कांट्रैक्ट है और तीन साल में पांच प्रतिशत इथेनॉल का यूज पेट्रोल में ब्लैंडिंग के लिए किया जाएगा। यह शुगर इंडस्ट्रीज का बाई-प्रोडक्ट है, मोलासिसि का बाई-प्रोडक्ट हैं सरकार यह सोच रही है कि किसानों

को भी इससे फायदा हो। गवर्नमेंट करीब 73 प्रतिशत ऑयल बाहर से आयात करती है। पांच प्रतिशत इथेनॉल यूज करने से हमें आयात कम करना पड़ेगा और इससे हमारी मुद्रा बचेगी, इसलिए गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत से प्रश्न नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि कोन सी आयल कंपनियों ने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए, हम आपको मना नहीं करते हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, अभी तक मंत्री जी ने गोलमोल उत्तर दिया और कहा कि आप इसे कर रहे हैं। आप इसे तीन साल में पांच प्रतिशत करेंगे। आपने क्या पहले तीन साल की शर्त लगायी थी कि यह तीन साल में पांच प्रतिशत होगा? आपका आर्डर था कि यह साल में पांच प्रतिशत होगा। किस ऑयल कंपनी ने कितने परसेंट ब्लैंड किया? कृपया आप यह बतायें।

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष महोदय, हर कंपनी के आंकड़े हैं और उनकी लिस्ट बहुत लम्बी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसे पढ़ सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें ब्यौरे दे सकते है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : मैंने कहा कि 83 करोड़ लीटर का कान्ट्रैक्ट हो गया है जिसमें से 2.3 करोड़ लीटर इथेनॉल कलैक्ट भी कर लिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। इथेनॉल पैदा करने में भारी पैसा लगता हैं शुगरकेन जूस से भी इथेनॉल भी तैयार होता है। जब शगरकेन इथेनॉल पैदा करता है तो उसमें 18 से 20 करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट होती है। सरकार सोचेगी कि 10-15 प्रतिशत कमिटमैंट करने के बाद ही ज्यादा इन्वैस्टमैंट होगी। आज हिन्दुस्तान में चीनी का संकट पैदा हो गया है जिससे किसानों को भी घाटा हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार उसे 15 प्रतिशत करने के लिए कोई खास प्रोग्राम बनाने जा रही है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष महोदय, आज 5 प्रतिशत इथेनॉल का यूज हो रहा है। हम 10 प्रतिशत के बारे में सोच रहे हैं। सब कंपनियों को बोल दिया गया है कि जो गाड़ियां बन रही हैं, उनके कारबोरेटर्स में क्या चेंजेस किए जाएं और चेंजेस करने से कितना लाभ हो सकता है। वैसे किसानों को डायरैक्ट लाभ देने की जरूरत है, क्योंकि इस बार करीब 25 मिलियन टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ है और हमारी जरूरत 19 मिलियन टन की है। हम 6 मिलियन टन बाहर भेज रहे हैं।इससे 5 करोड़ किसानों और करीब 1 करोड़ लेबरर्स को भी लाभ होने वाला है। इसलिए सरकार इस बारे में सोच रही है। लेकिन टैक्नीकली क्या हो सकता है, इसके बारे में कहा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सोचा जाएगा कि 10 प्रतिशत करना है या नहीं।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : धन्यवाद श्रीमान। मैं यह बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। हम काफी मात्रा में जटरोफा के पौधे उगा रहे है और छत्तीसगढ़ सरकार यह कहती है कि वे जटरोफा के पौधों से निकाले गए तेल से अपने वाहन चलाती रही हैं। क्या अधिकारिक रूप से इसे पेट्रोल में मिलाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? क्या जटरोफा से बनाए गए पेट्रोल के बारे में कोई नीति है?

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में इथेनॉल से संबंधित प्रश्न नहीं है। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : महोदय, सरकार इस पर विचार कर रही है किंतु इसपर कोई कदम उठाना अभी जल्दबाजी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं। क्योंकि जब सरकार ने जटरोफा के बारे में घोषणा की तो मुश्किल से 10 लीटर तेल एकत्र किया जा सका। इसलिए, अभी भी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि वह कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी प्रॉफिट चैनल में आपके मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आप इथेनॉल इम्पोर्ट करने की योजना बना रहे हैं और ब्राजील की

पैट्रोब्रास कंपनी से चर्चा चल रही है। पहली बात यह है कि गलत जवाब दिया गया।

इथेनॉल की 610 मिलियन लीटर की शार्टफॉल है और केवल गन्ने के उत्पादन से इथेनॉल बनाकर उसे पूरा नहीं किया जा सकता। ब्लैंड बढ़ाने की बात की जा रही है, जैसे पाटील साहब ने बताया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपका मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कोई योजना बना रहा है जिससे कृषि उपज अथवा वन उपज, जेसे महुआ वन उपज है, इससे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है और इसकी टेक्नीक उपलब्ध है, उससे इथेनॉल बनाने की योजना है या अन्य कृषि उत्पादन से इथेनॉल बनाने की योजना है, जिससे आप जो कह रहे हैं कि किसानों को लाभ होगा, वह सिद्ध किया जा सके?

श्री मुरली देवरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रालय में इथेनॉल इम्पोर्ट करने की कोई योजना नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : लेकिन आपके ऑफिशियल्स ने एनडीटीवी में इंटरव्यू दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। उन्हें इसके बारे में पता चल गया है और वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : केमिकल कंपनियों को छूट है कि वे इम्पोर्ट कर सकती हैं। लेकिन हमारे मंत्रालय में यह एलाउड नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मामले पर कृषि मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या आप इस मामले पर कृषि मंत्रालय अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ चर्चा करोगे? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कोई व्यक्ति कई अन्य चीजों से इथेनॉल बना सकता है। क्या आप इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : हमारे देश में जो भी इथेनॉल बन रहा है, वह शुगरकेन के ऊपर निर्धारित है। दूसरी चीजों से इथेनॉल बनेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन ब्राजील या दूसरे देश हैं...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री जी ने कहा है कि किसानों को लाभ होगा।...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : किसानों को लाभ होगा ही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। लक्ष्मण सिंह जी, आप लगातार अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : अगर वह किया जाएगा, तो किसानों को जरूर लाभ होगा।

[अनुवाद]

कार्पोरेट सुरक्षा योजना

+

*402. **श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री किसनभाई. वी. पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कोई कार्पोरेट सुरक्षा योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) उक्त योजना क्रियान्वयन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां।

तैयार की गई और अगस्त, 2003 में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गयी कार्पोरेट सुरक्षा योजना में ऐसे कार्यों, लक्ष्यों और कार्यनीतियों का उल्लेख है, जिन्हें भारतीय रेलवे द्वारा 2003-2013 के दशक में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(i) प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर संम्पूर्ण परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं को 2002-03 के 0.44 से घटाकर 2012-13 में 0.17 करना।

(ii) टक्कररोधी उपकरणों एवं अन्य उपायों का गहन उपयोग करके टक्करों को दूर करना।

(iii) समय से परिसंपत्तियों को नवीकरण, सिगनल प्रणाली एवं इंटरलॉकिंग के सुधार एवं फ्लॉ डिटेक्शन प्रणाली का आधुनिकीकरण और अनुरक्षण प्रक्रियों के माध्यम से गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं को 60% कम करना।

(iv) अग्निरोधी कोचों को अपनाकर एवं मौजूदा कोचों में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग करके आगे से संबंधित दुर्घटनाओं में कमी करना

(v) समपार दुर्घटनाओं में बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना।

(vi) क्रैश वर्दी कोचों और एंटी-क्लाम्बिग विशेषताओं वाले टाइट लॉक कपलर्स का उपयोग करके गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में हताहतों को कम करना।

इस दस्तावेज में सुरक्षा से संबंधित कार्यों की व्यापक प्राथमिकताएं एवं समय-सीमा निहित है। गाड़ी दुर्घटनाओं को रोकने एवं समाप्त करने के लिए, समुचित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण करके उनकी विश्वसनीयता में वृद्धि करके रेल ग्राहकों के जोखिम स्तर में सतत् कमी करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। दस वर्ष की अवधि के दौरान संरक्षा से संबंधित कार्यों पर कुल निवेश 31,835 करोड़ रु. (17,000 करोड़ रु. की विशेष रेल संरक्षा निधि सहित करने की योजना है।)

अब तक हुई प्रगति में 16,538 कि.मी. रेलपथ नवीकरण के बकाया को समाप्त करना और 2286 ऐसे पुलों, जिनका पुनर्स्थापन अपेक्षित है, में से 2087 पुलों का पुनर्स्थापन करना शामिल है। लगभग 64,000 कि.मी. ट्रैक को यांत्रिकीकृत अनुरक्षण के अंतर्गत लाया गया है। 1494 स्टेशनों में से, 1122 स्टेशनों पर पुरानी सिगनल परिसंपत्तियों को बदल दिया गया है। 5307 स्टेशनों में से, 4047 स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन मुहैया करा दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 1736 कि.मी. पर पहले से ही स्थापित टक्कररोधी उपकरण का स्थान निर्धारण परीक्षण प्रगति पर है और नेटवर्क के शेष भाग पर लागू करने के लिए इसे तकनीकी रूप से स्वीकृति लिए जाने की आशा है। अधिकांश गतायु चल स्टॉक के प्रतिस्थापन के बकाए को पूरा कर दिया गया है। एंटी-क्लाम्बिग विशेषताओं वाले टक्कररोधी कोचों के अभिकल्प को भविष्य में उत्पादन के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले ही आग लगने का पता लगाना, अनुरक्षण और निगरानी तकनीकों का यंत्रीकरण के लिए आर एण्ड डी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण सहित अन्य चालू कार्यों में पर्याप्त धन लगाया जा रहा है और उनकी निगरानी की जा रही है।

इस योजना के अतर्गत उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, भारतीय रेलवे के संरक्षणा निष्पादन में सतत् सुधार हुआ है। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर दुर्घटनाएं 2002-03 के 0.44 से कम होकर 2005-06 में 0.28 हो गई है।

श्री सुग्रीव सिंह : अध्यक्ष महोदय यह सच्चाई है, कि निगमित सुरक्षा योजना तथा सुरक्षा उपायों के बावजूद देश की कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में विगत में बम धमाके हुए हैं। खन्ना समिति ने रेलवे के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करने की सिफारिश की थी तथा सरकार ने सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया है। तथापि, सरकार सुरक्षा के मामले पर काफी गंभीर नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे की निगमित सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की कमी महसूस की जा रही है। यदि नहीं, तो विभिन्न जोनों के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा उपस्कर नही लगाने के क्या कारण हैं?

श्री आर. वेलु : इस संबंध में कि सरकार सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के प्रति काफी गंभीर है या नहीं, मैं संक्षेप में कहूंगा कि

अगस्त 2003 में सुरक्षा योजना की परिकल्पना की गई थी तथा संसद में इसे प्रस्तुत किया गया था। यह एक पत्र है तथा यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। यह फिर खन्ना समिति पर आधारित है जो इस प्रश्न की तह तक गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि आप इसके क्रियान्वयन के प्रति गंभीर नहीं हैं। कृपया विवरण न दें। केवल 'हां' या 'नहीं' कहें।

श्री आर. वेलु : पहली बात तो यह है कि हम इसके क्रियान्वयन के प्रति गंभीर है। दूसरी बात मुंबई तथा समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाकों को लेकर हम क्लोज्ड सर्किट टी वी लगाकर, अधिक खोजी कुत्ते रखकर बम का पता लगाने तथा इसको निष्क्रिय करने वाले स्क्वाड की मदद से तथा यात्रा कर रहे यात्रियों में चेतना जगाकर हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। वस्तुओं, इत्यादि को न छुएं। हम सुरक्षा उपायों में भी काफी ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं। मेरे विचार में पहले ही 185 ऐसे स्टेशनों का पता लगा चुके हैं जिन पर इस प्रकार के सुरक्षा खतरें होने की संभावना है।

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, 50 प्रतिशत से ज्यादा दुर्घटनाएं टकराने तथा पटरी पर से उतरने के कारण हो रही हैं। रेलवे काफी लंबे समय से टकराव रोधी उपकरण का परीक्षण कर रही है। मैं माननीय मंत्री से सभी जोनों में टकराव रोधी उपकरण लगाने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा जानना चाहूंगा, टकराव रोधी उपकरणों के लगाने में इतना ज्यादा समय लगाने का कारण भी जानना चाहता हूं; देश में साथ ही मैं उन डिब्बों के उत्पादन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा चाहता हूं जो टकराव की स्थिति रोकने वाले थे तथा निर्धारित अवधि के अंदर निर्गमित सुरक्षा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री आर. वेलु : सर्वप्रथम में कहना चाहता हूं कि यह योजना 2003-04 से शुरू होकर 2013-14 तक समाप्त होने वाली है, अर्थात् यह दस वर्ष की अवधि के लिए परिकल्पित की गई है। इस टकराव रोधी उपकरण योजना का मुख्य उद्देश्य टकरावों की पूर्ण समाप्ति या शून्य टकराव स्थिति को प्राप्त करना है। के तदनुसार, हम टकराव रोधी उपकरण के क्रियान्वयन के प्रति काफी गंभीर हैं। हम इसका क्रियान्वयन उत्तर पूर्व सीमांत रेल में कर रहे हैं जहां 1,736 कि.मी. को टकराव रोधी उपकरण लगाये गये हैं। स्थल स्वीकृति संबंधी परीक्षण लगभग समाप्त हो चुका है। अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य भी पूर्ण हो चुका है। एक बार जब रेलवे बोर्ड को उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में इसके सफलतापूर्वक चालू किए जाने की तकनीकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो हम इसे न केवल उत्तर पूर्व सीमांत रेल में ही क्रियान्वित करेंगे वरन् दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे तथा उत्तर रेलवे के कुछ खंडों पर क्रियान्वयन की उतनी ही कि.मी. की दूरी पर क्रियान्वयन करेंगे। हम ऐसी नीति बना रहे हैं जिसमे कि 2013-14 तक, समूचा देश प्रवेश प्रमाणित टकराव रोधी प्रणाली की सुरक्षा के अंतर्गत लाया जा सके। इसपर पीछे हटने की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कि किसनभाई वी. पटेल – उपस्थित नहीं।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में यह प्रकाश में आया है कि रेलवे ने दक्षिण भारतीय व्यंजनों की आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रश्न पर खाद्य वस्तुओं के बारे में जानना चाहेंगे।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : यह काफी गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : सुरक्षा के संबंध में प्रश्न पूछिए। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गेस्ट्रोनोमी के प्रति मेरी कमजोरी होने के बावजूद, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रेलवे सुरक्षा के बारे में पूछें?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस सभा का उपहास न करें।

श्रीमती सी.एस. सुजाता : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी। कई सड़क उपरिपुल अत्यधिक दुर्घटना प्रवण हैं जैसा कि आधिकारिक तौर पर बताया गया हैं एक लाख से भी ऊपर सड़क उपरिपुलों में से 50,000 ब्रिटिशों द्वारा बनाये गये थे निगमित रेल सुरक्षा योजना द्वारा खतरनाक स्थिति से निबटने के लिए क्या समयबद्ध योजना है?

अध्यक्ष महोदय : क्या निगमित सुरक्षा योजना का संबंध सड़क उपरिपुलों से है?

श्री आर. वेलु : हां, महोदय, क्योंकि योजना का एक उद्देश्य समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने का है। समपार पर दुर्घटनाओं से निबटने के लिए रेलवे द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है - सड़क उपरिपुल बनाकर उनके जरिये ग्रेड संशोधन करना; तथा दूसरी रोड डाउॅन ब्रिज।

दसरी बात यह है कि हम इन समपारों पर वर्षों से गेटमैन रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगभग 18000 समपार बिना गेटमैन के हैं जहां दुर्घटनाएं होती हैं, जहां 40 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती है; तथा जहां 70 प्रतिशत जानें जाती हैं। सड़क उपरिपुल के संबंध में क्या योजना है? वास्तव में, लगभग 1,200 समपार की पहचान सड़क उपरिपुल बनाने के संबंध में की गई है। यहां मुद्दा यह है कि जब भी राज्य सरकार इन गेटमैन वाले अन्यथा बिना गेटमैन वाले समपारों को सड़क उपरिपुलों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव लेकर आती हैं, तो हम सहायता के लिए तैयार रहते हैं। हम 'ना' नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे खजाने में इन उपरिपुलों के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी : मंत्री इससे वाकिफ हैं कि गत माह कांचीपुरम तथा अरक्कोलम के बीच बिना गेटमैन वाले समपार पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के नजदीक है जिसमें 13 ग्राम प्रशासनिक अधिकारी मारे गए। उस समय मंत्री ने तुरंत घोषणा की थी कि बिना गेटमैन वाले समपार पर पैदल रास्ता बनाया जायगा। दूसरा मामला यह है कि यदि हम मंत्री को समपार के बारे में लिखें तो उत्तर आता है कि इसमें बहुत बड़ी राशि अंतरग्रस्त है तथा रेलवे के पास कोई राशि नहीं है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितनी सुरक्षा राशि रेलवे विभाग के पास उपलब्ध है तथा इसमें से कितनी राशि बिना गेटमैन वाले समपारों के गेटमैने वाले समपारों में बदलने के लिए खर्च की जाती है? मंत्री द्वारा सुरक्षा के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री आर. वेलु : मैं उन्हें स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में।

श्री आर. वेलु : माननीय सदस्य ने उस दुर्घटना का उल्लेख किया है जब मैंने स्थल पर घोषणा की थी कि एक 11 12 फीट ऊंचा सबवे बनाया जायेगा ताकि ऑटो रिक्शा तथा स्कूटर चलाने का रास्ता बने। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। हमने रेलवे में 400 ऐसे सबवे बनाने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें से कम से कम 200 को इस वर्ष स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

इसके उत्तर में कि क्या हम गेटमैन वाले समपारों की परिवर्तित कर सकते हैं, मेरा कहना है कि यदि हम 18,000 गेटमैन वाले समपारों को परिवर्तित करना चाहें तो इसमें 3,000 करोड़ रु. की पूंजी की लागत लगेगी तथा 600 करोड़ रु. प्रतिवर्ष व्यय की लागत आयेगी रेलवे इस संबंध में काफी गंभीर है तथा जहां भी आवश्यक हो वहां शर्तों में छूट देने के लिए भी तैयार है ताकि ये बिना गेटमैन वाले समपार अधिक से अधिक संख्या में गेटमैन वाले समपार हो जायें।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन हम अखबारों में रेल दुर्घटनाओं के समाचार पढ़ते हैं। रेल मंत्रालय बार-बार नई ट्रेंस चलाने की घोषणा करता है, लेकिन दूसरी तरफ रेल पटरियां वही हैं, जिसकी वजह से आए दिन रेल दुर्घटनाएं होती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने ऐसी योजना बनाई है जिसमें अल्टरनेट रुट्स तलाश करके वहां नई रेल लाइन बिछाई जाए, क्योंकि आपके द्वारा अल्टरेनेटिव रूट्स की बात भी कही जाती है तो क्याआप इस पर जोर देंगे? लेकिन कथनी और करनी में अंतर आ रही है। उन रूट्स के ऊपर नयी-नीय रेलगाड़ियां चलाते हैं जिससे आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। उदाहरण के रूप में, हमने दिल्ली से मुंबई का एक आल्टरनेट रूट सजैस्ट किया था जो उदयपुर होते हुए हो सकता है, जिसमें मात्र उदयपुर और अहमदाबाद को जोड़ना हैं मैं पूछना चाहती हूं कि आल्टरनेट रूट के बारे में सरकार क्या सोचती है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : सभी नई रेलगाड़ियों के लिए मैं नई रेल लाइन नहीं बिछा सकता हूं। दूसरी तरफ, हमने लगभग 12000 कि.मी., रेल लाइन का रेल सुरक्षा निधि के 17,000 करोड़ रु. से नवीकरण किया है। उन्होंने पूछा कि क्या हम मुंबई से उदयपुर होकर दूसरी लाइन निकाल सकते हैं। मुझे यह पता लगाना होगा कि इसमें छूटा हुआ रास्ता कितना हैं हम विद्युतीकरण के माध्यम से या दो स्टेशनों के बीच और ज्यादा ब्लाक प्राप्त करके या जैसा कि उन्होने उल्लेख किया दूसरी लाइन बनाकर जाएं ट्रैफिक क्षमता ज्यादा है तथा सघनता ज्यादा है, क्षमता का विकास कर रहे हैं। हम इसके प्रति काफी गंभीर है।

श्री किन्जरपु येरननायडू : हमारे पास हजारों बिना गेटमैन वाले समपार तथा गेटमैन वाले समपार हैं। रेल मंत्रालय ने इसलिए मानदंड निर्धारित किए हैं – यदि काफी ज्यादा यातायात हो, तथा यदि आवश्यकता या मांग हो तो रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण कर सकती है। ये दिशानिर्देश आज की वास्तविकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में आवश्यकता हो या लोगों या उस विशेष राज्य से मांग हो तो रेल मंत्रालय रेल उपरिपुल का निर्माण करने के लिए तैयार है। उन्हें मानदंडों में परिवर्तन करना है क्योंकि उन्होंने मानदंडों को बहुत पहले निर्धारित किया था यद्यपि मानदंड उपयुक्त थे। उन्हें हम यातायात के लिए मानदंडों में परिवर्तन करना है, तभी वे और उपरिपुल का निर्माण कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री किन्जरपु येरननायडू : यह मेरा सुझाव नहीं है, रेल मंत्रालय दिशानिर्देश में परिवर्तन करने को तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप दिशानिर्देश में परिवर्तन करने को तैयार हैं- केवल 'हां' या 'नहीं' कहें।

श्री आर. वेलु : मैं सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता हूं। जैसाकि मैंने उल्लेख किया 18000 बिना गेटमैन वाले समपार हैं; 1200 की 'एक लाख ट्रेन वहीकल यूनिट' के रूप में पहचान की गयी है- अर्थात्, 24 घंटों में गुजरने वाली रेलगाड़ियां गुणा सड़क वाहनों की संख्या जो 1 लाख का उत्पाद देती है।

मैं इसमें छूट नहीं दे सकता हूं - लेकिन दूसरी ओर, मैं इसे विचारार्थ रख लेता हूं, जहां भी आवश्यक हो, राज्य सरकार भी आगे आ सकती हैं तथा स्थानीय निकाय आगे आ सकते हैं तथा निक्षेप कार्य को शुरू कर सकती हैं। एक बार जब वे निक्षेप कार्य पर सहमत हों तो मैं इसे कराने के लिए तैयार हूं तथा रेलवे इसकी अनुमति देगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लि᳚ समस्या यह है कि मंत्री रेलवे के बारे में सबकुछ जानते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : यह स्पष्ट रूप से सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है। अक्सर चलती रेलगाड़ियों में डाकू यात्रियों पर हमला कर देते हैं और वह भी विशेषकर महिला यात्रियों पर हमला करते हैं। देश में यह हर रोज हो रहा है। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार चलती रेलगाड़ियों में विशेषकर महिला डिब्बों में सुरक्षा बढ़ाने की योजना बना रही है?

श्री आर. वेलु : किसी भी डकैती को रोकने के लिए 3600 रेलगाड़ियों में आरपीएफ और जीआरपीएफ दोनों के जवान तैनात हैं। प्रश्न यह था कि क्या हम महिला डिब्बों में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं? जी हां, हम महिला डिब्बों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रयोजनार्थ हम रेलवे में महिला सिपाहियों की नियुक्ति अथवा भर्ती भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 403 - श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील – अनुपस्थित

श्री असादुद्दीन ओवेसी – अनुपस्थित

आज, लोकप्रिय मंत्री जी खाली हैं!

प्रश्न सं. 404 – श्री पी.सी. थामस

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

\+

*404. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारत को भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना से हटने का सुझाव देने के साथ-साथ इस संबंध में दबाव भी डाल रहे हैं.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा परियोजना में भागीदार देशों के साथ इस संबंध में क्या चर्चा की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मार्च, 2005 में अपनी भारत यात्रा के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री डा. कंडोलिजा राईस ने मीडिया को सूचित किया था कि भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित गैस पाइपलाइन सहयोग के बारे

में अमरीका ने अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया था। इस मामले में यू.एस. की विधिक स्थिति का संबंध उसके 1996 के ईरान-लीबिया प्रतिबंध अधिनियम (आईएलएसए) से है जिसमें ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में एक वर्ष में 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश करने पर विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। सरकार देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित में ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात का प्रयास कर रही है। अमरीकी ऊर्जा मंत्री मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू बोडमैन और मंत्री) (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के बीच हाल की बैठक के दौरान उनको सूचित किया था कि भारत किसी भी देश के साथ अपने ऊर्जा विकल्प पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है और अपने हित को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेगा।

(घ) ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत ईरान से पेट्रोलियम गैस के आयात पर कोशिश कर रहा है। इससे जुड़े विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए सचिव स्तरीय दो संयुक्त कार्यकारी समूह नामत: भारत-पाकिस्तान संयुक्त कार्यकारी समूह और भारत-ईरान विशेष संयुक्त कार्यकारी समूह गठित किये जा चुके हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान संयुक्त कार्यकारी समूह की चार बैठकें और भारत ईरान विशेष संयुक्त कार्यकारी समूह की तीन बैठकें हो चुकी है। तत्पश्चात ईरान-पाकिस्तान और भारत के त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। ईरान-पाकिस्तान-भारत की चार त्रिपक्षीय बैठकें हो चुकी है। संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी त्रिपक्षीय बैठक 24-25 जनवरी, 2007 को तेहरान में हुई थी। उक्त बैठक में सलाहकारकी अन्तिम रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। ईरान-पाकिस्तान सीमा पर गैस मूल्य निर्धारण पर ईरान और पाकिस्तान के बीच उनकी संबंधित सरकारों के अनुमोदन के अधीन सहमति हुई थी। भारत को चार सप्ताह में अपनी स्वीकृति बतानी थी। ईरान को 28.2.2007 को समुचित उत्तर भेज दिया गया हैं

पाकिस्तान में परिवहन लागत और मार्गस्थ शुल्क को अन्तिम रूप देने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी द्विपक्षीय बैठक 22-23 फरवरी, 2007 को इस्लामाबाद में हुई थी और इस मामले पर आगे चर्चा करने का निर्णय लिया गया। भारत और पाकिस्तान के तकनीकी उपसमूह की बैठक 22 और 23 मार्च, 2007 को नई दिल्ली में हुई। तकनीकी विषयों पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय लिया गया था कि चर्चा जारी रखने के लिए संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक बुलाई जाए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है जो इस अर्थ में संतोषजनक है कि हमारे मंत्री जी और हमारी सरकार ने अमेरिका को बताया है कि हम उस व्यवस्था का अनुपालन करेंगे जो हमने पहले ही गैस पाइपलाइन के संबंध में ईरान के साथ आरम्भ कर दी है। किंतु मेरी और देश की चिंता यह है कि जब अमेरिकी मंत्री यहां आए थे उन्होंने हमें थोड़ा सा डरा दिया था और मीडिया से कहा था कि भारत को ईरान के साथ कोई भी समझौता न करने के लिए कहा गया है। यही हमारी चिंता है। फिर भी, जैसा कि उत्तर में देखा गया, ईरान के मंत्री महोदय ने हमारे मंत्री जी का स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी, मैंने कुछ समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है, उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। किंतु चिंता यह है कि क्या अमेरिका हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : हमारे मामलों में अमेरिका अथवा अन्य किसी देश के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की वजह से विश्व भर की सरकारों को अन्य वैकल्पिक ईंधनों पर निर्भर होना पड़ेगा और गैस ऐसा ही एक ईंधन है। इसलिए, सरकार ने 2135 किमी. लंबी गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए ईरान और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के सेकरेट्री ऑफ एनर्जी श्री बोडमेन यहां थे और उन्होंने पूछा कि यहां इस योजना पर क्या हो रहा है। हमारे देश पर उनके द्वारा दबाव डालने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय मुझे खुशी है कि जब अमेरिका के सेकरेट्री ऑफ एनर्जी श्री बोडमेन यहां आए थे तो हमने उन्हे स्पष्टरूप में बताया किंतु मुझे वास्तव में यह भय है कि...*(व्यवधान)*

श्री दिनशा पटेल : उन्हे बोल्ड नहीं अपितु साहसपूर्वक कहा।

श्री पी.सी. थामस : जी, हां, मैं जानता हूं वे बहुत साहसी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने साहसपूर्वक उत्तर दिया।

श्री पी.सी. थामस : मैंने उत्तर से ही यह पाया है कि अमेरिका की सेकरेट्री ऑफ स्टेट डा. कोंडालीजा राईस जिन्होने हमें कई बार पहले भी धमकाया है, के दौर के दौरान जब वे मार्च, 2005 में आई थी, सरकार के बजाय हमारे मीडिया को सूचित किया - प्रश्न यह है कि क्या उन्होने सरकार से कुछ कहा था- कि भारत को ईरान के साथ किसी भी करार को न करने के लिए कहा गया है। यह

बहुत चिंता का विषय है और यही मुद्दा है। अगर यही मामला है तो इससे अलग ढंग से निपटना होगा और मुझे आशा है कि यह संसद और देश की अस्मिता है कि कोई भी देश चाहे वह अमेरिका हो या कोई अन्य देश हम पर इस स्तर पर दबाव नहीं बना सकता है। इसलिए, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न यह है कि क्या डा. कोंडालीजा राईस जब उन्होंने भारतीय प्रेस को बताया... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह 'महिला' है न कि 'पुरुष'।

श्री पी.सी. थामस : जी, हां।...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उस हिस्से को हटा दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उन्ही तीन शब्दों को हटाना है।

श्री पी.सी. थामस : मात्र दोहराने के लिए नहीं अपितु मंत्री जी से ठोस उत्तर पाने के लिए पुन: मेरा यही प्रश्न है कि जब डा. कोंडालीजा राईस यहां आई थी तो क्या उन्होंने इस करार पर ईरान के साथ आगे कार्यवाही न करने के लिए भारत से कुछ कहा था।

श्री मुरली देवरा : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी कोई भय की बात नहीं है, कि भारत पर कभी भी दबाव डाला जा सकता है। इस मुद्दे पर अमेरिका की कानूनी स्थिति यह है कि अमेरिका में 1996 के ईरान-लीबिया सैंक्शन्स एक्ट नामक अधिनियम में यह व्यवस्था है कि उन विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जो एक वर्ष में 20 मिलियन डालर से अधिक निवेश करती हैं। यह भी मुद्दा नहीं है और मैंने बार-बार माननीय सदस्य को बताया है कि हम पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है और हम इस गैस पाईपलाइन पर आगे चर्चा कर रहे हैं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : महोदय, आई पी आई, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन को शान्ति पाइपलाइन माना जा रहा है। भारत सरकार अब ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात से संबंधित परियोजना पर सक्रियता से कार्य कर रही है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तान से होकर गुजरने के अलावा ईरान से प्राकृतिक गैस को लाने के किसी अन्य मार्ग की खोज की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुरक्षा मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ कोई भी आपातकालीन स्थिति अथवा विचारों में भिन्नता हो सकती है।

श्री मुरली देवरा : गैस को पाइपलाइन के माध्यम से लाना सर्वोत्तम उपाय है। गैस को ईरान से बारास्ता पाकिस्तान, भारत लाने में कोई समस्या नहीं है। जब रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जायेगी तो इसे भी ध्यान में रखा जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन् मेरा माननीय मंत्री जी से एक स्पैसिफिक प्रश्न यह है कि प्रस्तावित भारत-ईरान गैस पाइप-लाइन का अगर एक रास्ता पाकिस्तान से होकर है तो क्या पाकिस्तान की सरकार ने बातचीत की सहमति दी है और क्या आतंकवादी गतिविधियों के चलते हुए गैस पाइप-लाइन की सुरक्षा पर विचार किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह आगे चल कर बहुत जबर्दस्त इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हो?

श्री मुरली देवरा : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री एक महीने पहले जब दिल्ली में थे तो उन्होंने इस बात की गारंटी की थी कि इसके अंदर कोई असुविधा या तकलीफ नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन : क्या मंत्री जी सभा को यह सूचित करेंगे कि क्या मंत्रालय ने आईपीआई पाइपलाइन के कार्यान्वयन के किसी कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया है और भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि निवेश किये जाने की आवश्यकता है? इस परियोजना के लिए कुल कितना परिव्यय है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

श्री मुरली देवरा : कितनी धनराशि खर्च होगी इसका आकलन किया जा रहा है। किंतु अनुमान है कि कुल लागत लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डालर के करीब होगी।

एडवोकेट सुरेश कुरुप : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिकी सरकार ने इस पाइपलाइन के संबंध में ईरान और पाकिस्तान के साथ भारत के समझौते के प्रति कभी असहमति दर्शाई है और यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या थी?

श्री मुरली देवरा : भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वे अपने मंत्रालय के बारे में ही जानते हैं।

पर्यटन को प्रोत्साहन

***405. श्री एम. अप्पादुरई :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) विकास के लिए किन-किन पर्यटक सर्किटों की पहचान की गई है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) एक सुव्यवस्थित एवं सर्वांगीणतरीके में पर्यटक रुचि के स्थलों का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20-वर्षीय भावी योजनाएं प्रारंभ की थीं। भावी योजनाओं में लघु अवधि और दीर्घावधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विकास हेतु कार्य योजनाएं दी गई हैं। इन भावी योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है, ताकि वे 11वीं योजना के दौरान, पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु कार्यवाही शुरू करने में उनका मार्गदर्शन कर सकें।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, देश में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने आर्थिक वृद्धि के एक प्रमुख इंजन के रूप में और विश्व स्तर की पर्यटक अवसंरचना के सृजन के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पर्यटन को अवस्थित करने के लिए एक रणनीति अपनाई है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य क्षेत्र के लिए, एक संकेन्द्रित मार्केटिंग एवं संवर्धनात्मक योजना और क्वालिटी मानव संसाधन विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की हैं और अपनाई हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन मंत्रालय के आवंटन को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, तथापि, वर्ष 2007-08 के लिए आवंटित बजट 953.00 करोड़ रुपए है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटक रुचि के स्थलों के विकास हेतु राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं का अभिनिर्धारण, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता बैठकों में किया जाता है और उनकी पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता, आदि पर विचार करने के पश्चात्, दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक परिपथ के विकास के लिए 8.00 करोड़ रुपए तक की अधिकतम वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा सकती है। तथापि, मेगा परिपथों की परियोजनाओं के लिए 50.00 करोड़ रुपए तक की अधिकतम राशि स्वीकृत की जा सकती है।

श्री एम. अप्पादुरई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर पूर्ण नहीं है। मेरा प्रश्न विशेष राज्यवार परियोजनाओं के संबंध में था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित धनराशि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: और अधिक धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि पर्यटन के माध्यम से हम और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने अपने उत्तर में राज्यवार पर्यटन सर्किटों का भी उल्लेख नहीं किया है।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं कि पर्यटन मंत्रालय को आबंटित धनराशि बिलकुल अपर्याप्त है और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में नहीं है। किंतु अभी भी हम 953 करोड़ रु. के मूल आबंटन से, जोकि इस वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान था, उससे काफी आगे आ गए हैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अंतिम प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

महोदय, हमने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए कई राज्यों हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। स्पष्टत: अभी तक आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि पांच वर्षों के लिए कुल राशि हमें ज्ञात नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य में रूचि रखते हैं तो मैं सीधे बता सकती हूं अन्यथा मैं उन्हें पूरी सूची दे दूंगी।

लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लिए जो भी बजटीय प्रावधान किया जाएगा, हम उसका अधिकतम सीमा तक उपयोग करने का प्रयास करेंगे और अगले पांच वर्षों में आने वाले पर्यटकों में संख्या कम से कम एक करोड़ करेंगे। हम यू.एस.ए. और यू.के. से आने वाले पारंपरिक पर्यटकों के अतिरिक्त अपने पर्यटक स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं। हम चीन, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और कतिपय अन्य देशों यथा आस्ट्रेलिया की ओर देख रहे हैं और हम लैटिन अमरीकी महाद्वीप से पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पर्यटकों के व्यय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह 30 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय व्यय के समान हो सके। हम अगले पांच वर्षों में अपने घरेलू पर्यटकों की संख्या को 400 मिलियन से बढ़ाकर 760 मिलियन पर्यटक करने का प्रयास कर रहे हैं।

अवसंरचना को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों से सभा अवगत है। बजट श्रेणी में चाहे जो भी रहे, हमने कई नई योजनाएं शुरू की है। इसके अतिरिक्त, हम भारत को पूरे 365 दिन के लिए पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम केवल 'पीक सीजन' पर निर्भर न रहें और जिसमें शेष पूरे वर्ष के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। इन पर्यटन गंतव्यों और सर्किटों के विकास के लिए राज्यों को मंजूरियां देकर और अपने साधनों में से कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करके सभी राज्यों को बढ़ावा दे रहे है।

श्री एम. अप्पादुरई : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशेषकर तमिलनाडु राज्य के तेनकासी में मेरे संसदीय क्षेत्र के कोर्टालम नामक पर्यटन स्थल के विकास के लिए आबंटित धनराशि के अलावा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी से इस स्थल को अखिल भारतीय पर्यटन विकास सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था और इस स्थल अर्थात कोर्टालम हेतु अवसंरचना के विकास के लिए और अधिक धनराशि के आबंटन हेतु भी अनुरोध किया था।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा स्वतः संज्ञान से परियोजनाओं की पहचान करना और यह निर्णय करना कि किसमे वित्तपोषित किया जाना है और किसे सहायता प्रदान की जानी है, यह काफी मुश्किल है। यह कार्य वार्षिक रूप से राज्य पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वे अपनी परियोजनाओं और सर्किटों की प्राथमिकता तय करते हैं और हम उन्हें वित्तपोषित करते हैं। केन्द्रीय मंत्रालय से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सांकेतिक है। यह गंतव्य विकास के लिए पांच करोड़ रु. और सर्किट विकास के लिए आठ करोड़ रु. है सिवाय नई नई मेगा परियोजनाओं के लिए जिन्हें संप्रग सरकार धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हुई है, जो कि गंतव्य विकास के लिए 25 करोड़ रु. और सर्किट विकास के लिए 50 करोड़ रु. है। माननीय सदस्य को उनके पर्यटन मंत्रालय के संपर्क में रहना होगा ताकि वे उसे प्राथमिकता दे सकें जिनका सदस्य उल्लेख कर रहे है। हमें अपनी ओर से इसे सहायता प्रदान करने में कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : महोदय, आज टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और इम्प्लाएमेंट जनरेशन का एक साधन बन चुकी है। क्या आपका मंत्रालय धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोई योजना बना रहा है? यदि हां तो मेरी कांस्टीटुएंसी में गढ़शंकर तहसील के गांव मलकोवल में गुरु गोबिंद जी द्वारा लिखा गया पत्र एक गुरुद्वारे में पड़ा है, गुरु रविदास जी द्वारा प्रयोग की गई चक्की खुरालगढ़ में पड़ी है और पांडवों द्वारा निर्मित एक मंदिर वहां बना हुआ है। क्या इन स्थानों पर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ कर सकती है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि पंजाब में बहुत-सी धनराशि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को दी है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि टूरिज्म एक एम्प्लाएमेंट जनरेटिंग फैक्टर है। मैं समझती हूं कि देश में सबसे ज्यादा इम्प्लाएमेंट जनरेशन टूरिज्म के जरिए होती है इसलिए हमने रूरल टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। हमने तय किया है और पॉयलट प्रोजेक्ट्स के रूप में पूरे देश के सब प्रदेशों में 100 गांवों को, एक या दो गिनकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनमें कोई कोर सैक्टर फाइन आर्ट, क्राफ्ट्स, टैक्सटाइल या वुड वर्क का है इस तरह से हमने सत्तर गांवों को लिया है। उड़ीसा में रघुराजपुर, नागालैंड में दो और चूंकि माननीय सदस्य होशियारपुर जिले से हैं, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि होशियारपुर में हमने भूतगढ़ रूरल टूरिज्म के तहत निर्मित्त किया है, जहां सदियों से लकड़ी का काम बहुत मशहूर है। वह भी हमारे टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हम रूरल टूरिज्म के तहत पायलट प्रोजैक्ट बहुत जोरों से चला रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने धार्मिक टूरिज्म की बात कही है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि पिछले दो सालों में हमने पंजाब में पंजाब सरकार

के जरिये दो सर्किट तय किये थे तथा उन्हें समर्थन दिया था। इनमें एक धार्मिक स्थलों का है और दूसरा स्वतंत्रता सेनानियों को मद्देनजर रखते हुए फ्रीडम सर्किट का है। इनमें जो धार्मिक स्थलों का है और दूसरा स्वतंत्रता सेनानियों को मद्देनजर रखते हुए फ्रीडम सर्किट का हैं इनमें जो धार्मिक स्थलों का है, उसमें एक मंदिर, जो होशियारपुर जिले के दसुवे में हैं, मलेरकोटला में एक मस्जिद, एक चर्च और 11 गुरुद्वारे हमने तय किये हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो पत्रों का उल्लेख किया है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि वह मेरे से सम्पर्क करें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत एक मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, उसमें हम उन्हें जो भी समर्थन दे सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : एक उद्योग के तौर पर पर्यटन में नई संभावनाएं हैं।

क्या ग्यारहवीं योजना में अन्य देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए आयुर्वेद में विशिष्ट चिकित्सा विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव है, जो कि चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली है? अनेक विदेशी ऐसी चिकित्सा को प्राथमिकता देते हैं और जो कि मेरे राज्य केरल में उपलब्ध है, जहां आयुर्वेद चिकित्सा एक विशेषता है। क्या मंत्री जी ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई कार्यक्रम शामिल किया है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : माननीय सदस्य को यह बताना व्यर्थ होगा कि केरल ने किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देकर लाभ लिया है। स्वास्थ्य पर्यटन हमारा मुख्य उत्पाद है। जिसकी हम पूरे विश्व में पुरजोर मार्केटिंग कर रहे है और केरल उसमें शीर्षस्थ राज्य है। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा अन्य संबद्ध चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग से स्वास्थ्य पर्यटन पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा है। यह केरल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि कहां से इसकी शुरूआत हुई है। गत पांच-छह वर्षों में केरल ने इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है और हम इसे वर्तमान सरकार के अधीन भी जारी रखे हुए हैं।

श्री राजनारायन बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बुन्देलखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल झांसी, चित्रकूट, खजुराहो, ओरछा कालिंजर, चरखाड़ी, महोबा और हमीरपुर इत्यादि में खजुराहों के अलावा सभी पर्यटक स्थलों को केन्द्र सरकार की मदद मिलने के कारण अति उपेक्षित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन स्थानों को पर्यटक मानचित्र में उचित स्थान दिलाने हेतु क्या केन्द्र सरकार की कोई कार्य योजना है? जिससे देशी और विदेशी पर्यटक इस ओर भी आकर्षित हों तथा राजस्व में भी वृद्धि हो। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हमारे मंत्रालय में सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आये थे, क्योंकि मंत्रालय ने उनके प्रदेश को काफी धनराशि दी है...*(व्यवधान)*

श्री राजनारायन बुधौलिया : मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैंने सोचा आप मध्य प्रदेश से हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने खजुराहो बोला है।

श्रीमती अम्बिका सोनी : मेरे से गलती हो गई।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : खजुराहो मध्य प्रदेश में आता है।

श्रीमती अम्बिका सोनी : तभी मुझे गलती लगी, जब उन्होंने जिक्र किया।

अध्यक्ष महोदय : आपने ठीक ही बोला, खजुराहो से शुरू करके उत्तर प्रदेश चले गये।

श्रीमती अम्बिका सोनी : उत्तर प्रदेश के बारे में मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि पिछले पांच सालों में जितनी धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकार को पर्यटन के लिए यहां से उपलब्ध कराई गई थी, मुझे खेद है कि उसका चौथा हिस्सा भी बदकिस्मती से खर्च नहीं किया गया। जब से मैं मंत्री बनी हूं, मैंने कई प्रयास किये, कई चिट्ठियां भी लिखी हैं कि अगर इस पैसे का नियमित समय में उपयोग नहीं किया जायेगा तो यह स्कीम लैप्स कर जाती हैं।

मैं अब यहां उदाहरण दूंगी तो आप कहेंगे कि मैं राजनीति बीच में ला रही हूं और मैं राजनीति बीच में नहीं लाना चाहती। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही अहम प्रोजेक्टस उत्तर प्रदेश के लिए सैंक्शन किये गये थे। यहां तक कि ताज महल जिसके लिए खुद सरकार 50 करोड़ रुपये लगाने के लिए तैयार है। हम खुद वहां गये

थे क्योंकि वहां की नालियां और आसपास के जो दृश्य हैं, वे पर्यटन के लिए उचित नहीं हैं। हमने तब भी वहां 30 करोड़ रुपये सालाना सिर्फ सफाई के लिए आगरा डैवलपमेंट ऑथारिटी को दिए थे लेकिन उसका ठीक से उपयोग नहीं किया गया। अगर सांसद महोदय बाद में मुझसे बात करेंगे और मेरी अगर मदद करना चाहेंगे कि धनराशि वहां के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कैसे खर्च की जा सकती है तो मैं उनकी आभारी रहूंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से हाल ही में चुनाव पर्यटन हुआ था।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद यह अच्छी बात है कि सरकार ने किसी योजना विशेष के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर 8 करोड़ रुपए और किसी बृहद् योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र चिदम्बरम में अत्यधिक प्रसिद्ध नटराज मन्दिर को विश्व विरासत केन्द्र के तौर पर चुना गया है। टापुओं से घिरे पिचावरम नामक एक अन्य स्थान को पर्यटन केन्द्र के तौर पर विकसित किया जाना है।

मैंने काफी पहले 2004 में विश्व विरासत केन्द्र के लिए 3,17 करोड़ रुपए और पिचावरम के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक धनराशि हेतु लिखित अनुरोध किया था।

मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस योजना में, विशेषकर इस वर्ष के बजट में इन दोनों योजनाओं को शामिल किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के माध्यम से उत्तर के अनुरोध वाले मेरे पत्र का सकारात्मक जवाब मिलेगा।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मन्दिरों और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का कार्य एएसआई द्वारा किया जाता है और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है क्योंकि मुख्य प्रश्न पर्यटन के संबंध में था। किंतु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकती हूं कि गत एक वर्ष में हमने राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त, एएसआई द्वारा संरक्षित 3667 स्मारकों की सूची में कई नए स्मारकों को शामिल किया गया है।

जहां तक पत्र का संबंध है। मुझे बहुत खेद है और यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। मैं माननीय सदस्य के पत्रों को पढ़कर और उनकी मांगों की जांच करके उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगी। किंतु इस परियोजना पर मैं माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत कराऊंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके माध्यम से मुझे सीपीए में मालदीव जाने का मौका मिला।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह मत कहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं उससे संबंधित एक प्रश्न कर रही हूं कि सर जब मैं वहां गई तो मैंने यह जाना कि यह एक छोटा सा देश है और वह सिर्फ टयूरिज्म पर निर्भर है। वहां जाकर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, क्या वजह है कि वहां के टयूरिज्म और हमारे देश के टयूरिज्म में वॉटर रिलेटेड जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं और सी से संबंधित जो टयूरिज्म है, उनमें काफी अंतर है। आप अंडमान-निकोबार तथा पोर्ट ब्लेयर का उदाहरण ले लें, हमारे पास बहुत सारे आयरलैंड और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन क्या वजह है कि मालदीव इतना महंगा होने के बावजूद भी विदेशी पर्यटक और दूसरे लोग वहां ज्यादा जा रहे हैं? मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या आपकी कोई ऐसी योजना है क्योंकि दो-तीन चीजों से हमारे विदेशी पर्यटक या जो भी पर्यटक आते हैं, वे इम्प्रैस होते हैं, इसलिए हमारे समुद्र तटों की सफाई पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान व निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में उस तरह का बढ़ा रहे हैं कि हमारे यहां पर मालदीव की तुलना में विदेशी पर्यटन बढ़े? अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं लेकिन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देने के कारण हमारा पर्यटन पीछे जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या आपकी कोई ऐसी योजना उन जगहों के लिए है जहां पर अभी तक बहुत सारा विकास किया जा सकता था लेकिन वह नहीं हुआ है?

श्रीमती अम्बिका सोनी : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूं कि मैं नहीं समझती कि हमारा टयूरिज्म पीछे जा रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखेंगे कि जिस तरह की ग्रोथ या जिस तरह की जो टयूरिस्ट्स की इंफ्लो भारत में हो रही है, शायद दूसरे मुल्कों के मुकाबले वह कई गुना ज्यादा है।

जहां तक अंडमान एंड निकोबार का सवाल है, माननीय सदस्या यह समझेंगी कि यह द्वीप भारत के दक्षिण हिस्से में है, पर्यावरण दृष्टि से इसकी बहुत ज्यादा सुरक्षा करनी है और सैंसेटिविटी होने के कारण हम यहां पर इस तरह का इनफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। उस तट की खूबसूरती के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। इसलिये, हम उसका विकास करते करते वहां की एनवायरमेंटल सैंसेटिविटी को कुचल दें, यह उचित नहीं रहेगा। हमने हाल ही में वहां क्रूज़-टूरिज्म शुरू किया है। 15 दिन से वहां अंतर्राष्ट्रीय जहाज आ रहे हैं जहां पर्यटक जहाज पर रहेंगे। हम उनसे स्पष्ट रूप से इस आशय का एफिडेविट ले रहे हैं कि वे समुद्री तट को किसी तरह से प्रदूषित नहीं करेंगे, वे वहां पर गंदगी नहीं फैलायेंगे, वेस्ट का इलैक्ट्रिक एक्सिंग्टगयूशर तरीके का इस्तेमाल करते हुये उनका डिस्पोजल किया जायेगा। हम पूरे भारत को एक नजर से एक बड़ी तस्वीर के रूप में देख रहे हैं। किसी भी प्रदेश को टूरिज्म के विकास से वंचित रखना हमारा उद्देश्य बिलकुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अंडमान एंड निकोबार तथा लक्षद्वीप के सब एरियाज़ में काफी हद तक टूरिज्म बढ़ा है। हम उनकी सैंसेटिविटी को देखते हुये टूरिज्म बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मॉरिशस और मालदीव से इन एरियाज की तुलना करना, मैं समझती हूं कि उचित नहीं है। हमारे मुल्क की प्रॉयोरिटीज दूसरी रही हैं। हम लोग आज के दिन टूरिज्म पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, चाहे पिछले 60 सालों में देश के सामने दूसरी प्रॉयोरिटीज रही हों जिन्हें पूरा करने में सरकारों का ध्यान रहा है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, बौद्ध धर्म इस विश्व में पांचवा सबसे बड़ा धर्म है। पांच देशों विशेषकर चीन, जापान, थाइलैंड, वियतनाम और म्यांमार में 90 प्रतिशत से ज्यादा बौद्ध हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा सा प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कम टु इंडिया - वॉक विद बुद्ध ''अभियान शुरू किया गया है। किन-किन गंतव्य स्थानों की बौद्ध स्थलों के रूप में में पहचान की गई है और क्या इस कार्यक्रम में उड़ीसा के किसी स्थल को शामिल नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जापान ने बौद्ध स्थलों में अवसंरचना विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकश की है।

श्रीमती अम्बिका सोनी : इसमें कोई शक नहीं है कि बौद्ध पर्यटन अथक बौद्धधर्म में अगाध विश्वास के साथ पड़ोसी देशों से आने वाले लोग हमारे यहां पर्यटन को बढ़ावा देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और जैपनीज़ बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोअपरेशन कुछेक प्रमुख बौद्ध स्थलों में अवसंरचना का विकास करने में सहायता देने के लिए व्यापक रूप से आगे आया है। उसने अपने सर्वेक्षण कराए हैं। वह स्वयं अपने निर्णय लेता है कि वह कौन से राज्य और कौन से क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर शुरूआत करना चाहता है और बोधगया, राजगीर, नालन्दा से वैशाली तक एक चार-लेन वाली सड़क का विकास करना उनका अपना निजी निर्णय था। हमने जे.बी.आई. सी. के साथ महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के विकास का पहला चरण पूरा कर लिया है उसने हमें बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार दुर्भाग्यवश सारनाथ, वाराणसी और कुशीनगर के लिए उपयोग में नहीं ला पाई है। उक्त बैंक के कर्मचारीवृद अभी हाल ही में यहां भारत आए हैं और राज्यों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं। अपनी ओर से, मैंने उड़ीसा का नाम सुझाया था, जहां यह सब कलिंग युद्ध के साथ शुरू हुआ था और मैंने स्वयं निजी तौर पर उस स्थल का दौरा किया है, जिसे हम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह तथा जम्मू और कश्मीर से चुने गए स्थलों के नक्शे में लाना चाहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में बौद्ध प्रभाव, बौद्ध बिहार और विद्यालय हैं। गत एक वर्ष के दौरान जब हमने बुद्ध महापरिनिर्वाण के 2550 वर्ष की जयंती मनाई, तो हमने इन सभी राज्यों को यथा संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिसकी उन्होंने मांग की थी। शायद हम उड़ीसा को जापानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन की कार्यक्रम सारणी में अभी तक शामिल न कर पाए हों, लेकिन उड़ीसा में कुछ परियोजनाओं को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में भारी धनराशि प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : विषय के महत्व के कारण, मैंने, आठ प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी है। मैं सझमता हूं कि हमने अच्छी चर्चा की है।

रेल के पुराने सवारी डिब्बों का प्रतिस्थापन

***406. श्री पी. करुणाकरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में रेल के सवारी डिब्बे पुराने हो गये हैं तथा यात्रा के लिए आरामदेह नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुराने सवारी डिब्बों को प्रतिस्थापित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं।

विभिन्न किस्म के सवारी डिब्बों के लिए जीवट आयु (कोडल लाइफ) निर्धारित की गई है। रेलें, गतायु सवारी डिब्बों को नियमित आधार पर हटाती रहती हैं। भारतीय रेल प्रणाली में लगभग 47063 सवारी डिब्बों में से, मात्र 1034 सवारी डिब्बे ही गतायु हैं जो कि कुल का 2.2% है।

आमतौर पर मेन लाइन के गतायु सवारी डिब्बों को यात्री सेवाओं में नहीं लगाया जाता है, उन्हें केवल विभागीय प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। बहरहाल, कुछ गतायु सवारी डिब्बे जैसे विद्युत मल्टीपल इकाइयां तथा छोटी लाइन के सवारी डिब्बे अभी भी उपयोग में लाए जा रहे हैं निर्धारित निरीक्षणों तथा अनुरक्षण के दौरान ऐसे सवारी डिब्बों में संरक्षा तथा यात्री सुविधा संबंधी सभी मदों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इन्हें यात्रियों की सहूलियत के लिए संतोषजनक तरीके से रखा जाता है।

(ग) यात्री परिवहन क्षमताओं के संवर्धन तथा गतायु स्टॉक के प्रतिस्थापन के लिए भारतीय रेलों पर नए सवारी डिब्बों की खरीद करना एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा दिए गए उत्तर में यह कहा गया है कि 1034 कोच ऐसे हैं, जो अपनी उपयोग सीमा पार कर चुके हैं और पुराने हो चुके हैं। उन्हें या तो यात्री सेवा अथवा सरकार के अन्य प्रयोजन हेतु अभी भी उपयोग में लाया जा रहा है। क्या कोचों की कमी के कारण उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है, चूंकि गत दो या तीन वर्षों में बड़ी संख्या में ट्रेनें शुरू की गई है? यदि हां, तो सरकार का अधिक कोचों का निर्माण करने और इन उपयोग अवधि को पार कर चुके और पुराने कोचों को बदलने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

श्री आर. वेलु : महोदय, आज देश में, हमने कोचों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की है। हम कपूरथला में 1400, आई सी एफ, चेन्नई में 1500, तथा बी.ई.एम.एल, बंगलौर में 400 के लगभग कोच बना रहे है। ये संख्या 3000 बैठती है और हमारे पास पुराने कोच भी हैं। वस्तुतः, रेलवे के विकास को देखते हुए, हम रायबरेली में भी एक अन्य कोच निर्माण कारखाने की स्थापना करने की भी योजना बना रहे हैं, जहां हम एक वर्ष में 1000 अन्य कोचों का विनिर्माण कर पाएंगे। अब प्रश्न यह है कि हमारे पास उपयोग सीमा को पार कर चुके 1034 कोच हैं। बी.जी. कोचों में से किसी को भी नहीं चलाया जाता है। हमें लगभग 529 ई.एम.यू. कोचों को आंशकि रूप से मुंबई में चलाना पड़ता है क्योंकि मुंबई में ये डी.सी. से चलते हैं। अब, हम ए.सी. से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कोच डी.सी. से चलने वाले हैं। अब, हम एसी/डीसी कोचों का भी विनिर्माण कर रहे हैं। इसीलिए, वर्तमान में हम उन कोचों का उपयोग कर रहे हैं ताकि यात्रा करने वाली जनता को परेशानी न हो। केरल से हमारे मित्र को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केरल में उपयोग सीमा पार कर चुका एक भी कोच नहीं चलाया जाता है।

श्री पी. करुणाकरन : केरल में हमारा अनुभव है कि स्थानीय ट्रेनों अथवा एक्सप्रेस ट्रेनों अथवा सुपरफास्ट ट्रेनों में आपने जो कोच लगाए हैं, वे वास्तव में पुराने हैं। मैं यह नहीं समझता कि यह किसी मंशा के कारण है। लेकिन केरल में हम जो कोच देखते हैं। वे वाकई पुराने हैं और गंदे कोचों के कारण, पानी की कमी के कारण, कोचों में गंदे शौचालयों आदि की वजह से यात्रा करना मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह देखने का प्रयास करेंगे कि केरल में क्या हो रहा है। ऐसा क्यों है कि आप उस राज्य में ऐसे कोच भेज रहे हैं जो कि इतनी बदतर स्थिति में है।

अध्यक्ष महोदय : यह बदतर स्थिति नये कोचों में भी हो सकती है और ऐसी स्थिति है।

श्री आर. वेलु : एक कोच की कोडल अवधि 25 वर्ष होती है। इसलिए, किसी भी कोच, जिसकी अवधि 25 वर्ष से ज्यादा है, को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती।

मैं सफाई के संबंध में मुद्दे के बारे में कहना चाहता हूं कि रेलवे ने घोषणा की है कि यह वर्ष सफाई का वर्ष है। हमने धनराशि आबंटित करने का प्रयास किया है। बल्कि, मैं भी माननीय सदस्य से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमने यात्री सुविधाओं के लिए लगभग 483 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। सफाई का ध्यान रखा जाएगा, जो कि स्वच्छता का एक हिस्सा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से लोगों

से भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे ट्रेनों में सफाई के रखरखाव में सहयोग करें।

श्री अनवर हुसैन : मेरा सीधे माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां, पूछिए।

श्री अनवर हुसैन : पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उपयोग सीमा पार कर चुके, पुराने और बिना मूलभूत सुविधाओं वाले असुविधाजनक यात्री कोच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मात्र 1034 कोच ऐसे हैं, जिनकी उपयोग सीमा पूरी हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री, महोदय से जानना चाहता हूं कि लगभग 47,000 कोचों में से, पूर्वोत्तर राज्यों में केवल उपयोग सीमा पार कर चुके, पुराने कोचों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्री आर. वेलु : महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में, ज्यादातर लाइनें मीटरगेज लाइनें हैं। देश में ज्यादातर लाइनों को मीटरगेज से ब्राडगेज में परिवर्तित किए जाने के कारण, हमारे पास मीटर गेज कोचों का अधिशेष भंडार है। इसलिए, हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग सीमा पार कर चुके कोचों का इस्तेमाल करने की कोई समस्या है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी

***403. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एअर ट्रैफिक कंट्रोलरों (एटीसी) की अत्याधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आगामी वर्षों में नागर विमानन उद्योग के लिए कितने एअर ट्रैफिक कंट्रोलरों (एटीसी) की आवश्यकता होगी;

(घ) देश में एअर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार एअर ट्रैफिक कंट्रोल संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में नए संस्थान खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) नागर विमानन सेक्टर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उड़ानों/विमान गतिविधि की संख्या में सार्थक वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर में कुछ अतिरिक्त यूनिट खोले जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन बंगलौर और हैदराबाद नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सेवाओं को प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एटीसी की आवश्यकता होगी। ऐसा अनुमान है कि मौजूदा और बनाए जा रहे हवाईअड्डों पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए लगभग 620 अतिरिक्त एटीसी की आवश्यकता होगी।

(घ) पिछले ढाई वर्षों के दौरान कुल 371 जूनियर इक्जीक्यूटिव (एटीसी) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में लिया गया है। दूसरे पदों को भरने की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई जारी है। एएआई ने जहां कहीं संभव हो सेवानिवृत्त एटीसीयों को भी सेवा में उपयोग कर रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। मौजूदा हैदराबाद हवाईअड्डे पर एक अतिरिक्त प्रशिक्षण यूनिट स्थापित किया जा रहा है। हैदराबाद प्रशिक्षण केन्द्र पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को एरिया कंट्रोल सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी

***407. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सेना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सशस्त्र सेनाओं में रिक्त पद भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) इस समय सशस्त्र सेनाओं में कुल 14165 अधिकारियों की कमी है। सेना में 11238 अधिकारियों की कमी है जबकि नौसेना और वायुसेना में क्रमशः 1399 और 1528 अधिकारियों की कमी है। सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	सेना	नौसेना	वायुसेना
प्राधिकृत संख्या	46615	8821	12118
तैनात अधिकारियों की संख्या	35377	7422	10590
कमी	11238	1399	1528

रिक्त पदों को भरने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा कई उपाय किए गए हैं। अल्प सेवा कमीशन (एसएससी) के अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को 2, 6 और 13 वर्षों की गणनीय सेवा के पश्चात क्रमशः कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तथा इसके समतुल्य स्थायी रैंक धारण करने के पात्र बना दिया गया है। तीनों सेनाओं में अल्प सेवा कमीशन के अधिकारियों का कार्यकाल 14 वर्षों तक बढ़ा दिया गया हैं

इसके अलावा, सशस्त्र सेनाओं ने युवकों में, चुनौतीपूर्ण और संतोषप्रद कैरियर का चयन करने के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सतत छवि निर्माण और प्रचार अभियान भर्ती प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं और संभावित उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में केंद्रित प्रचार अभियान शुरू किया गया है। इस दिशा में किए गए कुछ अन्य उपायों में जागरूकता अभियान, कैरियर संबंधी मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देना, स्कूलों और कॉलेजों में अभिप्रेरणात्मक व्याख्यान देना शामिल हैं।

[अनुवाद]

पुरावस्तुओं का अवैध व्यापार

*408. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में पुरावस्तुओं के बढ़ रहे अवैध व्यापार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने मामले सामने आये हैं;

(ग) पुरावस्तुओं के व्यापार को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या स्मारकों तथा पुरावस्तुओं संबंधी राष्ट्रीय मिशन पुरावस्तुओं के व्यापार को रोक पायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़े पुरावशेषों की अवैध व्यापार में वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए पुरावशेषों की चोरी के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पुरावशेष के व्यापार को विनियमित करने तथा पुरावशेषों की विशिष्ट श्रेणियों को पंजीकृत करने के प्रावधान विद्यमान हैं। सरकार प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाने तथा अधिनियम के उल्लंघन के लिए अधिक सजा का प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

भारत सांस्कृतिक सम्पदा की अवैध व्यापार के निषेध तथा निवारण के उपायों पर 1970 के यूनेस्को सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता भी है।

चुनिंदा स्थानों में संग्रहालयों तथा संरक्षित स्मारकों पर सुरक्षा की व्यवस्था को राज्य पुलिस, निजी सुरक्षा गार्डों तथा केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल तैनात करके बढ़ाया गया हैं सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सीमा शुल्क विभाग तथा सी.बी.आई., डी.आर.आई. तथा राज्य पुलिस जैसी अन्य कानून प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा कड़ी सतर्कता भी बरती जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन पुरावशेषों को प्रलेखन करेगा तथा राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार करेगा जिससे तस्करी किए गए पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति स्थल का पता लगाने में सहायता मिलेगी। मिशन पुरातत्व विषयक सम्पदा की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता, जिम्मेदारी तथा भागीदारी को बढ़ावा देगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरावशेषों की चोरी की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारक/स्थल तथा जिला का नाम	वस्तु का विवरण	चोरी की तारीख	मामले की स्थिति	अभ्युक्तिया
1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2004			
1.	राजस्थान	ध्वस्त कृष्णविलास स्थिति चारखम्भा मंदिर परिसर	दो मूर्तिया	21.04.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
2.	जम्मू एवं कश्मीर	बुमजुवा गुफा, जिला अनंतनाग	प्रस्तर शिव लिंग	23/24.05.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	बरामद की गई
3.	गुजरात	सूर्य मंदिर, मोधेरा, जिला मेहसाना	मूर्तियों के दो टुकड़े	04.08.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	बरामद की गई
4.	तमिलनाडु	अलातुर, तालुक कुलातुर, जिला पुडुक्कोट्टई	जैन मूर्ति	08.08.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	बरामद की गई
5.	मध्य प्रदेश	लंजी किला, जिला बालाघाट	दो मूर्तियां	21.08.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
6.	आंध्र प्रदेश	दफन जैन मंदिर के खण्डहर, देनावुलापडु गांव, जम्मालामडुगू मण्डल	जैन तीर्थंकर की आवक्ष मूर्ति	8/9.9.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
7.	पश्चिम बंगाल	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	भगवान बुद्ध का प्रस्तर-शीर्ष	29.12.2004	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	मामला सीबीआई को सौंपा गया है।
			वर्ष 2005			
1.	राजस्थान	प्राचीन स्थल नगर, जिला टोंक	सात मूर्तियां	12.01.2005	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
2.	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय संरक्षित स्थल, सिरपुर, जिला महासमुन्द	हरीति की प्रस्तर प्रतिमा	23/24.06.2005	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	बरामद की गई
3.	मध्य प्रदेश	मूर्ति शेड, कारीतलई, जिला कटनी	9 बलुई प्रस्तर मूर्तियां	17.08.2005	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	

1	2	3	4	5	6	7
4.	छत्तीसगढ़	लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, जिला महासमुन्द	अनंतशेष की प्रस्तर प्रतिमा	13/14.10.2005	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	बरामद की गई
			वर्ष 2006			
1.	उत्तरांचल	गुफा मंदिर, पाताल भुवनेश्वर तहसील-बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	गणेश की लघु आकार की दो प्रस्तर मूर्तियां (पूजा - अधीन) इतनी पुरानी नहीं	2/3.04.2006	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
2.	उत्तरांचल	चांदपुर किला का मंदिर परिसर, जिला चमोली	काली का एक उत्कीण काष्ठ शीर्ष	18/19.04.2006	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
3.	बिहार	पटना राज्य सरकार संग्रहालय	18 कांसे की मूर्तियां	26.09.2006	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	17 मूर्तियां बरामद हो गई हैं तथा एक अभी बरामद की जानी है।
4.	आंध्र प्रदेश	शिव कोडंडरामा स्वामी मंदिर, वोन्टीमिट्टा, जिला कडपा, आंध्र प्रदेश	कल्याणमण्डप छत पर उत्कीर्ण व्युत्क्रमित कमल के केन्द्रीय कलिका भाग की चोरी	06.10.2006	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	
5.	राजस्थान	पुरातत्वीय संग्रहालय, कालीबंगन, जिला हनुमानगढ़	पहिया तथा गाड़ी ढांचो	21.01.2006	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।	

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*409. **श्री महावीर भगोरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को विभिन्न राज्य सरकारों से रेल लाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) जी हां। हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रेलपथ के विद्युतीकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावों की सिफारिश की गई है और इनकी मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है:—

क्र.सं.	खंड का नाम	राज्य सरकार	स्थिति
1.	इटारसी-इलाहाबाद	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश में देवास-मकसी (115 मार्ग कि.मी.) सहित दो कार्य अर्थात बीना-कोटा (303 115 मार्ग कि.मी.), इंदौर-उज्जैन में कार्य प्रगति पर है। इटारसी-इलाहाबाद कार्य की जांच की जा रही है।
2.	तालचेर-कटक-पारादीप	उड़ीसा	कार्य प्रगति पर
3.	बीना-कोटा	राजस्थान	कार्य प्रगति पर
4.	जयपुर-सवाई-माधोपुर	राजस्थान	अर्थक्षम नहीं
5.	रतलाम-नीमच-चित्तौड़गढ़	राजस्थान	अर्थक्षम नहीं
6.	कसरा-तीतवाला खंड पर डी/सी/एसी परिवर्तन संबंधी कार्य	महाराष्ट्र	पूरा हो गया है।
7.	दिल्ली-रोहतक	हरियाणा	प्रक्रियाधीन
8.	लक्सर-ऋषिकेश/देहरादून	उत्तराखंड	अर्थक्षम नहीं
9.	नजीबाबद-कोटद्वार/मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर/ काशीपुर-लालकुआं और रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम	उत्तराखंड	अर्थक्षम नहीं
10.	दैतारी-बांसपानी	उड़ीसा	कार्य प्रगति पर
11.	विल्लपुरम-मदुरै	तमिलनाडु	कार्य प्रगति पर
12.	मदुरै-तूतीकोरिन	तमिलनाडु	जांचाधीन
13.	मदुरै-नागरकोविल	तमिलनाडु	जांचाधीन

[अनुवाद]

एअर इंडिया के उड़ानों की आपातिक (इमरजेंसी) लैंडिंग

***410. डा. के. धनराजू :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में एअर इंडिया की कुछ उड़ानों की आपातिक (इमरजेंसी) लैंडिंग की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आपातिक (इमरजेंसी) लैंडिंग के बारे में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां । एअर इंडिया की उड़ान एआई-349 तथा ए आई 737 को प्रचालित कर रहे दो विमानों ने दिल्ली में दिनांक 9 अप्रेल, 2007 को इमरजेंसी लैंडिंग की। दिनांक 9 अप्रैल, 2007 को उड़ान एआई 349 को प्रचालित कर रहे एअर बस (ए 310) विमान वीटी-ई जे जे में नोज लैंडिंग गीयर (एल एन जी) डाउन लाक इंडिकेशन की खामी की रिपोर्ट मिली थी। उड़ान कर्मीदल प्रचालनिक मैनुअल (एफसीओएम) प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के पश्चात, कर्मीदल ने निर्विघ्न इमरजेंसी लैंडिंग की। इस घटना में जांच पूरी कर ली गई है और संकेत हैं कि एन एल जी का टेलीस्कोपिक ड्रैग स्ट्रट (टी डी एस) खराब था। अब इस पुर्जे को आगे जांच के लिए विक्रेता के सुविधा केन्द्र में भेज दिया गया है। विमान को दिनांक 25 अप्रैल, 2007 को डीजीसीए की अनुमति से मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री द्वारा दी गई सलाह के अनुसार स्थाई मरम्मत करने के लिए मुंबई ले जाया गया।

दिनांक 9 अप्रैल, 2007 को उड़ान एआई 737 को प्रचालित कर रहे दूसरे विमान में आर एच मेन लैंडिंग गीयर (एमएलजी) डाउन लाक इंडिकेशन की खामी की रिपोर्ट मिली थी। एफसीओएम प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद क्रू ने दिल्ली में निर्विघ्न लैंडिंग की। एन एल जी डाउन लॉक इंडिकेटर की खामी को ठीक किया गया तथा विमान को वापस सेवा में लाया गया। घटना की जांच चल रही है तथा जब और जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्राप्त हुई सिफारिशों का अनुपालन किया जाएगा।

(ङ) जबकि पांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विर्निष्ट कदम उठाए जाएंगे, एअर इंडिया के विमानों का अनुरक्षण निरन्तर उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र के तहत उच्चतम उड़नयोग्यता मानकों के अनुसार किया जाता है। सभी कार्य मूल उपस्कर विर्निमाताओं (जैसे बोइंग, एअर बस, जनरल इलेक्ट्रिक, प्रेट तथा विटनी आदि) के अनुरक्षण नियोजन दस्तावेज (एमपीडी) तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित अनुसूचियों द्वारा यथा अपेक्षित तरीके से किए जाते हैं। एअर इंडिया द्वारा प्रयुक्त अवसंरचना उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार होती है।

[हिन्दी]

मिग-23 का चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना

***441. श्री हंसराज जी. अहीर :**
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने मिग-23 विमान को चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवा से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके स्थान पर किसी 'स्विंग-विंग' विमान को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार देश में निर्मित मिग अथवा अन्य 'स्विंग-विंग' श्रेणी के विमान विकसित करने एवं इनका उत्पादन करने की कोई कार्य-योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। समनुदेशित तकनीकी उपयोग-अवधि पूरी होने पर विमानों को क्रमिक रूप से हटा दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मिग विमानों के कुछ रूपांतर मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे। तथापि एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अब कोई मिग विमान नहीं बनाए जा रहे हैं। कतिपय किस्म के विमानों की मरम्मत और ओवरहॉल की सुविधाएं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना द्वारा स्थापित की गई हैं। भारतीय वायुसेना उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ स्वयं को लगातार अद्यतन बना रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतनमानों में संशोधन

*412. श्री सुनील खां :
श्री ए.वी. बेल्लारमिन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.), ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बी.सी.एल.), टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) तथा भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) के कर्मचारियों को अभी भी 1987 स्केल के स्तर पर वेतनमान मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाजार में विद्यमान मुद्रास्फीति की ऊंची दर को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतनमानों में संशोधन के लिए कया कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल), ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बीएसएल) और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (बीडब्ल्यूईएल) के कर्मचारी 1992 के वेतनमान ले रहे हैं। केवल टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल) के कर्मचारी 1987 के वेतनमान ले रहे हैं।

(ख) टीसीआईएल, बीएससीएल और बीडब्ल्यूईएल हानि उठाने वाली कंपनियां है जो बीआईएफआर को संदर्भित हैं। केवल बीसीएल को वर्ष 2005-06 के दौरान पुनरूद्धार किया गया है और इसे दिनांक 29.6.2006 को बीआईएफआर के क्षेत्र से हटा लिया गया है। वेतन संशोधन के लिए डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धांतों में निम्नलिखित निर्धारित हैं:—

(i) बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए जाने वाले पुनरूद्धार पैकेजों के अनुसार तथा इन पैकेजों में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान करने के बाद बीआईएफआर को संदर्भित, रुग्ण उद्योगों के संबंध में वेतनमान का संशोधन सुनिश्चित रूप से वही रहेगा; और

(ii) वेतन और मजदूरी के लिए वर्धित दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों को आंतरिक रूप से अवश्य ही सृजित किया जायेगा और उत्पादकता तथा लाभदायकता के अनुसार, उन्नत निष्पादन से ही प्राप्त होंगे, न कि सरकारी आर्थिक सहायता से। चूंकि बीएससीएल, बीसीएल, बीडब्ल्यूईएल और टीसीआईएल 1997 के उच्चतर वेतनमान को भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन सृजित नहीं कर रही हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने कर्मचारियों को 1997 के वेतनमान नहीं दे सके।

(ग) पुनर्संरचना/पुनरूद्धार प्रस्तावों के माध्यम से किए गए कार्यों बीएसीसीएल, बीडब्ल्यूईएल और टीसीआईएल के पुनरूद्धार शामिल हैं। जहां तक बीसीएल का संबंध हैं, अपनी पुनर्संरचना के बाद वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

*413. श्री बागुन सुम्ब्रुई :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर दिल्ली तथा हरियाणा में गत तीन वर्षों के दौरान आई.ओ.सी./एच.पी.सी.एल./बी.पी.सी.एल./आई.बी.पी. द्वारा एम.एस./एच.एस.डी. के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र/डीलरशिप तथा एल.पी.जी. एजेंसियां आबंटित की गयीं;

(ख) वर्ष 2007-2008 के दौरान राज्य-वार तथा कंपनी-वार कितने पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. एजेंसी खोले जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को राज्य-वार तथा कंपनी-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों का आबंटन किया गया;

(घ) क्या एजेंसियों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का पूरा कोटा नहीं भरा गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने दिल्ली और हरियाणा सहित देश में मोटर स्पिरिट/हाई स्पीड डीज़ल (एमएस/एचएसडी) की 12120 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 639 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन किया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

वर्ष	अखिल भारत		दिल्ली		हरियाणा	
	खु.बि.के.	एलपीजी	खु.बि.के.	एलपीजी	खु.बि.के.	एलपीजी
2004-05	4951	509	10	0	68	0
2005-06	5173	81	4	0	73	0
2006-07	1996	49	3	1	79	0
कुल योग	12120	639	17	1	220	0

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान ओएमसीज़ द्वारा 3,554 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 188 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोले जाने की संभावना है। राज्य-वार और कंपनी वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससीज़/एसटीज़) को मोटर स्पिरिट/हाई स्पीड डीज़ल (एमएस/एचएसडी) की 2444 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 144 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन किया गया। राज्य-वार और कंपनी वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(घ) से (च) ओएमसीज ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससीज़/एसटीज़) वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को आबंटित एलपीजी एजेंसियों/खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या चयन संबंधी दिशानिर्देशों में इन वर्गों के लिए प्रदान कि गए 25% आरक्षण के अनुरूप है। तथापि, आईओसी के मामले में पेट्रोल पंपों के आवंटन में 0.15% और एचपीसीएल के मामले में एलपीजी एजेंसियों के आवंटन में 0.3% की मामूली कमी है। इस कमी का मुख्य कारण उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता हैं। चयन प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायतें/न्यायिक मामले लंबित हैं।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 के दौरान खोले जाने के लिए संभावित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आईओसी		एचपीसी		बीपीएसी		आईबीपी**
	आरओ*	एलपीजी	आरओ	एलपीजी	आरओ	एलपीजी**	आरओ
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश		9	65	21	71		23

1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश		0	0	0	0		4
असम		0	3	0	4		3
बिहार		0	40	3	27		20
छत्तीसगढ़		0	28	0	20		7
गोवा		0	4	1	8		0
गुजरात		5	50	4	51		15
हरियाणा		0	35	1	51		14
हिमाचल प्रदेश		3	2	1	6		4
जम्मू और कश्मीर		5	20	3	8		1
झारखण्ड		0	11	2	24		5
कर्नाटक		1	45	3	73		18
केरल		0	40	0	56		23
मध्य प्रदेश		1	57	8	48		4
महाराष्ट्र		7	88	5	84		46
मणिपुर		1	0	0	1		1
मेघालय		0	4	0	1		9
मिजोरम		0	1	0	0		2
नागालैण्ड		0	0	0	0		2
उड़ीसा		0	26	0	31		10
पंजाब		17	65	3	61		19
राजस्थान		0	50	4	60		11
सिक्किम		0	0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु		1	55	8	61		25
त्रिपुरा		3	0	0	0		0
उत्तरांचल		0	5	3	6		4
उत्तर प्रदेश		6	69	23	35		34
पश्चिम बंगाल		3	34	5	16		33
संघ शासित क्षेत्र							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		1	0	0	0		0
चंडीगढ़		0	0	1	0		0
दादरा और नागर हवेली		0	0	0	0		0
दमन और दीव		0	0	0	0		0
दिल्ली		0	1	1	2		1
लक्षद्वीप		0	0	0	0		0
पांडिचेरी		0	2	0	10		1
योग	1600	63	800	100	815	25	339

* राज्य वार ब्यौरे अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हैं।

** एलपीजी का कारोबार नहीं करता है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07) के दौरान, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आईओसी		एचपीसी		बीपीएसी		आईबीपी	
	आरओ	एलपीजी	आरओ	एलपीजी	आरओ	एलपीजी	आरओ	एलपीजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	124	23	105	8	56	8	7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	0	2	5	0	0
असम	27	0	1		5	0	0	0
बिहार	14	3	28	0	3	0	1	0
छत्तीसगढ़	17	4	31	2	33	0	9	0
गोवा	3	0	3	1	8	0	0	0
गुजरात	49	2	56	0	56	0	18	0
हरियाणा	64	3	61	0	41	0	18	0
हिमाचल प्रदेश	23	0	15	0	3	0	8	0
जम्मू और कश्मीर	18	1	23	2	25	0	0	0
झारखण्ड	13	1	14	1	2	0	6	0
कर्नाटक	19	0	86	0	75	0	28	0
केरल	53	0	61	0	31	1	32	0
मध्य प्रदेश	49	0	61	1	92	0	5	0
महाराष्ट्र	37	8	100	4	108	0	32	0
मणिपुर	3	7	0		0	0	0	0
मेघालय	31	1	9	0	4	0	8	0
मिजोरम	6	0	1	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	8	2	2	0	0	0	0	0
उड़ीसा	48	2	36	1	32	0	0	0
पंजाब	76	4	110	0	80	0	37	0
राजस्थान	112	1	123	3	92	0	7	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	127	5	103	12	68	5	19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	1	0		0	0	0	0	0
उत्तरांचल	14	0	0	3	3	0	6	0
उत्तर प्रदेश	145	11	90	7	45	14	30	0
पश्चिम बंगाल	45	1	33	1	23	1	23	0
संघ शासित क्षेत्र								
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	0	1	0	1	2		0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	6	0	0	0	2	0	0	0
योग	1136	80	124	27	890	37	294	0

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक (रेगूलेटर)

***414. श्री अधीर चौधरी :**

श्री निखिल कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के ''अपस्ट्रीम'' तथा ''डाउन स्ट्रीम'' खंडों के लिए एक स्वतंत्र विनियामक (रेगूलेटर) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य संबंधी ढांचे के नियमन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) सरकार का हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अपस्ट्रीम खण्ड के लिए एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाइड्रोकार्बन के अपस्ट्रीम खण्ड को हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के माध्यम से सरकार द्वारा चलाया जाता है।

तथापि, सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन के विनियमन के लिए एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) गठित करने का निर्णय लिया है ताकि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं और इनसे संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों के हितों की रक्षा हो सके और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस

की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और उससे संबद्ध अथवा आनुसांगिक विषयों का संवर्धन हो सके।

पीएनजीआरबी विधेयक 2006 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 31.3.2006 को मिल गई थी और पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 को 2006 के अधिनियम संख्या 19 के रूप में भारत के राजपत्र में 3.4.2006 को अधिसूचित कर दिया गया था।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में एक दीर्घकालीन मूल्य-निर्धारण नीति बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण और कराधान के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन डा. सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयीन समिति गठित की थी। इस समिति ने 17.2.2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

सरकार ने डा. रंगाराजन समिति की रिपोर्ट की निम्नलिखित संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है:

(1) पेट्रोल और डीज़ल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% करने के संबंध में व्यापार समता के सिद्धांत का कार्यान्वयन;

(2) सरकार के साथ पूर्व परामर्श किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में स्वत: समंजन की अनुमति देना;

(3) "सिद्धांत रूप में" पीडीएस केरोसिन पर राजसहायता केवल गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों तक सीमित करना।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

*415. श्री वी.के. ठुम्मर :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों में रेलवे द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ज़ोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक किए गए कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा उक्त अवधि के दौरान इन पर कितना खर्चा किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) पिछड़े, दूरस्थ तथा अविकसित क्षेत्रों में बड़ी लाइन संपर्क मुहैया कराने के लिए सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा शुरू की गई नई लाइन तथा आमान परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं का मार्ग किलोमीटर के साथ-साथ लागत, मार्च 2007 तक किया गया व्यय, 2007-08 के लिए परिव्यय, लक्ष्य, जहां-कहीं निर्धारित किए गए हों, का ज़ोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

(करोड़ करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेल	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	कि.मी.	लागत	परिव्यय 2007-08	पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पूर्व मध्य	छपरा-मुजफ्फरपुर	नई लाइन	84.65	379	2.50	0.00	निर्धारित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पूर्व मध्य	दरभंगा-कुशेश्वर अस्थान	नई लाइन	70.14	205	8.00	0.00	निर्धारित नहीं
3.	पूर्व मध्य	मोतिहारी-सीतामढ़ी	नई लाइन	76.7	211	4.47	0.00	निर्धारित नहीं
4.	पूर्वोत्तर	हथुआ-भटनी	नई लाइन	79.64	230	40.00	57.25	हथुआ-बथुआ बाजार (22 कि.मी.) - 2007-08
5.	पूर्वोत्तर	छितौनी-तुमकुही रोड	नई लाइन	58.88	235	5.00	0.01	निर्धारित नहीं
6.	उत्तर पश्चिम	अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी	आमान परिवर्तन	295	469	125.00	0.00139.26	फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी (210 कि.मी.) - 2007-08
7.	पूर्वोत्तर सीमा	अररिया-गलगलिया ठाकुरगंज)	नई लाइन	100	300	0.50	0.00	निर्धारित नहीं
8.	पूर्वोत्तर सीमा	अगरा-बनीहाट	नई लाइन	30	200	1.00	0.00	निर्धारित नहीं
9.	पूर्वोत्तर सीमा	दीमापुर-कोहिमा (जुब्जा)	नई लाइन	88	850	1.00	0.00	निर्धारित नहीं
10.	पूर्वोत्तर सीमा	अलुआबारी रोड-सिलीगुड़ी	आमान परिवर्तन	76	170	15.00	0.00	निर्धारित नहीं
11.	दक्षिण मध्य	जग्गायापेट-मल्लाचेरुवु	नई लाइन	19.1	53.2	10.00	4.20	जग्गयापेट-मल्लचेरुवु (19 कि.मी.) - 2007-08
12.	दक्षिण मध्य	मोहराबाद-कोटापल्ली	नई लाइन	148.9	379	0.01	0.45	निर्धारित नहीं
13.	दक्षिण मध्य	ओंबुलावरीपल्ली-कृष्णापटाम	नई लाइन	113	426	10.00	8.27	2009-10
14.	दक्षिण मध्य	विष्णुपुरम-जानपहाड़	नई लाइन	11	42.1	2.00	0.01	निर्धारित नहीं
15.	दक्षिण पूर्व मध्य	छिंदवाड़ा-नागपुर	आमान परिवर्तन	149.5	384	70.00	10.74	निर्धारित नहीं निर्धारित नहीं
16.	दक्षिण पश्चिम	कोलार-चिकबल्लापार	आमान परिवर्तन	96.5	99.4	64.00	5.00	निर्धारित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	दक्षिण	टिंडीवाम-जींजी-तिरुवामलाई	नई लाइन	70	125	10.00	0.00	निर्धारित नहीं
18.	दक्षिण	टिंडीवाम-नगारी	नई लाइन	179.2	456	10.00	0.00	निर्धारित नहीं
19.	दक्षिण	डिंडीगुल-पोलाची-पालघाट एवं पोलाची-कोयम्बतूर	आमान परिवर्तन	224.9	343	30.00	0.01	पोदानुर-कोयम्बतूर (6 कि.मी.) - 2007-08
20.	दक्षिण	मामदुरै-विरुदागर	आमान परिवर्तन	66.55	97.2	25.00	0.01	निर्धारित नहीं
21.	पश्चिम	प्रतापागर-छोटा उदयपुर	आमान परिवर्तन	99.27	228	50.00	30.42	प्रतापागर-बोदेली (65 कि.मी.) - 2007-08
22.	पश्चिम	भरुच-सामनी-दाहेज	आमान परिवर्तन	62.36	166	2.60	0.01	निर्धारित नहीं
23.	पश्चिम	राजपिपला-अंकलेश्वर	आमान परिवर्तन	62.89	115	10.00	0.00	निर्धारित नहीं

'आईआरसीटीसी' द्वारा कार्यों की 'आउटसोर्सिंग'

*416. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा 'आउटसोर्सिंग' नीति के अंतर्गत कार्यान्वित कराने हेतु सौंपे गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इंटरनेट-टिकटिंग और रेलवे पर्यटन के अंतर्गत आई.आर.सी.टी.सी. के वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने आई.आर.सी.टी.सी. का विकास करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को आउटसोर्सिंग नीति के तहत निष्पादित किया है:—

(i) इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट को चालू करने के पश्चात् इसे प्रोत्साहन देना, विकास और अनुरक्षण करना।

(ii) स्टेशनों पर माडयूलर स्टॉलों के डिजाइन को तैयार करना।

(iii) पैंट्री कार के ले-आउट को पुन: डिजाइन करना।

(iv) नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बेस किचनों का डिजाइन बनाना।

(v) नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (पटना) में पैक किए गए पीने के पानी के संयंत्रों (रेल नीर) का परिचालन और अनुरक्षण।

(vi) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के कॉर्पोरेट पोर्टल का विकास और उसे प्रोत्साहित करना।

(vii) एकीकृत रेल सूचना प्रणाली के लिए रेल पूछताछ अनुप्रयोग का विकास

(viii) रेलवे के पर्यटन पोर्टल का विकास

(ix) मुंबई उपनगरीय सीज़न टिकट वितरण प्रणाली का विकास एवं रख-रखाव।

(x) एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के लिए उत्तर कार्यान्वयन सहायता।

उपर्युक्त कार्य प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के तहत पारदर्शी निविदा प्रणाली के जरिए सौंपे गए।

(ख) इंटरनेट टिकट वितरण एवं रेलवे पर्यटन के अंतर्गत भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

इंटरनेट के जरिए टिकट वितरण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
टिकटों की सं.	728404	1281033	2573612	6823481
कुल आमदनी	3.72	7.10	12.76	25.81
कुल व्यय	5.30	6.31	9.25	19.79
लाभ/हानि (कर पूर्व)	-1.58	+0.79	+3.51	+6.02

रेलवे पर्यटन

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
कुल आमदनी	7.09	6.62	6.26	8.71
कुल व्यय	7.69	6.99	7.57	10.22
लाभ/हानि (कर पूर्व)	-0.60	-0.37	-1.31	-1.51

(ग) और (घ) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने इंटरनेट के जरिए टिकट वितरण एवं एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया है जो कि कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली तथा राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली जैसे अनुप्रयोगों पर संचालित है और इसका डिजाइन एवं रख-रखाव राष्ट्रीय सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा किया जाता हैं भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सर्वर्स के साथ रेलटेल नेटवर्क के जरिए संबद्ध हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तर्ज पर वाशिंग लाइनों के निकट महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली मशीनों द्वारा धुलाई की व्यवस्था कर रहा है और बेस किचन/भोजन पकाने की इकाइयों का नवीकरण पहले से ही प्रारंभ कर दिया गया है। रेल गाड़ियों में भोजन सप्लाई करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन द्वारा प्रकोष्ठ किचन भी स्थापित की जा रही हैं। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम गर्म एवं शीतल पेय के वितरण के लिए स्वचालित वितरण मशीनें भी स्थापित कर रहा है एवं नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिकी अर्थात रिवर्स ओसमेसिस इत्यादि वाली जल वितरण मशीनों को भी उपयोग में ला रहा है।

[अनुवाद]

"गेल" की गैस पाइपलाइन परियोजनाएं

417. श्री जुएल ओराम :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेल (इंडिया) लिमिटेड की चालू गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने देश में पाइप द्वारा गैस वितरण संबंधी अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) प्रस्तावित विस्तार योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) गेल की मुख्य चल रही पाइपलाइन परियोजनाएं निम्नानुसार है:

1. दाहेज-उरण पाइपलाइन परियोजना (डीयूपीएल)

2. डाभोल-पनवेल पाइपलाइन परियोजना:

इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.	परियोजना का नाम/विवरण	वास्तविक/अनुमानित पूर्णता तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	संचयी व्यय (करोड़ रुपए) (31.3.07 को)	वास्तवित प्रगति (15.4.07 को)
1.	**दाहेज-उरण पाइपलाइन** मुख्य पाइपलाइन दाहेज से पनवेल तक है और एक शाखा लाइन पनवेल से उरण तक है।	मई, 2007	1521.23	671.96	85.2%
2.	**डाभोल-पनवेल** पाइपलाइन दाहेज से पनवेल पाइपलाइन का विस्तार है। स्पर लाइनें ग्राहकों के स्थान के आधार पर उपरिवर्णित मुख्य लाइन से ली जाती हैं।	मई, 2007	1326.52	325.62	92.1%

दाहेज पीएलएल टर्मिनल से महाराष्ट्र में उरण, ट्राम्बे, ठाणे-बेलापुर और अम्बेविली क्षेत्रों में ग्राहकों को आरएलएनजी की आपूर्ति के लिए दाहेज-उरण पाइपलाइन (डीयू-पीएल) नेटवर्क परिकल्पित है। डाभोल-पनवेल पाइपलाइन नेटवर्क दाहेज और डाभोल एलएनजी टर्मिनलों से आरएलएनजी और केजी बेसीन से महाराष्ट्र में थाल, पुणे, पातालगंगा और खोपोली - क्षेत्रों में ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की निकासी हेतु डीयू-पीएल का विस्तार है।

(ख) से (ङ) सरकार ने गेल (इंडिया) लिमिटेड को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार साझा वाहक आधार पर गैस पाइपलाइन के पांच भोगों में क्षमता लेने के लिए "रुचि अभिव्यक्ति" आमंत्रित की है:

— दादरी-बवाना-नांगल परियोजना

— चेनासा-गुड़गांव, झज्जर-हिसार पाइपलाइन

— जगदीशपुरा-हल्दिया पाइपलाइन

— डाभोल-बंगलौर पाइपलाइन

— कोच्चि-कंजीरक्कोड-बंगलौर/मंगलौर पाइपलाइन

उपयुक्त के अलावा गेल ने गैस के परिवहन के लिए वर्तमान दाहेज-विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) और विजयपुर-दादरी पाइपलाइन (गैस पुनः स्थापन और विस्तार परियोजना) की भी परिकल्पना की है।

दादरी-बवाना-नागंल पाइपलाइन

दादरी-बवाना-नागंल पाइपलाइन दादर के डाउनस्ट्रीम में टैप-आफ के साथ पहले से विद्यमान मुख्य प्रेषण पाइपलाइन जीआरईपी (विजयपुर-दादरी) का विस्तार होगी।

चेनसा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन:

चेनसा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन जीआरईपी पाइपलाइन पर

चेनसा से आरम्भ हो रही और गुड़गांव, झज्जर और हिसार से गुजर रही हो।

जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन

जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन जगदीशपुर से आरम्भ हो रही है और बिहार तथा झारखंड राज्यों से गुजर रही है इसमें दो दिशा के प्रवाह अर्थात् हल्दिया से जगदीशपुर/जगदीशपुर से हल्दिया के लिए प्रावधान होगा।

डाभोल-बंगलौर पाइपलाइन

डाभोल-बंगलौर पाइपलाइन डाभोल से आरम्भ होती है और गोवा राज्य को स्पर लाइन के प्रावधान सहित कर्नाटक राज्य में बंगलौर से गुजरती है। पाइपलाइन महाराष्ट्र में रत्नागिरि और खोलापुर, कर्नाटक में बेलगाम, धारवाड़, हवेटी, देवनगीर, चित्रदुर्गा, तुमकुर और बंगलौर से गुजरेगी।

कोच्चि, कंजीरक्कोड-बंगलौर/मंगलौर पाइपलाइन

कोच्चि, कंजीरक्कोड-बंगलौर/मंगलौर पाइपलाइन कोच्चि से आरम्भ होती है और केरल राज्य में कंजीरक्कोड से गुजरती है। कंजीरक्कोड से मंगलौर तक स्पर लाइन के साथ कर्नाटक राज्य में बंगलौर तक विस्तार हो रही है। बंगलौर को पाइपलाइन पालघाट, कोएम्बटूट, त्रिपुर, इरोड, स्लेम और कृष्णागिरि से गुजरेगी जबकि मंगलौर को स्पर लाइन कोझीकोड, कन्नुर और कसारगोड से गुजरेगी।

सभी पांच पाइपलाइनों के लिए योजित आरम्भ तारीख पेट्रोलियम और खनिज (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खंड 3 के उप खंड (1) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 36 महीने है।

एन.ई.एल.पी. vi के अंतर्गत दिए गए तेल और "गैस ब्लाक"

*418. श्री नवीन जिंदल :

श्री जोवाकिम बखला :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन अन्वेषण लाइसेंस नीति (न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी) के अंतर्गत बोली के छठे दौर में नए तेल और "गैस ब्लाक" दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बोलियों के माध्यम से लगभग कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने दिनांक 2 मार्च, 2007 को विभिन्न अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) कंपनियों के साथ नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी-6) के छठे दौर के अंतर्गत तेल और गैस के अन्वेषण के लिए पहले प्रदान किए 52 ब्लाकों (जमीन पर, आफशोर, गहरे पानी के ब्लाकों) के संबंध में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज़) पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीकर्त्ताओं को ब्लाक प्रदान किए गये थे, जिसने सचिवों की शक्तिप्रदत्त समिति और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अनुशसायों पर विचार किया था। इन 52 ब्लाकों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। प्रचालक को जिसके लिए वह बोली देना चाहता है, उस ब्लाक से संबंधित डाटा खरीदना पड़ता है। एनईएलपी-6 के दौरान लगभग 77.59 करोड़ रु. का डाटा बेचा गया था। दिये गये ब्लाकों से तेल और गैस भी खोज और वाणिज्यिक उत्पादन होने पर सरकारी रायल्टी और लाभ पेट्रोलियम प्राप्त करेगी जेसा कि संबंधित पीएससीज़ में निर्धारित है।

विवरण

क्र. सं.	बेसिन	ब्लाक का नाम	लगभग क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	नक्शे पर संदर्भ संख्या	अपतट/राज्य	जिला
1	2	3	4	5	6	7
गहरे समुद्री ब्लाक (24)						
1.	केरल-कोंकण	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1	12324	डी-1	पश्चिमी अपतट	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2.	कावेरी	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/1	10302	डी-4	पश्चिमी अपतट	लागू नहीं
3.		सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/2	12059	डी-5		लागू नहीं
4.		सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/3	12017	डी-6		लागू नहीं
5.		सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/4	12025	डी-7		लागू नहीं
6.		सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2004/1	13451	डी-8		लागू नहीं
7.		सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2004/2	9994	डी-9		लागू नहीं
8.	कृष्णा गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/1	11951	डी-10		लागू नहीं
9.		केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/2	11851	डी-11		लागू नहीं
10.		केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/3	6205	डी-12		लागू नहीं
11.		केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/4	11904	डी-13	पूर्वी अपतट	लागू नहीं
12.		केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/5	11922	डी-14		लागू नहीं
13.		केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/6	10907	डी-15		लागू नहीं
14.		केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/7	11856	डी-16		लागू नहीं
15.	महानदी-एन ई सी	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/1	9885	डी-17		लागू नहीं
16.		एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/2	11813	डी-18		लागू नहीं
17.		एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/3	11316	डी-19		लागू नहीं
18.		एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/4	8822	डी-20		लागू नहीं
19.		एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/5	10454	डी-21		लागू नहीं
20.		एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2004/1	7790	डी-22		लागू नहीं
21.		एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2004/2	8706	डी-23		लागू नहीं
उथले अपतटीय ब्लाक (6)						
[illegible]	गुजरात - सौराष्ट्र	जीएस-ओएसएन-2004/1	6589	1		लागू नहीं
23.	कैम्बे की खाड़ी	सीबी-ओएसएन-2004/1	2616	2	पश्चिमी अपतट	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
24.	मुंबई	एमबी-ओएसएन-2004/1	1520	3	पश्चिमी अपतट	लागू नहीं
25.		एमबी-ओएसएन-2004/2	741	4		लागू नहीं
26.	पालार	पीआर-ओएसएन-2004/1	9417	5		लागू नहीं
27.	कृष्णा - गोदावरी	केजी-ओएसएन-2004/1	1131	6	पूर्वी अपतट	लागू नहीं
जमीनी ब्लाक (25)						
28.	मिजोरम	एमजेड-ओएनएन-2004/1*	3213	7	मिजोरम (2)	आइजोल, सरछिप, ममित और लुंगली
29.		एमजेड-ओएनएन-2004/2*	3619	8		लुंगली, साहीह्य और लांगतली
30.	असम	एए-ओएनएन-2004/1	144	9	असम (5)	सिबसागर
31.		एए-ओएनएन-2004/2	218	10क और ख		डिब्रूगढ़
32.		एए-ओएनएन-2004/3*	1252	11		लखीमपुर और धेमाजी
33.		एए-ओएनएन-2004/4*	95	12		तिनसुकिया
34.		एए-ओएनएन-2004/5*	46	13		तिनसुकिया
35.	पूर्णिया	पीए-ओएनएन-2004/1*	2537	14	बिहार (1)	अररिया, किशनगंज और पूर्णिया
36.	गंगा	जीवी-ओएनएन-2004/1*	8354	15	उत्तर प्रदेश (1)	अंबेडकर नगर सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती और गोरखपुर
37.	दक्षिणी रीवा	एसआर-ओएनएन-2004/1*	13277	16	मध्य प्रदेश (1)	सहडोल, सीधी, उमारिया, अनूपुर और डिंडोरी

1	2	3	4	5	6	7
38.	विन्ध्यायन	वीएन-ओएनएन-2004/1*	5801	17		बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा
39.		वीएन-ओएनएन-2004/2*	4466	18	राजस्थान (5)	झालावाड़ कोटा और बारन
40.	राजस्थान	आरजे-ओएनएन-2004/1	4613	19		गंगानगर हनुमान गढ़
41.		आरजे-ओएनएन-2004/2	2196	20		बीकानेर, जैसलमेर
42.		आरजे-ओएनएन-2004/3	1330	21		जैसलमेर, बीकानेर
43.	कैम्बे	सीबी-ओएनएन-2004/1	32	22		मेहसाणा
44.		सीबी-ओएनएन-2004/2	423	23		आनन्द और खेड़ा
45.		सीबी-ओएनएन-2004/3	113	24	गुजरात (5)	भड़ूच, वडोदरा और आनन्द
46.		सीबी-ओएनएन-2004/4	70	25		भड़ूच
47.		सीबी-ओएनएन-2004/5	75	26		भड़ूच, और वडोदरा
48.	डेक्कन सिनेक्लाइस	डीएस-ओएनएन-2004/1*	2649	27	महाराष्ट्र (1)	धूले, जलगांव और नंदूरबार
49.	कृष्णा गोदावरी	केजी-ओएनएन-2004/1	549	28	आंध्र प्रदेश (2)	पू. गोदावरी और यनम (यूटी)
50.		केजी-ओएनएन-2004/2	1140	29		प. गोदावरी और कृष्णा
51.	कावेरी	सीवाई-ओएनएन-2004/1	214	30	तमिलनाडु (2)	कुड्डालोर और नागापट्टिनम
52.		सीवाई-ओएनएन-2004/2	375	31		अरियालूर

*सीमावर्ती ब्लाक

रक्षा उपकरणों का आयात

*419. श्रीमती पी. सती देवी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी रक्षा उपकरण उत्पादन इकाइयां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार कई रक्षा उपकरणों को विदेश से आयात कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष रक्षा उपकरणों के आयात पर कुल कितना खर्चा किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में स्थित 47 रक्षा उत्पादन इकाइयां - 8 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और 39 आयुध निर्माणियां रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। रक्षा सेनाओं की उपस्कर संबंधी आवश्यकताओं का कुछ भाग आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। रक्षा-मदों के अधिग्रहण के लिए जिन प्रमुख विदेशी स्रोतों/देशों के साथ संविदाएं की गईं थीं उनमें रुस, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, उक्रेन, जर्मनी, इटली, आदि शामिल हैं।

वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान रक्षा उपस्करों के आयात पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कुल (करोड़ रु.)
2003-04	4221.10	8431.84	12652.94
2004-05	3524.29	15740.95	19265.24
2005-06	4211.47	7890.02	12101.49

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

*420. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है तथा रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेल सेवाओं को समय पर चलाने के संबंध में रेलवे द्वारा किसी विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

अप्रैल, 2006 से मार्च, 2007 तक (माह वार) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन का समय निष्पादन निम्नलिखित है:-

महीना/वर्ष	बड़ी लाइन (%)	मीटर लाइन (%)
अप्रैल, 06	91.7	91.1
मई, 06	91.2	96.9
जून, 06	91.8	97.3
जुलाई, 06	93.7	98.4
अगस्त, 06	93.8	97.3
सितम्बर, 06	92.0	97.6
अक्तूबर, 06	92.4	99.3
नवम्बर, 06	91.9	99.5
दिसम्बर, 06	88.8	99.5
जनवरी, 07	87.9	99.5
फरवरी, 07	90.9	99.3
मार्च, 07	92.2	98.8

(ख) यात्री गाड़ियों के समय पालन तथा परिचालन में सुधार लाने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं;

(1) सभी तीनों स्तर अर्थात् मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर गाड़ियों की चौबीसों घंटे गहन निगरानी रखी जाती है।

(2) समय-समय पर समय पालन अभियान चलाया जाना;

(3) संरक्षा के दायरों और गति प्रतिबंध का पालन करते हुए गाड़ियों को अधिकतम अनुमेय गति से चलाया जाता है;

(4) समय सारणी में सुधार करना ताकि निर्बाध मार्ग उपलब्ध हो।

(5) उपस्कर की विफलताओं में कमी लाने के लिए परिसंपत्तियों के रख-रखाव के स्तर में सुधार करना।

(6) गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को परामर्श देना तथा प्रेरित करना।

(7) कानून एवं व्यवस्था तथा शरारती गतिविधियों की समस्याओं के हल के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखना।

(8) रेलपथ, चल स्टॉक और सिगनलिंग संबंधी प्रौद्योगिकी का अपग्रेड करना।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माल-ढुलाई प्रोत्साहन योजनाओं हेतु दिशानिर्देश

3902. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा 28 मार्च, 2006 को 'ट्रेडिशनल इम्प्टी फ्लो डायरेक्शन' हेतु प्रोत्साहन योजना सहित प्रशुल्क संबंधी माल-ढुलाई योजनाओं के लिए नीतिगत दिशानिदेश अधिसूचित कर दिया गया है जिसमें वापसी यात्रा में माल-ढुलाई पर 30% तक मालभाड़े में छूट की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ रेल मंडल उपर्युक्त दिशानिदेश का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चूना पत्थर कच्चे माल को उत्तर रेलवे द्वारा माल-ढुलाई प्रोत्साहन योजना से वंचित रखा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेलवे को हिमाचल प्रदेश सरकार से उपर्युक्त मामले के संबंध में योजना में विसंगतियों को दूर करने तथा रेलगाड़ियों द्वारा उत्तरी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा झारखंड राज्यों में माल-ढुलाई पर रियायती प्रशुल्क दर को लाभ दिए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। पारम्परिक खाली चल दिशा हेतु एक प्रोत्साहन योजना सहित भाड़ा-दरों पर भाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं के लिए रेलवे ने नीति-निर्देश अधिसूचित किए थे। कुछ निबंधन और शर्तों पर पारम्परिक खाली चल दिशा हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत अधिसूचित पारम्परिक खाली चल दिशाओं में बृहद्त्तर यातायात पर कम व्यस्त अवधि में 30 प्रतिशत और व्यस्त अवधि में 20 प्रतिशत अनुमेय था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) 28 मार्च, 2006 की योजना के अनुसार इस्पात संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री को बड़ा रखा गया था। ऐसा अब नहीं है।

(छ) और (ज) जी हां। 2006 का दर परिपत्र सं. 64 के अनुसार दीर्घावधि विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तर रेलवे से पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे तक चूने के संचलन पर भाड़ा रियायत अनुमोदित

करने के लिए रेल मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी थी। दीर्घावधि विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तर रेलवे को विशेष प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षण के लिए कहा गया था और क्रमशः व्यस्त और कम व्यस्त अवधि में 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक भाड़ा रियायत प्रदान की गई थी क्योंकि प्रस्ताव वित्तीय रूप से व्यावहारिक था। इसके अलावा, 1.4.2007 से प्रभावी 2007 के दर परिपत्र सं. 25 के द्वारा पारम्परिक खाली चल दिशा हेतु चालू प्रोत्साहन योजना में चूने पर रियायत प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

इरकॉन द्वारा कार्य का क्रियान्वयन

3903. **श्री अशोक अर्गल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद तथा झांसी में इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा रक्षा कार्य (एम ए पी) कब से किए जा रहे हैं;

(ख) इस कार्य के लिए इरकॉन द्वारा श्रम लाइसेंस किस तिथि से प्राप्त किया गया था;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) कितने ठेकेदारों के ठेका कार्यों को बढ़ाया गया है तथा कितने ठेकेदारों के ठेके रद्द कर दिए गए हैं तथा इन्हें रद्द करने के आधार क्या थे;

(ङ) क्या श्रम लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया था तथा उक्त कार्य में न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इलाहाबाद और झांसी में इरकॉन इंटरनेशनल लि. द्वारा किए जा रहे रक्षा कार्यों (एम ए पी) को शुरू करने का समय निम्नानुसार है:

कार्य का नाम	प्रारंभ होने की तिथि
एम ए पी इलाहाबाद	10.09.2004
एम ए पी झांसी	26.10.2004

(ख) संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत इरकॉन को श्रम लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। इन स्टेशनों के लिए एम ए पी कार्यों हेतु महानिदेशक/एम ए पी, रक्षा मंत्रालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, कानपुर के पास पंजीकरण के अनुसार प्रधान नियोक्ता है। संविदा श्रम में लगे संविदाकारों द्वारा श्रम लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(ग) इन कार्यों को पूरा करने का समय निम्नानुसार है:

कार्य का नाम	प्रारंभ होने की तिथि
एम ए पी इलाहाबाद	31.3.2008
एम ए पी झांसी	31.3.2008

(घ)

कार्य का नाम	ठेकों का विस्तारण/ निरस्तीकरण/वापस लेना	ठेके निरस्तीकरण के कारण
एम ए पी इलाहाबाद	विस्तारित-4 (चार) निरस्त - कुछ नहीं अंशतः वापस-1 (एक)	लागू नहीं
एम ए पी झांसी	विस्तारित-13 (तेरह) निरस्त -1 (एक) अंशतः वापस-2 (दो)	ठेकेदार का खराब निष्पादन

(ङ) और (च) जी हां। इरकॉन के ठेकेदारों द्वारा जो ठेके पर मजदूर लगाते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून का अनुपालन सभी ठेकेदारों को करना पड़ता है जो ठेके पर मजदूर लगाते हैं। उपर्युक्त कार्यों में मासिक बिलों के संबंध में भुगतान करने से पूर्व उक्त ठेकेदारों से इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए है।

जल टैंकरों का निर्माण

3904. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार तथा निजी वाहन निर्माण कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे एक ही प्रकार के वाहन की कीमतों में अंतर होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल टैंकरों के निर्माण हेतु उच्चतर मूल्य होने के बावजूद क्रयादेश व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर की बजाय निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार है तथा उक्त जल टैंकरों का क्रयादेश व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर को देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां। 2 किलो लीटर जल बाउजर वाहनों का वैधानिक करों के बिना मूलभूत मूल्य पर विचार करते हुए निजी विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य वाहन निर्माणी, जबलपुर (वीएफजे) के मूल्य से कम है। तथापि, वाहन निर्माण,ी जबलपुर के वाहन का निर्गम मूल्य निजी विनिर्माता के वाहन के निर्गम मूल्य की तुलना में सस्ता है।

(ख) और (ग) सेना की तात्कालिक संक्रियात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और वाहन निर्माणी, जबलुपुर द्वारा उसकी पूति करने में असमर्थता व्यक्त करने पर निजी विनिर्माता का आदेश प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त आदेश वाहन निर्माणी, जबलपुर/आयुध निर्माणी बोर्ड से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्रस्तुता किया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

3905. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) रंगिया मुरकोंगसेलेक आमान परिवर्तन; (दो) अजरा-बायरनिहार; तथा (तीन) दीमापुर-कोहिमा नई रेल परियोजनाएं जिन्हें राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया था, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितना व्यय हुआ तथा वर्ष 2007-08 के लिए आंतरिक संसाधनों तथा बजटीय समर्थन दोनों से कितना आवंटन किया गया; और

(ग) इन रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2006-07 के दौरान परिव्यय, व्यय का ब्यौरा और 2007-08 के दौरान सामान्य रेलवे योजना से आबंटन तथा निम्नलिखित राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:—

परियोजना	2006-07 के दौरान परिव्यय	मार्च, 07 तक व्यय	2007-08 के दौरान परिव्यय	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
रंगिया-मुकौंगसेलेक	10	2.10	22	रंगिया-रंगपाड़ा ऊत्तरी खंड हेतु विस्तृत आंशिक अनुमान मंजूर कर दिया गया है। मिट्टी की जांच और प्लान तैयार करने आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है। रंगिया-रंगपाड़ा उत्तरी खंड पर पुलों हेतु निविदाओं संबंधी कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5
अजरा-बर्नीहट	0.01	0	1	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।
दीमापुर-कोहिमा	0.01	0	1	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

इन सभी परियोजनाओं को "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में घोषित किया गया है। बहरहाल, वित्त पोषण के तरीके का निर्धारण किया जाना है। मामले पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

[हिन्दी]

सेना छावनी क्षेत्र में विद्युत का संवितरण

3906. श्री एम. अंजन कुमार यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान छावनी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए किसी निजी विद्युत संवितरण कंपनी को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षा तथा रक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए निजी विद्युत संवितरण कंपनियों को अनुमति देने का औचित्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल वाइन बोर्ड

3907. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अंगूर के उत्पादन तथा प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल वाइन बोर्ड स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बोर्ड कब तक कार्य करने लगेगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार का विचार देश में अंगूर के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय वाइन बोर्ड स्थापित करने का है।

राष्ट्रीय वाइन बोर्ड की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- अंगूर और अन्य फल प्रसंस्करण तथा वाइन बनाने वाले उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा विकास सुविधाओं का संवर्धन करना।
- अंगूर उत्पादकों और प्रसंस्करण उद्योगों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना।
- नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास शुरू करना।
- अत्यधिक दक्ष जनशक्ति को प्रशिक्षण देना।
- अंगूर/फल उत्पादकों को उपयुक्त मार्गनिर्देश देना और सर्वोत्तम अंगूर-खेती प्रणालियों को प्रसार करना।
- गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करना।
- विपणन और निर्यात का संवर्धन करना।
- अंगूर/फल/वाइन आदि से जुड़े विभिन्न नीतिगत मसलों और तकनीकी मसलों पर सरकार को सलाह देना।

प्रस्तावित बोर्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्य करना शुरू करेगा।

[हिन्दी]

अजमेर तथा कोटा के बीच नई रेल लाइन

3908. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर तथा कोटा के बीच नई रेल लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त नई रेल लाइन के प्रस्तावित मार्ग क्या हैं;

(ग) उक्त सर्वेक्षण में कौन-सी एजेंसी शामिल है;

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि मंजूर की गई तथा खर्च की गई; और

(ङ) कब तक सर्वेक्षण कार्य पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अजमेर और कोटा के बीच सर्वेक्षण शुरू हो गया है। प्रस्तावित लाइन नसीराबाद, बूंदी से गुजरेगी।

(ग) सर्वेक्षण कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा है।

(घ) सर्वेक्षण कार्य की लागत 10.50 लाख रु. है। 2006-07 में 4 लाख रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया था और वर्ष 2007-08 के लिए 6.5 लाख रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(ङ) सर्वेक्षण कार्य के जून, 2008 तक पूरा होने की आशा है।

महिदपुर रोड स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव

3909. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजामुद्दीन-इन्दौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी ट्रेन सेवा की 'रेक कोम्पोजिशन' क्या है;

(ख) महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2007 में उक्त रेलगाड़ी के लिए अप/डाउन दोनों ओर से टिकटों की बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेलगाड़ी का ठहराव बनाने के लिए किसी स्टेशन पर टिकटों की बिक्री की अपेक्षित संख्या कितनी है; और

(घ) महिदपुर रोड स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ी का स्थायी ठहराव प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2415/2416 इन्दौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस का कॉम्पोजिशिन है साधारण श्रेणी एवं लगेज एवं ब्रेक वेन-2, साधारण श्रेणी-4, शयनयान श्रेणी-12, ए सी थ्री टियर-3, एसी-टू टियर-1, प्रथम एसी-एवं-एसी-टू टियर-1 = 23 सवारी डिब्बे।

(ख) 2415/2416 इन्दौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर टिकटों की प्रतिदिन औसत बिक्री निम्नानुसार है:

महीना	2416 अप	2415 डाउन
जनवरी, 2007	15	19
फरवरी, 2007	14	12
मार्च, 2007	14	15

(ग) 500 कि.मी. की दूरी के लिए शयनयान श्रेणी के लिए प्रतिदिन प्रति गाड़ी न्यूनतम 40 अथवा इसकी समतुल्य राशि की टिकटों की बिक्री होनी अपेक्षित है।

(घ) महिदपुर रोड पर 2415/2416 इन्दौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्थायी ठहराव वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है।

[अनुवाद]

हजीरा-दाभोल गैस पाइपलाइन

3910. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजीरा-दाभोल गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा किए जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार हजीरा-दाभोल गैस पाइपलाइन परियोजना से गुजरात का वर्तमान हिस्सा कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) गुजरात के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) हजीरा-दाभोल गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए पूर्णता और प्रचालन का अनुमानित लक्ष्य 20 मई, 2007 है। आज की स्थिति के अनुसरण 97% पाइपलाइन वेल्ड कर दी गई है और 92% बिछा दी गई है। चालू करने के क्रियाकलाप साथ साथ किए गए हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

आरक्षित श्रेणी के ठेकेदारों के लाइसेंसों का नवीकरण

3911. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-पान नीति, 2005 में आरक्षित श्रेणी के ठेकेदारों के लाइसेंसों का नवीकरण करने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नवीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्टेशनों तथा ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस उक्त नीति के अनुसार रेलवे/आईआरसीटीसी द्वारा अब तक नवीकृत किए जा चुके हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आरक्षित कोटि की खान-पान इकाइयों के ठेकों के नवीकरण के लिए क्षेत्रीय रेलवे तथा भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) को निर्देश दिए गए हैं। तदनुसार, ऐसे ठेकों का नवीकरण किया जा रहा है जो संतोषप्रद निष्पादन तथा सभी बकायों के भुगतान के मद्देनजर नवीकरण के लिए बकाया है।

अस्त्र मिसाइल का परीक्षण

3912. **श्री संजय धोत्रे** :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र' का सफल परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) इंटीग्रेटिड टेस्ट रेंज (आई टी आर), बालासोर से मार्च 2007 के दौरान एक बैलिस्टिक उड़ान तथा दो नियंत्रण उड़ानें भरी गई थीं। उड़ान में सभी पूर्व-निर्धारित तथा पहले से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार युद्धाभ्यास का ठीक-ठीक निष्पादन किया तथा इस मिशन के वास्ते निर्धारित लक्ष्य पूरे किए।

[अनुवाद]

सेना में 'मेच्योर मेन मैनेजमेंट'

3913. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में सहयोगियों को मारने तथा आत्महत्या की बढ़ती घटना को रोकने के लिए 'मोर मेच्योर मेन मैनेजमेंट' तथा सेवा में खतरों की पर्याप्त प्रतिपूर्ति के लिए जवानों को उच्च वेतन पैकेज देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सशस्त्र बल के अधिकारियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक सरकार इस 'मैन मैनेजमेंट' तथा वेतन वृद्धि को देश के सशस्त्र बल के लिए आवश्यक समझती है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सेना में आत्महत्या और सहकर्मियों की हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें बेहतर मानव प्रबंधन संबंधी उपाए भी शामिल हैं। इनमें से कुछ उपाए हैं:—

(i) दिल्ली स्थित रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा उन कारकों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना जिनके कारण ये घटनाएं होती हैं और उपचारात्मक उपाए सुझाना;

(ii) जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को संवेदनशील क्षेत्रों में परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देना;

(iii) वरिष्ठ और कनिष्ठ अफसरों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत बढ़ाना, लीडरों की पहुंच में सुधार लाना तथा जूनियर लीडरों की सैनिकों के साथ बार-बार बातचीत होना, बेहतर मानव प्रबंधन और शिकायतों का शीघ्र निवारण करना;

(iv) यूनिट में समय पर खरी उतरी रिपोर्ट करने और जानकारी देने की व्यवस्था मजबूत करना;

(v) घरेलू समस्याओं को निपटाने के लिए उदारीकृत छुट्टी नीति;

(vi) रेजिमेंटल चिकित्सा अफसरों, जूनियर लीडरों और यूनिट कमांडरों द्वारा ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें सलाह मशविरा देना जिन पर युद्धक दबाव का अधिक जोखिम है;

(vii) धर्मगुरुओं द्वारा परामर्श देना;

(viii) मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपेक्षानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श देना;

(ix) योग/ध्यान साधना सहित विश्राम अभ्यास में विशेष प्रशिक्षण देना

(x) तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए यूनिटों तथा व्यक्तियों की अदला-बदली करना।

इन उपायों पर वरिष्ठ अफसर नजर रख रहे हैं। सेनाओं में सभी अफसरों और अन्य कार्मिकों को उपर्युक्त विषयों के प्रति सुग्राही बनाया गया है

सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं तथा कठिनाइयों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाए जाने के लिए जिला सैनिक बोर्डों को सुदृढ़ बनाने और एक नेटवर्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया है ताकि सैनिकों के परिवारों की समस्याएं जिला सैनिक बोर्डों को सूचित की जा सकें जो मामले को संबंधित सिविल प्राधिकारियों के साथ उठा सके। सबसे नजदीकी नामित यूनिट को भी जिला सैनिक बोर्डों के संपर्क में रहना चाहिए और सैनिक की यूनिट को जानकारी दे।

सशस्त्र सेनाओं के पास अफसरों का कौशल बढ़ाने के लिए उनके वास्ते सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहले से एक सुसंगठित पद्धति है जिससे कि वे उभरती हुई जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।

सरकार ने रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा सेवा-शर्तों आदि के प्रश्न पर विचार करने के लिए छठा केन्द्रीय वेतन आयोग बनाया है। तीनों सेनाओं ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लिए एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

पंजाब में ऐतिहासिक स्मारक

3914. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में स्थित संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्मारकों के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त स्मारकों से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(घ) किसी ढांचे को संरक्षित स्मारक घोषित करने हेतु क्या मानदंड है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पंजाब में 31 स्मारक/स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित है:—

2004-05	66.21 लाख रुपए
2005-06	62.26 लाख रुपए
2006-07	91.83 लाख रुपए

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

2004-05	शून्य
2005-06	30,000 रुपए
2006-07	35,000 रुपए

(घ) प्राचीन स्मारकों का संरक्षण किया जाता है तथा राष्ट्रीय महत्व के रूप में इनकी घोषणा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के अनुसार की जाती है। 'प्राचीन स्मारक' से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या दफनगाह या कोई गुफा, शैल रुपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं:—

i. किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष

ii. किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल

iii. किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक की बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो।

विवरण

पंजाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले कन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की विस्तृत सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	मुगलसराय अकबर या जहांगीर का प्रवेश द्वार, पुरानी दिल्ली तथा लाहौर रोड़ पर	अमानत खान	अमृतसर
2.	प्राचीन सराय अकबर या जहांगीर का प्रवेश द्वार, पुरानी दिल्ली तथा लाहौर रोड़ पर	फतेहबाद	अमृतसर
3.	रामबाग रोड़	अमृतसर	अमृतसर
4.	किला	भटिंडा	भटिंडा
5.	मड फोट के नाम से प्रसिद्ध टीला	अबोहर	फिरोजपुर
6.	सारागरली स्मारक (अधिसूचना संख्या 818 दिनांक 13.03.1927 के तहत हटाया गया)	फिरोजपुर	फिरोजपुर
7.	बारादरी (जिसे सामान्यत: अनारकली के नाम से जाना जाता है।	बटाला	गुरुदासपुर
8.	शमशेर खान का मकबरा	बटाला	गुरुदासपुर

1	2	3	4
9.	तख्त-ए-अकबरी	कलानौर	गुरुदासपुर
10.	मुगल कोस मीनार	चीमा कलां	जलंधर
11.	मुगल ब्रिज	दखनी	जलंधर
12.	मुगल कोस मीनार	दखनी	जलंधर
13.	सराय जिसमें प्रवेश द्वार शामिल है	दखनी	जलंधर
14.	मुगल कोस मीनार	जहांगीर	जलंधर
15.	थेह गट्टी (टीला)	नगर	जलंधर
16.	मुगल कोस मीनार	नकोदर	जलंधर
17.	मुहम्मद मोमिन तथा हाजी जमाल का मकबरा	नकोदर	जलंधर
18.	सराय जिसमें प्रवेश द्वार शामिल है	नूर महल	जलंधर
19.	मुगल कोस मीनार	शामपुर	जलंधर
20.	मुगल कोस मीनार	टुट कलां	जलंधर
21.	मुगल कोस मीनार	उप्पलां (उप्पल)	जलंधर
22.	मुगल कोस मीनार	वीरपिंड	जलंधर
23.	कोस मीनार	घुनगर्ली राजपूतान	लुधियाना
24.	कोस मीनार	लस्करी खान	लुधियाना
25.	कोस मीनार	लुधियाना (धनदरी कलां)	लुधियाना
26.	कोस मीनार	लुधियाना (शेरपुर)	लुधियाना
27.	प्राचीन स्थल	सुनेत	लुधियाना
28.	कोस मीनार	सनेहवाल	लुधियाना
29.	कालेज परिसर के समीप प्राचीन स्थल	रोपड़	रोपड़
30.	प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा स्थल, संघोल	फतेहगढ़ साहिब	रोपड़
31.	महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेश	अमृतसर	पंजाब

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

3915. **श्री नरहरि महतो :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04, 2004-05 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान काली सूची में डाले गए उन गैर-सरकारी संगठनों के क्या नाम हैं जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समाज सेवा हेतु प्रदान की गई धनराशियों के दुर्विनियोग का दोषी पाया गया;

(ख) इन प्रत्येक संगठनों के विरुद्ध कितनी राशि हड़पने का आरोप लगाया गया है तथा अन्य कौन-कौन से अभियोग लगाए गए हैं;

(ग) इन प्रत्येक मामलों में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों से वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जब कभी यह पता चलता है कि राज्य सरकारों की सिफारिश जाली है या यह कि संगठन कार्य नहीं कर रहा है या लाभार्थियों की संख्या किए गए दावे से बहुत ही कम है या सहायता अनुदान की परिमाणन के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता नहीं है, तब विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद संगठन कालीसूचीबद्ध किए जाते हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से सरकारी सहायता से सृजित सम्पत्तियों को जब्त करने, उसका निपटान करने, इस प्रकार से एकत्र राशि को सरकार के पास जमा करने और शेष राशि को भूमि राजस्व के रूप में वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान् काली सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपए)
1	2	3
1.	कमला महिला एवं बाल कल्याण समिति, 9, मंडी तिराहा पलाखुआ, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	2,97305
2.	गीता ग्रामीण समाज सेवा समिति, टिकमगढ़, मध्य प्रदेश	4,77,970
3.	शिव समाज कल्याण समिति, टिकमगढ़, मध्य प्रदेश	3,50,240
4.	श्री बल्लभ शिक्षा प्रसार समिति, टिकमगढ़, मध्य प्रदेश	11,63,970
5.	अराधना ग्रामीण सेवा समिति, टिकमगढ़, मध्य प्रदेश	16,38,810
6.	साधना ग्रामीण सेवा समिति, टिकमगढ़, मध्य प्रदेश	7,28,250
7.	उड़ीसा वाल्युटरी एसोसिएशन फॉर रूरल सोसियो डेवलपमेंट, कालीपट, पोस्ट गोपिकुड, जगतसिंहपुर, उड़ीसा	5,49,090

1	2	3
8.	नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एंड सोसल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीटयूट, संथासरा, पोस्ट संथापुर, वाया गोंडिया, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	6,08,439
9.	तलागरडा हरिजन शाही महिला समिति, गैकनपाली, पोस्ट तपरिया, वाया गोपालपुर, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	71,550
10.	पीपुल्स आर्गनाइजेशन ऑफ ओरिएन्टेशन एंड रेनोवेशन, पोस्ट नुआगांन, वाया श्रीगिडा, जिला क्योंझर, उड़ीसा	1,71,630
11.	श्री दमोदरन संजीवैया मेमोरियल हाई-स्कूल, सेक्टर-6, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	1,17,000
12.	आयुष फाउंडेशन, डी-4, पंचवटी अपार्टमेंट्स, पंचवटी क्रास रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात	66,195
13.	ग्राम चेतना सेवा समिति, हाऊस ऑफ श्री धनन्जय राठौर, रेती फाटक, कला गेट, मंडी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	(i) गैर-आवासीय निजी स्कूल=5,11,200 (ii) टंकण एवं आशुलिपि = 85,410 (iii) हॉस्टल (से.)= 1,87,110
14.	आदर्श शिवम सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी, हाऊस ऑफ श्री एस.सी. तिवारी, भरोली रोड, एस.पी. आफिस के पास, भिण्ड, मध्य प्रदेश	73,755
15.	शांतिदूत, बिहारशरीफ, पटना	3,40,200
16.	तपस्वी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, नादियाड़, खेड़ा, गुजरात	3,40,200
17.	बी.आर. अम्बेडकर डि-एडिक्शन सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात	3,40,200
18.	सेन्ट्रल इंग्लिस एकेडमी, सेन्ट्रल इंग्लिस एकेडमी भवन, डॉ. एन.सी. घोष लेन के पास, न्यू जक्कानपुर, पटना, बिहार	3,40,200
19.	युथ मोबिलाइजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेंट, 604, इंद्रप्रस्थ, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना	6,53,400

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टरों की स्थिति

3916. चौ. मुनव्वर हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपने विभिन्न मंडलों में अपने कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार क्वार्टरों में सुविधाएं नहीं प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नया बाजार, दिल्ली में क्वार्टरों के समुचित रख-रखाव

के अभाव में आबंटी तथा उसके परिवार कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार पेयजल की व्यवस्था सहित आबंटियों की पात्रता के अनुसार उक्त रेलवे क्वार्टरों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक कदम उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता, कार्यों की प्राथमिकता और अन्य कारकों के अधीन रेलवे कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार मकानों में आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराने और उनके अनुरक्षण का प्रयत्न करती है। उपर्युक्त बाध्यताओं के कारण कुछ रेलवे क्वार्टरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) नया बाजार कालोनी, दिल्ली में 137 टाइप-I रेलवे क्वार्टर हैं। रेलवे, कर्मचारियों की पात्रतानुसार सभी कर्मचारी क्वार्टरों में पीने के पानी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयत्न करती है। दस क्वार्टरों को छोड़कर इन सभी क्वार्टरों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनमें 2007-08 के दौरान नवीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। रुफ ट्रीटमेंट, दरवाजों का बदलाव, जलापूर्ति का आवर्धन, पुनः वायरिंग करना एवं इलेक्ट्रिक लोजिस्टिक्स का बदलाव, गतायु इकाइयों का पुनः निर्माण आदि सभी रेलवे के कर्मचारी क्वार्टरों में विभिन्न कार्य शुरू करने के लिए समेकित कल्याण योजना भी तैयार की गई है।

[अनुवाद]

सुनामी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

3917. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में सुनामी प्रभावित राज्यों, विशेष रूप से अंडमान द्वीप समूहों का दौरा तथा सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल करने तथा प्रभावित परिवारों के लिए राहत तथा पुनर्वास उपाय में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री ने 24 और 25 मार्च, 2007 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का दौरा किया और उन्हें अंडमान और निकोबार कमान के संक्रियात्मक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। उन्होंने अंडमान और निकोबार प्रशासन के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और अफसरों के साथ भी बातचीत की।

(ग) से (ङ) सरकार ने द्वीप समूह में सामान्य जन-जीवन की बहाली के लिए समुचित कदम उठाए हैं। किए गए उपायों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारों के लिए सहायता आदि शामिल हैं।

खाद्य पदार्थ के नमूने

3918. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 के दौरान रेलवे के चिकित्सीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ के कितने नमूने लिए गए तथा उनमें से कितने मिलावटी या असुरक्षित पाए गए; और

(ख) मिलावटी या असुरक्षित पाए गए नमूनों के मामलों में क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) :-

(I) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूनों की संख्या

वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	असंतोषजनक पाए गए नमूनों की संख्या	असंतोषजनक नमूनों के संबंध में की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2001	6813	274	1954 के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के

1	2	3	4
2002	7357	321	उपबंधों के अनुसार सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है और मामूली वारदातों के मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई अर्थात जुर्माना आदि लगाया गया है।
2003	6720	230	

(II) गुणवत्ता नियंत्रण के तहत लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूनों की संख्या

वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	असंतोषजनक पाए गए नमूनों की संख्या	असंतोषजनक नमूनों के संबंध में की गई कार्रवाई
2001	17623	1048	खानपान ठेकेदारों के साथ ठेके के उपबंधों/विभागीय निवारक कार्रवाई के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मंडल/जोन स्तर पर संबंधित वाणिज्य विभाग को सूचित किया गया है।
2002	17608	1150	
2003	17050	1033	

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत इकट्ठे किए गए नमूनों के लिए 1954 के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और मामूली वारदातों के मामलों में विभागीय कार्रवाई की जाती है।

गुणवत्ता नियंत्रण के तहत इकट्ठा किए गए नमूनों के लिए, खानपान ठेकेदारों के साथ ठेके के उपबंधों/विभागीय कार्रवाई के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मंडल/जोन स्तर पर संबंधित वाणिज्य विभाग को सूचना दी जाती है।

राष्ट्रीय धरोहर स्थल

3919. श्री के.एस. राव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार राष्ट्रीय धरोहर स्थलों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके संरक्षण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय धरोहर स्थलों तथा पुरावस्तुओं के संरक्षण तथा राज्यवार डाटाबेस तैयार करने तथा उनके रख-रखाव हेतु एक नया कानून बनाने का है तथा इस उद्देश्य के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि का उपयोग करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) 3667 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हैं राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए आवंटित तथा इस्तेमाल की गई धनराशि निम्नानुसार है:—

(लाख रुपए में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2004-05	9344.00 रु.	9288.00 रु.
2005-06	10367.06 रु.	10194.54 रु.
2006-07	10860.43 रु.	10816.06 रु.

(ग) और (घ) परिरक्षण तथा संरक्षण, विरासत स्थलों और पुरावशेषों के राज्य-वार डाटा बेस के रखरखाव या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधि का इस्तेमाल करने के लिए नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, सरकार ने स्मारकों तथा पुरावशेषों पर राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन स्थापित किया

है। चूंकि विरासत संरक्षण के लिए बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं है इसलिए स्मारकों के जीर्णोद्धार तथा रखरखाव हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से वित्त पोषण करने पर विचार करने हेतु एक प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची।

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	53
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू व कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	286
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	8
19.	नागालैंड	4
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175
21.	उड़ीसा	78
22.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7
23.	पंजाब	31
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

बी.आर.ओ. तथा एम.ई.एस. के कर्मचारियों को विशेष भत्ता

3920. **श्री जसुभाई धनाभाई बारड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व तथा जम्मू-कश्मीर में आतकवाद विरोधी (सीआई) ग्रिड में कार्यरत जवान 1600 रुपए से 3900 रुपए तक के विशेष भत्ते के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सड़क संगठन तथा मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारी भी इसी आधार पर इस विशेष भत्ते के पात्र हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) अधिसूचित प्रति विद्रोही आपरेशनों में तैनात किए गए सैनिक 1500/- रुपए से लेकर 3900/- रुपए प्रति माह की दर से विशेष प्रतिपूरक प्रति-विद्रोही भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

(ख) से (घ) सीमा सड़क संगठन में कार्यरत सिविलियन तथा रक्षा सेना कार्मिक और सेना इंजीनियर सेवा के सिविलियन विशेष प्रतिपूरक प्रति-विद्रोही भत्ते के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे वस्तुत: प्रति-विद्रोही कार्रवाईयों में शामिल नहीं होते। तथापि, सेना इंजीनियर सेवा के रक्षा सेना कार्मिक विशेष प्रतिपूरक प्रति-विद्रोही भत्ते के हकदार हैं। तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि सीमा सड़क संगठन और सेना इंजीनियर सेवा के जम्मू और कश्मीर के कुछ विशिष्ट जिलों में कार्यरत सिविलियन कर्मचारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कुछ प्रोत्साहन/विशेष लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सेना के पहचान-पत्रों की चोरी

3921. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में सेना के पहचान पत्रों की चोरी के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जैसाकि दिनांक 2 अप्रैल, 2007 के 'दि हिंदुस्तान टाइंस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू-कश्मीर में गत तीन माह में पकड़े गए आंतकवादियों से प्राप्त सिम कार्ड उनके द्वारा सेना के कार्मिकों की जाली पहचान पत्र का उपयोग करके प्राप्त किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) जम्मू-कश्मीर में दो मामले ध्यान में आए हैं जहां आतंकवादियों ने सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए सेना कार्मिकों की छद्म रूप धारण किया था।

(घ) से (च) चूंकि इस मामले में कोई सेना कार्मिक शामिल नहीं है इसलिए सेना द्वारा कोई जांच नहीं करवाई गई है। इस तरह के अपराधों की जांच की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है।

मिट्टी तेल के उप-थोक विक्रेता

3922. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मिट्टी तेल हेतु उप-थोक विक्रेता शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है तथा प्रस्तावित कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने मूलत: पीडीएस मिट्टी तेल नेटवर्क के नवीकरण के लिए एक नवोन्मेषी प्रायोगिक परियोजना अनुमोदित की है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह भारी राजसहायता प्राप्त उत्पाद वास्तव में राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर, अपेक्षित मात्रा में अभिप्रेत लाभार्थियों को उपलब्ध हो सके, और दूसरा उद्देश्य इसके विपथन को रोकना, नियंत्रित करना और अंतत: अपमिश्रण के लिए पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन को समाप्त करना है। जन केरोसीन परियोजना (जेकेपी) के नाम से प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिए 02 अक्तूबर, 2005 को शुरू की गई थी। सरकार समय-समय पर जेकेपी की समीक्षा करती है और प्रणाली को और सरल व कारगर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है। जेकेपी प्रायोगिक परियोजना देश के 24 राज्यों में फैले 414 ब्लाकों में शुरू

की गई है। गुजरात और राजस्थान राज्य सरकारों ने क्रमश: 1.7.2006 तथा 1.10.2006 से राज्यों में 24 ब्लॉकों तथा 13 ब्लॉकों में जेकेपी प्रायोगिक परियोजना का क्रियान्वयन जारी न रखने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा किए गए नैदानिक अध्ययन तथा सरकार द्वारा की गई समीक्षाओं के आधार पर, प्रायोगिक योजना प्रारम्भ में 3 माह के लिए 30 जून, 2006 तक बढ़ाई गई और पुन: इसे 30 सितम्बर, 2006 तक बढ़ाया गया। इसे अब 30 जून, 2007 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की दृष्टि से थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 उप-थोक बिक्री स्थलों की स्थापना उपलब्ध कराती है।

(ग) से (ङ) जी हां। कई राज्य सरकारों ने मिट्टी तेल वितरण के लिए तीन-स्तरीय प्रणाली को वरीयता नहीं दी है क्योंकि उनका मानना है कि उप थोक विक्रेताओं के सृजन से वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए उनकी एजेंसियों को होने वाली कठिनाई के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल (पीडीएस) के खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि होगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उन राज्यों में जहां तीन-स्तरीय संरचना लागू करना संभव नहीं था, ऐसी संरचना के सृजन के प्रयास छोड़ दिए जाएं तथा एसकेओ का वितरण मौजूदा दो-स्तरीय संरचना द्वारा जारी रखा जाए।

सैनिक स्कूल का खोला जाना

3923. श्री एम. शिवन्ना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कोडागु जिले के कुडिगे में एक सैनिक स्कूल खोलने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने कुडिगे में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए 55.93 एकड़ भूमि का आबंटन किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल की स्थाई अवसंरचना का निर्माण करने के लिए छह से सात वर्षों तक 25 करोड़ रु. की वित्तीय वचनबद्धता और प्रतिवर्ष लगभग 1.3 करोड़ रुपए के अनुवर्ती व्यय के साथ एक नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए सभी दायित्वों को पूरा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिए चयन किए गए स्थल का निरीक्षण किया गया है। स्कूल में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और रजिस्ट्रार के रूप में तैनात किए जाने के लिए अधिकारियों की उपलब्धता के संबंध में सेना मुख्यालय से पुष्टि प्राप्त हुई है।

बौद्ध पर्यटन

3924. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्ध पर्यटन हेतु विशेष रूप से दक्षिण एशिया से पर्यटन आदान-प्रदान/नए रुझान के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) क्या जापान तथा चीन ने भी इस संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से भारत में आए पर्यटकों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) बौद्ध पर्यटन सहित, भारत के पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए चीन सहित, अनेक देशों के साथ द्विपक्षी सहयोग करार किए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों की विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार है:—

(रु. करोड़ों में)

2003	2004	2005
16429.00 रुपए	21603.00 रुपए	25172.25 रुपए

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से पर्यटक आगमनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान राष्ट्रिकता के देश द्वारा भारत में पर्यटक आगमन

राष्ट्रिकता	2003	2004	2005
1	2	3	4
उत्तरी अमरीका			
कनाडा	107671	135884	157643
यूएसए	410803	526120	611165
कुल	518474	662004	768808
सेंट्रल एवं दक्षिण			
अमरीका			
ब्राजील	4528	7397	7005
मैक्सिको	3563	4570	5398
अन्य	13563	16198	23183
कुल	21654	28165	35586
पश्चिमी यूरोप			
आस्ट्रिया	16903	21093	27187
बेल्जियम	17309	24007	25596
डेनमार्क	11327	15805	20170
फिनलैण्ड	8001	12525	16258
फ्रांस	97654	131824	152258
जर्मनी	76868	116679	120243
ग्रीस	3455	4468	4793
आयरलैण्ड	7083	8996	10052
इटली	46908	65561	67642
नीदरलैण्ड	40565	51211	52755
नार्वे	8400	10631	11194
पुर्तगाल	8158	10648	11457
स्पेन	30551	42895	45247
स्वीडन	18098	26154	28799
स्विटजरलैण्ड	24463	28260	34311
यू के	430917	555907	651083
अन्य	1306	1633	3074
कुल	847966	1128297	1282119
चेकोस्लोवाकिया	3466	4114	4783
पोलैण्ड	6336	8445	10983
सी आई एस	38526	61187	75242
अन्य	6924	8680	10437
कुल	55252	82426	101445
अफ्रीका			
मिश्र	3382	3781	4048
किनिया	16563	17538	19816
मारीशस	16308	19823	19760
नाईजेरिया	5713	6659	10049
दक्षिण अफ्रीका	23873	32148	39229

1	2	3	4
तंजानिया	8515	9953	11193
अन्य	18999	25591	30706
कुल	93353	115493	134801
पश्चिम एशिया			
बहरीन	4182	4414	4923
इजरायल	32157	39083	42866
ओमान	12352	14927	14979
सऊदी अरब	9961	11929	12444
तुर्की	5528	7008	7906
यू ए ई	21374	22668	24560
यमन अरब गणराज्य	7717	8826	9423
अन्य	10325	13953	16720
कुल	103596	122808	133821
दक्षिणी एशिया			
अफगानिस्तान	10079	12705	14025
ईरान	17539	24733	28691
मालदीव	18345	21099	33915
नेपाल	42771	51534	77024
पाकिस्तान	10364	67416	88609
बंगलादेश	454611	477446	456371
श्रीलंका	109098	128711	136400
भूटान	4082	7054	6934
कुल	666889	790698	841969

1	2	3	4
दक्षिण पूर्व एशिया			
इंडोनेशिया	9078	11408	12640
मलेशिया	70750	84390	96276
म्यांमार	3609	4932	5652
फिलीपींस	8091	10492	11422
सिंगापुर	48368	60710	68666
थाईलैण्ड	25754	33442	41978
अन्य	3276	3736	4774
कुल	168926	209110	241408
पूर्व एशिया			
चीन (मेन)	21152	34100	44897
चीन (ताईवान)	12685	18179	18894
जापान	77996	96851	103082
कोरिया (दक्षिण)	35584	47835	49895
अन्य	3089	4662	6799
कुल	150506	201627	223567
आस्ट्रेलिशिया			
आस्ट्रेलिया	58730	81608	96258
न्यूजीलैण्ड	13283	16762	20463
अन्य	1836	2574	3057
कुल	73849	100944	119778
अन्य	10233	14471	21818
स्टेटलेस	15516	1434	13490
कुल जोड़	2726214	3457477	3918610

[हिन्दी]

बगहा तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार

3925. श्री कैलाश बैठा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास नरकटियागंज से हाजीपुर तक चलने वाली लिंक इंटरसिटी को बगहा तक बढ़ाने का कोइ प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अजय विक्रम सिंह समिति की सिफारिशें

3926. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में अजय विक्रम सिंह समिति को सिफारिशें थल सेना तथा वायु सेना द्वारा स्वीकार ली गई हैं लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सेना के अफसर संवर्ग के पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने हेतु अजय विक्रम सिंह समिति का गठन किया गया था। सेना में आयु तथा अधिक्रमण स्तरों में कमी लाने तथा सेना में कर्नल रैंक तक समयबद्ध पदोन्नति में ऊपर की ओर गतिशीलता में सुधार लाने के दृष्टिकोण से अजय विक्रम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। भारतीय नौसेना में कैप्टन के रैंक तथा वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के रैंक तक समयबद्ध पदोन्नति के ऐसे ही लाभों के लिए भी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टैंकों और लारियों में लाकिंग प्रणाली

3927. श्री उदय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगमों ने पेट्रोल और डीजल की ढुलाई में लगे टैंक/लारियों में गैर-अनुमोदित लाकिंग प्रणाली शुरू कर दी है;

(ख) क्या टैंकों/लारियों की दुर्घटना होने पर जनता के लिए अग्निकांड/विस्फोटक को रोकने हेतु तालों को खोलने इत्यादि के लिए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह प्रणाली लाइसेंस की विभिन्न शर्तों तथा विस्फोटक नियमों की आवश्यकताओं का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो विस्फोटक नियमों का उल्लंघन करने के लिए पानीपत स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के तेल टर्मिनल के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) तेल विपणन कंपनियों ने मिलावट पर नियंत्रण के लिए टैंक ट्रकों पर सुरक्षा ताला प्रणाली लगाना आरम्भ कर दिया है जो पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी ई एस ओ), जिसे पहले विस्फोटक विभाग कहा जाता था, द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है।

(ख) वाहन की दुर्घटना की स्थिति में कोई व्यक्ति ताले इत्यादि खोलने के लिए तुरंत दुर्घटना की जगह पर पहुंच सकता है। टैंक ट्रक में लगे हुए ताले उत्पादन के रिसाव को रोकने और इस प्रकार आग लगने के अवसरों को कम करते हैं और इससे पर्यावरण की रक्षा में भी सहायता मिलती है। आग लगने की स्थिति में परिवहनकर्ता/टैंक ट्रक कर्मियों को कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अग्निशमन उपस्कर हर समय टैंक ट्रक पर उपलब्ध होता है। सभी टैंक ट्रक कर्मियों के पास पेट्रोलियम उत्पादों की साज सम्भाल के लिए उत्पादों की साज-संभाल के लिए प्रमाणपत्र भी होता है।

(ग) जी नहीं। प्रणाली मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा अनुमोदित है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स/पोस्ट ग्रेजुएट्स को बीबीए/एमबीए की डिग्रियां

3928. श्री नकुल दास राई : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय होटल प्रबंध और खान-पान परिषद के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले होटल प्रबंध संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में प्रबंधन संबंधी भाग के अधिक होने के कारण उन्हें दी जा रही बी.एस.सी. (हास्पिटालिटी एडमिनिस्ट्रेशन) और एम.एस.सी. (हास्पिटालिटी एडमिनिस्ट्रेशन) की उपाधि के स्थान पर बीबीए (व्यवसाय प्रशासन स्नातक) और एमबीए (व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर) की उपाधि देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) बी.एससी. और एम.एससी. की वर्तमान प्रणाली को बीबीए और एमबीए में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) इग्नू की उपाधियां, अर्थात् बी.एससी. (हास्पिटालिटी एडमिनिस्ट्रेशन) और एम.एससी. (हास्पिटालिटी एडमिनिस्ट्रेशन), प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली, आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही है।

[हिन्दी]

बाजार में सेना अस्पतालों की दवाओं की बिक्री

3929. श्रीमती करुणा शुक्ला :
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अस्पतालों की दवाओं की बाजार में बिक्री संबंधी कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक सेवानिवृत्त सेना कार्मिक को उसके पास कुछ ऐसी दवाईयों के साथ पकड़ा है जोकि सशस्त्र सेना अस्पताल के लिए थीं। पुलिस द्वारा आगे की गई जांच में दिल्ली छावनी स्थित सेना अस्पताल (अनुसंधान तथा रेफरल) के एक सेवारत सैनिक की संलिप्तता का पता चला है। इस मामले में 13 मार्च, 2007 को दिल्ली पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेना प्राधिकारियों ने भी इस मामले में जांच अदालत के आदेश दे दिए हैं।

(घ) यद्यपि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद है जिसमें सुरक्षा कार्मिकों द्वारा औषधालयों और चिकित्सा स्टोर्स की अचानक जांच, सामान सूची की मानिटरिंग तथा जांच शामिल है, तथापि इनमें और तेजी लाई गई है।

मालगाड़ियों पर प्रतिबंध

3930. श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को भारत आने वाली सभी मालगाड़ियों पर पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पाकिस्तान द्वारा ऐसी कार्रवाई किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन सूचना केन्द्र

3931. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विदेशों में कितने पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा इस समय कितने केन्द्र चल रहे हैं तथा इनके अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन कार्यालयों के कार्यकरण की नियमित अंतराल पर समीक्षा करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय के बाहर विभिन्न देशों में 13 भारत पर्यटन कार्यालय हैं और देश में 20 भारत पर्यटन कार्यालय हैं। विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या 59 है और देश के भीतर भारत पर्यटन कार्यालयों में उनकी संख्या 247 है।

(ख) और (ग) भारतीय पर्यटन उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सभी स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क एवं तालमेल बनाए रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत तथा विदेश, दोनों में भारत पर्यटन कार्यालयों के कार्य की निरंतर समीक्षा करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल नेटवर्क में बढ़ोत्तरी

3932. प्रो. चन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अद्यतन रेल नेटवर्क (रूट किलोमीटर) कितना है;

(ख) क्या उन राज्यों में रेल नेटवर्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जहां यह नेटवर्क कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 31.3.2006 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार देश में राज्य-वार रेलवे नेटवर्क (मार्ग किमी) में नीचे दिए गए हैं:—

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्ग किमी
1	2
आंध्र प्रदेश	5,185
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	2,284
बिहार	3,330
छत्तीसगढ़	1,186
दिल्ली	205
गोआ	69
गुजरात	5,283
हरियाणा	1,595
हिमाचल प्रदेश	285
जम्मू और कश्मीर	138
झारखंड	1,955
कर्नाटक	3,002
केरल	1,050
मध्य प्रदेश	4,903
महाराष्ट्र	5,528
मणिपुर	1
मिजोरम	2

1	2
नागालैंड	13
उड़ीसा	2,281
पंजाब	2,134
राजस्थान	5,838
तमिलनाडु	4,171
त्रिपुरा	64
उत्तरांचल	345
उत्तर प्रदेश	8,546
पश्चिम बंगाल	3,911
संघ शासित प्रदेश	
चंडीगढ़	16
पांडिचेरी	11
कुल	63,332

नोटः शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कोई रेलवे लाइन नहीं है।

(ख) और (ग) नेटवर्क के विस्तार हेतु रेल परियोजनाओं का नियोजन ओर निष्पादन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एकीकृत और आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। राज्य की भौगोलिक सीमाएं रेलवे निवेश निर्धारण हेतु मानदंड निर्धारण नहीं करता। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां बहुत सी रेलवे परियोजनाएं एक से ज्यादा राज्यों में फैली हों, बहरहाल, देश में बहुत सी नई लाइन परियोजनाएं शुरू की गई है जो पूरी होने पर विभिन्न राज्यों में मार्ग किमी की बढ़ोत्तरी होगी।

टाइटेनियम डाइआक्साइड का उत्पादन

3933. **डा. के.एस. मनोज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान विनिर्माण में प्रयोग होने वाले टाइटेनियम डाइआक्साइड का देश में उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसरो ने टाइटेनियम स्पान्ज के उत्पादन के लिए केरल मेटल्स एंड मिनरल्स लि. के साथ कोई समझौता ज्ञापन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रक्षा धातु विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला ने टाइटेनियम स्पान्ज के उत्पादन के लिए कोई प्रक्रिया विकसित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) टिटेनियम डाइआक्साइड, शुरू रूप में वायुयानों के विनिर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है। तथापि, वायुयानों के विनिर्माण के लिए टिटेनियम मिश्रधातु का उपयोग किया जाता है। रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद ने टिटेनियम स्पंज के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है जो इस टिटेनियम मिश्रधातु के बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। वास्तव में केरल धातु और खनिज लिमिटेड में टिटेनियम स्पंज के उत्पादन के लिए इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, केरल धातु और खनिज लिमिटेड तथा रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुए है।

(ङ) और (च) जी, हां। रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला ने टिटेनियम मिश्रधातु के उत्पादन के लिए अत्यधिक उच्च श्रेणी के टिटेनियम स्पंज के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है जो वायुयान उद्योगों में उपयोग में लाए जाने के उपयुक्त है।

चित्रदुर्ग में अन्मैन्ड एरियल व्हीकल सेंटर की स्थापना

3934. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चित्रदुर्ग में अन्मैन्ड एरियल व्हीकल सेंटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के लिए भूमि अधिगृहित कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास/पुनः बसाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए प्रारंभिक बातचीत के वास्ते तीन एजेंसियों, नामतः नागर विमानन प्राधिकरण; भारतीय वायुसेना और कर्नाटक सरकार से संपर्क किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इसके भूमि का अर्जन किए जाने के बाद लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

(च) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कर्नाटक सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास/पुनर्स्थापना के लिए उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है।

रेलगाड़ियों की अधिभोगिता और आय

3935. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास अलग-अलग रेलगाड़ियों की अधिभोगिता और आय को दर्शाने वाले आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 2005-06 और 2006-07 के दौरान जोन वार निम्न अधिभोगिता में चलने वाली रेलगाड़ियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने इन रेलगाड़ियों की निम्न अधिभोगिता संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या उपाय किये हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इन रेलगाड़ियों के संचालन से इष्टतम लाभ कमाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) गाड़ियों में अधिभोगिता और आमदनी का अध्ययन करना एक सतत् प्रक्रिया है और जहां कहीं गाड़ियों में कम अधिभोगिता है, वहां निवारक उपाय के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा यह अध्ययन किया जा रहा है। कुछ गाड़ियों को कम अधिभोगिता के कारण रद्द कर दिया गया है जबकि कुछ गाड़ियों के कोटा/संयोजन में परिवर्तन किया गया है ताकि उनकी अधिभोगिता में सुधार किया जा सके। आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों की गाड़ीवार अधिभोगिता/आमदनी के केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) कम यात्रियों वाली गाड़ियों की अधिभोगिता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय इस प्रकार है:

(i) तीव्रगामी गाड़ियां चलाना और मौजूदा गाड़ियों के चालन समय में कमी।

(ii) यदि संभव हो सके, गाड़ियों के समय को अधिक सुविधाजनक बनाना।

(iii) यात्री रूपरेखा प्रबंधन (पीपीएम) के माध्यम से गाड़ियों की रूपरेखा का अध्ययन करना ताकि आरक्षण कोटे का पुनः वितरण गाड़ी के भार में वृद्धि/कमी आदि जैसे आवश्यक आशोधन किए जा सकें।

(iv) यात्रियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नए प्रकार की गाड़ियां चलाना।

(v) अत्यधिक कम यात्रियों वाली गाडियों को रद्द करना।

विदेशी विमान कंपनियों को घरेलू विमान कंपनियों में इक्विटी भागीदारी की अनुमति

3936. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की घरेलू विमान कंपनियों में विदेशी विमान कंपनियों की इक्विटी भागीदारी को अनुमति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों के प्रबंध संबंधी समिति

3937. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री श्रीचंद कृपलानी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों के प्रबंधन संबंधी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार तथा कार्यान्वियन की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जांच समिति (आर सी जैन समिति) से संगठनात्मक व्यवस्था, प्रचालनात्मक मुद्दों, वायु यातायात प्रबंधन तथा संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों, सुरक्षा आपातकालीन प्रक्रियाओं, कस्टम, कार्गो, आप्रवासन, एयरपोर्ट सुविधाओं पर प्रमुख सुझाव दिए थे और इस समिति की रिपोर्ट में समन्वय को 14 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया था। यह रिपोर्ट सुझावों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशक, सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) गृह मंत्रालय, कस्टम, आप्रवासन विभाग, इत्यादि जहां उपयुक्त हो, को भेजी गई थी। सुझावों के कार्यान्वयन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

मुसलमानों में शैक्षिक पिछड़ापन

3938. श्री रायपति सांबासिवा राव : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ापन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) सरकार ने, भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट 30, नवम्बर, 2006 को लोकसभा में पेश कर दी गई है। ये वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है। इस रिपोर्ट का अध्याय चार, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित है।

(ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पद दलितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभान्वित वर्गों तक पहुंचे। इस कार्यक्रम के सूत्र सं. क में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अवसरों में सुधार के लिए उपलब्ध योजनाएं समाहित हैं। ये 15-सूत्री कार्यक्रम वेबसाइट पर www.minorityaffairs.gov.in भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि

3939. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर उनके आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं। विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 3% का मौजूदा आरक्षण पर्याप्त है।

[अनुवाद]

सम्मेलन पर्यटन का विकास

3940. डा. एम. जगन्नाथ : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सम्मेलन पर्यटन (कन्वेंशन टूरिज्म) को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों इत्यादि को आयोजित करने हेतु गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहचाने गए शहरों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय भारत तथा विदेश स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से और 'इन्क्रेडिबल इंडिया' अभियान तथा इस विषय पर इंटरएक्टिव सीडीज द्वारा बैठकों, समागम और सम्मेलनों को बढ़ावा दे रहा है। भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता की योजना के अंतर्गत मंत्रालय बड़े और छोटे समागम केन्द्रों की स्थापना में सहायता प्रदान करता है।

समागम केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय की भी वाएबिलिटी गैप फंडिंग की एक योजना है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का पुनर्नामकरण

3941. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुनर्नामकरण किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शेष विमानपत्तनों के पुनर्नामकरण हेतु कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन विमानपत्तनों का पुनर्नामकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों में नागपुर हवाईअड्डा तथा लेह हवाईअड्डों का दिनांक 20.4.05 से क्रमशः डॉ अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा तथा कुशोक बाकुला रिमपोचे टर्मिनल के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है।

(ख) से (घ) निम्नलिखित हवाईअड्डों के पुनःनामकरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं:– औरंगाबाद, भुज, डाबोलिम (गोवा), बड़ोदरा, नांदेड़, रायपुर, गोंडिया, बेलगाम, मदुरै, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, सिल्चर, जोधपुर, अमृतसर, खजुराहो, श्रीनगर, देहरादून, लखनऊ, जयपुर तथा वाराणसी। मौजूदा नीति में घरेलू हवाईअड्डों के नाम सामान्यतया शहरों के नाम पर रखे जाते हैं चूंकि सामान्य यात्री तथा विशेषकर विदेशी पर्यटक तथा अन्य आगन्तुक, जिन्हें वहां की स्थानीय इतिहास की जानकारी नहीं होती है, उनके लिए बेहतर यह होगा कि जहां यह हवाईअड्डे चल रहे हैं वहां उनका नाम उसी शहर के नाम पर रखा जाए जिससे इनके बारे में जानना आसान होगा।

पर्यटन के विकास के लिए निधियों का आबंटन

3942. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों को विशेषकर

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए, राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित एवं जारी की गई;

(ख) क्या उक्त योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई नई योजनाएं तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो ये योजनाएं किस हद तक क्रियान्वित की गई है; और

(घ) उक्त योजना अवधि के दौरान कौन-कौन सी प्रमुख पर्यटन परियोजनाएं आरम्भ की गईं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) पर्यटन के विकास की वैसी योजनाएं जिनमें संशोधित योजनाएं शमिल हैं, और जिन्हें कि 10वीं योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया, निम्नानुसार है:—

1. गंतव्यों तथा परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास
2. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता
3. आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन
4. विदेशी संवर्धन एवं प्रचार
5. घरेलू संवर्धन एवं प्रचार
6. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी
7. आईएचएम्स/एफसीआईज/एनसीएचएमसीटी आदि को सहायता
8. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को आबंटित और अवमुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	6.25	5.00
2.	आंध्र प्रदेश	33	8428.24	7024.90
3.	अरुणाचल प्रदेश	39	6087.85	4995.88
4.	असम	41	6635.61	5248.87
5.	बिहार	26	6632.44	4908.29
6.	चण्डीगढ़	10	508.45	415.93
7.	छत्तीसगढ़	37	7746.70	5452.25
8.	दादर एवं नागर हवेली	4	37.86	32.98
9	दमन एवं द्वीव	9	581.85	469.01
10	दिल्ली	45	7123.36	5709.07
11.	गोवा	7	157.26	135.26
12.	गुजरात	25	3726.79	2669.92
13.	हरियाणा	44	4895.42	3527.75
14.	हिमाचल प्रदेश	55	7134.19	5566.25
15.	जम्मू एवं कश्मीर	64	14020.86	10393.53
16.	झारखंड	12	4280.44	3316.95
17.	कर्नाटक	47	9052.02	6421.04
18.	केरल	61	13809.94	11008.30
19.	लक्षद्वीप	1	7.00	5.60
20.	मध्य प्रदेश	62	9724.34	7707.63
21.	महाराष्ट्र	52	8267.75	6737.33
22.	मणिपुर	17	1162.43	841.11
23.	मेघालय	20	2668.69	2085.36

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	30	6038.02	4782.98
25.	नागालैंड	36	7441.48	6559.08
26.	उड़ीसा	37	7235.39	5487.18
27.	पांडिचेरी	9	1685.16	1348.50
28.	पंजाब	29	5544.82	3807.90
29.	राजस्थान	50	8183.85	6912.14
30.	सिक्किम	49	7496.31	5623.37
31.	तमिलनाडु	62	10345.34	7895.38
32.	त्रिपुरा	21	1702.48	898.13
33.	उत्तर प्रदेश	44	9590.24	7863.17
34.	उत्तरांचल	42	7673.42	6176.25
35.	पश्चिम बंगाल	39	5535.25	4161.07
	कुल	1160	201167.50	156193.36

[अनुवाद]

अर्जुन सेनगुप्त समिति की सिफारिशें

3943. श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व और प्रबंधन के विभाजन तथा कार्यकरण संबंधी पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अर्जुन सेनगुप्त समिति की सिफारिशों को उचित ढंग से कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) डॉ. अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञों के तदर्थ समूह ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सशक्तिकरण के संबंध में अनेक अनुशंसाएं की हैं। सरकार ने ए जी ई की कुछ अनुशंसाएं स्वीकार कर ली हैं और नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों को पूंजीगत व्यय करने, संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना करने, मानव संसाधन प्रबंधन तथा कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरों का अनुमोदन करने के मामले में अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं। स्वामित्व के मुद्दे, सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा, संविधान के अनुच्छेद - 12, संसदीय उत्तरदायित्व तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सतर्कता प्रबंधन आदि जैसे शेष मुद्दों से संबंधित ए जी ई की अनुशंसाओं पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि

3944. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मारकों के अनुरक्षण अथवा उन्हें गोद लेने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि हेतु उद्योग जगत इत्यादि से सहायता मांगी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंधमें उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय संस्कृति निधि का उद्देश्य देश की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण तथा परिरक्षण के कार्य में कार्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करना है। निधि, कार्पोरेट क्षेत्र को, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपनी पसंद के किसी स्मारक के संरक्षण और परिरक्षण के लिए उसे अंगीकार करके राष्ट्रीय संस्कृति निधि को सहायता करने का अनुरोध करती है और यह कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान तथा पर्यवेक्षण में किया जाता है।

कार्पोरेट क्षेत्र की सहायता से स्मारकों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी, प्रत्येक परियोजना हेतु गठित परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा रखी जाती है।

विवरण

क्र. सं.	स्मारक का नाम	कार्पोरेट क्षेत्र का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	जंतर मंतर, नई दिल्ली	मैसर्स अपीजे सुरेन्दा पार्क होटेल्स, नई दिल्ली	अनवरत
2.	लोधी गार्डन मकबरा नई दिल्ली	मै. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	अनवरत
3.	जैसलमेर किला, राजस्थान	विश्व स्मारक निधि न्यूयॉर्क	अनवरत
4.	कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा	इंडियन ऑयल फाउंडेशन और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	अनवरत
5.	ताजमहल, आगरा	मै. इंडियन होटेल्स कं. लि.	अनवरत
6.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली।	आगा खां ट्रस्ट, जेनेवा	परियोजना पूर्ण।
7.	परदेशी सायनागॉग क्लॉक टावर, कोचिन	विश्व स्मारक निधि न्यूयॉर्क	अनवरत

नए पर्यटन गंतव्य

3945. **श्री एन.एन. कृष्णदास :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2007 तक देश के विभिन्न भागों में नए पर्यटन गंतव्यों की स्थापना करने तथा इन्हें नया रूप प्रदान करने हेतु सरकार को प्राप्त होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 2007 तक सरकार द्वारा इसमें से कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत में लागू होने वाली विश्व पर्यटन की नई रूझानों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, पहचान किए गए विद्यमान और नए नए पर्यटन गंतव्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के दौरान, गंतव्यों एवं परिपथों के विकास के लिए 601.65 करोड़ रुपए की राशि की 128 परियोजनाएं स्वीकृत की है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने माइस पर्यटन, चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन, साहसिक पर्यटन, समुद्रतट पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन से संबंधित नए पर्यटन उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए पहल की है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर वाई-मैक्स योजना शुरू करना

3946. **श्री रामनारायण बुधौलिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश में कुछ रेलवे स्टेशनों पर वाई-मैक्स तकनीक के उपयोग हेतु एक योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेलटेल,

सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अंतर्गत चयनित रेलवे स्टेशनों पर वाई-मैक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ब्राडबैंड सेवाओं को मुहैया कराने की योजना बना रही है।

(ग) इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा, रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों के निकटस्थ शहरों/गांवों में ब्राडबैंड सेवाओं और वॉयस आवर इंटरनेट प्रोटोकाल सर्विस मुहैया कराना संभव होगा। स्टेशन हॉट स्पाट जोन बन जाएंगे और कोई भी यात्री जिसके पास उपयुक्त लैपटॉप/अन्य उपकरण हों, स्टेशन पर उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा पाएगा।

(घ) इन सेवाओं को मुहैया कराने संबंधी अवसंरचना पर निवेश निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

आनशोर मार्जिनल फील्ड्स का विकास

3947. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने आनशोर मार्जिनल फील्ड्स के विकास हेतु सेवा करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कोन से ब्लाक पेश किए गए हैं; और

(ग) इन मार्जिनल फील्ड्स का स्वयं विकास नहीं करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित ब्लाकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) कैम्बे बेसिन में खमबेल, पश्चिम बेचराजी और हीरापुर ब्लाक मैसर्स प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड को।

(2) असम-अराकान फ्रंटियर बेसिन में बिहुबार बरसिला, लक्ष्मीजान ब्लाक मैसर्स असम कंपनी लिमिटेड को।

(3) केजी बेसिन में बन्दुमिल्ली ब्लाक मैसर्स हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कंपनी (प्रा.) लिमिटेड को।

(4) चराइदेव असम शेल्फ मैसर्स शिबवाणी आयल एंड गैस एक्सपलोरेशन को।

(5) कावेरी बेसिन में कराइकल, बेडाथेरन और नेवेली ब्लाक और केजी बेसिन में मुलिकिपल्ली, सिटी कट्टापल्ली, चिन्नतनापल्ली, मगटापल्ली और मेडापडु ब्लाक मैसर्स कीरासॉस मेरिटाइम लिमिटेड को।

(6) केजी बेसिन में मानेपल्ली ब्लाक मैसर्स बीजी शर्के कन्सट्रक्शन टैक्नोलॉजी को।

(7) राजस्थान बेसिन में घोटारु, खारातार, बांकिया ब्लाक मैसर्स दीप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को।

इसके अलावा कैम्बे बेसिन में दक्षिण पाटन और कन्बोई ब्लाक मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान कर दिए गए है जिनके लिए संविदा पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ग) ओएनजीसी ने विकास की लागत कम करने के लिए सेवा अनुबंध किए हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में कई परतों में वितरित हाइड्रोकार्बनों की कम मात्रा है और ये वर्तमान आधारभूत सुविधाओं से दूर स्थित हैं।

हथियारों की तस्करी

3948. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के कुछ लोग शस्त्रागार से हथियारों की तस्करी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करायी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) सेना से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हाल में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली है।

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

3949. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र के अभाव में यात्रियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या रेलवे का देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। वर्तमान में देश के 535 जिलों में यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) उपलब्ध है और शेष जिलों में स्वीकृत है।

पारिस्थितिकीय पर्यटन

3950. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री हितेन बर्मन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक पारिस्थितिकीय पर्यटन के संवर्धन तथा पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सरकार को प्राप्त प्रस्ताव कौन-कौन से हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कौन-से प्रस्तावी स्वीकृत किए गए तथा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान पारिस्थितिकीय पर्यटन के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय इको पर्यटन सहित पर्यटन के संवर्धन तथा पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) इको पर्यटन हेतु अवसंरचना विकास सहित मंत्रालय की गंतव्य एवं परिपथ के उत्पाद अवसंरचना विकास योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में 546.00 करोड़ रुपए की निधि निर्धारित है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वारंगल जिले में इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में लकनावरम झील का गंतव्य विकास	468.63

1	2	3	4
		गोल कुंडा कूतुब साहेब मकबरा हकीमपेट-साईओकपेट सराय का विकास	500.00
		भावी कोंडा - थोथला कोन्डा - पावूरलाकोंडा - अप्पीकोंडा बीच परिपथ का एकीकृत विकास	571.93
2.	अरूणाचल प्रदेश	यबगो, डम्बुक लोअर डिबांग घाटी जिले में हेरिटेज स्थल (स्टोन रेम्पर्ट) का संरक्षण	283.22
		दीरक-वाकरो-तेजु-हायूलियांग-वार्लोंग पर्यटक परिपथ का विकास	772.26
		परशुराम कुंड में पर्यटक परिसर का निर्माण	462.68
		पापुमपारे के होलांगी में पर्यटक रिजॉर्ट का विकास	167.14
3.	असम	एकीकृत कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	454.28
		कामाख्या और हेल्प के सैटेलाईट पिलग्रिमेज टाऊनशिप का विकास	436.54
		शिवसागर का विकास	369.05
		ओरांग-तेजपुर-भालुकपोंग-विश्वनाथ-चेरयाली-गोहपुर पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	798.00
		ब्रहमपुत्र रिवर फ्रंट का गंतव्य विकास और क्रूज वैसल	365.52
4.	बिहार	बोधगया-राजगीर-नालंदा पर्यटक परिपथ का विकास	922.42
		सुलतान गंज से देवगढ़ के कांवडिया रूट परिपथ का विकास	443.12
5.	छत्तीसगढ़	बेगा परिपथ का एकीकृत विकास	683.80
		राजमेरगढ़ (अमरकंटक) का अवसंरचना और गंतव्य विकास	275.73
		मलहार का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	216.21
		राजीम का अवसंरचना और गंतव्य विकास	295.95
		जगदलपुर-नगरनार माचकोटे-कुलचा-कोलेंगे के पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	730.20
		चित्रकोट का विकास	278.45
		कमार पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	562.86
		भोरामदेव का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	331.97

1	2	3	4
6.	गुजरात	जूनागढ़-वेरावल-पोरबंदर-द्वारका के पर्यटक का एकीकृत विकास	329.83
7.	हरियाणा	बड़खल झील का विकास	181.13
		पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर परिपथ का विकास	1630.03
8.	हिमाचल प्रदेश	रूहरू और चांशाल का विकास	260.00
		साराहन और श्रीखंड का विकास	416.00
		धर्मशाला का विकास	340.00
		हिमाचल प्रदेश में धार्मिक परिपथ का विकास	780.00
		मंडी-विलासपुर परिपथ का विकास	800.00
9.	झारखण्ड	रांची-राजराप्पा-हजारी बाग - इटखोरी पर्यटक परिपथ का विकास	775.00
		साहेबगंज राजमहल का विकास	131.47
		देवगढ़ का विकास	417.57
10.	कर्नाटक	धारवाड़ सिटी के बारो सधनाकेरी पार्क का सौन्दर्यीकरण	308.22
		बंगलौर के समीप (घाटी के भाग) मुथालामाडु का विकास	293.81
		जोगफाल्स के लिंगनामक्की बगीचे के गंतव्य विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	494.98
		वाइल्डरनेस पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	226.88
11.	केरल	नेयार बांध का गंतव्य विकास	302.53
		कुमारकोम का गंतव्य विकास	234.35
		पदमानाभापुरम पैलेस कॉम्पलेक्स का गंतव्य विकास	308.19
		नैयार - पनमुडी - थेनमाल्स - कोन्नी - गावी - थेक्काडी - मुन्नार - चिन्नार - परंबिकुलम - नेलकिलियपथी - नैयार वाइल्ड लाइफ सेन्चूरी पर इको टूरिज्म परिपथ का विकास	581.78
		इरीनागल के शिल्प ग्राम के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	392.00
		मलनकारा बांध का गंतव्य विकास	332.41

1	2	3	4
		वजहनी का गंतव्य विकास	305.54
		वागामन का गंतव्य विकास	334.46
		इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में रानीपुरम का विकास	357.08
		एक पर्यटक गंतव्य के रूप में पीची का विकास	131.93
		धर्माडोम टापू और मुजहापी लंगाड बीच का गंतव्य विकास	356.00
		थलासेरी और उसके चारों ओर हेरिटेज परिपथ का विकास	429.62
12.	मध्य प्रदेश	माडूं का गंतव्य विकास	471.74
		नर्मदा परिक्रमा परिपथ भाग-II का गंतव्य विकास	774.99
		नर्मदा परिक्रमा परिपथ भाग-I के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	665.00
		एक पर्यटक परिपथ के रूप में पन्ना का विकास	421.36
		जबलपुर का गंतव्य विकास	460.43
		एक पर्यटक गंतव्य के रूप में भोपाल का विकास	499.47
		मेहर का विकास	296.79
13.	महाराष्ट्र	नए महाबलेश्वर हिल स्टेशन का विकास	15.00
		मुंबई किला परिपथ का एकीकृत विकास	728.44
		कुनकेश्वर का गंतव्य विकास	314.04
		महाबलेश्वर चरण-II अवसंरचना और गंतव्य विकास	480.57
		कोल्हापुर परिपथ का एकीकृत विकास	704.03
		औरंगाबाद कला और शिल्प केन्द्र का विकास	442.16
14.	मणिपुर	इम्फाल में इको टूरिज्म पार्क का विकास	345.29
		इम्फाल में पर्यटक गंतव्य विकास	418.00
15.	मेघालय	तुरा पर्यटक गंतव्य का विकास	487.00
		विलियम नगर-जकारेम-नरतियानर-जोवाई का परिपथ विकास	800.00

1	2	3	4
16.	मिजोरम	चलफीही लांग पर्यटक गंतव्य का विकास	499.00
		अईजोल में छतलांग का विकास	487.45
		पूर्वी पर्यटक परिपथ-केईतुम-एन । वनलईफई-पूर्वी लुंगदार-खाओगंग-फरकान-जोखाथार-हनलान का विकास	782.78
		दक्षिणी पर्यटक परिपथ हरांगचालकांग-तुईपुई-लांगतिया-सईया-वामबुक-संगाऊ-ओथावनाथई का विकास	768.10
17.	नागालैंड	जुनेहबोटो-तुएंगसान किफरी का परिपथ विकास	678.66
		आईजुटो-जुनेहबोटो का विकास	438.94
		टुओफेमा का गंतव्य विकास	464.72
		गवर्नर्स कैम्प (वोरखा)-नुई लैंड-आलीकेई का परिपथ विकास	728.00
18.	सिक्किम	लेपचा हेरिटेज सेंटर का परिपथ विकास	171.22
		पूर्वी सिक्किम के सांग में तीर्थ पर्यटन एवं अन्य अवसंरचना का विकास	375.55
		सर्मसा का गंतव्य विकास	452.55
		यांगयांग/धापड़ से घाले डुंग तक ट्रैकिंग ट्रेल	115.07
		पश्चिमी सिक्किम में सोरेंग का विकास	498.96
		अरितर, फोडोंग में पर्यटक अवसंरचना का विकास	145.17
		सोंगमो में सौन्दर्यीकरण और पर्यटन अवसरंचना	384.64
		बोजे में कामिनीटी पार्क और ही पुल में वाटर गार्डन का विकास	441.81
19.	उड़ीसा	शिमलीपाल का विकास	297.12
		चंडीपुर - तलसराइ - उदयपुर - चंदनेश्वर - रेमुना - पंचलिंगेश्वर - नीलागिरी परिपथ का विकास	800.00
		कोरापुट परिपथ:- कोरापुट - दयोमाली - जेतोरी - उपरकोलाब - गुप्तेश्वर का विकास	692.00
		भीतरकनीका में इको टुरिज्म का विकास	382.22

1	2	3	4
		सतकोषीया का विकास	424.50
		गोपालपुर ऑन सी का विकास	115.00
		चीलका झील का विकास	389.00
		साखी गोपाल का विकास	166.92
20.	पॉडिचेरी	महे के नदी स्थल और तट का विकास	500.00
21.	पंजाब	फ्रिडम ट्रेल का विकास	784.45
		पंजाब में धार्मिक परिपथ का विकास	800.00
		कपूरथला का विकास	361.00
		रुपनगर का विकास	331.27
22.	राजस्थान	उदयपुर का विकास	276.68
		गंगरोलपुर किले का संरक्षण, अनुरक्षण और पुर्नबहाली	281.71
		जैसलमेर का विकास	315.45
23.	तमिलनाडु	एक गंतव्य के रूप में मदुराई का विकास	478.03
		एक गंतव्य के रूप में पुलियानचोलाई का विकास	97.02
		चेन्नई-कॉचीपुरम-थीरुकाजुपुन्डरम-मामलापुरम पर्यटक परिपथ का विकास	452.78
		कन्याकुमारी का गंतव्य विकास	258.52
		तंजावुर का गंतव्य विकास	427.46
24.	त्रिपुरा	चतुर्भुज देवतरी में गंतव्य विकास	274.00
25.	उत्तरांचल	जमनोत्तरी धाम का विकास	448.99
		बिनसर - बैजनाथ - बागेश्वर का विकास	728.54
		कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट का विकास	371.15
		कुमांऊ क्षेत्र के 7 स्थानों में मार्गस्त सुविधाएं	73.58
		हरिद्वार - ऋषिकेश का विकास	557.50

1	2	3	4
26.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों का विकास	497.04
		आगरा पश्चिम द्वारा प्रवेश का विकास	758.00
		वाराणसी का जीर्णोद्धार	786.00
		सीमोनी पर्यटक कम्प्लेक्स का विकास	397.86
		मथुरा में ब्रजचोरासी कोस परिक्रमा पर्यटक परिपथ का विकास	441.53
		महाभारत पर्यटक परिपथ का विकास	445.63.
		आगरा पश्चिम द्वार प्रवेश चरण-I का विकास	613.60
		राम की पौढ़ी अयोध्या का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	112.82
47.	पश्चिम बंगाल	उत्तरी बंगाल में चाय पर्यटक परिपथ का विकास	715.85
		दार्जिलिंग, जोरपोखारी में नाइट सफारी पार्क	15.00
		कालिंमपोंग का विकास	498.38
		गोकी में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं	355.49
		पूर्वी मेदनीपुर जिले में बीच पर्यटक परिपथ का विकास	598.02
		जलपाईगुरी जिले में ईस्टर्न दोआर्स पर्यटक परिपथ का विकास	683.58

भटिंडा रिफायनरी

3951. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 2007 के दैनिक "ट्रिब्यून" में भटिंडा रिफायनरी हिट्स एफ डी आई रोडब्लाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिफायनरी का कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) रिफायनरी के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या निर्माण कार्य को पूरा करने संबंधी समय सारणी में परिवर्तन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई आई एल) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) के रूप में नियुक्त किया गया है। मैसर्स एस बी आई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (एस बी आई सी ए पी) ने परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन किया है और वे परियोजना के लिए ऋण व्यवसायी संघ आवश्यकता हेतु मुख्य प्रबंधक हैं। भूमि सुधार, चारदीवारी, कार्यस्थल मार्ग और निकासी, कच्चे पानी की आपूर्ति, रिफाइनरी कार्यस्थल को संपर्क मार्ग इत्यादि जैसे आधारभूत सुविधा कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कई अन्य आधारभूत सुविधा कार्य किए जा रहे हैं। बिना लाइसेंस की इकाइयों हेतु आधारभूत डिजाइन अभियांत्रिकी पैकेज ई आई एल द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। विस्तृत अभियांत्रिकी कार्य प्रगति पर है। रिफाइनरी कार्यस्थल पर विभिन्न इमारतों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) ई आई एल द्वारा आकलित परियोजना का कार्यक्रम कार्यकलापों के दोबारा आरम्भ होने की तारीख से 48 महीने है और सितम्बर, 2010 तक यांत्रिक पूर्णता का लक्ष्य है। पंजाब सरकार के साथ आश्वासन विलेख करने के अनुसरण में परियोजना की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार है।

(छ) परियोजना की प्रगति की सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है जिससे इसकी समय पर पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए गए "समझौता ज्ञापन" में सम्मिलित किए गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास

3952. श्री चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ समझौता करके देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार और विकास में तेजी लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की सरकारों के लिए क्या भूमिका निश्चित की गई है; और

(घ) अभी तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु क्या-क्या समझौते किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और विकास में तेजी लाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी योजना स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, प्रयोगशालाओं और शीतश्रृंखला तथा मेगा खाद्य पार्कों जैसी बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ मूल्यवर्धित निर्यात और सहयोग को सुगम बनाना है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में फ्रांस सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। तथापि फ्रांसिसी मंत्री श्री निकोलस फोरिसयर की अगुआई में कारोबार प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान, मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना करने, देश में वाइन क्षेत्र के विकास, शीतश्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, मांस प्रसंस्करण के संबंध में प्रौद्योगिकी सहयोग आदि के क्षेत्र में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

अमरीका से मिलिट्री कार्गो विमान की खरीद

3953. श्री रविन्दर कुमार राणा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका से छह मिलिट्री कार्गो विमान खरीदने हेतु कोई समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानों की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वायु सेना के लिए सी-130 जे परिवहन विमान की आवश्यकता को देखते हुए दिसंबर, 2006 में अमरीकी सरकार को एक अनुरोध पत्र जारी किया गया है।

(ख) और (ग) विमान की खरीद हेतु कोई संविदा नहीं की गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

3954. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के अनुरक्षण और रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त स्मारकों से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) उड़ीसा में 78 स्मारक/स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित है:–

2004-05	388.17 लाख रुपए
2005-06	296.35 लाख रुपए
2006-07	298.98 लाख रुपए

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव के लिए 325.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें से अब तक 34.98 लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में टिकट वाले (टिकटेड) स्मारकों से निम्नलिखित राजस्व अर्जित किया गया है:–

2004	123.46 लाख रुपए
2005	120.81 लाख रुपए
2006	150.03 लाख रुपए

विवरण

उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की विस्तृत सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	चौसट्टी जोगिनी मंदिर साथ में तीन लघु वेदियां	इजरायल	बोलनगीर
2.	ध्वस्त गढ़ी	अगरहट, बंडल्स, चौदार, छत्तीसा, गोवन्दजीव पटना, जाज, भरीयब, कपलेश्वर, केदारेश्वर मुंडमल	कटक
3.	बौद्ध मंदिरों तथा प्रतिमाओं के अवशेष	बंडरेश्वर	कटक
4.	भुवनेश्वर महादेव मंदिर	भावनीपुर (बलिया तालुक)	कटक
5.	बौद्ध काल की बहुमूल्य मूर्तिकलाओं, प्रतिमाओं तथा शिलालेखों वाली पहाड़ी चोटी पर महाकाल पर एक मठ और एक छोटा मंदिर है।	चांडिया	कटक

1	2	3	4
6.	बाराबटी गढ़ी के प्राचीन स्मारक तथा सभी प्राचीन प्रवेश द्वारों आदि के खंडहर एवं अवशेष, मस्जिद	कटक	कटक
7.	सारनगढ़ के रूप में स्थानीय तौर पर मशहूर चूरनगढ़ किला जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत इलाका शामिल नहीं है।	दाधापटना	कटक
8.	उप संभागीय आफिसर्स क्वार्टस परिसर, जाजपुर की चार विराट प्रतिमाएं नामत: 1. चामुंडा, 2. इंद्राणी, 3. कलियुग, 4. बाराहो	जाजपुर	कटक
9.	तीन बौद्ध प्रतिमाएं	जाजपुर	कटक
10.	बौद्ध मंदिरों एवं प्रतिमाओं के अवशेष	नलटीगिरी (ललितगिरी)	कटक
11.	अनेक बहुमूल्य मूर्तिकलाओं एवं प्रतिमाओं से संपन्न पहाड़ी	रत्नागिरी	कटक
12.	स्थानीय तौर पर अथरनुल्ला एवं टेंटुलीमल के नाम से मशहूर महरट्टा सेतु (18 तोरण वाला सेतु)	सिरियापुर	कटक
13.	चंडेश्वर स्तंभ नामक पाषाण	सिरियापुर	कटक
14.	सिंहनाथ महादेव मंदिर	सीमहनथा, पीथा, मौजा, गोपीनाथपुर	कटक
15.	पंच पांडव मंदिर	गनेश्वरपुर	कटक
16.	दुर्गा मंदिर	बैदेश्वर	कटक
17.	बनेश्वरनासी स्थित प्राचीन स्थल	पदमल पट्टाना	कटक
18.	महिमामणि मंदिर	रगड़ी (बंकी)	कटक
19.	चौदार स्थित प्राचीन स्थल	चौदर	कटक
20.	ब्रिंगेश्वर महादेव मंदिर	बाजराकोट	धेनकनाल
21.	राक कट विष्णु	रसोल	धेनकनाल
22.	गंगाधर स्वामी मंदिर	कोटाकोला	गंजम
23.	जगदीश्वर स्वामी मंदिर	कोटाकोला	गंजम
24.	भीम मंदिर	महेन्द्रगिरी	गंजम

1	2	3	4
25.	कुंती मंदिर	महेन्द्रगिरी	गंजम
26.	युद्धिष्ठिर मंदिर	महेन्द्रगिरी	गंजम
27.	जौगडा स्थित अशोक के शिलालेख	पांडया	गंजम
28.	प्रागैतिहासिक स्थल	बैद्यापुर	म्यूरभंज
29.	प्राचीन किले के खंडहर	हरीपुरगढ़	म्यूरभंज
30.	प्रागैतिहासिक स्थल	कुचाई	म्यूरभंज
31.	प्रोगतिहासिक स्थल	कुलीयाना	म्यूरभंज
32.	रावण छाया के नाम से स्थानीय तौर पर मशहूर प्रस्तर चित्रकारी तथा अन्य प्राचीन स्मारक एवं अवशेष	सीताभांजी	केनझार
33.	असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल	असुरगढ़	कालाहांडी
34.	नीलमाधव और सिद्धेश्वर मंदिर	गन्धारघी	फुलबनी
35.	पश्चिम सोमनाथ, भुवनेश्वर तथा कपिलेश्वर मंदिर	बौद्ध	फुलबनी
36.	भास्करेश्वर मंदिर	बारागढ़	पुरी
37.	ब्रह्मेश्वर मंदिर तथा अहाते में स्थित इसकी मीनार वेदियां	बारागढ	पुरी
38.	नाबकेश्वर मंदिर	बारागढ	पुरी
39.	रामेश्वर मंदिर	बारागढ	पुरी
40.	माघेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार वेदिया	बेसुआघई	पुरी
41.	अनंत वासुदेव मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
42.	वकेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
43.	चित्रकर्णी मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
44.	जामेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार वेदी	भुवनेश्वर	पुरी
45.	भगवान लिंगराज मंदिर तथा परिसर के सभी मीनार मंदिर नामत:		
	1. अम्मानिया कुआं	भुवनेश्वर	पुरी

1	2	3	4
	2. अष्ट मूर्ति		
	3. चंडेश्वर देव		
	4. गोपलुनि मंदिर		
	5. लडुकेश्वर मंदिर		
	6. पार्वती मंदिर		
	7. सावित्री देवी मंदिर		
	8. सकरेश्वर मंदिर		
	9. सती दोसी मंदिर		
46.	मैत्रेश्वर मंदिर तथा परिसर के सभी मीनार मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
47.	मकरेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार	भुवनेश्वर	पुरी
48.	मरकंडेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार	भुवनेश्वर	पुरी
49.	मुक्तेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार किंतु मुरिच कुंड शामिल नहीं	भुवनेश्वर	पुरी
50.	परम गुरु मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
51.	पापनाशिनी कुंड	भुवनेश्वर	पुरी
52.	परशुरामेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
53.	राजारानी मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
54.	सहस्रलिंग कुंड	भुवनेश्वर	पुरी
55.	सारी देउल	भुवनेश्वर	पुरी
56.	सिधेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
57.	शिशिरेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
58.	वाराही मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
59.	अशोक के शिलालेख तथा हाथी की मूर्ति	धौली	पुरी

1	2	3	4
60.	लघु राक कट सेल तथा ताखा और शांतिकर का एक शिलालेख	धौली	पुरी
61.	महामाया मंदिर के नाम से मशहूर चोसठ योगिनी मंदिर	हीरापुर	पुरी
62.	खंडागिरि पहाड़ की चोटी पर स्थित पारसनाथ मंदिर को छोड़कर उदयगिरी तथा खंडागिरि पहाड़ पर स्थित प्राचीन गुफाएं, दाचे तथा अन्य स्मारक या अवशेश तथा बड़ाभुजी एवं त्रिशूल गुफाओं के सामने स्थित मंदिर भी	जगमरा	पुरी
63.	सूर्य मंदिर	कोणार्क	पुरी
64.	अठारह नाला सेतु नाम से मशहूर मधुपुर झरने पर स्थित पुल	पुरी	पुरी
65.	श्री जगन्नाथ मंदिर तथा गौण वेदियां	पुरी	पुरी
66.	दक्ष प्रजापति मंदिर	रघुनाथपुर	पुरी
67.	रैम्पर्ट के अंदर-बाहर प्राचीन अवेशष	शिशुपालगढ़	पुरी
68.	विक्रमखोल शिलालेख	विक्रमखो	संबलपुर
69.	धर्म महाकाल मंदिर	रत्नागिरी	जाजपुर
70.	जगन्नाथ मंदिर	जाजपुर टाऊन	जाजपुर
71.	त्रिलोचनेश्वर मंदिर	जाजपुर टाऊन	जाजपुर
72.	वाराहनाथ मंदिर	जाजपुर टाऊन	जाजपुर
73.	बौद्ध स्थल (उत्खनित)	उदयगिरी	जाजपुर
74.	प्राचीन बौद्ध स्थल, लंगुडी हिल	मौजा पानी मुहानी फाजिलपुर तथा सालीपुर, तहसील-धर्मशाला	जाजपुर
75.	कपिलेश्वर महादेव मंदिर	हतुआरी	धेनकनाल
76.	चन्द्रशेखर मंदिर (स्मारक समूह तथा प्राचीन सीढ़ियां)	योगपीठ कपिलास	धेनकनाल
77.	अन्नाकोटेश्वर मंदिर	लातादैपुर	धेनकनाल
78.	अनंतशायी विष्णु	सारंगा	धेनकनाल

आर आई एल द्वारा आटो एल पी जी की बिक्री

3955. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार से अपनी जामनगर रिफाइनरी से आटो एल पी जी की बिक्री करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने, सरकारद्वारा संचालित रिफाइनरियों पर प्रस्तावित रिलायंस आटो एल पी जी के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या योजना बनाई गई है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) जी हां। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

निजी भागीदारी से गैर-मैट्रो विमानपत्तनों का विकास

3956. श्री अमिताभ नन्दी :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से 35 गैर-मैट्रो विमानपत्तनों को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मजदूर संघ के कुछ नेताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) टर्मिनल बिल्डिंग सहित 35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण तथा विकास का कार्य करेगी। इन 35 गैर-मैट्रो हवाई अड्डों में से कुछ चुने गए हवाई अड्डों के सिटी साईड का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ (एएईयू) ने गैर मेट्रो हवाई अड्डों के निजीकरण मार्ग द्वारा आधुनिकीकरण किए जाने पर विरोध किया है।

(ङ) उपरोक्त (क)और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पुरी-गुवाहाटी एक्सप्रेस का मिदनापुर स्टेशन पर ठहराव

3957. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5639/5640 पुरी-गुवाहाटी एक्सप्रेस का मिदनापुर स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे को उक्त ट्रेन को मिदनापुर स्टेशन पर ठहराव दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ङ) जांच की गई, परंतु वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) जी हां। माननीय संसद सदस्य सहित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें

3958. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्टेशनों पर गुणवत्तापरक वाटर वेंडिंग मशीनें लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र में राज्यवार/जोनवार किन-किन स्टेशनों पर ऐसी मशीनें लगाई जानी हैं, उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। इन मशीनों की स्थापना भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा महाराष्ट्र राज्य के स्टेशनों सहित देश के विभिन्न स्टेशनों पर वित्तीय अर्थक्षमता तथा स्थान की उपलब्धता के मद्देनजर निविदा प्रणाली के तहत की जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी-निजी भागीदारी के तहत हाई स्पीड ट्रेन

3959. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सरकारी-निजी भागीदारी से हाई स्पीड ट्रेन कॉरीडोर स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त कॉरीडोर शुरू करने के लिए सेक्टरों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में प्रत्येक में उच्च गति वाले कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूर्व व्यावहारिता अध्ययन कराने के लिए निर्णय लिया गया हैं इन कॉरीडरों के क्रियान्वयन के स्तर पर, सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। उच्च गति वाले कॉरीडोर के निर्माण के लिए अभी तक किसी भी खंड को चिन्हित नहीं किया गया है।

नमक की मालभाड़ा दर पर छूट

3960. श्री हरिन पाठक :

श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :

श्री महेश कनोडीया :

श्री जसुभाई धानाभाई बारड :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने इस वर्ष नमक की मालभाड़ा दर में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानवीय उपयोग के लिए साधारण नॉन-रिफाइंड नमक की बुकिंग के लिए माल भाड़ा दरों में रियायत पहले से ही मौजूद है।

[हिन्दी]

फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से स्थानान्तरण और नियुक्ति

3961. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या रेल मंत्री फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्तियों के बारे में 14 दिसंबर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3170 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जानकारी कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) दिनांक 14.12.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3170 के उत्तर में लोकसभा में दिए गए आश्वासन की प्रतिपूर्ति में 8.3.2007 को जानकारी पहले ही दे दी गई है। बहरहाल, उसे यहां दोहराया जा रहा है:–

विगत एक वर्ष के दौरान ऐसे 85 मामले (स्थानांतरण के 7

तथा नियुक्ति के 78) रेलवे की जानकारी में आए। इन मामलों की स्थिति निम्नलिखित है:—

— सेवा से हटाया जाना - 9

— सेवा से बरखास्त करना - 5

— सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति - 1

— सुविधा पास का एक सेट रोकने का दंड लगाना गया- 1

— जांच के बाद मामले को बंद कर दिया गया - 10

[अनुवाद]

ईरान के साथ एल एन जी सौदा

3962. श्री खाडिग्रा रामकृष्णा :
श्री रेवती रमन सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईरान से 5 मिलियन टन एल एन जी खरीदने के लिए पिछले वर्ष जून में तय किए गए मूल्य से 50% अधिक मूल्य का भुगतान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत द्वारा कितना अतिरिक्त राजस्व भार वहन किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त सौदे से क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ईरान से 5 एम एम टी पी ए एल एन जी का प्रस्तावित आयात विभिन्न विद्युत, उर्वरक और अन्य क्षेत्र की इकाईयों की ईंधन और फीडस्टॉक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

[हिन्दी]

मछलियों का प्रसंस्करण

3963. श्री रामदास आठवले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में मछलियों के अनुरक्षण और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मछलियों के प्रसंस्करण हेतु शीतगारों के निर्माण और मशीनें खरीदने हेतु निजी उद्यमियों तथा अन्य एजेन्सियों का सहायता अनुदान देने हेतु कोई योजना चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी सहायता अनुदान राशि अनुमोदित की गई;

(ङ) किन-किन कंपनियों/निजी उद्यमियों और एजेंसियों, विशेषकर महाराष्ट्र की, के लिए मछली प्रसंस्करण मशीन खरीदने हेतु अनुदान अनुमोदित किया गया; और

(च) इस संबंध में अन्य राज्यों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र समेत देश में मछली के परिरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओ के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 10वीं योजना के दौरान अपनी योजना स्कीमों के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास, खाद्य पार्क, पैकेजिंग केंद्र, मछलियों के परिरक्षण के लिए समेकित शीतश्रृंखला सुविधाओं का उन्नयन कर रहा है। इसमें मछली प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है और सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप और समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है, सहायता अनुदान के रूपमें वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, पशुपालन, डेरिंग और मात्स्यिकी विभाग ने

10वीं योजना के दौरान अन्यों के साथ-साथ फुटकर बिक्री कियोस्क, एक्वा दुकानों, उष्मारोधी/प्रशीतित वाहनों, मछली प्रदर्शन पेटिकाओं जैसे मछली परिरक्षण और विपणन बुनियादी ढांचा सुविधा के विकास के लिए "फसलोत्तर बुनियादी ढांचा विकास को सुदृढ़ करने" संबंधी घटक समेत समुद्री मात्स्यिकी बुनियादी सुविधा और फसलोत्तर परिचालनों के विकास संबंधी केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मात्स्यिकी में बुनियादी ढांचा विकास, परीक्षण किट और मिनी प्रयोगशालाओं संबंधी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान मछली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई सहायता अनुदान की राशि के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I पर दी गई है। वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ङ) महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान मैसर्स पार्टीटाइम आइस प्राइवेट लिमिटेड, एम आई डी सी, पनवेल, नवी मुंबई को 25 लाख रु. की सहायता दी गई है।

(च) संगत संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

विवरण-I

(धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		यूनिटों की संख्या	जारी धनराशि	यूनिटों की संख्या	जारी धनराशि	यूनिटों की संख्या	जारी धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	9	191.88	3	56.84	2	50.00
2.	गोवा	1	25.00	2	47.57	1	22.58
3.	गुजरात	1	24.12	1	24.12	—	—
4.	कर्नाटक	3	56.19	1	25.00	1	50.00
5.	केरल	3	48.36	3	49.79	4	103.29
6.	महाराष्ट्र	1	25.00	—	—	—	—
7.	मणिपुर	—	—	—	—	2	11.15
8.	उड़ीसा	2	50.00	—	—	1	25.00
9.	तमिलनाडु	2	30.98	4	87.30	4	46.03
10.	पश्चिम बंगाल	2	46.41	1	12.10	3	68.87
	कुल	24	497.94	15	302.72	18	382.92

विवरण-II

(लाख रु. में)

निम्नलिखित के लिए स्कीम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय
पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों के लिए सब्सिडी	55	413.4	64	576.57	35	369.15	35	519.68	60	930.8
लघु प्रयोगशालाओं के लिए सब्सिडी	30	14.65	13	8.31	18	11.56	11	8.09	8	4.51
त्वरित परीक्षण कीटों के लिए सब्सिडी.	—	—	3	2.6	13	11.88	6	5.45	6	5.83

विवरण-III

वर्ष	राज्य	क्रम संख्या	कंपनी का नाम
1	2	3	4
2004-05	आंध्र प्रदेश	1.	मै. नेक्कांती सी फूड्स
		2.	मै. आनंदा फूड्स
		3.	मै. स्वर्ण रेखा एक्सपोर्ट्स् प्रा.लि.
		4.	मै. वैभव सी फूड्स
		5.	मै. अपेक्स एक्सपोर्ट्स
		6.	मै. गायत्री सी फूड्स
		7.	मै. वैभव सी फूड्स
		8.	मै. अपेक्स एक्पोर्टस्
		9.	मै. जगदीश मेरीन एक्सपोर्ट्स्
	गोवा	10.	मै. उल्का सी फूड्स
	गुजरात	11.	मै. सिल्वर सी फूड्स
	कर्नाटक	12.	मै. ब्लू वाटर फूड्स एंड एक्सपोर्ट्स
		13.	मै. एक्वा फ्रेश फूड्स
		14.	मै. इंडो फिशरिज़
	केरल	15.	मै. चेरुकट्टू इंडस्ट्रीज
		16.	मै. मंगला सी प्रोडक्ट्स
		17.	मै. कैपिथन एक्सपोर्टिंग कंपनी

1	2	3	4
	महाराष्ट्र	18.	मै. पार्टी टाइम आइस प्रा. लि.
	उड़ीसा	19.	मै. फॅल्कॉन मैरीन एक्सपोर्ट्स
		20.	मै. फॅल्कॉन मैरीन एक्सपोर्ट्स
	तमिलनाडु	21.	मै. वाटर बेस लि.
		22.	मै. अब्द ओवरसीज़ प्रा. लि.
	पश्चिम बंगाल	23.	मै. राजबन सी फूड्स
		24.	मै. विजय इम्पैक्स
2005-06	आंध्र प्रदेश	25.	मै. एमएसएसी मैरीन एक्सपोर्ट्स
		26.	मै. गायत्री सी फूड्स
		27.	मै. जगदीश मैरीन एक्सपोर्ट्स
		28.	मै. क्वालिटी फूड्स
		29.	मै. उल्का सी फूड्स
	गुजरात	30.	मै. सिल्वर सी फूड्स
	कर्नाटक	31.	मै. इंडो फिशरिज़
	केरल	32.	मै. कैपिटन एक्सपोर्टिंग कंपनी
		33.	मै. रबिया सी फूड्स
		34.	मै. एबीएम मैरीन्स
	तमिलनाडु	35.	मै. एश्वर्य सी फूड्स
		36.	मै. बेबी मैरीन फूड्स
		37.	मै. इग्राम फ्रोजन फूड्स
		38.	मै. गडरे मैरीन एक्सपोर्टर्स
	पश्चिम बंगाल	39.	मै. एमएम आइस प्रा.लि.
2006-07	आंध्र प्रदेश	40.	मै. वैल्कम फिशरिज
		41.	मै. एमएससी मैरीन एक्सपोर्टस्
	गोवा	42.	मै. क्वालिटी फूड्स
	कर्नाटक	43.	मै. ब्लू वाटर फूड्सएंड एक्पोर्टस्
	केरल	44.	मै. प्रीमियम मैरीन इन्टरप्राइजेज
		45.	मै. के के एक्पोर्टर्स
		46.	मै. इंटरनेशनल फेजफिश
		47.	मै. अन्स इंडियन अरोमा
	मणिपुर	48.	मै. यूथ प्रोग्रेसिव आर्गनाइजेशन
		49.	मै. सोशल डवलपमेंट एड्डूकेशनल आर्गनाइजेशन
	उड़ीसा	50.	मै. टी के मैरीन
	तमिलनाडु	51.	मै. इग्राम फ्रोजन फूड्स
		52.	मै. एश्वर्य सी फूड्स
		53.	मै. ब्रिटो एक्सपोर्टस्
		54.	मै. बेबी मैरीन फूड्स
	पश्चिम बंगाल	55.	मै. सी फूड्स
		56.	मै. कोलकाता सी फूड्स
		57.	मै. शीम्पो एक्सपोर्टस्

भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना

3964. श्री दानवे राव साहेब पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय युवा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में अपनी रूचि खो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय युवाओं में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यक्रम/अभियान चलाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संस्कृति मंत्रालय, भारतीय कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कई स्कीमों/कार्यक्रमों को चलाता है। इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना अवधि के दौरान, भारतीय संस्कृति और विरासत के विषय में जागरूकता के संवर्धन और प्रसार की एक नई योजना स्कीम का भी प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) नांदेड़ (महाराष्ट्र) में एक बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव दिसंबर, 2006 में मंजूर किया गया है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में, प्रथम किस्त के रूप में 150 लाख रु. का अनुदान जारी किया गया है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

***3965. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के क्षेत्र में इस समय कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं;

(ख) क्या केरल सरकार ने राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले में पुवार-कोवलम तटीय रेखा के पास पर्यटन हेतु एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान करने और सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) शून्य

(ख) और (ग) वेलि-कोवलम-पुवार क्षेत्र में एक पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए, केरल की राज्य सरकार से एक अवधारणा प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। तथापि, पर्यटन मंत्रालय में ऐसे क्षेत्रों की स्थापना हेतु कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का रख-रखाव

3966. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के रख-रखाव हेतु राजयवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त राशि को समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे पर्यटन स्थलों के रख-रखाव का काम निजी संस्थानों/एजेंसियों को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा गत दो वर्षों के दौरान, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के नवीकरण और जीर्णोद्धार सहित अवसंरचना के विकास के लिए स्वीकृत और अवमुक्त धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों द्वारा भी परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है और पूर्व किस्त की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही, दूसरी किस्त रिलीज की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाओं का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2005-06			वर्ष 2006-07		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	2615.82	1700.00	3	1540.56	1195.44
2.	असम	10	2140.00	1698.45	9	2453.39	1813.21
3.	अरूणाचल प्रदेश	10	2240.16	1655.21	12	1887.80	1497.24
4.	बिहार	3	1212.23	722.49	2	1937.29	974.59
5.	छतीसगढ़	7	1775.59	1436.54	16	3540.17	2491.12
6.	गोवा	1	10.00	8.00	0	0.00	0.00
7.	गुजरात	5	2011.58	1169.04	7	443.65	359.51
8.	हरियाणा	7	639.71	515.77	5	1836.16	902.39
9.	हिमाचल प्रदेश	6	1645.00	921.00	8	1871.00	1226.13
10.	जम्मू व कश्मीर	22	6656.01	5320.31	29	5233.82	3392.90
11.	झारखंड	5	1227.27	697.76	3	956.35	769.99
12.	कर्नाटक	8	1706.52	1001.21	4	1323.89	1081.81
13.	केरल	13	4858.88	3889.90	18	4474.02	3441.61
14.	मध्य प्रदेश	12	3047.39	2419.54	10	3668.47	2797.75
15.	महाराष्ट्र	9	2075.04	1662.99	13	2839.05	2271.98
16.	मणिपुर	2	49.80	39.84	9	939.35	647.48

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	1	5.00	4.00	9	1435.29	1147.93
18.	मिजोरम	10	2273.41	1687.29	9	2613.38	2040.80
19.	नागालैंड	9	2528.97	1873.17	8	2340.32	1862.51
20.	उड़ीसा	10	2309.61	1586.44	13	2826.84	1974.66
21.	पंजाब	5	1437.67	1150.13	13	3223.37	1968.68
22.	राजस्थान	7	2591.87	2086.40	8	953.84	763.06
23.	सिक्किम	14	2844.56	2213.74	13	2609.42	1647.77
24.	तमिलनाडु	19	4264.62	3007.68	11	1866.41	1496.87
25.	त्रिपुरा	3	716.26	569.43	4	291.27	96.01
26.	उत्तरांचल	13	2738.00	2193.18	16	1907.50	1434.34
27.	उत्तर प्रदेश	18	3905.23	3126.03	7	3329.06	2663.24
28.	पश्चिम बंगाल	5	989.35	792.48	10	2978.32	2195.35
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	6.25	5.00	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	1	13.70	13.70	2	15.00	14.00
31.	दादर व नगर हवेली	2	29.79	25.92	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	2	20.00	17.00	5	2400.09	1209.54
33.	दमन व द्वीव	4	262.28	208.61	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	7.00	5.60
35.	पांडिचेरी	2	469.39	375.51	1	500.00	400.00
	कुल	253	61316.96	45793.76	278	64242.08	45783.51

टिप्पणी - इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण और विस्तार

3967. **श्री अनन्त नायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना की हथियार प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वायु सेना का विचार अपने बलों का विस्तार करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों पर ज्यादा बल दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय वायु सेना के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सरकार सुरक्षा परिवेश की सतत् समीक्षा करती है और तदनुसार पर्याप्त तैयारी बनाए रखने हेतु आधुनिकीकरण, विस्तार करने तथा अन्य व्यवस्था हेतु निर्णय लेती है तथा बजट में आवश्यक निधियां उपलब्ध कराती है। इस संबंध में अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

3968. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक केन्द्र द्वारा संरक्षित इन स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) मध्य प्रदेश में 286 स्मारक/स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित है:—

2004-05	378.44 लाख रुपए
2005-06	520.00 लाख रुपए
2006-07	697.93 लाख रुपए

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव के लिए 585.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें से अब तक 6.47 लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में इन स्मारकों से अर्जित राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

2004-05	264.98 लाख रुपए
2005-06	278.58 लाख रुपए
2006-07	328.21 लाख रुपए

विवरण

मध्य प्रदेश मे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की विस्तृत सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थल	जिला
1	2	3	4
1.	मंदिर	बैहर	बालाघाट
2.	किला	गढ़ी	बालाघाट
3.	पुराना किला	लांजी	बालाघाट

1	2	3	4
4.	पीपड़वाड़ा गांव स्थित जंगल की परिधि में एक पुराना मंदिर	रायगढ़	बालाघाट
5.	कोटेश्वर महादेव और हनुमान मंदिर	काशी टौला	बालाघाट
6.	सदा भद नामक स्थानीय 53 मूर्तियां	सोनखर	बालाघाट
7.	ईट से बने मंदिर (दो)	खेरट	भिण्ड
8.	खुला संग्रहालय	खेरट	भिण्ड
9.	किला	अतर	भिण्ड
10.	कमलापति महल	भोपाल	भोपाल
11.	चोसठ योगिनी मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
12.	चित्रगुपत मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
13.	चोपड़ अथवा वर्गाकार तालाब	खजुराहो	छतरपुर
14.	देवी जगदम्बी मन्दिर	खजुराहो	छतरपुर
15.	कन्देरिया मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
16.	लक्ष्मण मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
17.	लाल गांव महादेव मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
18.	महादेव मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
19.	मतंगेश्वर मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
20.	नन्दी मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
21.	पार्वती मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
22.	वराह मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
23.	विश्वनाथ मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
24.	आदिनाथ मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
25.	ब्रह्मा मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
26.	श्री हनुमान की वृहत् मूर्ति	खजुराहो	छतरपुर
27.	घंटिया मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
28.	काकरा गढ़	खजुराहो	छतरपुर
29.	पार्श्वनाथ मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
30.	शांतिनाथ मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
31.	वामन मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
32.	जवारी मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
33.	दुलादेव मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
34.	जटकारी अथवा चतुर्भुज मंदिर	खजुराहो	छतरपुर
35.	बचुआ के किला में शिलालेख	बछाओ	छतरपुर
36.	बीजामंडल में मंदिर अवशेष तथा टीले	जटकारा खजुराहो के निकट	छतरपुर
37.	गोंड किला	देवगढ़	छिंदवाड़ा
38.	नोहटा (महादेव) मंदिर	नोहटा	दमोह
39.	राजनगर (अवशिष्ट) कला	राजनगर	दमोह
40.	रंग महल पैलेश	हट्टा	दमोह
41.	कुनोरा बारी स्थित शिव मंदिर	कुनोडाबाडी	दमोह

1	2	3	4
42.	जटा शंकर किला	जटाशंकर	दमोह
43.	रानेह स्थित मठ	रानेह	दमोह
44.	(शिव मंदिर) पुराना मंदिर	कोडल	दमोह
45.	चन्देलों को समर्पित बिना गारे से निर्मित प्राचीन मूर्ति मंदिर के अवशेष	कनोडा (कोनोरा)	दमोह
46.	एक पहाड़ी पर स्थित किला	सिंगोर गढ़	दमोह
47.	क्षतिग्रस्त किला	मरियाडोह	दमोह
48.	सखार मंदिर (क्षतिग्रस्त शिव मंदिर)	सखारा	दमोह
49.	फुटेरा तालाब में मूर्तिकला	फुटेरा तालाब	दमोह
50.	पहाड़ी के नीचे सपाट छत वाले मंदिर	कुंडलपुर	दमोह
51.	पहाड़ी संख्या 1 से 58 पर निर्मित जैन मंदिर	कुंडलपुर	दमोह
52.	बीर सिंह महल	दतिया	दतिया
53.	अशोक के शिलालेख (आदेश-पत्र)	गुज्जारा	दतिया
54.	सिद्धेश्वर मंदिर	नेमावर	देवास
55.	अपूर्ण मंदिर	नेमावर	देवास
56.	आलमगीर द्वार	मांडु	धार
57.	प्राचीन हिन्दू बावड़ी	मांडु	धार
58.	अंधेरी बावली	मांडु	धार
59.	अशर्फी महल	मांडु	धार
60.	बाज बहादुर महल	मांडु	धार
61.	भगवानिया द्वार	मांडु	धार
62.	भंगी द्वार	मांडु	धार
63.	चम्पा बावली	मांडु	धार
64.	चिश्ती खान महल	मांडु	धार
65.	चोर कोट	मांडु	धार
66.	चोर कोट मस्जिद	मांडु	धार
67.	नहर झरोखा परिसर	मांडु	धार
68.	दाई का महल	मांडु	धार
69.	दाई की छोटी बहन का महल	मांडु	धार
70.	दरिया खान का मकरा	मांडु	धार
71.	दिल्ली गेट	मांडु	धार
72.	होशंग गुंबद के परिसर में धर्मशाला	मांडु	धार
73.	दिलावर खान मस्जिद	मांडु	धार
74.	एक खम्भा महल	मांडु	धार
75.	गड़ा शाह महल	मांडु	धार
76.	गड़ा शाह दुकान	मांडु	धार
77.	गाड़ी दरवाजा	मांडु	धार
78.	हम्माम	मांडु	धार
79.	हाथी पोल द्वार	मांडु	धार
80.	हाथी महल	मांडु	धार

1	2	3	4
81.	हिंडोला महल	मांडु	धार
82.	होशंग शाह का मकबरा	मांडु	धार
83.	जहाज महल	मांडु	धार
84.	जहांगीरपुर द्वार	मांडु	धार
85.	जामा मस्जिद	मांडु	धार
86.	कपूर तालाब और इसके किनारे के अवशेष	मांडु	धार
87.	लाल बाग	मांडु	धार
88.	लाल बंगला	मांडु	धार
89.	लोहानी गेट	मांडु	धार
90.	लोहानी गुफाएं	मांडु	धार
91.	जाली महल	मांडु	धार
92.	नहर झरोखा	मांडु	धार
93.	महमूद खिलजी का मकबरा	मांडु	धार
94.	मलिक मूगित मस्जिद	मांडु	धार
95.	सोपी हौज के निकट मस्जिद	मांडु	धार
96.	दरिया खान मकबरा के पश्चिमोत्तर स्थित मस्जिद	मांडु	धार
97.	तारापुर द्वार के निकट मस्जिद	मांडु	धार
98.	शिला तालाब के पश्चिम में स्थित बेनाम मकबरा	मांडु	धार
99.	नीलकंठ (नीलकंठेश्वर)	मांडु	धार
100.	रामपाल गेट और इसके सामने मस्जिद	मांडु	धार
101.	चम्पा बावली तथा हम्माम के पश्चिम में स्थित शाही महल	मांडु	धार
102.	रूपमती पैविलियन	मांडु	धार
103.	कारवां सराय	मांडु	धार
104.	सत कोठरी गुफाएं	मांडु	धार
105.	सोमवती कुंड	मांडु	धार
106.	सोनगढ़ गेट	मांडु	धार
107.	तारापुर गेट	मांडु	धार
108.	तवाली महल	मांडु	धार
109.	चोर कोट मजिस्द तथा छप्पन महल के बीच गुंबद तथा मस्जिद	मांडु	धार
110.	दरिया खान मकबरा के उत्तर में मकबरा	मांडु	धार
111.	आलमगीर गेट के उत्तर में मकबरा	मांडु	धार
112.	ट्रिपोलिं गेट	मांडु	धार
113.	विजय स्तम्भ	मांडु	धार
114.	उजली बावडी	मांडु	धार
115.	जल महल	मांडु	धार
116.	रीवा खुंड के पश्चिम में खंडहर	मांडु	धार

1	2	3	4
117.	भोजशाला और कमाल मौला की मस्जिद	धार	धार
118.	लाट-की-मस्जिद	धार	धार
119.	बुद्ध की गुफा नं. 1 से 7	बाग	धार
120.	जल महल	सदलपुर	धार
121.	राककट मंदिर	वास्वी	धार
122.	जैन मंदिर नं. 1 से 5	बुद्धीचन्देरी	अशोक नगर
123.	चन्देरी किला	चन्देरी	अशोक नगर
124.	बड़ा मदरसा	चन्देरी	अशोक नगर
125.	बत्तीसी बोली	चन्देरी	अशोक नगर
126.	बादल महल द्वार	चन्देरी	अशोक नगर
127.	जामा मस्जिद	चन्देरी	अशोक नगर
128.	काटी घाटी	चन्देरी	अशोक नगर
129.	कोषक महल	चन्देरी	अशोक नगर
130.	निजामुद्दीन का मकबरा	चन्देरी	अशोक नगर
131.	शहजादी का रोजा	चन्देरी	अशोक नगर
132.	मठ	कडवाहा	अशोक नगर
133.	मंदिर समूह सं. 2 से 7	कडवाहा	अशोक नगर
134.	लूसे वास्तुशिल्प	थुबोन	अशोक नगर
135.	महादेव मंदिर	अमरोल	ग्वालियर
136.	प्राचीन स्थल	पवाया	ग्वालियर
137.	टीला स्मारक	पवाया	ग्वालियर
138.	अबुल फजल का मकबरा	अनत्री	ग्वालियर
139.	तानसेन का मकबरा और दो मस्जिद	ग्वालियर	ग्वालियर
140.	ग्वालियर का किला	ग्वालियर	ग्वालियर
	i. बादल महल या हिन्डौल द्वार		
	ii. ग्वालियर या आलमगीर द्वार		
	iii. गणेश द्वार		
	iv. चतुर्भुज मंदिर		
	v. लक्ष्मण द्वार		
	vi. मानसिंह का महल		
	vii. राक-कट जैना कोलोसी		
	viii. सास-बहू मंदिर		
	ix. तेली का मंदिर		
	x. उरवई द्वार		
141.	मोहम्मद धौसका मकबरा	धौसपुरा	ग्वालियर
142.	प्रस्तर शरण गृह	बालदेव कुंडी	ग्वालियर
143.	पांडव गुफा के नाम से मशहूर गुफाएं	पचमढ़ी	होशंगाबाद
144.	पुराना मुगल किला	जोगा	होशंगाबाद
145.	चित्रकारी सहित आदमगढ़ प्रस्तर शरण गृह	कलमाडी रसुलिया	होशंगाबाद

1	2	3	4
146.	संभोरणी गुफा के समीप पुलती लेन के नाम से मशहूर प्रस्तर शरण गृह	करियान	होशंगाबाद
147.	डोरोथी गहन प्रस्तर शरण गृह	पचमढ़ी	होशंगाबाद
148.	चार तुमुली के ऊपर तथा बरगद के वृक्ष के नीचे बिखरा वाराह (विष्णु वाराह) की मूर्ति, महादेव की मूर्ति तथा हिन्दू और जैन धर्म के अन्य देवताओं के चित्र	करणपुर	जबलपुर
149.	करीतलाई के नजदीक वाराह	करणपुर	बाला
150.	कच्चा-मच्चा के नाम से मशहूर कछुआ और मछली	करीतलाई	जबलपुर
151.	कांकली देवी मंदिर और दुर्गा देवी मंदिर का पूरा स्थल	तिगवान	जबलपुर
152.	विष्णु-वाराह मंदिर	बिलहारी	जबलपुर
153.	तापसी मठ	बिलहारी	जबलपुर
154.	विशाल गोलाकार शिलाखंड के ऊपर पहाड़ की चोटी पर मदन महल	गरहा	जबलपुर
155.	सोमनाथ मंदिर और अनेक मंदिरों के खंडहर	बरगौन	जबलपुर
156.	अशोक रुपनाथ के शिलालेख	पडरिया	जबलपुर
157.	कियांन नदी के समीप खंडहर मंदिर	मझ देवड़ी	जबलपुर
158.	10' x 10' 4" के नक्काशीकृत प्रस्तर के चबूतरे पर शिव मंदिर और जैन की 8 शैल मूर्तियां	नन्हवाड़ा	जबलपुर
159.	करणबेल (त्रिपुरी)	टेवर	जबलपुर
160.	चौसठ योगनी के अंदर गौरीशंकर का मंदिर	भेराघाट	जबलपुर
161.	चौसठ योगनी का मंदिर	भेराघाट	जबलपुर
162.	विष्णु वाराह की विशाल प्रतिमा	पानागढ़	जबलपुर
163.	प्राचीन टीला	काकारेहटा	जबलपुर
164.	लेडकी का टीला	बिलहाड़ी	कटनी
165.	राममुक्तेश्वर मंदिर	कुकरमठ	मंडला
166.	सतखंड नामक गोंड किला तथा शाहबुर्ज नामक राजघाट स्थित मिनार तथा किले के अंदर का मंदिर	मंडला	मंडला
167.	बेगम महल	चौगान डिंग डिंडोरी	मंडला
168.	दल-बदल नामक क्रीड़ा महल	चौगान डिंग डिंडोरी	मंडला
169.	शिव मंदिर	खाड्डेवरी	मंडला

1	2	3	4
170.	ब्राह्मनिकल प्रस्तर मंदिर	धमनाड़	मंदसौर
171.	बौद्ध गुफाएं (नं. 1 से 51)	धमनाड़	मंदसौर
172.	नव तोरण मंदिर	खोर	मंदसौर
173.	यशोधरमन का विजय स्तंभ	सोंधनी	मंदसौर
174.	एक्कट्टसो महादेव मंदिर	मितावली	मुरैना
175.	गढ़ी	पडवाली	मुरैना
176.	मंदिर	पडवाली	मुरैना
177.	शिव मंदिर (कंकनमठ मंदिर के नाम से स्थानीय तौर पर मशहूर)	सोहनिया	मुरैना
178.	मंदिर नं 1 से 22	नरेशर	मुरैना
179.	मंदिर समूह	बटेश्वर	मुरैना
180.	शाहनवाज खान का मकबरा	भुरहानपुर	बुरहानपुर
181.	आदिल शाह फरूकी का मकबरा	भुरहानपुर	बुरहानपुर
182.	शाह सूजा का मकबरा आहाता	भुरहानपुर	बुरहानपुर
183.	नादिर शाह का मकबरा और आहाता	भुरहानपुर	बुरहानपुर
184.	वर्धा घाट के समीप राजा की छतरी	भुरहानपुर	बुरहानपुर
185.	बीबी साहिब का मस्जिद और आहाता	भुरहानपुर	बुरहानपुर

1	2	3	4
186.	किले के अंदर स्थित महल	भुरहानपुर	बुरहानपुर
187.	हम्माम खाना	चौक मुहल्ला	बुरहानपुर
188.	शाहनूमा का मकबरा	असीरगढ़	बुरहानपुर
189.	चूड़ीवालों की मस्जिद	भुरहानपुर	बुरहानपुर
190.	सभी दीवारों सहित पूरा किला	असीरगढ	बुरहानपुर
191.	चाहरदीवारी सहित निरीक्षण बंगला के समीप महादेव मंदिर	असीरगढ	बुरहानपुर
192.	ईदगाह, खुला मंच सहित सामने की दीवार	असीरगढ	बुरहानपुर
193.	गुलारा महल तथा उटोवली नदी के दोनों तरफ के भवन तथा नदी पर स्थित दो राजगिरी बांध	महल गुलारा	बुरहानपुर
194.	चाहरदीवारी, पैवेलियन तथा टैंक सहित आहुखाना स्थल	आहुखाना	बुरहानपुर
195.	चौबीस अवतार मंदिर तथा इसकी अंतर्वस्तुएं	मनधाता	निमार (पूर्व)
196.	चांद सूरज प्रवेश द्वार	मनधाता	निमार (पूर्व)
197.	सिद्ध नाथ मंदिर का सिद्धेश्वर	मनधाता	निमार (पूर्व)
198.	मामलेश्वर उर्फ अमलेश्वर मंदिर	मनधाता	निमार (पूर्व)

1	2	3	4
199.	चौबारा दरा	खरगांव	निमार (पश्चिम)
200.	जैन मंदिर नं. 1 और 2	खरगांव	निमार (पश्चिम)
201.	महाकालेश्वर मंदिर नं. 1 और 2	खरगांव	निमार (पश्चिम)
202.	नीलकंठेश्वर मंदिर	खरगांव	निमार (पश्चिम)
203.	उत्खनित स्थल	कसरावाड	निमार (पश्चिम)
204.	श्रीमन्त बाजी पेशवा की याद में समर्पित वृंदावन	रावेरखेडी	निमार (पश्चिम)
205.	मुख्य द्वार तथा पेशवा आवास अथवा किले का शेष भाग	रावेरखेडी	निमार (पश्चिम)
206.	सराय के अंदर छतरी	रावेरखेडी	निमार (पश्चिम)
207.	पुरानी सराय	रावेरखेडी	निमार (पश्चिम)
208.	अजयगढ़ किला तथा अन्य अवशेष	अजयगढ़	पन्ना
209.	गुप्त काल के दो मंदिर	अजयगढ़	पन्ना
210.	पार्वती मंदिर	नचना	पन्ना
211.	चौमुखनाथ मंदिर	नचना	पन्ना
212.	(1) सैविटे मंदिर (2) प्राचीन प्रस्तर उत्कीर्णन	भोजपुर	रायसेन
213.	किला (किला के अंदर अन्य खंडहर स्मारक तथा दीवार द्वार सहित)	रायसेन	रायसेन
214.	बौद्ध स्मारक	सांची	रायसेन
215.	बौद्ध स्तूप तथा इससे लगी भूमि	सोनारी	रायसेन
216.	बौद्ध स्तूप	मुरलखुर्द	रायसेन
217.	बौद्ध स्तूप और अवशेष	अन्धेर	रायसेन
218.	स्तूप और अन्य अवशेष	सोनभद्रा	रायसेन
219.	प्रागैतिहासिक प्रस्तर शरण गृह	भीमवेटका	रायसेन
220.	शिलालेख	अलहघाट	रीवा
221.	फ्रेस्को पेंटिंग	गाहीर	रीवा
222.	गुर्गी एवं रोहुंटा अवशेष	गुर्गी	रीवा
223.	गुफा के अंदर शिलालेख	केवती	रीवा
224.	महापाषाण, मठ तथा शिलालेख सहित प्रस्तर शरहण गृह	बारहट	रीवा
225.	मंदिर	बमोरा	सागर
226.	किला	देवरी	सागर
227.	किला	धमौनी	सागर
228.	वाजीदअली शाह का मकबरा और मस्जिद	धमौनी	सागर
229.	रानी महल	धमौनी	सागर
230.	प्राचीन महल	इरन तथा पहलेजपुर	सागर

1	2	3	4
231.	महल (डांगरी ससको का किला) (शीश महल) के अंदर या इससे जुड़े सभी ढांचे	गढ़पेहरा	सागर
232.	किला	गौरझामड़	सागर
233.	महादेव या माता का मंदिर	मरौंडा	सागर
234.	सातगढ़	मरौंडा	सागर
235.	पंचपीड़ का मकबरा	खीमालसा	सागर
236.	द्वार सहित शहर की दीवारें	खीमालसा	सागर
237.	किले की दीवारें	खीमालसा	सागर
238.	पुरानी मस्जिद का कुआं, किले का प्रवेश द्वार और नगीना महल	खीमालसा	सागर
239.	महादेव मंदिर	पाली	सागर
240.	अंदर स्थित स्मारक सहित किला नामत:	राहतगढ़	सागर
	i. दो दरवाजे		
	ii. मोती महल		
	iii. गुलमाली शाह की दरगाह और तीन गुफाएं		
	iv. शीश महल		
	v. छोटी मस्जिद		
	vi. खंडहरों में स्थित दरगाह		
	vii. समाधि		
	viii. दोहला टैंक		
	ix. भग्नावशेष महल		
	x. बादल महल साथ में समीपवर्ती भूमि		
241.	बौद्ध अवशेष	बारहुत	सतना
242.	अवशेष (शिव मंदिर)	भूमड़ा	सतना
243.	दुर्गा मंदिर	आस्था	शिवनी
244.	नागाबाबा के नाम से मशहूर दिगम्बर पंथ की आदमकद जैन प्रतिमा तथा अन्य टूटी-फूटी प्रस्तर प्रतिमाएं तथा वास्तु शिल्पीय प्रस्तर	घनसौर	शिवनी
245.	कर्ण मंदिर	अमरकंटक	अनूपपुर
246.	शिव मंदिर	अमरकंटक	अनूपपुर
247.	कटलेश्वर मंदिर	अमरकंटक	अनूपपुर
248.	पिछली शताब्दी के शिलालेखों की गुफाएं	शिलहारा	शहडोल
249.	वाराह मंदिर और अवशेष	सोहागपुर	शहडोल
250.	विशाल शिव मंदिर	महुआ	शिवपुरी
251.	लघु शिव मंदिर	महुआ	शिवपुरी
252.	मठ (खोखाईमठ)	रानोद	शिवपुरी
253.	मठ	सुरवाया	शिवपुरी
254.	शिव मंदिर	सुरवाया	शिवपुरी

1	2	3	4
255.	ओपन एयर संग्रहालय	सुरवाया	शिवपुरी
256.	गांधी सबवे	सुरवाया	शिवपुरी
257.	मोह्नजमाता मंदिर	तेराही	शिवपुरी
258.	मठ	तेराही	शिवपुरी
259.	तोरण द्वार	तेराही	शिवपुरी
260.	शिव मंदिर और मठ	चांदरेही	सिधी
261.	सारु मारु मठ परिसर सहित बौद्ध स्तूप	पंगुरारिया	सिहोर
262.	चित्रकारी युक्त प्रस्तर शरण गृह, बौद्ध स्तूप तथा अन्य अवशेष	तालपुरा	सिहोर
263.	प्राचीन टीला	भैरघाट	उज्जैन
264.	प्राचीन टीला (विश्या टेकरी)	उंडासा	उज्जैन
265.	प्राचीन टीला (कुम्भार टेकरी)	उंडासा	उज्जैन
266.	बिजामंडल मस्जिद	विदिशा	विदिशा
267.	लाह्नजी हिल कैपिटल	विदिशा	विदिशा
268.	दशावतकराह मंदिर	बडोह	विदिशा
269.	जैन मंदिर	बडोह	विदिशा
270.	गाडरमल मंदिर	बडोह	विदिशा
271.	प्राचीन स्थल	बिसनगर	विदिशा
272.	स्थानीय तौर पर खान के नाम से ज्ञात हेलियोडोंस स्तम्भ	बिसनगर	विदिशा
273.	अठकम्बा मंदिर	ग्यारसपुर	विदिशा
274.	बजरामठ मंदिर	ग्यारसपुर	विदिशा
275.	हिंडोला तोरण	ग्यारसपुर	विदिशा
276.	बौद्ध स्तूप	ग्यारसपुर	विदिशा
277.	माला देवी मंदिर	ग्यारसपुर	विदिशा
278.	भीमागंज	पठारी	विदिशा
279.	गुफाएं	पठारी	विदिशा
280.	गुफा नं. 1 से 20	उदयगिरी	विदिशा
281.	पहाड़ की चोटी पर गुप्त मंदिर के खंडहर	उदयगिरी	विदिशा
282.	बाड़ा खाम्बी	उदयपुर	विदिशा
283.	उदयस्वर या हिकन्टेश्वर महादेव मंदिर	उदयपुर	विदिशा
284.	टाउन हॉल बनाम गांधी भवन	शिवपुरी	शिवपुरी
285.	चतुर्भुज नाला स्थित प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय	भानपुरा	मंदसौर
286.	सीता खरड़ी स्थित प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय	भानपुरा	मंदसौर

देश में तीसरी रेल लाइन

3969. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में विभिन्न खंडों के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन खंडों की पहचान की गई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए निम्नलिखित खंडों पर सर्वेक्षण शुरू किया गया है:

क्र.सं.	खंड का नाम
1	2
1.	इगतपुरी-भुसावल
2.	भद्रक-नेरगुंडी
3.	बरुईपुर-सियालदह
4.	झांसी-बीना
5.	बल्लारशाह-काजीपेट
6.	काजीपेट-विजयवाड़ा-गुडूर
7.	रेणिगुंटा-अराक्कोणम
8.	सिंकदराबाद-भोनगीर
9.	दुर्ग-नागपुर
10.	इटारसी-नागपुर-वर्धा-बल्लारशाह
11.	झारसुगुडा-चम्पा
12.	चक्रधरपुर-बोंडामुंडा
13.	पेंद्रासाली-राजखरसवाँ बाईपास का चक्रधरपुर तक विस्तार
14.	डोंगरीपोसी-पेंद्रासाली, राजखरसवाँ तक विस्तारित
15.	खड़गपुर-झारसुगुडा
16.	राजखरसवाँ-अदित्यपुर
17.	भोपाल-इटारसी
18.	रतलाम-वडोदरा
19.	वीरमगाम-अहमदाबाद

(ग) ये प्रस्ताव सर्वेक्षण के चरण में हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्य आरम्भ करने या अन्यथा का निर्णय लिया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए मकानों/फ्लैटों का निर्माण

3970. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए मकानों/फ्लैटों के निर्माण हेतु कोई कार्यक्रम/योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार भूतपूर्व सैनिकों हेतु ऐसे मकानों/फ्लैटों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (घ) जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों समेत भूतपूर्व सैनिकों के लिए फ्लैटों/घरों के निर्माण हेतु भारत सरकार का कोई विशिष्ट कार्यक्रम अथवा योजना नहीं है। तथापि, सेना तथा वायु सेना के संबंध में सेना कल्याण आवास संगठन तथा वायु सेना और नोसेना के संबंध में नौसेना आवास बोर्ड अपनी-अपनी संबंधित सेनाओं के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को भुगतान आधार पर आवास उपलब्ध कराते हैं। कुछेक राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आबंटन में रक्षा सेनाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरक्षण की नीति का अनुसरण करती है।

अराधिकृत संघ (फैडरेशन)

3971. डा. राजेश मिश्रा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी एयरलाइन परिचालकों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस नामक संघ (कोर्टेल) बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संघ के साथ कौन-कौन सी एयरलाइनें संबद्ध है;

(ग) क्या सरकार ने इस संघ (फेडरेशन) के गठन को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सरकार को कुछ भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस नामक एक औद्योगिक एसोसिएशन की संरचना की जानकारी है। एअर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक उसके अध्यक्ष हैं। एअर इंडिया ने सूचित किया है। कि एफआईए का गठन कुछ एयरलाइन एसोसिएशनों की तरह किया गया है जिनकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई है। अर्थात् यू एस ए में एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यूरो में एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन एयरलाइंस, मध्य पूर्व में अरब एयर कैरियर्स आर्गनाइजेशन, अफ्रीका में अफ्रीकन एयरलाइंस एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस।

(ख) एअर इंडिया, इंडियन, जैट एयरवेज, एअर सहारा, किंगफिशर, एयर डेक्कन, स्पाईसजेट, गो एयर, इंडिगो और पैरामाउण्ट एयरवैज इस फेडरेश्न से जुड़े हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय एफआईए के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है चूंकि सरकार के ध्यान में एसोसिएशनों द्वारा कोई गैर-कानूनी कार्रवाई नहीं आई है।

शैल ग्लोबल सोल्यूशंस प्रौद्योगिकी की पेशकश

3972. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैल ग्लोबल सोल्यूशंस ने अपने इंडियन आर्म शैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तेल बंटवारे के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के पुराने तेल कुओं से तेल निकालने हेतु प्रौद्योगिकी प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) शैल एक्सप्लोरेशन कंपनी ने आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के कुछ क्षेत्रों के लिए उन्नत तेल निकासी/वर्द्धित तेल निकासी (आई ओ आर/ई ओ आर) कार्यान्वित करने की इच्छा की थी, लेकिन ओ एन जी सी ने इस प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं माना था।

झारखण्ड में रेल परियोजनाएं

3973. श्री बाबू लाल मरांडी :
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान झारखण्ड सरकार के साथ जिन प्रस्तावित रेल परियोजनाओं हेतु करार हुआ है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं की समय-सीमा के भीतर पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय तथा झारखंड राज्य सरकार के 19.02.2002 के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार उन परियोजनाओं के नाम जिनके लिए झारखंड राज्य सरकार परियोजना की लागत का दो-तिहाई भागीदारी कर रही है, यहां उल्लिखित है:

(i) कोडरमा-तिलैया नई लाइन; (ii) कोडरमा-रांची नई लाइन; (iii) गिरीडीह-कोडरमा नई लाइन; (vi) देवघर-दुमका नई लाइन;

(v) दुमका-रामपुर हाट नई लाइन; तथा (vi) रांची लोहरदगा का तोरी तक विस्तार सहित आमान परिवर्तन।

(ख) से (ङ) इन परियोजनाओं को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के दौरान पूरा किए जाने का प्रस्ताव था। बहरहाल, इन परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण तथा वन विभाग से स्वीकृति मिलने में देरी होने, कानून तथा व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति ठेकेदारों की विफलताओं के कारण अनुबंधित समय सीमा में नहीं किया जा सका। समय पर राज्य सरकार द्वारा कार्य के अनुरूप धन रिलीज भी नहीं किया गया।

दुर्घटनाएं होते-होते बचना

3974. श्रीमती रुपाताई डी. पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही के वर्षों में आसमान में अत्यधिक उड़ानों के कारण विमानों के बीच दुर्घटनाओं के बाल-बाल बचने की घटनाओं में कई गुणा वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विमानों को इस प्रकार आपस में टकराने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में एयर-मिस की घटनाओं में कोई उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई नहीं दी है। पिछले चार वर्षों के लिए प्रति लाख आवागमन पर एयर-मिस की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है - 2003 में 2.041; 2004 में 2.081. 2005 में 2.506 तथा 2006 में 2.559 । यह आंशिक वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में हवाई यातायात घनत्व में हुई अत्यधिक वृद्धि की वजह से है। आगे, विमानों पर एयरबोर्न कुलीजन एवॉइडेंस सिस्टम/ट्रैफिक कुलीजन एवॉइडेंस सिस्टम की स्थापना तथा रेडार की कवरेज में वृद्धि जैसे बेहतर निगरानी तंत्रों से उड़ानों/विमानों के बीच न्यूनतम पृथकता के प्रत्येक उल्लंघन की रिपोर्टिंग तथा मानीटरिंग संभव हुई है।

(ग) 30 से अधिक प्रमाणित सीटिंग क्षमता अथवा 3 टन से अधिक पे लोड क्षमता वाले विमानों पर एयरबोर्न कुलीजन एवॉइडेंस सिस्टम तथा मोड 'एस' ट्रांस्पॉडर की संस्थापना को अनिवार्य बनाकर विमान प्रचालनों की संरक्षा तथा एयर-मिस की घटनाओं से बचना सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर ऑटोमैटिक डिपैण्डैण्ट सर्विलैंस तथा कंट्रोलर पायलट डेटा लिंक कम्यूनिकेशन की संस्थापना की है। न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई चेतावनी (एम एस ए डब्ल्यू) प्रणाली भी प्रचलन में है जिससे एटीसी को रेडार चेतावनी प्रदान की जाती है जिससे वे समय रहते पायलटों को सचेत कर पाते हैं। देश के सबसे व्यस्त हवाई क्षेत्र को मुख्य हवाई अड्डों पर संस्थापित मोनो पल्स सेकेण्डरी सर्विलैंस रेडारों द्वारा कवर किया गया है जिससे एटीसीओ को विमान की ऊंचाई से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाती है। एटीसी की प्रशिक्षण प्रक्रिया को संशोधित तथा आधुनिकीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रकों के लिए नियमित रूप से रिफ्रेशर कोर्स तथा दक्षता जांचें की जा रही हैं। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में यातायात के अंतरण के लिए विनिर्दिष्ट समन्वय प्रक्रियाएं भी बनाई गई हैं। डी जी सी ए ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा अनुदेशों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है।

असम में पर्यटन स्थल

3975. श्री अनवर हुसैन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रधान मंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत असम में पर्यटन स्थलों का पुनरूद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों को उड़न योग्यता का प्रमाणपत्र देना

3976. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी जी सी ए विमानों को उड़न योग्यता का प्रमाणपत्र जारी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी जी सी ए द्वारा ऐसे अनुरोधों की संवीक्षा हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) ऐसे प्रमाणपत्र हेतु आवेदनों को स्वीकृति देने में कितना न्यूनतम समय लिया जाता है; और

(ङ) डी जी सी ए द्वारा ऐसे आवेदनों की संवीक्षा प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) वायुयान नियमावली, 1937 तथा नागर विमानन अपेक्षा (सी ए आर), धारा 2, श्रृंखला 'एफ' भाग III के अनुसार, प्रत्येक सिविल पंजीकृत विमान के प्रचालन से पहले उसके लिए उड़न योग्यता प्रमाणपत्र जारी करता है।

(ग) डी जी सी ए आर धारा 2, श्रृंखला 'एफ' भाग III के अनुसार, ऐसे अनुरोधों की पड़ताल करता हैं तदोपरान्त आंशिक रूप से पूर्ण उड़न योग्यता प्रमाणपत्र डी जी सी ए क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालय को भी जाता जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय विमान तथा इसके तकनीकी दस्तावेजों का वास्तविक निरीक्षण करता है। संतोषजनक निरीक्षण होने, विमान के लिए उड़न योग्यता प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है।

(घ) आवेदन पत्र की पड़ताल तथा उड़न योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए न्यूनतम 5 दिन का समय अपेक्षित होता है।

(ङ) उड़न योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र का प्रावधान डी जी सी ए की वैबसाइट पर किया गया है।

मुंबई विमानपत्तन पर परिवहन सुविधाएं

3977. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई विमानपत्तन परिसर के अंदर घरेलू विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक निजी बस सेवाएं देने वाली निजी एजेंसियों का ठेका समाप्त कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया के विमान बेड़े में विमानों की संख्या

3978. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में एअर इंडिया (ए.आई.) तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में विमानों की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़ों की औसत आयु अलग-अलग कितनी है;

(ग) क्या अधिक आयु के विमान बेड़े/पुराने विमानों के कारण राष्ट्रीय विमान कंपनियों के विमानों में अक्सर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राष्ट्रीय विमान कंपनियों के विमानों में अक्सर होने वाली ऐसी गड़बड़ियों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के पास उनके बेड़ों में क्रमशः 38 तथा 74 विमान हैं जिनमें लीज पर लिए गए विमान शामिल हैं।

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े के विमानों की औसत आयु क्रमशः 14.6 वर्ष तथा 16.2 वर्ष है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े के सभी विमानों का अनुरक्षण उच्चतम उड़नयोग्यता मानकों के अनुसार तथा नागर विमानन महानिदेशालय के साथ-साथ विमान निर्माता देशों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

केन्द्र सरकार सेवा/शिक्षा में राज्य ओ.बी.सी. का लाभ

3979. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र रखने वाला कोई अभ्यर्थी केन्द्र सरकार की सेवा में आरक्षण लाभ प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में नामांकन पाने के लिए पात्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओ.बी.सी. के मामले में केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार क्रीमी लेयर की परिभाषा क्या है; और

(घ) किसी समुदाय विशेष ओ.बी.सी. के रूप में चयन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) क्रीमी लेयर को भारत सरकार के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आर.ई.एस.) के तहत यथा संशोधित के रूप में परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार, संवैधानिक पद धारित व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध सैनिक बलों सहित सशस्त्र बल की कई श्रेणियों के अधिकारियों और 2.50 लाख रुपए या इससे अधिक की कुल वार्षिक आय वाले व्यक्ति या लगातार तीन वर्ष की अवधि में संपत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से अधिक के संपत्तिधारक व्यक्तियों के बच्चों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता है।

(घ) इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल और निकालने हेतु सिफारिश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अलग आयोग गठित किए हैं। राज्य सरकारें राज्य आयोगों की सलाह के आधार पर अपनी सबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में किसी विशेष जाति/समुदाय को शामिल या निकालने हेतु निर्णय लेंगे।

विशेष आरक्षण काउंटर

3980. श्री सी.एच. विजयशंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष आरक्षण काउंटरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन काउंटरों की संख्या यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कोई विशेष आरक्षण काउंटर मौजूद नहीं हैं बहरहाल, पर्याप्त मांग तथा आरक्षण काउंटरों की उपलब्धता के आधार पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व संसद सदस्यों, विधान सभा/परिषद के सदस्यों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लिए विशिष्ट आरक्षण काउंटर निर्धारित किए गए हैं। इस स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है जो आरक्षण काउंटरों के मांग पैटर्न और उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है ऐसे काउंटरों के कोई केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

पी.डब्ल्यू.डी. के लिए राष्ट्रीय नीति

3981. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निःशक्त वरिष्ठ नागरिकों सहित निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के सार-संग्रह का संकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। फरवरी, 2006 में घोषित राष्ट्रीय नीति विकलांगों को देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन के रूप में और ऐसे वातावरण सृजित करने को मान्यता देता है जो उन्हें समाज में समान अवसर उनके अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी प्रदान करता है। इस नीति में विकलांगता निवारण और पुनर्वास पर बल दिया गया है।

(ग) से (ङ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय ने "जजमेंट ऑन डिसेबिलिटी इशूज: केस डाइजेस्ट, 2005" शीर्षक से एक सार-संग्रह प्रकाशित किया है। इसे कानूनविदों, आम आदमी और विकलांग व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु प्रकाशित किया गया है।

दक्षिणी तटीय क्षेत्रों/सीमाओं पर हवाई हमला

3982. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सज्जन कुमार :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना को दक्षिणी तटीय क्षेत्रों तथा सीमाओं पर किसी हवाई हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया गया है जैसाकि दिनांक 27 मार्च, 2007 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) एल.टी.टी.ई. को किन-किन देशों द्वारा सहायता दी जा रही है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) हवाई रक्षा उद्देश्य के लिए रेडार की तैनाती खतरे की अवधारणा और चौकसी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। स्थिति की आकस्मिकताओं के आधार पर हवाई रक्षा उपायों की सतत् समीक्षा, आकलन और सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

(घ) और (ङ) विश्व में सभी महत्वपूर्ण देशों जैसे कि अमरीका, कनाडा और यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों ने लिट्टे पर एक आतंकवादी संगठन होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है और इसी कारण वे उसे सामग्री सहायता उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। भारत ने भी एक आतंकवादी संगठन होने के कारण लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

रेलवे ट्रैकों के आस-पास पानी के पाइपलाइनों का बिछाया जाना

3983. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री महेश कनोडीया :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ट्रैकों के आस-पास पानी के पाइपलाइनों को बिछाने के लिए राज्यों को रेलवे प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति मिलने में विलम्ब के कारण पाइपलाइन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात से प्राप्त ऐसे कितने प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमति प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे शीघ्र अनुमति देने के लिए सभी प्रयास करती हैं।

बहरहाल, अनुमति केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब परियोजना पूर्ण, व्यावहारिक और गाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित नहीं करती हो, और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित राशि जमा करवा दी गई हो और अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया हो। फिर भी, ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने तथा मामले की व्यावहारिकता एवं अर्हता आंकने आदि में रेलवे को समय लगता है। प्रस्ताव सामान्यत: राज्य सरकार की ओर से होता है। उनके आवेदन सभी मायनों में पूरे नहीं होते हैं और निर्धारित राशि तत्परतापूर्वक जमा नहीं करवायी जाती है।

(ग) भारतीय रेल पर ऐसे कुल 249 प्रस्ताव लंबित हैं। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों के अध्यधीन शीघ्र अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि राज्य सरकारों की ओर से कोई विलंब नहीं हो।

बारासात-हसनाबाद रेलवे खंड का विस्तार

3984. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्यमान बारासात-हसनाबाद रेलवे खंड का सुदंरवन के अंदर तक विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना पर पुल का प्रतिस्थापन

3985. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की योजना यमुना पर विद्यमान पुल पर एक प्रतिस्थापन पुल ('रिप्लेसमेंट ब्रिज) का निर्माण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रतिस्थापन पुल के लाल किला के एक भाग, सलीमगढ़ किला से होकर जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) ने रेलवे को किले के ढांचों को क्षति पहुंचाने के खतरे तथा विश्व विरासत दर्जा खोने की संभावनाओं की ओर संकेत किया है; और

(च) यदि हां, तो विश्व विरासत दर्जे को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क)और (ख) जी हां। उत्तर रेलवे के दिल्ली-शाहदरा-गाजियाबाद खंड में यमुना नदी पर प्रतिस्थापन लेखे में एक नए पुल के निर्माण के लिए कार्य को 1997-98 में मंजूरी दी गई थी। नया पुल मौजूदा पुल के ऊपरी ओर 30 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है।

(ग) और (घ) नए पुल के पश्चिमी पहुंच मार्ग पर रेलपथ स्वतंत्रता सेनानी स्मारक (सलीमगढ़ फोर्ट) की भूमि के कोने से गुजरता है। बहरहाल, यह लाल किले के बीच से नहीं गुजरता। रेलपथ सलीमगढ़ किले की दीवार को पार करता है। चूंकि नया पुल मौजूदा पुल से 30 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, पहुंच मार्गों पर रेलपथ संरेखण को भी मोड़ना पड़ेगा। इसलिए जहां पर यह रेलपथ किले की दीवार (दीवार के ऊपरी सिरे के निकट) को पार कर रहा है, वहां पर रेलपथ की लोकेशन में परिवर्तन करना पड़ेगा। संरेखण को मोड़ने के लिए भूमि के कोने का लगभग 1000 वर्ग मीटर अपेक्षित होगा।

(ङ) जी हां, 26 मार्च, 2004 को माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के साथ आयोजित एक बैठक में माननीय रेल मंत्री ने जनहित की अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित संरेखण के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 1000 वर्ग मीटर भूमि बदले में देने पर सहमति व्यक्त की है। बहरहाल, ए एस आई ने दिनांक 19.5.06 के अपने पत्र में विशेषकर किले की दीवार के पास से रेलपथ गुजारने के लिए नया रास्ता खोले जाने के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं। इस स्मारक का विश्व धरोहर का दर्जा समाप्त होने जैसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(च) नए पुल के निर्माण के महत्व को देखते हुए कोई हल निकालने के लिए इस मुद्दे को संस्कृति मंत्रालय के समक्ष लाया गया है। संस्कृति मंत्रालय के साथ आवश्यक परामर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुना-इटावा रेलवे लाइन

3986. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्वीकृत नई रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी स्वीकृत रेलवे लाइनों पर निर्माण कार्य चल रहा है एवं उन रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन पर आज की तिथि तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) मध्य प्रदेश में गुना तथा इटावा रेलवे लाइनों को कब स्वीकृत किया गया था तथा इस रेलवे लाइन के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले 3 वर्षों में, 14 अदद नई लाइनें शुरू की गई हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सभी नई लाइन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) गुना-इटावा (348.25 किमी.) नई रेल लाइन को 1985-86 में अनुमोदित किया गया था। भिंड-इटावा (36 किमी.) को छोड़कर सम्पूर्ण खंड पर कार्य पूरा हो चुका है और यातायात चालू हो गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार सरकार द्वारा वन भूमि और वन्य भूमि अभयारण्य की भूमि अंतरित नहीं किए जाने के कारण इस 36 किमी. खंड के पूरा होने में देरी हुई है। भूमि के उपलब्ध होने के एक वर्ष के भीतर कार्य समाप्त हो जाएगा।

[अनुवाद]

बिहार में तेल और गैस की खोज

3987. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेल की पहली खोज के रूप में पुरनिया में तेल और गैस के किसी भंडार की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तेल की नई खोज की प्रकृति तथा उसकी अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) इन भंडारों की पूर्णतः खोज तथा दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल संरक्षण

3988. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावी उपयोग के माध्यम से तेल संरक्षण को नई ऊर्जा की त्वरित प्रभावी तथा आर्थिक स्रोत के रूप में रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा विश्व में उपलब्ध अधिक प्रभावी प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा बाजारोन्मुख दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सिस्टम फ्रेमवर्क स्थापित करने तथा समग्र संभावना पर भरोसा करने की तत्काल आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बहुमूल्य तेल के पूर्ण संरक्षण हेतु कोई प्रणाली स्थापित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तेल संरक्षण के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उपभोक्ताओं में पेट्रोलियम उत्पादों के कारगर उपयोग के जरिए संरक्षण के महत्व और आवश्यकता पर जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से और इस संबंध में उनकी सहायता करने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 1978 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित की गई थी। इसका अधिदेश है प्रत्यक्ष तकनीकी सहायता,

अनुसंधान और विकास, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यापक जागरूकता अभियान के जरिए परिवहन, उद्योग, घरों और कृषि के खपत वाले मुख्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देना है।

(ङ) 2006-07 (अप्रैल 06 से दिसम्बर, 06) के दौरान, पीसीआरए ने औद्योगिक क्षेत्र में 184 ऊर्जा जांचें कीं। इन अध्ययनों के माध्यम से अभि-निर्धारित बचत 60590 किलो लीटर तेल (115 करोड़ रुपये के बराबर और अनुवर्ती अध्ययनों के माध्यम से प्राप्त बचत 11600 केएल ओई (22 करोड़ रुपये) थी। पीसीआरए के ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) को भी रखरखाव लागत में 7% की कटौती होने से प्रतिवर्ष 54 करोड़ रुपये की कमी के रूप में अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है।

समुद्रों में जल का सीमांकन

3989. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र में जल सीमांकन हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिणी समुद्र में समुद्री सीमाओं के सीमांकन हेतु फ्लोटिंग मैसिस की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) श्रीलंका और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का पहले ही सीमांकन किया गया है और राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। संगत चार्ट और मानचित्र सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

3990. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीवा-सतना रेल मार्ग पर 23 जनवरी, 2007 को बिरहुली रेल समपार के निकट एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस घटना के क्या कारण थे

(ग) क्या उक्त घटना की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या डिब्बों का बार-बार पटरी से उतरना रेलवे की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) 24 जनवरी 2007 को सतना-रीवा सेक्शन पर बिरहुली रेलवे क्रासिंग के निकट एक मैच ट्रक तथा एक मालगाड़ी के छः खाली वैगन पटरी से उतरे थे। अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गयी थी, जिसका निष्कर्ष था कि यह दुर्घटना गाड़ी रन के दौरान चल स्टाक के दोलन और उछाल के परिणाम स्वरूप घटित हुई थी।

(ङ) और (च) जी नहीं। वास्तव में विभिन्न कदम उठाने और रेलवे द्वारा मानदंड अपनाने के परिणाम स्वरूप भारतीय रेलवे पर रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण परिणामी रेल दुर्घटनाएं घटकर- 2001-02 में 280 से 2002-03 में 218, 2003-04 में 202, 2004-05 में 138, 2005-06 में 131 हुई है तथा उसके उपरांत 2006-07 में 96 (अनंतिम) दुर्घटनाएं हुई हैं।

ऑयल बॉन्ड्स

3991. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऑयल बॉन्ड्स की पांचवी किस्त जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऑयल बॉन्ड्स की किस्त जारी करके कितनी धनराशि एकत्र किए जाने का अनुमान है; और

(घ) ऑयल बॉन्ड्स जारी करके एकत्र हुई धनराशि का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों को 29.3.2007 को पांचवी किस्त में 4971 करोड़ रुपए मूल्य के ब्याज वाले तेल बांड जारी किए हैं। बांड उनके द्वारा संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने में वहन की गई क्षतियों के आंशिक क्षतिपूर्ति के तौर पर जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07 के दौरान जारी तेल बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राशि		(करोड़ रुपए में)
आईओसी	–	13943.21
बीपीसी	–	5247.90
एचपीसी	–	4929.89
		24121.00

तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में अल्पवसूलियों की आंशिक क्षतिपूर्ति और व्यावसायिक विकास के लिए तेल बांडों की धनराशि का उपयोग करेंगी।

अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों का निर्माण

3992. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया तथा ये कहां-कहां है;

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु स्वीकृत छात्रावासों की संख्या कितनी है; जिनका अभी तक निर्माण नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त छात्रावासों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत छात्रावासों की संख्या और जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार छात्रावासों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि की अनुमति दी गई है।

विवरण

छात्रों के लिए छात्रावास

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-04		2005-06		2006-07	
		संस्वीकृत और जारी राशि (लाख रुपए)	छात्रावासों की संख्या	संस्वीकृत और जारी राशि (लाख रुपए)	छात्रावासों की संख्या	संस्वीकृत और जारी राशि (लाख रुपए)	छात्रावासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	25	2	516.2	44	246.3	17

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	छत्तीसगढ़	171.6	4	242.68	12	345.09	19
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	951.83	12	0	0
4.	जम्मू-कश्मीर	0	0	6.39	0	0	0
5.	झारखंड	103.47	6	111.44	9	182.13	7
6.	कर्नाटक	447.68	23	0	0	408	23
7.	केरल	24	1	0	0	0	0
8.	मध्य प्रदेश	0	0	108	4	711.43	25
9.	राजस्थान	0	0	0	0	307.05	15
10.	तमिलनाडु	1275.75	81	0	0	0	0
11.	त्रिपुरा	100	1	151.89	1	0	0
12.	उत्तर प्रदेश	0	0	169.58	3	0	0
13.	उत्तरांचल	95.81	3	0	0	0	0
	कुल	2243.31	121	2258.01	85	2200	106

विवरण

छात्राओं के लिए छात्रावास

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-04		2005-06		2006-07	
		संस्वीकृत और जारी राशि (लाख रुपए)	छात्रावासों की संख्या	संस्वीकृत और जारी राशि (लाख रुपए)	छात्रावासों की संख्या	संस्वीकृत और जारी राशि (लाख रुपए)	छात्रावासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	675	54	125	10	1012.5	81
2.	छत्तीसगढ़	26.3	2	96.9	4	300.2	17

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गुजरात	0	0	60	1	109.56	1
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	955.7	15	69.08	0
5.	झारखंड	103.47	6	111.44	9	19.54	1
6.	कर्नाटक	150.15	9	0	0	222	12
7.	केरल	128.21	1	0	0	0	0
8.	मध्य प्रदेश	0	0	153.12	6	163.47	6
9.	उड़ीसा	0	0	0	0	369.72	78
10.	पंजाब	0	0	0	0	20	1
11.	राजस्थान	0	0	96.75	3	62.78	3
12.	त्रिपुरा	58.84	1	0	0	0	0
13.	उत्तर प्रदेश	0	0	226.1	4	0	0
14.	पांडिचेरी	50	0	242.52	0	0	0
	कुल	1191.97	73	2067.53	52	2348.85	200

[अनुवाद]

भिवानी में सड़क उपरिपुल

3993. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य के भिवानी जिले में रेल समपारों पर तीन सड़क उपरिपुलों के निर्माण तथा इसके लिए अपेक्षित धनराशि प्रदान करने हेतु अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सड़क उपरिपुलों का निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) भिवानी में तीन आर ओ बी के समयबद्ध निर्माण के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य जिला-वार मंजूर नहीं किए जाते बल्कि इन्हें रेलवे-वार उस स्थिति पर मंजूर किया जाता है, जहां समपारों पर यातायात का घनत्व एक लाख टी वी यू (टी वी यू-समपार से 24 घंटों में गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त एक इकाई) से अधिक होती है और जिनके लिए प्रचलित नियमों के अंतर्गत कतिपय पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। बहरहाल, 2007-08 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान, हरियाणा सरकार द्वारा 16 प्रस्ताव प्रायोजित किए गए, जिनमें से हरियाणा में आने वाले 15 कार्यों की स्वीकृति लागत में भागीदारी आधार पर दी गई है तथा इन कार्यों को शुरू करने के लिए निधियां भी आबंटित कर दी गई है।

(1) दिल्ली-अंबाला खंड पर कि.मी. 139/8-6 पर समपार सं. 78-ए बी पर नीलाखेडी में 2 लेन के सड़क ऊपरी पुल का निर्माणं

(2) शाहबाद में दिल्ली-अम्बाला खंड पर कि.मी. 179 पर समपार सं. 98 - ए सी पर 2 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

(3) दिल्ली-अम्बाला खंड पर कि.मी. 70/9-11 पर समपार सं. 42 पर समालखा में 23 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

(4) सोनीपत में समपार सं. 27 बी के बदले 2 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

(5) दिल्ली-अम्बाला खंड पर कि.मी. 135/4-6 पर समपार सं. 78 पर तरावडी में 2 लेन वाले प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

(6) रोहतक-गोहना खंड पर कि.मी. 2/13-14 पर समपार सं. ए-3 पर रोहतक में 2 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

(7) रोहतक-गोहरान खंड पर कि.मी. 3/5-6 पर समपार सं. 4-बी पर रोहतक में 2 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण

(8) दिल्ली-भटिंडा खंड पर कि.मी. 70/11-12 समपार सं. बी-60 पर रोहतक में 2 लेन वाले सड़क ऊपरी पुल का प्रस्तावित निर्माण

(9) दिल्ली-भटिंडा खंड पर कि.मी. 186/2-3 पर टोहना में समपार सं. 162-सी के बदले सड़क ऊपरी/निचले पुल का निर्माण

(10) अंबाला-सहारनपुर खंड पर युमनानगर में समपार सं. 98 बी/2 पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

(11) दिल्ली-भटिंडा खंड पर समपार सं. 23 सी पर बहादुरगढ़ में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

(12) रेवाड़ी-हिसार खंड पर समपार सं. 53 के बदले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

(13) रेवाड़ी-सादुलपुर खंड पर समपार सं. 100 के बदले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

(14) रेवाड़ी-हिसार खंड पर समपार सं. 43 के बदले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

(15) भिवानी-रोहतक खंड पर समपार सं. 53 के बदले सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

(ग) और (घ) रेलवे की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। रेलवे अपने हिस्से का निर्माण अर्थात रेलपथ के ऊपर का पुल का निर्माण करेगी तथा संपर्क मार्ग राज्य सरकार द्वारा बनवाए जाएंगे। रेलवे पूरा प्रयास करेगी कि राज्य सरकार द्वारा संपर्क मार्ग बनाए जाने के साथ-साथ ही सभी स्वीकृत पूरे हो जाएं। निर्माण कार्यों को शुरू करना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार और रेलवे दोनों के द्वारा सामान्य व्यवस्था आरेखण (जी ए डी) तथा विस्तृत अनुमानों को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाए।

सतारा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का विस्तार

3994. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में सतारा रेलवे स्टेशन पर 24 डिब्बों वाली रेलगाड़ी के लिए प्लेटफॉर्मों का विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सतारा रेलवे स्टेशन, पुणे-मिराज इकहरी लाइन खंड पर स्थित है। 24 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी को समाहित करने के लिए प्लेटफार्म संख्या 1 के विस्तार का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इस प्लेटफार्म पर रेलगाड़ियां अप/डाउन दोनों दिशाओं में रिसीव की जा सकती है।

[हिन्दी]

पेन्ट्री कार हेतु ठेकों का नवीकरण

3995. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री पेन्ट्री कार के लिए ठेके देने के बारे में दिनांक 14 दिसंबर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3374 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेन्ट्री कारों के ठेके समाप्त होने के पश्चात् उनका नवीकरण नहीं किया जाएगा, जैसा कि उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को जानकारी है कि उक्त उत्तर के विपरीत रेलगाड़ी सं. 6509-10 से संबद्ध पेन्ट्री कारों का 23 जनवरी, 2007 को आई आर सी टी सी द्वारा जारी पत्र सं. 2001/आई आर सी टी सी/सी टी 9/6509-10 के अनुसार 20 जनवरी, 2012 तक के लिए नवीकरण कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी अन्य रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं जिनकी पेन्ट्री कारों में ठेकों का नवीकरण किया गया है;

(घ) नीति के विपरीत जाकर ठेकों का नवीकरण करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां, संशोधित खानपान नीति 2005 के अनुसार दिए गए पेन्ट्री कारों के लिए ठेकों का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) से (ङ) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन (आई आर सी टी सी) से सूचना एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

भेल द्वारा निर्यात ऑर्डरों का निष्पादन

3996. श्री नवीन जिन्दल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल कम्प्रैसरों की आपूर्ति हेतु यूरोपीय बाजार में निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भेल द्वारा निष्पादित किये जा रहे अन्य निर्यात ऑर्डरों का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने फ्रांस में एक यूरिया संयंत्र की आपूर्ति तथा निर्माण संबंधी निरीक्षण और कम्प्रैसर पैकेज चालू करने के लिए मै. ग्रोड पैरोइज, फ्रांस से एक क्रयादेश प्राप्त किया है।

(ग) भेल ने हाल ही में लीबिया में 600 मे.वा के वेस्टर्न माउंटेन पावर संयंत्र को चालू किया है जो भेल द्वारा विदेश में चालू किया गया सबसे बड़ विद्युत सयंत्र है। वर्तमान में, भेल निम्नलिखित प्रमुख विदेशी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है;

(i) कोस्ती, सूडान में 4x5 म.वा. स्टीम टरबाइन आधारित थर्मल पावर संयंत्र।

(ii) पेट्रोलियम डेवलपमेंट, ओमान के लिए कार्न आलम एवं मुखैजना में टर्नकी आधार पर दो नग गैस टरबाइन आधारित थर्मल पावर संयंत्र।

(iii) पेट्रोलियम डेवलपमेंट, ओमन के लिए कम्प्रेसर पैकेज आदेश की आपूर्ति तीन नग।

(iv) इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, इथोपिया के लिए 230 केवी क्लास के दो सब-स्टेशन प्रोजेक्ट

(v) सलमा अफगानिस्तान में 42 मे.वा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र तथा बिहाई, ताइवान में 63 मे.वा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र

(vi) काबुल अफगानिस्तार तथा बंगला देश में बाघाबरी एवं इशुर्दी में सब-स्टेशन प्रोजेक्ट

(vii) इजीप्टियन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, इजिप्ट के लिए ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति।

(viii) इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन कंपनी, बंगला देश के लिए सिधिरगंज में टर्नकी आधार पर गैस टरबाइन आधारित पावर संयंत्र।

(ix) मौस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जॉर्डन से टर्नकी आधार पर गैस टरबाइन आधारित पावर संयंत्र।

(x) ओमान के लिए गैस टरबाइन जेनरेटर पैकेज की आपूर्ति।

भेल के पास 4000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया निर्यात

क्रयादेश है जिसे आगामी दो से तीन वर्षों में परिसमार्पित किये जाने की संभावना है, जिससे भेल को विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

मानवरहित वायुयान कार्यक्रम

3997. श्री असदुद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 बिलियन अमरीकी डालर का मानवरहित वायुयान कार्यक्रम (यूएवी) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सैन्य तथा असैनिक दोनों प्रयोजनों हेतु यूएवी कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है।

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या यूरोपीय देशों और इस्राइल ने भारत के यूएवी कार्यक्रम हेतु संयुक्त उद्यम में गहरी रूचि दिखाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(छ) क्या इस कार्यक्रम में सयुक्त उद्यम हेतु सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सैन्य अनुप्रयोगों के लिए मानवरहित वायुयान कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है।

(घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानवरहित वायुयान, निशांत का विकास किया है प्रयोक्ता परीक्षण के पश्चात सेना ने भू-सहायता प्रणालियों सहित 12 वायुयानों, जिनका इस समय सीमित श्रृंखलाबद्ध उत्पादन किया जा रहा है, का आर्डर दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यम तुंगता दीर्घ सहायता मानवरहित वायुयान (एम ए एल ई) का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। यूरोपीय और इजराइली कंपनियों ने मानवरहित वायुयानों के संयुक्त विकास कार्यक्रम को शुरू करने के लिए स्वयं ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से संपर्क किया है। यूरोपीय और इजराइली कंपनियों ने मानवरहित वायुयानों संबंधी अपनी क्षमताएं प्रस्तुत करने और उनका प्रदर्शन करने के लिए आरंभिक प्रस्तुतियां की हैं।

(छ) और (ज) जी, नहीं। इस समय रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन केवल भारतीय साझेदार के साथ ही एम.ए.एल.ई. मानवरहित वायुयान का विकास कार्य शुरू करने की योजना बना रहा है। तथापि, आवश्यकता होने पर मानवरहित वायुयानों के संबंध में विदेशी कंपनियों के साथ कतिपय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सीमित परामर्श अथवा संयुक्त विकास शुरू किया जा सकता है।

कोलकाता विमानपत्तन पर कर्मचारियों की कमी

3998. श्री जोवाकिम बखला :
श्री हितेन बर्मन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता विमानपत्तन पर इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान

3999. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं; और

(ग) उक्त संस्थानों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव; जायस, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश में "राजीव गांधी इंस्टीटयूट आफ पेट्रोलियम टेक्नालजी" (आर जी आई-पी टी) स्थापित करने का हैं आर जी आई पी टी, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधनों को विकसित करने और पूरे हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को शामिल करने हेतु एक मूल स्रोत के रूप में काम करने के लिए परिकल्पित है।

(ग) आर जी आई पी टी स्थापित करने की प्रस्तावित परियोजना अवधि 2007-2016 है।

कश्मीर घाटी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक रेल लाइन

4000. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह तक रेल लाइन चालू करने की रेलवे की कोई योजन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वहां रेल सेवाओं को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला (292 किलोमीटर) नई लाइन राष्ट्रीय परियोजना कश्मीर घाटी को रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। श्रीनगर सहित बडगाम से काकापोर तक खंड पूरा हो गया है और रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण एवं डीएमयू कोच, जिसका घाटी अभी तक परिवहन किया जा रहा है, के सफल परीक्षण के बाद गाड़ी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा उधमपुर से कटरा, काजीगुंड-काकापोर और बडमाग से बारामूला तक का खंड 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है।

अंडमान और निकोबार द्वीपों में रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए पोर्ट ब्लेयर और डिगलीपुर के बीच रेल लाइन के लिए 2002-03 में एक अद्यतन सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 239 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की लागत ऋणात्मक प्रतिफल दर के साथ 867 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस परियोजना के अलाभप्रद स्वरूप, चालू परियोजनाओं के भारी बकाया कार्य और संसाधनों की तंगी को देखते हुए इस परियोजना को आरंभ नहीं किया जा सका।

विशेष व्यापार इकाइयों की स्थापना

4001. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई मेगा एयरलाइन कंपनी स्थापित करने तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष व्यापार इकाइयों (एसबीयू) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इन इकाइयां की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को एक नई कंपनी के रूप में विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा प्रथम कदम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड नामक एक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगले 2 वर्षों में चरणबद्ध आधार पर विलय का कार्य पूरा होने की आशा है।

नई कंपनी का एकीकृत यात्री सेवा, एम आर ओ, ग्राउंड हैंडलिंग, एलसीसी, कार्गो तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में सामरिक व्यवसायिक इकाइयां (एस बी यू) होंगी। प्रस्तावित सामरिक व्यवसायिक इकाइयों (एस बी यू) का प्रचालन राष्ट्रीय स्तर पर होगा।

रेलवे स्टेशनों पर निःशक्त व्यक्तियों को टेलीफोन बूथ

4002. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने उस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत देशभर में निःशक्त लोगों को टेलीफोन बूथ आवंटित किए जाते थे जैसा कि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह योजना कब से प्रचलन में थी;

(घ) क्या कोर्ट आफ द चीफ कमिश्नर फार डिसएबीलिटिज ने इस संबंध में रेलवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या रेलवे ने योजना को पूरी तरह समाप्त करने से पहले निःशक्त लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1981 से।

(घ) जी हां।

(ङ) उपरोक्त के अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग मौजूदा सबस्क्राइबर ट्रंक डायलिंक (एसटीडी) और पब्लिक कोल आफिस बूथ धारकों के विभिन्न क्षेत्रों से अनुबंधों के नवीकरण/अवधि बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सबस्क्राइबर ट्रंक डायलिंग (एसटीडी)/पब्लिक कोल आफिस बूथों के जो अनुबंध 27.4.07 को समाप्त हो रहे हैं, को तीन महीने और बढ़ाया जाए।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था

4003. श्री मिलिन्द देवरा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों में प्रकाश की व्यवस्था तथा इनके पुररुद्धार का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने स्मारकों की पहचान की गई है;

(ग) यूनेस्को की धरोहर सूची में कितने स्मारक हैं;

(घ) इन स्मारकों से कितना राजस्व/विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है

(ङ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(च) इस कार्य पर कितना व्यय हुआ?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर दिल्ली के 46 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की मरम्मत, उन्नयन, प्रदीप्तिकरण, सुविधाओं के प्रावधान, पर्यावरण संबंधी विकास आदि करने के लिए पहचान की है।

(ग) और (घ) भारत के 21 स्मारक विश्व विरासत सूची में हैं। इसमें से कुतुब मीनार और हुमायू का मकबरा दिल्ली में हैं। वर्ष 2006-07 में इन स्मारकों से अर्जित राजस्व/विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है:-

	कुतुब मीनार	हुमायू का मकबरा
भारतीय मुद्रा	4,61,35,033 रुपये	2,76,83,930 रुपये
अमरीकी डालर	9,10,080	3,06,588

(ङ) और (च) यथा ऊपर उल्लिखित मरम्मत, उन्नयन, प्रदीप्तिकरण, आदि करने के लिए अनुमानित अपेक्षित धनराशि 23.39 करोड़ रुपये है। यदि धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तो कार्य के मार्च, 2010 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

पेट्रोल और डीजल के नमूने लेने की पद्धति

4004. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तेल निगम के अधिकारी आई एस 1447:2000 द्वारा निर्धारित पैट्रोल और एच एस डी के नमूने लेने की पद्धति का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या आई एस 1460 और आई एस 2790 ने भी आई एस 1447 की निर्धारित भिन्न भिन्न सीरीज की सैंपलिंग का तरीका अपनाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल निगमों को आई एस 1447 में अनुशंसित पेट्रोलियम की सैंपलिंग की निर्धारित पद्धति को बदलने का अधिकार प्राप्त है;

(घ) क्या हरियाणा पैट्रोलियम एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) भा.मा. 1447 (भाग-1) 2000, मोटर स्पिरिट (एमएस) तथा हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के लिए समुद्री टैंकरों, स्थिर/तटीय टैंकों, टैंक ट्रकों तथा नमूना कंटेनरों चिह्न आदि से नमूना लेने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता है। भा.मा. 1447 की अपेक्षाएं एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी) तथा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा जारी "गैर-विमानन उद्योग गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल" के अध्याय में बताई गई हैं। तथापि खुदरा बिक्री नोजलों से एमएस/एचएसडी नमूनों की प्राप्ति भा.पा. 1447 (भाग-1); 2000 में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) ओएमसीज द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के पास समय-समय पर अपने मानकों को संशोधन करने की प्रणाली है। आवश्यकताओं के आधार पर तथा नमूना लेने की प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाने के लिए, समय-समय पर नमूना लेने की प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए जाते हैं। भा.मा. 1447 (भाग-1) 2000 के खंड 6.1 के अनुसार यदि संबंधित पक्षकारों के बीच पारस्परिक करार हो जाए, तो वैकल्पिक नमूना लेने की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) से (ङ) नमूना लेने की प्रक्रिया सहित एमडीजी 2005 के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर हरियाणा पेट्रोलियम डीलर संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ओएमसीज़ दिशा-निदेशों में यथा-विनिर्दिष्ट नमूना लेने की प्रक्रिया को अपना रही है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों के अन्तर्गत कृतिक बल

4005. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने लंबित रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के अधीन एक कृतिक बल गठित करने के अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कृतिक बल हेतु पश्चिम मध्य रेलवे तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत पहचान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में संस्कृति को बढ़ावा देना

4006. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में संस्कृति के संरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। ये गतिविधियां मंत्रालय के संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से पूरी की जाती हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा में संस्कृति के संरक्षण के पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे

क्र.सं.	मद	वर्ष	राशि (रु. में)
1	2	3	4
I.	**बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर**		
1.	उड़ीसा में बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	2004-05	1,00,00,000
II.	**स्थानीय और क्षेत्रीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता**		
1.	उड़ीसा राज्य संग्रहालय	2005-06	3,84,000
2.	पाली संस्कृति कला परिषद, पुरी	2006-07	4,50,000
3.	नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय न्यास, कटक		9,30,000
4.	किशिंग संग्रहालय, मयूर भंज		7,60,000
5.	जनजातीय संग्रहालय, कोरापुट		13,20,000
6.	उड़ीसा राज्य पुरातत्व विज्ञान, भुवनेश्वर		3,96,000
7.	बारीपदा संग्रहालय, मयूर भंज		1,71,000
III.	**क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना**		
1.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर।	2004-05	70,90,000
		2005-06	52,82,000
		2006-07	89,11,000
2.	जिला विज्ञान केन्द्र, धेनकनाल और विज्ञान पार्क, कपिलास	2004-05	23,74,000
		2005-06	21,51,000
		2006-07	26,28,000
IV.	**राष्ट्रीय अभिलेखागार**		
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिलेखीय रिपाजिटरी, सरकारी पुस्तकालय को सहायता के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।	2004-05	7,50,000

1	2	3	4
	2. गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता।	2004-05	2,00,000
		2005-06	75,000
V.	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण		
	1. प्रलेखन/प्रसार योजना की परियोजना	2004-05	55,23,000
		2005-06	130,10,000
		2006-07	195,16,000
VI.	शताब्दियां और स्मारक		
	1. राष्ट्रीय स्मारक का विकास और अनुरक्षण (नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय न्यास, कटक)	2004-05	75,00,000
	2. शताब्दी समारोह के लिए संगठनों को दी गई अनुदान राशि।	2005-06	2,15,000
VII.	छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां	2004-05	10,92,000
	(उड़ीसा से संबंधित व्यक्तियों को प्रदान किए गए)	2005-06	6,84,000
		2006-07	19,44,000
VIII.	संगोष्ठी अनुदान	2004-05	6,12,000
	(उड़ीसा से संबंधित व्यक्तियों को प्रदान किए गए)	2005-06	6,84,000
		2006-07	4,97,500

IX. अकादमियां

ललित कला अकादमी का वार्षिक बजटीय आबंटन 20.00 लाख रु. से 25.00 लाख रु. प्रति वर्ष जिसमें केन्द्र का अनुरक्षण तथा कला शिविर, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने सहित उड़ीसा राज्य के कार्यक्रम शामिल हैं। इन शीर्षों/स्कीमों के आबंटन के ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते।

X. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने उड़ीसा में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक कार्यकलाप शुरू किया है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :-

(क) उड़ीसा के लोगों के मध्य फील्डवर्क किया है तथा उड़ीसा वासियों की महत्वपूर्ण संस्कृति संबंधी 660 वस्तुओं का संग्रह विकसित किया है।

(ख) अपने मुक्ताकाश प्रदर्शनी में उड़ीसा के जनजातीय आवास, समुद्र तटीय गांव तथा पौराणिक पथ संबंधी 7 प्रदर्शों को विकसित किया।

(ग) अपने स्थायी इंडोर प्रदर्शनी वीथि संकुल में उड़ीसा से एकत्र की गई वस्तुओं तथा अनेक पत्रिकाओं तथा चल प्रदर्शनियां प्रदर्शित किया।

(घ) दो विशेष चल प्रदर्शनियां - 'रॉक आर्ट आफ इंडिया' तथा - सेक्रेड ग्रूव्स' उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में लगाई गई।

(ङ) अनेक कलाकार शिविर, कला और शिल्प प्रदर्शन कार्यशालाएं तथा संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उड़ीसा के पारंपरिक ज्ञान प्रणाली प्रदर्शित की गई थी।

(च) विभिन्न अवसरों पर उड़ीसा के निष्पादन कलारूपों की प्रस्तुती आयोजित की गई।

इन शीर्षों/स्कीमों के आबंटन के ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते।

XI. विविध

इसके अतिरिक्त, निर्माण अनुदान जनजातीय और लोक कला तथा भवन अनुदान की स्कीम के अंतर्गत वेतन और सहायता भी प्रदान की जाती है। इन शीर्षों/स्कीमों के आबंटन के ब्यौरे राज्यवार नहीं रखे जाते।

होस्पेट और कोंकण के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

4007. श्री एम. शिवण्णा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होस्पेट और कोंकण रेलवे के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण से संबंधित कार्य काफी प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों को रेल किराए में रियायत

4008. श्री एम. अप्पादुरई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्वतंत्रता सेनानियों को रेल किराए में रियायत अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्वतंत्रता सेनानियों विशेषकर तमिलनाडु सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को रेल किराए में रियायत देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रेलगाड़ियों में किराए में रियायत अनुमेय नहीं है। बहरहाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन स्कीम के अंतर्गत पेंशन लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम श्रेणी/सेकेंड एसी मानार्थ कार्ड पास जारी किए जाते हैं। वे अपने साथ इन्हीं श्रेणियों में एक सहचर भी ले जा सकते हैं। ये पास मेट्रो रेलवे, कोलकाता को छोड़कर भारतीय रेलवे नेटवर्क के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक यात्रा करने के लिए उपलब्ध हैं। ये पास राजधानी/शताब्दी रेल गाड़ियों में वैध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कला परियोजनाओं के लिए सहायता

4009. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न कला परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में विद्यालय स्तर पर ललित कलाओं और प्रदर्शन योग्य कलाओं को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र में अपनी रूचि के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने के लिए मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों पर उड़ान/कार्गो संचलन

4010. श्री पी.सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन, तिरूवनन्तपुरम और कोझीकोड विमानपत्तनों के उड़ान, यात्रियों और कार्गो संचलन के संदर्भ में कुल व्यापारावर्त्त में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमानपत्तन के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के क्रमशः कोचीन, तिरूवनन्तपुरम और कोझीकोड अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए विमान संचालन, यात्री और कार्गो भार का ब्यौरा निम्नानुसार है :- विमान संचलन (संख्या में)-2004-05-18075, 10422 तथा 9447; 2005-06-20568, 11482 तथा 11134; 2006-07-30153, 18693 तथा 13105, यात्री (संख्या में)-2004-05-1596126, 1160151 तथा 827861; 2005-06-1886614, 1325733 तथा 960362; 2006-07-2563236, 1781201 तथा 1133652; कार्गो भार (टन में)-2004-05-22175; 23655 तथा 10589; 2005-06-21237, 24580 तथा 10630; 2006-07-22829, 31907 तथा 11461

[हिन्दी]

नई रेल लाइनों को बिछाया जाना

4011. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जोनवार बिछाई गई नई रेल लाइनों की लंबाई कितनी है;

(ख) उन रेल लाइनों का जोनवार ब्यौरा क्या है जिनका उक्त अवधि के दौरान आमान परिवर्तन किया गया है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त अवधि के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने और आमान परिवर्तन करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्ष के दौरान जोनवार पूरी की गई नई लाइनें एवं आमान परिवर्तन इस प्रकार हैं-

(न.ला. नई लाइन और आ.प. आमान परिवर्तन का द्योतक है)

रेलवे	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	न.ला.	आ.प.	न.ला.	आ.प.	न.ला.	आ.प.	न.ला.	आ.प.	न.ला.	आ.प.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य	—	42	28	—	44	—	—	—	—	80
पूर्व	—	—	13	—	—	—	13	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्व मध्य	42	—	30	—	18	—	12	51	—	54
पूर्व तट	36	—	12	—	—	—	—	—	98	—
उत्तर	—	—	56	—	—	—	45	83	28	—
पूर्वोत्तर	14	—	—	—	—	—	—	165	—	107
पूर्वोत्तर सीमा	53	—	13	198	—	61	—	53	—	23
उत्तर मध्य	—	—	—	98	—	53	—	—	—	—
उत्तर पश्चिम	—	150	—	143	—	108	45	—	66	185
दक्षिण	—	80	—	176	—	48	—	86	—	256
दक्षिण मध्य	15	166	—	30	44	163	—	14	48	117
दक्षिण पूर्व	18	—	10	—	44	161	—	—	—	15
दक्षिण पश्चिम	—	25	—	57	—	45	42	44	—	52
दक्षिण पूर्व मध्य	—	—	—	—	—	48	23	—	—	—
पश्चिम	—	367	—	152	—	92	—	248	10	193

(ग) पिछले पांच वर्ष के दौरान नई लाइन और आमान परिवर्तन योजना शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः लगभग 9158 करोड़ रुपये और 6700 करोड़ रुपये (अनंतिम) व्यय उपगत हुआ है।

एल एन जी का आयात

4012. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अन्य देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना में एल एन जी की अनुमानतः कितनी आवश्यकता है;

(घ) इस अवधि में कितना घरेलू उत्पादन होने की आशा है; और

(ङ) उक्त योजना अवधि के दौरान विशेषकर ईरान से कितनी गैस का आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) देश में प्राकृतिक गैस की मौजूदा कमी और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के आयात का भी प्रयास कर रही है।

पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) ने 25 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 एम एम टी पी ए एल एन जी के आयात के लिए रास गैस, कतर के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

रास गैस, कतर पहले ही 5 एम एम टी पी ए एल एन जी की आपूर्ति कर रही है और शेष 2.5 एम एम टी पी ए एल एन जी की आपूर्ति 2009 के मध्य से शुरू हो जायेगी।

गेल, आई ओ सी और बी पी सी एल ने 5 एम एम टी पी ए एल एन जी के आयात के लिए 13 जून, 2005 को नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एन आई जी ई सी) के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी आपूर्ति 2009 से शुरू करना निर्धारित है। इसके साथ ही, इन पक्षकारों ने एल एन जी एस पी ए के लिए पार्श्व-पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके अनुसार एस पी ए को प्रभावी बनाने हेतु एन आई जी ई सी को अपनी मूल कंपनी, अर्थात नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एन आई ओ सी), को अनुमोदन प्राप्त करना था। एन आई जी ई सी ने अभी तक एन आई ओ सी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

पी एल एल कोच्चि में 2.5 एम एम टी पी ए का एल एन जी टर्मिनल स्थापित कर रही है, जिसे बढ़ाकर 5 एम एम टी पी ए तक करने का प्रावधान है। पी एल एल अपने कोच्चि एल एन जी टर्मिनल के लिए आस्ट्रेलिया की गोर्गान एल एन जी परियोजना से 2.5 एम एम टी पी ए एल एन जी आयात करने हेतु बात कर रही है, जो अग्रिम चरण में है।

गेल दाभोल एल एन जी टर्मिनल के लिए वर्ष 2009 के आगे दीर्घकालीन आधार पर एल एन जी के आयात के लिए एल एन जी के विभिन्न संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ बात कर रही है।

पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर एल एन जी) की मांग का आकलन अलग से नहीं किया जाता। यह देश में प्राकृतिक गैस की समग्र मांग पर निर्भर करती है। 11वीं योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी कार्य दल ने 2011-12 के दौरान प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति क्रमशः 279.43 एम एम एस सी एम डी और 285.42 एम एम एस सी एम डी प्रक्षेपित की है, जिसमें 83.12 एम एम एस सी एम डी आर एल एन जी (23.75 एम एम टी पी ए) शामिल हैं। वर्ष 2011-12 के लिए प्रक्षेपित 285.42 एम एम एस सी एम डी गैस आपूर्ति में से 202.30 एम एम एस सी एम डी घरेलू उत्पादन से होगी।

रेलवे अस्पताल

4013. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री पन्नियन रविन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक रेलवे द्वारा कितने अस्पतालों की स्थापना की गई है और इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की गई है;

(ख) क्या रेलवे के पास प्रत्येक जोन में कम से कम एक सुपर स्पेशेलिटी अस्पताल की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अस्पतालों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

121 रेल अस्पतालों का ब्यौरा

क्र.सं.	जोन का नाम	अस्पताल का नाम	स्थल	राज्य
1	2	3	4	5
1.	मरे	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल	बायखला/मुंबई	महाराष्ट्र
2.	मरे	रेल मंडल अस्पताल	पुणे	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
3.	मरे	रेल मंडल अस्पताल	भुसावल	महाराष्ट्र
4.	मरे	रेल मंडल अस्पताल	कल्याण/मुंबई	महाराष्ट्र
5.	मरे	रेल मंडल अस्पताल	सोलापुर	महाराष्ट्र
6.	मरे	रेल मंडल अस्पताल	नागपुर	महाराष्ट्र
7.	मरे	रेल उप मंडल अस्पताल	अमला	मध्य प्रदेश
8.	मरे	रेल उप मंडल अस्पताल	इगतपुरी	महाराष्ट्र
9.	मरे	रेल उप मंडल अस्पताल	कुर्डवाडि/सोलापुर	महाराष्ट्र
10.	मरे	रेल उप मंडल अस्पताल	दौंड	महाराष्ट्र
11.	मरे	रेल उप मंडल अस्पताल	मनमाड़	महाराष्ट्र
12.	पूतरे	रेल सेंट्रल अस्पताल	मान्चेश्वर/भुवनेश्वर	उड़ीसा
13.	पूतरे	रेल मंडल अस्पताल	वाल्टेयर/विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
14.	पूतरे	रेल मंडल अस्पताल	खोरधा रोड	उड़ीसा
15.	पूतरे	रेल मंडल अस्पताल	सम्बलपुर	उड़ीसा
16.	पूमरे	रेल मंडल अस्पताल	दानापुर	बिहार
17.	पूमरे	रेल मंडल अस्पताल	सोनपुर	बिहार
18.	पूमरे	रेल मंडल अस्पताल	मुगलसराय	उत्तर प्रदेश
19.	पूमरे	रेल मंडल अस्पताल	समस्तीपुर	बिहार
20.	पूमरे	रेल मंडल अस्पताल	धनबाद	झारखंड
21.	पूमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	पतरातु/धनबाद	झारखंड
22.	पूमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	गया/मुगलसराय	बिहार
23.	पूमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	गढ़हरा/सोनपुर	बिहार
24.	पूरे	सेंट्रल अस्पताल/बीआर सिंह अस्पताल	सियालदाह	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5
25.	पूरे	रेल मंडल अस्पताल/पूरे अस्पताल माल्दा टाउन	माल्दा	पश्चिम बंगाल
26.	पूरे	रेल मंडल अस्पताल	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
27.	पूरे	रेल मंडल अस्पताल/हवड़ा ओर्थोपेडिक	हवड़ा	पश्चिम बंगाल
28.	पूरे	रेल उप मंडल अस्पताल	आद्रा	पश्चिम बंगाल
29.	पूरे	रेल कारखाना अस्पताल अस्पताल	जमालपुर	बिहार
30.	पूरे	रेल कारखाना अस्पताल अस्पताल	कांचरापाडा	पश्चिम बंगाल
31.	पूरे	रेल कारखाना अस्पताल अस्पताल	लिलुआ	पश्चिम बंगाल
32.	पूरे	चिरेका/केजी अस्पताल/उत्पादन कारखाना	चित्तरंजन	पश्चिम बंगाल
33.	उमरे	रेल मंडल अस्पताल	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
34.	उमरे	रेल मंडल अस्पताल	झांसी	उत्तर प्रदेश
35.	उमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	कानपुर	उत्तर प्रदेश
36.	उमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	टूंडला	उत्तर प्रदेश
37.	पूर्वोत्तर	एल एन एम रेल अस्पताल	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
38.	पूर्वोत्तर	रेल मंडल अस्पताल	इज्जतनगर	उत्तराखंड
39.	पूर्वोत्तर	रेल मंडल अस्पताल	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
40.	पूर्वोत्तर	रेल मंडल अस्पताल	बादशाह नगर/लखनऊ	उत्तर प्रदेश
41.	पूर्वोत्तर	रेल मंडल अस्पताल	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
42.	पूर्वोत्तर	रेल मंडल अस्पताल	गोंडा/लखनऊ	उत्तर प्रदेश
43.	पूर्वोत्तर	डीरेका उत्पादन कारखाना रेल अस्पताल	डीरेका/वाराणसी	उत्तर प्रदेश
44.	पूर्वोत्तर	कैंसर शोध संस्थान	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
45.	पूसीरे	सेंट्रल अस्पताल	मालीगांव/गुवाहटी	असम
46.	पूसीरे	रेल मंडल अस्पताल	कटिहार	बिहार

1	2	3	4	5
47.	पूसीरि	रेल मंडल अस्पताल	अलीपुरद्वार	पश्चिम बंगाल
48.	पूसीरि	लमडिंग रेल मंडल अस्पताल	लमडिंग	असम
49.	पूसीरि	रेल मंडल अस्पताल	डिब्रूगढ़/तिनसुकिया	असम
50.	पूसीरि	न्यू बोंगाईगांव रेल मंडल अस्पताल	न्यू बोंगाईगांव/रंगपाड़ा	असम
51.	पूसीरि	रेल उप मंडल अस्पताल	न्यू जलपाईगुडी/कटिहार	पश्चिम बंगाल
52.	पूसीरि	रेल उप मंडल अस्पताल	न्यू तिनसुकिया/तिनसुकिया	असम
53.	पूसीरि	रेल उप मंडल अस्पताल	बदरपुर/लमडिंग	असम
54.	पूसीरि	रेल उप मंडल अस्पताल	रंगपाड़ा नाथ रंगा	असम
55.	पूसीरि	रेल उप मंडल अस्पताल	तीनधरिया/कटिहार	पश्चिम बंगाल
56.	उरे	उत्तर रेल सैंट्रल अस्पताल	नई दिल्ली	दिल्ली
57.	उरे	रेल मंडल अस्पताल	मेन दिल्ली	दिल्ली
58.	उरे	रेल मंडल अस्पताल	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
59.	उरे	रेल मंडल अस्पताल	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
60.	उरे	रेल मंडल अस्पताल	फिरोजपुर	पंजाब
61.	उरे	रेल मंडल अस्पताल	अम्बाला	हरियाणा
62.	उरे	रेल उप मंडल अस्पताल	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
63.	उरे	रेल उप मंडल अस्पताल	फिरोजपुर/अमृतसर	पंजाब
64.	उरे	मंडलेतर अस्पताल अअमासं, लखनऊ	अअमासं/लखनऊ	उत्तर प्रदेश
65.	उरे	कारखाना अस्पताल जगाधरी	जगाधरी	हरियाणा
66.	उरे	कारखाना अस्पताल, डीकका पटियाला	डीकका/पटियाला	पंजाब
67.	उरे	उत्पादन कारखाना अस्पताल	रेडिका/कपूरथला	पंजाब
68.	उपरे	रेल सैंट्रल अस्पताल	जयपुर	राजस्थान

1	2	3	4	5
69.	उपरे	रेल मंडल अस्पताल	अजमेर	राजस्थान
70.	उपरे	रेल मंडल अस्पताल	जोधपुर	राजस्थान
71.	उपरे	रेल मंडल अस्पताल	बीकानेर	राजस्थान
72.	उपरे	रेल उप मंडल अस्पताल	रेवाड़ी	राजस्थान
73.	उपरे	रेल उप मंडल अस्पताल	बांदीकुई	राजस्थान
74.	उपरे	रेल उप मंडल अस्पताल	अबू रोड (अजमेर)	राजस्थान
75.	उपरे	रेल उप मंडल अस्पताल	राणाप्रताप नगर (अजमेर)	राजस्थान
76.	दमरे	सेंट्रल रेल अस्पताल	लालगुडा/सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
77.	दमरे	रेल मंडल अस्पताल	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
78.	दमरे	रेल मंडल अस्पताल	गुंतकल	आंध्र प्रदेश
79.	दमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	पूर्णा/नांदेड़	महाराष्ट्र
80.	दमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	रायनपाडु/विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
81.	दपूमरे	रेल सेंट्रल अस्पताल	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
82.	दपूमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	रायपुर/भिलाई विन्यास यार्ड	छत्तीसगढ़
83.	दपूमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	नैनपुर/नागपुर	महाराष्ट्र
84.	दपूमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	शहडोल/बिलासपुर	मध्य प्रदेश
85.	दपूरे	सेंट्रल अस्पताल	गोल्डन रीच/कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
86.	दपूरे	रेल मंडल अस्पताल	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
87.	दपूरे	रेल मंडल अस्पताल	आद्रा	पश्चिम बंगाल
88.	दपूरर	रेल मंडल अस्पताल	चक्रधरपुर	झारखंड
89.	दपूरे	रेल उप मंडल अस्पताल	बोंडामुंडा/चक्रधरपुर	उड़ीसा
90.	दपूरे	टाटा रेल उप मंडल अस्पताल	चक्रधरपुर	झारखंड
91.	दपूरे	रेल सेंट्रल अस्पताल	पेरम्बूर/चैन्नै	तमिलनाडु

1	2	3	4	5
92.	दरे	रेल मंडल अस्पताल	अरक्कोणम	तमिलनाडु
93.	दरे	रेल मंडल अस्पताल	पोनमलै/तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
94.	दरे	रेल मंडल अस्पताल	मदुरै	तमिलनाडु
95.	दरे	रेल मंडल अस्पताल	पालघाट	केरल
96.	दरे	रेल मंडल अस्पताल	तिरुवंनतपुरम	केरल
97.	दरे	रेल मंडल अस्पताल	शोरण्णूर	केरल
98.	दरे	रेल उप मंडल	ईरोड	तमिलनाडु
99.	दरे	रेल उप मंडल	पोदनूर	तमिलनाडु
100.	दरे	रेल उप मंडल	विलुपुरम/तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
101.	दरे	सडिका रेल अस्पताल	सवारी डिब्बा कारखाना (चैन्नै)	तमिलनाडु
102.	दपरे	मध्य रेल अस्पताल	हुबली	कर्नाटक
103.	दपरे	रेल मंडल अस्पताल	बेंगलुरु	कर्नाटक
104.	दपरे	रेल मंडल अस्पताल	मैसूर	कर्नाटक
105.	दपरे	उत्पादनक कारखाना/रेपका अस्पताल	यलहंका (बेंगलुरु)	कर्नाटक
106.	पमरे	रेल सेंट्रल अस्पताल	जबलपुर	मध्य प्रदेश
107.	पमरे	रेल मंडल अस्पताल	निशातपुरा/भोपाल	मध्य प्रदेश
108.	पमरे	रेल मंडल अस्पताल	कोटा	राजस्थान
109.	पमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	इटारसी (भोपाल)	मध्य प्रदेश
110.	पमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	बीना (भोपाल)	मध्य प्रदेश
111.	पमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	गंगापुर सिटी (कोटा)	राजस्थान
112.	पमरे	रेल उप मंडल अस्पताल	न्यू कटनी (कटनी)	मध्य प्रदेश
113.	परे	सेंट्रल अस्पताल/जगजीवनराम अस्पताल	मुंबई सेंट्रल	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
114.	परे	रेल मंडल अस्पताल	प्रतापनगर/वड़ोदरा	गुजरात
115.	परे	रेल मंडल अस्पताल	साबरमती (अहमदाबाद)	गुजरात
116.	परे	रेल मंडल अस्पताल	रतलाम	मध्य प्रदेश
117.	परे	रेल मंडल अस्पताल	राजकोट	गुजरात
118.	परे	रेल मंडल अस्पताल	भावनगर पाडा	गुजरात
119.	परे	रेल उप मंडल अस्पताल	वालसाड़ (मुंबई सेंट्रल)	गुजरात
120.	परे	रेल उप मंडल अस्पताल	गांधीधाम (अहमदबाद)	गुजरात
121.	परे	मुख्य अस्पताल/दाहोद रेल अस्पताल	दाहोद	गुजरात

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरण

4014. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने की इच्छा व्यक्त की है जैसा कि दिनांक 22 मार्च, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रेलवे के प्रत्येक मंडल विशेषकर झारखंड स्थित जोन और मंडल में रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा अपने मंडलों में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कितना व्यय किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। खुफिया जानकारी के अनुसार भारतीय रेल भारत में उग्रवादियों का आसान निशाना है और भारतीय रेल के रेल नेटवर्क पर उग्रवादियों और असामाजिक तत्वों के हमले करने के कुछ मामले पता लगे हैं।

(ख) भारतीय रेल पर 50 मंडलों के 17 मैट्रो स्टेशनों सहित 185 रेलवे स्टेशनों को संवेदनशील स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है जहां सुरक्षा प्रणालियों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(ग) झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरा, सघन खोजी मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीनें आदि संस्थापित की जा रही हैं।

2. सवारी डिब्बों, पार्सल, बैगों, स्टेशन क्षेत्र की जांच और विस्फोटकों की खोज के लिए खोजी कुत्तों को लगाया जा रहा है।

3. सवारी डिब्बों में जनता को सचेत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के साथ-साथ मैगा फोन द्वारा चौबीसों घंटों घोषणाएं की जाती हैं।

4. रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर तोड़-फोड़ रोधी जांच के लिए हैंड हैल्ड डिटेक्टर और डोरफ्रेम मैटल डिटेक्टर का प्रयोग करना।

5. मोबाइल फोन, वाकी टाकी, उच्च आवृति के सेटों को मुहैया कराकर रेल सुरक्षा प्रणाली की संचार प्रणाली को बेहतर बनाना।

(घ) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान 149,23,19,769/- रु. व्यय/किए जाने वाले प्रस्ताव पुनरीक्षित और अनुमोदित है।

विश्व विरासत स्थलों का सड़क संपर्क

4015. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व विरासत स्थलों और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थानों का सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उन पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को राज्य सरकारों से उक्त प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षण किया जाता है और निधियां, उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाओं का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07		
		स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	16	2827.19	2240.68	7	2615.82	1700.00	3	1540.56	1195.44
2.	असम	8	986.03	766.22	10	2140.00	1698.45	9	2453.39	1813.21
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	1325.50	927.96	10	2240.16	1655.21	12	1887.80	1497.24
4.	बिहार	7	1901.43	1527.71	3	1212.23	722.49	2	1937.29	974.59
5.	छत्तीसगढ़	6	1117.94	897.93	7	1775.59	1436.54	16	3540.17	2491.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गोवा	3	110.00	38.00	1	10.00	8.00	0	0.00	0.00
7.	गुजरात	2	138.93	111.14	5	2011.58	1169.04	7	443.65	359.51
8.	हरियाणा	6	693.55	513.64	7	639.71	515.77	5	1836.16	902.39
9.	हिमाचल प्रदेश	12	2680.00	2161.00	6	1645.00	921.00	8	1871.00	1226.13
10.	जम्मू व कश्मीर	5	819.25	599.04	22	6656.01	5320.31	29	5233.82	3392.90
11.	झारखंड	2	945.91	756.72	5	1227.27	697.76	3	956.35	769.99
12.	कर्नाटक	12	2461.76	1937.37	8	1706.52	1001.21	4	1323.89	1081.81
13.	केरल	10	2283.63	1820.33	13	4858.88	3889.90	18	4474.02	3441.61
14.	मध्य प्रदेश	11	1595.19	942.21	12	3047.39	2419.54	10	3668.47	2797.75
15.	महाराष्ट्र	10	1620.62	925.30	9	2075.04	1662.99	13	2839.05	2271.98
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00	2	49.80	39.84	9	939.35	647.48
17.	मेघालय	2	963.30	807.91	1	5.00	4.00	9	1435.29	1147.93
18.	मिजोरम	6	1086.35	382.38	10	2273.41	1687.29	9	2613.38	2040.80
19.	नागालैंड	7	2250.69	1413.40	9	2528.97	1873.17	8	2340.32	1862.51
20.	उड़ीसा	8	1320.74	1059.38	10	2309.61	1586.44	13	2826.84	1974.66
21.	पंजाब	7	724.68	581.47	5	1437.67	1150.13	13	3223.37	1988.68
22.	राजस्थान	13	2516.61	1375.07	7	2591.87	2086.40	8	953.84	763.06
23.	सिक्किम	8	660.81	531.33	14	2844.56	2213.74	13	2609.42	1647.77
24.	तमिलनाडु	7	1308.92	705.83	19	4264.62	3007.68	11	1866.41	1496.87
25.	त्रिपुरा	1	20.00	16.00	3	716.26	569.43	4	291.27	96.01
26.	उत्तरांचल	7	2199.98	1750.73	13	2738.00	2193.18	16	1907.50	1434.34
27.	उत्तर प्रदेश	9	1044.93	831.19	18	3905.23	3126.03	7	3329.06	2663.24
28.	पश्चिम बंगाल	10	513.04	407.43	5	989.35	792.48	10	2978.32	2195.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	1	6.25	5.00	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	467.00	373.60	1	13.70	13.70	2	15.00	14.00
31.	दादर व नगर हवेली	0	0.00	0.00	2	29.79	25.92	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	8	628.85	511.00	2	20.00	17.00	5	2400.09	1209.54
33.	दमन व दीव	0	0.00	0.00	4	262.28	208.61	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0	0	1	7.00	5.60
35.	पॉडिचेरी	2	451.00	360.00	2	469.39	375.51	1	500.00	400.00
	कुल	217	37663.83	27371.97	253	61316.96	45793.76	278	64242.08	45783.51

टिप्पणी - इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

ग्राउंड हैंडलिंग सिस्टम हेतु मानदंड

4016. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ग्राउंड हैंडलिंग सिस्टम हेतु कोई मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ एयरलाइंसों ने ग्राउंड हैंडलिंग हेतु बार्टर सिस्टम शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या विद्यमान ग्राउंड हैंडलिंग सिस्टम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, भू-सम्हलाई सेवाओं हेतु प्रवेश) अधिनियम, 2000 के अनुसार स्व:सम्हलाई करने वाली कुछ एयरलाइनों के अतिरिक्त राष्ट्रीय वाहक यथा एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स व मैसर्स कम्बाटा एविएशन हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। सरकार एयरलाइनों द्वारा अपनाई जा रही किसी बार्टर प्रणाली से अवगत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने एक नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार निम्नलिखित निकाय भू-सम्हलाई के लिए पात्र हैं :-

(क) सभी महानगरीय हवाईअड्डों यथा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर तथा हैदराबाद।

(i) संबंधित हवाईअड्डा प्रचालक स्वयं या उसका संयुक्त उद्यम, (ii) राष्ट्रीय वाहकों यथा एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की सहायक कम्पनियां या ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं

में विशेषता प्राप्त उनके संयुक्त उद्यम। इन सहायक कम्पनियों को तीसरे पक्ष सम्हलाई की अनुमति भी प्रदान की जाएगी तथा (iii) हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता।

(ख) सभी अन्य हवाईअड्डों पर ऊपर उल्लिखित निकायों के अतिरिक्त, विदेशी एयरलाइनों को छोड़कर अन्य एयरलाइनों को स्व: सम्हलाई की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ग) ग्राउंड हैंडलिंग के कार्य में वर्तमान में शामिल उपर्युक्त (क) तथा/या (ख) में उल्लेखित एयरलाइनें या निकाय, जो इस नीति के अन्तर्गत शामिल नहीं होते हैं को दिनांक 1.1.2009 से स्व:सम्हलाई या तीसरा पक्ष सम्हलाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। संगत नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

पेट्रोलियम उत्पादों का एक-समान मूल्य

4017. श्री रायपति सांबासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य को एकसमान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) राज्यों की राजधानियों/संघ शासित क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

यद्यपि, इन पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार-पूर्व आधारभूत मूल्य देश भर में एक समान हैं, खुदरा बिक्री मूल्यों में स्थान दर स्थान भिन्नता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है:

- निकटतम रिफाइनरी से बाजार तक का भाड़ा
- राज्य बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर (वैट)
- मार्ग कर, चुंगी, प्रवेश कर, सुपुर्दगी प्रभार, आदि जैसे अन्य स्थानीय शुल्क

वर्तमान में, पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राजधानी	डीजल रुपए प्रति लीटर	पेट्रोल रुपए प्रति लीटर	घरेलू पैक्ड एलपीजी रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेण्डर
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	मुंबई	34.96	48.41	297.95
दिल्ली	दिल्ली	30.25	42.85	294.75
तमिलनाडु	चेन्नै	33.31	47.48	288.10

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	32.88	46.90	300.50
मध्य प्रदेश	भोपाल	35.55	46.99	328.75
गुजरात	गांधीनगर	35.21	47.74	312.10
गोवा	पंजिम	33.19	44.36	307.95
छत्तीसगढ़	रायपुर	34.13	44.82	301.80
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	33.65	46.41	294.85
हिमाचल प्रदेश	शिमला	31.38	45.68	294.70
चंडीगढ़	चंडीगढ़	30.63	44.09	303.25
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	31.92	46.11	303.55
उत्तरांचल	देहरादून	32.70	44.58	293.60
राजस्थान	जयपुर	33.07	46.49	297.50
हरियाणा	अंबाला	30.34	42.81	298.90
पंजाब	जालंधर	30.08	46.93	296.50
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	33.81	48.82	302.85
केरल	त्रिवेंद्रम	33.73	46.04	302.10
कर्नाटक	बंगलौर	35.25	50.62	306.85
पांडिचेरी	पांडिचेरी	31.76	41.91	265.20
झारखंड	रांची	33.01	43.96	305.20
बिहार	पटना	32.97	46.48	302.70
उड़ीसा	भुवनेश्वर	33.50	44.55	305.40
असम	गुवाहाटी	31.39	45.52	286.60

चाय पर्यटन सर्किटों का विकास

4018. डा. एम. जगन्नाथ : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चाय उगाने वाले क्षेत्रों में चाय पर्यटन सर्किटों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं हेतु चाय पर्यटन परिपथों सहित, "गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास" की अपनी योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

चाय पर्यटन सहित पर्यटन उत्पादों को विकसित करने के लिए परियोजना प्रस्तावों हेतु, "गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास" योजना हेतु, वर्ष 2007-08 के लिए आवंटित राशि 460.00 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

जोधपुर में गुडा बिश्नोईपन/सालावास गांव में भूमि पर कब्जा

4019. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर जिले के गुडा/बिश्नोईपन/सालावास गांव में मंत्रालय के कब्जे में कितनी भूमि है;

(ख) क्या उक्त भूमि को खाली करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) गुडा बिश्नोईपन/सालावास गांव में लगभग 1090 एकड़ भूमि भारतीय वायु सेना के कब्जे में है।

(ख) से (घ) इस भूमि का इस्तेमाल भारतीय वायु सेना की संक्रियात्मक तथा अन्य कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है। अतः इस भूमि को खाली करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शैक्षिक संस्थान

4020. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों/छात्रों को विशेषकर राज्यों के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षित करने के लिए क्रियान्वित की गई विशेष परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में बधिरों और दृष्टिहीनों के लिए विनिर्दिष्ट संस्थानों/ के क्या नाम हैं और इन संस्थानों/केन्द्रों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) इन संस्थानों को चलाने वाली सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के क्या नाम हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बधिरों और दृष्टिहीनों के कल्याणार्थ परियोजनाएं शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) इस मंत्रालय की दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.) के अंतर्गत विकलांग छात्रों को शिक्षित करने के लिए, 72 परियोजनाओं को 2004-05, 83 को 2005-06 और 87 को 2006-07 के दौरान समर्थित किया गया।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्कूल संचालित करता है। डी.डी.आर.एस. के अंतर्गत श्रवण बाधित और दुष्टिबाधितों के लिए समर्थित किए जा रहे स्कूलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) गैर सरकारी संगठनों से ऐसे 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत नहीं किए गए।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रवणबाधितों के लिए संस्थान/केन्द्र/परियोजनाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	दृष्टिबाधितों के लिए संस्थान/केन्द्र/परियोजनाओं की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24	2702	12	1445
2.	बिहार	7	476	5	242
3.	चंडीगढ़	0	0	1	40
4.	छत्तीसगढ़	4	263	2	75
5.	दिल्ली	3	1500	10	1296
6.	गोवा	1	78	0	0
7.	गुजरात	0	0	16	5631
8.	हरियाणा	7	468	5	141
9.	हिमाचल प्रदेश	1	87	3	60
10.	झारखंड	2	116	0	0
11.	कर्नाटक	22	2632	15	1360
12.	केरल	4	156	9	88
13.	मध्य प्रदेश	1	257	4	416
14.	महाराष्ट्र	6	389	5	41
15.	मणिपुर	1	51	0	0
16.	मेघालय	0	0	1	244
17.	मिजोरम	1	152	1	52
18.	उड़ीसा	6	481	4	305
19.	पांडिचेरी	1	89	0	0
20.	पंजाब	5	991	3	582
21.	राजस्थान	4	662	5	505
22.	तमिलनाडु	11	967	21	7730
23.	त्रिपुरा	1	65	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	16	1659	10	961
25.	उत्तरांचल	4	308	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	13	1361	7	6386
	कुल	145	15910	139	27600

नोट : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित को शिक्षित करने हेतु इनके द्वारा चलाए जा रहे संगठनों और संस्थानों/केन्द्रों/परियोजनाओं के नाम उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस के नए कनेक्शन

4021. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि रसोई गैस के डीलर रसोई गैस के नए कनेक्शन के आवेदनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे डीलरों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नए गैस कनेक्शन के निर्गम के

लिए आवेदन को दर्ज न करने के लिए अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरूद्ध 3 साबित शिकायतों की सूचना दी है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	वर्ष	शिकायतों की संख्या
महाराष्ट्र	2005-06	1
केरल	2006-07	1
उत्तर प्रदेश	2006-07	1

दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध एल पी जी विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का विलय

4022. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री जोवाकिम बखला :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का विलय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विलय के बाद अस्तित्व में आने वाली एयरलाइन के लिए सबसे अच्छे नाम का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विलय के बाद विमानों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी; और

(च) उनके पास उपलब्ध विमानों की संख्या से वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू विमानन बाजार दोनों में प्रतिस्पर्धियों को कितनी चुनौती देने में सक्षम होंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। सरकार ने दोनों एयरलाइनों को एक नई कम्पनी में विलय करने का निर्णय किया है। इस उद्देश्य के लिए, एक नई कम्पनी, भारतीय विमानन कम्पनी लिमिटेड 30.3.2007 को निगमित की गई है। दोनों एयरलाइनों के विलय का कार्य आगामी दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की आशा है। दोनों एयरलाइनों के विलय के लिए तकनीकी तथा कार्यविधिक औपचारिकताएं जुलाई 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) सरकार मामलों पर विचार कर रही है।

(ङ) और (च) नई एयरलाइन, 112 से अधिक विमानों से, अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात से दक्षता तथा विश्वसनीयता के नये आयाम तैयार करेगी और इस प्रकार देश में नागर विमानन सैक्टर के लिए लाभकारी सिद्ध होगी तथा विशेष रूप से यात्री जनता के लिए दोनों एयरलाइनों के विलय से क्षेत्रीय प्रचालनों के नेटवर्क की विकसित बाधारहित सम्पर्कता, अल्प से माध्यम हाल ट्रंक प्रचालनों, लांग हाल प्रचालनों में विकसित हो सकेगी जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नेटवर्क कवरेज के माध्यम से सुधरी हुई सेवा प्रदान की जाएगी विलय से सामान्य परिसम्पत्तियों के उत्थापन के लिए एक अवसर प्रदान करने के अलावा, खरीद, विक्रय और वितरण की महत्वपूर्ण परिदृश्य प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, विलय से अपने पड़ोसी घरेलू प्रतिस्पर्द्धी की तुलना में अधिक बड़ी एयरलाइन सृजित की जाएगी।

बिलासपुर से मंडला-जबलपुर-नई दिल्ली तक रेल लाइन

4023. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मंडला-जबलपुर-नई दिल्ली तक रेल लाइन बिछाने के कार्य का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो रेल लाइन बिछाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस लाइन को कब तक बिछाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) बिलासपुर से जबलपुर को जोड़ने के लिए दो वैकल्पिक मार्गों-एक नैनपुर को छोड़ते हुए मंडला से होकर बिलासपुर और जबलपुर के

बीच सीधी लाइन के निर्माण के लिए और दूसरा बिलासपुर से केवल मंडला फोर्ट तक नई लाइन का निर्माण करने और मंडला फोर्ट-नैनपुर खंड का आमान परिवर्तन करने के लिए 2003-04 के दौरान एक सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही मामलों में ऋणात्मक प्रतिफल की दर के साथ, पहले विकल्प में 1284.11 करोड़ रु. और दूसरे विकल्प में 736.96 करोड़ रु. की लागत का आकलन किया गया।

परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति चालू परियोजनाओं का भारी थ्रो-फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में बिलासपुर-मंडला-जबलपुर नई लाइन का आंशिक अथवा पूर्ण निर्माण शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

ईथनाल मिश्रित पेट्रोल और जैव डीजल का आयात

4024. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईथनाल मिश्रित पेट्रोल और जैव डीजल आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आयात किए जाने की स्थिति में इससे होने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाओं का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरि/अधोगामी पुल

4025. श्री मित्रसेन यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली रेल लाइनों पर सड़क उपरि पुल/सड़क अधोगामी पुलों का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुलों के निर्माण कार्य के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) इस समय विभिन्न रेलों पर लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुलों के 45 कार्य स्वीकृत हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं। 2007-08 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान 5 अन्य कार्य स्वीकृत किये गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में स्वीकृत और चालू ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उत्तर प्रदेश में पहले से स्वीकृत और चालू 45 कार्यों में से 5 कार्यों को 2006-07 के दौरान पूरा किया गया है। शेष कार्य योजना एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में स्थित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के कार्यों और उनकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	स्वीकृति का वर्ष	कार्य का नाम	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	1995-96	रामपुर में समपार सं. 1 स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (राष्ट्रीय मार्ग 24) [नई लाइन]	16.05 करोड़ रुपये का विस्तृत अनुमान 17-11-06 को स्वीकृत किया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेखण रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

1	2	3	4
2.	1996-97	हाथरसः गाजियाबाद-कानपुर खंड पर किमी 1296/29-31 पर समपार सं. 95-ए जो पीलीभीत-आगरा को जोड़ता है (राज्य मार्ग 33)	ऊपरी सड़क पुल पूरा हो गया है।
3.	1998-99	लखनऊ शहर में डालीगंज-मोहीबुल्लाहपुर के बीच समपार सं. 6 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार द्वारा संरेखण निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य सरकार से ऊपरी सड़क पुल की व्यावहारिकता के संबंध में टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
4.	1998-99	देवरिया सदर-नुनखार के बीच समपार सं. 129-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	संयुक्त सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। 10.27 करोड़ रुपये के अनुमान की जांच की जा रही है।
5.	1998-99	इलाहाबाद-कानपुर खंड पर किमी 1016/5-12 पर जीटी रोड पर समपार सं. 79-डी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (राष्ट्रीय मार्ग 91)	संयुक्त और संशोधित विस्तृत अनुमान तैयार किए जा चुके हैं।
6.	1998-99	इरादतगंजः माणिकपुर-इलाहाबाद खंड पर समपार सं. 430-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (राष्ट्रीय मार्ग 27)	8-2-07 को संशोधित संयुक्त विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए गए हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	1999-00	मेजा रोडः मुगलसराय-इलाहाबाद खंड पर किमी 788/11-13 पर समपार सं. 25-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल, राष्ट्रीय मार्ग 44	ऊपरी सड़क पुल का रेलवे हिस्सा पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
8.	1999-00	चौपालाः समपार सं. 356-स्पेशल और 250-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सभी 129 पायों, 13 पाया ढक्कनों और 13 पाये पूरे हो गए हैं, 13/13 पाये ढक्कन और 06/12 स्पैन बन गए हैं। पहुंच मार्गों का कार्य भी प्रगति पर है। रेलपथ स्पैन के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
9.	1999-00	रामपुरः समपार सं. 403-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	12.06.06 को ऊपरी सड़क पुल खोल दिया गया है।
10.	2002-03	इज्जतनगर-बरेली सिटी के बीच समपार सं. 244 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार ने सामान्य व्यवस्था आरेखण प्रस्तुत कर दिए थे लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण हेतु वापस भेजा गया है। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
11.	2002-03	गाजियाबाद-टूंडला (अलीगढ़) अलीगढ़, लिंक रोड (राष्ट्रीय मार्ग 2) के समीप किमी 1329/19-21 पर समपार सं. 112-सी/3 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	ऊपरी सड़क पुलों का रेलवे हिस्सा पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर हैं।

1	2	3	4
12.	2002-03	बिजनौर-नजीबाबाद: समपार सं. 484-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे हिस्से के अनुमान बना लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग (उ.प्र.) से पहुंच मार्गों के लिए अनुमानों की प्रतीक्षा है। परीक्षण पाया ढलाई और प्रारंभिक भार परीक्षण किया जा चुका है।
13.	2002-03	अमरोहा: गाजियाबाद-मुरादाबाद पर समपार सं. 26-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे हिस्से में कार्य शुरू हो गया है। 20 अदद पायों की ढलाई हो गई है। पहुंच मार्गों पर भी कार्य प्रगति पर है।
14.	2002-03	अकबरपुर: समपार सं. 83-1 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	नींव और उपसंरचना का कार्य पूरा हो गया है। गैर-रेलपथ का 1/2 स्पैन पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत रेलपथ के ऊपर से टैम्प स्टेजिंग आरेखण अनुमोदित है। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। रेलपथ हिस्से के लिए 1/3 धरण की ढलाई हो चुकी है।
15.	2003-04	बादशाहनगर-डालीगंज स्टेशनों के बीच किमी 773/11-12 पर समपार सं. 8 एमएल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उ.प्र.रा.पु.नि./लोनिवि ने सामान्य व्यवस्था आरेखण प्रस्तुत कर दिया है। वह 28-02-2006 को शुद्धि हेतु उ.प्र.रा.पु.नि./लोनिवि को वापस भेजा गया है। उसकी प्रतीक्षा है।
16.	2003-04	लखनऊ-मल्हार खंड पर बादशाहपुर-डालीगंज स्टेशनों के बीच किमी 772/2-3 पर समपार सं. 6 एमएल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार द्वारा स्थल जांच अभी की जानी है। राज्य सरकार द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। 02-02-06 को रेलवे और विशेष सचिव/लोनिवि की सुयुक्त बैठक हुई थी और उ.प्र.रा.पु.नि. ने यह बताया था कि ऊपरी सड़क पुल का निर्माण व्यावहारिक नहीं है। यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में राज्य सरकार रेलवे को सूचित करेगी। इसकी प्रतीक्षा है।
17.	2003-04	मंडुआडीह स्टेशन यार्ड-समपार सं. 4-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार को सामान्य व्यवस्था आरेखण और विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। रेलवे हिस्से का सामान्य व्यवस्था आरेखण राज्य सरकार को दिया गया है। संयुक्त सामान्य व्यवस्था आरेखण की प्रतीक्षा है।
18.	2003-04	कानपुर-किमी 1017/31-35 पर टाट मिल क्रासिंग के समीप ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	ऊपरी सड़क पुल पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।

1	2	3	4
19.	2003-04	महरौली-डासना: समपार सं. 95 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हैं। परीक्षण पाया ढलाई और प्रारंभिक भार परीक्षण किया जा चुका है। राज्य सरकार को अभी पहुंच मार्गों के लिए योजना बनानी है।
20.	2004-05	लखनऊ: समपार सं. 1-बी (करनपुर क्रासिंग) और 218-ए (हरदोई क्रासिंग) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	लोनिवि और मंडल अधिकारियों ने प्रोफाइल खाके पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और मुख्यालय में अनुमोदनाधीन हैं। विस्तृत अनुमान की वित्तीय जांच की जा रही है।
21.	2004-05	दिल्ली-शामली-सहारनपुर: शामली के समीप समपार सं. 90 के समीप ऊपरी सड़क पुल	राज्य लोनिवि के अनुसार इस समपार पर ऊपरी सड़क पुल व्यावहारिक नहीं है। औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है।
22.	2005-06	इटावा: कानपुर-टूंडला खंड पर किमी 1155/27-29 पर समपार सं. 27 स्पेशल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	पीएससी गर्डरों की ढलाई का कार्य प्रगति पर है। पहुंच मार्गों का कार्य लगभग पूरा हो गया है।
23.	2005-06	शारदा नगर: समपार सं. 86-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	प्रोफाइल खाका अनुमोदित है। विस्तृत अनुमान की जांच की जा रही है। पहुंच मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।
24.	2006-07	आजमगढ़-सराय रानी-समपार सं. 29-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	संरेखण योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। संयुक्त सामान्य व्यवस्था आरेखण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफाइल खाका राज्य सरकार के पास भेजा गया है।
25.	2006-07	इलाहाबाद-कानपुर खंड पर फतेहपुर जिले में समपार सं. 48 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से पहुंच मार्गों के विस्तृत अनुमान की प्रतिक्षा है।
26.	2006-07	एकमा-चैनवा: समपार सं. 69 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	हाल ही में मैसर्स इरकान को सौंपा गया नया कार्य। मैसर्स इरकान को सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
27.	2006-07	इलाहाबाद-कानपुर खंड पर समपार सं. 81डी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	प्रोफाइल खाका अनुमोदित है। उप परियोजना प्रबंधन उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लि. को ऊपरी सड़क पुल का सामान्य व्यवस्था आरेखण और संयुक्त विस्तृत अनुमान बनाने के लिए पहुंच मार्गों का विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4
28.	2006-07	मथुरा-पलवल खंड पर मथुरा जिले में वृंदावन-राधाकुंड मार्ग में समपार सं. 532 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण तैयार करने के लिए रेलवे हिस्से का ब्यौरा उ.प्र.रा.पु.नि. को प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य सरकार से पहुंच मार्गों के विस्तृत अनुमान की प्रतीक्षा है।
29.	2006-07	गोरखपुर-गोरखपुर छावनी स्टेशनों के बीच समपार सं. 158 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	24-01-07 को उ.प्र.रा.पु.नि. से सामान्य व्यवस्था आरेखण प्राप्त हुए है।
30.	2006-07	कानपुर-अनवरगंज-रावतपुर-समपार सं. 2 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	संयुक्त सामान्य व्यवस्था आरेखण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफाइल खाका राज्य सरकार के पास भेजा गया है।
31.	2006-07	गोरखपुर-डोमिनगढ़: समपार सं. 163 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	बिना बारी के स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है।
32.	2006-07	गोरखपुर-डोमिनगढ़: समपार सं. 161 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	बिना बारी के स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है।
33.	2006-07	रायबरेलीखंड पर लखनऊ-रायबरेली खंड पर किमी 1026/7-8 पर समपार सं. 176 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	उ.प्र./लोनिवि को खाके और अनुमान पर मुख्यालय में की गई टिप्पणियों का पालन करने के लिए कहा गया है।
34.	2006-07	मेरठ छावनी में गाजियाबाद-सहारनपुर खंड पर किमी 72/5-6 पर समपार सं. 30-ए का निर्माण	प्रोफाइल खाका मुख्यालय कार्यालय के पास अनुमोदनाधीन है। रेलवे हिस्से के लिए विस्तृत अनुमान तैयार हो चुके हैं और उ.प्र./लानिवि से अनुमानो की प्रतीक्षा है।
35.	2006-07	मुजफ्फरपुर नगर में गाजियाबाद-सहारनपुर खंड पर किमी 122/1-2 पर समपार सं. 53-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	प्रोफाइल खाका राज्य प्राधिकरण के पास अनुमोदनाधीन है। रेलवे हिस्से के लिए विस्तृत अनुमान तैयार हो चुके हैं और उ.प्र./लोनिवि से अनुमानों की प्रतीक्षा है।
36.	2006-07	मेरठ शहर में गाजियाबाद-सहारनपुर खंड पर किमी 67/10-11 पर समपार सं. 26-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	प्रोफाइल खाका मुख्यालय कार्यालय (बीएच) के पास अनुमोदनाधीन है। रेलवे हिस्से के लिए विस्तृत अनुमान तैयार हो चुके हैं और उ.प्र./लोनिवि से अनुमानों की प्रतीक्षा है।
37.	2006-07	हापुड़ में गाजियाबाद-मुरादाबाद खंड पर और हापुड़-मेरठ पर किमी 64/10-11 एवं 105/8-9 पर समपार सं. 41 स्पेशल और 74 स्पेशल का निर्माण	प्रोफाइल खाका एमबी मंडल के पास अनुमोदनाधीन है। रेलवे हिस्से के लिए विस्तृत अनुमान तैयार हो चुके हैं और उ.प्र./लोनिवि से अनुमोदनों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
38.	2006-07	गाजियाबाद में गाजियाबाद-सहारनपुर खंड पर किमी 28/1-2 पर समपार सं. 4-सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	प्रोफाइल खाका अनुमोदित है। रेलवे हिस्से के लिए विस्तृत अनुमान तैयार हो चुके हैं और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अनुमानों की प्रतीक्षा है
39.	2006-07	फैजाबाद यार्ड में एलकेओके-बीएसएस खंड पर किमी 966/17-18 पर समपार सं. 120 का निर्माण	प्रोफाइल खाका अनुमोदनाधीन है। उ.प्र./लोनिवि से पहुंच मार्ग के अनुमान के ब्यौरे की प्रतीक्षा है।
40.	2006-07	गाजियाबाद-मुरादाबाद खंड पर गाजियाबाद में समपार सं. 98 स्पेशल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	प्रोफाइल खाका राज्य सरकार को हस्ताक्षर हेतु भेजा गया है। विस्तृत अनुमान की वित्तीय जांच की जा रही है।
41.	2007-08	परसौंधा: चुनार और मुगलसराय के बीच किमी 692/15-17 पर समपार सं. 119/3ई के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल वर्ष 2002 में टीवीयू-280190	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। कार्य 2007-08 के बजट में स्वीकृत किया गया है।
42.	2007-08	इलाहाबाद-कानपुर खंड पर किमी 973/39-31 पर समपार सं. 62ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल. वर्ष 2000 में टीवीयू-215532	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। कार्य 2007-08 के बजट में स्वीकृत किया गया है।
43.	2007-08	टूंडिया यार्ड में किमी 1249/1-3 पर समपार सं. 72 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण (रेलवे की लागत पर)	कार्य 2007-08 के बजट में स्वीकृत किया गया है।
44.	2007-08	राजस्थान राज्य में झासी-आगरा खंड पर किमी 1292/20-22 पर समपार सं. 463 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल. वर्ष 2004 में टीवीयू 324643	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। कार्य 2007-08 के बजट में स्वीकृत किया गया है।
45.	2007-08	मुरादाबाद-लखनऊ खंड पर रामपुर में समपार सं. 413-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2007-08 के दौरान स्वीकृत नया कार्य।

प्रसंस्कृत खाद्य का उत्पादन, उपभोग और निर्यात

4026. श्री के.एस. राव: क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रसंस्कृत और पैकड फूड का कितना उत्पादन, उपभोग और निर्यात किया गया है;

(ख) कृषक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किसानों और उद्योग को निकट लाने के लिए अवसंरचना को प्रोत्साहन देने और विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने और अंगूर तथा अन्य कृषि उत्पादों जैसे नष्ट होने योग्य और गैर नष्ट होने योग्य कृषि उत्पादों के मूल्यवर्द्धन हेतु नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के

लिए निजी क्षेत्र को आकृष्ट करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान पंजीकृत और अपंजीकृत निर्माण क्षेत्र में हुए घरेलू उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

श्रेणी	2003-04	2004-05	2005-06
पंजीकृत क्षेत्र	26,983	27,716	29,039
अपंजीकृत क्षेत्र	19,402	19,528	20,125

रॉबो बैंक द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2003-04 में 4,60,000 करोड़ रुपये के प्रसंस्कृत खाद्य का उपभोग किया गया और अनुमान है कि इसमें से पैक किये फल-सब्जियों, पैक किये दूध आदि समेत प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा 2,80,000 करोड़ रुपये है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों यानी कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद और समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

श्रेणी	2003-04	2004-05	2005-06
कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद	13,881.02	16,541.05	17,525.83
समुद्री प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद	6091.95	6646.69	7245.30
जोड़	19,972.07	23,187.74	24,771.13

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम लागू कर रहा है जिसके तहत यह मेगा खाद्य पार्कों, बूचड़खानों के आधुनिकीकरण, शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धित केन्द्रों और पैकेजिंग केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। मेगा खाद्य पार्क संबंधी स्कीम बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ-साथ विश्वसनीय और सतत् आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराएगी। झुण्ड आधारित मांग प्रेरित दृष्टिकोण खेत से बाजार तक लिंकेज प्रदान करेगा जिसमें हवाई अड्डों, बन्दरगाहों, रेलवे स्टेशनों आदि पर स्थित आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र-सह-शीतश्रृंखला के जरिए क्षेत्रीय स्तर पर लिंकेज स्थापित किया जायेगा। इस आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र-सह-शीत श्रृंखला में नियंत्रित वातावरण वाले शीतागार और वितरण केन्द्र होंगे जहां बड़ी मात्रा में भण्डारण किया जा सकता है और उसकी सप्लाई वितरण केन्द्रों को ताजी बिक्री तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण उद्योगों के लिए की जा सकती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास तथा निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने और कृषि विविधीकरण, अंगूरो आदि समेत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने समेत नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी एक योजना स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंसस्करण इकाइयों को समान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है अथवा सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप और समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचलप्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास के प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन 4 के तहत, नई इकाइयों के संवर्धन के लिए उससे भी बढ़े हुए स्तर यानी 50% तक और अधिकतम 4 करोड़ रु. तक तथा बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए इकाइयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ रु. तक की सहायता उपलब्ध है। नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों को प्रथम 5 वर्षों के लिए आयकर पर 100% छूट और अगले 5 वर्षों के लिए आयकर पर 25% छूट की अनुमति दी है। इसी तरह, सभी प्रकार के खाद्य मिक्सेज को शून्य उत्पाद शुल्क श्रेणी में लाया गया है।

खाड़ी देशों के लिए निजी एयरलाइन्स

4027. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी एयरलाइन्सों द्वारा खाड़ी देशों में अपनी उड़ानों के संचालन से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी एयरलाइन्सों को खाड़ी देशों में उड़ान भरने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया (एअर इंडिया एक्सप्रैस सहित) और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खाड़ी देशों में प्रचालनों से निम्नानुसार राजस्व अर्जित किया गया :-

वर्ष	एअर इंडिया (एअर इंडिया एक्सप्रेस सहित)	इंडियन एयरलाइन्स
2003-2004	1900.58	936
2004-2005	1979.16	975
2005-2006	1985.70	1233

(ख) वर्ष 2007 के अंत तक खाड़ी देशों को/से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने प्रचालन करने के लिए अनुसूचित निजी एयरलाइनों को अनुमति नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई ट्रेन सेवाएं

4028. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार जनता की सुविधा के लिए रतलाम-भोपाल, रतलाम-कोटा और रतलाम-नीमच-उदयपुर और इंदौर-उज्जैन-रतलाम-नीमच-जयपुर हेतु नई ट्रेन सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रतलाम-भोपाल, रतलाम-कोटा और रतलाम-नीमच-उदयपुर और इंदौर-उज्जैन-रतलाम-नीमच-जयपुर के बीच नई गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रेल बजट 2007-2008 में मुंबई अजमेर/उदयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) बरास्ता बडोदरा-रतलाम-नीमच तथा अजमेर-रतलाम एक्सप्रेस-दो जोड़ी गाड़ियां (प्रतिदिन) चलाए जाने तथा 2465/2466 जोधपुर-सवाई माधोपुर एक्सप्रेस का इंदौर तक विस्तार करने की घोषणा की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रशिक्षण

4029. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और विदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इंडियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों को भारत तथा विदेशों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई नियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत और विदेश में कुल कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई खामी पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निदेशों के अनुसार भारत और विदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करता। विगत 3 वर्षों के दौरान भारत में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या नीचे दी गई है:-

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	2004-05	2005-06	2006-07
	1840	1578	1265
अ.जाति के नामांकित अधिकारियों की संख्या	2024	1581	1608
अ.जनजाति के नामांकित अधिकारियों की संख्या	890	674	671
सामान्य वर्ग के नामांकित अधिकारियों की संख्या	10673	7265	7480

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर "ग" को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

नशीले पदार्थों की तस्करी

4030. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना आसूचना की एक टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुछ विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था तथा मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के मामले में अपनी पूछताछ के पश्चात उन्हें दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन महिलाओं के संबंध नशीले पदार्थ के कुख्यात तस्करों से हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) 21 मार्च, 2007 को सेना ने दो महिला इथोपियाई राष्ट्रिकों को पकड़ा था और बाद में सेना ने उन्हें दिल्ली पुलिस को सौंप दिया।

जैसाकि सेना ने सूचित किया है, दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट बताती है कि चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एक स्थान पर दो महिलाएं मौजूद थीं। सेना कार्मिक उनसे मिले और उनके पासपोर्ट आदि के साथ ही उनके एक दोस्त, जो कथित तौर पर नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है, के निवास के बारे में भी पूछा। इन लड़कियों ने अपने दोस्त का पता बताया और अपनी इच्छा से सेना कार्मिकों के साथ गई।

दिल्ली पुलिस ने इथोपियाई राष्ट्रिकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम को आबंटित तेल ब्लाक

4031. श्री नरहरि महतो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष तेल और प्राकृतिक गैस निगम को 47 तेल ब्लाक आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ब्लाकों में अन्वेषण और उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन तेल ब्लाकों से अनुमानतः वार्षिक कितना तेल उत्पादन किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के छठे दौर (एनईएलपी 6) की हाल ही में सम्पन्न बैठक में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए ओएनजीसी को 25 ब्लाक या तो एक मात्र आधार पर या परिसंघों में भागीदार के रूप में प्रदान किए हैं, और उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर दिनांक 2.3.2007 को किए गए थे। 25 ब्लाको में से 24 ब्लाकों में ओएनजीसी प्रचालक है और एक ब्लाक में कैर्न एनर्जी इंडिया प्रचालक है। ब्लाकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त 25 ब्लाकों में न्यूनतम वचनबद्ध निवेश चरण-1 में 897 मिलियन अमरीकी डालर और चरण-2 में 735 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(घ) उत्पादन प्रदत्त ब्लाकों में अन्वेषण प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है।

विवरण

ओएनजीसी और परिसंघों को एनईएलपी-6 के तहत प्रदान किए गए 25 ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी/परिसंघ	बेसिन	ब्लाक का नाम
1	2	3	4
	गहरा समुद्र		
1.	ओएनजीसी, कैर्न इंडिया लि., टाटा	केरल-कोंकण	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1
2.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कावेरी	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/1
3.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कावेरी	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/2
4.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कावेरी	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/3
5.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कावेरी	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/4
6.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कावेरी	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2004/1
7.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कावेरी	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2004/2
8.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कृष्णा-गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/1
9.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल, बीपीसीएल	कृष्णा-गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/2
10.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल	कृष्णा-गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/3
11.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल, ओआईएल, बीपीसीएल	कृष्णा-गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/5
12.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचपीसीएल, गेल, ओआईएल	कृष्णा-गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/6
	उथला समुद्र		
13.	ओएनजीसी	गुजरात-सौराष्ट्र	जीएस-ओएसएन-2004/1
14.	ओएनजीसी, बीजीईपीआई	कृष्णा-गोदावरी	केजी-ओएसएन-2004/1
15.	कैर्न एनर्जी, कैर्न इंडिया, ओएनजीसी, टाटा	पालार	पीआर-ओएसएन-2004/1**
	जमीनी		
16.	ओएनजीसी	पुर्णिया	पीए-आएनएन-2004/1
17.	ओएनजीसी	गंगा	जीवी-ओएनएन-2004/1

1	2	3	4
18.	ओएनजीसी	विंध्य	वीएन-ओएनएन-2004/1
19.	ओएनजीसी	विंध्य	वीएन-ओएनएन-2004/2
20.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचईआरएएमईसी	काम्बे	सीबी-ओएनएन-2004/1
21.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, सनटेरा रेस लि.	काम्बे	सीबी-ओएनएन-2004/2
22.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एनसर्च	काम्बे	सीबी-ओएनएन-2004/3
23.	ओएनजीसी, जीएसपीसी, एचईआरएएमईसी	काम्बे	सीबी-ओएनएन-2004/4
24.	ओएनजीसी, बीपीसीएल	काम्बे	सीवाई-ओएनएन-2004/1
25.	ओएनजीसी, बीपीसीएल	काम्बे	सीवाई-ओएनएन-2004/2

** कैर्न एनर्जी इंडिया इस ब्लाक की प्रचालक है।

विदेश में इक्विटी खरीदना

4032. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घरेलू सरकारी तेल कंपनियों के मिल-जुलकर काम करने की रणनीति तैयार कर रही है ताकि वे विदेशों में इक्विटी खरीदनें में प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ख) क्या सरकार एक ऐसा पैकेज तैयार कर रही है जिसमें पुनर्अन्वेषण और अन्य मूल्य वर्द्धन संबंधी समग्र वैल्यू चैन शामिल होंगी ताकि घरेलू कंपनियां विदेशों में तेल क्षेत्र पर आधिपत्य रखने वाली बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ग) क्या सरकार का विचार संगठन को संगठित करने और उन्हें वैल्यू चेन में सुदृढ़ बनाने का है ताकि वे एक संपूर्ण पैकेज की पेशकश कर सकें;

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त रूप से विदेशों में बोली लगाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने कोई ठोस कार्रवाई कार्यक्रम तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) अगस्त, 1995 में, सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) कारोबार में लगे डाउनस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपने स्वयं की संयुक्त उद्यम कंपनी प्रोन्नत करने की सलाह दी।

(घ) और (ङ) नवम्बर, 1995 में इंडियन आयल कार्पोरेशन बोर्ड ने उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ ईएण्डपी कार्यों को शुरू करने तथा ईएण्डपी कार्यों पर नजर रखने वाले एक कारोबारी समूह की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपलब्ध विदेशी उपस्ट्रीम कारोबारी कार्यों तथा अन्य संबद्ध पेट्रोलियम कार्यों पर संयुक्त कार्रवाई में आईओसी और ओआईएल के कौशल तथा क्षमताओं को समन्वित करने के लिए दिसम्बर, 2004 में आईओसी तथा ओआईएल द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आईओसी-ओआईएल संयुक्त रूप से लीबिया, गैबोन, नाइजिरिया तथा यमन में अन्वेषण रकबों को सरलतापूर्वक प्राप्त करने में समक्ष हैं। इसी प्रकार, गेल ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों सहित परिसंघों में इक्विटी भागीदारी के साथ म्यांमार तथा ओमान में निवेश किया है।

दिसम्बर, 2005 में, सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड तथा इंडिया आयल कार्पोरेशन लि. के बीच परियोजना विभिर्दिष्ट विशेष प्रयोजन

व्यवस्थाओं (एसपी वीज) के विरचन को भी अनुमोदित किया है। ऐसे सरकारी प्रयासों के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवरत्न तेल बोर्डों को शक्तिप्रदत्त बनाया गया है ताकि अपने ईएण्डपी कारोबार को मजबूत करने के लिए विदेश में ईएण्डपी कंपनियों के अधिग्रहण पर कार्रवाई कर सकें। अतः, सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों के साथ संयुक्त प्रयासों द्वारा विदेश में अपने ईएण्डपी कार्यों को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां लगातार प्रयास कर रही हैं।

इदापल्ली से गुरुवयूर के बीच नई रेल लाइन

4033. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरुवयूर से इदापल्ली के बीच नई रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) लाइन की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं का भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्याधिक को ध्यान में रखते हुए इस नई लाइन पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

एटीएफ का मूल्य

4034. डा. राजेश मिश्रा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों का विचार एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) में 5 प्रतिशत की कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा इस समय एटीएफ का कितना मूल्य लिया जा रहा है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान एटीएफ के मूल्य में की गई कमी का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) एटीएफ एक नियंत्रण मुक्त उत्पाद है। सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि एटीएफ की कीमतों के संशोधन पिछले महीने के दौरान जेट केरो के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कीमतों में संशोधन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में उतार-चढ़ाव के अनुसार ऊपर या नीचे की ओर, मासिक आधार पर किए जाते हैं।

(ग) मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वसूली जा रही एटीएफ की मूल्य कीमत, शुल्कों एवं करों को छोड़कर 24,970/- रुपए प्रति कि.ली. होने की सूचना है।

(घ) आईओसीएल/एचपीसीएल की रिपोर्ट के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान मूल्य परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

आईओसी/एचपीसी द्वारा 1.4.05 से 1.4.07 तक एटीएफ के मूल्यों में परिवर्तनों का ब्यौरा

मुंबई में भंडार पर एटीएफ की कीमत

दिनांक	रुपए/किलोलीटर	वृद्धि/(कमी)
1	2	3
01.04.05	21700.00	
01.05.05	23550.00	1850.00
01.06.05	21150.00	(2400.00)
01.07.05	22560.00	1410.00
01.08.05	23000.00	440.00
01.09.05	24630.00	1630.00
01.10.05	25910.00	1280.00
01.11.05	25390.00	(520.00)
1.12.05	22320.00	(3070.00)
01.01.06	24170.00	1850.00
01.02.06	25020.00	850.00
01.03.06	24830.00	(190.00)

1	2	3
01.04.06	25500.00	670.00
01.05.06	28410.00	2910.00
01.06.06	28970.00	560.00
01.07.06	29670.00	700.00
01.08.06	30480.00	810.00
01.09.06	31040.00	560.00
01.10.06	28210.00	(2830.00)
01.11.06	25710.00	(2500.00)
01.12.06	25000.00	(710.00)
01.01.07	26220.00	1220.00
01.02.07	23310.00	(2910.00)
01.03.07	23780.00	470.00
01.04.07	24970.00	1190.00
मूल्य में कितनी बार कमी हुई है		8

तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापनों संबंधी निवेश

4035. श्री बृजकिशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन करने वाली कंपनियों ने विज्ञापनों और प्रायोजकता (स्पांसरशिप) पर भारी धनराशि निवेश की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान तेल का विपणन करने वाली विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा खेलों की तुलना में स्वास्थ्य पर विशेषकर एड्स, पोलियो और शिक्षा-सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि निवेश की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में तेल का विपणन करने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए राष्ट्रीय हित के विभिन्न कार्यक्रमों पर एक निर्धारित धनराशि निवेश करने को आवश्यक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) और आई बी पी कंपनी लिमिटेड (आई बी पी) अपनी कारोबारी आवश्यकता के अनुसार और अपनी नैगम सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विज्ञापनों और प्रायोजनों पर खर्च करती हैं।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान, तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनी नैगम सामाजिक जिम्मेदारियों के भाग के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलों पर निवेश की गई राशि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं -

कंपनी का नाम	2006-07 के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)			
	स्वास्थ्य	शिक्षा	खेल	योग
आई ओ सी	2.71	2.55	21.83	27.09
एच पी सी एल	1.77	4.12	0.39	6.28
बी पी सी एल	00.59	00.51	00.65	1.75
आई बी पी	0	0	0	0
योग	5.07	7.18	22.87	35.12

(ग) से (ङ) सरकार ने नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत खर्च करने के लिए कोई राशि निश्चित नहीं की है। लोक उद्यम विभाग ने राय दी है कि सर्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ऐसे कार्यकलापों को चलाने की वित्तीय योग्यता, प्रचालन वातावरण और संगत संस्था ज्ञापन/कानून के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारियों की पहचान करने और कार्यान्वयन में लोच प्रदान की गई है।

आर्थोपेडिक्सों की सहायता के लिए विनिर्माण इकाईयां

4036. श्री बी. करुणाकर रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थोपेडिक्सों की सहायता के लिए व्हील चेयर इत्यादि को बनाने के लिए और अधिक विनिर्माण इकाईयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में बहुत पुराने माडल वाली और पुराने ढंग की व्हील चेयरों तथा अन्य उपकरणों का निर्माण अभी भी किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो देश में आर्थोपेडिक्सों की सहायता के लिए आधुनिक उपकरण बनाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के हितों के लिए इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम का नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) देश में व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण बड़े विनिर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित संगत भारतीय मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो विनिर्माताओं द्वारा संबंधित क्षेत्र के प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है।

समेकित ट्रेन पूछताछ प्रणाली

4037. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अनारक्षित टिकेटिंग प्रणाली की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में समस्त आरक्षित टिकेटिंग प्रणाली कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। 'ई' कोटि तक के सभी स्टेशन जिनकी संख्या लगभग 6300 है, को अनारक्षित टिकट प्रणाली की व्यवस्था के लिए स्वीकृत किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी समिति

4038. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने रेलवे को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या है और उन पर रेलवे द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेलों के लिए संयुक्त सुरक्षा योजना तैयार करने के संबंध में सचिवों की समिति की सिफारिश के अनुसार, 17.4.2007 को रेल मंत्रालय ने एक समिति गठन करने की स्वीकृति दी है जिसमें अपर महानिदेशक/रे.सु.ब. रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अधिकारी, दिल्ली पुलिस (संयुक्त आयुक्त-अपराध तथा रेलवे), उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे तथा पूर्व रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे, सुरक्षा बल (आर पी एफ), रेलवे बोर्ड के वित्त एवं वाणिज्यिक विभाग के कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। समिति की पहली बैठक मई, 2007 में होगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों पर जनसुविधाएं

4039. श्री राकेश सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पेट्रोलियम कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उनके द्वारा स्थापित ईंधन स्टेशनों पर जनसुविधाएं उपलब्ध कराएं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे ईंधन स्टेशनों का संज्ञान लिया है, जहां नियमों का उल्लंघन किया गया है और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) 2005 के अनुसार उनके सभी ईंधन केन्द्रों पर जन सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

(ख) और (ग) तेल विपणन कंपनियां अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर जन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं, जब कभी इसका उल्लंघन होता है, एमडीजी के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण

4040. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में दुर्लभ पांडुलिपियों को संग्रहित करने और उनका संरक्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारत तथा विदेश दोनों में भारत की पांडुलिपियों का पता लगाने, उनके कैटेलाग बनाने, उनके संरक्षण और प्रसार के लिए 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की है। तथापि, मिशन भारत अथवा विदेश में संस्थाओं अथवा निजी स्वामियों से पांडुलिपियां एकत्र नहीं करता है, सिवाय उन पांडुलिपियों के जो पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर दान में दी जाती हैं। मिशन ने वेब पर एक मिलियन (दस लाख) पांडुलिपियों का एक राष्ट्रीय डाटा आधार तैयार किया है। मिशन द्वारा देश के दुर्लभ पांडुलिपि संग्रहों का भी डिजिटीकरण कई चरणों में किया जा रहा है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, मिशन द्वारा व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
2004-05	3.47
2005-06	7.90
2006-07	9.43

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अंतर्गत फ्रेट कारिडोर

4041. श्री शिशुपाल एन. पटले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पूर्व और पश्चिम फ्रेट कारिडोर मार्गों के अलावा अन्य मार्गों पर फ्रेट कारिडोर परियोजनाओं का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेलवे चालू वर्ष के दौरान पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, पूर्व तट तथा दक्षिणी माल गलियारा के निर्माण के लिए पूर्व-व्यावहारिकता अध्ययन कराने के लिए विचार कर रही है। इस अध्ययन के आधार पर इस गलियारे को विस्तृत प्रारंभिक इंजीनियरी-सह-यातायात सर्वेक्षण (पी ई टी एस) के लिए चिन्हित किया जाएगा।

अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन सेवा

4042. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री काशीराम राणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार यात्रियों को भारी भीड़भाड़ को देखते हुए अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन सेवा कब तक शुरू किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, उच्च गति यात्री कारिडोर के निर्माण के लिए देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में एक-एक कारिडोर हेतु पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने का विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

रहस्यमयी आग का गोला

4043. श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस रहस्यमयी आग के गोले के संबंध में जांच की है, जिसकी दिल्ली की दक्षिण-पश्चिम दिशा में 300 नाटिकल माइल्स पर दिखाई देने की विदेशी विमान के पाइलटों द्वारा जानकारी दी गई है, जैसा कि दिनांक 4 मार्च, 2007 के **संडे एक्सप्रेस** में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दिनांक 03.03.2007 को 0144 (आई एस टी) समय पर दिल्ली विमान यातायात नियंत्रक (ए टी सी) को बहुत सी उड़ानों ने रेडियो टेलीफोन से सूचित किया कि एक आग का गोला कहीं दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दिखाई दिया है। इसी प्रकार की एक घटना की सूचना एक उड़ान द्वारा अहमदाबाद एटीसी को भी दी गई थी। आग के इस गोले की ऊंचाई तथा व्यापकता के बारे में किसी उड़ान द्वारा सूचित नहीं किया गया था। तथापि, उक्त उड़ानें 26000 और 36000 फीट पर प्रचालित की जा रही थीं।

(ग) विभिन्न उड़ानों से सूचना प्राप्त होने के उपरांत, भारतीय वायुसेना मिलिटरी सम्पर्क यूनिट (ए एफ एम एल यू) तथा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया तथा संभावित बचाव प्रचालन कार्यों के लिए अहमदाबाद, मुंबई तथा दिल्ली को सचेत कर दिया गया था। इंदिरा गांधी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संयुक्त विश्लेषण तथा नियंत्रक केन्द्र (जे सी ए सी) को भी सचेत कर दिया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा भी भारतीय मौसम विभाग से इस घटना के विशेष वातावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण हेतु अनुरोध किया था। इस प्रकार की घटना की 03.03.2007 से पहले और बाद में भी कभी सूचना नहीं मिली थी।

ट्रेनों को आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र

4044. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभिन्न जोनों में इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड्स आर्गेनाइजेशन (आई.एस.ओ.) द्वारा प्रमाणीकृत ट्रेनें चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ट्रेनों को आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान चलाई जाने वाली प्रस्तावित आई. एस.ओ. प्रमाणीकृत ट्रेनों का जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्राथमिक रूप से शैक्षणिक मूल्य के लिए सेवा और यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता का मानक स्थापित हेतु महत्वपूर्ण मूल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए आई एस ओ प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है ताकि हम निर्धारित मानक प्राप्त करने का सतत् प्रयास करते रहें।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) प्रमाणीकृत गाड़ियों की जोनवार सूची निम्नलिखित है

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	आई एस ओ प्रमाणीकृत गाड़ियां
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	2123/24 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस
		2137/38 पंजाब मेल
		2051/52 दादर-मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस
		2109/10 पंचवटी एक्सप्रेस
2.	उत्तर रेलवे	2057/58 नई दिल्ली-चंडीगढ़ जनशताब्दी
		2413/14 पूजा एक्सप्रेस
		2229/30 लखनऊ मेल
		2003/04 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी
		2055/56 नई दिल्ली-देहरादून जन शताब्दी
		4057/58 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
3.	पूर्वोत्तर रेलवे	2559/60 शिव गंगा एक्सप्रेस
4.	दक्षिण रेलवे	2007/08 मैसूर-चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस
5.	दक्षिण मध्य रेलवे	2706/07 विजयवाड़ा-सिकन्दराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस
		2717/18 रत्नाचल एक्सप्रेस
		2715/16 सचखंड एक्सप्रेस
		2797/98 वेंकटाद्री एक्सप्रेस
		2733/34 नारायणाद्री एक्सप्रेस
		2747/48 पलनाडु एक्सप्रेस
6.	पश्चिम रेलवे	2971/72 भावनगर-बांद्रा (टी) सुपर फास्ट एक्सप्रेस
		2957/58 अहमदाबाद नई दिल्ली-स्वर्णजयन्ती राजधानी एक्सप्रेस
		2901/02 गुजरात मेल
		2915/16 आश्रम एक्सप्रेस
		9309/10 इंदौर-गांधीनगर शांति एक्सप्रेस
		2925/26 पश्चिम एक्सप्रेस
		2907/08 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
		2951 मुंबई सैंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
		2953 मुंबई सैंट्रल-निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
		2009/10 मुंबई सैंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस

1	2	3
7.	पश्चिम मध्य रेलवे	2155/56 हबीबगंज निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस
		2185/86 भोपाल रीवा रीवाचल एक्सप्रेस (बरास्ता बीना)
		2187/88 भोपाल रीवा रीवाचल एक्सप्रेस (बरास्ता इटारसी)
		2059/60 कोटा निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस
8.	उत्तर मध्य रेलवे	2417/18 प्रयागराज एक्सप्रेस

2007-08 के दौरान आई एस ओ प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तावित गाड़ियों की जोनवार सूची निम्नानुसार है :

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	आई ए ओ प्रमाणीकृत गाड़ियां
1.	पूर्वोत्तर रेलवे	2533/34 पुष्पक एक्सप्रेस
		2555/56 गोरखधाम एक्सप्रेस
		5013/14 रानीखेत एक्सप्रेस
2.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2067/68 जोरहाट टाउन-गुवाहाटी जनशताब्दी एक्सप्रेस
3.	पश्चिम मध्य रेलवे	1471/72/73/74 जबलपुर-भोपाल एक्सप्रेस

व्यस्तम समय और कम व्यस्त समय के लिए दरें

4045. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछेक विमानपत्तनों में भीड़भाड़ कम करने हेतु एयरलाइनों के लिए विमानपत्तन उपयोग प्रभार के रूप में व्यस्ततम समय और कम व्यस्त समय के लिए भिन्न-भिन्न दरें लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यस्ततम समय और कम व्यस्त समय के लिए भिन्न-भिन्न दरें लागू करने से इन विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ की समस्या का समाधान हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) व्यस्ततम समय और कम व्यस्त समय के लिए भिन्न-भिन्न दरें प्रारंभ करने से मेट्रो हवाईअड्डों पर भीड़-भाड़ कम करने में सीमित प्रभाव पड़ेगा। सभी हवाईअड्डों पर अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करने की आवश्यकता है। सरकार ने पहले से ही मुख्य हवाईअड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठा लिए हैं।

(ङ) दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों पर, जहां व्यस्ततम समय में भीड़-भाड़ सबसे मुख्य समस्या है, निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं:- नए तीव्र गति वाले निकास टैक्सीवे का निर्माण, समानान्तर टैक्सीवे का निर्माण दोनों रनवे का एक साथ प्रयोग, सुधारे हुए संशोधित वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, क्लीयरेंस डिलीवरी स्थिति की स्थापना, व्यस्ततम समय के दौरान सामान्य विमानन विमान गतिविधि में प्रतिबंध, एटीसी आटोमेशन प्रणाली में उन्नयन, सर्फेस मूवमेंट राडार और अग्रिम सर्फेस मूवमेंट मार्गदर्शन तथा नियंत्रण प्रणाली (ए एस एम जी सी एस) इत्यादि की स्थापना।

दिल्ली में रेलवे की भूमि का अतिक्रमण

4046. **श्री रघुनाथ झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे की कितनी भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस भूमि पर कब से अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) लगभग 40 हेक्टेयर।

(ख) दिल्ली में रेलवे भूमि पर लगभग 27,000 अतिक्रमण हैं। ये अतिक्रमण विगत कई वर्षों के दौरान हैं।

(ग) अतिक्रमणों को हटाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई करना भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रेलवे ने दिल्ली सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार 'संरक्षा ज़ोन' में रेल भूमि पर और स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर स्थित 1998 से पहले के अतिक्रमणकर्ताओं की पुनर्स्थापन की आंशिक लागत वहन करने के लिए सहमत हो गई है, जिसे शहरी विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त है। उत्तर रेलवे ने रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटवाने के लिए 'झुग्गियों/झोपड़ियों' को पुनर्स्थापित करने के लिए इस लेखे में दिल्ली सरकार के पास 11 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। रेलवे अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर इस बारे में संपर्क एवं बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के साथ उपयुक्त समन्वय हेतु रेलवे द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं जिनमें स्थानीय पुलिस की सहायता मांगना भी शामिल है क्योंकि अतिक्रमणकर्ताओं की बेदखली के परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

नांदेड़ रेल मंडल

4047. श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार यह मांग की जा रही है कि नांदेड़ रेल मंडल को मध्य रेलवे के साथ जोड़ दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री सहित अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मांग प्राप्त हुई है।

(ग) किसी मंडल विशेष को किसी ज़ोन विशेष में रखने का निर्णय बिना जब किसी क्षेत्रीय आधार पर परिचालनिक/प्रशासनिक आधार पर लिया जाता है। प्रस्ताव को जब उपर्युक्त मापदंड के आलोक में देखा गया, तो व्यवहार्य नहीं पाया गया। वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

दिल्ली में लाल किले को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा

4048. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में लाल किले को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए यूनेस्को को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में यूनेस्को द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) जी, हां। भारत ने विश्व विरासत स्थल सूची में लाल किले को शामिल करने हेतु विचार करने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केन्द्र को लाल किला का नामांकन डोजियर भेजा है। इसकी अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, यूनेस्को के एक सलाहकार निकाय इकोमास (आईसीओएमओएस) ने एक विशेषज्ञ को भेजा था जिसने सितम्बर, 2006 में स्थल का मूल्यांकन किया था तथा अपनी रिपोर्ट सलाहकार निकाय को प्रस्तुत की है। विश्व विरासत समिति 23 जून से 2 जुलाई, 2007 तक क्राइस्ट चर्च (न्यूजीलैंड) में आयोजित किए जाने वाले अपने 31वें सत्र में लाल किला को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

बधिर और मूक उम्मीदवारों को साक्षात्कार में संकेत भाषा का प्रयोग करने की अनुमति

4049. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूक और बधिर उम्मीदवारों को उनके साक्षात्कार में उन्हें इशारों और संकेत वाली भाषा का प्रयोग करने की अनुमति देने के अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी व्यावहारिकता और विशेषज्ञों की उपलब्धता पर विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मूक, बधिर और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों की सुविधा के अनुसार उन्हें आरक्षित पदों के लिए साक्षात्कार देने की सुविधा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया है लेकिन जैसाकि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में प्रावधान है, मान्यता, मानकीकरण और संकेत भाषा को लोकप्रिय बनाने, वैकल्पिक और संवर्धी बनाने और अंतर स्वीय वार्तालाप में व्यवहार्य माध्यम के रूप में अन्य तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेंशन की दरों में संशोधन

4050. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शौर्य पुरस्कार पाने वाले विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को दी जा रही पेंशन की दरों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शौर्य पुरस्कार पाने वालों की पेंशन दरों में आखिरी बार कब संशोधन किया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार पाने वाले विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की पेंशन की न्यून दरों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ)उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीएनजी स्टेशन खोलना

4051. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक राज्य सरकारें बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के सीएनजी ईंधन स्टेशन खोल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को अपने सीएनजी स्टेशनों की स्थापना करने का अधिकार है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार एक गैस वितरण नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नीति तैयार करने के दौरान राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। कुछ राज्य सरकारों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने नगर गैस वितरण परियोजनाओं को स्थापित करना प्राधिकृत कर दिया है या उसके लिए कार्रवाई शुरू

कर दी गई है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और गांधीनगर के शहरों में सी एन जी नेटवर्क बिछाने के लिए लाइसेंस मंजूर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यू पी एस आई डी सी के माध्यम से लखनऊ, नौएडा, मुरादाबाद, और गाजियाबाद में नगर गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और गुड़गांव में नगर गैस वितरण परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में गैस वितरण के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष संदर्भ संख्या 1/2001 में 25 मार्च, 2004 को परामर्शी क्षेत्राधिकार में अपने दिए गए आदेश में राय दी है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित प्राकृतिक गैस, संघ सूची की प्राविष्टि 53 के अंतर्गत संघ का विषय है। तदनुसार संघ को प्राकृतिक गैस पर कानून अधिनियमित करने के लिए अनन्य वैधानिक सक्षमता है। प्राकृतिक गैस के विषय पर कानून बनाने की वैधानिक सक्षमता राज्यों को नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इसी बात के आलोक में, राज्य सरकारों को सी एन जी भरण स्टेशनों को स्थापित करने का प्राधिकरण देने की शक्ति नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 3 अप्रैल, 2006 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया है जिसमें नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को इस बोर्ड द्वारा प्राधिकृत करने की संकल्पना की गई है। तद्नुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनायक बोर्ड द्वारा नगर गैस वितरण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन जारी किया जाना है।

(घ) से (छ) जी हां। भारत सरकार ने सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके ''प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए नीति'' अधिसूचित की है। नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

1. पाइपलाइन नेटवर्क के सभी प्रतिभागियों को भेदमूलक आधार पर, खुली पहुंच को सुविधाजनक बनाना।

2. कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना जिससे कोई कंपनी अपनी प्रबल स्थिति का दुरूपयोग न करने पाए।

3. गैस की उपलब्धता और उपयुक्त प्रशुल्क की शर्तों में उपभोक्ता के हित को सुरक्षित करना।

सीएनजी की सुविधाएं उपलब्ध करना गैस की उपलब्धता, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थापना और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए शीतागार

4052. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं के संचलन के लिए देश के प्रमुख विमानपत्तनों पर शीतागारों की श्रृंखला की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुछेक विमानपत्तनों को कार्गो केन्द्रों के रूप में स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक विकसित किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां। पेरिशेबल कार्गो के लिए अत्याधुनिक केन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित हवाई अड्डों पर की गई है: दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद, मुम्बई, तिरुवननतपुरम, बंगलौर तथा अमृतसर। कोलकाता में पेरिशेबल कार्गो के लिए अत्याधुनिक केन्द्र निर्माणाधीन है। वाक इन श्रेणी की कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना निम्न हवाईअड्डों पर की गई है: गुवाहाटी, लखनऊ, कोयम्बतूर, अगरतला, अहमदाबाद, पुणे, कोचीन, कालीकट तथा जयपुर। गोवा, बंगलौर तथा पटना हवाईअड्डों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) नागपुर में मौजूदा हवाईअड्डों के सटाकर एक विश्वस्तरीय मल्टी-माडल अंतरराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो अब हवाईअड्डा विकसित किए जाने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय/भा.वि.प्रा. तथा महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एन डी ए द्वारा शुरू किए गए साहसिक कार्य कैंप

4053. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) ने विभिन्न साहसिक कार्यकलापों में हर क्षेत्र के व्यक्तियों की भागीदारी के लिए साहसिक कार्य कैंप शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना का देश के सभी भागों में विस्तार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वहां पर प्रशिक्षणाधीन कैडेटों के लिए ही साहसिक कार्य कैंप आयोजित करती है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन

4054. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आयोग को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पुनर्गठित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन तीन वर्षों के लिए दिनांक 24.2.2004 को किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ट्रेनों में बासी भोजन की आपूर्ति

4055. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को ट्रेनों में बासी भोजन की आपूर्ति की जानकारी है, जैसा कि दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दी गई जानकारी के तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान रेलवे की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) इस गाड़ी में बासी खाना सप्लाई करने की कोई शिकायत नहीं आयी है। यात्रियों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार खानपान सेवाओं की सराहना की गयी है।

(ग) गाड़ियों में खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहे भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम से सेवा में विभिन्न कमियों के लिए अप्रैल, 2006 से फरवरी, 2007 के दौरान कुल 1327 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) लाइसेंसशुदा परिचालित खानपान युनिटों के विरूद्ध चेतावनी, परामर्श देना, फाइन लगाना, लाइसेंस रद्द करने आदि जैसे निवारक उपाय किए जाते हैं, चार प्रमुख ठेके रद्द कर दिए गए हैं तथा 828 मामलों में फाइन लगाए गए हैं।

(ङ) गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण प्रणालियों-को मजबूत करने, साफ-सफाई, भारतीय मानक संगठन (आई एस ओ) प्रमाणन, खानपान लेखा आदि का कड़ा अनुरक्षण भी किया गया है।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग

4056. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों को जोड़ने वाले रेल मार्गों की प्रचालन परिपूर्णता स्थिति 100 प्रतिशत से ज्यादा है और रेलवे ने नई लाइनें बिछाने के लिए "स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग" योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो मंडल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत नई दिल्ली कोटा-मुंबई रेल मार्ग पर शुरू किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मार्गों के कतिपय खंडों में महानगरों को जोड़ने वाले रेल मार्गों की लाइन क्षमता उपयोगिता 100% से अधिक है। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग जो नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए शुरू की गई है, की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्रेनों में यात्रियों के लिए टेलीफोन सुविधा

4057. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेनों में यात्रियों के लिए टेलीफोन सुविधा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या इस सुविधा का अन्य ट्रेनों में भी विस्तार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान इस सुविधा के जरिए कितना राजस्व अर्जित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेलवे को हैदराबाद से जोड़ना

4058. श्री एम. शिवन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का कोंकण रेलवे को हैदराबाद से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। बहरहाल, कोंकण रेलवे लाइन पहले से ही लोंडा-गुंतकल होकर हैदराबाद से जुड़ी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधन कारखाने

4059. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री रामदास आठवले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा शोधित किए गए तेल का शोधन कारखाने-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में ऐसे प्रत्येक तेल शोधन कारखाने की तेल शोधन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में तेल शोधन कारखानों की तेल शोधन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल, 2006-फरवरी, 2007) के दौरान किया गया कच्चे तेल का रिफाइनरी-वार परिशोधन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की परिशोधन क्षमता का दिनांक 1.4.2005, 1.4.2006 तथा 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल, 2006-फरवरी, 2007) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में रिफाइनरियों की क्षमता उपयोगिताएं क्रमशः 101% और 107% थीं।

पूर्वोत्तर रिफाइनरियों की क्षमता उपयोगिता में सुधार के उद्देश्य से, सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के पश्चात से बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) को 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) राव्वा कच्चा तेल आवंटित किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्षमता उपयोगिता और लाभप्रदता में सुधार के लिए कुछ रिफाइनरियों में विभिन्न प्रकार के आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विवरण-I

रिफाइनरी वार कच्चे तेल का थ्रुपुट

मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)

तेल रिफाइनरियां	2005-06	2006-07 (अप्रैल, 2006-फरवरी, 2007)
1	2	3
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड		
मथुरा	7.94	8.17
कोयाली	11.54	11.79
हल्दिया	5.50	5.30
बरौनी	5.55	5.00
गुवाहाटी	0.86	0.77
डिग्बोई	0.61	0.54
पानीपत	6.51	8.37
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		
मुंबई	6.25	6.75
विशाख	7.57	8.38
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		
मुंबई	10.28	10.84
कोच्चि	6.94	7.10
चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		
मणली	9.68	8.90
नारीमनम	0.68	0.54
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि., बोंगाईगांव	2.36	1.91
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., नुमालीगढ़	2.13	2.32
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), तातीपाका रिफाइनरी	0.09	0.09
मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो-कैमिकल्स लि., मंगलौर	12.01	11.45
योग	96.50	98.22

विवरण-II

स्थापित क्षमता

मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)

तेल रिफाइनरियां	1-4-2005	1-4-2006	1-4-2007
1	2	3	4
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड			
मथुरा	8.00	8.00	8.00
कोयाली	13.70	13.70	13.70
हल्दिया	6.00	6.00	6.00
बरौनी	6.00	6.00	6.00
डिग्बोई	0.65	0.65	0.65
पानीपत	6.00	6.00	12.00
गुवाहटी	1.00	1.00	1.00
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड			
मुंबई	5.50	5.50	5.50
विशाख	7.50	7.50	7.50
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड			
मुंबई	6.90	12.00	12.00
कोच्चि	7.50	7.50	7.50
चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड			
मणली	9.50	9.50	9.50
नारीमनम	1.00	1.00	1.00
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि., बोंगाईगांव	2.35	2.35	2.35
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., नुमालीगढ़	3.00	3.00	3.00
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), तातीपाका रिफाइनरी	0.078	0.078	0.078
मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि., मंगलौर	9.69	9.69	9.69
योग	94.37	99.47	105.47

केरल में विमानपत्तनों के टर्मिनलों का आधुनिकीकरण

4060. **श्री पी.सी. थामस :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन, तिरुवनन्तपुरम और कोझीकोड विमानपत्तनों में टर्मिनलों को आधुनिक बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर अभी तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इन कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोचीन हवाईअड्डा जो कि निजी हवाई अड्डा है, को कोचीन अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटड (सीआईएएल) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के आगमन ब्लाक के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि प्रस्थान ब्लाक के आधुनिकीकरण का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। आधुनिकीकरण का कार्य मार्च, 2008 तक पूरा कर लिये जाने की प्रत्याशा है। सी आई एल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, अब तक 43.60 करोड़ रुपये (लगभग) व्यय हो चुके हैं।

कोझीकोड हवाईअड्डे पर 500 आने वाले अन्तरराष्ट्रीय तथा 500 जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों तथा 250 आने वाले घरेलू तथा 250 जाने वाले घरेलू यात्रियों की व्यस्ततम घंटों में क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू टर्मिनलों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना लागत 89.48 करोड़ है नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन मई, 2007 तक पूरा होने की संभावना है तथा घरेलू टर्मिनल भवन के पूरा होने की प्रत्याशित तारीख सितम्बर, 2007 है।

तिरुवनन्तपुरम हवाईअड्डे पर, 500 आने तथा 500 जाने वाले यात्रियों के लिए एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। परियोजना 245.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो चरणों में पूरी हो सकेगी जिसमें नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन, एप्रन तथा रिमोट बे, टैक्सी लिंक, एप्रोच रोड कार पार्किंग तथा अन्य सामान्य सुविधाएं तथा संबद्ध कार्य शामिल है। एप्रन के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार के साथ-साथ 2 संपर्क बे के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है। 14.30 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है तथा प्रथम चरण का कार्य दिसम्बर, 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

शिक्षा संस्थाओं और रोजगार में धर्म आधारित आरक्षण

4061. श्री एम. अप्पादुरई : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने केन्द्र सरकार से शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में और सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने में भी धर्म आधारित आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, जिसका गठन अक्तूबर, 2004 में किया गया था, के विचारार्थ विषयों में से एक "धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व सरकारी रोजगार में आरक्षण सहित, उनके कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देना" हैं।

[हिन्दी]

स्क्रैप की बिक्री

4062. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में वार्षिक रूप से स्क्रैप की अनुमानतः कितनी मात्रा एकत्र होती है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्क्रैप की बिक्री से रेलवे को हुई आमदनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने राजस्व के घाटा, जो स्क्रैप की चोरी की वजह से हुआ है के बारे में काई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी यदि कोई हानि होती है तो इसे रोकने के लिए प्रणाली में उचित व्यवस्था है।

विवरण

(क) रेलवे में वार्षिक तौर पर होने वाली स्क्रैप की अनुमानित मात्रा

2004-05

रेल एवं पटरी (मीटरिक टन)	अन्य लौह पदार्थ (मीटरिक टन)	अलौह पदार्थ (मीटरिक टन)	चल स्टाक (संख्या में)		
			माल डिब्बे	सवारी डिब्बे	इंजन
274676	166742	12757	16091	1196	129

2005-06

रेल एवं पटरी (मीटरिक टन)	अन्य लौह पदार्थ (मीटरिक टन)	अलौह पदार्थ (मीटरिक टन)	चल स्टाक (संख्या में)		
			माल डिब्बे	सवारी डिब्बे	इंजन
346422	345684	15249	14121	1023	102

2006-07

रेल एवं पटरी (मीटरिक टन)	अन्य लौह पदार्थ (मीटरिक टन)	अलौह पदार्थ (मीटरिक टन)	चल स्टाक (संख्या में)		
			माल डिब्बे	सवारी डिब्बे	इंजन
556181	320656	16216	14073	1304	123

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्क्रैप की बिक्री से रेलवे द्वारा अर्जित आय (रु. में) का ब्यौरा।

रेलवे/उत्पादन इकाइयां	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
मध्य	72.36	116.53	152.94
पूर्व	104.7	143.38	156.77
उत्तर	104.1	166.39	245
पूर्वोत्तर	22.89	34.53	37.29
पूर्वोत्तर सीमा	20.96	36.26	54.97
दक्षिण	119.5	125.12	172.5
दक्षिण मध्य	87.56	110.2	167.75
दक्षिण पूर्व	77.33	84.1	100.92
पश्चिम	55.73	63.33	122.75
उत्तर पश्चिम	32.84	75.27	99.22
उत्तर मध्य	113.4	103	126.75
पूर्व मध्य	46.67	39.94	38.70
पूर्व तट	26.52	31.05	60.58
दक्षिण पूर्व मध्य	37.86	54.36	64.47
दक्षिण पश्चिम	13.17	25.12	31.54
पश्चिम मध्य	60.6	87.89	125.35
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	2.52	5.54	6.88
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	8.94	16.23	19.81
डीजल रेल इंजन कारखाना	1.88	4.45	4.53
सवारी डिब्बा कारखाना	9.43	19.43	18.25
मेट्रो रेलवे	1.46	1.44	2.02
रेल कोच फैक्टरी	3.02	15.87	14.41
रेल पहिया कारखाना	8.39	4.90	8.93
कुल	1032	1364.33	1832.33

तेल शोधन शालाओं के बकाया कर को माफ किया जाना

4063. श्री अधीर चौधरी :
श्री उदय सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधन कंपनियों ने सरकार से वसूल न किए जा सकने वाले करों को देखते हुए इन कंपनियों पर बकाया कर माफ किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे वसूल न किए जा सकने वाले करों का ब्यौरा क्या है, जो तेल कंपनियां वसूल नहीं कर पाई हैं;

(घ) क्या ऐसे भारी घाटे को रोकने के लिए एक नई कार्यनीति बनाई जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि वसूल न किए जा सकने वाले करों के कारण रिफाइनरियों की अल्प वसूलियों की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर, रिफाइनरियों द्वारा कच्चे तेल की प्राप्ति पर प्रवेश कर/चुंगी पर और तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर वसूल न किया जा सकने वाला बिक्री कर/वैट पर अतिरिक्त कर/उपकर के कारण ये तेल कंपनियां इस समय अल्प वसूलियों से गुजर रही हैं।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर डा. रंगराजन समिति ने करों के विकृत प्रभाव को देखते हुए सभी वसूल न किए जाने वाले करों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। तदनुसार, वसूल न किए जाने वाले करों की समाप्ति के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया गया था। इस दौरान केरल सरकार ने पेट्रोल, हाईस्पीड डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और मिट्टी तेल पर केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिया है।

छसा और जेतलसर के बीच आमान परिवर्तन

4064. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छसा और जेतलसर के बीच आमान परिवर्तन के लिए रेलवे द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) छसा-जेतलसर मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है और 31.07.2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रस्ताव पर आगामी निर्णय सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रूपसा तथा बारिपदा के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

4065. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का उड़ीसा में रूपसा तथा बारिपदा के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त भूमि की खरीद हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुसलमानों की स्थिति

4066. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सच्चर समिति के गठन के पहले मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए कितनी समितियां गठित की गई;

(ख) किन-किन समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने पहले की समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद भी मुसलमानों की स्थिति में सुधार न आने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) एक उच्च शक्ति पैनल, जिसे गोपाल सिंह समिति के नाम से जाना जाता था, का गठन 10 मई, 1980 को किया गया था और इसने मुस्लिमों सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की टिप्पणियां दर्शाने वाला एक विवरण सहित ये रिपोर्ट, लोक सभा में 27 अगस्त, 1990 को पेश की गई थी।

(ग) से (ङ) सच्चर समिति नामक एक उच्च स्तरीय समिति ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का वर्णन किया है। इस समिति की रिपोर्ट लोक सभा में 30 नवम्बर, 2006 को पेश कर दी गई हैं। ये वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in. पर भी उपलब्ध है। इस समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

नागर विमानन परियोजनाएं

4067. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से विमानपत्तनों के उन्नयन संबंधी नागर विमानन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इनमें से प्रत्येक परियोजना में कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि के अनुसार चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक इन पर कितना व्यय किया गया है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) उत्तरी क्षेत्र में देहरादून, जयपुर खजुराहो, कुल्लू, लखनऊ, पंतनगर, श्रीनगर, उदयपुर, पूर्वी क्षेत्र में अगरतला, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिल्चर, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद, अकोला, औरंगाबाद, बेलगांव, दीव, गोवा, गोंदिया, नागपुर, रायपुर, पुणे तथा वडोदरा और दक्षिणी क्षेत्र में अगाती, कालीकट, मदुरै, मंगलौर, मैसूर, तिरूपति, त्रिची तथा विजाग को दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्तरोन्नयन के लिए लिया गया है। इन परियोजनाओं में नए रनवे का निर्माण, नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर, एप्रन टैक्सीवे, टर्मिनल भवनों, तकनीक ब्लाक-कम-कंट्रोल टावर, नाली व्यवस्था तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि का निर्माण, रनवे का पुनर्सतहीकरण आदि शामिल है।

(ख) से (च) जहां अधिकाशं परियोजनाएं अनुसूचि के अनुसार चल रही हैं, वहीं कतिपय परियोजनाओं के संबंध में विधानसभा चुनावों

के दृष्टिगत राज्य सरकारों द्वारा हवाईअड्डों को बन्द न किए जाने, प्रतिकूल मौसूम स्थितियों, प्रतिकूल कानून व्यवस्था आदि की वजह से विलम्ब हुआ है

(ङ) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार कुल व्यय क्रमशः इस प्रकार है (करोड़ रुपये में) : उत्तरी क्षेत्र-116.89, पूर्वी क्षेत्र-3.9, पूर्वोत्तर क्षेत्र-58.33, पश्चिमी क्षेत्र-80.32 तथा दक्षिणी क्षेत्र-101.87

(च) अधिकांश परियोजनाएं दिसम्बर, 2007 तक पूरी हो जाने की संभावना है। कुछ परियोजनाएं जिनके आरम्भ होने की अनुसूचित तिथि वर्ष 2008 में है उनके अनुसूची के अनुसार पूरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

4068. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत आबंटित तथा जारी किए गए केन्द्रीय अंशदान का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2006-07 के दौरान लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन बच्चों को इस तुच्छ व्यवसाय से अलग रखने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत और बच्चों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में 20.25 करोड़ रुपए की राशि जारी गई। वर्ष के दौरान कवर किए गए संभावित लाभार्थियों की संख्या 654902 है।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के पात्र सभी छात्रों को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है। कवर किए जाने वाले छात्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

सवारी डिब्बों की कमी

4069. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सवारी डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस कमी को कैसे पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विद्यमान रेल कोच फैक्ट्रियों की क्षमताओं को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। निर्धारित सेवाओं को चलाने के लिए फिलहाल कोचों की कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी हां, आर सी एफ (रेल सवारी डिब्बा कारखाना), कपूरथला तथा आई सी एफ (इंटीग्रल सवारी डिब्बा कारखाना) चेन्नई की उत्पादकता क्षमता 1000 सवारी डिब्बा प्रतिवर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 1400 सवारी डिब्बा तथा 1500 सवारी डिब्बा करने के लिए कार्य अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हुई संभावित मांग को पूरा करने के लिए एक नया सवारी डिब्बा कारखाना लगाने का प्रस्ताव भी है।

पुराने रेल पुल

4070. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री काशीराम राणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल पुलों की जोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) रेलवे पुलों की संख्या कितनी है और इनमें से जोन-वार कितने रेल पुल 100 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं;

(ग) इन पुराने पुलों के कारण हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितनी जानें गई; और

(घ) इन पुराने पुलों को मजबूत बनाने/पुन: बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भारतीय रेल प्रणाली पर लगभग 1,27,000 रेलवे पुल हैं। इसमें से लगभग 51,000 पुल 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन पुलों का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

रेलवे	पुलों की कुल संख्या (अनुमानित)	100 वर्ष से अधिक पुराने पुलों की संख्या (अनुमानित)
1	2	3
मध्य	9700	4500
पूर्व	4200	2800
पूर्व मध्य	5700	2000
पूर्व तट	8800	800
उत्तर	15900	15600
उत्तर मध्य	5400	1800
पूर्वोत्तर	3700	1400
पूर्वोत्तर सीमा	6100	1400
उत्तर पश्चिम	5400	1700
दक्षिण	16200	3000
दक्षिण मध्य	13000	4700
दक्षिण पूर्व	6800	2200
दक्षिण पूर्व मध्य	4800	2000
दक्षिण पश्चिम	6500	2800
पश्चिम	9900	2600
पश्चिम मध्य	4900	1700
	127000	51000

(ग) भारतीय रेल प्रणाली पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पुराने पुलों के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(घ) किसी रेल रेलवे पुल की जीवन अवधि उसकी आयु पर आधारित नहीं होती बल्कि निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित की गई उसकी वास्तविक स्थिति पर आधारित होती है। रेलवे के पास पुलों का निरीक्षण करने के लिए एक सुस्थापित मल्टी-टीयर निरीक्षण प्रणाली है। रेलवे निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित की गई पुलों की वास्तविक स्थिति के आधार पर उनकी मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन आदि करती है, न कि उनकी आयु के आधार पर। कुछ पुल जिनकी वास्तविक स्थिति में क्षतिग्रस्त होने के संकेत पाए जाते हैं और जिनका पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है, ऐसे पुलों को डिस्ट्रेस्ड पुलों की श्रेणी में रखा जाता है। बहरहाल, ये पुल न तो असुरक्षित पुल हैं और न ही जर्जर. पुलों की ऐसी पहचान के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर कार्यों की विधिवत प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उनकी मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन आदि कार्यों के लिए वार्षिक रूप से निधियां आबंटित की जाती हैं।

2001-02 में, भारतीय रेल पर ऐसे पहचान किए गए पुलों के प्रतिस्थापन के पिछले बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए, विशेष रेल संरक्षा निधि (एस आर एस एफ) के अंतर्गत 1530 करोड़ रु. (शुद्ध) की लागत से 2370 पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन कार्यों को मंजूरी दी गई थी। एस आर एस एफ के अतिरिक्त, मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डी आर एफ) के अंतर्गत पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन से संबंधित नए कार्यों को करने के लिए रेलवे बजट में वार्षिक रूप

से अतिरिक्त निधियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। एस आर एस एफ के सृजन से लेकर पुलों की मरम्मत, पुर्निर्माण/पुनर्स्थापन का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	एस आर एस एफ		डी आर एफ	
	मरम्मत/ पुनर्स्थापित किए गए पुलों की संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)	मरम्मत/ पुनर्स्थापित किए गए पुलों की संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)
2001-02	280	44.10	445	63.96
2002-03	496	151.60	655	47.50
2003-04	530	157.27	1033	71.28
2004-05	375	274.26	1204	116.00
2005-06	239	248.61	1192	161.98
2006-07	167	261.20	947	215.15
2007-08	190 (लक्ष्य)	445.50 (बजट आबंटन)	1254 (लक्ष्य)	157.10 (बजट आबंटन)

खान-पान संबंधी नीति, 2005 में सुधार करना

4071. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे में चल रही कई रेलगाड़ियों में घटिया तथा अपर्याप्त खाने को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में आज की तारीख तक और गत एक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) घटिया खाने की आपूर्ति करने के लिए ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है;

(घ) क्या रेलवे का नई खान-पान नीति, 2005 की समीक्षा करने तथा इसका सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यात्रियों को सस्ते दामों पर गाड़ी में ही अच्छा खाना उपलब्ध कराया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) गाड़ियों पर खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रही हैं, जिन्हें दक्षिण जोन से 332 शिकायतें तथा दक्षिण मध्य जोन से 253 शिकायतें प्राप्त हुइ। हैं जिनमें से 64 शिकायतें अधिक पैसे लेने के बारे में थी।

(ग) शिकायतें प्राप्त होने पर चेतावनी देना, परामर्श, जुर्माना या ठेका रद्द करने जैसे निवारक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) इस समय, दिसंबर, 2005 में जारी संशोधित खानपान नीति 2005 की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर किराए पर भूमि

4072. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर निजी पार्टियों को कितनी भूमि किराए पर दी गई है;

(ख) क्या कोर्ट ने रेलवे को भूमि खाली कराने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगी।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

4073. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजनाओं के संबंध में संस्वीकृत निधियों को खर्च करने में कुछ राज्यों ने ढिलाई बरती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिन्होंने अनुसूचित जातियों के विकास की योजनाओं के लिए संस्वीकृत निधियों का अन्यत्र प्रयोग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। गोआ, झारखंड और केरल राज्य सरकारों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग की गति धीमी है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि की उपयोगिता की मानीटरिंग करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि के अन्यत्र प्रयोग की कोई घटना मंत्रालय के नोटिस में नहीं आई है।

[अनुवाद]

जैव डीजल

4074. **श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के मूल्यों के वर्तमान तथा अनुमानित स्तरों को देखते हुए जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का संभावित व्यवहारिक विकल्प है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश विकसित देशों में विभिन्न कृषि उत्पादों से जैव डीजल के प्रयोग हेतु सक्रिय कार्यक्रम हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश ने तेल का उत्पादन करने योग्य फसलों के लिए 63 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का प्रयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इस भूमि का जैव डीजल उत्पादों के लिए प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष के बजट में आवश्यक प्रावधान किए हैं; और

(च) यदि हां, तो इन कदमों से अधिक जैव डीजल का उत्पादन करने में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) जैव डीजल विषयक प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन, जिसे बड़े पैमाने पर जटरोफा की खेती पर जोर देने हेतु गठित किया जा रहा है, के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। उस मंत्रालय ने जैव डीजल विषयक राष्ट्रीय मिशन पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) योजना आयोग के पास भेज दी है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ एक प्रदर्शन परियोजना की कल्पना की गई है जिसमें जैव डीजल के निर्माण हेतु 4 लाख हेक्टेयर अपकर्ष वन और गैर-एव भूमि में जटरोफा की पौध लगाना सम्मिलित है। योजना आयोग ने प्रदर्शन चरण के लिए सैद्धान्तिक रूप में डीपीआर को अनुमोदन कर दिया है। इस पर 5 वर्षों में अनुमानतः 1286 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पौधशाला में जटरोफा की पौध तैयार करने के लिए नौ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और राजस्थान को 49 करोड़ रुपए जारी किये हैं।

देश में जैव डीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर 2005 में एक जैव डीजल क्रय नीति की घोषणा की थी, जो 1.1.2006 से प्रभावी है। इस नीति में सारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 20 क्रय केन्द्रों को चिन्हित किया गया है। ओएमसीज उन जैव डीजल निर्माताओं से, एक विशिष्ट सुपुर्दगी कीमत पर, जो तकनीकी विशिष्टयों की संतोषजनक पूर्ति करने के बाद उनके यहां पंजीकृत हों, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाला जेव डीजल खरीदेंगी। महसूस की गई जरूरत और तैयारी के मद्देनजर ओएमसीज और भी नए क्रय केन्द्र खोल सकती है।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, ने एक राष्ट्रीय जैव डीजल केन्द्र खोला है, जो जैव डीजल से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करता है।

पाकिस्तान के साथ भारतीय तेल निगम का व्यापार

4075. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का ल्यूब्रीकेंट्स बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले अपने पेट्रोरसायनों तथा तेलों के लिए पाकिस्तान के लिए रास्ता खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर पाकिस्तानी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन पेट्रोरसायन उत्पादों, विशेषतौर पर पाकिस्तान को शुद्धिकृत टेरेफैथेलिक (पीटीए) के निर्यात पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव में वाघा सीमा के आर पार कन्टेनरों में सड़क मार्ग तथा रेल द्वारा पीटीए का परिवहन शामिल है। इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा इस मामले को भारत सरकार और पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के उच्चायुक्त के समक्ष रखा गया है।

मार्च 2006 में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान स्टेट आयल (पीएसओ) को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड से एक बारगी आधार पर 10 टीएमटी, समूह 2 ल्यूब आयल बेस स्टाक (एलओबीएस) आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

भारतीय वायु सेना के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय विमान कंपनियों में जाना

4076. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के तथा चालू वर्ष में आज तक सशस्त्र बलों के कितने पायलटों ने समय से पहले सेवानिवृत्ति ली/त्यागपत्र दिया;

(ख) सरकार द्वारा पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए औसतन कितना व्यय किया जाता है;

(ग) पायलटों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किन आधारों को 'अत्यंत अनुकंपा वाले आधार' माना जाता है;

(घ) क्या भारतीय वायु सेना (आई ए एफ) ने अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय विमान कंपनियों में काम करने की अनुमति दे दी है जैसा कि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के 'बिजनस स्टैन्डर्ड' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और इस प्रस्तावित कदम के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस प्रस्तावित कदम से वायु सेना पायलटों की कमी होने तथा पायलट प्रशिक्षण पर वायु सेना द्वारा किए जाने वाले खर्च पर कितना नुकसान होगा; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (छ) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष और इस वर्ष अब तक समय पूर्व सेवानिवृत होने वाले/त्याग पत्र दिए जाने पर कार्यमुक्त किए गए पायलटों की संख्या के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले	त्याग पत्र
2004	128	–
2005	77	–
2006	56	–
2007 (अप्रैल की स्थिति के अनुसार)	16	–

औसत प्रशिक्षण लागत सेना-दर-सेना और शाखा-दर-शाखा 0.302 करोड़ रुपए से लेकर 10.35 करोड़ रुपए तक भिन्न-भिन्न होती है।

संपत्ति के उत्तराधिकार, बीमार माता पिता की देखभाल करने की जरूरत, पारिवारिक व्यवसाय, पत्नी की गम्भीर बीमारी जिसमें घर पर अफसर की जरूरत हो, दांपत्य जीवन के टूटने की संभावना, यदि अफसर सेवा में बना रहता है, आदि से संबंधित कतिपय घरेलू समस्याओं को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अनुकंपा आधार के रूप में समझा जाता है।

भारतीय वायुसेना ने अफसरों को राष्ट्रीय विमान कंपनियों में शामिल होने के लिए 54 वर्ष और अधिक के आयु वर्ग के वास्ते अनुमति दिए जाने पर सहमति दे दी है। भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों को दूसरा करियर विकल्प सुकर बनाने और राष्ट्रीय विमान कंपनियों में पायलटों को छोड़कर जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के बीच 5 अप्रैल, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रायोजित किए जा रहे अफसरों के छोड़कर चले जाने से वायुसेना की संक्रियात्मक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अफसर पायलट के रूप में अपना उपयोगी कार्यकाल पहले ही पूरा कर चुके होते हैं। प्रायोजित किए जा रहे अफसर सामान्यतया वे होते हैं जो वर्ष भर में अथवा आसपास सेवानिवृत्त होने वाले हों। अत: इससे भारतीय वायुसेना में पायलटों की न तो कोई कमी होगी और न ही उनके प्रशिक्षण पर कोई हानि होगी।

तेल शोधन शालाओं की कार्यकुशलता

4077. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मथुरा, चैन्नई, विजाग तथा कोच्चि में चार प्रमुख तेल शोधन शालाओं की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सरकार के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हस्ताक्षरित संविदा की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने शैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी है, ने नीदरलैंड्स की शैल ग्लोबल सोल्यूशन्स इंटरनेशनल बी.वी. (शैल जीएसआई) के साथ इन चार रिफाइनरियों के लिए ''एकीकृत व्यवसाय सुधार कार्यक्रम'' के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

'ईअर आफ इंडो-चाइना फ्रेंडशिप थ्रू टूरिज्म

4078. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 को ''ईअर आफ इंडो-चाइना फ्रेंडशिप थ्रू टूरिज्म'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच दो तरफे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कार्यकलापों को शुरू करने के लिए किसी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और चीन के मध्य दो तरफे पर्यटन के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने हेतु एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। कार्य योजना में वर्णित कुछेक कार्यकलापों में, एक-दूसरे के देश में मीडिया/टूअर आपरेटरों के सुपरिचितिकरण टूअर्स आयोजित करना, होटल प्रबंध संस्थानों से विद्यार्थियों और फैकल्टी के आदान-प्रदान दौरे, रोड शोज का आयोजन करना और यात्रा एवं पर्यटन मेलों में भागीदारी करना शामिल हैं।

केरल में केन्द्र द्वारा रक्षित स्मारक

4079. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक इन स्मारकों के पुनरुद्धार एवं नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या सरकार को "श्रीराम कल्चरल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट" त्रिप्रयार से केरल के त्रिशूर में त्रिप्रयार श्रीराम मंदिर में शुरू किए जाने वाले नये कार्यों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) केरल में 26 स्मारक/स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित है:-

2004-05	110.66 लाख रुपए
2005-06	118.50 लाख रुपए
2006-07	208.99 लाख रुपए

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के त्रिसूर मण्डल के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव के लिए 210.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल के इन स्मारकों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2004-05	14.51 लाख रुपए
2005-06	17.66 लाख रुपए
2006-07	23.46 लाख रुपए

(घ) और (ङ) श्री राम सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक न्यास ने श्री राम मंदिर में विभिन्न संरक्षण और विकास कार्यों को करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित कार्यों में से कुछ कार्यों को पहले ही 2007-08 के निर्माण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। मंदिर संरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

विवरण

केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की विस्तृत सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	मत्तनचेरी महल	कोचीन	एर्णाकुलम
2.	सेंट फ्रांसिस चर्च	कोचीन	एर्णाकुलम
3.	फोर्ट सेंट एंग्लो	कन्नुर	कन्नुर
4.	तेल्लीचेरी किला	तेल्लीचेरी	कन्नुर
5.	बेकल किला	पल्लीकेरे	कासरगोड
6.	किला (यक्कारा देशम)	पालघाट	पालघाट
7.	शिव मंदिर	पट्टाम्बी	पालघाट
8.	पुराना किला के अवशेष	थंगसेरी	कोल्लम
9.	किला	अजेन्जो	तिरूवनंतपुरम
10.	परशुराम, ब्रह्मा, शिव तथा मत्स्य के मंदिर एवं इनसे लगी भूमि	तिरूवल्लम	तिरूवनंतपुरम
11.	शैलकृत गुफा	विजहिंजम	तिरूवनंतपुरम
12.	शिव मंदिर	एययल (चेम्मनथिट्टा)	त्रिसूर
13.	विष्णु मंदिर के श्रीकोइल की बाहरी दीवार पर 29 काष्ठ कोष्ठक मुर्तिया तथा इसी मंदिर में कला के अन्य कार्य	कटावल्लुर	त्रिसूर
14.	शिव मंदिर	ओराकम (पेरूवनम)	त्रिसूर

1	2	3	4
15.	शिव मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र (16वीं-17वीं शता. ई.)	तिरूवंचीकुलंम	त्रिसूर
16.	श्री रामास्वामी मंदिर पर भित्ति चित्र	त्रिप्रायर	त्रिसूर
17.	पल्लिमना मंदिर के श्रीकोयल की दीवारों पर भित्तिचित्र	वडक्कनचेरी	त्रिसूर
18.	कैलाशनाथ मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र (16वीं-17वीं शता. ई.)	त्रिसूर	त्रिसूर
19.	अम्बेल्ला प्रागैतिहासिक स्थल	एरियानुर	त्रिसूर
20.	कदाकुलू परम्बु	चेरामानगढ़	त्रिसूर
21.	दफन गुफा	चौव्वानुर	त्रिसूर
22.	दफन गुफा	एय्यल	त्रिसूर
23.	दफन गुफा	कन्डानासेरी	त्रिसूर
24.	दफन गुफा	कटकम्पिल	त्रिसूर
25.	कक्कड की दफनगुफा	कुन्नामौलम	त्रिसूर
26.	जैन मंदिर	किटंगनाड	विनाड

कच्चे तेल पर उपकर

4080. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 के अंतर्गत कच्चे तेल पर उपकर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है

(ग) अब तक इकट्ठी की गई उपकर की कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे उपकर से अब तक लक्ष्य और उद्देश्य कहां तक पूरे हुए हैं; और

(ङ) सरकार का विचार ऐसे उपकर को कब तक इकट्ठा करते रहने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) उपकर लगाने का मुख्य उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए सहायक वित्तीय और अन्य सहायता निम्नलिखित के माध्यम से देना है:-

(i) भारत के भीतर (उसके महाद्वीपीय शैल्फ सहित) या भारत के बाहर खनिज तेल की तलाश और अन्वेषण करके;

(ii) कच्चे तेल के उत्पादन, साज-समान, भण्डारण और परिवहन के लिए सुविधाओं की स्थापना करके;

(iii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिशोधन और विपणन करके;

(iv) पेट्रोरसायनों और उर्वरकों का निर्माण और विपणन करके;

(v) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान करके जो सीधे या परोक्ष रूप से तेल उद्योग के लिए उपयोगी हो सकते हैं;

(vi) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में आजमाइशी या प्रायोगिक अध्ययन कराकर;

(vii) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में लगे हुए या लगाए जाने वाले ऐसे कार्मिकों का प्रशिक्षण करा के जो भारत में या बाहर हैं;

(ग) सरकार ने मार्च 2007 तक लगभग 67600 करोड़ रुपए का शुद्ध उपकर वसूल कर दिया है।

(घ) इसके आरंभ से लेकर 31.2.2007 तक, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने लगभग 20980 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है, और अनुदानों, रायल्टी के रूप में 1105 करोड़ रुपए

राज्य सरकारों को और तेल उद्योग के विकास के लिए सरकार/ ओआईडीबी द्वारा प्रायोजित विभिन्न अध्ययनों/योजनाओं/कार्यक्रमों पर खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त, ओआईडीबी ने मैसर्स बीको लारी लिमिटेड में 17.58 करोड़ रुपए तक की राशि इक्विटी में निवेश की है। हाल ही में 3 स्थानों पर कार्यनीति कच्चे तेल के भण्डारों के निर्माण के लिए ओआईडीबी के अंतर्गत, पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनी अर्थात इंडिन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड स्थापित की गई है।

(ङ) उपकर की वसूली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे बीमा निधि

4081. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2007 तक रेलवे बीमा निधि की कायिक निधि कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से निधि में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा उक्त अवधि के दौरान वार्षिक रूप से निधि से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या दुर्घटना पीड़ितों को रेलवे द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान बीमा निधि से दिया जाता है अथवा रेलवे के आम राजस्व से दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को कितना अनुग्रह अनुदान दिया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे के पास बीमा निधि नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनुग्रह राशि संबंधी अनुदान के साथ क्षतिपूर्ति राशि को रेलवे के राजस्व से पूरा किया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को दिया गया अनुग्रह राशि संबंधी अनुदान निम्नानुसार है:

2004-05	—	70.80 लाख रु.
2005-06	—	166.58 लाख रु.
2006-07	—	162.37 लाख रु.

गैस का विक्रय मूल्य

4082. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस के विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस उत्पादक कंपनियों के लिए गैस के उत्पादन पर निर्धारित लाभ अनुपात कितना है;

(घ) क्या विभिन्न गैस उत्पादक देश में उपभोक्ताओं को गैस अलग-अलग दामों पर बेचते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) व्यापक रूप से देश में गैस के मूल्य निर्धारण की दो पद्धतियां हैं - प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) और गैर-एपीएम अथवा मुक्त बाजार गैस। एपीएम गैस का मूल्य सरकार निर्धारित करती है। नामांकन आधार पर ओएनजीसी और ओआईएल को दिये गये विद्यमान क्षेत्रों से उत्पन्न गैस एपीएम पद्धति के अधीन आती है। एपीएम गैस की आपूर्ति प्राथमिकता क्षेत्रों को की जाती है, जैसे विद्युत और उर्वरक क्षेत्र: 0.05 एमएमएससीएमडी तक आबंटन वाले छोटे पैमाने के उपभोक्ता; और न्यायालय आदेशों से प्रतिबद्ध विशेष अन्तिम प्रयोक्ता। जहां तक गैर-एपीएम/मुक्त बाजार गैस का प्रश्न है, इसकी आपूर्ति बाजार निर्धारित मूल्यों पर विभिन्न उपभोक्ताओं को की जाती है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) क्षेत्रों से भविष्य में उत्पन्न होने वाली गैस और ओएनजीसी तथा ओआईएल द्वारा और संयुक्त उद्यम/निजी कम्पनियों द्वारा भविष्य में उत्पादित गैस बाजार निर्धारित मूल्य पर बेची जायेगी। इसका मूल्य एनईएलपी के अधीन उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुरूप

आर्म्स लेंग्थ मूल्य पर निर्धारित की जायेगी। जिस सूत्र अथवा आधार पर मूल्य निर्धारित किया जायेगा, उसके लिए पहले से सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(घ) और (ङ) जहां एपीएम गैस अधिसूचित दरों पर बेची जाती है, वहीं ओएनजीसी, आयल इण्डिया लिमिटेड और निजी उत्पादकों, जैसे बीजी आरआईएल/ओएनजीसी परिसंघ और कैर्न/विडियोकॉन/ओएनजीसी परिसंघ द्वारा पीएससी क्षेत्रों से उत्पादित गैस पीएससी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती है।

जम्मू और कश्मीर में गिलगिट पाण्डुलिपियां

4083. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की गिलगिट पाण्डुलिपियों को यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर, 2006-07 में शामिल करने के लिए नामित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की किसी अन्य पाण्डुलिपि को यूनेस्कों के वर्ल्ड रजिस्टर में पहले ही शामिल किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। यूनेस्को के विश्व रजिस्टर, 2006-07 में जम्मू एवं कश्मीर की गिलगिट पाण्डुलिपियों को शामिल करने के लिए उक्त पाण्डुलिपियों का एक डोजियर यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया है। सन् ईस्वी पांचवीं और छठी शताब्दी की ये गिलगिट पाण्डुलिपियां भारत में उपलब्ध सबसे पुरानी पाण्डुलिपियां हैं। इन पाण्डुलिपियों की खोज कश्मीर के निकट गिलगिट क्षेत्र से चरवाहों द्वारा की गई थी और ये मुख्यत: बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं तथा कविताओं का संग्रह हैं। इस पाण्डुलिपि कार्पस का मुख्य भाग भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में है और इसका शेष भाग जम्मू एवं कश्मीर में राज्य अभिलेखागार में है।

(ग) और (घ) यूनेस्को के विश्व रजिस्टर में शामिल अन्य भारतीय पाण्डुलिपियां, एशियाई अध्ययन संस्थान से "तमिल चिकित्सा पाण्डुलिपियां" तथा पांडिचेरी से "सैव पाण्डुलिपियां" हैं।

नई ट्रेन चलाया जाना

4084. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार और अधिक नई ट्रेन चलाने तथा त्रिवेंद्रम मंडल के अंतर्गत कन्याकुमारी एक्सप्रेस और अनंतपुरी एक्सप्रेस जैसी मौजूदा फास्ट ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेलों पर गाड़ियां चलाना और उनकी संख्या बढ़ाना एक चालू और सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के पैटर्न, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) रेल बजट, 2007-08 में तिरूवनंतपुरम और लोकमान्य तिलक (ट) के बीच गरीबरथ चलाने की घोषणा की गयी थी तथा वर्ष 2007-08 के दौरान कोयम्बटूर और नागरकोइल के बीच दैनिक गाड़ी चलायी जा रही है। बहरहाल, इस समय 6123/6124 चेन्नै एग्मोर-तिरूवनंतपुरम अंनतपुरी एक्सप्रेस तथा 2633/2634 चेन्नै एग्मोर-कन्याकुमारी एक्सप्रेस का भार बढ़ाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह गाड़ियां अपने अधिकतम अनुमत भार के साथ चल रही हैं।

[हिन्दी]

छोटी और क्षेत्रीय एयरलाइन्सों को प्रोत्साहन

4085. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तन वाले छोटे शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए छोटी और क्षेत्रीय एयरलाइन्सों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सभी घरेलू एयरलाइनों को देश के विभिन्न भागों में प्रचालन के लिए छोटे विमानों का उपयोग करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया गया

है। घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा, अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान, जिनके कम से कम 80 सीटें हों, का प्रचालन किया जा रहा है और सभी प्रकार के हेलीकाप्टरों को लैंडिंग प्रभारों के भुगतान से मुक्त रखा गया है। इस संबंध में, छोटे विमानों को प्रोत्साहन मार्ग नेविगेशन सुविधा प्रभार (आर एन एफ सी), टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग प्रभारों (टीएनएलसी) और प्रतीक्षा घंटे में बढ़ोतरी निम्न प्रकार से अनुमति है।

1. विमानों के संबंध में आर एन एफ सी को अधिकतम, आल-अप-वेट 20,000 कि.ग्रा.

   क. 10,000 कि.ग्रा. तक लेवी को लागू दरों पर 20% की दर से और

   ख. 10,000 कि.ग्रा. से 20,000 कि.ग्रा. तक लेवी, लागू दरों पर 40% की दर से

2. अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर टीएनएलसी, प्रति 1000 कि.ग्रा. से 21,000 कि.ग्रा. एयूडब्ल्यू की अधिकतम सीमा तक 100/- की दर से लगाया जाता है।

3. एयडब्ल्यू के 21000 किलोग्राम तक के विमान के लिए, निगरानी समय के विस्तार के लिए सेवा प्रभार लागू दर के 25% की दर से लगाए जाते हैं।

4. अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित 4000 किलोग्राम से कम अधिकतम उड़ान भरने के साथ विमानों को बेचे गए विमानन टरबाईन ईंधन में वित्त विधेयक के अनुच्छेद 14 में जोड़ा जा सके। इसके परिणामस्वरूप विमानन टरबाईन ईंधन पर अधिकतम विक्रय कर 4% किया जा सकेगा।

रक्षा अनुसंधान विभाग के क्रियाकलाप

4086. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध निर्माणियों द्वारा निर्मित गोला और बारूद, वाहनों और तोप के उन्नयन के लिए रक्षा अनुसंधान विभाग के क्रियाकलापों की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रक्षा उपकरणों के उत्पादन में संलग्न सरकारी रक्षा स्थापनाओं को रक्षा अनुसंधान विभाग की धीमी प्रगति के कारण कार्य की कमी का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन वैमानिकी, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी, शस्त्रास्त्र, इलेक्ट्रानिक युद्ध-पद्धति, सामग्री आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में लगा हुआ है। प्रणालियों के शुरूआती विकास के अलावा यह संगठन कभी-कभी मौजूदा प्रणालियों के कार्यकारी मानदण्डों को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य भी करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आवास अवसंरचना योजनाओं को प्रोत्साहन

4087. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में "आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन" योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को राज्य-वार पूंजीगत राजसहायता स्वीकृत की गई है; और

(घ) योजना अवधि में यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सफल रही है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सृजित कमरों के साथ स्वीकृत राज्य-वार परियोजनाओं के ब्यौरे निमनानुसार हैं :-

राज्य	परियोजनाएं	कमरें
केरल	43	1113
गुजरात	3	62
पंजाब	4	89
महाराष्ट्र	2	53
तमिलनाडु	2	38
आंध्र प्रदेश	5	247
कर्नाटक	3	180
पश्चिम बंगाल	2	42
मध्य प्रदेश	2	94
कुल	66	1918

रेलवे द्वारा खाली पड़ी भूमि का उपयोग

4088. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भू-अभिलेखों का और इसके उद्देश्य जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जाना है, का उचित और सही रख-रखाव नहीं करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। रेलवे भूमि अभिलेखों और जिस उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग किया जाना है, का उचित रिकार्ड रखता है जो कि तात्कालिक आवश्यकता के लिए अधिशेष भूमि को दर्शाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की ढुलाई

4089. श्री अण्णासाहेब पाटील शिवाजीराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कोयले की ढुलाई के लिए रिलायंस एनर्जी ग्रुप्स रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे रेलवे द्वारा कितनी आय अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। रेल मंत्रालय ने रिलायंस एनर्जी ग्रुप की मैसर्स रोजा पावर सप्लाई कंपनी लि. के साथ एक कोयला परिवहन करार किया है। करार की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है :-

- भारतीय रेलवे को 25 वर्षों तक 2.7 मिलियन टन कोयले का परिवहन करना होगा।
- कंपनी रेलवे को 5% अतिरिक्त भाड़ा प्रभार अदा करेगी।
- भारतीय रेलवे ने रेकों के स्थापन, परिवहन और कोयले की सुपुर्दगी की गारंटी दी है।
- रेलवे और कंपनी को दायित्वों को पूरा न करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा।

(ग) चालू भाड़ा दर के अनुसार वार्षिक भाड़ा अर्जन 800 किमी की दूरी के लिए लगभग 180 करोड़ रु. होगा।

[हिन्दी]

मालगाड़ियों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

4090. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों ने रेलवे द्वारा मालगाड़ियों के प्रचालन के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे रेलवे को कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार भविष्य में मालगाड़ियों के प्रचालन का पूर्ण निजीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किसान एक्सप्रेस का रुकना बंद किया जाना

4091. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने फरवरी, 2007 के बाद से हांसी और आदमपुर स्टेशन पर 4519 किसान एक्सप्रेस का रुकना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने हजारों यात्रियों को हांसी और आदमपुर स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने/उतरने की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 4519 किसान एक्सप्रेस के उक्त स्टेशनों पर पुन: रुकने की व्यवस्था करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) दिनांक 28.2.2007 से गाड़ी सं. 4519 दिल्ली-भटिंडा किसान एक्सप्रेस का ठहराव हांसी और आदमपुर स्टेशन पर बहाल कर दिया गया है।

संरक्षित स्मारकों से अर्जित आय में वृद्धि

4092. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों से अर्जित आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनसे अर्जित आय का राज्य-वार और स्मारक वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन स्मारकों की आय में और वृद्धि करने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2004-05	5285.72 लाख रुपए
2005-06	5466.63 लाख रुपए
2006-07	6303.63 लाख रुपए

ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) इस समय स्मारकों पर प्रवेश शुल्क बढ़ाने अथवा और अधिक स्मारकों पर प्रवेश शुल्क (टिकट) लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (राज्य-वार) से प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्र किए गए राजस्व का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/स्मारक का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	निचला किला (राजा और रानी महल), चन्द्रगिरि, जिला चित्तूर	494725	466830 4$	502915 34$

1	2	3	4	5
2.	गोलकोंडा किला, गोलकोंडा, जिला हैदराबाद	4892790 1628$	5299530 2014$	6727450 2820$
3.	क्षतिग्रस्त बौद्ध स्तूप तथा अन्य अवशेष, अमरावती, जिला गुंटूर	100760 66$	439975 478$	138650 798$
4.	प्राचीन अवशेषों सहित नागार्जुनकोंडा की पहाड़ी, पुल्लारेड्डीगुडम, जिला गुंटूर	532270 76$	976470 489$	595505 774$
5.	चार मंजिला शैलकृत हिन्दू मंदिर, उन्डावलली, जिला गुंटूर	177705 26$	144615 177$	283875 20$
6.	बौद्ध स्मारक, गुंटापल्ले, जिला पश्चिम गोदावरी	104880	103595	122695 85$
7.	वारंगल किला, वारंगल, जिला वारंगल	283930	333150	374270
8.	चारमीनार, हैदराबाद, जिला हैदराबाद	6188560 260$	6732000 176$	7619545 154$
	असम			
9.	अहोम राजा का महल, गढ़गांव, जिला सिबसागर	141655	159230	125600
10.	अहोम राजाओं का कारेंघर, सिबसागर, जिला सिबसागर	437710	387155	323035
11.	चार मैदानों का समूह, चराईदेव, जिला सिबसागर	142575	124955	83970
12.	विष्णुदोल, जाय सागर, जिला सिबसागर	37170	35935	25555
13.	रंगधर अवशेष जाय सागर, जिला सिबसागर	115545	150210	117430
	बिहार			
14.	मौर्य महल का स्थल, कुमराहार, पटना, जिला पटना	169595 1064$	215140 944$	291205 1657$
15.	प्राचीन खंडहर वैशाली, जिला वैशाली	343535 20426$	183075 15898$	436060 30680$
16.	शेर शाह का मकबरा, सासाराम, जिला रोहतास	447245 132$	493125 70$	542175 54$

1	2	3	4	5
17.	उत्खनित स्थल, नालन्दा, जिला नालन्दा	1691030 29588$	1411950 46036$	1911140 62446$
18.	विक्रमशिला का प्राचीन स्थल, अंतीचाक, जिला भागलपुर	37185	67335	92320 22$
	छत्तीसगढ़			
19.	लक्ष्मण का मंदिर तथा प्राचीन स्थल जिसमें मूर्तियां शामिल हैं, सिरपुर, जिला रायपुर	62175	317135	200270
	गुजरात			
20.	सूर्य मंदिर, मोधेरा, जिला मेहसाणा	726573	736724	771247
21.	रानी की वाव, पाटन, जिला पाटन	615196	753559	821486
22.	चम्पानेर स्मारक, चम्पानेर, जिला गोधरा	237140	296595	511152
23.	अशोक शैल अभिलेख, जूनागढ़, जिला जूनागढ़	305420	301850	265470
24.	बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़, जिला जूनागढ़	245425	270741	285547
25.	बाबा प्यारे, खपरा कोडिया गुफाएं, जूनागढ़, जिला जूनागढ़	2622	3765	8906
	हरियाणा			
26.	शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र	211860 24$	236045	222340
27.	सूरज कुंड, लखरपुर, जिला फरीदाबाद	176080 4$	193755 15$	152375 6$
	हिमाचल प्रदेश			
28.	क्षतिग्रस्त किला, कांगड़ा, जिला कांगड़ा	242760 12$	294045 10$	321465 10$
29.	शैलकृत मंदिर तथा मूर्तिया, मसरूर, जिला कांगड़ा	85725 2$	92265 2$	88225 2$
	जम्मू और कश्मीर			
30.	मंदिर समूह, किरामची, जिला उधमपुर	2935	2865	30320

1	2	3	4	5
31.	राजा सुचेत सिंह को समर्पित प्राचीन महल, रामनगर, जिला उधमपुर	10570	11240	8585
32.	अवन्तिस्वामी मंदिर, अवन्तिपुरा, जिला पुलवामा	21125 52$	45630	33230 64$
33.	प्राचीन महल, लेह, जिला लेह (लद्दाख)	49250 3304$	146650 684$	158075 552$
	कर्नाटक			
34.	स्मारक समूह, हम्पी, जिला बेल्लरी	8412475	8290134	10125186
35.	दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटनम्, जिला मांड्या	4702334	4829828	5657415
36.	केशव मंदिर, सोमनाथपुर, जिला मैसूर	1416711	1431916	1833442
37.	टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर, जिला बंगलौर	1061993	1213493	952299
38.	किला तथा मंदिर चित्रदुर्गा किला, चित्रदुर्गा, जिला चित्रदुर्गा	1065055	735790	1132260
39.	बेल्लरी किला, बेल्लरी, जिला बेल्लरी	24330	16450	15627
40.	दुर्गा मंदिर, एहोल, जिला बागलकोट	812115 2528$	858215 2206$	2351455 2666$
41.	बादामी स्थित गुफा, जिला बीजापुर	1318425 4612$	1370580 3598$	1900615 3172$
42.	मंदिर समूह, पट्टडकल, जिला बागलकोट	2152220 7640$	2227450 7525$	2811640 8955$
43.	गोल-गुम्बज, बीजापुर, जिला बीजापुर	3217460 962$	3370900 846$	3815615 906$
44.	इब्राहिम रोजा, बीजापुर, जिला बीजापुर	758166 616$	735410 514$	758470 720$
45.	मंदिर तथा मूर्ति दीर्घा, लक्कुण्डी, जिला गडग	42780 30$	41390 254$	51345 280$

1	2	3	4	5
	केरल			
46.	बेकल किला, पल्लीकेरे, जिला कासरगोड	644595	782715	740996
	मध्य प्रदेश			
47.	पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो, जिला छतरपुर	17544212	18316812	21112081
48.	किला में महल, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर	208855	204035	233705
49.	बौद्ध गुफाएं, बाघ, जिला धार	81005	85450	72299
50.	स्मारक समूह, मांडु, जिला धार	794799	910383	870627
51.	रूपमती का पैवेलियन, मांडु, जिला धार	881909	896384	951689
52.	होशंगशाह का मकबरा, मांडु, जिला धार	278229	266751	525871
53.	बौद्ध स्मारक, सांची, जिला रायसेन	4129347	4449577	5717935
54.	ग्वालियर किला, ग्वालियर, जिला ग्वालियर	1656769	1832426	1989884
55.	भोजशाला तथा कमाल मौला की मस्जिद, धार, जिला धार	38787	17984	14496
	महाराष्ट्र			
56.	अजन्ता गुफाएं, अजन्ता, जिला औरंगाबाद	9225767	9172624	10265832
57.	एलोरा गुफाएं, एलोरा, जिला औरंगाबाद	7309930	6396845	6490855
58.	पांडुलेना गुफाएं, माहूर, जिला नांदेड	282166	289728	530405
59.	दौलताबाद किला, दौलताबाद, जिला औरंगाबाद	2196620	1879260	1816138
60.	राबिया दुरानी का मकबरा (बीबी का मकबरा), औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद	3936935	4518383	5007460
61.	औरंगाबाद गुफाएं, औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद	353321	342579	303249
62.	एलीफेंटा गुफाएं, धारापुरी, जिला रायगढ	4612950 65225$	3823720 76395$	3667320 84955$
63.	बौद्ध गुफाएं, कनहेरी, जिला मुम्बई सुबुरबन	436790 994$	282160 1246$	318815 1382$

1	2	3	4	5
64.	गुफा, मंदिर तथा अभिलेख, कारले, जिला पुणे	734900 374$	584685 560$	524915 488$
65.	गुफा, मंदिर तथा अभिलेख, जुन्नार, जिला पुणे	1042730 4$	929390 24$	972590 20$
66.	रायगढ़ किला, रायगढ़, जिला रायगद	428790	298170	296565 46$
67.	शनिवारवाड़ा, पुणे, जिला पुणे	1512840 258$	1715345 228$	1890775 346$
68.	हीराकोटा प्राचीन किला, अगरकोट, जिला रायगद	149820	151560	163580
69.	प्राचीन किला, शोलापुर, जिला शोलापुर	11850	9050	23680
70.	गुफा, मंदिर तथा अभिलेख, भजा, जिला पुणे	223790 198$	214525 330$	190320 232$
71.	आगा खां महल भवन, पुणे, जिला पुणे	661070 216$	710315 324$	823370 296$
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
72.	जन्तर मन्तर	1946735 1810$	2582621 2474$	2613103 2052$
73.	खान-ए-खाना	17455	14590	23410
74.	पुराना किला	3053745 1962$	3385841 1890$	3927225 1934$
75.	तुगलकाबाद किला	170800 358$	157546 268$	143570 66$
76.	कोटला फिरोज शाह	153655 10$	231250 166$	429140 92$
77.	सफदरजंग मकबरा	1388650 1680$	1538000 1916$	2012180 1986$
78.	लाल किला	18393110 48726$	19993018 50384$	22154345 46420$

1	2	3	4	5
79.	हुमायूं का मकबरा	26133080 281085$	22985320 328990$	27683930 306588$
80.	कुतुब मीनार	36514080 686595$	38318355 735620$	46135033 910080$
81.	सुल्तान गढ़ी	1125	1128	2375
	उड़ीसा			
82.	सूर्य मंदिर, कोणार्क, जिला पुरी	11192440	11024840	13459750
83.	राजारानी मंदिर, भुवनेश्वर, जिला पुरी	131955	167300	248595
84.	उदयगिरि तथा खंडगिरी पहाड़ियों पर प्राचीन अवशेष, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	913701	770245	1139315
85.	रत्नागिरी स्मारक, रत्नागिरी, जिला जाजपुर	67340	78425	102135
86.	बौद्ध मंदिरों के खण्डहर तथा प्रतिमाएं, ललितगिरि, जिला कटक	41205	41135	52750
	राजस्थान			
87.	डीग भवन, डीग, जिला भरतपुर	219728	199620	213847
88.	कुम्भलगढ़ किला, कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद	1741413	1738873	1913976
89.	चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़	2866220	2850016	3064882
	तमिलनाडु			
90.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम, जिला कांचीपुरम	13065790 61610$	12624900 68070$	16874430 102540$
91.	जिंजी किला (राजगिरी तथा कृष्णागिरी जिंजी, जिला विल्लुपुरम	830580 170$	869695 76$	970415 186$
92.	किला, डिन्डीगुल, जिला डिन्डीगुल	166080	163655	183805
93.	मुवारकोइल, कोडम्बलुर, जिला पुडुक्कोट्टई	10605 56$	14225 14$	9480 4$

1	2	3	4	5
94.	शैलकृत जैन मंदिर, सिट्टनवस्सल, जिला पुदुक्कोट्टई	93305 10$	90975 9$	97460 4$
95.	एलादीपल्लानन नामक प्राचीन कंदरा सिट्टनवस्सल, जिला पुदुक्कोट्टई	90080 4$	92920 12$	83550 8$
96.	किला, तिरुमयम, जिला पुदुक्कोट्टई	180395 12$	144860 18$	223910 16$
97.	फोर्ट सेन्ट जार्ज, चेन्नई, जिला चेन्नई	578185 484$	562560 1402$	631670 1168$
	उत्तर प्रदेश			
98.	ताज स्मारक समूह, आगरा, जिला आगरा	114746030	132586354	148171080
99.	आगरा किला, आगरा, जिला, आगरा	73009245	63860470	78897025
100.	फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा	38538330	36137405	36969405
101.	अकबर का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा, जिला आगरा	5784015	5337831	5262744
102.	मरियम का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा, जिला आगरा	61030	73043	47325
103.	एतमाउद्दौला कर मकबरा, आगरा, जिला आगरा	4087194	4237972	4125771
104.	रामबाग स्मारक समूह, आगरा, जिला आगरा	61930	76770	123580
105.	मेहताब बाग, आगरा, जिला आगरा	64866	161896	365810
106.	रानी झांसी किला, झासी, जिला झासी	554470 242$	594314 514$	731952
107.	रानी लक्ष्मीबाई महल, झांसी, जिला झांसी	38170 12$	42885 20$	59202
108.	साहेत-माहेत स्थल, जिला स्रावस्तीनगर	121405 27164$	934760 43540$	4626781

1	2	3	4	5
109.	रेजीडेन्सी बिल्डिंग, लखनऊ, जिला लखनऊ	64505	875761	962338
		362$	376$	
110.	बौद्ध स्थल, सारनाथ, जिला वाराणसी	2135375	2131025	1448525
		132138$	155360$	179046$
111.	मानसिंह की वेधशाला, वाराणसी, जिला वाराणसी	24900	51845	27115
112.	लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर, जिला गाजीपुर	24690	28590	24760
113.	प्राचीन किला, जौनपुर, जिला जौनपुर	298365	304815	386520
		46$	26$	36$
	पश्चिम बंगाल			
114.	हजारदुआरी महल, किला निजामत, जिला मुर्शिदाबाद	1761210	1796840	1942245
115.	कूच बिहार महल, कूच बिहार, जिला कूच बिहार	887695	1091080	1232540
116.	विष्णुपुर के मंदिर, विष्णुपुर, जिला बंकुरा	335175	390740	419514
कुल	भारतीय मुद्रा—अमरीकी डालर	466253453	476814555	541865122
		1384857$	1552192$	14,56,868$
	में (अमरीकी डालर-45/- रुपए)	62318565	69848640	79059060
	भारतीय मुद्रा में कुल योग	52,85,72,018	54,66,63,195	63,03,63,182

[अनुवाद]

मुद्रित रेल टिकट

4093. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि अनेक छोटे रेलवे स्टेशनों पर एक गंतव्य से अन्य थोड़ी दूरी के गंतव्यों तक मुद्रित रेल टिकट तत्काल उपलब्ध नहीं होते हैं और यात्रियों को रेलवे प्राधिकारियों से अधिक किराया अदा करके अपने गंतव्य स्थानों से आगे तक के टिकट खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने सभी गंतव्य स्थानों तक मुद्रित टिकटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मुद्रित कार्ड टिकट की अनुपलब्धता के कारण लंबी दूरी के गंतव्य स्थानों के लिए टिकट जारी किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) टिकटों की नियमित मांग और पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता की निगरानी क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन

4094. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग के लिए नई दस वर्षीय कोई कर नहीं प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से गैर-पर्यटन क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषकर पहाड़ी/ग्रामीण क्षेत्रों तथा तीर्थ स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के अपने बजट प्रस्ताव में होटलों के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए इन्कमटैक्स हालिडे का प्रस्ताव किया है। यह प्रोत्साहन उन 2, 3 और 4 सितारा श्रेणी के होटलों के लिए उपलब्ध होगा, जो 1.4.2007 से 31.3.2010 के मध्य निर्माण पूरा कर लेंगे। यह प्रोत्साहन केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के जिलों के लिए उपलब्ध है। पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत, 1 से 3 सितारा श्रेणी के होटलों के लिए इमदाद सहायता और भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए इमदाद उपलब्ध है।

(ङ) वाणिज्य एवं उद्योग (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) मंत्रालय ने, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के पहाड़ी राज्यों के लिए, उन राज्यों में स्थापित ईको-पर्यटन उद्योगों सहित, विभिन्न अभिनिर्धारित थ्रस्ट उद्योगों के लिए, उत्पाद शुल्क, आयकर छूट और निवेश इमदाद, आदि के अधीन रियायतों के तरीके से, पैकेजों की घोषणा की है। पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, ग्रामीण पर्यटन एवं तीर्थ केन्द्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी) 2007 के अंतर्गत, होटल (2 सितारा श्रेणी से नीचे नहीं), रोपवेज सहित साहसिक एवं सावकाश क्रीड़ाएं, सभी प्रोत्साहनों हेतु पात्र हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

4095. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को कार्पोरेट और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न रोजगारों में खपाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007 को 'भूतपूर्व सैनिकों का स्थापन' वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के दौरान लगभग 30,000 भूतपूर्व सैनिकों का केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/निजी क्षेत्र में स्थापन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महानिदेशक पुनर्वास ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगारोन्मुख बनाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त करने हेतु उद्योगों तथा व्यावसायिक घरानों के साथ संगोष्ठियों का आयोजन करने तथा बातचीत करने की भी परिकल्पना की गई है।

आईजीएल द्वारा अर्जित लाभ

4096. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ख) अगले तीन वर्षों विशेषकर वर्ष 2007-2008 के लिए आईजीएल की शहर-वार विस्तार योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार, आईजीएल का कर पश्चात लाभ (पीएटी) निम्न प्रकार रहा है:

समाप्त हुआ वित्तीय वर्ष	रुपए (करोड़ में)
मार्च 31, 2004	82.19
मार्च 31, 2005	92.68
मार्च 31, 2006	106.14

(ख) आईजीएल ने अपनी सीएनजी और पीएनजी संरचना, दोनों, को समेकित/आवर्धित करने के लिए विस्तार योजना तैयार की है। आईजीएल द्वारा परिकल्पित विकास योजना निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

अतिरिक्त नए सीएनजी स्टेशन खोलने की योजना

वित्तीय वर्ष	सीएनजी स्टेशनों की संख्या
2007-08	10
2008-09	10
2009-10	10

अतिरिक्त संपीडन क्षमता में योजनाबद्ध वृद्धि

वित्तीय वर्ष	संपीडन क्षमता (लाख किलोग्राम प्रति दिन)
2007-08	2.60
2008-09	2.60
2009-10	2.60

नए पीएनजी उपभोक्ताओं को जोड़ने की योजना :

वित्तीय वर्ष	पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या
2007-08	60,000
2008-09	80,000
2009-10	1,00,000

आईजीएल ने पीएनजी नेटवर्क के साथ चरणबद्ध तरीके से समस्त दिल्ली को कवर करने पर ध्यान संकेन्द्रित किया है।

ग्रेटर नोएडा:

(1) आईजीएल ने सीएनजी के 2 स्टेशन खोलने तथा 3 सीएनजी स्टेशनों के विनिर्माण कार्य को प्रारंभ करने की योजना बनाई है।

(2) आईजीएल ने 1500 घरेलू कनैक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

गाजियाबाद

वर्ष 2007-08 में 2 सीएनजी भरण स्टेशन खोलने की योजना है।

सोनीपत और पानीपत:

आईजीएल ने सोनीपत और पानीपत के शहरों में नगर गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। आईजीएल व्यवहार्यता अध्ययन चलाने की प्रक्रिया में है और इन व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर विस्तार योजना पर कार्य किया जाएगा।

मल्टी-माडल रेलवे कारिडरों की स्थापना

4097. श्री नवीन जिंदल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 65 जिलों में मल्टी-माडल रेलवे कारिडरों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 15 फरवरी, 2007 के ''दैनिक ट्रिब्यून'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव और प्रत्येक राज्य में चुने गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कारिडरों को चीन और जापान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रोजगार प्रदान करने और राजस्व अर्जन से रेलवे को लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे एन पी टी) मुंबई से तुगलकाबाद और दादरी पश्चिमी कारिडोरों पर और लुधियाना से सोननगर जिसका भविष्य में कोलकाता क्षेत्र में प्रस्तावित डीप सी पोर्ट से सेवित करने के लिए विस्तार किया जाएगा, तक पूर्व कारिडोर के निर्माण का प्रस्ताव है।

पश्चिमी कारिडोर महाराष्ट्र में थाणे और रायगढ़ जिलों, गुजरात में वलसाड, नवसारी, सूरत, भारूच, वडोदरा, आनन्द, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा और बनास काठा जिलों, राजस्थान के सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर, जयपुर, अलवर और सिकर जिलों, हरियाणा के महेन्दगढ़ (नारनौल), रेवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों, दिल्ली के दक्षिण दिल्ली जिले और उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिलों से होकर गुजरेगा।

सोननगर से लुधियाना तक पूर्वी कारिडोर बिहार के औरंगाबाद, रोहतास (सासाराम), कैमूर (भभुआ) जिले, उत्तर प्रदेश के चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कौसाम्बी, फतेहपुर, कानपुर (शहरी), कानपुर (ग्रामीण), अरियार, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिलों, हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाला जिले और पंजाब के पटियाला फतेहनगर साहिब, लुधियाना जिले से होकर गुजरेगा।

(ग) और (घ) जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जे आई सी ए) द्वारा एक व्यावहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ) दो कारिडोर रेलवे को व्यस्त ट्रंक मार्गों पर अतिरिक्त यातायात ढोने के लिए, अतिरिक्त राजस्व सृजन करने में समर्थ बनाएगा। परियोजना के निर्माण और उसके बाद रेलपथ और अन्य अवसंरचना और सम्पति का अनुरक्षण रोजगार सृजित करेगा।

रेलवे स्टेशनों का विस्तार और नवीकरण

4098. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री मंजुनाथ कुन्नूर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक में उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या जहां पर वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विस्तार एवं नवीकरण कार्य आरंभ किए गए हैं;

(ख) इन पर स्टेशन-वार कितना खर्चा किया गया है; और

(ग) इन राज्यों में वर्ष 2007-08 के दौरान किन-किन रेलवे स्टेशनों पर ऐसा कार्य आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेलवे पर 8000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य यातायात की वृद्धि और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रति वर्ष किए जाते हैं। विभिन्न स्टेशनों के लिए प्रति वर्ष भारी मात्रा में नए कार्य स्वीकृत किए जाते हैं और उन्हें 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत 'चालू कार्य' के साथ निर्माण, मशीनरी और चल स्टाक कार्यक्रम, भाग-2 में दर्शाया जाता है, जिसे संसद में प्रति वर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध योजना शीर्षों के अंतर्गत 'दोहरीकरण', 'यातायात सुविधा कार्य', 'आमान परिवर्तन', 'कम्प्यूटरीकरण' आदि के भाग के रूप में भी स्टेशनों पर सुधार कार्य भी किए जाते हैं। बहरहाल, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक राज्यों जहां 2005-06 और 2006-07 के दौरान विस्तार और नवीकरण कार्य किए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:

गुजरात- अहमदाबाद, आनन्द अंकलेश्वर, भरूच, भिलड, धाग्रंध्रा, गांधीधाम, जामनगर, हापा, मेहसाणा, पालनपुर, नाडियाड, गोधरा, ओखा, राजकोट, भक्तिनगर, सुरेन्दरनगर, वडोदरा, वरेडिया, वीरमगांव, वंकारनेर, नवासरी, वलसाड, वापी, बिल्लीमोरा, अमलसाड, भावनगर, पोरबन्दर, भुज, बोटड, दाहोद, वकोर, ढोला, जोरावरनगर, द्वारका, जूनागढ़, वेरावलनगर, कोसाबा, किंम, पलेज, मियांगांव, कर्जन, वसाड, मेहमदाबाद, मणिनगर, नवगढ़, समखैली, सोनगढ़, उधाना।

कर्नाटक- मंगलोर, कब्बरकुडई, हुबली, बंगलौर कैंट, यशवंतपुर, तुमकूर, मनडया, बेलगांव, बेल्लारी, होसपेट, मैसूर, दावणगेरे हावर, बंगलौर सिटी, बीदर, बुंदर, भालकी, उदगीर, रायचूर, सकराम, यादगीर, हलबाहरगा, कमलानगर, चितपुर, मारी, चेथल, नलवर, चिकसुगर, कुरगुंटा, नवानदगी, मलखेड रोड, नन्दालूर, गुलबर्गा, शाहबाद, वाडी, गंगापुर, मूरतुर, सवालगीर।

उड़ीसा- बामरा,बालासोर, राउलकेला, झारसुगुडा, पानपोस, राजगनपुर, रायागडा, सिंगपुर रोड, दमनजोड़ी, टीकरी, कोरापुट, संबलपुर, तितलागढ़, बालनगीर, कांताबंजी, केसिंगा, ब्रह्मपुर, पुरी, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, बालूगांव, छतरपुर, देलंग, मालतीपटपुर, मनचेश्वर, धेनकानल, तलचेर, अंगुल, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर रोड, सखीगोपाल, बीरपुरुसोतमपुर।

(ख) रेलवे बजट रेलवे जोन-वार तैयार किया जाता है न कि स्टेशन-वार अत: 2005-06 और 2006-07 (मार्च, 2007 तक) के दौरान ''यात्री सुविधाएं'' योजना शीर्ष के अंतर्गत जोन-वार अनुमानित व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

रेलवे	व्यय 2005-06 (अनुमानित)	मार्च, 2007 तक व्यय (अनुमानित)
मध्य	17.78	33.96
पूर्व	14.13	37.16
उत्तर	28.16	43.08
पूर्वोत्तर	10.44	15.81
पूर्वोत्तर सीमा	19.85	32.22
दक्षिण	25.82	43.14
दक्षिण मध्य	34.12	39.28
दक्षिण पूर्व	10.23	9.81
पश्चिम	17.75	28.00
पूर्व मध्य	24.98	20.91
पूर्वतट	5.28	10.42
उत्तर मध्य	4.57	8.03
उत्तर पश्चिम	9.10	20.92
दक्षिण पूर्व मध्य	12.62	16.84
दक्षिण पश्चिम	8.26	18.83
पश्चिम मध्य	10.02	14.75
मैट्रो	1.12	0.99
कुल	256.23	394.15

(ग) 2007-08 के दौरान जिन रेलवे स्टेशनों पर विस्तार और नवीकरण कार्य किए जाने हैं उनकी योजना अभी नहीं बनाई गई है।

ई एम यू/डी एम यू ट्रेनों को हटाया जाना

4099. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रूपसा और बारिपदा के बीच चलने वाली ईएमयू और डीएमयू ट्रेनों को हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का दैनिक यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर इन ट्रेनों को पुन: चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रुपसा-बारीपदा खंड (52 किमी.) पर गाड़ियां केवल एक गाड़ी प्रणाली पर चल रही हैं। जैसा कि रेल बजट 2006-07 में घोषित किया गया था 2891/2892 भुवनेश्वर-बारीपदा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) 31.03.2007 से चलायी जा रही है। रुपसा-बारीपदा खंड के संरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एक आर बी तथा 4 आर बी रुपसा-बारीपदा डी एम यू को 30.06.2007 तक उन दिनों में हटा लिया गया है जिन दिनों में 2891/2892 भुवनेश्वर-बारीपदा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) चलायी जाती है (अर्थात सोमवार, गुरुवार तथा शनिवार को एक आर बी तथा बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार को 4 आर बी चलाया गया है)।

रेल अधीक्षकों की सेवा

4100. श्री एम. शिवण्णा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियां विशेषकर कर्नाटक एक्सप्रेस, यशवंतपुर निजामुद्दीन ट्रेनों में रेल अधीक्षकों की सेवाओं को वापस ले लिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ियों में रेल अधीक्षकों की सेवा बहाल करने के लिए रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) राजधानी किस्म की विशेषताएं रखने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों से कर्नाटक एक्सप्रेस सहित, गाड़ी अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि योजना लाभप्रद साबित नहीं हुई थी और यात्रियों के साथ एक बिन्दु इंटरफेस के अनुसार योजना में बताए अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकें। कर्नाटक एक्सप्रेस या किसी अन्य नामित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षक के पद की पुन: बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आन-बोर्ड कर्मियों की निगरानी और यात्री शिकायतों को गाड़ी के कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक तरीके से सम्हाला जा रहा है।

पेट्रोलियम क्षेत्र का पुनर्गठन

4101. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र के पुनर्गठन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी हां। डा. वी कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता के अंतर्गत ऊर्जा में सह-क्रिया के संबंध में सलाहकार समिति (एसीएसआई) ने नीति और संरचनात्मक परिवर्तनों पर सिफारिशों और सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों के सुधरे हुए कार्य-निष्पादन हेतु कतिपय प्रबंधन समाधान सुझाते हुए भी जुलाई, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

ऊर्जा में सह-क्रिया के संबंध में सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुरूप कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (केआरएल) का अपनी नियंत्रक कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ विलय कर दिया गया है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के साथ आईबीपी कम्पनी का विलय अंतिम चरण में है। बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) के आईओसी के साथ विलय के लिए उपाय आरम्भ कर दिए गए हैं।

सरकार ने तीन स्थानों, (i) मंगलौर (1.5 एमएमटी), (ii) विजाग (1.0 एमएमटी); और (iii) मंगलौर और समीपवर्ती स्थान (2.5 एमएमटी) में 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडारों के निर्माण का अनुमोदन किया है।

15 एमएमटी कार्यनीतिक भंडार का चरणों में निर्माण करने के लिए सैद्धांतिक निर्णय भी लिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 को भारत के राजपत्र में 3.4.2006 को अधिसूचित किया गया था।

कारपोरेट उद्योग द्वारा नियोजित एससी/एसटी कर्मचारियों संबंधी आंकड़े

4102. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कारपोरेट उद्योग के संगठनों/संघों में मार्च 2007 के अंत तक अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अपने द्वारा भर्ती किए गए एससी/एसटी कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय कारपोरेट उद्योग के संगठनों/संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) शीर्ष उद्योग तथा व्यापार संघों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर एक संवाद के एक भाग के रूप में यह सुझाव दिया गया था कि वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट में 1.1.2007 से भर्ती किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है। कुछ उद्योग और व्यापार संघों ने सूचित किया है कि निगमितों की वार्षिक रिपोर्टों में दिनांक 1.1.2007 से भर्ती किया गया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

दिल्ली के घरेलू विमानपत्तन पर धुंध-रोधी उपकरण

4103. श्री बाडिगा रामकृष्ण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ही सीएटी-2 और सीएटी-3 सुविधाओं से सुसज्जित है;

(ख) क्या दिल्ली का घरेलू विमानपत्तन भी इन सुविधाओं से सुसज्जित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई ए) के रनवे 28 में आई एल एस सी ए टी-3 बी सुसज्जित है जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में कार्य करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन योजनाएं

4104. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित चालू पर्यटन योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पर्यटन स्थलों के उन्नयन एवं विकास तथा उन स्थलों पर नई जन सुविधाएं प्रदान करने की योजना पर कार्य कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन स्थानों के विकास और उन्नयन की योजनाओं सहित पर्यटन मंत्रालय की चालू योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

1. ग्रामीण पर्यटन सहित गंतव्यों तथा परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास

2. भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता

3. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी

4. उत्सव/मेले/त्योहार

[अनुवाद]

संपीडित प्राकृतिक गैस से डीएमयू का ट्रायल रन

4105. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने संपीडित प्राकृतिक गैस से डीएमयू का ट्रायल रन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएनजी आधारित डीएमयू की प्रचालन लागत कम खर्चीली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा अपने वाणिज्यिक प्रचालनों में सीएनजी का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) एक डीजल विद्युत बहुद्देशीय इकाई (डी ई एम यू) को डीजल शेड, शकूरबस्ती में कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सी एन जी) के साथ दोहरे ईंधन इंजन में बदला गया है और दिल्ली-रोहतक, दिल्ली-रेवाड़ी तथा दिल्ली शामली खंड पर इसे सी एन जी के साथ चलाने का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) जी हां। वित्तीय दृष्टिकोण से सी एन जी आधारित डी ई एम यू की परिचालन लागत डीजल आधारित डी ई एम यू से कम है।

(घ) सी एन जी आधारित डी ई एम यू की परिचालन लागत डीजल आधारित डी ई एम यू से 25% कम होना अपेक्षित है।

(ङ) एक बार इकहरे सिरे से परिचालन मुहैया कराने की आरंभिक प्रौद्योगिकी समाप्त हो जाने पर डी ई एम यू का एक पूरा रैक अगले परीक्षण के लिए सी एन जी में बदला जाएगा। ट्रायल की एक बार पूर्ण सफलता हासिल हो जाने पर वाणिज्यिक परिचालन के संबंध में विचार किया जा रहा है।

100 डी ई एम यू को सी एन जी आधारित दोहरे ईंधन वाले डी ई एम यू में बदलने के लिए सी एन जी आधारित डी ई एम यू के विस्तार के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

भारत में सभी विमानपत्तनों पर कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण काउंटर

4106. **श्री एम. अप्पादुरई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विमान यात्रियों की सुविधा के लिए भारत में सभी विमानपत्तनों पर कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट आरक्षण काउंटर खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिरडी के लिए रेलवे पैकेज टूर

4107. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) का विचार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शिरडी धाम के लिए एक रेलवे पैकेज टूर तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पैकेज टूर को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पैकेज टूर कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) सिकंदराबाद/हैदराबाद से सांई बाबा शिरडी धाम के लिए एक पैकेज इस टूर में पहले से ही मुहैया करा रहा हैं। इस टूर में महाराष्ट्र के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अजंता, एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद सिटी और दौलताबाद किला जैसे अन्य स्थान शामिल हैं।

[अनुवाद]

रेलवे खान-पान सेवा संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय की समिति

4108. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति ने राजधानी, शताब्दी रेलगाड़ी के यात्रियों को भोजन परोसने वाली पांच निजी रसोईयों का औचक निरीक्षण किया है जैसाकि दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के "द टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों में भोजन परोसे जाने की वर्तमान पद्धति में सुधार के लिए उक्त समिति ने क्या उपाय सुझाये हैं; और

(ङ) उक्त निगरानी समिति द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायाल के अनुसार, समिति के सदस्यों ने सर्विस प्रोवाइडरों की कुछ बेस किचनों का वास्तविक निरीक्षण किया है।

(ग) जी हां।

(घ) समिति ने कतिपय कमियों का उल्लेख किया है तथा कुछ सुझाव दिए हैं। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) सुधार के लिए सुझावों की जांच कर रही है।

(ङ) आई आर सी टी सी ने निरीक्षण की गहन गुणवत्ता, सफाई का रखरखाव, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के प्रमाणपत्र, भोजन लेखा परीक्षा आदि की गहन जांच शुरू कर दी है। समिति द्वारा दिये गए सुझावों पर विस्तृत जांच के उपरांत कार्रवाई शुरू की जाएगी जो अभ्यास संबंधी व्यावहारिकता पर निर्भर करता है।

डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर

4109. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार समर्पित फ्रेट कारिडोर की स्थापना के लिए व्यापारिक आयोजन तैयार करने में आईआई एम-कोलकाता को संबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना का बाजार विश्लेषण अध्ययन तैयार करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) कोलकाता को नियुक्त किया गया है। आई आई एम कोलकाता द्वारा अध्ययन रिपोर्ट 6 माह की समय सीमा में पूरी कर दी जाएगी।

इदापल्ली से वल्लारपदम तक रेल लाइन

4110. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोच्चि के निकट इदापल्ली से वल्लारपदम तक रेल लाइन को मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाइन पर कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। जहाजरानी विभाग, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने निक्षेप कार्य के रूप में 245 करोड़ रु. की लागत पर वल्लारपदम से इदापल्ली तक नई लाइन के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी है जिसे रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(ख) रेलवे निर्माण कार्य 21.02.2007 से शुरू हो गया है।

एनएमडीएफसी को धनराशि आबंटन

4111. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को कुल कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान की बढ़ती मांग को पूरा करने में अनुमोदित धनराशि पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अल्पसंख्यकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में एनएमडीएफसी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एनएमडीएफसी को और अधिक आबंटन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जा रहे है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के इक्विटी अंशदान के लिए बजट प्रावधान क्रमशः 25.00 करोड़ रु. और 18.29 करोड़ रु. था जो इस निगम को जारी कर दिया गया था।

(ग) इस निगम द्वारा इन दो वर्षों के दौरान किया गया संवितरण व कवरेज इस प्रकार थी:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)	लाभग्राही (संख्या)
2005-06	108.12	34301
2006-07	112.75	47783

(घ) से (छ) वर्ष 2007-08 के दौरान निगम के इक्वटी अंशदान को बढ़ाकर 70 करोड़ रु. कर दिया गया है।

दुर्घटना रोकने के लिए रेलगाड़ियों में नई प्रणाली

4112. श्री अधीर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समझौता एक्सप्रेस जैसी दुर्घटना को रोकने के लिए रेलगाड़ियों के लिए एक नई प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होगा;

(ग) आरंभ में किन-किन रेलगाड़ियों में नई प्रणाली स्थापित की जाएगी; और

(घ) रेलगाड़ियों में यह नई प्रणाली कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

1. क्लोज सर्किट टेलीविजनों तथा कैमरों, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स, स्कैनर मशीनों इत्यादि जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को स्थापित किया जा रहा है।

2. कोचों, पार्सलों, सामानों, स्टेशन क्षेत्र की जांच करने तथा विस्फोटकों की खोज करने के लिए बहुत से खोजी कुत्तों को तैनात किया जा रहा है/किया गया है।

3. कोचों में जनता को सावधान करने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा जन उदघोषणा प्रणाली और मेगा फोनों द्वारा घोषण करना।

4. गाड़ियों में और स्टेशनों पर यात्रियों के सामानों की जांच करने के लिए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टरों तथा हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टरों का उपयोग।

5. राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से पहुंच नियंत्रण प्रारंभ किया गया है।

6. संवेदनशीन स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों की उपस्थिति में वृद्धि की गई है।

7. मोबाइल फोन, वाकी-टाकी, अति उच्च आवृत्ति वाले सेट इत्यादि मुहैया कराकर रेलवे बल के संचार प्रणाली में सुधार किया गया है।

8. राजधानी/शताब्दी सहित सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गरक्षण रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा चौबिसों घंटे किया जा रहा है।

9. कुछ हद तक आग की दुर्घटना की संभावना को कम करने हेतु कोचों को अधिक से अधिक अग्निरोधी बनाने तथा आग के कारण क्षति की संभावना को कम करने के लिए आग लगने की स्थिति में टाक्सिक कम बनाने के लिए कोचों में उपयोग की जाने वाली सामग्री में रेलवे सतत् सुधार ला रही है।

10. 2007-08 के दौरान पुनरीक्षित और स्वीकृत प्रस्ताव पर 121,63,640 रु. खर्च किए जाने हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर त्वरित सेवा फूड किओसक

4113. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर त्वरित सेवा फूड किओस्कों को आरंभ कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन रेलवे स्टेशनों पर इन्हें खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इन्हें ठेकेदारों का आबंटित किये जाने की निबंधन और शर्तें क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा क्विक

सर्विस फूड क्योस्क के परिचालन के लिए चिन्हित स्टेशन हैं दिल्ली मेन (पुरानी दिल्ली), चंडीगढ़, पुणे, विजयवाड़ा तथा बैंगलुरु.

(ग) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने कतिपय पात्रता मापदंड के आधार पर क्विक सेवा फूड क्योस्क के परिचालन के लिए प्रतिष्ठित और ब्रांडिड फर्मों के एक ग्रुप को पैनल पर रखा है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के पैनल पर उन फर्मों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका आबंटित किया जाता है।

दिल्ली के निकट दूसरा विमानपत्तन

4114. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचारार्थ दिल्ली के निकट दूसरे घरेलू विमानपत्तन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेना और आम नागरिकों के बीच झड़प

4115. **श्री राकेश सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की एक रिपोर्ट के अनुसार समन्वय के अभाव में सेना और आम नागरिकों के बीच झड़प की घटनाएं होती हैं और इसका मुख्य कारण सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण में खामी होना बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेना और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सरकार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेना कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। सिविल-सैन्य संबंधों में प्रशिक्षण, पहले ही सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भाग है।

अवैध पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र

4116. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र अवैध रूप से चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल की मुख्य खुदरा बिक्री के लिए छोटे डीलरों तथा यूटिलिटी पम्प को लाइसेंस जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अवैध पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) जी हां, सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल/पेट्रोल की खुदरा बिक्री करने वाले छोटे डीलरों और बैरल भंडारण बन्दुओं के विधमानता की सूचना मिली है। कुछ राज्य सरकारें, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल की खुदरा बिक्री के लिए छोटे डीलरों और बैरल भंडरण बिन्दुओं के लिए लाइसेंस

जारी किए हैं। चूंकि ये मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, अत: राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसे अनधिकृत पंपों की पहचान और उन्हें बंद करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी क्षेत्र की मांग को पूरा करने की दृष्टि से तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को वाणिज्यिक लाभ-हानि दृष्टिकोणों को देखते हुए निम्न लागत के खुदरा बिक्री की स्थापना करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेल विपणन कम्पनियां कम लागत के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना कर रही हैं, जैसे इंडिया आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किसान सेवा केन्द्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलिय कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हमारा पंप और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्र।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा

4117. श्री रघुनाथ झा :
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान कौन-कौन सी रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा प्रदान की गई;

(ग) क्या कई लम्बी दूरी रेलगाड़ियों में अभी भी रसोई यान सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक लंबी दूरी की रेलगाड़ी में आधुनिक रसोई यान प्रदान करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं और वर्ष 2007-08 के दौरान इस सुविधा को प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी रेलगाड़ियों का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) गाड़ियों में पैन्ट्री कारों को विभिन्न पहलुओं जैसे गाड़ियों की प्राथमिकता, यात्रा अवधि, वाणिज्यिक औचित्य, पैन्ट्री कारों की उपलब्धता आदि के आधार पर लगाया जाता है। उन गाड़ियों जिनमें 2006-07 (28.02.2007 तक) के दौरान पैन्ट्री कारों को लगाया गया है का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ा का नाम
1.	2453-54	रांची राजधानी एक्सप्रेस
2.	2345-46	सरायघाट एक्सप्रेस
3.	8509-10	विशाखापत्तनम-निजामाबाद एक्सप्रेस
4.	2161-62	लश्कर एक्सप्रेस
5.	2173-74	उद्योगनगरी एक्सप्रेस
6.	2153-54	लोकमान्य तिलक टर्मिनस-एचबीजे एक्सप्रेस
7.	6531-32	गरीब नवाज एक्सप्रेस
8.	6733-34	एमडीयू-एमएमआर एक्सप्रेस
9.	1097-98	पूर्णा एक्सप्रेस
10.	2829-30	एमएएस-बीबीएस एक्सप्रेस
11.	2897-98	पीडीवाई-बीबीएस एक्सप्रेस
12.	8563-64	प्रशांति एक्सप्रेस
13.	8473-74	पुरी-जेयू एक्सप्रेस
14.	2845-46	बीबीएस-वाईपीआर एक्सप्रेस

रेल नेटवर्क

4118. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल नेटवर्क के संबंध में अत्यधिक विसंगति है जहां एक ओर तो कतिपय राज्यों में हजारों किलोमीटर लंबी रेल लाइन है तो दूसरी ओर कुछ राज्यों में यह नगण्य ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार जिन राज्यों में रेल नेटवर्क की अत्यधिक कमी है उनमें रेल लाइन बिछाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) 31.3.2006 के अनुसार भूमि के प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत मार्ग कि.मी. 19.26 है। ऐसे राज्य हैं जो रेलपथ मार्ग कि. मी. के संबंध में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। बहरहाल ऐसी कोई विशेष नीति नहीं है जिससे सभी राज्यों को प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के मार्ग की लंबाई के संबंध में राष्ट्रीय औसत के समतुल्य लाया जा सके।

पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन में कमी

4119. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है किन्तु लाभ अर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आई गिरावट और अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान मौजूदा तेल क्षेत्रों और कुओं से पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में संभावित गिरावट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट की चुनौती का सामना और आय में वृद्धि सरकार किस प्रकार करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, कुछ तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ में कमी आई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कई कदमों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) एनईएलपी के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण के लिए प्रस्तुति हेतु अधिक से अधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(2) उत्पादन शुरू करने में अक्षम बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का तेजी से विकास।

(3) मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्दीपन तकनीकों का प्रयोग।

(4) मौजूदा वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(5) पुराने तेल क्षेत्रों के ह्रास को रोकना।

(6) इक्विटी तेल हेतु विदेश में उत्पादन गुणधर्मों तथा अन्वेषण रकबों का अधिग्रहण।

(7) ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

विवरण-I

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल, गैस व पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार है।-

वर्ष	कच्चे तेल का कुल उत्पादन (एमएमटी)	कुल गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन (एमएमटी)
2003-04	33.369	87.3	117.641
2004-05	33.980	87.0	122.749
2005-06	32.187	88.2	124.080

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कर पश्चात अर्जित शुद्ध लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	7004.82	4891.38	4915.12
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	16946.00*	9658.00	2916.00
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1903.94	1177.33	405.63
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	8664.40	12983.00	14430.80
आयल इंडिया लि.	949.70	1061.68	1689.93

टिप्पणी: वर्ष 2006-07 का लेखा परीक्षित विवरण अभी प्राप्त होना है।

*पूर्व संशोधित कर के समायोजन के पश्चात

विवरण-II

(ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यमों से संबंधित ग्यारहवी पंच वर्षीय योजना अवधि अर्थात वर्ष 2007-2012 के लिए संभावित उत्पादन योजना निम्नानुसार है:

कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)

वर्ष	ओएनजीसी	ओआईएल	निजी/संयुक्त उद्यम	कुल
2007-08	27.16	3.75	10.57	41.48
2008-09	28.00	4.05	10.78	42.83
2009-10	29.00	4.73	9.76	43.49
2010-11	28.53	5.44	8.75	42.72
2011-12	27.37	5.90	7.85	41.11

एमएमटी-मिलियन मीट्रिक टन

गैस उत्पादन (बीसीएम)

वर्ष	ओएनजीसी	ओआईएल	निजी/संयुक्त उद्यम	कुल
2007-08	22.10	3.13	8.55	33.78
2008-09	22.53	3.21	22.55	48.29
2009-10	22.77	3.25	22.11	48.13
2010-11	22.99	3.28	21.74	47.73
2011-12	22.00	3.56	21.07	46.63

बीसीएम: बिलियन घन मीटर

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, दिल्ली का रखरखाव

4120. **श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, दिल्ली की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संग्रहालय का प्रोन्नयन करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का प्रबंधन भारतीय रेल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय परिसर, आर्टिफेक्टस का परिरक्षण, हैरिटेज संबंधी गतिविधियों सहित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सभी गतिविधियों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा बजट मुहैया कराया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) संग्रहालय का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं का मौसम से बचाव के लिए तिरपाल लगाए जाने के प्रयत्न किए गए हैं। गैलरी के अंदर आर्टीफैक्ट्स को बेहतर रूप से दर्शाने के लिए गैलरी के अंदरूनी हिस्से की पुनःसंरचना की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.आर.ओ. की सड़क परियोजनाएं

4121. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ) द्वारा निर्मित सड़कों और क्रियान्वित की जा रही चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अनुमोदित/खर्च की गई धनराशि कितनी है और परियोजना-वार तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) सभी लम्बित परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सीमा सड़क संगठन ने 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में क्रमशः 1710 कि.मी., 1581 कि.मी. और 1910 कि.मी. सड़क का निर्माण किया है। वर्तमान में सीमा सड़क संगठन संक्रियात्मक महत्व की 525 सड़कों के निर्माण/सुधार और अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित एजेंसी कार्यों में लगा हुआ है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	शामिल किए गए राज्यों के नाम	निर्माणाधीन/सुधाराधीन सड़कों की संख्या
1	2	3	4
1.	हिमांक	जम्मू और कश्मीर	42
2.	बेकन	-वही-	58
3.	सम्पर्क	-वही-	94
4.	दीपक	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड	29
5.	चेतक	राजस्थान और पंजाब	72
6.	हीरक	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार	05
7.	दंतक	मेघालय और सिक्किम	55
8.	वर्तक	अरुणाचल प्रदेश और असम	60
9.	उदयक	अरुणाचल प्रदेश	28
10.	सेवक	मणिपुर और नागालैंड	30
11.	सेतुअक	त्रिपुरा	16
12.	पुष्पक	मिजोरम	36

स्वीकृत की गई परियोजनाओं पर कार्य सेना या प्रायोजित एजेंसियों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार और प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराए गए बजट के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और व्यय की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	व्यय की गई राशि (करोड़ रु. में)
2004-05	1812.26	1550.23
2005-06	1901.74	1629.42
2006-07	2250.66	2139.34

सभी स्वीकृत की गई सड़क परियोजना को 2007-2015 के बीच पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों की संरक्षण योजना

4122. श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण उपेक्षित पुरातात्विक स्मारकों, प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण के लिए कोई-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उपेक्षित पुरातात्विक स्मारकों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शामिल किये जाने वाले महाराष्ट्र राज्य के उपेक्षित पुरातात्विक स्मारकों के नाम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव और पर्यावरण संबंधी विकास करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक वार्षिक संरक्षण योजना है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 115.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय महत्व के 3667 अधिसूचित स्मारक हैं जिसमें महाराष्ट्र राज्य के 286 स्मारक शामिल हैं। ये परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे और दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना

4123. श्री सुग्रीव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों के साइबर कैफे और दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना के लिए रेलटेल को प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चरण-1 और चरण-2 के दौरान जोन-वार अब तक स्थापित किए गए साइबर कैफों और दूरसंचार केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे इन कैफों को फ्रैंचाइजी आधार पर स्थापित करता है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस फ्रैंचाइजी के आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) चुनिंदा स्टेशनों पर साइबर कैफे स्थापित करने के लिए रेलटेल को प्राधिकृत किया गया है। उच्च गति की इन्टरनेट ब्राउसिंग, ई-मेल, आडियों-विडियों चैटिंग, इंटरनेट टैलीफोन आदि मुहैया कराने की दृष्टि से ऐसे कैफे को स्थापित करने के लिए अब तक 82 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है।

(ग) चरण-I और चरण-II के दौरान अब तक स्थापित किए गए साइबर कैफों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) आबंटन का मानदंड इस मंत्रालय के दिनांक 24.2.2004 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 03/टीबी4/10/साइबर कैफे पालिसी/23 के तहत निर्धारित किया गया है।

विवरण

चरण-I और चरण-II में स्थापित किए गए साइबर कैफों की सूची

चरण-I

क्र.सं.	स्टेशनों के नाम	क्षेत्रीय रेलवे
1.	आसनसोल	पूर्व
2.	गोरखपुर	पूर्वोत्तर
3.	चंडीगढ़	उत्तर
4.	दिल्ली	
5.	झांसी	उत्तर मध्य
6.	हैदराबाद	दक्षिण मध्य
7.	गुंटूर	
8.	बंगलौर	दक्षिण पश्चिम
9.	पूणे	मध्य
10.	नागपुर	

चरण-II

क्र.सं.	स्टेशनों के नाम	क्षेत्रीय रेलवे
1.	हावड़ा	पूर्व
2.	सियालदह	
3.	जयपुर	उत्तर पश्चिम
4.	जोधपुर	
5.	सिकन्दराबाद	दक्षिण मध्य
6.	विजयवाडा	
7.	कोयम्बटूर	दक्षिण
8.	एर्णाकुलम	
9.	अहमदाबाद	पश्चिम

पर्यटन अदालतें

4124. श्री नवीन जिन्दल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने विदेशी पर्यटकों पर आक्रमण किया गया/उन्हें मारा गया;

(ख) क्या इन घटनाओं ने पर्यटकों के आगमन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पर्यटकों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पर्यटक अदालतों की स्थापना का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) सुरक्षा एवं संरक्षा राज्य का विषय है और पर्यटन मंत्रालय इस संबंध में आंकड़ों का संकलन नहीं करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2005 में 3918610 की तुलना में वर्ष 2006 में देश में 4429915 (पी) विदेशी पर्यटक आएं, जो 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(घ) और (ङ) पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों में पर्यटक पुलिस तैनात करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस बल की तैनाती की है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे विश्रामगृहों का निर्माण

4125. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विशेषकर तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर रेल यात्री निवास और रेलवे विश्रामगृहों में उपलब्ध स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि मौजूदा रेलवे आवास, यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को पूरा करने में सक्षम नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे के पास विभिन्न स्टेशनों पर विशेषकर तमिलनाडु में और अधिक रेलवे विश्रामगृहों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये स्थान कौन से हैं और इनको पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) के तहत भारतीय रेलवे पर नई दिल्ली और हावड़ा स्टेशनों पर दो यात्री निवास और पुरी और रांची में दो बी-एन आर होटल चलाए जा रहे हैं और

इनमें 145 कमरे और 31 डोरमिटरी है और तमिलनाडु राज्य में कोई रेल यात्री निवास या रेलवे होटल स्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त लगभग 490 स्टेशनों पर विश्राम कक्ष उपलब्ध हैं इनमें से ये तमिलनाडु राज्य में 48 स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने भारतीय रेलवे पर तमिलनाडु सहित विभिन्न स्थानों पर खुली निविदा और प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों के निकट 100 बजट होटल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु क्षेत्र में मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ऊटी, चैन्ने सेंट्रल, चैन्ने एग्मौर, कोयम्बतूर और कोडाई कनाल रोड में स्थानों की पहचान की गई है। मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और ऊटी में बजट होटलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है और सफल बोली दाताओं को ठेके दिए गए हैं। इन बजट होटलों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे स्टेशनों पर विश्रामकक्षों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार

4126. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए एक प्रस्ताव की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा सिफारिश किये गये पुनरुद्धार प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ छूट के रूप में रोकड़ सहायता तथा गैर-रोकड़ सहायता तथा ऋण को इक्विटी में परिवर्तन करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

कृषि पर्यटन

4127. श्री पी.सी. थामस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सहित कई राज्यों में कृषि पर्यटन की अत्यधिक सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी और विशिष्ट कदम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय मसालों आदि जैसे संस्कृति/हस्तशिल्प/हस्तकर्घा/कृषि उत्पादों की संभावना वाले पहचान किए गए ग्रामीण स्थलों के संवर्धन एवं विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। पर्यटन के अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण की चालू योजनाएं कृषि पर्यटन के संवर्धन में भी मदद पहुंचाते हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों की नागरिक आवश्यकताओं संबंधी कृतिक बल

4128. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों और कस्बों में रहने वाले अल्पसंख्यक बहुल समुदायों की नागरिक आवश्यकताओं पर गौर करने के लिए उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कृतिक बल को कितना समय दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने उन शहरों और कस्बों की पहचान की है जहां अल्पसंख्यकों की नागरिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नागरिक सुविधाओं के दायरे में कृतिक बल द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये जाने की सम्भावना है;

(छ) क्या कृतिक बल से मौजूदा योजना, इन कस्बों में धन प्रवाह की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (झ) जी हां।

भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक फैलाव के निहितार्थ पर 02.3.2007 को गठित किए गए अंतर-मंत्रालयी बल के विचारार्थ विषय, इस प्रकार हैं :

(i) अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले कस्बों/नगरों की पहचान करना, जहां विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं;

(ii) ऐसे कस्बों/नगरों में आवास, स्कूल तथा शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शहरी इलाकों के लिए रोजगार अवसरों जैसी मूल मुविधाएं प्रदान करने के लिए बहु-सैक्टोरल योजना हेतु दृष्टिकोण प्रतिपादित करना;

(iii) बहु-सैक्टोरल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, विद्यमान योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करना, जहां से निधियों को ऐसे इलाकों में चैनेलाइज किया जा सके;

(iv) बहु-सैक्टोरल योजना में शामिल परियोजनाओं के संसाधन अंतर को वित्तपोषित करने के लिए विशेष योजनाओं तथा ऐसी विशिष्ट परियोजनों के वित्तपोषण, जो किसी भी वर्तमान योजना/कार्यक्रम के तहत कवर नहीं है, के लिए सुझाव देना।

इस कार्य बल द्वारा तीन मास की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

प्रमुख रेलवे क्रासिंगों पर अधोगामी पुल का निर्माण

4129. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय तक रेल समपार बन्द रहने की वजह से विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल, डीजल और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार उपरोक्त बर्बादी को रोकने और लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख रेलवे समपारों पर अधोगामी पुल के निर्माण हेतु कोई विशेष प्रावधान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अभी तक ऐसी कोई गणना नहीं की गई है। बहरहाल, गाड़ियों को निकालने के लिए समपारों को बंद करने के कारण ऐसे समपारों पर समय, पेट्रोल एवं डीजल की बर्बादी अपरिहार्य है जब तक कि ड्राइवर वाहन के इंजन को बंद नहीं कर दे।

(ख) रेलों की लागत में भागीदारी के आधार पर व्यस्त समपारों को, उपरि/निचले सड़क पुलों में बदलने की नीति है। बशर्ते समपार पर यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) से अधिक है- (टी वी यू एक ऐसी संख्या है जो 24 घंटे में समपार पर से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को गाड़ियों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली एक इकाई है) अन्यथा यह कार्य निक्षेप शर्तों के आधार पर किया जाता है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाना होता है। इसके अलावा, हाल ही में भारतीय रेल के महाप्रबंधकों को 50 लाख रुपये से कम लागत वाले अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले मौजूदा बिना चौकीदार वाले/चौकीदार वाले समपारों के स्थान पर "सीमित ऊंचाई भूमिगत पारपथ" के कार्य स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ग) ऐसे अनेक कार्य, जिसके लिए ठोस प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, सभी भारतीयों रेलों पर उत्तरोत्तर स्वीकृत किए जा रहे हैं। 2007-08 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान ऊपरी सड़क पुलों के 93 कार्यों को स्वीकृति दी गई है, 2006-07 के दौरान यह संख्या 122 थी। अभी तक 400 बिना चौकीदार वाले/चौकीदार वाले समपारों को "सीमित ऊंचाई के पारपथों" द्वारा बदलाव के लिए चिह्नित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार

4130. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री निखिल कुमार :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ए एस आई) ने हैदराबाद स्थित चारमीनार के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 3 अप्रैल, 2007 के "द टाइम्स आफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या 2007-08 के दौरान ए एस आई द्वारा देश के कुछ अन्य ऐतिहासिक स्मारकों का भी जीर्णोद्धार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चार मीनार के स्टूको कार्य, संरचना के समेकन और दरारों को भरने तथा साथ ही भित्ति चित्रण (ग्रैफिटी) चिन्हों को हटाने का कार्य किया है।

(ख) चालू वर्ष में इस परियोजना के लिए 19.50 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, पर्यावरण संबंधी विकास तथा परिरक्षण के लिए 115.32 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

माल-गाड़ियों के सम्पर्क मार्ग से जुड़े पत्तन

4131. **श्री बी. कल्याणकर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसके अन्तर्गत सभी पत्तनों को मालगाड़ियों से जोड़ा जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्तावित योजना के वित्तीय संसाधनों के संबंध में प्राक्कलनों को तैयार किया जा रहा है और यह योजना कब तक आरंभ की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां यह घोषणा करना चाहता हूं कि आज कोई मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पलट पर रखती हूं:

(1) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6251/2007]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ लेह-लद्दाख के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ लेह-लद्दाख के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ लेह-लद्दाख

के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 6252/2007]

(5) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 6253/2007]

(7) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 1995-1996 से वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 1995-1996 से वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 6254/2007]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन एयरलांइस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलांइस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 6255/2007]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेन्टली हैन्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेन्टली हैन्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 6256/2007]

(3) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डिकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डिकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6257/2007]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6258/2007]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6259/2007]

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6260/2007]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6261/2007]

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6262/2007]

(तीन) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2007 2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6263/2007]

अपराह्न 12.01 बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

इकयासीवां और बयासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

7. **श्री काशीराम राणा** (सूरत) : महोदय मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 81वां प्रतिवेदन; और

(2) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 82वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

बाइसवां और तेइसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति का 22वां प्रतिवेदन; और

(2) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपकी जानकारी के लिए मैं सभा द्वारा गत सप्ताह निपटाए गए मुख्य कार्यों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

स्वीकार किए गए 60 तारांकित प्रश्नों में से केवल 8 का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सका। बाँकी तारांकित प्रश्नों के उत्तर 670 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सहित सभापटल पर रख दिए गए।

इस अवधि के दौरान, अविलंबनीय लोक महत्व के 30 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 21 मामले उठाए गए। चूंकि लेखा अनुदान की मांगों (रेल) 2007-2008 पर लंबी चर्चा सत्र के प्रथम भाग में हुई रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बिना चर्चा के सभा में मतदान हुआ तथा संबंधित विनियोग विधेयक 26 अप्रैल, 2007 को पारित किया गया।

सभा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर क्रमशः लगभग 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 38 मिनट, तथा 6 घंटे तथा 34 मिनट तक चर्चा की तथा इन मंत्रालयों की मांगों पर पूर्ण मत प्राप्त हुआ।

बाँकी मंत्रालयों की वर्ष 2007-08 के लिए बकाया अनुदानों मांगों (सामान्य) को सभा के मत के लिए प्रस्तुत किया तथा 28 अप्रैल 2007 को पूर्ण मत प्राप्त हुआ तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ।

गत सप्ताह विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

व्यवधानों तथा विवश होकर सभा स्थगित करने से 42 मिनट का समय बर्बाद हुआ। तथापि, सभा ने 1 घंटे 25 मिनट अतिरिक्त बैठकर कार्य के महत्वपूर्ण मदों को निपटाया।

मैं माननीय सदस्यों को कार्यवाही संचालन में सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, वित्त विधेयक को पारित किए जाने के महत्व के कारण मैं केवल अपराह्न 12.30 बजे तक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दूंगा तथा मुझे आशा है कि मुझे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, सेतू समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट के कारण राम सेतु के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इस प्रोजेक्ट के पांच एलाइनमेंट हैं। चार एलाइनमेंट तो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : अध्यक्ष महोदय यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जो मामला मैं उठा रहा हूं वह सब-जुडिस नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मुझे पता करना होगा।

श्री टी.आर. बालू : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे स्थिति से अवगत होने दें। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सब जुडिस मामला है। इसे ये उस हाउस में कैसे उठा सकते हैं? ये इसे हाउस में नहीं उठा सकते, भले ही ये बीजेपी के डिप्टी लीडर हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे एक मामला उठाना चाहते थे। अतएव, विपक्षी दल के होने के कारण मैंने उन्हें अनुमति दे दी। एक और मामला है जो प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा उठाया जाना है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। प्रश्न है, श्री मल्होत्रा, क्या यह मामला न्यायालय के अधीन है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जो मामला मैं उठा रहा हूं, वह सब-जुडिस नहीं है।...*(व्यवधान)* आप पहले सुन लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा करें कि वह क्या कहते हैं। यदि वह वास्तव में न्यायालय के अधीन हुआ तो मैं इसका प्रत्येक शब्द हटा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य के वक्तव्य को स्वीकार करना होगा।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : महोदय पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं कि यह पूरी तरह से न्यायालय के अधीन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया जानें कि मामला क्या है मैं नहीं जानता। उन्होंने केवल इस परियोजना का उल्लेख किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया जानें कि मामला क्या है।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : तब आप हमें भी इस विषय पर बोलने दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया एक दूसरे को शांतिपूर्वक सुनें। ठीक है।

कृपया पहले यह जानें कि वह क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं। मैं उन्हें यह दिखाने के लिए एक अवसर दूंगा कि यह न्यायालय के अधीन है या नहीं। कृपया हम जिम्मेवार रूप से व्यवहार करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, अत्यंत विनम्रता से मैं कहता हूं कि यदि यह न्यायालय के अधीन है तो इसे हटाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस प्रोजेक्ट के पांच एलाइनमेंट्स

हैं, जिनमें से चार एलाइनमेंट्स वहां भूमि पर होकर वे एण्ड तक जाते हैं, उन एलाइनमेंट्स को बदलने की बात की जानी है। अध्यक्ष महोदय, राम सेतु को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, तब यह न्यायालय के अधीन है।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह पूर्ण रूप से न्यायालय के अधीन है...*(व्यवधान)* यदि आप इसे पूर्व उदाहरण बनाते हैं तो अलग बात है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसे पूर्व उदाहरणों की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : गुजरात का मामला सब जुडिस था, चंडीगढ़ का मामला था, हजारों मामले यहां रोज उठाए जाते हैं। कोई मामला सब जुडिस नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह न्यायालय के अधीन नहीं है।...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है, मुझे देखना होगा कि यह न्यायालय के अधीन है या नहीं। कृपया मुझे सामग्री भेजें, मैं इसे देखूंगा और तब निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई सब जुडिस नहीं है। यह मामला सब जुडिस नही हैं सोमवार को मि. बालू...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, पत्र नहीं दिखाएँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे काफी दुख है। आप मुझे पत्र भेजें। मुझे पत्र पढ़ने दें। मैं निर्णय लूंगा कि यह न्यायालय के अधीन है या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती किरण माहेश्वरी को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आठवीं तक के बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

(इस समय श्री पी.एस. गढ़वी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह सवाल उठाया था, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मंत्री महोदय ने जिस ढंग से हाउस में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें चर्चा के लिए अन्य मामलों को लेना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वस्त किया है कि मैं स्वयं इस विषय पर गौर करूंगा। कृपया कल भी नोटिस दें। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर इस प्रकार से चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, रामसेतु को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम वित्त विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन - उपस्थित नहीं है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय, श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि मैं इसे कल देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। हमें इस मुद्दे को समुचित रूप से उठाने दें व इस पर चर्चा करने दें। हमारे पास सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय, वित्त विधेयक हैं, मैं सभी लोगों का सहयोग चाहता हूं। कृपया सहयोग करें। आप कल नोटिस दे सकते हैं; मैं इस पर गौर करूंगा। परंतु हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हम अपराह्न 12.30 बजे वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे।

श्री के.एस. राव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर साहब की बात सुनिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : चूंकि आपने कहा है कि आप इस मामले पर ध्यान देंगे, इस संबंध में हम आपके साथ हैं। आप इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मुझे कुछ घंटों का समय दीजिए। मैं इसे करूंगा। मैंने आपको आश्वासन दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, कृपया कम से कम मेरे साथ सही तरीके से बात करें। मैंने आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। कुछ गंभीर आपत्तियां प्रतीत हो रही हैं। इसमें आपत्तियां हैं। अनेक सदस्य एक साथ खड़े हैं। कोई एक-दूसरे को कैसे सुन सकता है। मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। विवादास्पद मुद्दे उठाए जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कृपया मुझे कागजात उपलब्ध करायें, मैं उन पर विचार करूंगा। यदि यह अनुमति देने योग्य होगा तो मैं आपको कल

अनुमति दूंगा। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप कल के लिए मुझे फिर नोटिस दें। श्री खैर। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं - मैंने आपके मामले को अस्वीकृत नहीं किया है- कृपया इसे कल दें। श्री मल्होत्रा, आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको इस मुद्दे को उठाने से रोकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.33 बजे

(इस समय, श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस गए।)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आज फाइनेंस बिल है, हम फाइनेंस बिल पारित करने में सहयोग करना चाहते हैं। रामसेतु का मामला इतना इंपोर्टेंट है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मुद्दे को उठाया है, इस पर विचार करने के लिए सरकार उपस्थित है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.33½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में स्वदेशी खेल-कूद को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : देश स्तब्ध था जब हाल ही में विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारी क्रिकेट टीम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हाथों हार गयी। यह नोट करना काफी दु:खद है कि क्रिकेट मैचों की वजह से आम जनता के लाखों कार्य-घंटे व कार्य-दिवस बर्बाद होते हैं।

इसके अलावा विज्ञापन, प्रायोजन, दांव व जुए के रूप में बहुत धन इस खेल पर खर्च होता हैं दुर्भाग्यवश, अधिकांश जनता क्रिकेट मैच को देशभक्ति के साथ जोड़कर देखती है। प्रबल राय है कि भारत में प्रतिभा और व्यावसायिकता को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट को अन्य खेलों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केट बॉल, वॉली बॉल और अन्य खेल को, जिसमें प्रत्येक भागीदारी खिलाड़ी की दक्षता की उपेक्षा होती है, अपेक्षित सहुलियतें नहीं मिल पाती हैं।

भारत में काफी प्रतिभावान बलिष्ठ युवा हैं जिनकी प्रतिभा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता हैं।

सरकार को इन प्रतिभाओं को उभारने के लिए कदम उठाने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खेलों को समान महत्व प्राप्त हो। यह सही समय है जब भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा विदेशों में खेले जानेवाले क्रिकेट मैचों पर हमें कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए। अपेक्षाकृत युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

यदि श्रीलंका जैसा छोटा द्वीप अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो भारत जैसा बड़ा राष्ट्र निश्चित तौर पर और बेहतर कर सकता है।

(दो) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानिक सिंह (सीधी) : महोदय, प्रधान मंत्री रोजगार योजना पूरे देश में बेरोजगार युवकों को स्वयं रोजगार प्राप्त कराने हेतु चलायी जा रही है। इस योजना में केन्द्र सरकार का शत-प्रतिशत योगदान है, परंतु यह योजना कई जगहों पर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। अत: इस योजना के कार्यान्वयन के विशेषकर मध्य प्रदेश में समय समय पर पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के पुनरीक्षण हेतु कदम उठाये तथा मध्य प्रदेश में इसके कार्यान्वयन में व्याप्त कमियों को दूर करे।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए प्रसाधन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में आजादी के 59 वर्षों के बाद भी 6.20 लाख प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। मंत्रालय, यूनिसेफ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (न्यूपा) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष सामने आया है।

सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महज 37.42 फीसदी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय है, जो चिन्ता का विषय है। इससे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 19 राज्य ऐसे हैं, जहां 25 प्रतिशत से कम स्कूलों में ही यह सुविधा उपलब्ध हैं मेघालय, असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में 7 प्रतिशत से 12.4 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध हैं

इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मानव संसाधन मंत्री महोदय/प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र छात्राओं हेतु अलग से शौचालयों के निर्माण कराने की ओर आकर्षित करता हूं।

(चार) राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और अन्य भागों में बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा, बूंदी, बांरा एवं राजस्थान प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड, की मोबाइल सेल्युलर टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता का स्तर बहुत अधिक गिर गया है। मोबाइल फोनों का मिलना बहुत कठिन हो गया हैं, कई-कई बार मिलाने पर मिलता है, कई बार घंटों-घंटों नहीं मिल पाता है। मिल जाये तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती, बात होते होते कट जाती है। कमरे के अंदर हों तो ठीक से बात नहीं होती। इस कमी का फायदा अन्य प्राइवेट कंपनियां उठाकर, विज्ञापन द्वारा प्रसारित कर रही हैं।

आपके माध्यम से आग्रह है कि इस गुणवत्ता में आयी भारी गिरावट ठीक करवायी जाये।

(पांच) राजस्थान में अजमेर, में सेना भर्ती कार्यालय पुनः खोले जाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अजमेर रेजीमेंट तथा मेरवाड़ा बटालियन बहाल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर मेरवाड़ा 1956 ई. से पूर्व केन्द्र शासित प्रदेश था। 1956 ई. में इस केन्द्र शासित प्रदेश को राजस्थान राज्य में विलीनीकरण करते समय यह दृढ़ आश्वासन दिया गया था कि अजमेर को जो विशेषाधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हैं, वे बनी रहेंगी। अजमेर मेरवाड़ा (राजस्थान) एक मार्शल क्षेत्र रहा है। यहां पर आबाद अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में भर्ती होकर गर्व का अनुभव करते हैं। कई घरों में दो-दो, तीन-तीन यहां तक कि चार-चार लोग भी सेना में सेवारत हैं। विशेषकर रावत, काठात, मेहरात, घोड़ात, राजपूत, कयामखानी, जाट, गुर्जर आदि कौमें युद्धप्रिय रही हैं। इन कौमों के जवानों की अंग्रेजों के जमाने से ही फौज में भर्ती बहुलता से की जाती है। अजमेर में बहुत पुराने समय से भर्ती दफ्तर (रिक्रूटिंग ऑफिस) था, जहां बार-बार भर्ती सुविधापूर्वक होती थी। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 1997-98 ई. में अजमेर कैंट में स्थित पुराने और साधन सम्पन्न भर्ती मुख्यालय को बंद कर जयपुर बदल दिया गया और इससे पूर्व अजमेर रेजीमेंट और मेरवाड़ा बटालियनों को आजादी के बाद भंग कर दिया गया। फलस्वरूप अजमेर मेरवाड़ा के लोगों की भर्ती कम होने लग गई और बेकारी और बेरोजगारी फैल कर गरीबी को बढ़ावा मिलने लगा था।

अतः रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर के गौरव को बनाये रखने हेतु सेना भर्ती मुख्यालय (रिक्रूटिंग ऑफिस) पुनः आरंभ किया जाये। अजमेर रेजीमेंट और मेरवाड़ा बटालियन को पुनर्जीवित कर स्थानीय देशभक्त युवाओं को फौज में भर्ती कर अधिक सेवा का अवसर दिया जाये।

(छः) मध्य प्रदेश नीमच, से "गार्ड्स लॉबी" को पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में नीमच रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है। हाल ही में नीमच-रतलाम के मध्य आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होकर मालगाड़ियों का परिचालन भी आरंभ हो चुका है तथा शीघ्र ही यात्री गाड़ियां भी चलाई जाने वाली है। किंतु, नीमच जो रेलवे का केन्द्र स्थान है, वहां

बड़ी संख्या में गार्डस, ड्राईवर व अन्य कर्मचारियों की लॉबीज है व वहीं से गार्डस, ड्राईवर व कंटक्टर आदि अपनी ड्यूटी पर आते जाते हैं। किंतु, ऐसा ज्ञात हुआ है कि वहां से गार्डस लॉबी हटाई जा रही है व अन्यत्र स्थानांतरित की जा रही है इससे गार्डस व उनके परिजनों को तथा उनके बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक दृष्टि वे अन्य दायित्वों को निर्वाह करने में भारी कठिनाई उपस्थित होगी।

अत: मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त नीमच जो पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन का बड़ा व महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, से गार्डस लॉबीज हटाने के समाचार से वहां के लोगों में काफी असंतोष है। अत: उक्त गार्डस लॉबी को वहां से न हटाया जाना ही सभी दृष्टि से उचित होगा।

(सात) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से मांडला तक रेल लाइन बिछाए जाने की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर से मंडला तक रेलवे लाइन का कार्य कई वर्षो तक होता रहा। सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और प्लानिंग कमीशन को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से वहां के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये नई रेल लाइन का होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और बिलासपुर मंडला से सीधे जुड़ जाएगी। इस सर्वे के बाद, स्वीकृति होने पर, उक्त मार्ग के बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा लोगों को उद्योग-धंधे लगाने में सहायता मिलेगी और बिलासपुर रेलवे जोन, डोलमाइट खनिज पदार्थ, बैलाडीला की खनिज सम्पदा कोयला की अपार सम्पदा का लाभ उठाया जा सकता है और छत्तीसगढ़ में हीरे की खदान है। उसके अलावा अभ्रक एवं अन्य खनिजों की भी खदान है जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और रेलवे को फायदा होगा।

अत: अनुरोध है कि बिलासपुर से मंडला रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

(आठ) केरल के पलाक्काड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : लगभग पांच वर्ष पूर्व मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पलाक्काड में 3 रेल उपरिपुलों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहुंच मार्ग तथा अन्य संबंधित निर्माण कार्य एक वर्ष में ही पूरे कर लिए गए थे। लेकिन पलाक्काड कस्बे, काडुक्कम कुलम तथा सरकारी विक्टोरिया महाविद्यालयों के निकट 3 रेल उपरिपुलों एल सी सं. 49, 50, 159 का निर्माण कार्य गत 5 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ है। इससे यात्रियों तथा आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन 3 रेल उपरिपुलों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निदेश दें।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में घटते जल स्तर को रोकने के लिए नए बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड के सभी जिलों - हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर एवं जालौन में जल स्तर लगातार बहुत तेजी से घटता जा रहा है जिससे हैंडपम्प, कुएं एवं नलकूप आदि प्रभावित हो रहे हैं। जल स्तर गिरने से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूरे बुंदेलखंड में हाहाकार मचा हुआ है। जल स्तर नीचे जाने से रोकने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय किये जाने बहुत जरूरी हैं। पिछले लगातार पांच वर्षों में सूखे की स्थिति होने के कारण नदियां, बांध, चैकडेम, तालाब एवं पोखरों में जल भंडारण का अभाव बना हुआ है।

बुंदेलखंड का किसान लगतार सूखे से परेशान हैं बार बार उक्त मामला सदन में उठने के बावजूद भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली है।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कृपया बुंदेलखंड में पीने के पानी एवं किसानों को सिंचाई के लिए नये बांध बनाकर गिरते जल स्तर को रोकने हेतु तत्काल कदम उठाए जायें।

(दस) सेतुसमुद्रम परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : सेतु समुद्रम परियोजना जो कि

[श्री एम. अप्पादुरई]

दक्षिण के लोगों के दिमाग में लम्बे समय से एक स्वप्न ही रही है, उसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तत्वाधान में पूरा किया जा रहा है। यह कहा गया है कि यह परियोजना समय पर पूरी कर ली जाएगी। मैं सरकार से यह बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस परियोजना को पूरा करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। यदि कोई विलम्ब होता है तो इससे हमारे राजकोष पर प्रभाव पड़ेगा। यह देखने में आया है कि इस परियोजना में पर्याप्त संख्या में अभियंता तथा मजदूर नहीं लगे हुए हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि श्रमशक्ति के सभी रिक्त पदो को भरकर युद्धस्तर पर इस परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाए।

(ग्यारह) तमिलनाडु के शिवकाशी कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन के निकट रेल सड़क ऊपरि पुल के समीप सार्वजनिक प्रयोग के लिए सर्विस रोड पर निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : मेरे शिवकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोविलपट्टी कस्बा तेजी से विकास कर रहा है। कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन के निकट सड़क परिवहन के लिए एक उपरिपुल हैं। रेलवे सड़क ऊपरिपुल के साथ सर्विस सड़क के निर्माण की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। उक्त भूमि रेलवे की है। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया उक्त मामले पर विचार करें तथा सर्विस सड़क के लिए यथाशीघ्र आवश्यक भूमि का आबंटन करें।

(बारह) केरल के इडुक्की जिले में बैम्बू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : केरल सरकार ने प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण, परम्परागत बांस प्रौद्योगिकी के उन्नयन, आपदा रोधी बांस संरचना से संबंधित डिजाइन पहलुओं, प्री-फेब्रिकेटिड/प्री-कास्ट संरचना तथा विभिन्न प्रकार के कम लागत, पर्यावरण हितैषी, अविष्कारी एवं उर्जा-सक्षम भवन निर्माण घटकों के उत्पादन के जरिए आवासों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हेतु एक फीडर के सृजन के उद्देश्य से केरल में बैम्बू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। ये गतिविधियां स्व-सहायता समूहों को शामिल कर तथा स्थानीय शिल्पकारो को प्रशिक्षित कर चलायी जाएंगी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केरल में इडुक्की जिले, जो पारम्परिक रूप से अपनी बांस सम्पदा के लिए जाना जाता है, में एक केन्द्र स्थापित किया जाए।

(तेरह) मणिपुर में तामेंगलाग और उखरुल जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर) : मणिपुर में तामेंगलांग और उखरुल जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलने की निरन्तर मांग रही है। ये मांगे जल की अनुपलब्धता, एवं संचार सुविधाओं की कमी, सुरक्षा समस्याओं जैसे कारणों के आधार पर नहीं मानी गई थी। ऐसी समस्याएं पूरे मणिपुर में आम हैं। लेकिन अन्य सभी जिलों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, सहकारी-बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक की एक से अधिक शाखाएं हैं। तामेंगलांग तथा उखरुल राज्य के सबसे पुराने जिला मुख्यालय हैं। जिले में राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों के अलावा असम राइफल्स बिग्रेड मुख्यालय, एफसीआई गोदाम, सीमा सड़क संगठन मुख्यालय, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, दूरभाष केन्द्र जैसे केन्द्र सरकार के कार्यालय हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है दोनों पर्वतीय जिले कुल मिलाकर राज्य में सर्वाधिक शांति पूर्ण हैं।

बैंकों से सहायता नहीं मिलने के कारण सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऋण संबंधी सभी कार्यक्रम बेकार पड़े हैं। उक्त दो जिलों में सैकड़ों स्व-सहायता समूह बैंको से ऋण सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे है। अध्ययन ऋण, आवास ऋण, कर ऋण, उद्यमियों को वैयक्तिक ऋण आदि इन जिलों के लोगों के लिए अभी भी स्वप्न ही है।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन जिलों के ग्रामीण लोगों के हित में तामेंगलांग तथा उखरुल जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलने तथा तामेंगलांग जिले में तामेई कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को यथाशीघ्र पुनः खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा। मैं आपका आभारी हूं। अपराहन 12.30 बजे हम वित्त विधेयक पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें, यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों को कब उठाया जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया हैं आप उन्हें सुनने को इच्छुक नहीं थे।

श्री चन्द्रप्पन मैंने आपका, नाम पुकारा था, लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

श्री के.एस. राव।

अपराह्न 12.34 बजे

वित्त विधेयक, 2007

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरु) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय कर दरों में वृद्धि किए बिना ही वित्तीय घाटा तय करने का प्रयास कर रहे है। वह पहले ही वादा कर चुके हैं कि वर्ष 2009 तक वह इसे घटाकर शून्य करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह अपनी समय-सीमा बनाए रखें, जोकि बहुत आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विशेषकर राजस्व घाटा, किसी देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को इंगित नहीं करता। इसलिए, मैं चाहता हूं कि वह ऐसा करें। राजस्व घाटे को समाप्त करके देश उल्लेखनीय प्रगति करेगा।

इस संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हालांकि मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि उन्होंने कहा कि इस समय देश में कॉरपोरेट बेस से औसत 19.2 प्रतिशत कर वसूला जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गैन्स टैक्स) 20 प्रतिशत क्यों रखा गया हैं

महोदय, दो वर्ष की अवधि के पश्चात यदि एक कंपनी अथवा किसी व्यक्ति को संपत्ति अधिक दर पर बेचनी हो तो पूंजीगत लाभ कर के रूप में केवल 20 प्रतिशत कर ही लगाया जाता है जबकि प्रति वर्ष किसी भी कारपोरेट व्यक्ति द्वारा लगभग 35 प्रतिशत लाभ अर्जित किया जाता हैं छोटी अवधि में पूंजीगत लाभ कर घटाने की मुझे कोई तर्कसंगतता नजर नहीं आती। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस मामले पर विचार करें।

हम सभी तथा देशवासियों की मांग रही है कि - वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में, मैं बारम्बार कर कानूनों के सरलीकरण की मांग करता रहा हूं। हालांकि माननीय वित्त मंत्री महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं तथा यह वादा कर रहे हैं कि कर कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा और सरलीकरण पूरी तरह किया जाएगा ताकि किसी अधिकारी के लिए इनकी व्याख्या अपने हिसाब से करने या अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की गुंजाइश न रहे। अतः यदि कानून सुस्पष्ट होंगे तो बेइमान अधिकारी इस दिशा में कुछ नहीं कर पाएंगे।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं बताना चाहूंगा कि इंफोसिस अथवा रिलाइंस जैसी कुछ कंपनियों, जोकि भारी मुनाफा कमा रही हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के नाम पर उन्हें हजारों एकड़ जमीन क्यों दी जा रही है, जबकि सरकार अथवा राज्य सरकारों का कहना है कि उनके पास उन गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए देने हेतु जमीन नहीं है, जिनके पास अपने मकान बनाने के लिए रत्ती भर भी जमीन नहीं है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उनसे लाभ कमाने वाली कंपनियों को सैंकड़ों और हजारों एकड़ भूमि देने के स्थान पर गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करे? हम देखते हैं कि इंफोसिस जैसी कंपनी का प्राथमिक शेयर मूल्य 1. 10 रु. है और बाजार मूल्य 3000 रु. अथवा 4,000 रु. है, जोकि लगभग 400 गुणा है। जब वे इतना अधिक धन अर्जित कर रहे हैं तो ये सभी प्रोत्साहन देने तथा इतनी कम दर पर उन्हें जमीन देने का क्या तर्क है? यह मेरी समझ से बाहर है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और केवल उन क्षेत्रों में ही यह प्रोत्साहन प्रदान करे जहां निवेश नहीं हो रहा है। यदि इंफोसिस ऐसे स्थान पर कार्य आरंभ करे जो अल्पविकसित है तो मैं समझ सकता हूं परंतु हैदराबाद और दिल्ली जैसे स्थानों पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से, माननीय वित्त मंत्री जी को बुजुर्ग लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग केवल 6.6 प्रतिशत हैं। इनमें से यदि हम 60 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर तथा थोड़ा भी ऊपर मानें तो इसका अर्थ हुआ कि लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

[श्री के.एस. राव]

6.6 प्रतिशत जनसंख्या में से 2.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है तथा 65 वर्ष से अधिक है। महोदय, जब केवल एक ही बार संसद सदस्य बनने पर मुझे और आपको जीवन पर्यन्त पेंशन दी जा रही है तो पेंशन लेने का दावा कर इन गरीब लोगों ने कौन-सा अपराध किया है? जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि वे बहुत ही खराब स्थिति में रहते हैं और उनके बच्चे उनका ध्यान रखने की स्थिति में नहीं होते। वे छप्पर वाले घरों में रहते हैं, जहां उनके घरों में बारिश का पानी टपकता है, सूर्य की रोशनी उनके घरों में सीधी पड़ती है और उनके पास मोतियाबिन्द का आपरेशन कराने के लिए 500 रु. भी नहीं होते। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है और वे अनाथों की तरह रह रहे हैं। मेरा मानना है, उनके मांगे बिना, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को पेंशन प्रदान करना सरकार का दायित्व है। इससे अधिक खर्च नहीं आएगा। यदि माननीय वित्त मंत्री जी चाहें तो वे यह पेंशन प्रदान करने के लिए आयकर पर एक प्रतिशत अधिभार लगा सकते हैं, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी का मामला है।

इसी प्रकार से देश में महिलाओं के 'स्व:सहायता समूह' का कार्य निष्पादन अनुकरणीय है हम उनके चेहरों पर तेज और गर्व को देख सकते हैं और वे अपनी सदस्यों को दिए गए ऋण से कुछ लाभ कमा रहे हैं।

महोदय, कल तक एक परिवार में यदि किसी महिला को 100 रु. लेने होते थे तो, उसे इसके लिए अपने पति अथवा अपने पुत्र पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु आज हम इन महिलाओं को स्व:सहायता समूहों के जरिए ऋण प्रदान कर रहे हैं। अब, वे इन स्व:सहायता समूहों (एस एच जी) से 5000 रु. अथवा 10,000 रु. का ऋण लेती हैं तथा भैंस खरीदकर प्रतिमाह कम से कम 1000 रु. कमाती हैं। इसको एक प्रकार से हमारे यहां की महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाया है। हम उन सभी महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी उन्हें कुछ ब्याज राजसहायता उपलब्ध कराने पर विचार करें। आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही ब्याज दर मे छह प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर स्व:सहायता समूहों को तीन प्रतिशत पर ये ऋण प्रदान कर रही है। इसलिए इस पद्धति को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् माननीय मंत्री महोदय को ब्याज की राजसहायता की जिम्मेदारी भी संभालनी चाहिए।

महोदय, कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली से बिलकुल भिन्न है। औद्योगिक उत्पादों का मूल्य अलग तरीके से निर्धारित किया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि मोची रबड़ की एक टायर बेचता है तो इसका मूल्य उनके निवेश के माध्यम से निर्धारित किया जाता है उनके निवेश का 75 प्रतिशत बैंक देते हैं, तथा बेचे जाने वाले मूल्य को तय करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जा रहे ब्याज पर भी विचार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री के.एस. राव, आप जानते हैं कि यह वित्त विधेयक है, बजट पर सामान्य चर्चा नहीं है कृपया वित्त विधेयक के दायरे में रहिए।

श्री के.एस. राव : महोदय, मैं स्वयं को वित्त विधेयक के दायरे में ही रखूंगा।

अत: औद्योगिक उत्पाद का मूल्य निवेश पर ब्याज, प्रमोटरों के हिस्से का लाभ, प्रमोटरों के वेतन तथा प्रमोटरों हेतु सुविधाओं पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है, जबकि कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने में इस पद्धति का पालन नहीं किया जाता। मान लें कि एक किसान के पास एक एकड़ भूमि है, जिसकी न्यूनतम कीमत 2 लाख रु. है। यदि प्रति वर्ष छह प्रतिशत भी लिया जाए तो उसे प्रति वर्ष 12000 रु. मिलने चाहिए। परंतु इसपर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है और उर्वरकों, कीटनाशकों के मूल्य तथा मजदूरों की मजदूरी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परंतु इस अनुपात में, कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है इसके परिणामस्वरूप, किसानों को निरंतर हानि होती है और बहुत से किसानों की आत्महत्या का यही प्रमुख कारण होता है।

महोदय, अत: मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी किसानों को ब्याज राजसहायता उपलब्ध कराएं, क्योंकि किसान इस ब्याज दर पर भुगतान नहीं कर सकते, जिसपर व्यापारी अथवा विनिर्माता भुगतान कर रहे हैं। अत: किसानों को ऋण केवल 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए। स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता वाले कृषि आयोग ने भी यही सुझाव दिया है।

इसी प्रकार से, फसल बीमा योजना के बारे में हम काफी लंबे समय से वादे कर रहे हैं कि हम व्यक्ति नहीं तो गांवों के आधार पर किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराएंगे, परंतु आज तक हमने

ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के भार को बांटने के लिए कुछ धनराशि प्रदान करें ताकि उन किसानों को राहत मिल सके, उनकी क्षतिपूर्ति हो सके जिन्हें अपनी गलती के कारण नहीं बल्कि प्रकृति - चक्रवात, बाढ़ अथवा सूखे के कारण हानि हुई है। जब व्यवसाय में घाटा होने पर एक व्यापारी अथवा उद्योगपति की क्षतिपूर्ति की जाती है तो किसान का नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति क्यों नहीं की जाती?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने बजट में इस धनराशि को प्रदान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

मैं अपनी अंतिम बात रख रहा हूं। यह सेवाकर से संबंधित है। भेड़ मालिकों द्वारा प्रति भेड़ 16 रु. के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है और इसपर सेवाकर भी लगता है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि हम गरीब लोगों को बचा रहे हैं तो ऐसी चीजों पर सेवा कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

इसी तरह, जो निजी संस्थान प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें भी सेवा कर देना पड़ता है जो उनकी सामर्थ्य से बाहर है। हम जानते है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने की स्थिति में नही है और इसलिए हम निजी संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम उन निजी संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों को सेवा कर से छूट दी जानी चाहिए जो शिक्षा के नाम पर ढेर सारा धन नहीं बना रहे हैं या जो सेवा के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इन पहलुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय अपराह्न 3.30 बजे उत्तर देंगे। हमें इसे समय पर पूरा करना होगा ताकि वित्त विधेयक को स्वीकृत कराने के लिए अन्य अनुवर्ती कदम उठाए जा सकें। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है और अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं

महोदय, बजट और कराधान नीति वास्तव में वे साधन हैं जिनके द्वारा सरकार अपनी नीतियों को लागू करती है। वास्तव में, बजट संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन द्वारा उन्हे देश को दिए गए वादों को पूरा करना चाहिए। अब, श्री चिदम्बरम ने अपना बजट पेश कर दिया है और कर संबंधी प्रस्तावों को भी पेश कर दिया है।

मैं गंभीर आपत्तियों में से एक आपत्ति यह उठाना चाहता हूं कि इस बजट में घोषित कर नीति इस प्रकार की है कि यह देश के सबसे अमीर वर्ग को अपने दायरे में नहीं लाती है। देश के सबसे अमीर वर्ग के साथ यह बहुत ही सुगम ढंग से पेश आती है। यह उनके प्रति उदार है। मैं कार्पोरेट क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। आज कार्पोरेट क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वे, श्री चिदम्बरम जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चला रहा हैं

हाल ही में, फोर्बस सहित आर्थिक पत्र-पत्रिकाओं ने भारतीय अरबपतियों और करोड़पतियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। उनके अनुसार, भारतीय अर्थ व्यवस्था के सफलतम दृष्टान्तों में भारत में आज 83,000 करोड़ति हैं और हमारे यहां बहुत से अरबपति भी हैं। ये अरबपति और करोड़पति इस तरह से अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं कि वे उन चीजों को अंजाम दे सकते हैं जिनकी सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती है। कुछ लोगो को भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र के इस निष्पादन पर बहुत गर्व है।

इस बजट के संबंध में मेरी आलोचना अथवा हमारी पार्टी की आलोचना यह है कि इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अमीर लोगो को बहुत ही अनुचित ढंग से छोड़ दिया है जबकि सारा बोझ आम आदमी पर आ गया है। इस देश को चलाने का केवल यही तरीका है। जब आप अमीर लोगो पर कर नहीं लगाते हो, यही तो देश चलाने का तरीका है। इसलिए, गरीब तबके को ही इस बोझ को उठाना होगा।

मंत्रिमंडल मे से हमारे एक साथी श्री ए.के. एंटनी ने अपने निवास स्थान, चर्थला पर एक दिन भाषण दिया। वे गांधी वादी ग्राम संस्थान में बोल रहे थे। श्री एंटनी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी यह है कि पैसा कुछ ही लोगो के हाथों में है और गरीबी इतनी ज्यादा है कि हमारे देश के ग्रामीण लोग वास्तव में गरीबी से बहुत ज्यादा

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

ग्रस्त हैं। श्री चिदम्बरम ने इन सबसे अमीर लोगो का जिक्र नहीं किया है। यही सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है जो मैं इस बजट के बारे में करना चाहता हूं।

महोदय, आपने एक भाषण दिया था और यह एक लेख के रूप में 'द हिन्दू' में प्रकाशित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि यह बजट के बारे में नहीं था।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : वह भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में था। वह बजट के बारे में नहीं था। किंतु आपने कतिपय महत्वपूर्ण चीजों की ओर इशारा किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को क्यों नहीं बख्श देते?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : आपने कहा : "गांवों में रहने वाले 70% लोग बहुत ही गरीब हैं, और 80 प्रतिशत गरीब लोग गांवों में रह रहे हैं।" इसीलिए, आपने भी इस ओर इशारा किया है। न केवल आपने अपितु हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की सफलता का ढिंढोरा पीटते रहना है तो कृषि क्षेत्र को भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : जी, नहीं महोदय। मैं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था: "यदि आर्थिक विकास को बनाए रखना है तो कम से कम चार प्रतिशत की वृद्धि कृषि क्षेत्र में भी होनी चाहिए।" क्या वित्त मंत्री जी की कराधान नीति कृषि क्षेत्र को और अधिक बनाने वाली मजबूत अथवा गरीब किसानों की निर्धनता को दूर करने वाली है? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि वित्त मंत्री हमेशा यही सोचते हैं कि यदि अधिक ऋण उपलब्धता का आश्वासन दे दिया जाता है तो उनका जीवन बेहतर हो जायेगा। मेरे विचार में यह सच्चाई नहीं है यह कृषि क्षेत्र की निविष्टियों में से केवल एक है अर्थात् यह सस्ते ऋण की उपलब्धता है। इसके साथ-साथ उर्वरक, बीज, जल, विद्युत और कई अन्य निविष्टियां जैसी अन्य निविष्टियां भी हैं। मैं नहीं सोचता कि आपकी नीति गरीब किसानों को इस संकट से उबारने में आज कोई सहायता कर रही है।

किसी आम आदमी ने नहीं अपितु डा. स्वामीनाथन ने कहा था, "भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था संकट में है। जब तक सरकार की कोई आर्थिक नीति कृषि संकट का समाधान नहीं करती है, जिसका आज भारत सामना कर रहा है, तो यह अर्थव्यवस्था हमारे देश के आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं कर पायेगी।" मेरा मुद्दा यह है कि इस बजट में उद्भूत यह कराधान नीति बहुत अमीर लोगों को और ज्यादा अमीर बनाने में सहायता कर रही है और यह उन गरीब लोगो को उनके संकट से उबारने में कोई सहायता नहीं कर रही है।

कतिपय अत्यधिक अमीर कार्पोरेट्स की अनाप शनाप की बाते तो यह हैं कि वह कहती है कि हम केवल इस देश में फैल रहे हैं अपितु विदेशों में भी हम अपना पैर फैला रहे हैं और विदेशी कंपनियों को खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों बन रहे है। श्री के.के. बिरला ने बजट, अर्थव्यवस्था, कराधान नीति आदि के बार में लिखा था और वह इससे इतने प्रसन्न हुए कि कहने लेगे कि हम शीघ्र ही जापान से आगे निकल जायेंगे और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेंगे। फिर तो हम चीन के बाद दूसरे नम्बर पर होंगे। वह कहते हैं कि:

> "जब से भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई है, पिछले चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8 प्रतिशत हो गई है; औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है; और सेवा क्षेत्र में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार में उछाल है जिससे देश की और शेयरधारकों की धनराशि में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2002 में बाजार पूंजीकरण 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर, 2006 में 34.26 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 2005-2006 में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत था और 2006-2007 के दौरान इसके 3.8 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है।

जुलाई 1991 से 2006 तक 15 वर्षों में, अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रगति की है। टाटा और कोरस द्वारा खरीद अर्थात् 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सौदा किया जाने से तथा आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ नोवेलियन द्वारा ऐसा ही किये जाने से देश की छवि और अधिक निखर गई है। टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, दोनों अम्बानी

भाई, रूइया और मित्तलस जैसे उद्योगपति तीव्रता से अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के संवर्धन में मध्य-वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभार रहा है......"

यह आशा की जाती है कि 2020 तक भारत जापान से आगे निकल कर विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जायेगा। वर्ष 2050 तक यह चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन द्वारा श्री बिरला को उद्‌धृत करना अच्छा लग रहा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : बस यही सोच विचार है कि भारत कैसे प्रगति करें। क्या यही ख्याल है कि भारत कैसे फले-फूले। किंतु फिर भी महोदय, जो बात छूट रही है वह यही है जिसे आप बता रहे हैं। इस परिदृश्य में, वे केवल मित्तलस, टाटाज्, अम्बानीज् और इन्ही लोगों के बारे में बता रहे हैं। घोर गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे लगभग 700 करोड़ भारत की ग्रामीण जनता की जिन्दगियां बस ऐसे ही रहेगी।

मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस सभा को बताये कि उनके कराधान का कुल कितना हिस्सा अथवा इसका कितना प्रतिशत, कर राजस्व का कितना प्रतिशत अथवा कितना कर राजस्व इन सबसे अमीर लोगों अर्थात् कार्पोरेट क्षेत्र से एकत्र किया गया है। यदि इस धनराशि को प्रदर्शित किया जाता है तो हम देखेंगे कि वह अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र के साथ कितनी नरमी से पेश आ रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि इससे संप्रग द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। संप्रग आम आदमी के बारे में कहती है। उन्होने ऐसी नीतियों और शासन का वादा किया था जिससे आम आदमी की जिन्दगी पहले से बेहतर हो। यदि इसी नीति का अनुपालन किया जाता है तो, जैसा कि बिरला कह रहे हैं, इस देश में ऐसा माहौल बन जायेगा जिसमें अमीर और ज्यादा अमीर होते जायेंगे; भारत के एकाधिकार वादी घराने बहुराष्ट्रीय निगम बन जायेंगे; वे लोग विदेश जायेंगे और चीजे खरीदेंगे तथा कुछ लोगो को उनके इन कार्यों से स्वर्ग की अनुमति होगी। किंतु उन्हे आम आदमी की समस्या नहीं दिखती है, जो गरीबी, दरिद्रताऔर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसलिए, यदि इस सरकार की कराधान नीति को समग्र रूप से देखा जाए तो यह अमीरों के पक्ष में और गरीबों के विरुद्ध है। और यह राज्यों के हितों के भी विरुद्ध है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : वामपक्ष क्या कर रहा है?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : आप उसकी चिंता मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। आपका समय बीत जायेगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : हम यह कह रहे हैं कि आज भारत सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय का बड़ा हिस्सा लोगो पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के उपकरों से आता है। उपकर विभाजन योग्य नहीं है। राज्यों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए, राज्य उन लाभो से वंचित हैं जो उन्हे समुचित कराधान से मिलने चाहिए थे जबकि केन्द्र शिक्षा उपकर अथवा अन्य किसी चीज से धन एकत्र कर रहा है- और वह खर्च हो जाता हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि आम आदमी के हितो के लिए कोई बड़ी धनराशि खर्च नहीं की जाती है अथवा जिलों को इतना बढ़ा दिया गया है कि संप्रग सरकार की प्रमुख योजना अर्थात् रोजगार गारंटी योजना मंथर गति से बढ़ रही है।

मंत्रीजी कहेंगे "उसके लिए धन कहां है?" संभवत मणि शंकर अय्यर ने यही प्रश्न अपने हाल ही के लेख में भी उठाया था। उन्होंने कहा था, जब मंत्रिमण्डल में उत्तम आदमी विशेषकर ग्रामीण जनता की भलाई के लिए धन का प्रश्न आता है तो मंत्री जी कहेंगे "धन कहां है? हम एक निर्धन देश हैं। हमारे पास वहां खर्च करने के लिए इतना धन नहीं मिल सकता।" इसी के परिणामस्वरूप इस सरकार का प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना बड़ी धीमी गति से चल रहा है और इसका कार्यान्वियन बहुत धीमा है। अत: मैं यह सुझाव देता हूं कि इस दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

निगमित क्षेत्र पर कर लगाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन पर गैर आनुपातिक ढंग से कर लगाया जाए। उनके पास धन की मात्रा के अनुसार उन पर आनुपातिक ढंग से कर लगाया जाना चाहिए ताकि कराधान में सामाजिक न्याय हो। समानता का भाव होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कर प्रस्तावों की कठोर आलोचना करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश प्रभु, आपको वहां से बोलने के लिए अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : जी महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति लेनी चाहिए। आपने अभी तक नहीं ली है। वह आपका स्थान नहीं है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हमने बजट को विस्तार से लेने से पूर्व बजट प्रस्तावों पर पहले ही विचार कर लिया है। मैं अपने भाषण को वित्त विधेयक तक सीमित रखूंगा

कर जीडीपी का अनुपात बढ़ गया है। वास्तव में अब हम एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.02 बजे

(**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए।*)

और अधिक कर संग्रहण के लिए काफी गुंजाइश है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कर जीडीपी अनुपात भी प्रतिशतवार बढ़ता है किंतु स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो संसाधनों के बढ़ने की भारी संभावना है जिसे मेरे विचार से किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा सही दिशा में एक कदम उठाया गया है- उन्हें व्यय को टैप करना चाहिए और ऐसा करने का यही सही तरीका है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे ऐसा करना जारी रखें। यही स्वागतयोग्य है।

मेरी चिंता यह है कि आम आदमी किस प्रकार अतिरिक्त करों के भार तले दबा जा रहा है क्योंकि सामान्यत: जब हमने व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर-आयकर लगाया है और व्यक्ति उसका अपनी जेब से भुगतान कर रहा है। अतएव, यह भार उस पर पड़ता हैं यदि हम उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर भी लगाते हैं, तो आम आदमी विभिन्न स्तरों पर कर का भुगतान करता है। वास्तव में, यद्यपि व्यक्ति से कर संग्रहीत नहीं किया जा रहा है यह सेवा प्रदाताओं या निर्माताओं से लिया जाता है किंतु इसका भार आम आदमी पर पड़ता है। अत: मैं यह अनुरोध करूंगा कि यह जानने के लिए एक अध्ययन आयोग बनाया जाना चाहिए दिए गए कर प्रस्ताव पर वास्तव में कितना भार आम आदमी पर पड़ता है। सेवा कर, उत्पाद शुल्क को लीजिए और इन्हें एक साथ लेकर हमें यह निश्चय करने का प्रयास करना चाहिए कि वासतव में वह किस सीमा तक वहन कर सकता है। यह वास्तव में आम आदमी की विभिन्न सालों से आने वाले कर को अपने कंधों पर ढोने की क्षमता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण यह आम आदमी की आय पर मार कर रही है। सबसे बड़ी बात, अब वह विभिन्न कर संरचनाओं के भार से लदा है।

मैं प्रत्यक्ष करों के बारे में समझ सकता हूं क्योंकि आयकर का भुगतान उसकी जेब से होता है। मेरे विचार से कुछ किया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से एक अध्ययन कराने का अनुरोध करूंगा— हम यह जानने का प्रयास करते है और यह निर्णय करते हैं कि वह इतना वहन कर सकता हैं मैं समानता की दृष्टि से बात कर रहा हूं।

आयकर के बहुत रूचिकर मुद्दे पर आते हैं। बहुत से मुद्दे है। एक व्यक्ति पर है। व्यक्ति को दुर्भाग्यवश वास्तव में कोई लाभ नहीं मिला है। मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उसे लगभग 40 रु. प्रतिमाह का लाभ मिला है। किंतु उसके अलावा इस वर्ष में आयकर में व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं प्रदान किया गया है। अत: मेरे विचार से व्यक्तियों को इस बजट से बेहतर लाभ मिलना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वास्तव में यह जानने का प्रयास करें कि क्या छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है; मानक कटौती अब उपलब्ध नहीं है; क्या व्यक्तियों पर प्रभारित सीमांत कर के संबंध में कुछ किया जा सकता है। यही कुछ चीजें है जिनके बारे में मैं वित्त मंत्री से आशा करता हूं कि वे इन पर गौर करेंगें। मेरे विचार से वे इन पर गौर करने में सक्षम हैं।

कुल बचतों में से घरेलू बचत की प्रतिशतता वास्तव में घट रही है। इसका अर्थ है- निगम बचत बढ़ रही है जो कि कुल बचत की प्रतिशतता का भाग है। अतएव, मैं सोचता हूं, हमें और अधिक घरेलू बचतों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता हैं वास्तव में इस बजट में इस मुद्दे पर गौर नहीं किया गया हैं मैं आशा करता हूं कि यहां तक कि जिस प्रकार की छूटें हम देने का प्रयास कर रहे है- मैं उसके सामान्य निर्देश से सहमत हूं- कि व्यक्तियों के लिए उपलब्ध बचत अवसरों के प्रकारों से व्यक्तियों को भली भांति संरक्षित किया जाना चाहिए। अतएव मैं सोचता हूं कि हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रतिदायों के कारण व्यक्ति परेशान हैं जब कोई आयकर देता है, तो वह सामान्यत: जरूरत से ज्यादा भुगतान कर बैठता है क्योंकि स्रोत पर कर कटता है, और वेतन आदि से भी कर कटता है। आयकर नियमों के अनुसार सामान्यत: प्रतिदाय छह माह में वापस आ जाना चाहिए। अब यह प्रावधान है कि प्रतिदाय को सीधा बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से एक एमआईएस का अनुरोध करता हूं जिसे वित्त मंत्रालय के पास आना चाहिए जो कि वास्तव में यह बताए कि छह माह की विहित अवधि में ऐसे कितने प्रतिदायों को जमा नहीं किया गया ताकि इससे व्यक्तियों के सामने आ रही समस्या समाप्त हो सके।

व्यक्ति दीर्घावधि पूंजी लाभ कर का भुगतान करता है। आयकर अधिनियम की धारा 53 और 54 के अंतर्गत एक प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि यदि कोई एक मकान बेचता है और उस धन का पुन: निवेश करता है तो वह उस धन से यह अन्य घर खरीद सकता है या फिर उसके पास कुछ विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने का विकल्प है। अब, धारा 54 (च) (ग) को संशोधित किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि वह केवल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड में निवेश कर सकता है। ये केवल दो ही क्षेत्र है जिसमें वह निवेश कर सकता है और वह भी अधिकतम 50 लाख रु. तक। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं जब कोई व्यक्ति अपना मकान बेचता है और ऐसी किसी चीज में निवेश का प्रयास करता है तो पूंजी लाभ कर हेतु 50 लाख रु. की सीमा को हटा देना चाहिए। निश्चित रूप से वह पहले ही पूंजी लाभ प्राप्त कर चुका है और किसी भी स्थिति में वह विहित प्रतिभूतियों में ही निवेश कर रहा है। अत: 50 लाख रु. की यह सीमा हटा देनी चाहिए।

एक अन्य मुद्दा सहकारिताओं से संबंधित है पिछले बजट में आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत लंबे समय से सहकारिताओं को प्रदान की जा रही छूट वापस ले ली हैं इसका अर्थ है कि अब विशेषकर सहकारी बैंकों पर कर लगेगा; और उन पर कर लगाकर हम वास्तव में सहकारिताओं की रसंभाव्यता को बर्बाद कर रहे हैं जो कि सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। अत: धारा 80 (पी) के अंतर्गत लंबे समय से दी जा रही छूट जारी रहनी चाहिए। पूरे देश में समूची सहकारी बैंक प्रणाली की यही मांग है। इस बजट में भी सहकारिताओं को सरकार से कोई लाभ प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि धारा 3(1) (8), जो कि गृह निवेश से संबंधित है के अंतर्गत भी यदि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर ही आयकर में छूट मिलती है और यदि यह ऋण सहकारी बैंकों से लिया जाए तो वे छूट नहीं देते हैं। इससे भी पता चलता है कि सहकारिताओं को वास्तव में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अत: व्यक्तियों और सहकारी क्षेत्र को इस वित्त विधेयक में बेहतर सुविधा की आवश्यकता है।

तीसरा मुद्दा न्यासों से संबंधित है। धारा 12(क) के अंतर्गत बहुत सारे धर्मार्थ न्यास कार्य कर रहे हैं जोकि इस विधेयक के खंड 8 के अंतर्गत है।

एक लंबे अर्से से इस बात का प्रावधान था कि न्यास के बनने के एक वर्ष के अंदर अधिकतर न्यासों की आय को पूरी छूट दी जा सकती है। इसका कारण यह था कि ये न्यास धर्मार्थ कार्य कर रहे थे। लेकिन ऐसी छूट का दावा करने के लिए यह आवश्यक था कि संबंधित न्यास मुख्य आयकर आयुक्त के पास छूट संबंधी प्रमाण पत्र दाखिल करें। यदि कोई न्यास एक वर्ष के अंदर ऐसा नहीं करता तो मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा इस संबंध में हुए विलम्ब को माफ किया जा सकता है। परंतु इस विधेयक के खंड 8 द्वारा वित्त मंत्री महोदय इस छूट को यह कहकर समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे है कि मुख्य आयकर आयुक्त के पास अब ऐसा विवेकाधिकार नहीं रहेगा। देश में हजारों न्यास चल रहे है। अनेक न्यास एक या दो व्यक्तियों अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे है। ये सभी सदस्य होते है क्योंकि उनके बिना कोई न्यास का पंजीकरण करा सकता है। लेकिन अधिकतर मामलो में इनका संचालन वास्तव में एक या दो प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अत: यदि न्यास के व्यक्तियों को कानूनी उपबंधो की जानकारी नहीं होगी तो वे छूट का लाभ नहीं उठा सकते। क्या यह छूट उचित आधार पर है अथवा नहीं इसे तय करने का अधिकार मुख्य आयकर आयुक्त के पास था। लेकिन खंड 8 के द्वारा वित्त मंत्री ने मुख्य आयकर आयुक्त के इस विवेकाधिकार को समाप्त कर दिया है और इस प्रक्रिया में अनेक न्यासों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सर्वसम्मति से विलम्ब को माफ कर देना चाहिए बल्कि मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि मुख्य आयकर आयुक्त उचित आधार से संतुष्ट हो जाता है तो वह विलम्ब को उसी तरह माफ कर सकता है जैसा वह पहले करता रहा है। ऐसा जरूर किया जाना चाहिए।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

आयकर अथवा उपर्युक्त मामले में कराधान अच्छे विचारो को बढ़ावा देने और बुरे विचारों को हतोत्साहित करने का मजबूत यंत्र हैं आज हम सभी अपने पर्यावरणीय अवक्रमश के बारे में चिन्तित है। वित्त विधेयक में भारत में हरित प्रौद्योगिकियों के संवर्धन संबंधी प्रयासों का उल्लेख होना चाहिए था। ऐसा वह दो बातों से कर सकते थे - एक तो प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अधिकाधिक कराधान लगाकर और दूसरा बेहतर पर्यावरण को संवर्द्धित करने वाली प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देकर।

ऐसा नहीं करके संभवत: यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में हरित प्रौद्योगिकी स्वागतयोग्य नहीं है। अत: मै माननीय वित्त मंत्री से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि वह इन पहलुओं की जांच करके कतिपय योजनाएं शुरू करने का प्रयास करे। जिससे हमें वास्तव में लाभ मिलें।

दूसरा मुद्दा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। वास्तव में उस दिन जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे थे तो इस सभा में सभी लोगो ने कहा था कि हमें अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता है। यहां एक बहुत ही रोचक चीज है जिसे मैं समझता हूं कि, माननीय वित्त मंत्री खुशी-खुशी कर सकते है। आप नए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, जिनकी स्थापना हो चुकी है, का त्वरित ह्रास करेंगे जैसे ही वे कार्य करना शुरू करेंगे आप उनका अधिक ह्रास करेंगें। ऐसा करके आप हम देख सकते है कि वहां भारी दुरूपयोग हो रहा है। आप वास्तव में किसी बिजली का उत्पादन करने के लिए विद्युत संयंत्र की स्थापना करके लाभ को अंतरित कर सकते है। ऐसा करके आप इस उपबंध के दुरूपयोग को रोक सकते है और इससे वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है जिसे ग्रिड को दिया जा सकता है और यह वास्तव में लाभदायक होगा। मै मंत्री महोदय से इस पर गौर करने का अनुरोध करता हूं।

लम्बे समय से हम पुर:स्थापित की जाने वाली नए कर संहिता की प्रतीक्षा कर रहे है। वस्तुत: वित्त मंत्री ने कहा था कि वे सम्भवत: इसे बजट सत्र में पुर:स्थापित करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : लंबे समय मे छ: वर्ष भी सम्मिलित है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं इसे जानता हूं लेकिन चूंकि आपने ऐसा कहा था इसलिए हम आशा करते है कि इसे इस सत्र में पुर:स्थापित किया जाएगा। मै ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका यह मतलब भी है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा था ''वर्ष 2007 में''।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहे। हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है क्योंकि अपराह्न 3.30 बजे मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाएगा। अनेक वक्ता शेष है और 3.30 बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे। आपको इसी समय के अंदर अपने आपको समायोजि करना है। आप दो मिनट और बोल सकते है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : वित्त विधेयक के अंतर्गत हमारे पास सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क हैं। अत: मुझे कुछ और समय दीजिए। मै केवल मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूं। मै इनका वर्णन भी नहीं कर रहा हूं।

अवसंरचना के बारे में हमेशा बात की जाती है। हम यह कहते हुए अवसंरचना की बात करते है कि अवसंरचना के लिए बहुत धनराशि चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी पांच वर्षो के दौरान 320 बिलियन डालर की आवश्यकता की बात कही गई है। यदि हमे इतनी धनराशि की आवश्यकता है, जबकि सरकार के पास वास्तव में इतनी धनराशि नहीं है क्योंकि राजकोषीय घाटा अब भी मौजूद है और सरकार एफ. आर.पी.एम. के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: हमें इसके लिए अधिक से अधिक निजी निवेश की आवश्यकता है। यदि आपको निजी-सरकारी अथवा किसी अन्य प्रकार के निवेश की आवश्यकता है तो किसी न किसी को तो अवसंरचना का वित्तपोषण करना होगा। आज दुर्भाग्य से आईडी की आई; आई एफ सी आई अथवा डेवलेपमेन्ट फाइनेंस्सियल इंस्टीटयूट नहीं बचे है जो ऐसा काम करते थे अत: हमें अवसंरचना के वित्त-पोषण बी विशेषताओं के मद्देनजर अवसंरचना वित्तपोषण से निपटने के लिए विशेष संवितरण करना होगा जहां पर आपको अवसंरचना का वित्तपोषण करने की आवश्यकता है जो आपको 10 वर्षों के बाद भुगतान करना शुरू करेगा। अत: बैंक पांच वर्ष की अवधि से ज्यादा अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकते जब तक कि उनके पास अपने संसाधन हो जिनकी परिपक्वता अवधि दस वर्षों से अधिक हो। इसलिए अवसंरचना का वित्तपोषण एक बड़ी चिंता है। मैं इस बजट में इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देख रहा हूं।

वास्तव में, महोदय, पिछली बार हमने धारा 10 (23)(छ) में इस आधार पर संशोधन किया था कि इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं इसे समाप्त कर रहा हूं''। अत: मेरा अनुरोध है कि इसे पुनः बहाल करे। दीपक पारिख समिति भी इस पर गौर कर रही है। वास्तव में, मेरे पास इनमें से कुछ मुद्दों के संबंध में दीपक पारिख समिति की रिपोर्ट है। हमे ववास्तव में इस पर गौर करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप इनमें से कुछ संस्थाओं का अनुमोदन कर सकते है जिनके प्रति आप उदार हैं लेकिन मुझे एक बड़ी समस्या दिखती है क्योंकि अवसंरचना का सृजन किया जाना चाहिए और अवसंरचना के वित्तपोषण का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। और यह काम करने के लिए हमारे पास एक समुचित शासन और एक समुचित विधान होना चाहिए। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम यह काम कर सकते हैं

इसके लिए, मैं यह सिफारिश करता हूं कि अवसंरचना का वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति नहीं है, जिसकी हमे वास्तव में आवश्यकता है क्योंकि वे निधि जुटाने के सस्ते स्रोत है। वस्तुत: किसी भी स्थिति में बाह्य वाणिज्यिक उधार में धन जुटाने प्रतिबंध यह कि परिपक्वता की अवधि पांच वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अत: किसी भी स्थिति में अवसंरचना वित्तपोषण के लिए यह अच्छे उम्मीदवार है और इसलिए हमें इस पर गौर करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त धारा 81(क) (चार) में हम कह रहे है कि हम इसमें संशोधन कर रहे है। मै समझता हूं कि आयकर अधिनियम मे दो और उपबंध होने चाहिए। इनमें से पहला है धारा 223 (छ)। हमें इस पर बारीकी से गौर करना चाहिए।

अन्य दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उद्यमपूंजी से संबंधित है। यदि आप नई प्रौद्योगिकी और नए विचार लाना चाहतें है तो आपको उद्यम पूंजी लाने की आवश्यकता है।

क्योंकि केवल उद्यम पूंजी में ही वास्तव में जोखिम पूंजी के वित्तपोषण की क्षमता है। इस बजट में धारा 1023(8) (ख) और 115 (घ) में यह कहकर संशोधन किया गया है कि उद्यम पूंजी निधियों और उद्यमों को ऋण देने वाली संख्याओं को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रो में ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसके स्थान पर हमें यह कहना चाहिए कि ये नकारात्मक सूची को छोड़कर कोई भी क्रियाकलाप कर सकती है। अत: आपने ऐसा क्यों किया? यदि आप उन्हें सभी क्षेत्रों में काम करने हेतु प्रोत्साहन देते तो इसे समझा जा सकता था। लेकिन उनपर इस तरह के प्रतिबंध लगाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि नए विचार कहां से आएंगे। आप आयकर अधिनियम में यह कहकर कोई संशोधन कैसे कर सकते है कि उद्यम पूंजी एक विशेष प्रकार के क्रिया-कलाप का वित्तपोषण कर सकती है और उन्हें इसका लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता प्राप्त करनी होगी? उद्यम पूंजी की परिभाषा के अनुसार उद्यम पूंजी से हमारा अभिप्राय नए विचारो से हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया है और जो वाणिज्यिक रूप से उपयोगी भी नहीं है। ऐसे विचारो को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम विशेष क्षेत्र पर भिन्न तरीके से सोचने की आवश्यकता है।

जहां तक अनुसंधान और विकास का संबंध है तो हमारे पास नामत: 81(i) (ख) सन सैट क्लॉज (खंड) हैं मैं समझता हूं कि हमें इस विशेष खंड पर भी गौर करने की आवश्यकता है क्योंकि हम कह रहे है कि हमें अधिक से अधिक निजी संस्थाओं, निजी उद्योग की आवश्यकता है और हम यह भी चाहते है कि निजी शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और विकास का कार्य भी करना चाहिए। यदि आप ऐसा करना चाहते है तो आपको यह निश्चित करना होगा कि ऐसे क्रियाकलापों को भी समुचित सहायता मिले।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मै अन्तिम बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय : मुझे क्षमा करें। समय समाप्त हो चुका है। मै आपको पहले ही अनुमत्य समय से अधिक समय दे चुका हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : ठीक है। मैं बैठ रहा हूं।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु एक बहुत ही सक्षम और योग्य सदस्य है। इन्हे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है।

श्रीमती वी. राधिका सेलवी (तिरुचेन्दूर) : महोदय, वित्त विधेयक 2007 पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रिय नेता डा. कलाइंगर और हमारे तमिल शंलापति ग्रामीण विकास मंत्री माननीय एम.के. स्टालिन का भी धन्यवाद करती हूं।

[श्रीमती वी. राधिका सेलवी]

मैं डी एम के पार्टी की ओर से वित्त विधेयक, 2007 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी 28 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। किसान और कामगार बुरी तरह प्रभावित हैं। वे गरीबी, भूख और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगाई के कारण बहुत से किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे प्रिय नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलांइगर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्ये से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चावल 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने 7000 करोड़ रु. के किसानों के सहकारी शरण माफ कर दिए हैं ताकि वे खुशी-खुशी कृषि कार्य जारी रख सकें। हमारी सरकार को छोटे किसानों के सहकारी बैंक चरणों को माफ करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुचेन्दूर में मुक्कुदल में एक केन्द्रीय सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में बीड़ी मजदूरो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित डॉक्टर अथवा अर्ध-चिकित्सकीय कर्मचारी नहीं हैं। यह अस्पताल एक अंश-कालिक अस्पताल है। सरकार को डॉक्टरों तथा अर्ध-चिकित्सकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने चाहिए तथा अस्पताल को पूर्ण कालिक ढंग से कार्य करना चाहिए।

मध्य वर्ग के लोगों का सपना होता है अपने लिए घर बनाना। वे सीमेंट और इस्पात के बढ़ते मूल्यों के कारण वे मकान बनाने में असमर्थ हैं। सरकार की सीमेंट और इस्पात के मूल्यों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिएं ताकि मध्य वर्ग के लोगों के सपने साकार हो सकें। भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 35,000 रु. आवंटित किए हैं। सरकार को इसपर पुनर्विचार करके इसे 60,000 रु. तक बढ़ा देना चाहिए। सरकार को इस योजना के दायरे को भी बढ़ाना चाहिए ताकि और अधिक गरीब दलित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग इसका लाभ उठा सकें।

कम आवंटन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

महोदय हम खेल क्षेत्र को कम महत्व देते हैं। खेल, हमारे देश में क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण घटक है, इससे देश का नाम होता है। पहले हमारे देश को हॉकी के खेल में अग्रणी माना जाता था परंतु अब वह स्थान प्राप्त करना एक सपना बन गया है। हम केवल क्रिकेट के खेल को ही महत्व दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिए और हमें सभी खेलों को महत्व देना चाहिए तथा सभी खेल खेलने के लिए हमारे युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें देश में खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए और धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

बच्चो की हमारी आधी जनसंख्या कुपोषण से पीड़ित है और बहुत-सी महिलाएं मातृत्व संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन करना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सी महिलाएं बीड़ी मजदूर हैं। वे इस पेशे में 12 वर्ष की आयु में प्रवेश करती हैं और अपना पूरा जीवन इसी पेशे में गुजारती हैं। इनमें से बहुत-सी महिलाएं श्वास की बीमारियों से पीडित हैं। सरकार को इन गरीब बीड़ी मजदूरों का ख्याल रखना चाहिए और इन लोगों के लिए किसी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

महोदय, हमारी कुल सकल घरेलू उत्पाद दर 9 प्रतिशत है, परंतु हमारा कृषि सकल घरेलू उत्पाद दो प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ रहा है पिछले वर्षों में कृषि उतपादन काफी कम हुआ है। यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार को इस संकट को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिएं।

हमारे देश में प्रचूर मात्रा में जल संसाधन हैं। परंतु हमें नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि बिना उचित इस्तेमाल के समुद्र में गिरने वाले पानी को रोका जा सके। इसपर काफी खर्च आएगा। सरकार को इस प्रयोजनार्थ धनराशि खर्च करनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। हमारे मुख्यमंत्री कलांइगर ने योजना आयोग की बैठक के दौरान इसका जिक्र किया था। जल की प्रकृति सार्वभौमिक होती है और इसलिए इस हाथ दे, उस हाथ ले वाली नीति होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य को केन्द्रीय जल आयोग तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार पानी का बंटवारा करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही, मै अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण

बिन्दुओं की ओर दिलाना चाहूंगी। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री सी. के. चन्द्रप्पन ने अपने भाषण में कहा कि सरकार आम आदमी की बजाय मिलियनर्स और बिलियनर्स की ओर ध्यान दे रही है। यह बात सही भी है क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आम आदमी के लिये काम करने का वायदा किया था, वह बात कहां रह गई? आज सरकार कुछ बड़े बिग हाउसेज के बारे में बात कर रही है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश में जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके बारे में मैं बिन्दुवार कुछ कहना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग हमेशा कृषि की बातें करते हैं लेकिन बजट में किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया है। आज कार, मोटर साईकिल और ऐसी तमाम सुविधायें, जिनका हम शहरी लोग इस्तेमाल करते हैं, कार का मूल्य तीन-साढ़े तीन लाख कर दिया लेकिन किसान भाई खेती के काम में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनके दाम डबल हो गये हैं। पहले जो ट्रैक्टर डेढ़-दो लाख रुपये में आता था, उसकी कीमत साढे चार से पांच लाख रुपये हो गई है। वास्तव में, यह दुर्भाग्य की बात है। यह देश कृषि प्रधान देश है और हम किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। सरकार को बजट के अंदर उन्हें राहत देनी चाहिये थी। इसके अलावा सरकार प्रतिवर्ष अनाज का समर्थन मूल्य तय करती है। सरकार गेहूं, चावल, मक्का, सरसों के दाम तय कर देती है कि यदि कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी लेकिन समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिलता है। वह अपना खून-पसीना लगाकर अपने खेत सींचता है, उसमें मेहनत करता है, चाहे धूप हो, या बारिश हो, वह खेत जोतता है, उसके लिये किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये लेकिन वह उसे नहीं मिलता है। मगर कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जो साबुन बनाती हैं, कोई पाऊडर बना रही है, उन्हें भी यह कहा जाता है कि आप अपनी लागत लगाकर लाभ जोड़ दीजिये, आप लाभकारी मूल्य पर अपनी चीज बेच सकते हैं।

किसानों के साथ यहां इस तरीके का बर्ताव हो रहा है कि लागत मूल्य भी उसे नहीं मिल पाता हैं। उसके समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात नहीं करता। ये कहते हैं कि अगर गेहूं की कमी है तो हम गेहूं का इम्पोर्ट करेंगे और जब इम्पोर्ट करने जाते हैं तो विदेशी कंपनियों को कितना भी पैसा देने को तैयार हैं। हमारे यहां कि किसान को अगर समर्थन मूल्य देना है, तो उसे साढ़े आठ सौ रुपए क्विंटल देंगे, लेकिन अगर हमें बाहर से खरीदना है तो 1100 रुपए क्विंटल पर भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। यह किस तरीके की पालिसी बनाई जाती है, जहां हमारे वे किसान भाई, जो हमारे लिए अपना खून-पसीना एक करके खेत जोतते हैं और अनाज पैदा करते हैं, उन किसान भाईयों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। ये आम आदमी की बातें करते हैं, लेकिन आज महिलाएं देश के अंदर किस प्रकार दुखी हैं, उसकी बयान नहीं कर सकती हूं। उनका घरेलू बजट इस सरकार ने बिल्कुल गड़बड़ा दिया है। उनकी महीने की जो इंकम थी, उसमें कहीं न कहीं कमी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो टैक्स बढ़ाए हैं, उससे इंकम की कमी एक तरफ और दूसरी तरफ प्राइस राइज़ इतनी ज्यादा हो गई कि अगर वह बाजार में दाल लेने जाए तो जो दाल पहले 40 रुपए किलो मिलती थी, वह अब 60 रुपए किलो हो गई है, लाल मिर्च पहले 50-55 रुपए किलो मिलती थी, वह अब सौ रुपए किलो मिलती है। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकती हूं। एनडीए की सरकार में गेहूं आठ-साढ़े आठ रुपया किलो मिल जाता था, आज वही गेहूं 13-14 रुपए किलो मिलता है। ये आम आदमी के हितों की बात केवल नाममात्र के लिए करते हैं, लेकिन इनकी करनी जिस प्रकार से हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपनी करनी और कथनी में बहुत अंतर रखा है।

हमनें प्राइस राइज़ के बारे में पहले भी बहुत बार कहा था, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जिससे कहीं प्राइस के ऊपर कंट्रोल करने की बात इन्होंने की हो। अगर प्राइस को इस देश में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यहां जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही हैं, महिलाएं पानी पी कर सो रही हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं कि व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इसमें कहीं न कहीं रियायत देकर या किसी तरीके से प्राइस राइज़ के ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं, ऐसा कोई ठोस कदम सरकार द्वारा उठाना चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

महोदय, हम लोग प्रोविज़न फार टैक्स ऑडिट के लिए बात करते हैं। सन् 1984 में टैक्स ऑडिट का जो प्रोविज़न था, उसके अनुसार अगर 40 लाख रु. से ऊपर कोई होगा तो उसके टैक्स का ऑडिट किया जाएगा। सन् 1984 से लेकर 2007 तक, अभी तक वह टैक्स ऑडिट की सीमा इन्होंने नहीं बढ़ाई। पहले जो 40 लाख रुपए था, वही आज भी लागू है। उसे बढ़ा कर कम से कम तीन करोड़ रु. तक किया जाए तभी कोई छूट होगी। अगर कोई बिजनैस कर रहा है, उसे प्रमोशन मिले, इस दृष्टि से इस बारे में सोचना चाहिए। जो सर्विस टैक्स प्रोवाइडर्स हैं, उनकी छूट की सीमा अभी आठ लाख रुपए है, उस सीमा को इन्होंने बढ़ाया नहीं है। आज कितने ऐसे उद्योग हैं, कितने ऐसे काम हैं जो हमारी सोसायटी को सर्विस देते हैं। वे जो सर्विस देते हैं, वह इतना बढ़ गया है कि अगर वे आठ लाख को

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

बात करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता। अगर इस आठ लाख रु. की सीमा को बढ़ाकर पचास लाख रु. करेंगे तो ही हम सही मायने राहत देने का काम कर सकते हैं, अन्यथा इन्होंने सर्विस टैक्स के नाम पर एक नया बोझ हमारी जनता के ऊपर डाल दिया, क्योंकि इन्होंने सर्विस टैक्स का क्षेत्र भी बढ़ा दिया, दस से बारह परसैंट कर दिया। इन दोनों स्थितियों के अंदर, इनको जो छूट है, वह छूट भी मात्र आठ लाख रुपए रखी है। इन तीनों दृष्टियों से अगर देखा जाए तो यह ठीक नहीं है। ऐसे ही जो एजुकेशन सेस है, पहले दो परसैंट एजुकेशन सेस के नाम पर लिया जाता था, अब एजुकेशन सेस के अंदर हायर एजुकेशन सेस और लगा दिया, जिसे एक परसैंट और बढ़ा दिया, यानी इतने कॉम्प्लीकेशंस क्रियेट कर दिए कि पहले एजुकेशन सेस में हम दो परसैंट देते थे, लेकिन अब दो का एक परसैंट हायर एजुकेशन के नाम पर और बढ़ा कर उसे और कॉम्प्लीकेटिड कर दिया, सिम्पलीफिकेशन करने की बजाए कांप्लीकेटिड कर दिया। मैं यहां कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो कांप्लीकेशन क्रिएट किया है, हम जो इंकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, पहले इंकम टैक्स रिटर्न का एक पेज़ का फार्म आता था, उसे अब चार पेज़ का कर दिया और उन चार पेज़ों के अंदर इन्होंने कई ऐसी इन्फोर्मेशंस मांगी हैं, जो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के पास होती हैं, लेकिन इन्होंने उसे काफी कांप्लीकेटिड कर दिया।

इसी तरीके से इन्कम टैक्स के प्रजेंट स्लैब के बारे में कहना चाहती हूं। इसके अनुसार आम आदमी को रु. 1 लाख से आपने रु. 1.10 लाख बढ़ाकर केवल 10 हजार रुपए की छूट दी है। महिलाओं को रु. 1.35 से रु. 1.45 और सीनियर सिटीजन्स को रु. 1.85 से रु. 1.95 किया है, जो बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जब तक इन्कम टैक्स की छूट को आप और नहीं बढ़ाते हैं, तब तक काम चलने वाला नहीं है। यदि कोई महिला है, यदि वह अपना व्यवसाय चलाती है, तो आपने रु. 1.35 लाख से 1.45 लाख रुपए किया है, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि आपवाकई महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और आम आदमी को इन्कम टैक्स में फायदा देना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि इन्कम टैक्स की छूट आम आदमी के लिए रु. 1.10 लाख से बढ़ाकर रु. 1.50 लाख महिलाओं के लिए रु. 1.45 लाख से बढ़ाकर रु. 2.00 लाख और सीनियर सीटीजन्स के लिए रु. 1.95 से रु. 2.50 लाख लीजिए।

सभापति जी, चूंकि समय नहीं है, इसलिए एक अंतिम बात संक्षिप्त में को-आपरेटिव बैंक के बारे में कहना चाहती हूं क्योंकि मैंने अपने यहां एक को-आपरेटिव बैंक की स्थापना की है। इसलिए मैं इसकी व्यावहारिक कठिनाइयां जानती हूं कि को-आपरेटिव बैंक सैक्टर में जब महिलाएं आती हैं और लोगों को जोड़ा जाता है, तो अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी होती है। यह एक ऐसा मूवमेंट है, जिसे सरकार को और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हम लोग औरबहुत सारी एक्टीविटीज को प्रमोट कर सकें, लेकिन को-आपरेटिव बैंक के ऊपर टैक्स लगाया गया है, यह ठीक नहीं है। यह अपने आपमें एक इस तरह का विरोधी कदम है, जिससे यह क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से आप महिलाओं को डी-मॉरेलाइज कर रहे है कि आप को-आपरेटिव सैक्टर में मत जाइए। इसलिए मेरा निवेदन है कि को-आपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, उसे समाप्त कीजिए।

मेरे और भी बहुत पाइंट हैं, जैसे इन्कम टैक्स के ऊपर रु. 30 हजार का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, यह भी खत्म कर दिया गया है, इसे दुबारा चालू करना चाहिए। इस प्रकार के अनेक बिन्दु हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। इसलिए मैं यह महत्वपूर्ण बिन्दु लेते हुए, अपनी बात समाप्त करूंगी कि जो प्राइस राइज है, उसे कंट्रोल करने के लिए निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी को कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड) : महोदय, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। हम सामान्य बजट पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं।

मैं, सरकार द्वारा अपनाए गए कर ढांचे के संबंध में श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। आजकल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई है, जिससे आम आदमी सबसे अधिक प्रभावित होता है। हम कह सकते हैं कि हमारी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत है और हमारे देश में बड़ी संख्या में लखपति हैं परंतु आम आदमी के लिए कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना संभव नहीं है। मैं सरकार से तत्काल कुछ कदम उठाने का अनुरोध करूंगा क्योंकि संप्रग सरकार के पास अधिक रुपए नहीं है। कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा विशेषकर जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में व्यर्थ ही में विलंब हो रहा है। मेरा कहना है कि पेट्रोलियम और डीजल के मूल्यों को एक बार फिर घटना होगा अन्यथा आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, केरल में उचित दर दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराने का हमारे पास पर्याप्त अनुभव है। यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम भी ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि केन्द्र सरकार से खाद्यान्न का पर्याप्त आवंटन नहीं हो रहा है। इसलिए, इसपर भी ध्यान देना होगा।

राजग सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में हटा दिया था। यह बिलकुल निष्प्रभावी हो चुका है। अत: मैं सरकार से इस अधिनियम को प्रभावी बनाने का अनुरोध करता हूं ताकि जमाखोरों तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। यह सच है कि इस प्रयोजन के लिए सरकार को संसाधनों और राजस्व की आवश्यकता है। सरकार को अमीरों से कर प्राप्त करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि हर बजट में आम लोगों पर कर का भार बढ़ता ही जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार वह कड़ा कदम उठाने में इतना हिचकिचा क्यों रही है, विशेषकर जब हम कहते हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लखपति हैं।

मैं बजट में शामिल किए गए कुछ कर उपायों, विशेषकर जिन्होंने केरल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, के बारे में बोलना चाहता हूं। उदाहरण के लिए पॉम आयल को ही लीजिए। पॉम आयल के आयात शुल्क में कटौती से हमारा राज्य प्रभावित होगा। हम इस सभा में यह मुद्दा उठा चुके हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आपने अभी कहा कि मूल्य बढ़ रहे हैं। सीमा-शुल्क में कटौती की जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : जी हां, यह सच है कि प्रत्येक राज्य की विशेष खूबियां होती हैं और वह सभी...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया अच्छी तरह सोच लीजिए। मूल्य कम करने के लिए ही सीमा-शुल्क में कटौती की जा रही है... *(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : जहां तक केरल का संबंध है, राज्य में सबसे अधिक नारियल और नारियल के तेल का उत्पादन होता है। परिणामस्वरूप, हम भी प्रभावित होते हैं। यही मुख्य मुद्दा है। जब माननीय वित्त मंत्री तेल (ऑयल) पर आयात शुल्क की बात करते हैं तो आपके उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसमें रबड़ पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का विचार था?...*(व्यवधान)* यह समाचार-पत्रों में आ चुका है। काली मिर्च चाय और कॉफी पर से आयात शुल्क घटाने का भी उल्लेख हो चुका है। हम सभी का उललेख माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आपको वित्त विधेयक के प्रावधानों की जानकारी है। ये सब बातें करने का क्या मतलब है? हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : वित्त विधेयक का संबंध उन मुद्दों से होता है, जो लोगो से जुड़े हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : क्या वित्त विधेयक में कोई प्रावधान है? आप उसे इंगित कीजिए। मैं समाचार-पत्रों में छप रही बातों का उत्तर कैसे दे सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : यह सच है कि विधेयक पारित हो सकता है। परंतु, ऐसे में सरकार कार्यकारी आदेश का रास्ता अपना सकती है और संसद सत्र के पश्चात वह कुछ अन्य मुद्दे दे सकती है। मैं यही बात कह रहा हूं। में मज़ाक नहीं कर रहा हूं। यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है और आपके केंद्रीय मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं इसीलिए मैं ये सब बातें कहना चाहता हूं।

बागान क्षेत्र के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में मैं वास्तव में इनका स्वागत करता हूं क्योंकि इससे केरल को लाभ होगा। साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदम केरल में कुछ उद्योगों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। उदाहरण के लिए, बीड़ी क्षेत्र के मामले को लीजिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने सभा में कहा है कि वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का अनुसरण करते हैं। जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का संबंध है तो हम निसंदेह स्वास्थ्य परिचर्या का पालन कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय के बारे में क्या कहना है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है या वह इसको लेकर वैसे ही समय व्यतीत कर रहे हैं।

जैसाकि आपको मालूम होगा सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि समस्त भारत में लगभग 50 लाख कामगर बीड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसका अर्थ है कि लगभग दो करोड़ व्यक्ति बीड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं।

महोदय: आपके बजट भाषण में यह कहा गया था कि आपने हस्त-निर्मित और मशीन-निर्मित बीड़ियों पर कर को 7 रुपये से बढ़ाकर 11 और 17 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये कर दिया है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि उसे वास्तव में इस समय कर

[श्री पी. करुणाकरन]

नहीं लेना चाहिए क्योंकि बीड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं और उनमें से 90 प्रतिशत महिला कामगार हैं। उन्हें कम मजदूरी मिल रही है और अब भी उनके रोजगार के अवसर घट रहे हैं। इसी समय इस कर प्रणाली को लागू किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां तक इस कर ढांचे का संबंध है तो यह सिर्फ सहकारी क्षेत्र और सरकारी फर्मों से संबंधित है क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि 20 लाख बीड़ि से कम उत्पादन पर वे कर नहीं देगें। अत: निजी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति कर से बच सकते हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे को उठाए क्योंकि यह केरल के गरीब और आम आदमियों का मुद्दा है।

टाइटेनियम कारपोरेशन केरल में सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है। यह वास्तव में लाभ में चल रहा हैं परंतु आजकल, राज्य सरकार ने शुल्क 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। यह कहते हुए खेद है कि सरकार ने इसे 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे भी सरकारी उपक्रम प्रभावित होगा। अत: माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर विचार करने की कृपा करें क्योंकि केरल सरकार इस मुद्दे को पहले ही सरकार के सामने उठा चुकी है।

महोदय, इस सभा ने संकल्प पारित किया है और अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। मेरे विचार से यह सभा का विशेषाधीकार है और यह सभा के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है कि हमने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अत: न्यायपालिका को हमारे मंत्री जी और साथ ही इस सभा को बधाई देनी चाहिए क्योंकि हमने 60 वर्षों के बाद इस मुद्दे को उठाया है।

यह कहते हुए खेद है कि न्यायालय ने इसे कार्यान्वित नहीं करने का निर्णय लिया है। इसे अस्वीकृत कर दिया गया है और इससे इनकार कर दिया गया है। मुझे यह कहते हुए वास्तव में खेद है। मैं न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं। परंतु इस सभा के पास अधिकार है। अत: में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गरीब व्यक्तियों को लाभ देने के लिए समुचित कार्ययोजना लाए। अन्यथा उन्हें ये लाभ नहीं दिए जाएंगे।

मैं एक मुद्दे के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सच्चर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मेरे प्रश्न के बारे में सरकार ने यह कहते हुए उत्तर दिया: "हम सुझावों पर विचार कर रहे है और हमने निर्णय नहीं लिया है।" रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि रोजगार और शिक्षा के मामले में मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुत ही पीछड़ रहे हैं; कई राज्यों में उनकी स्थिति वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की स्थिति से भी नीचे है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में इनकी शिक्षा और रोजगार के मामले में कदम उठाए। सच्चर आयोग के सुझावों को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर कोई प्रसन्न है। हम सब प्रसन्न हैं कि वर्ष 2006-07 में जीडीपी विकास दर 9.2 प्रतिशत थी। संप्रग सरकार के गत तीन वर्षों में औसत विकास दर 8.6 प्रतिशत रही है। पूरी दसवीं योजना अवधि में सरकार ने लगभग 8 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल किया है। हमारा लक्ष्य 8 प्रतिशत है। अत:, विकास हो रहा हैं आय में वृद्धि हो रही है। अब भी, हर किसी को यकीन है कि इक्कीसवीं सदी एशिया विशेषकर भारत और चीन के विकास की होगी।

विकास समता के बिना निस्फल है। विकास रोजगार का सृजन किए बिना भी निष्फल है। परंतु अब भी 250-300 मिलियन की बड़ी जनसंख्या को हमारी अपनी सांख्यिकी के अनुसार गरीबों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं इस परिदृश्य में, हमें इन 250-300 मिलियन व्यक्तियों का ध्यान रखना होगा। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता और अन्य न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। अत: हमें इन व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा? इस देश में असंगठित क्षेत्र में कुल 37 करोड़ कामगार हैं। इनमें से 99 प्रतिशत कामगार कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के हैं। सं.प्र.ग्र. सरकार इस असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए कुछ करने हेतु भी प्रतिबद्ध है। यह एक कानून बनाना चाहती है। इसे इस असंगठित क्षेत्र को सांविधिक लाभ देने होंगे। यह कार्य अब तक नहीं किया गया है। कर सग्रहण के बारे में वित्त मंत्री जी द्वारा हाल में दिए गए वक्तव्य में कहा गया है कि इस वर्ष उन्होने 4,70,077 करोड़ संग्रहीत किए हैं जो कि राजकोषीय वर्ष के संशोधित प्राक्कलन से लगभग 5000 करोड़ रुपये अधिक है। एक तरफ, हम अपने राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं। जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ, इस देश में क्या हुआ है? हमारी

अनेक केंद्र-प्रायोजित योजनाएं हैं। परंतु अच्छी वितरण प्रणाली नहीं है। हम एससीपी के अंतर्गत भी राज्य सरकारों को करोड़ो रुपये प्रदान कर रहे है। वे इन योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर रहे है। वे निधियों को विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के लिए दे रहे हैं हम यहां बैठे हैं।

हम योजनाएं बना रहे हैं। हम धनराशि भेज रहे हैं। फिर भी अंत में शेयरधारकों को लाभ नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अशोक लाहिड़ी ने क्या कहा है? 1997-2000 हेतु नोवीं योजना के दस्तावेज में यह कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में गरीबी उन्मूल्न के लिए हमने जो लगभग 40,000 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की थी वह गरीब परिवार को प्रतिमाह लगभग 8,000 रु. दे सकती थी, प्रतिदिन 3 किलोग्राम खाद्यान्न खरीदने के लिए पर्याप्त होती। परंतु ऐसा नहीं हुआ।

जो धनराशि हमने राज्यों को भेजी उसका क्या हुआ? इस वर्ष के बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी, प्रबंधन तथा उसको सुदृढ़ बनाने के बारे में बात की। सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी हम 2 प्रतिशत उपकर लगा रहे हैं तथा उच्च शिक्षा के लिए हमने और एक प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर लगाया है। अत: हम लोगों से शिक्षा उपकर के रूप में 3 प्रतिशत उपकर वसूल रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआं जांच रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नाम पर कुछ अधिकारियों ने लगभग 70 करोड़ रु. की धनराशि का दुरूपयोग कियां समाचार-पत्रों में आ चुका है कि कुछ राजनीतिज्ञ भी इसमें लिप्त हैं। भारत सरकार ने एक रोक यह लगा दी है कि यदि एक राज्य को जारी धनराशि की दूसरी किस्त चाहिए तो संबंधित राज्य सरकार को उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्र भेजना होगा। मैं यहां अपने राज्य आंध्र प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे अन्य राज्यों के बारे मे जानकारी नहीं है। इसने क्या किया? इसने धनराशि निकाली और उसे अपने खातों में रखा, उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्र भेजा और दूसरी किस्त प्राप्त कर ली। अब क्राइम ब्रांच - सी आई डी इस मामले की जांच कर रही है और जो लोग इस धनराशि के दुरूपयोग में लिप्त थे, अब वे जेल में हैं। राज्यों में ऐसी बातें होती हैं। अत: डिलीवरी तंत्र कहां है? केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं हेतु धनराशि आवंटित कर रही है और राज्यों को धनराशि भेज रही है, परंतु उस धनराशि का उचित इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह एक प्रश्न है। यदि धनराशि का उचित इस्तेमाल नहीं किया गया तो इस देश से गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जाएगा? स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी हम कहते हैं कि लगभग 300 मिलियन लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यह शर्मनाक बात है।

महोदय, आंध्र प्रदेश में लगभग 5,000 किसान और बुनकर आत्महत्या कर चुके हैं। हम बहुत से आयोगों की नियुक्ति कर चुके हैं। डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी और यह आयोग पहले ही 5 रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुका है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हरेक, इस देश में किसानों की दुर्दशा के बारे में बात कर रहा है। यदि कृषि क्षेत्र में वास्तव में सरकार की रूचि है तो भारत सरकार ने डा. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया है? डा. स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी कि किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाना चाहिए। पिछले वर्ष के दौरान, माननीय वित्त मंत्री जी ने फसल ऋणों हेतु ब्याज 2 प्रतिशत कम कर दिया था। यह बिलकुल भी पर्याप्त नहीं है। ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई उपकरण आदि जैसे कृषि उपकरण खरीदने के लिए विभिन्न बैंक 10 से 14 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उसे 10 से 14 प्रतिशत के ब्याज का भुगतान करना होगा। यह बिलकुल भी ठीक नहीं है। सरकार को डा. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करना होगा। अन्यथा, किसानों द्वारा आत्महत्या करने की दु:खद घटनाएं जारी रहेगी।

वित्त मंत्री जी 5 राज्यों में 31 जिलों को ऋण राहत पैकेज दे चुके हैं। मैं यहां उदाहरण देना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ। वर्ष 2004, में तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कि ब्याज और बकाया धनराशि का पुनर्निर्धारण किया जाएगा ताकि इसने 2 वर्ष के लिए विलंबन की घोषणा भी की थी। उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया था कि केवल उन्हीं ऋणों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा जो 30 जून को देय हैं। उस समय तक कोई बकाया नहीं था। 2 वर्ष के इस विलंबन की घोषणा पिछली सरकार द्वारा की गई थी। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के साथ यह मामला उठा रहे है। इसलिए, उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों के लाभ के लिए बकाया ब्याज की माफी के वर्तमान राहत पैकेज के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में वर्ष 2004 में स्थगित किए गए 1662 करोड़ रु. के बकाया ब्याज, सरकारी क्षेत्र में 1294 करोड़ रु. तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु 368 करोड़ रु. को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। भारत सरकार के पास यह मामला लंबित है।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष हम इस योजना के बारे में बात करते हैं। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है कि किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए पंचायतों को एक इकाई माना जाना चाहिए, तभी किसान को लाभ होगा। हमें वर्तमान योजना पर पुनर्विचार करना होगा, इसकी समीक्षा तथा उसका पुन: निर्धारण करना होगा। अन्यथा, इस पूरी योजना से इस देश के किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रस्तुत जानकारी में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004 के खरीफ मौसम मे 1,26,87,046 किसानों को इस योजना के दायरे में लाया गया था, जिसमे से 12,24,455 किसानों को लाभ हुआ है।

वर्ष 2005 के खरीफ मौसम में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक यूनिट के रूप में क्षेत्र निर्धारित किया और उस क्षेत्र में यदि उपज (पैदावार) कम होती तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता। अत: माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि पंचायतों को एक इकाई बनाया जाए। फिर यदि कोई फसल खराब होती है तो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किसान को लाभ मिलेगा। वे प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, परंतु उन्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें भारत की कृषि बीमा कंपनियों से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा हैं

जहां तक मुद्रास्फीति का संबंध है, 24 फरवरी, 2007 को यह 6.1 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष यह 4.2 प्रतिशत थी। यह एक चिंताजनक स्थिति है। चालू वर्ष में गेंहू, दालों, खाद्य तेल, भोजन, सब्जियों और हर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है। जो भी हो, हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि हम मूल्य नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मैं दो-तीन उपाय सुझाऊंगा। सार्वजनिक विवरण प्रणाली को सुदृढ़ करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम मे हमें समाज के निर्धन वर्गों में बहुत-सी अन्य वस्तुओं को वितरित करना हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वायदा बाजार से अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को बाहर करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है।

मैं अंतराष्ट्रीय तेल क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से निपटने के लिए एक स्थिरीकरण कोष की स्थापना के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमें एक स्थिरीकरण कोष की स्थापना करनी होगी और जब भी कोई हस्तक्षेप हो, कोई कमी हो अथवा मांग और आपूर्ति के बीच अंतर आ रहा हो तो, हमें इसे बाजार में बेचना होगा। अत: भारत सरकार को एक स्थिरीकरण कोष की स्थापना करनी होगी।

श्री के.एस. राव : मूल्य स्थिरीकरण कोष।

श्री किन्जरपु येरननायडु : जी हां, मूल्य स्थिरीकरण कोष। केवल तभी हम मूल्यों तथा अन्य चीजों को नियंत्रित कर पाएंगे।

मैं अपने सभी सुझाव दे चुका हूं। बजट पर चर्चा के समय भी मैंने इस देश के गरीब लोगों के हित में कुछ सुझाव दिए थे, जैसे रोजगार में समानता, ताकि उचित तरीके से विकास हो सके। अन्यथा, विकास का कोई अर्थ नहीं है। केवल 20 प्रतिशत लोगों के लिए ही विकास होगा और इस देश के 80 प्रतिशत लोगों को इस विकास के लाभ नहीं मिल रहे है। आपको अपनी नीतियों पर पुनर्विचार तथा उनका पुन:निर्धारण करना होगा तभी स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद देश प्रसन्न होगा, गरीबों को खुशी मिलेगी। इस विकास से सभी को खुशी मिलनी चाहिए, अन्यथा इस विकास का कोई अर्थ नहीं है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक आय तथा विकास पहुंचने चाहिए और तभी देश प्रसन्नचित हो पाएगा।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस वित्त विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए खुश हूं।

सभा तथा इस देश के लोगो से माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम की बुद्धिलब्धि की प्रशंसा की है तथा मैं हमेशा उनकी बुद्धि लब्धि की प्रशंसा करता हूं कि वे वास्तव में आर्थिक सुधारों के साथ देश का नेतृत्व कर सकते हैं। यह इस देश के लोगो की एक बार अभिलाषा थी। लेकिन, आज तीन वर्ष बाद देश के लोग अपने दैनिक जीवन में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तथा हमारे माननीय वित्त मंत्री की बुद्धि लब्धि पर इस देश की आम जनता ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

महोदय, इस सं.प्र.ग. सरकार ने देश की तीन प्रमुख बातों पर जोर दिया है, जो, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, की वास्तव में प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सं.प्र.ग. की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम करने के लिए अनुरोध तथा पत्र लिखने के बावजूद यह दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन उन्होंने एक दृष्टिकोण अपनाया है

तथा इस दृष्टिकोण के परिणाम ने लोगों को भूखा रहने तथा रोने के लिए विवश कर दिया है तथा इस वित्त विधेयक में यह स्थिति है

जहां तक कृषि उत्पादों पर कर लगाने तथा कृषि को बढ़ावा देने की बात है, इस सरकार ने क्या नीतियां अपनाई हैं? यहां तक कि यदि हम सभा में मांग करें तो भी वित्त मंत्री जी देश की आम जनता के हितों में तथा देश के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कराधान में परिवर्तन नहीं लाएंगे।

अतएव मैं उन तरीकों पर बल देता हूं जहां इन संग्रहित करों द्वारा व्यय को पूरा किया जाना चाहिए। व्यय इस प्रकार से बढ़ रहे है। पिछली बार भी मैंने माननीय वित्त मंत्री तथा इस सं.प्र.ग. सरकार से अनुरोध किया था कि यह देश, महान भारत, इस देश के विकास के लिए एकसमान नीति से नहीं चलाया जा सकता है। देश के भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण हैं। वित्त मंत्रालय में हमारे माननीय राज्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि वे देश की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे।

सीमेंट का उदाहरण लें। दिल्ली में सीमेंट काफी सस्ता है। गुवाहाटी सीमेंट की एक बोरी की कीमत 200 रु. से 220 रु. तक है। जब यह नागालैंड पहुंचता है तथा अरुणाचल प्रदेश पहुचता है तो इसकी कीमत बढ़कर 350 रु. हो जाती है। बिना सीमेंट या इस्पात के वे इस देश का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अतएव वित्त मंत्री जी से मेरा यह सविनय अनुरोध है कि समूचे देश के विकास के लिए हमें बजट बनाने तथा कराधान में भी देश के भौगोलिक कारकों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। तटीय क्षेत्र के लोगों की हिमालय क्षेत्र के लोगों से तुलना नहीं की जा सकती है। हिमालय क्षेत्र में व्यय बहुत ज्यादा है। अब सं.प्र.ग. सरकार विशेषरूप से वित्त मंत्री जी एक समान नीति बनाकर मरुस्थल के लोगों, तटीय लोगों, हिमालय के लोगों, तथा इस देश के मुख्य पठार के लोगों को शासित करने की सोच रहे है। अतएव, इस देश के महत्व को देश के भौगोलिक कारणों के माध्यम से देखा जाना चाहिए।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने मुख्यरूप से कृषि पर बोला है। हम इस महान सभा में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे भूख से मर रहे हैं। जब तक कि इस देश में पृथक कृषि बजट नहीं बनता है, हम इस देश की कृषि संबंधी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। रेल बजट की तरह इस देश को किसानों की सहायता करने तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए पृथक कृषि बजट की आवश्यकता है। अतएव, वित्त मंत्री जी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस देश के लिए निकट भविष्य में कृषि संबंधी विशेष बजट बनाया जाय।

अब मैं शिक्षा पर आता हूं। सं.प्र.ग. सरकार द्वारा शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हम दिल्ली की शिक्षा प्रणाली का हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। हम दिल्ली में स्कूलों की अवसंरचना का उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्कूलों की अवसंरचना के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। कई प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां केवल दो क्लास-रुम है तथा उनमे पांच कक्षाएं चल रही हैं। यह सं.प्र.ग. सरकार द्वारा शिक्षा को यह महत्व दिया जा रहा है अतएव, मैं वित्त मंत्री जी से इस क्षेत्र पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। आपने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। बिना शिक्षा के समाज तथा देश का विकास नहीं हो सकता है। यदि सं.प्र.ग., सरकार शिक्षा को अत्यधिक महत्व दे रही है तो इस बात पर गंभीरतापूर्वक सोचना होगा कि जहां दो क्लास रूम है तथा पांच कक्षाएं हैं तो बच्चे हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अतएव मै माननीय मंत्री जी का ध्यान इन स्थानों की इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ताकि शिक्षा प्रणाली की देखरेख की जा सके। अतएव, आपने सर्वशिक्षा अभियान को महत्व दिया है।

जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि दुर्गम स्थानों पर कई स्वास्थ्य इकाइयां बिना चिकित्सक चल रही हैं। कई स्वास्थ्य इकाइयां ऐसी है जहां औषधियां नही मिलती हैं। पूरे देश में दुर्गम स्थानों पर कई स्वास्थ्य इकाइयां ऐसी हैं जहां कोई सुविधाएं नहीं है। यदि सं.प्र.ग. सरकार कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को महत्व दे रही है तो दुर्गम स्थानों पर एकसमान तंत्र फैलने चाहिए ताकि जन सामान्य भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकें।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात मध्यान्ह भोजन की है।

अपराह्न 2.00 बजे

मुझे वास्तव में खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है। उत्तरपूर्व तंत्र तथा विशेषरूप से मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण लें। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना क्या है। वर्षों से, बच्चों को अरुणाचल प्रदेश जैसे दुर्गम राज्य से किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया, दिया जाता रहा है। अतएव, यदि आप इस देश के विकास के लिए तथा नागरिको के विकास के लिए अत्यधिक कर लगा रहे

[श्री तापिर गाव]

है तो आपको विशेषरूप से मध्यान्ह भोजन योजना पर ध्यान देना होगा तथा एक ऐसा तंत्र होना चाहिए ताकि यह देश के दुर्गम स्थानों तक पहुंच सके। अन्यथा, बच्चे हमसे पूछते रहेंगे कि मध्यान्ह भोजन क्या है।

हमारे पास उत्तर पूर्व परिषद है। दसवीं योजना में उत्तर पूर्व परिषद के लिए 3,500 करोड़ रु. विनिर्दिष्ट किए गए थे तथा दसवीं योजना के अंत में 889 करोड़ रु. व्ययगत हो गए। अब हम ग्यारहवीं योजना में हैं। पिछली बार भी मैंने वित्त मंत्री जी से व्ययगत दी गई 889 करोड़ रु. की राशि को गयारहवीं योजना में आगे ले जाने का अनुरोध किया थां तथा सरकार किस प्रकार उत्तर पूर्व क्षेत्र को देख रही है, वह सब प्रश्नचिन्ह है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री तापिर गाव : महोदय अब मैं 'लुक इस्ट' नीति पर आता हूं। इस देश के विकास के लिए कर का संग्रहण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। 'लुक इस्ट' नीति कहां है? सीमा व्यापार नीति कहां है? आप उत्तर पूर्व क्षेत्र का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सीमा व्यापार किस प्रकार करेंगे? अतएव, जब इस देश के विकास के लिए जनसामान्य से इतना अधिक कर संग्रहित किया गया तब आप यह क्यों नहीं देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में 'लुक इस्ट' नीति का क्रियान्वयन इस तंत्र को दक्षिण पूर्व देशों के साथ जोड़ने के लिए किया जा सकता है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तापिर गाव : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री तापिर गाव : महोदय, उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बहुत अधिक महत्व दिया गया हैं क्या माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय पर्यटन मंत्री उस कठिनाई को देखेंगे जिसका सामना अभी उत्तर पूर्व क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन के बीच में रूकावट प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट आर.ए.पी. प्राप्त करने की है। यदि कोई विदेशी पर्यटक उत्तर पूर्व क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे गृह मंत्रालय से प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्राप्त करना होता है। इसमें पन्द्रह दिनों से एकमाह का समय लगता है। यह समस्या है जो विदेशी पर्यटकों के समक्ष आती है तथा सरकार को इस पर ध्यान देना होगा तथा यह बाधा दूर करनी होगी। तभी उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास होगा।

अब मैं अपने अंतिम मुद्दे पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, पर आता हूं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसानो को एक भी विनिर्दिष्ट फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है। अतएव, में अपनी बात समाप्त करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि इस देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र को भी 'लुक इस्ट' नीति के तहत विकसित किया जाना चाहिए ताकि हम मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आशा करता हूं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान दें।

सभापति महोदय : अब श्री अधीर चौधरी। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें तथा अपना भाषण आवंटित समय में समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों आपात स्थिति सहित जब भी आवश्यक हो के लिए प्रावधान करने सहित अगले वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए हमारे कार्यकुशल वित्त मंत्री, श्री पी. चिदमबरम द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह करों का अंनतिम संग्रहण अधिनियम, 1931 की घोषणाओं के अनुसार ही हैं अर्थशास्त्र में हमे संसाधनों के प्रवाह को समझने के लिए मौद्रिक प्रवाहों के पर्दे को छेद कर जाना होगा। सरकार ने भारी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों की घोषणा की हैं खर्च को चुकाने के लिए सरकार को धनराशि की आवश्यकता होती है तथा यह धनराशि देश के लोगों पर कर लगा कर ही प्राप्त की जाएगी।

न्यायमूर्ति होल्म के अनुसार कर वही चीज है जो हम सभ्य अर्थव्यवस्था के लिए देते है। कराधान एक ऐसा महत्वपूर्ण तरीका हैं जिसके जरिए हम अपने वास्तविक स्रोतों को निजी समान से सामूहिक सामान में परिवर्तित करते हैं। इसलिए, एक सरकार कर लगाए बिना नहीं चल सकती है।

लेकिन इस सरकार की नीति की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता

यह है कि वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत की गई घोषणाओं तथा वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वित्त न्यायता बरतने में संतुलन बैठाया है। इसलिए, यह एक बहुत ही जटिल कार्य है तथा हमारे वित्त मंत्री इस श्रमसाध्य कार्य को बहुत ही सक्षम तरीके से कर रहे हैं।

महोदय, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले ही हमारी बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 32.4 प्रतिशत हो चुकी है तथा निवेश दर हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 33.8 प्रतिशत हो चुकी है तथा वृद्धिकारी पूंजी आउटपुट अनुपात चार प्रतिशत दर्ज किया गया है। निःसंदेह, यह हमारी अर्थव्यवस्था में संभावनाओं को दर्शाता है। किंतु मुद्रास्फिति अभी भी एक समस्या है। मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था का खेल बिगाड़ रही है।

इसलिए, माननीय वित्त मंत्री ने अनेक उपायों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। मुद्रास्फीति निरोधी उपाय के रूप में वित्त विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि गैर कृषि उतपादों पर अधिकतम दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाए जिसके पूर्वी-एशियाई राष्ट्रो के अनुपात से इसकी तुलना की जा सके। खाद्य वस्तुओं तथा संबंधित वस्तुओं सहित आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर शुल्क में कमी की गई है। इसके अलावा, सरकार ने आयातित वस्तुओं, जो कि वर्तमान में उपयोग के लिए आवश्यक हैं, पर से भी शुल्क में कमी की गई है। मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय के रूप में सरकार ने सभी कमोडिटी एक्सचेंजों में गेहूं तथा चावल के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है।

महोदय, यह बहुत ही उत्साहवर्धक बात है कि यह पहली बार है कि प्रत्यक्ष कर की भागीदारी पांच प्रतिशत हो गई है जबकि अन्य प्रमुख विकासशील क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का छह से सात प्रतिशत के बीच में रहती है। जबकि भारत में वैयक्तिक आयकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत, निगम कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है। वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय कर में प्रत्यक्ष कर की भागीदारी 19.1 प्रतिशत थीं। अब यह 47.6 प्रतिशत है।

सेवा कर बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया है। उद्योग कर 27 प्रतिशत रहा हैं तथापि कृषि वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत के आसपास ही है।

महोदय, इस वित्त विधेयक की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार हमारी कर प्रणाली से राजस्व उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है ताकि राजस्व में सतत् वृद्धि बनायी रखी जा सके। सरकार गलतबयानी को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है तथा पूरे राष्ट्र में बाजार सृजन कर रही है। सेवा कर में राजस्व उत्पादकता में वृद्धि होने का आज सेवा कर के अंतर्गत और अधिक सेवाओं को लाया जाना है। तथापि अभी भी रेलभाड़ा तथा मालभाड़ा सेवा कर के दायरे से बाहर है।

वर्ष 2001-02 से प्रत्यक्ष करों से राजस्व उत्पादकता में आशातीत सुधार हुआ है जो कि साफ दिखाई दे रहा है।

वैयक्तिक आयकर तथा निगम कर के रूप में अच्छा संग्रहण होने से प्रत्यक्ष करों से राजस्व में औसत वृद्धि 26.6 प्रतिशत रही। वैयक्तिक आयकर में अब 20.6 प्रतिशत भी वृद्धि दर्ज की गई है जबकि निगम कर में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001-02 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत थी लेकिन 2006-07 में सतत् रूप से यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई। कर प्रशासन में सुधार के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कर राजस्व की बढ़ोत्तरी में सक्षम कर प्रशासन एक अहम भूमिका निभाता है। इसी बावत, सरकार ने अपने कर सूचना नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा डिपोजिटरी को सौंपा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका असर राजस्व उत्पादकता को बढ़ाने में दिखाई दिया हैं

तथापि, जहां तक उत्पाद शुल्क का संबंध हैं, मेरा मानना है कि अभी भी हमारी प्रणाली उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। इसका कारण मुझे पता नहीं है। मंत्रीगण यहां पर हैं उनके पास इसका बेहतर उत्तर होगा।

महोदय, वर्ष 2006-07 में संग्रहित किए जाए जाने वाले अनुमानित करके 2,29,007 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 2,67,175 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। वैयक्तिक आयकर दाता स्वैच्छिक रूप से अपने कर भुगतान कर रहे हैं क्योंकि कर दरे कम हैं। अब, सभी करदाताओं को अपना कर अदा करके खुशी मिलती है। यही कारण है यह सरकार देश में कर का जाल वर्ष दर वर्ष बढ़ाती ही जा रही है। यह आम तौर पर माना जाता है कि हमारी कर प्रणाली दो सिद्धांतों के अंतर्गत बनाई गई है। एक ओर यह लाभ सिद्धांत पर आधारित है तथा दूसरी ओर कर देने की क्षमता में सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उच्च आम समूहों से प्राप्त आय को समाज के गरीब तबके के लोगों की आय बढ़ाने में व्यय करना चाहिए ताकि उनके उपभोग स्तर में वृद्धि हो सके।

[श्री अधीर चौधरी]

यहां मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आयकर अधिनियम की धारा 40 क(3) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें खरीद सहित क्रास चैक अथवा क्रास्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त 20,000 रुपये से अधिक की अदायगी पर 20 प्रतिशत व्यय बंद करने का उपबंध किया गया है। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 में इस आवश्यकता को 13 जुलाई, 2006 से संशोधन किया गया है तथा यह व्यवस्था की गई है कि क्रास चैक या अकाउंट पेयी चैक या अकाउंट पेयी ड्राफ्ट को क्रास ड्राफ्ट से प्रतिस्थापित किया जाए। वित्त विधेयक 2007 में डिसएलाउंस को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया हैं समस्या यहीं है क्योंकि आगे यह पता चलता है कि धारा 40क (3) का उपबंध एक तरफा हैं जिसके तहत विक्रेताओं को 20,000 रुपये से अधिक नकद लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कुछ असंगत जान पड़ता है क्योंकि क्रेताओं और विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी भी कराधान प्रणाली का यही मुख्य सिद्धांत होता है। जिसका यहां भी पालन किया जाना चाहिए।

मैं दो या तीन सुझाव देना चाहूंगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हो गया है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : हम जानते हैं कि एन.आर. ई.जी.ए. देश में एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत इस वर्ष 12,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। गत वर्ष यह लगभग 11,300 करोड़ रुपये था जो कि 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, इस योजना का विस्तार 200 जिलों से बढ़ाकर 300 जिलों में कर दिया गया है जिसका अर्थ हैं कि 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महोदय, इसी प्रकार सरकार को एन.आर.ई.जी.एस. कार्यक्रम को विशेष महत्व देना चाहिए ताकि मांग आधारित निधि की आड़ में एन. आर.ई.जी.एस कार्यक्रम की महत्ता को कम न किया जा सके।

महोदय, हम जानते हैं कि भारत में अनेक राज्यों तथा जिलों में आज औद्योगिकीकरण का दौर चल रहा हैं लेकिन अभी भी हमारे देश में 200 ऐसे जिले हैं जिन्हें पिछड़ा माना गया है तथा 25 क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र माना गया है। इसलिए, जबकि औद्योगिकीकरण देश के कुछ भागों में परिपक्व हो रहा है, तो देश का बड़ा भाग औद्योगिकीकरण से अछूता रहा है।

जहां तक रूग्ण उद्योगों का संबंध है, मेरा सरकार से निवेदन है कि जो लोग नए उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं अथवा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस देश में आज भी 60 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका कृषि क्षेत्र में जूट, दूध तथा चाय से प्राप्त कर रहे हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि लाखों लोगो को अपनी आजीविका इस क्षेत्र से अर्जित कर रहे हैं का भी उचित ख्याल रखा जा सके।

जहां तक विशेष आर्थिक क्षेत्रों का संबंध है, महोदय, आप भी जानते है कि एस.ई.जेड. स्थापित किए जाने के संबंध में बहुत अधिक हंगामा एवं शोरशराबा हुआ हैं। पश्चिम बंगाल में नन्दीग्राम पहले ही केन्द्र बिंदु रह चुका है जहां पर सरकार ने किसानों से भूमि प्राप्त करने के लिए दमन की नीति अपनाई। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक आर्थिक कार्यक्रम हैं इसलिए किसी भी एस.ई.जेड.को. स्थापित करने के पहले यह आवश्यक हैं कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को विश्वास में लिया जाए। ऐसा कर हम हत्या, हो हल्ला एवं हिंसा से बच सकते हैं। अभी भी नंदीग्राम हिंसा के दौर से गुजर रहा है तथा बलात्कार एवं हत्याएं हो रही हैं।

जहां तक रेशम का संबंध हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह एस.ई.जेड. के संबंध में ही हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे प्रिय मित्र, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। हमें वित्त विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी करनी है।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष अथवा कोई अनिवासी भारतीय अथवा कोई औद्योगिक संस्थान यदि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा दृष्टिहीन लोगों के पुनर्वास हेतु कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगो को आयकर में छूट दी जानी चाहिए।

महोदय, संपग्र सरकार का आर्थिक कार्यक्रम, हमारे आर्थिक कार्यक्रमों का काफिला आगे बढ़ता ही जा रहा है, चाहे इसके मार्ग में कुछ भी बाधा आए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : मैं आपके माध्यम से दो-तीन सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। अच्छा होगा कि जब वे उत्तर दें तो इन सुझावों पर प्रकाश डालें। बजट अभिभाषण में माननीय मंत्री जी ने देश की खनिज संपदा विशेकर आयरन ओर और क्रोमाइट, इन दो आइटमों पर ड्यूटी लगाई थी। क्रोमाइट पर प्रतिटन, जो एक्सपोर्ट होगा, उस पर 3000 रुपए और आयरन ओर पर 200 रुपए ड्यूटी लगाई थी। हम इसे सही कदम मानते हैं। देश की खनिज संपदा विशेकर आयरन, क्रोमाइट या बॉक्साइट लगभग 60 प्रतिशत विदेश जाता है, वहां से वैल्यू एडेड होता है और फिर हमारे देश में रियूटिलाइज होता है। सरकार ने देर से ही सही लेकिन सही कदम उठाया, धीरे-धीरे इस पर रोक लगाने के लिए अच्छा कदम उठाया। लेकिन उसमें हमारे दो सुझाव हैं। अभी-अभी कुछ सूचना मिली है कि सरकार माइनिंग लॉबी के दबाव में आकर उस पर कुछ क्वान्टिफाई करना चाहती है, आयरन का ग्रेडेशन करना चाहती है। हमारा कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर अंदर आपकी कुछ प्लानिंग है तो यह अच्छा नहीं होगा। आपने अच्छा काम किया है, इसलिए उसमें फिर कंफ्यूजन पैदा मत करो। किसी लॉबी के वेस्टिड इनटरैस्ट के दबाव में यह डाइल्यूट नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सारी ड्यूटीज आप इकट्ठी करेंगे, यह प्रदेशों की सम्पत्ति है, केन्द्र सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। प्रदेश उसका एनवॉयरनमैन्टल बर्डन लेता है। प्रदेश उसके सारे झमेले लैन्ड एक्यूजिशन से लेकर लॉ एंड ऑर्डर आदि की प्रॉब्लम झेलता है। क्या भारत सरकार उसकी चिंता कर सकती है। क्रोमाइट और आयरन पर 90 प्रतिशत ड्यूटी असैस करके ज्यादा लाभ वह प्रदेश लेने वाला है, जिस प्रदेश से मैं आता हूं। विशेषकर भारत के तीन-चार गरीब प्रदेश जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या कर्नाटक उसका लाभ ले सकते हैं। प्रोडयूसिंग स्टेट को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये स्पेसिफिक सुझाव मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि जो ड्यूटी आप इकट्ठी करने वाले हो, उसका 90 प्रतिशत आपको प्रोडयूसिंग स्टेट को देना चाहिए।

दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं कि कई सालों से माइनिंग आइटम्स की स्टेचुटरी रॉयल्टी बढ़नी चाहिए। संघीय व्यवस्था में हम सभी विश्वास करते हैं। लेकिन संघीय व्यवस्था की आड़ में प्रदेशों में अर्थ नीतिक अपेक्षा को दबाना लंबे समय तक जायज नहीं है। जो कमायेगा, जो जहां से उपजायेगा, भगवान ने, प्रकृति ने जिसे जहां दिया है, अगर वहां के लोग गरीबी में रहते हैं तो उसका संतुलन ठीक नहीं रहेगा। अगर हम इसे एक मैच्योर डेमोक्रेसी कहते हैं तो उसमें एक समय पर बैलेन्स डवलपमैन्ट के लिए इसका संतुलित वितरण भी होना चाहिए। काफी दिनों से विशेषकर कोयला के बारे में हम कहना चाहते हैं कि रॉयल्टी का रिवीजन आपने नहीं किया है। आज इस फाइनैन्स बिल की चर्चा की आड़ में हम आपके समक्ष मांग रखना चाहते हैं कि क्या आप कोयले की रॉयल्टी का रिवीजन करेंगे? क्या उसका एक समय निर्धारित रिवीजन हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो प्रोडयूसिंग स्टेट को लाभ मिल सकता है। आपके माध्यम से इन्हीं दो-तीन सुझावों को रखते हुए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित छः या सात विशेष मुद्दों की बात करूंगा और ये मुद्दे अखिल भारत के लिए इतने विशेष नहीं हैं

मैं अपनी बात महंगाई से शुरू करूंगा। दुर्भाग्यवश, कीमतों में बढ़ोत्तरी सभा में हम सभी के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मूल्य सूचकांक में पूरे भारत में बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने का जिम्मा मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय का होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन पर वित्त मंत्रालय का भी कोई नियंत्रण नहीं था। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर के कीमतों में बढ़ोत्तरी का कारण आंशिक रूप से रेल मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के आने वाले खाद्यान्नों तथा पूर्वोत्तर से बाहर जाने वाले उत्पादों के लिए दी गई 6 प्रतिशत की कटौती को वापस लिया जाना है। रेल भाड़े पर इस कटौती को वापस लिए जाने के कारण पूर्वोत्तर में कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। यह एक पहलू है जिसे वित्त मंत्रालय को रेल मंत्रालय के साथ मिलकर समन्वित करना होगा।

इसी तरह, विभिन्न वक्ताओं ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर बंगाल में चाय उद्योग को दी जाने वाली राहत की बात की। बंगाल तथा पूर्वोत्तर विशेष रूप से असम और त्रिपुरा में चाय उद्योग में भारी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और वे अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरह से चाय उद्योग पर निर्भर रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, कई कारणों से चाय उद्योग में धीरे-धीरे कमी आ रही है और कई चाय

[श्री किरिप चालिहा]

बागान रुग्ण हो गये हैं। कई चाय उद्योग बंद हो गए है जिससे काफी बेरोजगारी हो गई है।

अब उन्हें एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय इस बाबत अनेक राहत प्रदान कर रहा है परंतु मैं समझता हूं कि उन्हें तब तक पर्याप्त सहायता नहीं मिल पायेगी जब तक हम पूर्वोत्तर राज्यों के चाय उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज प्रदान नहीं करेंगे।

साथ ही हमें पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा। उत्तराखण्ड के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें वहां के किसानों को एक साल में अलग-अलग फसल उगाने के लिए, अपने फसल पैटर्न को बदलने के लिए काफी राजसहायता दी गई है। यह योजना उत्तराखण्ड के किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस मामले पर माननीय कृषि मंत्री से बात करने तथा कुछ अच्छी धनराशि संस्वीकृत करने का अनुरोध करूंगा ताकि उत्तराखण्ड की भांति ही पूर्वोत्तर राज्यों हेतु वैसी ही योजना कार्यान्वित की जा सके।

मैं पूर्वोत्तर से मेरे साथियों द्वारा उठाए गए मुद्दों में कुछ बाते जोड़ना चाहूंगा उन्होंने न केवल पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए बल्कि पूर्वोत्तर विशेष अथवा दक्षिण विशेष अथवा क्षेत्रीय विशेष के नजरिये से वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में बात की क्योंकि ऐसी कई समस्याएं हैं जो दिल्ली में महानगरों में, मुंबई में, चैन्नई में, तथा कोलकाता में एक विशेष अनुपात में हो सकती हैं परंतु पूर्वोत्तर में ये एक अलग आयाम ले सकती हैं। मै केवल एक छोटी सी बात पर विचार करूंगा।

पूर्वोत्तर में केवल 10 प्रतिशत पक्के मकान हैं तथा लगभग 15 प्रतिशत कच्चे मकान हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आवास क्षेत्र का विकास किए बिना तथा उन्हें देश के अन्य राज्यों के बराबर लाए बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना करना बेईमानी होगा। दुर्भाग्यवश महानगरो में आवास क्षेत्र ने एक विशेष रूझान दिखाया है जिसके कारण केन्द्र को लाभों में कुछ कमी करनी पड़ी है। यह कमी कर दी गई है और यह एक सराहनीय कदम भी है। मै समझता हूं कि यह सुनिश्चित करना सही होगा कि आवासों की कीमतों, जो महानगरों के आवासीय क्षेत्र में बढ़ रही हैं को कम किया जाए। परंतु इससे पूर्वोत्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम महसूस करते हैं कि जबकि हम महानगरों अथवा देश के अन्य क्षेत्रों में आवास क्षेत्र पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं ताकि आवास क्षेत्र का उचित रूप से विकास हो। साथ ही विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजसहायता देना जरूरी हो जाता है।

इसके संबंध में मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक या दो कर रियायतों अथवा उपायों से पूर्वोत्तर में दुष्परिणाम निकलता है। मैं विशेष रूप से सीमेंट का उदाहरण देता हूं। सीमेन्ट पर उत्पाद शुल्क को 600 रुपये तक बढ़ाया गया है। उस सीमेन्ट के लिए जो देश के अन्य भागो, मध्य प्रदेश और राजस्थान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है, चूंकि उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। पूर्वोत्तर में सीमेंट का मूल्य बढ़ गया है। देश के केन्द्रीय भाग में स्थित फैक्ट्रियों के सीमेन्ट की कीमतें बढ़ गई है। अब वित्त मंत्री जी ने ऐसी सीमेन्ट फैक्ट्रियों के लिए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है जहां अधिकतम खुदरा मूल्य 190 रुपये अथवा 195 रुपये है पूर्वोत्तर में उदाहरण के लिए असम में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो 190 रुपये से कम पर सीमेन्ट का उत्पादन करके बेच रही हैं क्योंकि उत्पाद शुल्क को 600 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। उन्होने सीमेन्ट के मूल्य बढ़ा दिए हैं और आज पूर्वोत्तर में स्थानीय रूप से निर्मित सारे सीमेंट का मूल्य देश के अन्य भागों में सीमेंट निर्माण फैक्ट्रियों के सीमेंट के मूल्य के बराबर 225 रुपये हो गया है। ढुलाई की लागत के जुड़ने से सीमेंट के मूल्य बढ़ गए हैं। इससे जुड़े असम के जो भी उद्योग कार्यरत हैं उन्हें पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के लाभों के कारण उत्पाद शुल्क की छूट मिलती है; इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि उन्हें इस उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति हो जाती है? इससे सीमेन्ट फैक्ट्रियों के मालिकों को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ की भरपाई होती है। वे कर लाभ के रूप में भारी मुनाफा कमा रहे हैं परंतु आम आदमी के लिए सीमेंट का मूल्य 225 या 230 रुपये ही है। अत: यदि कर में छूट तथा कर का लाभ केवल उद्योगपतियों को ही मिलता है तो यह सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इस दिशा में एक प्रकार का संतुलन बन सके ताकि कर अथवा उत्पाद कर का लाभ आम आदमी को मिले न कि उद्योगपतियों को। दुर्भाग्यवश ये लाभ उद्योगपतियों को मिल रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। मेरे विचार से वित्त मंत्री जी को इस पहलू पर गंभीर रूप से विचार करना होगा।

मैं यह सुझाव दूंगा कि अन्य फैक्ट्रियों से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आने वाले सीमेन्ट के लिए कतिपय रियायतें अथवा ढुलाई संबंधी राजसहायता दी जानी चाहिए तथा पूर्वोत्तर में निर्मित सीमेन्ट के मूल्य को 190 अथवा 195 रुपये से अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिए। कोई सीमा निर्धारित

की जानी चाहिए। गरीब लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। एक बेईमान व्यावसायिक घराने को इसी तरह के लाभ देने का यह एक चर्चित मामला है।

मैं एक विशेष मामले "पान मसाला" की बात करता हूं। तम्बाकू वाले अथवा तंबाकू रहित पान मसाला उत्पादों को भारी छूटें दी जा रही हैं जैसाकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की पुरानी 1997 की औद्योगिक नीति में निहित है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तम्बाकू वाला पान मसाला एक कार्सिनोजेथिक उत्पाद है और इससे कैंसर हो सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र एक कैंसर प्रवण क्षेत्र है। तत्कालीन सरकार ने प्रारंभ में पान मसाला उत्पादों, जिसमें तम्बाकू युक्त पान मसाला शामिल नहीं था पर रियायत प्रदान की थी। लेकिन एकाएक, तत्कालीन सरकार ने अपने इस निर्णय को बदल दिया जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी गई। मुझे पिछले मंत्रालय के इस निर्णय में घोटाले की बू आ रही है। मैं तत्कालीन सरकार की स्थिति उद्धृत करूंगा। सरकार ने स्वयं कहा था:

"कि सिगरेट तथा तम्बाकू से बने अन्य उत्पादो के संबंध में छूट देने के लिए वर्ष 2000 की अंतिम तिमाही में एक व्यापक समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार के विनिर्माताओं को आवांच्छित लाभ केन्द्र द्वारा छोड़े गए वित्तीय राजस्व से राज्य को मिलने वाले लाभ के असंगत है। अत: सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया गया था कि आगे से इस छूट को समाप्त कर दिया जाए जिससे इस उद्योग का कार्यकरण पूरा खराब हो गया है। सार्वजनिक हित में उक्त अधिसूचना जारी की गई और इससे तंबाकू तथा तम्बाकू से बने उत्पादों को दिए गए लाभ वापस ले लिए गए।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सार्वजनिक हित में कई घटकों को ध्यान में रखा गया है चूंकि तम्बाकू से बने उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं यह पता चला था कि स्थापित इकाइयों से अपेक्षित संख्या में रोजगार का सृजन नहीं हो पाया।"

महोदय, इन उद्योगों से रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पेदा हो गए और इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि ये लाभ वापस ले लिए जाने चाहिए। अति हानिकर तरीके से भाजपा सरकार ने एक बार फिर इन बेईमान उद्योगों को ये लाभ प्रदान कर दिए। महोदय इसमें निसंदेह कोई घोटाला है तथा इसके फलस्वरूप इन उद्योगों को करोड़ो रुपयों के कर लाभ मिले। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तंबाकू वाले अथवा तम्बाकू रहित पान मसाले के इन उद्योगों को राज सहायता तथा कर लाभ इस दलील पर मिले कि उन्हें पुन: कर लाभ दिए जाएं ताकि वे नए उद्योग लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अपने विलम्बन शुल्क का उपयोग कर सकें।

जिन नए उद्योगों का उनके द्वारा विकास किया जाना था वे पुन: पान मसाला उद्योग बन गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन उद्योगों से 100 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है। वास्तव में इन्होने सिर्फ पैकेजिंग की है। कुछ मामलों में यह बात प्रकाश में आई है कि इन्होने सिर्फ 'मेड इन असम' लिखा है जिससे कि वे लाभ प्राप्त कर सकें और इसके परिणामस्वरूप 2000 करोड़ रुपये की कर संबंधी बड़ी धांधली हुई है। ऐस्क्रो अकांट को दी गई इस सरकारी धनराशि को वापस लिया जाना चाहिए।

मुझे यकीन है कि वित्त मंत्री को इस मामले के ब्यौरे की जानकारी है। उन्होने तंबाकू युक्त अथवा तंबाकू रहित पान मसाले के दिए जाने वाले लाभ को वापस लेकर बहुत सही कदम उठाया है। हम जानते हैं कि धनराशि असम और पूर्वोत्तर से ज्यूरिख के बैंकों में चली गई है। इस धनराशि का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। यदि आप सहयोग नहीं करेगें तो हम कार्य समाप्त कैसे कर सकते हैं?

श्री किरिप चालिहा : महोदय, श्री चिदम्बरम सबसे योग्य वित्त मंत्रियों में से एक हैं। वह अर्थव्यवस्था का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। परंतु आर्थिक सुधारों को शुरू करने वाले और ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैं मानवीयता पूर्ण आर्थिक उदारीकरण का जनक मानता हूं, वह यह कहते हैं कि वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने वाले पूंजीवाद में वृद्धि हुई हैं तो हमें इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार होना होगा और इस पर विचार करना होगा कि क्या हो रहा है। मेरा दृढ़ मत है कि कुछ पूंजीपति और बड़े व्यावसायिक घराने विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहे हैं परंतु वे आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते हैं। कुछ करोड़ रुपयों के लिए अपने परिवार में, अपने भाइयों, पिता और पुत्रों से लड़ने वाले बड़े व्यावसायिक घरानों पर कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि वे इस देश में गरीबों और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लाखों करोड़ो व्यक्तियों के लिए कुछ करेंगे। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इन मुद्दों का निपटारा करेंगे और जो कुछ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसपर ध्यान देंगे।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2007-08 के केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं।

वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि वित्त विधेयक में केंद्र सरकार के कराधान प्रस्तावों से संबंधित विभिन्न संशोधन सम्मिलित होते है। कोई व्यक्ति बजट से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में विस्तार से बता सकता है परंतु वित्त विधेयक भारत सरकार के कराधान संबंधी मुद्दों और प्रस्तावों तक ही सीमित रहता है। अब इस संबंध में मैं इस वित्त विधेयक को देखता हूं कि आयकर विधियों, संपत्ति कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर और विविध करों सहित विभिन्न कराधान विधियों में 132 संशोधन किए गए थे। अब इन संशोधनों में खामियों की अपेक्षा अधिक गुण हैं और इसलिए मैं इस वित्त विधेयक की प्रशंसा करता हूं क्योंकि यह इस देश में समानता के साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि यह वित्त विधेयक गत तीन वर्षों में सं.प्र.ग. सरकार द्वारा पुरःस्थापित विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों के क्रम में है। अब हम इन वित्तीय प्रस्तावों के परिणामस्वरूप देश में लाभप्रद कर प्रणाली बनाने में सफल हुए हैं और हम सभी को इस देश में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के अनुरूप लगातार अनेक कर सुधार लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करनी चाहिए। उदाहरणार्थ, उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के विभिन्न करों की दर को घटाया है और उन्होंने ऐसा करके देश में कर का भुगतान सुनिश्चित कराया है। लोग कहा करते थे कि खीर का स्वाद खीर को खाने से ही पता चलेगा। अब वित्त मंत्री जी द्वारा किए गए व्यापक उपायों के परिणामस्वरूप आज देश में राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ अब देश में सकल कर राजस्व में पहले तीन वर्षों में 19.9, 20 और 27.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। जीडीपी में कर के अनुपात में वर्ष 2003-04 में 9.2 से 2006-07 में 11.4 तक वृद्धि है। छह वर्षों पूर्व वर्ष 2001-02 में राज्यों का निवल कर राजस्व केवल 1,33,532 करोड़ रुपये था परंतु वर्ष 2007-08 में कर प्राप्तियों के 44,03,877 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भारत के वित्त मंत्रालय के इतिहास में हमनें राजस्व में इतनी वृद्धि कभी नहीं देखी हैं। राजस्व में इतनी वृद्धि इस सरकार द्वारा किए गए नवीन उपायों से हुई है।

तीन वर्षों पूर्व सत्ता में आने पर संप्रग सरकार ने कर के संबंध दो या तीन महत्वपूर्ण सुधारों का वादा किया था। संप्रग सरकार ने वादा किया था कि कर की दरें स्थिर रहेंगी और विकास अनुपालन एवं निवेश में सहायक होंगी। इसलिए, संप्रग सरकार ने कराधान के चार उद्देश्यों और साथ ही सरकार के वित्तीय उपायों की पहचान की। जब हम गत तीन वर्षों पर नजर डालते हैं तो देख पाते है कि संप्रग सरकार ने राष्ट्र के प्रति अपने वादे को निभाया है। उदाहरणार्थ, देश में कर की दरें, जब हम 20 वर्षों के कर संबंधी अध्ययन पर गौर करते हैं, तो आप कर की दरों में बार-बार होने वाले परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि पहले वर्ष में, 25 प्रतिशत, अगले वर्ष यह 40 से 45 प्रतिशत हो सकती है और अगले वर्ष यह घट भी सकती है। पिछले वर्षों में काफी उतार-चढ़ाव होता रहा था परंतु अब, गत तीन वर्षों में दरें स्थिर रही हैं और जहां कहीं दरें अधिक हुई हैं उन्हें घटाया गया है और इसलिए कर प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित की गई है।

कर सुधार का दूसरा उद्देश्य यह रहा है कि कर देश में विकास प्रणाली को प्रेरित करेगा। आप इस बात से सहमत होंगे कि गत तीन वर्षों में सं.प्र.ग. सरकार विकास दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.2 प्रतिशत करने में सफल रही है और विशेषकर सामंजस्य, स्थिर दरों और कम दरों की आवश्यकता वाले विनिर्माण क्षेत्र ने देश में कर प्रणाली के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसलिए, विनिर्माण क्षेत्र ने गत पांच वर्षों में 13.3 प्रतिशत की अभूतपूर्व दर से विकास किया है और सेवाक्षेत्र उच्च दर पर विकास कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप हम 9.2 प्रतिशत की अभूतपूर्व विकास दर को प्राप्त कर सकेंगे जो कि इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही सकारात्मक की नीति का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, निम्न और स्थिर दरों के कारण करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। करदाताओं में कर से बचने की प्रवृत्ति नहीं है और कर अपवंचन की मात्रा में कमी आई है और इस कर प्रणाली में कर दाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अंतः, कर की दरों ने बचत करने के साथ-साथ निवेश करने की प्रवृत्ति भी बढ़ा दी है जिसके परिणामस्वरूप आप देश में निवेश जीडीपी का लगभग 33.8 प्रतिशत है। ये सब वे सकारात्मक पहलू हैं जो हम एक वित्त विधेयक में देखते हैं।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक को राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के अनुरूप तैयार किया गया है। हमने जिन करों को राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम में निर्धारित किए हैं उनमें से अनेक करों का वित्त विधेयक में अनुपालन किया गया है। यह भी केलकर समिति द्वारर सुझाव नए

कर सुधार के उपायों के अनुरूप है। इसलिए, पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह वित्त विधेयक हमारे द्वारा शुरू की गई कर प्रणाली के बिल्कुल उपयुक्त है।

वित्त विधेयक का गुणों में से एक खंड-छह से संबंधित है जिसके अनुसार आपदा राहत के मामले में हम कर लगाया करते थे परंतु अब वित्त विधेयक इनके करों से छूट प्रदान करता है और इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों को लाभ होगा? इस विधेयक का अन्य गुण है यह है कि मनी मार्केट फंड और लिक्विडिटी फंड के लाभांश वितरण पर कर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है बैंक जमा राशि पर आयकर सीमांत कर के दर स्तर पर है, इसलिए कर ढ़ांचे ने बड़े नेटवर्क वाले व्यक्तियों और कंपनियों में बैंक जमा की अपेक्षा म्युचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित किया। यह प्रस्ताव जमाराशियों को जुटाने हेतु मनी मार्केट फंड और यूनिटों के लिए एक समान आधार की दिशा में एक कदम है। क्योंकि बैंकों से पैसा निकलना आय नहीं है जिसे आय कर दायरे के अन्तर्गत रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया बहुत बोझिल है और यदि कोई कर से बचना चाहे और इसे ब्लैक अकाउंट आदि में ले जाना चाहे तो वह ऐसा अब भी कर सकता है। इसका कारण यह है कि यदि एक व्यक्ति के चार अलग-अलग बैंकों में खाते है और वह एक दिन में प्रत्येक बैंक से 45000 रुपये निकालता है तो वह कर का भुगतान किए बिना 2,00,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। इसलिए, यह अकुशलता की स्थिति उत्पन्न करने के अतिरिक्त बहुत अधिक बोझिल प्रक्रिया की भी स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए इसकी समीक्षा की जाए।

जब हम सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर आते हैं, तो केलकर समिति द्वारा दो महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। एक है- स्लेबों की संख्या को घटाकर तीन कर दिया जाए किंतु हमें अभी भी बहुत सारी स्लैब मिलती हैं जो कि करारोपण करने वाले अधिकारियों को बहुत से विवेकाधिकार देती हैं। अतएव, मैं माननीय वित्त मंत्री से वर्तमान पांच या छह स्लैबों को घटाकर तीन स्लैब करने के लिए अभी भी नई तर्ज पर सोचने का अनुरोध करूंगा।

केलकर समिति की दूसरी सिफारिश यह है कि हमें क्रमशः विशिष्ट दरों से यथामूल्य शुल्कों की ओर बढ़ना चाहिए। परनतु वित्त विधेयक में किए गए प्रस्तावों से हम यह पाते हैं कि हम यथामूल्य शुल्कों की अपेक्षा विशिष्ट दरों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं यहां दो उदाहरण दे सकता हूं। लौह अयस्क पर जो उत्पाद शुल्क लगाया गया है वह 300 रु. प्रति टन पर संकेन्द्रित है और क्रोमियम अयस्क पर वह 2000 रु. प्रति टन है। सीमेंट पर उत्पाद शुल्क पर दोहरी दरों को देखें तो पहले यह 400 रु. प्रतिटन थी और अब यदि खुदरा मूल्य 190 रु. प्रति बोरी से कम है तो यह 350 रु. प्रति टन होगी और यदि खुदरा मूल्य 190 रु. प्रति बोरी से अधिक है तो यह 600 रु. प्रति टन होगी।

पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में, राजस्व संवर्धन के हित में बेहतर होगा कि सरकार मूल्यानुसार शुल्कों के स्थान पर विशिष्ट दरों की ओर चले, यद्यपि दरें घट गई हैं जिससे कीमत नियंत्रण की भावना आएगी। किन्तु यदि आप मूल्यानुसार शुल्क की ओर चलते हैं तो जब भी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होगी तो राजस्व में काफी उतार-चढ़ाव होगा। अतएव, हमें मूल्यानुसार शुल्कों के स्थान पर विशिष्ट दरों की ओर अधिक बढ़ना चाहिए। मुझे वित्त विधेयक में ये कुछ कमियां मिली है किंतु मैं अपने संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित दो मुद्दों को भी शामिल करना चाहूंगा जो हमारे दिमाग में काफी देर से उठ रहे है और जिन पर वित्त मंत्री जी से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

एक मुद्दा पुदुच्चेरी को बी-2 शहर का दर्जा देने का है। ग्रह मंत्रालय तथा अन्य सभी ने सिफारिश की है कि पुदुच्चेरी को जिसमें इतनी अधिक गतिशीलता है, बी-2 दर्जा दिया जाना चाहिए। किन्तु यह अभी भी 'सी' वर्ग का शहर है, जिस तरह का दर्जा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के एक गांव को दिया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के एक गांव को गतिवान पुदुच्चेरी शहर के समकक्ष रखा गया है। यह एक राजधानी है और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय पुदुच्चेरी का दर्जा 'सी' से बढ़ाकर 'बी-2' करके एक मानार्थ छूट देने में सक्षम होगी।

अंत में, सरकार को बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए शक्तियों के हस्तांतरण के आधार पर पुदुच्चेरी को संसाधनों के हस्तांतरण किए जाने के बारे में भी सोचना चाहिए। इस समय, पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र वित्त आयोग से अनुदानों या संसाधनों के हस्तांतरण का हकदार नहीं हैं। इसे वित्त मंत्री जी द्वारा दूर किया जाना चाहिए।

इन कुछ प्रस्तावों के साथ मैं वित्त विधेयक की सराहना करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय आपने मुझे आज बोलने का यह अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[श्री तथागत सत्पथी]

हमारा संविधान कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक और समाजवादी देश हैं। देश इसके लिए प्रतिबद्ध है। सभा के उस पक्ष में बैठे लोग हमेशा 'इंडिया शाइनिंग' की आलोचना करते है। किंतु अब हमें अपने प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जब हम अपने संसदीय क्षेत्रों का दौरा करते हैं, हम देखते हैं कि आज भारत में आम आदमी गरीब आदमी किस प्रकार बढ़ती मुद्रास्फीति से पूर्णतया निःशेष, दमित, और कुचला हुआ हैं। पेयजल की भारी कमी है। यहां लोगों को दो वक्त का भोजन नहीं मिलता और हम इस वातानुकूलित सभा में बैठे है। और हम सभी भारत में हिस्सों में बंटे हुए समाज के सृजन में सहायता कर रहे हैं।

महोदय, आप वामपक्ष का एक हिस्सा है, आप हमारे मार्गनिर्देशक है। और आपको हमें मार्ग दिखाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष का बजट या यहां तक कि कराधान पर यह वित्त विधेयक वास्तव में ऐसे अंत की ओर लक्षित है, जहां लाभ आम आदमी तक पहुंचेंगे। हम जीडीपी में आठ प्रतिशत और नौ प्रतिशत की वृद्धि की बात करते है। क्या यह करों के संग्रहण में झलकता है? मेरे शक होता है। वित्त मंत्री जी को बहुत सक्षम माना जाता है। किंतु यदि हम वास्तव में देखें तो गत तीन वर्षों के दौरान मुद्रा स्फीति ने भारत के आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। एक ओर यह दावा किया जाता है कि हमारा कर संग्रहण तंत्र सर्वाधिक लागत प्रभावी माना जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह सर्वाधिक कुशल तंत्र है। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री निरंतर प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहे है। अतः सरकार के दो शीर्ष पुरुषों के मध्य विचारों का वैभिन्नय दर्शाता है कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि इस देश में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। हर कोई हवा में उड़ रहा है। यही कारण है कि आज आम आदमी परेशान है।

सरकार के तौर पर आपने करों के भुगतान को एक आकर्षक प्रस्ताव नहीं बनाया है। इस देश में कर दाता को अपराधी माना जाता है। चाहे व्यक्ति हो या निगम आपने उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जिससे वह कर देने के लिए आगे बढ़े। हम सेवाओं और उत्पादों पर कर, शुल्क उपकर आदि लगा रहे है, यह सरकार जो भी निर्णय लेती है वह आम आदमी पर पड़ता है और आम आदमी को भुगतना पड़ता है। गरीब आदमी मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों का सीधा शिकार होता है।

यह सरकार दावा करती है कि वे इंस्पेक्टर राज समाप्त करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा विचार है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने आम आदमी वास्तव में इंस्पेक्टर राज का शिकार हैं। कौन सा इंस्पेक्टर आपके या मेरे घर आता है। वे नहीं आते। तो इंस्पेक्टर कहां आते हैं? वे अमीरों-संपन्न और उद्योगपतियों के यहां आते हैं। अब, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, जो कि बहुत छोटी रोक है। चाहे जांच जितनी भी भ्रष्ट हो, यह इस बात को सुनिश्चित करने की एक छोटी सी जांच थी कि सेवाओं और उत्पादों जैसी चीजों में आम आदमी को गुणवत्ता की गारंटी सुनिश्चित की जा सके। आप इसे समाप्त करने पर जोर दे रहे है। बल्कि आप कारपोरेट राज पैदा कर रहे है। आप उनको अपना अधिकार क्षेत्र निर्माण में सहायता कर रहे हैं। अतः आपके बड़े उद्योगपति इस सरकार के क्रियाकलापों का गुणगान कर रहे हैं। किन्तु यह निश्चित है कि वे इस सरकार का गुणगान करेंगे। किसी को इसमें शक नहीं है।

चूंकि आपने शुरू में ही बता दिया था कि मेरा समय सीमित है, मैं केवल अपने राज्य उड़ीसा में जो हो रहा है, उसी पर केन्द्रित रहूंगा। हम लौह अयस्क का निर्यात करते है। हम अधिकतर बढ़िया ही निर्यात कर रहे थे। यह एक अच्छी खबर है कि वित्त मंत्री जी ने लौह अयस्क के निर्यात पर 300 रु. प्रति टन शुल्क लगाने का विचार किया है। अगर हमने पचास और साठ के दशक में जापान को लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई होती, तो जापान भारत में इस्पात संयंत्र लगाने को बाध्य हो जाता, जिसकी वजह से पचास और साठ के दशक से ही जब लोग विकास के प्रति अधिक खुले थे, आटोमोबाइल और अन्य अनुषंगी उद्योग भारत में आए है।

आज, आपके समक्ष नंदीग्राम है या अन्य स्थान आ रहे हैं...*(व्यवधान)* आपके समक्ष नंदीग्राम है और अन्य घटनाएं हो रही है जिसमें हर कहीं लोगों के हाथ जल रहे हैं। मैं किसी सरकार या विचार धारा के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब लोग विकल्प देख रहे हैं, सरकार प्रतिगामी बन रही है। सरकार यह देखने का प्रयास नहीं कर रही है कि किन वैकल्पिक योजनाओं के बारे में सोचा जा सकता है।

बाजार में कुछ टिप्पणियां हैं कि एक बार यह लौह अयस्क निर्यात कर लगा था, लोग हांगकांग चले गए थे। वहां बैठकर उन्होंने खरीद फरोख्त की और वापस आ गए। अब, हम देख रहे हैं कि सरकार यह दावा कर रही है कि स्तर निर्धारण होगा और लौह अयस्क के स्तर-निर्धारण के आधार पर कर लगाया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार की

बू नहीं बदबू आ रही है। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की छुपी खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। यदि उन्होंने 300 रु. का प्रभार लगाया है तो उन्हें 300 रु. पर टिके रहना चाहिए क्योंकि निर्यातक एक टन लौह अयस्क से कम से कम 6000/- रु. 8000/- रु. तक लाभ कमाता है। अतः आप उन पर कर लगाइए और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दे दीजिए। यही संघीय स्थापना है। आप 50 प्रतिशत ले लीजिए। कृपया लोगों के प्रति ईमानदार बनिए और लोगों के प्रति पारदर्शिता लाइए। वातानुकूलित कमरे में बैठ कर यह दावा मत कीजिए कि हम आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप वास्तव में आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं यदि आप गरीबों के बारे में चिंतित हैं तो खुले रूप से आइए और अपनी नीतियां समझाए और पीछे से उन्हें छुरा मत घोंपिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चार अथवा पांच सुझाव देना चाहता हूं और पांच मिनट के भीतर अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

पहली चीज एसईजेड के बारे में है। जहां तक कर रियायतों का संबंध है तो एसईजेड के लिए किसी भी प्रकार की रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि जल संसाधनों और विद्युत संसाधनों का निर्माण अपने आप किया जाना चाहिए। जल संसाधनों और विद्युत संसाधनों का निर्माण किसानों के लिए किया गया है। यदि समूची विद्युत और समूचा जल धीरे-धीरे एस ई जेड को दे दिया जाएगा तो सारा का सारा ग्रामीण भारत सूखे की चपेट में आ जाएगा और अंधकार में डूब जाएगा।

दूसरा भारत के महान वैज्ञानिक श्री एस.एस. स्वामीनाथन, जिनका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है, ने यह सुझाव दिया है कि कृषि क्षेत्र के लिए भी एस ई जेड बनाया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रियायते दे क्योंकि कृषि विकास में गिरावट आ रही है और इस क्षेत्र में निवेश भी कम हो रहा है। अतः कृषि के लिए एसईजेड की स्थापना करने में क्या हर्ज है? येल, जोकि अमरीका का एक विश्वविद्यालय है ने तीन महीने पहले एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया वह पत्र भारत में भी प्रकाशित हुआ था। प्रत्येक काम ग्रामीण लोगों। ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के नाम पर किया जाता है। ग्रामीण लोगो के नाम पर जलाशयो, बिजली, सड़क और अन्य निर्माण कार्य किए जाते है लेकिन ग्रामीण लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई निवेश नहीं हो रहा है तथा शहरी लोगों और संभ्रान्त लोगों को ही सुविधाए मिल रही है। अतः हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में दिन-ब-दिन वृद्धि हो रही है और ये कर बढ़कर 52 प्रतिशत हो गए है तथा प्रत्यक्ष कर बढ़कर 48 प्रतिशत हो गए है। इसे कम किया जाना चाहिए।

तीसरा, भारत की विकास दर आठ से दस प्रतिशत है। कृषि के बारे में क्या किया गया है? कृषि के बिना यह विकास दर बेमानी है। इसलिए मैं कृषि क्षेत्र के लिए भी एसईजेड का सुझाव दे रहा हूं। इस क्षेत्र में सरकार को कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए कुछ रियायतों की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन आज की तिथि तक कोई निर्यात क्षेत्र मौजूद नहीं है और उन्हें कोई आकर्षक रियायत भी नहीं की जा रही है। मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। हर कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र में रूचि ले रहा है। कोई भी कृषि निर्यात क्षेत्र के संबंध में रूचि नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अब मैं रक्षित विद्युत संयंत्र पर आता हूं। विद्युत की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमें उद्योगों, विशेषकर बड़े औद्योगिक घरानों को स्वयं को रक्षित विद्युत के लिए जेनरेटरो अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार की मशीनरी के आयात को प्रोत्साहन देना चाहिए।

उन्हें अनेक कर रियायत दी जानी चाहिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर किसानों को विद्युत मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति खराब है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अधिकतर गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए है। चौथा, माननीय मंत्री ने सहकारी बैंको पर आयकर लगाने का प्रस्ताव किया है। हमें बड़ी खुशी होती यदि वे इस पर पुनर्विचार करते। छोटे और बड़े बैंकों को एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए क्योंकि इससे छोटे कर्जदारों को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बड़े बैंकों द्वारा कितना कृषि ऋण दिया गया है। हमने पिछले तीन वर्षों में कृषि ऋण में दो बार वृद्धि की है। कृषि की क्या स्थिति है? किसानों की क्या स्थिति है? कृषि और किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है।

हम शिक्षा के क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने जा रहे है। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा में बैनामी संदानों पर 30 प्रतिशत कर लगाए जाने के बारे में उल्लेख किया है। में समझता हूं इस पर छूट दी जानी चाहिए क्योंकि कोई भारतीय उद्योगपति किसी धमार्थ न्यास, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्रिया-कलापों को दान दे सकता

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

है। जैसाकि हम सभी को मालूम है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़े घरानों द्वारा हवाला का उपयोग करके उसी धन को भारत में निवेश करेंगे और उस समय उस धन पर कोई कर नहीं लगेगा। इसलिए हमें इन बेनामी संदानों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। यदि कोई किसी सामाजिक कार्य के लिए संदान देता है तो इस पर कर छूट दी जानी चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

आखिर में, मैं कुछ बाते चीनी के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली बार हमने चीनी के लिए एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इस पैकेज में तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी भारी गिरावट आ रही है। प्रत्येक दिन इसमें गिरावट आ रही है। आज की स्थिति के अनुसार चीनी उत्पादन अलाभकारी है। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम इस वक्त चीनी पर से उत्पाद शुल्क हटा देना चाहिए क्योंकि चीनी कोई आकर्षक वस्तु नहीं है। नीतियों के कारण इसका मूल्य कम है। मूल्यों में गिरावट आ रही है। प्रत्येक दिन गन्ना बकाया बढ़ता ही जा रहा है यदि गन्ने पर उत्पाद शुल्क में रियायत दी जाए तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। इसके लिए कोई शर्त रखी जा सकती है।

इसके बाद मैं परिवहन राजसहायता पर आता हूं। आपने चीनी के निर्यात के लिए राजसहायता दी है। मैं समझता हूं कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक आकर्षक राजसहायता देनी चाहिए। अन्यथा निर्यात में कठिनाई होगी।

प्रत्येक व्यक्ति महगाई के बारे में चिंतित है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों के बारे में क्या किया गया है? आज ऐसी कृषि उत्पादों सहित खाद्यान्नों का मूल्य काफी कम है यद्यपि मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि गरीब किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। आपको महंगाई को रोकना होगा। किसानों की यह भी एक बहुत ही गंभीर चिंता है।

भारत एक निर्यात करने वाला देश था जो धीरे-धीरे आयात करने वाला देश बनता जा रहा है। इसलिए हमें कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। कई बार मैं सोचता हूं कि कृषि विकास के बिना सरकार आठ से दस प्रतिशत की विकास दर के बारे में कैसे सोच सकती है। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर नकदी फसलों पर कुछ पेशेवर कर अथवा कोई अन्य कर लगाया जाना चाहिए। वहां पर स्व-वित्त पोषण की योजना मौजूद है। अतः युवाओं का कौशल विकास महत्वपूर्ण है। कौशल विकास के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आई टी व्यवसाय के साथ जोड़ा जा सकता है।

परसों, 'इकनोमिक टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि पूरे एशिया में कुशल व्यक्तियों के लिए बाजार मौजूद है। कौशल की आवश्यकता है। इसलिए भारत में एसईजेड आ रहा है। लेकिन 'कौशल विकास' के लिए क्या किया गया है? युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया गया है? दिन-ब-दिन किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे है? नक्सलियों की संख्या में जाफा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। उनकी शिक्षा व्यर्थ की शिक्षा बन गई है। इस लिए 'कौशल विकास' को महत्व दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से अपने पांच अथवा छः सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। मुझे जो सूची दी गई थी वो अब पूरी हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर अनुलाभ कर के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि ये सहमत हो तो मैं एक अथवा दो मिनट दूंगा। ठीक है, आप अपनी बात जारी रख सकते है।

श्री सुनील खां : महोदय मैं सबसे पहले वित्त विधेयक 2007-08 अनुलाभ कर वाले घटक को तुरंत वापस लिए जाने और कल्पित आय पर किसी भी प्रकार की कर कटौती को रोकने की मांग करता हूं।

सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी और (कार्याकारी) एग्जुक्यूटिव्स कंपनी कार्य के हित में कंपनियों के रक्षित टाउनशिपों में रहते है। कृपया वेतनभोगी कर्मचारियों पर लगाए जाने वाले इस भेदभाव पूर्ण और अनुचित कर को समाप्त किया जाए।

वर्ष 2007-08 के बजट में यह आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व है कि इस बजट में वर्ष 2002 से मानित खंड को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। यह अवैध, मनमाना और बदले की भावना से प्रेरित है।

ये ऐसे वेतनभोगियों कर्मचारियों पर एक गंभीर वित्तीय भार है, जिन्हें अपनी कुल कर योग्य प्रत्यक्ष आय की 23 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा और भत्तों सहित अप्रत्यक्ष करो के साथ 31 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना होगा। इसलिए अधिकांश बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों को किसी न किसी कानूनी रूप से कर रियायत कर अवकाश एवं शुल्क प्रति अदायगी इत्यादि की अनुमति दी जाती है।...*(व्यवधान)*

स्टाक मार्किट में कमाए गए धन पर कर रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है जबकि वही दूसरी ओर ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को इस तरह से बुरी तरह से निचोडा जा रहा है जो दिन-रात काम करते है। वेतनभोगी कर्मचारियों पर कर लगाकर राजस्व में हानि की भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अत: माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे 20 प्रतिशत अनुलाभ कर को समाप्त करें। मेरी मुख्य मांग यही है।

मैं माननीय मंत्री जी से अपने अन्य सुझाव पर भी गौर करने का अनुरोध करता हूं। आपने हाथ से बने साबुन के संबंध में कर को बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया ताकि हाथ से साबुन बनाने वाले विनिर्माता अपनी जीविका कमा सकें।

इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगी। मैं सबसे पहले वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जो हमारे जैनुइन टैक्स पेयर्स हैं, जो सरकारी सेवा में काम करने वाले लोग हैं, वे आयकर के मामले में सरकार के लिए कमाऊ पूत के समान होते हैं। उनके भविष्य के बारे में सरकार को कुछ आर्थिक प्रावधान करने चाहिए, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में पेंशन के अतिरिक्त भी अन्य कोई साधन मिल सके, क्योंकि सिवाय पेंशन के उनके पास और कोई जीविका का साधन नहीं रहता है। उम्र भर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करने और व्यवहारों को पूरा करने का काम किया होता है इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिलता है, उस पर ब्याज दर काफी कम है, उसे बढ़ाने का काम वित्त मंत्री जी को करना चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि देश की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। इसलिए उनके स्वास्थ्य के बारे में अलग से फंड एलोकेट करना चाहिए और इसके लिए नई नीति बनानी चाहिए। महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या एक आम बात है। हमारे देश की महिलाओं में गरीब 50 प्रतिशत महिलाएं मालन्यूट्रिशन के कारण गर्भावस्था में ही मृत्यु का ग्रास बन जाती है या उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह दर हमारे यहां काफी ज्यादा है। गुजरात सरकार ने इस संबंध में अभी एक योजना 'चिरंजीव' नाम से शुरू की है। इस योजना के तहत सम्पन्न महिलाओं की सुश्रूषा की तरह गरीब महिलाओं का भी ध्यान रखने का प्रावधान है। इस योजना के तहत जाने-माने डाक्टर्स का प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर वे किसी गरीब महिला की प्रसूति कराते हैं तो 1700 रुपए दिए जाएंगे। मैं समझती हूं कि देश में गर्भवती और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए पूरे देश में इस तरह की किसी भी नाम से एक योजना लागू किए जाने की बहुत जरूरत है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले लोक सभा के आम चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने 'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' नारा लगाते हुए लोगों के मत बटोरने का काम किया था। लेकिन सरकार बन जाने के बाद लोगों को यह मालूम हो गया है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं है, बल्कि आम आदमी की जेब और महिलाओं के पर्स पर है, वह भी ब्लेड के साथ। पैसा कहां गया और कब गया, यह लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। देश के आम आदमी की तीन जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं। आम आदमी को दो वक्त की रोटी मुहैया कराना सरकार का कर्त्तव्य बनता है। आज देश में बढ़ती महंगाई को सिर्फ आम जनता ने ही नहीं सहा है, बल्कि स्वयं कांग्रेस पार्टी को भी इसे सहना पड़ा है। पिछले दिनों हुए कुछ प्रदेशों के चुनावों से यह बात सामने आई है। महंगाई एक ऐसी आग है, जो पूरे देश में फैल रही है। हम वैष्णव: नरो भुक्तवा, ऐसा भगवान विष्णु ने जैसा कहा था कि वैष्णव: नरो अग्नि। मैं इस ओर इंगित करके यह कहना चाहती हूं कि यह आग

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

पूरे देश में न फैल जाए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए महंगाई कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में वित्त मंत्री जी को अपने जवाब में बताना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इन तीन मुद्दों सीनियर सिटीजंस की जमा रकम पर ब्याज दर बढ़ाने, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में फंड एलोकेशन और महंगाई को कम करने की बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने सूची पूरी कर ली है, परन्तु फिर भी दबाव है। अब श्री आनन्द राव विठोबा अडसूल बोलेंगे और इसके पश्चात् अन्य किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी। वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : सभापति महोदय, धन्यवाद मैं एक मुद्दे पर अपनी बात केन्द्रित करूंगा और वह आयकर अधिनियम की धारा 80 (त) है। माननीय वित्त मंत्री महोदय का विचार है कि सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंक के समकक्ष हैं। मैं उनसे यह बात नोट करने का अनुरोध करता हूं कि ऐसा नहीं है। सहकारी बैंकों का गठन और कार्यकरण वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न है। सहकारी बैंक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और तहसील या जिला के नाम पर बनाए जाते हैं। आम जनता सहकारिता के इस सिद्धांत पर एक साथ जुड़ती है कि स्व-सहायता को संगठन अथवा सबके लिए एक या एक के लिए सब के आधार पर प्रभावी बनाया जाता है। सहकारिता आन्दोलन का यही उद्देश्य है। यही वजह है कि शेयरधारक सहकारी बैंकों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसे उस विशेष बैंक का सदस्य होना होगा। तभी जाकर वह उस बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। इनमें यही अन्तर है। वाणिज्यिक बैंकों के शेयर स्टाक एक्सचेंज से जुड़े होते है और ये विपणन योग्य होते हैं जबकि सहकारी बैंकों के शेयरों के साथ ऐसी बात नहीं है। शेयर का मूल्य दस है तो हमेशा के लिए दस होता है। यही वजह है कि बैंक का कर्जदार बैंक का स्वामी होने के नाते बैंक के लाभों का हिस्सेदार होता है। अंततः, उसके पास लाभांश का दावा करने का अधिकार होता है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक सहकारी बैंक, मुम्बाई स्थित सिटी को-आपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हूं। मैंने 70 लाख रुपये का लाभ कमाया है और इसमें से 45 लाख रुपये आयकर का भुगतान कर रहा हूं एवं शेष 25 लाख रुपये मुझे शेयरधारकों में वितरित करने हैं। यदि मैं मात्र दस प्रतिशत का भुगतान करूं तो यह धनराशि करीब 25 लाख रुपये होगी। नई शाखाओं की क्या स्थिति हैं क्योंकि मुझे इन्हें आपस में जोड़ना है। इसके बारे में नहीं बताया गया है।

इस प्रकार जैसा कि माननीय वित्त महोदय सोचते है कि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक एकसमान हैं, ऐसा नहीं है। यह मेरा विचार है। यही कारण है कि इस अधिनियम की शुरूआत से ही धारा 80(त) के अंतर्गत छूट दी गयी है। मेरे विचार से इस छूट को जारी रखना चाहिए।

मैंने शहरी सहकारी बैंक परिसंघ के पदाधिकारियों के साथ प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी। यद्यपि कि प्रधान मंत्री जी पूरी तरहसे आश्वस्त हुए और कहा कि सहकारिता आन्दोलन और सहकारी बैंक गरीबी व आम जनता की रीढ़ हैं, दुर्भाग्य से उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। यही वजह है कि यदि वित्त मंत्री जी ऐसा सोचते हैं कि इनमें अंतर है तथा सहकारी बैंक आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए तथा जैसा कि इस अधिनियम के प्रारंभ से जो कुछ सोचा गया था उसे जारी रखा जाना चाहिए। मेरा यही विचार है।

सभापति महोदय : सूची में शामिल सभी वक्ता और तीन अतिरिक्त वक्ता इस वित्त विधेयक पर बोल चुके हैं। सूची अब पूरी हो चुकी है और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है। अब कृपया माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक 2007 इस सभा के समक्ष है। सोमवार को और आज अनेक माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया और मैं उनमें से प्रत्येक के प्रति अभार व्यक्त करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, बजट चर्चा का इस संदर्भ में एक निराशाजनक अंत हुआ कि सरकार को उस वाद-विवाद का उत्तर देने का मौका नहीं मिला। फिर भी, मैंने अपना उत्तर सभा पटल पर रख दिया था। उसका कुछ भाग मीडिया में आया 1 वित्त विधेयक पर चर्चा में स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत बड़े मुद्दे यथा आर्थिक नीति, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, वृद्धि, इक्विटी, मुद्रास्फीति आदि शामिल रहे।

जब कि मैं इनमें से कुछ मुद्दों की चर्चा करूंगा, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान वाद-विवाद वित्त विधेयक के संबंध में है। वित्त अनिवार्यतः एक ऐसा विधेयक होता है जिसका संबंध देश के कर कानूनों यथा आयकर अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम से है।

इसलिए, मैं अपने उत्तर के प्रथम भाग में वित्त विधेयक के प्रावधानों से जुड़े मुद्दों, इस सभा में उठाए गए मुद्दों तथा माननीय संसद सदस्यों एवं अन्य लोगों द्वारा मुझसे निवेदित मुद्दों को संबंधित करूंगा। मेरे उत्तर के अंत में, माननीय सदस्य यह पाएंगे कि मैंने आज दिए गए कुछ सुझावों सहित पिछले दो महीनों के दौरान सरकार को प्राप्त अनेक सुझावों और प्रतिवेदनों को यथासंभव अपनाने की कोशिश की है। संप्रग सरकार एक अनुक्रियाशील सरकार है। जबकि हमारे पास कराधान से जुड़े मामलों पर सुविधारित व दृढ़ विचार हैं, हम आलोचनाओं और सुझावों के प्रति भी अनुक्रियाशील हैं। इसलिए, मैं अपने उत्तर के अंत में, वित्त विधेयक में मूल रूप से किए गए प्रस्तावों में कुछ परिवर्तनों की घोषणा करूंगा और कुछ राहतों की भी घोषणा करूंगा।

मैं कराधान संबंधी सरकार की नीति, जिसका उल्लेख प्रो. रामदास ने किया है, के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। एन.सी.एम.पी. के अनुसार:

"सरकार करदाताओं की संख्या बढ़ाने, कर अनुपालन बढ़ाने और कर प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने जैसे बड़े कर सुधारों को अपनाकर सकल घरेलू उत्पाद में कर का अनुपात बढ़ाने हेतु उपाय करेगी। कर दरें स्थिर तथा वृद्धि अनुपालन एवं निवेश के अनुकूल होंगी।"

मैंने माननीय सदस्यों को इस मानक की तुलना में सरकार को आंकने के लिए कहा था। राजग सरकार के सत्ता में आने से ठीक पहले वर्ष 1997-98 में कर, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 9.1 प्रतिशत था अथवा यदि हम वी.डी.आई.एस. राजस्व को अलग भी कर दें तो यह अनुपात 8.5 प्रतिशत था। राजग सरकार के सत्ता में आने के पश्चात्, वर्ष 1998-99 में, यह घटकर 8.3 प्रतिशत हो गया। राजग सरकार के अंतिम वर्ष, वर्ष 2003-04 में कर, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 9.2 प्रतिशत था। इस प्रकार छह वर्षों की अवधि में कर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया। संप्रग सरकार के तीन वर्षों में, हमने कर, सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 9.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत कर दिया है। इसमें से सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का अनुपात 5.6 प्रतिशत है और यह प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है। सुरेश प्रभु यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रत्यक्ष कर का अनुपात बढ़ा है। 2007-08 के लिए मैंने 11.8 प्रतिशत का कर, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का अनुमान लगाया है। मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि 2006-07 में वर्तमान इतिहास में पहली बार वास्तविक कर संग्रहण बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों से आगे बढ़ गया है। सकल कर राजस्व 4,71,742 करोड़ रुपये का हो गया है और इस प्रकार इसमें बजट अनुमान में 29,589 करोड़ रुपये एवं संशोधित अनुमान में 3,894 करोड़ रुपये की ज्यादा वृद्धि हुई है। हम करदाताओं की संख्या बढ़ाकर, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी कर प्रशासन और कानूनों की ओर करदाताओं को प्रेरित करके ऐसा कर पाने में सक्षम हुए हैं। इसके अलावा हमने कर दरों को स्थिर और कम रखा है। इस नीति की सफलता का सबूत बचत दरों और निवेश दर में वृद्धि है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, बचत दर जो 2003-04 में 29.7 प्रतिशत थी 2005-06 में 32.4 प्रतिशत हो गयी। निवेश दर 2003-04 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 33.8 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2006-07 में यह दर और बढ़ी होगी परन्तु आकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण निवेश दर में वृद्धि है और जिसके फलस्वरूप समस्त अर्थ-व्यवस्था में तेजी आई है।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार एन सी एम पी का पूर्ण निष्ठा से पालन करेगी। यह कर दरों को स्थिर और आसान बनाए रखेगी और एक ऐसा माहौल तैयार करेगी जो कि बेहतर निवेश और विकास में सहायक होगा।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य कर छूट के बारे में चिंतित हैं। यह पहले से चला आ रहा मुद्दा है। इस मुद्दे को मुख्य बिन्दु बनाने के उद्देश्य से 2006-07 के बजट के आरम्भ में ही, मैंने इस सभा के समक्ष पहली बार 'स्टेटमेंट आफ रेवेन्यु फोर गोन' नामक विवरणपत्र रखा था। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है किन्तु हमने इसे पहली बार गत वर्ष ही आरम्भ किया है। इसमें विभिन्न छूटों की वजह से हुए राजस्व घाटे का विवरण होता है। तथापि, महोदय, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इन छूटों को समाप्त करने का अनुरोध किया है तो अन्य माननीय सदस्यों ने इन छूटों में वृद्धि करने अथवा कर दाताओं के कतिपय वर्गो को दी जाने वाली रियायतों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। वास्तव में, वित्त विधेयक की

[श्री पी. चिदम्बरम]

प्रत्येक आलोचना चाहे वह इस सभा में हो या विश्लेषकों द्वारा यहां से बाहर की जाती हो वह किसी न किसी छूट पर केन्द्रित होती है। यदि आप इन तर्कों की अधिकता को हटा देते हैं तो मुख्य मुद्दा यह उभरता है कि आपने मेरी छूट को क्यों समाप्त कर दिया, आपने मेरी छूट को क्यों कम कर दिया, आपने मेरी छूट को क्यों नहीं बढ़ाया? रोजाना सुनी जाने वाली बातों का यही सार है।

अपराह्न 3.21 बजे

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

महोदय, संसाधनों को जुटाना मेरा कर्त्तव्य है। संप्रग सरकार की समग्र विकास की प्रतिबद्धता और वित्त सामाजिक क्षेत्र के खर्चों को देखते हुए, प्रत्येक वर्ष संसाधनों की जरूरत बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, राजग सरकार के वर्ष 2003-04 के 1,22,280 करोड़ रुपये के योजनागत बजट की तुलना में 2007-08 के बजट अनुमान में यह 2,05,100 करोड़ रुपये हो गया है। योजनागत बजट के अन्तर्गत ही संप्रग सरकार के चौथे वर्ष में प्रवेश के दौरान ही विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजटीय सहायता में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मैं राजग सरकार के अन्तिम वर्ष और संप्रग सरकार के चौथे की तुलना कर रहा हूं। कृषि 3262 करोड़ रुपये और अब 8090 करोड़ रुपये; शिक्षा-7024 करोड़ रुपये और अब 28,672 करोड़ रुपये; ग्रामीण विकास और भू संसाधन-11,320 करोड़ रुपये और अब 29,000 करोड़ रुपये; पेयजल-2750 करोड़ रुपये और अब 7560 करोड़ रुपये; सड़क परिवहन और राजमार्ग-7,236 करोड़ रुपये और अब 14,066 करोड़ रुपये है। अब मुझे धन की जरूरत है। यदि इस खर्च को किया जाना है तो इसे धन जुटाना होगा।

गैर-योजनागत पक्ष में भी, व्यय संबंधी जरूरतो को पूरा करने के लिए भी संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 2003-04 में रक्षा आबंटन 65,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 के बजट अनुमानों में 96,000 करोड़ रुपये हो गया है। इन सबके अलावा, और यह सभी राज्यों के सभी सदस्यों के पक्ष में है कि राज्यों और संघ राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में, केन्द्र सरकार ने इस शीर्ष के अन्तर्गत 18,369 करोड़ रुपये आबंटित किये थे। 2007-08 में, हम इस धनराशि के दुगुने से ज्यादा 38,403 करोड़ रुपये उन्हें प्रदान करेंगे।

माननीय सदस्य कृपया यह नोट करें कि केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र कर राजस्व के प्रत्येक रुपये में से लगभग 30 पैसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चले जाते हैं। केवल मात्र अंतरण की राशि की मात्रा को दर्शाया जाए तो 2003-04 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित शुद्ध संसाधन 1,26,623 करोड़ रुपये थे। 2007-08 में यह राशि 2,48,844 करोड़ रुपये होगी। हमारे द्वारा एकत्र राजस्व से प्रत्येक राज्य लाभान्वित होगा, प्रत्येक राज्य को ज्यादा धनराशि मिलेगी। चार वर्षों में यह लगभग दुगुनी हो गई है।

इन संसाधनों के अलावा, केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजना, राज्य एवं संघ शासित राज्यों की योजना के अंतर्गत राज्य जिला स्तरीय स्वायत निकायों और कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे सहायता प्रदान करती है।

श्री महताब - वे मुझे यहां नहीं दिख रहे हैं- शिक्षा उपकर के बारे में पूछिए, और इसे राज्यों के बीच कैसे बांटा जाता है। ओह, वे अब यहां हैं।

यद्यपि, शिक्षा उपकर को प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है, एकत्र की गई धनराशि सर्व शिक्षा अभियान और मध्या भोजन योजना में सहायता देने के लिए अव्ययगत खाते में चली जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, एसएसए और मध्या भोजन योजना जिन्हें राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, अधिकांशतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। इस प्रकार, राज्यों को वास्तव में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मिलता है जो कि यदि शिक्षा उपकर को सामान्य कर के रूप में एकत्र किया जाता तो इसकी तुलना में कम होता।

जहां तक उपकर और अधिभार के माध्यम से एकत्र राशि का संबंध है, आंकडें इस प्रकार हैं। वर्ष 2006-07 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, यह संग्रहण 8,973 करोड़ रुपये होगा और 2007-08 के बजट अनुमानों के अनुसार यह राशि 15,592 करोड़ रुपये होगी।

श्री महताब यह भी जानना चाहते थे कि लौह अयस्क पर प्रस्तावित निर्यात शुल्क को राज्यों के साथ कैसे बांटा जायेगा। इन्हें सीमा शुल्क पर लागू सामान्य सूत्र के अनुसार ही बांटा जायेगा।

अब मैं कर प्रस्तावों पर आता हूं और विभिन्न सुझावों का उत्तर

देता हूं। प्रथम मुद्दा वैयक्तिक आयकर के अन्तर्गत कर दायरों के बारे में है। वर्ष 1997-98 में, उनकी सरकार से ठीक पहले, निम्नतम कर छूट सीमा 40,000 रुपये थी। जब राजग सरकार सत्ता से गई और सप्रंग सरकार ने सत्ता सम्भाली तो निम्नतम सीमा 50,000 रुपये थी। इस प्रकार छह वर्षों की अवधि में निम्नतम कर छूट सीमा 10,000 रुपये बढ़ाई गई। इसके अलवा, 30,000 रुपये की मानक कटौती केवल वेतन भोगी वर्ग के लिए थी। इस प्रकार वेतनभोगी कर दाता के लिए प्रभावी छूट सीमा 80,000 रुपये थी। वर्ष 2005-06 में, हमने प्रत्यक्ष करों में आमूल चूल परिवर्तन किया। वेतनभोगी कर दाता के लिए 80,000 रुपये की प्रभावी निम्नतम सीमा को बढ़ाकर हमने एक लाख रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, हमने परिवहन भत्ते के रूप में 9600 रुपये प्रतिवर्ष की छूट और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये की सीमा को जारी रखा।

इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि दायरों में मूलभूत परिवर्तन किये गए। आप केवल छूट सीमा पर ही ध्यान मत दीजिए, आपको कर दायरों पर भी ध्यान देना चाहिए। 50,000 रुपये की आय से अधिक पर 10 प्रतिशत कर अब एक लाख से ऊपर की आय पर लागू है 60,000 रुपये से अधिक के लिए 20 प्रतिशत की दर अब 1.5 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संशोधित कर दायरों और लागू दरों को देखते हुए प्रत्येक कर दाता को संप्रग सरकार के अन्तर्गत लाभ हुआ है।

इसके अलावा, माननीय सदस्य बचतों के कर उपयोग के बारे में किये गए मौलिक परिवर्तनों को भी याद कर सकते हैं। कर छूट देने की पूर्ण प्रक्रिया जिसका पूर्ण लाभ कर दाता को नहीं मिलता था, की तुलना में हमने धारा 80 सी को लागू किया है। इब इसका उपयोग कर छूट ने देकर आय में से कटौती करके दिया जा रहा है जिससे कि कर दाता को इसका पूर्णलाभ मिल सके। इस प्रकार, संशोधित कर दायरे के लाभ के अलावा और वह दर जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, के अलावा प्रत्येक कर दाता को धारा 80 सी के अन्तर्गत एक लाख रुपये और अतिरिक्त आय तक पूर्ण कटौती का भी लाभ उठा सकता है। हमने इसी व्यवस्था को 2006-07 में भी जारी रखा 2007-08 में, मैंने प्रथम कर दायरे को 100,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। कृपया स्मरण रखें राजग ने अपने छह वर्षों के कार्यकाल में केवल 10,000 रुपये की वृद्धि की थी। वास्तव में, यह अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि दो वर्षों में मुद्रास्फीति में संशोधन लगभग 9.72 प्रतिशत हुआ है। मुझे विश्वास है कि मैंने श्री संदीप दीक्षित द्वारा उठाए गए मुद्दे का समाधान कर दिया है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा कि हमें मुद्रास्फीति के अनुसार कर दायरों में भी संशोधन करने चाहिए।

जब हमने व्यक्तिगत आय के लिए प्रथम कर दायरे को बढ़ाया था तो हमने 10000 रुपये की धनराशि महिला कर दाताओं और वरिष्ठ नगरिकों के लिए भी बढ़ाई थी। महिला निर्धारिती को प्रतिवर्ष 1000 रुपये की राहत मिलती है और वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 2000 रुपये की राहत मिलती है।

माननीय सदस्य इस ओर भी ध्यान दें कि हमने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए छूट सीमा को व्यक्ति के 10,000 से 15,000 रुपये कर दिया है और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 20,000 रुपये कर दिया है।

अतः, एक वरिष्ठ नागरिक को 2000 रु. प्रति वर्ष की और अधिक न्यूनतम राहत मिलेगी, यदि वह स्वास्थ्य बीमा में अशंदान करता है।

इसी प्रकार, हमने निर्धारिती के किसी भी रिश्तेदार द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण के मामले में शिक्षा ऋण पर ब्याज के संबंध में कर रियायत प्रदान की है। यह स्थिति पहले नहीं थी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी रियायतों को एक साथ देखा जाना चाहिए। एक साथ लिए जाने के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के तीन बजटों में प्रत्येक करदाता को व्यापक रियायतें दी गई हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि समेकित रूप से ये रियायतें वर्ष 1998-2004 की अवधि के दौरान दी गई छिटपुट रियायतों से कहीं अधिक और व्यापक हैं।

श्री रूपचंद पाल जानना चाहते थे कि कितने व्यक्तिगत निर्धारितियों ने प्रति वर्ष 10 लाख रु. से ज्यादा की आय प्राप्त करना स्वीकार किया है। वर्ष 2003-04 में यह संख्या लगभग 97,500 थी। वर्ष 2005-06 में इस संख्या में वृद्धि होने के पश्चात् लगभग 1,40,000 तक पहुंचने का अनुमान है और मेरा विश्वास है कि वर्ष 2006-07 के दौरान इस संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। इसके बावजूद, मैं दोहराना चाहता हूं कि यह संख्या अभी भी बहुत कम है। कर संबंधी अनुपालन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अधिक लोगों को अपनी वास्तविक आय घोषित करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए।

[श्री पी. चिदम्बरम]

श्री विजय कृष्ण चाहते थे कि मैं लाभांश पर कर लगाऊं। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि लाभांश पर पहले ही कर लागू है सिवाय इसके कि इसे लाभांश वितरण कर कहा जाता है और उस चरण पर संग्रहित किया जाता है, जब लाभांश वितरित किया जाता है। कर संग्रहित करने का सक्षम तरीका अपनाने की आवश्यकता है। मैंने इस वर्ष डीडीटी पर भी दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह और श्री सुरेश प्रभु ने मुझसे पूछा कि आयकर अधिनियम की धारा 54 ई सी के अन्तर्गत जारी किए गए पूंजी लाभ बांडों के संबंध में प्रति निवेशक 50 लाख रु. की सीमा क्यों लागू की गई है। एन.एच.ए.आई और आरईसी द्वारा उगाही किए जाने की आवश्यकता के चलते बांड के कुल आकार को निर्धारित किया गया है। वे केवल उतनी धनराशि के बांड जारी कर सकते हैं, जितना वे उगाहना चाहते है। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल आकार 9500 करोड़ रु. था। जब निवेदक के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। तो बॉडों पर प्रत्यक्ष रूप से उन बड़े निवेशकों का एकाधिकार था, जिन्हें भारी पूंजी लाभ मिलता था। इसके फलस्वरूप, वर्ष के बाद के महीनों में निवेश करने वाले अनेक छोटे निवेशकों को ये बांड नहीं मिल पाते थे। इसलिए, हमने प्रति निवेशक 50 लाख रु. की सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। 50 लाख रु. कोई छोटी धनराशि नहीं है। यह गरीब आदमी के लिए प्रासंगिक नहीं है। छोटे निवेशक 50 लाख रु. तक लाभ उठाएंगे जबकि बड़े निवेशकों को भी 50 लाख रु. तक का लाभ मिलेगा। मेरा विश्वास है कि इस बदलाव से अधिक साम्यता आएगी। श्री सुरेश प्रभु ने कुछ टिप्पणियां की थी। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूंजी लाभ से संबंधित उपबंध में कोई अन्य पाबंदी नहीं जोड़ी गई है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह यह भी चाहते थे कि मैं देश के सभी क्षेत्रों में नए होटलों के लिए कर रियायत दूं। यह, वास्तव में कर रियायत के दायरे को व्यापक बनाने की एक दलील है। होटल उद्योग, एक अत्यधिक लाभदायक उद्योग है और मेरा विश्वास है कि राजस्थान में भी यह लाभदायक है और कर का भुगतान कर सकते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली और आसपास के जिलों में नए होटलों को रियायत दिए जाने का एक मात्र कारण वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों कर आयोजन है। तथापि मैं उन प्रोत्साहन पर पृथक रूप से ध्यान देने का इच्छुक हूं, जो कि बौद्ध सर्किट और उन अन्य बौद्ध गंतव्य स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल उद्योग को दिए जा सकते हैं, जो कि जापान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी ने टी.डी.एस के बारे में कुछ मुद्दे उठाए। टी.डी.एस मात्र एक अग्रिम कर है। यदि कोई कर देनदारी नहीं है अथवा कर देनदारी कम है, तो संग्रहित कर वापिस लौटा दिया जाता है। इसके साथ-साथ, धारा 197 के अंतगर्त कोई भी निर्धारिती कर निर्धारण अधिकारी को कम दर अथवा शून्य दर पर कटौती के लिए एक प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार, धारा 197 के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं की जाती है- कदाचित, कुछ लोगों को इसकी जानकारी न हो यदि कोई निर्धारिती विधिवत रूप से सत्यापित करके लिखित में यह घोषणा करता है कि उसकी आय पर कोई कर देनदारी नहीं है। इस प्रयोजनार्थ फार्म 15 जी और 15 एच निर्धारित किए गए हैं और अनेक निर्धारिती पहले से ही इन उपबंधों का लाभ उठा रहे हैं और उनके मामलों में कोई टी डी एस नहीं लागू होगा। छोड़ दिए गए राजस्व के वक्तव्य पर चर्चा हुई थी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, यह एक विरासत का मुद्दा है। कर रियायतें कई वर्षों से दी जाती रही हैं और कर रियायतों में कटौती के किसी भी प्रयास का विरोध कभी कभार भारी विरोध किया जाता है। कोई भी उस रियायत को नहीं छोड़ना चाहता जिसका वह अनेक वर्षों से फायदा उठाता आ रहा है आ रही है। प्रत्येक वर्ष रियायतों को निर्धारित सीमा के बाद भी जारी रखने जैसा कि श्री प्रभु ने कुछ देर पहले अभी अपील की और रियायतों का दायरा बढ़ाने की दलीलें दी जाती है। यहां तक कि इस दशा में वाद-विवाद के दौरान भी, रियायतें दिये जाने अथवा उनका दायरा बढ़ाने के कुछ अनुरोध किए गए थे। फिर भी मैंने सरकार की नीति के अनुरूप कुछ रियायतों में कटौती करने का प्रयास किया है और इनका उल्लेख बजट भाषण के पैरा 171 से 177 और 179 में किया गया है। ज्यादातर रियायतें वास्तव में कार्पोरेट क्षेत्र को दी जाती है। तथापि, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रमुख कर प्राप्तियां उत्पाद, सीमाशुल्क और निगम कर शीर्षों के अंतर्गत होती हैं, जो कि कार्पोरेट क्षेत्र के द्वारा अदा भी किये जाते हैं। जब हमने 3,01,736 कंपनियों को प्रभावी दर का विश्लेषण किया, तो हमने पाया कि अनुसूचित दर की तुलना में कर की प्रभावी दर 19.26 प्रतिशत थी, जिसमें 33 प्रतिशत अधिभार भी शामिल था। मैंने कार्पोरेट क्षेत्र के लिए अधिक रियायतों की दलीलें स्वीकार नहीं की है। यह दलील नहीं दी जा सकती कि कार्पोरेट क्षेत्र पर अत्यधिक करों का भार है। मेरी मंशा यह है कि रियायतों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्पोरेट क्षेत्र करों की अपनी हिस्सेदारी का भुगतान कर रहा है।

श्री सन्दीप दीक्षित बी सी टी टी के योगदान के बारे में जानना चाहते थे। जैसा कि मैंने कहा है, बी सी टी टी बिना हिसाब की धनराशि का पता लगाने और उनके स्रोत तथा गंतव्य को ढूंढने का एक बहुमूल्य साधन बना हुआ है। मेरे पास अपनी दलील के समर्थन में असंख्य उदाहरण हैं, असंख्य मामले हैं, जहां हमने बिना हिसाब की धनराशि का पता लगाया और व्यक्ति को खोज निकाला तथा उस पर कर लगाया। इसके अतिरिक्त, मैंने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बी सी टी टी के दायरे से बाहर रखा है और व्यक्तियों तथा हिन्दु अविभाजित परिवारों (एच.यू.एफ) के लिए सीमा को 25,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दिया है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि प्रत्येक चालू खाते की प्रतिदिन निकासी की सीमा 50,000 रु. है। इसमें बचत खातों को छूट दी गई है। मैं अति विनम्रता पूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि भारत में कितने व्यक्ति अथवा हिन्दु अविभाजित परिवार (एच यू एफ) प्रत्येक चालू खाते से प्रतिदिन 50,000 रु. से ज्यादा की धनराशि निकालते हैं। फिर भी, मैंने अगले वर्ष बी सी टी टी की समीक्षा करने का वादा किया है। जब बिना हिसाब की धनराशि का पता लगाने के लिए मौजूदा अन्य साधन प्रभावी बन जाएंगे।

श्री रूपचंद पाल ने मुझसे पूछा कि हम मोरीशियस के साथ डी टी ए ए में संशोधन क्यों नहीं कर पाए है। यह केवल विरासत का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके राजनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ हैं। हम विदेश मंत्रालय की सहायता से इस मुद्दे का समाधान ढूंढ रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका यथोचित हल निकाल सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल ने मुझसे यह भी पूछा कि मैंने दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर कर क्यों नहीं लगाया। दीर्घकालिक पूंजी लाभ, पर सूचीवद्ध प्रतिभूतियों के अलावा सभी परिसंपत्तियों पर कर लागू है। इंडेक्सेशन के साथ दर 20 प्रतिशत है। हमने केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर उसी स्थिति में दीर्घकालिक पूंजी लाभ की छूट दी है यदि प्रतिभूति एक वर्ष से ज्यादा के लिए रखी जाए। इसका कारण सुस्पष्ट है। जब तक मारीशियस के साथ डी.टी.ए.ए लागू रहेगी, तब तक प्रतिभूतियों के कारबार से मिलने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर कर लगाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए, हम चाहते हैं कि इस संधि में परस्पर चर्चा से संशोधन किया जाए। मैंने राजस्व की हानि की भरपाई करने के उद्देश्य से ही एक प्रतिभूति कारबार कर की शुरूआत की है। यह एक साफ-सुथरा और प्रभावी कर है तथा इससे हमें यथोचित राजस्व की प्राप्ति हुई है। उदाहरण स्वरूप, वर्ष 2006-07 में, एस टी टी के अन्तर्गत राजस्व 4,648 करोड़ रु. तक पहुंच गया। चूंकि दर संतुलित है और निर्धारितियों, विशेषकर दैनिक कारबार करने वालों ने इस कर को तर्कसंगत माना है, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में बढ़ोतरी होंगी। मैंने वर्ष 2006-07 में दरों को एक बार बढ़ाया। इसी वर्ष दरों में पुनः वृद्धि करना समझदारी नहीं है।

श्री रूपचंद पाल करो की बकाया राशि के संग्रहण के बारे में जानना चाहते थे। इस संबंध में यू.पी.ए सरकार का रिकार्ड आकर्षक है। प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत, वर्ष 2003-04 में 5,540 करोड रु. के संग्रहण की तुलना में अगले तीन वर्षों में संग्रहण क्रमशः 7,084 करोड रु. 8,064 करोड रु. और 12,285 करोड रु. रहा।

इसी प्रकार, अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में संग्रहित की गई 669 करोड रु. की तुलना में संग्रहण क्रमशः 2,642 करोड रु. 3,139 करोड रु. रहा। हम करों की बकाया राशि संग्रहित करने के लिए कड़े प्रयास जारी रखेंगे।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों पर बोलूगा। अनेक सदस्यों ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि दर का उल्लेख किया है। यह सही है। उत्पाद शुल्क का संग्रहण विर्निमाण क्षेत्र में विकास की गति के अनुसार नहीं हुआ है। गत तीन वर्षों में उत्पाद शुल्क राजस्व की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत 12.6 प्रतिशत तथा 5.9 प्रतिशत रही है। मेरे विचार में इसका कारण कर अपवंचन तथा कर छूट दोनों हैं। मैं यहां बता दूं कि वर्ष 2006-07 में उत्पाद शुल्क का वास्तविक संग्रहण बजट अनुमान से केवल 1.47 प्रतिशत कम रहा। हमने वास्तव में अनुमानों का 98.53 प्रतिशत संग्रह किया।

1 अप्रैल, 2007 से हमने 50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक उत्पाद शुल्क देनदारी वाले कर निर्धारितियों द्वारा अनिवार्य उत्पाद शुल्क का इलेक्ट्रानिक भुगतान किया जाना शुरू किया है। हम डी जी सी ई आई को मजबूत बना रहे हैं तथा लेखापरीक्षक कर निर्धारितियों की वृद्धि कर रहे हैं।

विशिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की दरों में कमी लाने के संबंध में कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र आधारित छूट सहित कर छूट ने भी अपनी भूमिका निभायी है। इस परिस्थिति में, हमने वर्ष 2007-08 के लिए 2006-07 की तुलना में 10 प्रतिशत लक्षित वृद्धि दर निर्धारित की है तथा इसे प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे।

[श्री पी. चिदम्बरम]

श्री संदीप दीक्षित ने ड्रिप सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई प्रणालियों तथा पान मसाला का उल्लेख किया है। मैंने वास्तव में ड्रिप तथा छिड़काव सिंचाई प्रणाली पर सीमाशुल्क में 7.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, इन प्रणालियों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। पान मसाला पर 16% औसत सेनवेट की तुलना में, तम्बाकू वाला पान मसाला पर 66 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है। ऐसे पान मसाला जिसमें तम्बाकू नहीं है तथा इसमें माउथ फ्रेशनर शामिल हैं, पर सुझावों को देखते हुए हमने दर कम करके 45 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन यह औसत सेनवेट दर से तीन गुणा अधिक है।

श्री हरिन पाठक ने सेवा कर का मामला उठाया। सेवा कर पहली बार 1994-95 में लगाया गया। यह सच है कि आज की तिथि तक पिछले बारह वर्षों में 100 सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया। इसमें से, 1994-96 के दौरान तीन सेवाएं जोड़ी गई; 1996-98 के दौरान 12 सेवाएं जोड़ी गई; 1998-2004 के दौरान 47 सेवाएं जोड़ी गई; तथा सं.प्र.ग सरकार द्वारा 44 सेवाएं जोड़ी गई। लेकिन छह सेवाओं को मिलकर एक कर दिया गया है। कर नेट के अंतर्गत 100 सेवाओं को लाने में कोई अनुचित बात नहीं है। सेवा तंत्र सकल घरेलू उत्पाद का 56 प्रतिशत है। सेवा कर मूल्य वर्धित कर है जैसे कि उत्पाद शुल्क वस्तुओं के मूल्य संवर्धन पर कर है, सेवा कर सेवाएं प्रदान करके मूल्य संवर्धन पर कर है। 'सेवा' शब्द को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए। यह वस्तुओं के संदर्भ से विपरीत भिन्न अर्थ में उपयोग किया जाता हैं यद्यपि सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 56 प्रतिशत है, सेवा कर ने 2006-07 के कुल राजस्व संग्रहण में केवल 7.92 प्रतिशत योगदान किया। सेवा कर राजस्व भविष्य में बढ़ेगा।

इसके आगे माननीय सदस्यगण इस बात को ध्यान में रखें कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होनेवाले तथा सभी राज्यों की सहमति से हम वस्तु तथा सेवा कर की ओर बढ़ रहे हैं। जी एस टी सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल करेगा तथा अपवाद बहुत थोड़े होंगे।

माननीय सदस्यों, विशेषतया से श्रीमती किरण माहेश्वरी को याद होगा कि 2004-05 तक सेवा करों से कोई न्यूनतम छूट सीमा नहीं थी। सं.प्र.ग. सरकार ने 1.4.2005 से 4 लाख रु. की न्यूनतम छूट सीमा लागू की। इस वर्ष मैंने न्यूनतम छूट सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रु. कर दी है जिसके चलते 2 लाख सेवा प्रदाता कर नेट से बाहर हो गए हैं। सेवा प्रदाताओं ने इसका स्वागत किया है।

किराये पर देना भी सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल होता है। यह मूल्य वर्धित सेवा है। इस पर सेवा कर लगता है। यह सार्वभौखिक प्रथा है। समूचे विश्व में किराए पर दिया जाना एक ऐसी गतिविधि है जो सेवा कर के अधीन है। हमने सेवा कर केवल वृहत व्यावसायिक संपत्तियों पर लगाया है। छोटे दुकान तथा प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है क्योंकि सेवा प्रदाता जो इस मामले में संपत्ति का मालिक होता है, हेतु 9 लाख रु. बनी हुई न्यूनतम छूट सीमा है। आवासीय संपत्तियों को छूट मिली है। शिक्षा तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए तथा खेल कूद तथा मनोरंजन के लिए संपत्तियों पर छूट मिली है। वृहत शापिंग माल या व्यावसायिक कोम्प्लेक्सों के संबंध में सेवा कर दिया जाना होगा लेकिन भुगतान किया गया सेवाकर देय सेवा कर या उत्पाद शुल्क के प्रति इनपुट क्रेडिट के रूप में समायोजित किया जा सकता है। अतएव, सेवा कर की नेट देनदारी काफी कम है।

श्री रूपचंद पाल कुल व्यय के बारे में जानना चाहते थे। 2006-2007 में योजना व्यय का संशोधित अनुमान 1,72,730 करोड़ रु. है। और योजना व्यय का अनुमानित व्यय 4,08,907 करोड रु. है। अंतिम आकड़ा इस माह के अंत तक उपलब्ध होगा पर मैं जानकारी दे दूं कि कुल व्यय संशोधित अनुमान के अधीन होगा। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सेवा को को समयपूर्ण छोड़ने वाले आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है। मैं यह जानकारी दे दूं कि जून 2004 से जब हमारी सरकार सत्ता में आई मेरे पास पहले का कोई आंकड़ा नहीं हैं, मैंने इसका संग्रहण नहीं किया है- कुल 4150 ग्रुप 'क' अधिकारियों में से 103 ने सेवा छोड़ी। लेकिन हमने गत पांच वर्ष में आयकर विभाग में औसतन 65 ग्रुप 'क' अधिकारी भर्ती किए तथा इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सेवा छोड़ने वालों में से 80 प्रतिशत पदोन्नत अधिकारी है जो ग्रुप 'क' में पदोन्नत होकर अपनी भर्ती के जोन से बाहर जाकर काम करने की बजाय सेवा छोड़ देते हैं। यह पदोन्नत अधिकारियों की काफी स्वाभाविक प्रक्रिया है।

श्री खगेन दास ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए आबंटन पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। बजट आबंटन 2006-07 में 12,041 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2007-08 में 14,365 करोड़ रु. कर दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य गण जानते हैं कि किसी मंत्रालय या विभाग के बजट आबंटन

की 10 प्रतिशत राशि में से कोई राशि जो व्यय नहीं की जाती है वह अव्यपगत लेखे में जाएगी तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग के मंत्रालय को उपलब्ध कराई जायगी। यही वर्ष 2007-08 के लिए किया जा रहा है। हमने पुरानी प्रथा का अनुसरण किया है।

वित्त विधेयक के आगे, कई सदस्यों ने मुद्रास्फीति के प्रश्न पर बहुमूल्य हस्तक्षेप किया है। सरकार स्वीकार करती है कि विशेषरूप से आवश्यक वस्तुओं के संबंध के मूल्य में वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक 6 प्रतिशत के आप पास है, प्राथमिक वस्तुओं के समूह में मुद्रास्फीति दर 12.36 प्रतिशत है। मैं मानता हूं कि मुद्रास्फीति के मुद्दे पर पृथक चर्चा अगले सप्ताह होनी है। मैं उस चर्चा में मुद्रास्फीति पर विस्तार से चर्चा करूंगा, इस समय मुझे वर्तमान मुद्रास्फीति के कारणों की संक्षिप्त सूची प्रस्तुत करने दें। मैं वर्तमान मुद्रास्फीति को सही परिप्रेक्ष में रखना चाहूंगा। वृहत रूप से, वर्तमान मुद्रास्फीति के पीछे पांच कारण हैं।

सर्वप्रथम विश्वव्यापी रूप से कच्चा तेल सहित वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से धातु मूल्यों में प्रत्येक वर्ष लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दूसरी बात आवश्यक वस्तुओं के बीच मांग पूर्ति के बीच विभेद है। यह चीनी के साथ शुरू हुआ तब गेहूं की बारी आई तथा चीनी की स्थिति में सुधार होने होते विभेद दालों में आया। आपूर्ति मांग के बीच विभेद गेहूं, धान तथा दाल के गत दस वर्षों में उत्पादन की स्थिरता है। एकमात्र स्वीकार्य उत्तर है गेहूं, धान तथा दाल का उत्पादन बढ़ाना तथा इस बीच आपूर्ति को आयात द्वारा बढ़ाना है।

तीसरे, सरकारी व्यय बढ़ता रहा है तथा यह सं.प्र.ग. सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र में व्यय वृद्धि की एन सी एम जी प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में सही भी लगता है। ऐसे व्यय मांग में वृद्धि करते हैं। हमने धान तथा गेहूं के खरीद मूल्य में भी वृद्धि की है ताकि हमारे किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। ये निर्णय जिन्हे ठीक आर्थिक आधारों पर उचित ठहराया जा सकते हैं, का भी मुद्रस्फीतीय प्रभाव पड़ेगा।

चौथे, सकल घरेलू उत्पाद की उच्चतर वृद्धि दर ने वस्तुओं तथा सेवाओं की उच्चतर मांग पैदा की है। कल तथा इसके एक दिन पूर्व प्रकाशित एन एस एस ओ सर्वेक्षण उपयोग में वृद्धि की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह ऋण की उच्चतर वृद्धि तथा इस तथ्य कि कई उद्योग पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं जैसे कि सीमेंट को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप मूल्य निर्धारण शक्ति उत्पाद को तथा विक्रीकर्ताओं के पास पहुंच गई है।

पांचवीं बात, पूंजीगत आगम, यथा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी संस्थागत निवेश विदेशों से भेजे गए पैसे, निजी इक्विटी वाह्य व्यावसायिक ऋण तथा निर्यात आय ने मुद्रा आपूर्ति को काफी बढ़ा दिया है।

मुद्रास्फीति को रोकने के तीन उपाय है— राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति तथा आपूर्ति उपाय। राजकोषीय नीति पर, हमारे माननीय सदस्य जानते है कि हमने जनसामान्य के उपयोग की कई तरह की वस्तुओं पर सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी की है। गेहूं तथा दाल खुली सामान्य लाइसेंसिग पर हैं। उन पर शून्य सीमाशुल्क लगता है। खाद्य तेलों पर सीमाशुल्कों में काफी कमी की गई है। उद्योगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल पर सीमाशुल्क में भी कटौती की गई है।

मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने मांग तथा ऋण वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। सी आर आर को छह चरणों में 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। आवास, व्यावसायिक सम्पदा पूंजी तथा एन वी एस एफ सहित कई क्षेत्रों के लिए 'रिस्क वेट्स बढ़ा दी गई है। 20 लाख रु. तक आवास ऋण पर रिस्क वेट्स' को कमकर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक एल ए एफ का भी परिचालन कर रहा है तथा बाजार स्पष्टीकरण योजनाओं का परिचालन कर रहा है।

आपूर्ति से संबंधित उपायों में - मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री ने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के उत्तर में आवश्यक वस्तुओं, विशेषरूप से खाद्यान्नों तथा दालों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा की है। जहां तक वित्त मंत्रालय का संबंध है, हमने कई खाद्य वस्तुओं के लिए धनराशि प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की है। कृषि एवं सिंचाई के लिए काफी ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है।

2007-08 के प्रति बजट ने कृषि में एक नया बल प्रदान किया है। मैं सम्मानपूर्वक माननीय सदस्यों से मेरे बजट भाषण के 43 से 64 पैराग्राफ का संदर्भ लेने का अनुरोध करता हूं। यह मेरा विश्वास है कि सरकार द्वारा किए गए उपाय निकट भविष्य में फलीभूत होंगे।

मैं वर्तमान मुद्रास्फीति को सही प्रिरप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। 2006-07 में औसत मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत थी तथा सर्वाधिक मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत

[श्री पी. चिदम्बरम]

थी सरकार के विचार से, यह अभी भी काफी ज्यादा है तथा इसे 4.5 प्रतिशत के अंदर रखा जाना है। तथापि, मैं यह बता दूं कि 1998-99 में औसत मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी, 2000-01 में वह 7.2 प्रतिशत थी; 2003-04 में यह 5.5 प्रतिशत थी। इन वर्षों में सर्वाधिक दर क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 8.8 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत थी। मैं सदस्यों को याद दिला दूं कि वर्ष 2000-01 में मुद्रास्फीति 48 सप्ताहों में 6 प्रतिशत से ऊपर था तथा 48 में से 12 सप्ताहों में 8 प्रतिशत से ज्यादा थी। तथापि, तत्कालीन सरकार ने मुद्रास्फीति को तत्पश्चात कम किया। मुझे विश्वास है कि जनवरी 2007 से 6 प्रतिशत के आस पास जो चालू मुद्रास्फीति की दर है, वह सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्ति पक्षीय मौद्रिक और वित्तीय उपायों के साझा प्रयास से कम होगी।

अब मैं, कर प्रस्तावों में परिवर्तन के लिए विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों की बात करूंगा। कई माननीय सदस्यों ने भी इन मामलों का जिक्रकिया है। प्रथमतः, अप्रत्यक्ष कर, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क खनिज संरक्षित करने और कुछ राजस्व प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से लागू किये गये थे। विश्व बाजार में लौह अयस्क की बड़ी अच्छी कीमत मिलती है। वर्ष 2006-07 में कीमतों में 19 प्रतिशत और अप्रैल 2007 में और 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लौह अयस्कों पर निर्यात शुल्क में वृद्धि का सभी पक्षों ने स्वागत किया है। बारीक लौह अयस्क विशेषतः निम्न एफ ई धारिता वाले बारीक लौह अयस्क जिनका घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा मुख्यतः इस्तेमाल नहीं किया जाता है के संबंध में निर्यात शुल्क पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सभी पणधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात मैं 62 प्रतिशत एफ ई धारित वाले और 30 रुपये प्रति टन से कम कीमत वाले बरीक लोह अयस्क पर निर्यात शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूं और 62 प्रतिशत एफ ई धारिता से अधिक वाले बारीक लौह अयस्क तथा आयरन लम्ब पर शुल्क 300 रु. प्रति मीट्रिक टन रहेगा। 62 प्रतिशत से कम एफ ई धारिता वाले लौह अयस्क का कुल निर्यात मात्र 10 मीट्रिक टन है हम यह चाहते हैं कि वह देश से बाहर जाए और शेष को देश में बचाकर रखा जाए। यदि वे ऐसे अयस्क का निर्यात करते हैं तो उन्हें निर्यात कर देना होगा।

गत एक वर्ष में निकेल की कीमत में भारी वृद्धि हुई है और अप्रैल 2007 में यह 50,000 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गयी है। निकेल भारत में उपलब्ध नहीं है। यह इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। अतएव मैं निकेल पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

एल ए बी जैसे रसायनों के विनिर्माण में एन पराफिन एक मूल फीडस्टाक है। इसे अन्य फीडस्टाक के समान बनाते हुए मैं एन पराफिन पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए प्रशिक्षित वाहनों की आवश्यकता होगी। अतएव मैं ऐसे वाहनों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने तथा सी वी डी पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने हीरों की कटाई और पालिश पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया था। रत्नाभूषण उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि अन्य देशों के समान शुल्क शून्य प्रतिशत होना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तदनुरूप शुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया जाएगा। हालांकि यदि हम पाते हैं कि इस निर्णय का नही तराशे गए हीरों के आयात पर अथवा कटाई और पालिश उद्योग में रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो हम इस निर्णय की तत्काल समीक्षा करेंगे। हमारा इरादा भारत से कटाई और पालिश उद्योग का संरक्षण, संवर्धन और विस्तार करना है।

सोयाबरी एक पोषक खाद्य पदार्थ है। रेडी टू ईट डिब्बाबंद खाद्य भी लोक प्रिय हो रहे हैं। इन दो मदों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क है। अन्य सभी खाद्य मिश्रणों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है। अतएव मैं सोयाबरी और रेडी टू ईट डिब्बाबंद खाद्य को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने बजट भाषण में मैंने प्रस्ताव किया है कि 50 रु. प्रति किलो से अनधिक खुदरा बिक्री मूल्य वाले बिस्किटों को उत्पाद शुल्क से छूट मिलेगी। अभ्यावेदनों के जवाब में ये 100 रु. प्रति किलोग्राम से अनधिक खुदरा मुल्य वाले बिस्किटों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

एक विशिष्ट मेमब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित जल शुद्धिकरण उपकरण को मैंने उत्पाद शुल्क से छूट दी थी। बी ए आर सी का अनुरोध है कि यह छूट पॉली-सुफलान मेमब्रेन आधारित जल शुद्धिकरण उपकरण को भी दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रौद्योगिकी भी समान रूप से प्रभावी है। मैं सुझाव को स्वीकार करने तथा ऐसे उपकरणों को मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

सीमेंट कीकीमतें बहुत अधिक हैं तथा इससे उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सीमेंट उद्योग ने दोहरी उत्पाद शुल्क प्रणाली का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। अतएव सरकार ने आयात शुल्क 0 प्रतिशत कर दिया तथा सी वी डी भी हटा दिया। शुल्क की दोहरी विशेष दरों का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ अतएव उसे जारी रखना वाजिब नही है। इसीलिए, ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि सीमेंट की दोहरी दरों को हटाया जाए। प्रतिबैग 190 रु. या कम कीमत पर बिकने वाले सीमेंट पर 350 रु. प्रति मीट्रिक टन के रियायती विशिष्ट शुल्क जारी रहेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ सीमेंट उद्योग हैं जो 190 रु. से कम पर बेच रहे है तथा उन्हें रियायती दर मिलता रहेगा। 190 रु. प्रति बैग से अधिक की कीमत पर बिकने वाले सीमेंट के संदर्भ में विशिष्ट दर के स्थान पर हम थैले के पीछे दिए गए खुदरा बिक्री मूल्य के 12 प्रतिशत के यथा मूल्य शुल्क दर आरम्भ कर रहे हैं। माननीय सदस्य अवगत हैं और जैसा कि प्रो. रामदास ने उल्लेख किया है कि उत्पाद शुल्क लगाने का एक सामान्य तरीका यथा मूल्य लेवी है। इसका परिणाम होगा कि प्रति थैला 190 रु. या उससे कम मूल्य वाले सीमेंट पर रियायत जारी रहेगी; उच्च मूल्य पर बिकने वाले सीमेंट पर यथा मूल्य दर लागू होगी। उत्पाद शुल्क दायित्वों पर 7 रु. प्रति बैग की प्रभावी कटौती होगी। में अपेक्षा करता हूं कि अब घोषित पैकेज पर सीमेंट उद्योग सकारात्मक जवाब देगा और सीमेंट की कीमतें घटाएगा। किसी भी अन्य उद्योग की तरह इस उद्योग पर समाज के व्यापक हित का ध्यान रखने का दायित्व है।

अपराह्न 4.00 बजे

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि मैंने बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में बढोत्तरी का प्रस्ताव किया है जिसे 2001 में अन्तिम बार संशोधित किया गया था। यह बढोत्तरी गैर मशीन निर्मित बीड़ी के लिए 4 रु. प्रति हजार थी। उद्योग और बहुत सारे माननीय सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन के जवाब में मैं इसे आधा घटाने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, यह बढोत्तरी गैर-मशीन निर्मित बीड़ियों पर भी यह वृद्धि मूल बजट प्रस्ताव के 29 रु. प्रति हजार के स्थान पर 22 रु. से 26 रु. प्रति हजार होगी।

जिप फास्टनर वस्त्र और चमड़े के वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत शून्य सीमा शुल्क पर देश में जिप फास्टनर आता है। घरेलू उत्पादक और कुछ माननीय सदस्यों ने 16 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है। इन अभ्यावेदनों को स्वीकार करते हुए मैं उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर आठ प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सदस्य अवगत हैं कि मैंने सरकार तथा अधिसूचित एयर लाइनों को छोड़ कर विमानों के आयात पर सीमा शुल्क, सी वी डी और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने फ्लाइंग क्लबों और इंस्टीट्यूट्स द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु तथा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट और सिफारिश किए गए पंजीकरण की शर्तों के अन्तर्गत और अधिसूचित नियत स्थान से स्थान तक और गैर अधिसूचित चार्टर आपरेटरों द्वारा विमान आयात को छूट देने के लिए पुर जोर अभ्यावेदन दिया है। चूंकि नागर विमानन एक नया और विकासशील उद्योग है अत: इस अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है और इन श्रेणियों को सभी शुल्कों से मुक्त किया जाता है।

अब मैं प्रत्यक्ष कर की बात करता हूं। वित्त विधेयक में मैंने 8 सेक्टरों में निवेश करने वाले उद्यमी पूंजीगत निधियों को पास-थ्रू दर्जा दिया है। ऐसा निवेदन है कि यह रियायत अवसंरचना क्षेत्र को भी दिया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 80(1) (क) (4) () के स्पष्टीकरण में सूचीबद्ध अवसंरचना सुविधाओं में उद्यमी पूंजीगत निधियों द्वारा निवेश को रियायत दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने वाले वित्त विधेयक के खण्ड 10 के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। श्री रूपचंद पाल और अन्य माननीय सदस्यों ने आज अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और आशा कि है कि मैं अनुकूल उत्तर दूंगा। मैं अनुकूल उत्तर दे रहा हूं। मैं राहत देना चाहता हूं किन्तु मैं चाहता हूं कि आप धारा 17 का इतिहास जाने क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसे समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

1987-88 से ही किराया मुक्त या रियायती किराया आवास पर वेतन के 10 प्रतिशत या उचित बाजार किराया जो भी कम हो, की दर से कर लगता था। यह प्रावधान 20 वर्ष रहा। वर्ष 2001-02 में उचित बाजार किराया की संकल्पना छोड़ दी गयी और रियायती आवास के मूल्य को वेतन के 7.5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है जो वास्तविक प्रदत्त किराया घट कर जनसंख्या पर निर्भर करेगा। उस समय किसी ने शिकायत नहीं की जो उचित ही है क्योंकि सब जगह यही पद्धति अपनायी जाती है और वह पद्धति गत बीस वर्षों से अपनायी गयी है। इस प्रावधान को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालयों

[श्री पी. चिदम्बरम]

ने प्रावधान को सही ठहराया। कुछ कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। अपील के लम्बित होने पर महोदय इस वर्ष नहीं बल्कि दो वर्ष पहले वित्तीय वर्ष 2005-07 में रियायती आवास के मूल्य को जनसंख्या के आधार पर संशोधित करके जैसा मामला हो, 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत कर दिया गया। इस परिवर्तन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस प्रस्ताव के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं की और संसद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। हाल ही में दिए गए एक निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में धारणा उपबन्ध की अनुपस्थिति में प्रत्येक मामले में 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की दर लागू करने से पहले रियायत के तथ्य सिद्ध किये जाने चाहिए। उन्होंने उपबंध को सही ठहराया किन्तु यह कहा कि आपको यह प्रक्रिया अपनानी होगी। न्यायालय का निर्णय सरकार के खिलाफ नहीं है। वस्तुत: यह धारणा उपबन्ध अंत: स्थापित करके एक रास्ता सुझाता है।

यदि प्रत्येक मामले में निर्णय को लागू किया जाएगा तो इसका तात्पर्य होगा निर्धारितियों को असुविधा ओर लम्बी प्रक्रियाएं। अतएव यह निर्णय लिया गया कि वित्त विधेयक के खण्ड 10 के माध्यम से धारणा उपबन्ध अन्तर्विष्ट किया जाए जो हम कर रहे है। अतएव मैं कहता हूं कि वित्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधन बिल्कुल सही है। हालांकि, मुझे वर्ष 2005-06 में मेरे द्वारा शुरू की गयी 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर के बारे में शिकायत वाले कई अभ्यावेदन मिले हैं। सुझावों के प्रति सकारात्मक होने के कारण तथा राहत देने के लिए मैंने रियायती आवास का मूल्य तय करने के लिए लागू होने वाले दर की समीक्षा की है और मैंने यह तय किया है कि यदि आबादी 25 लाख से ऊपर हो तो दरों को 20 प्रतिशत से कम करके 13 प्रतिशत; यदि आबादी 10 और 25 लाख के बीच है तो 10 प्रतिशत और यदि आबादी 10 लाख से कम है तो 7.5 प्रतिशत किया जाए। इससे सभी कर्मचारियों को भारी राहत मिलेगी मैं इस कटौती को वित्त वर्ष 2005 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का भी प्रस्ताव करता हूं जब से 20 प्रतिशत की दर शुरू की गयी थी। किसी पर भी कोई भूतलक्षी दायित्व नहीं होगा।

महोदय, फ्रिंज बेनीफिट के रूप में ई-सोप्स पर कर लगाने के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। पूरी दुनिया में ई सोप्स पर कर लगते हैं। मेरे पास उन देशों की पूरी सूची है जो ई सोप्स पर कर लगाते हैं। हमने कुछ भी अलग नहीं किया है सिवाय यह कि हमने नियोक्ता पर कर लगाया है जो कर्मचारी की सहमति से अथवा योजना में अनुबंध बना कर कर्मचारी से कर वसूल सकता है। अत: ये कर बने रहेंगे। तथापि, प्रतिवेदनों के उत्तर में, मेरा विचार कुछ राहत देने का है। प्रत्येक वर्ष कराधान के प्रयोजन से ई-सोप्स का बाजार मूल्य विकल्प के उपलब्ध होने की तिथि पर किया जाएगा न कि शेयरों के अंतरण के आवंटन की तिथि पर। ई-सोप्स के धारण की उपलब्धि की गणना भी अंतरण के ऐसे आवंटन की तिथि से शुरू की जाएगी।

कुछ बजट उद्घोषणाओं जैसे नयी औद्योगिक नीति, सहकारिता बैंकों के समामेलन और उनके अलग होने के लिए कर निरपेक्ष दर्जा और नाबार्ड रूरल बांडों में निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत कर लाभों के विस्तार को प्रभावी करने के लिए कुछ सरकारी संशोधन किए जा रहे हैं।

आज श्री सुरेश प्रभु ने तीन मुद्दे उठाए हैं। पहला प्रश्न अधिनियम की धारा 12 ए के बारे में है। वर्तमान में उपबंध है कि हमें ट्रस्ट के सृजन से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व आवेदन करना होता है और विलम्ब माफ करने की शक्ति सी.आई.टी. को दी गयी है। व्यवहार में हम पाते हैं कि ट्रस्ट अपने आवेदन बहुत देर से फाईल करती हैं और कई वर्षों के लिए माफी चाहती है 1 वित्त विधेयक के खंड 8 में माफी देने की शक्ति खत्म कर दी गयी है। परन्तु हमने कहा है कि आप ट्रस्ट निर्माण के बाद कभी भी आवेदन फाईल कर सकते हैं, किन्तु छूट सिर्फ आपके आवेदन की तारीख से ही होगी। तथापि, हमने पिछले वर्षों हेतु आवेदन फाईल करने के लिए लोगों को 28 फरवरी से अगले तीन महीने का समय दिया है। नया उपबंध 1 जून से लागू होगा। ऐसा करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त समय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जिसे चाहें उसे माफी हेतु आवेदन करने की सलाह दे सकते हैं। अभी भी पिछले वर्षों का ध्यान रखने हेतु पर्याप्त समय है।

रिफण्ड के बारे में एक प्रश्न था। हमने 2006-07 में अपेक्षाकृत अधिक रिफण्ड दिए हैं। सी.आई.टी. रिफण्ड 29,085 करोड़ रुपये है, पी.आई.टी. रिफण्ड 8,196 करोड़ रुपये है, तथा कुल रिफण्ड 37,281 करोड़ रुपये है। धारा 80 (त) के बारे में कुछ मुद्दे थे। हमने इस वित्त विधेयक में धारा 80 (त) के बारे में कुछ नहीं किया है। ऐसा दो वर्ष पहले किया गया था। तथ्य यह है कि सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1,11,745 है। इनमें से 1,09,476 धारा 80(त) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्हें इस धारा से अभी भी छूट प्राप्त है सभी सहकारी संस्थाएं नहीं बल्कि मात्र 2,269 सहकारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती है। पूरे देश में 2,269 संस्थाओं में से मात्र 1,746 संस्थाए लाभ कमा पाती है। कृपया बजट भाषण पढें। अब मैंने उन्हें धारा 36 (1) (viii)

का लाभ दिया है। इसलिए, कुछेक सहकारी संस्थाओं द्वारा अर्जित लाभ पर आयकर लगाने का प्रयोजन सहकारी संस्थाओं में लेखा संबंधी अनुशासन व विनियामक अनुशासन लाना है। जैसा कि आपको पता है कि अनेक राज्यों में — मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं — इससे पिछले अनेक वर्षों के दौरान अनेक घोटाले हुए हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सम्पूर्ण सहकारिता आन्दोलन को छूट में क्या कठिनाई है?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 1,11,745 सहकारिताओं में से 1,10,800 सहकारिताओं को छूट दी गयी है।

अंत में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कुछ प्रश्न किए गए हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रु. था, वर्ष 2003-04 तक यह बढ़कर 620 रुपये हो गया तथा वर्ष 2007-08 में हमने इसे बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया है। हमने अपनी सरकार के सत्ता में आने के चोथे साल में गेहूं के लिए 230 रुपये प्रति क्विन्टल अधिक दिए हैं। धान की आम किस्म के लिए वर्ष 1998-99 में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 440 रुपये था वह 550 रुपये हो गया और अब जाकर यह 620 रुपये हो गया है। धान की ग्रेड-ए क्वालिटी के लिए यह मूल्य 470 रु. से बढ़कर 580 रु. हुआ और अब 650 रुपये हो गया है। इस प्रकार हमने संप्रग सरकार के चार वर्षों के दौरान गेहूं और धान के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य दिए हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक की अनुशंसा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंड वार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 धारा 2 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 15 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें:-

(छ) खंड (42क) में 1 अप्रैल, 2008 से,-

(i) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में उपखंड (जक) के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें-

"(जख) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में जो नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनमें कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयर है वहां अवधि की संगणना ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयरों के आबंटन या अंतरण की तारीख से की जाएगी;।"

(ii) स्पष्टीकरण 2 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें-

स्पष्टीकरण-3 इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" और "श्रम साधारण शेयर" पदों का वही अर्थ होगा जो धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में है;।" (2)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4, और खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गए।

खंड 6 धारा 10 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 6, पंक्ति 48, "या" का लोप करें। (3)

पृष्ठ 6, पंक्ति 50 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

"(ऐ) ऐसी किसी अवसंरचना सुविधा का, जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में परिभाषित है, विकास या प्रचालन और अनुरक्षण या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करना; या" (4)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 धारा 12क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 26, "निर्धारण वर्ष के लिए" के स्थान पर "निर्धारण वर्ष से" रखें; (5)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(I) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 9 क धारा 13 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

9क. आय-कर अधिनियम की धारा 13 उपधारा (1) के खंड (घ) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगाऔर 1 अप्रैल, 1999 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) (अ) पब्लिक सेक्टर कंपनी में शेयरों,

(अ) धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) के अधीन विनिधान के रूप या ढंग के विहित शेयरों, से भिन्न किसी कंपनी में कोई शेयर न्यास या संस्था द्वारा 30 नवम्बर, 1983 के पश्चात् धारित है;"।'। (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 9 क विधेयक में जोड़ दिया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 9क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 धारा 17 का संशोधन

संशोधन किए गए

पृष्ठ 8 पंक्ति 24 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें-

'स्पष्टीकरण 3-इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, ''वेतन'' के अंतर्गत यथास्थिति एक या अधिक नियोजकों से मासिक रूप से या अन्यथा संदेय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या कोई धनीय संदाय, जिसे किसी नाम से पुकारा जाता हो, भी हैं किन्तु उसके अतर्गत निम्नलिखत नही है, अर्थात्:-

(क) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, जब तक कि वह संबद्ध कर्मचारी की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति फायदों की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिए जाते हो;

(ख) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोजक का अभिदाय;

(ग) ऐसे भत्ते जो कर के संदाय से छूट प्राप्त हैं;

(घ) इस खंड में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य;

(ङ) इस खंड के परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित किया गया कोई संदाय या व्यय।'। (7)

पृष्ठ 8, पंक्ति 25 से 36 के **स्थान** पर निम्नलिखित **रखें**,-

(ii) इस प्रकार **अंतःस्थापित** स्पष्टीकरण 1 में खंड (क) के **स्थान** पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, और 1 अप्रैल, 2006 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

''(क) ऐसे मामले में जिसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और-

(i) आवास नियोजक के स्वामित्वाधीन है वहां उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, विनिर्दिष्ट दर पर अवधारित आवास का मूल्य निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है;

(ii) आवास नियोजक द्वारा पट्टे पर या किराए पर लिया जाता है वहां आवास का मूल्य जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभाग में था, नियोजक द्वारा वास्तविक रूप से या वेतन के पंद्रह प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की रकम है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है;'';

(iii) इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 3 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा; अर्थात्:-

स्पष्टीकरण 4.- इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट दर''-

(i) ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार पच्चीस लाख से अधिक है, वेतन का पंद्रह प्रतिशत होगी,

(ii) ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक है किन्तु पच्चीस लाख से अधिक नहीं है, वेतन का दस प्रतिशत होगी; और

(iii) किसी अन्य स्थान में वेतन का साढ़े सात प्रतिशत होगी।'';। (8)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : तो, जो राहत दे दी गई हैं, वह दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 धारा 36 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 15 और 16, "भारत में औद्योगिकी या कृषि विकास या अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार" के स्थान पर, "भारत में औद्योगिक या कृषि विकास या अवसंरचना सुविधा के विकास या आवास प्रयोजनों के लिए भारत में गृह के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार" देखें। (9)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 13क नई धारा 44 घ ख का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें:-

"13क, आय-कर अधिनियम की धारा 44घक के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

44घख, (1) धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के अधीन कटौती, ऐसे मामले में जहां किसी सहकारी बैंक के कारबार का पुनर्गठन वित्तीय वर्ष के दौरान हुआ है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।

(2) धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के अधीन पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी-

$$क \times \frac{ख}{ग}$$

जहां क पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम मानो कारबार का पुनर्गठन हुआ ही न हो;

ख वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ होने वाली और कारबार पुनर्गठन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित दिनों की संख्या; और

ग उस वित्तीय वर्ष में कुल दिनों की संख्या जिसमें कारबार पुनर्गठन हुआ है।

(3) धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के अधीन उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी-

क × $\frac{\text{ख}}{\text{ग}}$

जहां क पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम मानो कारबार का पुनर्गठन हुआ ही न हो;

ख कारबार पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित दिनों की संख्या; और

ग उस वित्तीय वर्ष में कुल दिनों की संख्या जिसमें कारबार पुनर्गठन हुआ है।

(4) धारा 35घ, धारा 35घध या धारा 35घधक के उपबंध, उस दशा में जहां उक्त धारा के अधीन कटौती के हकदार पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक का उपक्रम उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को कारबार के पुनर्गठन के कारण अंतरित किया जाता है, कारबार पुनर्गठन के वर्ष के पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों में उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को ऐसे लागू होंगे जैसे वे पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को लागू होते यदि कारबार का पुनर्गठन नहीं हुआ होता।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "समामेलित सहकारी बैंक" से-

(i) ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जिसके साथ एक या अधिक समामेलक सहकारी बैंक विलय करते हैं;

(ii) कोई नया सहकारी बैंक बनाने के लिए विलय करने वाले बैंकों में से प्रत्येक सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "समामेलक सहकारी बैंक" से-

(i) ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जो किसी अन्य सहकारी बैंक के साथ विलय करता है;

(ii) एक नया सहकारी बैंक बनाने के लिए विलय करने वाला प्रत्येक सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(ग) "समामेलन" से किसी समामेलक सहकारी बैंक या बैंकों का किसी समामेलित सहकारी बैंक के साथ ऐसी रीति में विलय अभिप्रेत है, जिससे कि-

(i) समामेलक सहकारी बैंक या बैंकों की सभी आस्तियां और दायित्व विलय से ठीक पहले (समामेलित सहकारी बैंक में, परिसमापन पर विक्रय या वितरण द्वारा अंतरित आस्तियों से भिन्न) समामेलित सहकारी बैंक की आस्तियां और दायित्व बन गए हैं;

(ii) समामेलक सहकारी बैंक में पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार धारण करने वाले सदस्य समामेलित सहकारी बैंक के सदस्य बन गए हैं; और

(iii) समामेलक सहकारी बैंक में मूल्य में पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक (विलय से ठीक पूर्व समामेलित सहकारी बैंक या उसके नामनिर्देशिती या उसका समनुषंगी बैंक द्वारा धारित शेयरों से भिन्न) समामेलित सहकारी बैंक के शेयरधारक बन गए हैं;

(घ) "कारबार पुनर्गठन" से ऐसे कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है जिसमें किसी सहकारी बैंक का समामेलन या पुनर्विलयन अंतर्वलितर्व;

(ङ) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गग1) में है।

(च) "पुनिर्विलयन" से किसी पुनर्विलयित सहकारी बैंक द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी अन्य पारिणामिक सहकारी बैंक को ऐसी रीति में अंतरण अभिप्रेत है, कि-

(i) अंतरण से ठीक पूर्व उपक्रम या उपक्रमों की सभी आस्तियां और दायित्व पारिणमिक सहकारी बैंक की आस्तियां हो जाते हैं;

(ii) आस्तियां और दायित्व पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरण से ठीक पूर्व उसकी लेखा बहियों में दर्शित मूल्यों पर (उनके पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आस्तियों के मूल्य में परिवर्तन से भिन्न) पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरण किए जाते हैं;

(iii) पारिणामिक सहकारी बैंक, अंतरण के प्रतिफल स्वरूप, पुनर्विलयित सहकारी बैंक के सदस्यों को आनुपातिक आधार पर अपनी सदस्यता जारी करता है;

(iv) पुनर्विलयीत सहकारी बैंक में मूल्य के आधार पर पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक (अंतरण से ठीक पूर्व पारिणामिक बैंक या उसके नामनिर्देशिती या उसके समनुषंगी बैंक द्वारा पहले से धारित शेयरों से भिन्न) पारिणामिक सहकारी बैंक द्वारा पुनर्विलयीत सहकारी बैंक या उसके किसी उपक्रम की आस्तियों के अर्जन के परिणामस्वरूप से अन्यथा पारिणामिक सहकारी बैंक के शेयरधारक बन जाते हैं;

(v) उपक्रम का अंतरण चालू समुत्थान आधार पर होता है; और

(vi) अंतरण केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने की, कि अंतरण वास्तविक कारबार के प्रयोजनों के लिए है, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार है;

(छ) "पुनर्विलयित सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जिसका उपक्रम पुनर्विलयन के अनुसरण में, पारिणामिक बैंक को अंतरित किया जाता है;

(ज) "पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक" से, यथास्थिति, समामेलक सहकारी बैंक या पुनर्विलयित सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(झ) "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" से, यथास्थिति, समामेलित सहकारी बैंक या पारिणामिक बैंक अभिप्रेत है;

(ञ) "पारिणामिक सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है-

(i) एक या अधिक ऐसे सहकारी बैंक जिन्हें पुनर्विलयित सहकारी बैंक का उपक्रम पुनर्विलयन में अतरित किया जाता है; या

(ii) पुनर्विलयन के परिणामस्वरूप बना कोई सहकारी बैंक। (10)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 13क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 13क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (I) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 13 ख **धारा 47 का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 15 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किए जाए :-

"13ख, आय-कर अधिनियम की धारा 47 में खंड (6ग) के **पश्चात्** निम्नलिखि 1 अप्रैल, 2008 से **अंतःस्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:-

(viगक) किसी कारबार पुनर्गठन में पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक द्वारा उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को पूंजी आस्ति का कोई अंतरण;

(viगख) किसी कारबार पुनर्गठन में किसी शेयरधारक द्वारा पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक में उसके द्वारा धारित शेयर या शेयरों के रूप में पूंजी आस्ति का कोई अंतरण यदि अंतरण उत्तराधिकारी सहकारी बैंक में किसी शेयर का शेयरों के उसको आबंटन के प्रतिफल स्वरूप किया जाता है।

स्पष्टीकरण- खंड (viगक) और खंड (6गख) के प्रयोजनों के लिए, "कारबार पुनर्गठन", पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक" और "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" पदों का वही अर्थ होगा जो धारा 44घख में उनका है;'।"। (11)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 13 ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 13 ख विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खंड 14 **धारा 49 का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 16 से 20 के **स्थान** पर निम्नलिखित **रखें**-

'14, आय-कर अधिनियम की धारा 49 में, 1 अपैल, 2008 से,-

(i) उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ङ) में "खंड (viकक)" शब्द, कोष्ठकों, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (viकक) या खंड (viगक) या खंड (viगख)" शब्द कोष्ठक, अंग और अक्षर रखें जाएंगे;

(ii) उपधारा (2कक) **के पश्चात्** निम्नलिखित उपधारा **अंतःस्थापित** की जाएगी, अर्थात् :-

"(2कख) जहां पूंजी अभिलाभ विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है वहा ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत वह उचित बाजार मूल्य होगा जिसको धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना करते समय ध्यान में रखा गया है।";

(iii) उपधारा (2घ) **के पश्चात्** और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा **अंतःस्थापित** की जाएगी, अर्थात् :-

"(2ङ) उपधारा (2), उपधारा (2ग) और उपधारा (2घ) के उपबंध यथासाध्य, धारा 44 घख में यथानिर्दिष्ट सहकारी बैंक के कारबार पुनर्गठन के संबंध में भी लागू होते हैं।"।,। (12)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खण्ड 15 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (i) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 17 क नई धारा 72 कख का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 12 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें:-

"17क, आय-कर अधिनियम की धारा 72कक के **पश्चात्** निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2008 से **अंतःस्थापित** की जाएगी, अर्थात्:-

'72कख, (1) निर्धारिती को, जो उत्तराधिकारी है, उस दशा में जहां समामेलन पूर्व वर्ष के दौरान पुर्वाधिकारी सहकारी बैंक की संचयित हानि और अनुपयोजित अवक्षयण का, यदि कोई हो, मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा मानो समामेलन हुआ ही नहीं हो और अवक्षयण की हानि और मोक के मुजरे और अग्रनयन से संबंधित इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

(2) इस धारा के उपबंध तभी लागू होंगे, जब-

(क) पूर्वाधिकारी सहकारी बैक-

(i) तीन या अधिक वर्षों तक बैंककारी कारबार में लगा रहा है; और

(ii) कारबार पुनर्गठन की तारीख को नियत आस्तियों के बहिमूल्य का कम से कम तीन चौथाई कारबार पुनर्गठन की तारीख से दो वर्ष पूर्व तक लगातार धारित करता है।

(ख) उत्तराधिकारी सहकारी बैंक-

(i) कारबार पुनर्गठन के माध्यम से अर्जित पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक की नियत आस्तियों के बहिमूल्य का कम से कम तीन चौथाई कारबार पुनर्गठन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों की न्यूनतम अवधि तक लगातार धारण करता रहा है;

(ii) पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक के कारबार को कारबार पुनर्गठन की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक जारी रखे हुए है; और

(iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है जो पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक के कारबार के पुनरूज्जीवन को सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विहित की जाएं कि कारबार पुनर्गठन वास्तविक कारबार प्रयोजन के लिए है।

(3) पारिणामिक सहकारी बैंक निर्धारिती को अनुज्ञेय संचयित हानि और अनुपयोजित अवक्षयण के मुजरे की रकम,-

(i) निर्विलयित सहकारी बैंक की संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण होगी, यदि ऐसी हानि या अनुपयोजित अवक्षयण की संपूर्ण रकम पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरिम उपक्रमों से सीधे संबंधित है; या

(ii) वह कम होगी जो निर्विलयित सहकारी बैंक की संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण के उसी अनुपात में होगी जो पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरित उपक्रम की आस्तियों का निर्विलयित सहकारी बैंक की आस्तियों से है ऐसी संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरित उपक्रम से सीधे संबंधित नहीं है।

(4) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारबार का पुनर्गठन वास्तविक कारबार प्रयोजनों के लिए है, उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन विहित शर्तों से भिन्न ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो आवश्यक समझे।

(5) पूर्व वर्ष के प्रारंभ से प्रारंभ होने वाली और कारबार पुनर्गठन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि

और ऐसे कारबार पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और पूर्व वर्ष के साथ समाप्त होने वाली अवधि हानि के अवक्षयण की हानि और मोक के मुजरे और अग्रनयन के प्रयोजनों के लिए दो भिन्न-भिन्न वर्ष समझी जाएगी।

(6) ऐसे मामले में जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं वहां उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को किसी पूर्व वर्ष में अनुज्ञात संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण का मुजरा उस वर्ष के लिए जिसमें शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, कर से प्रभार्य उत्तराधिकारी सहकारी बैंक की आय मानी जाएगी।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-यथास्थिति,

(क) "संचयित हानि" से समामेलक सहकारी बैंक या निर्विलयित सहकारी बैंक, यथास्थिति, की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन उतनी हानि अभिप्रेत है (जो सट्टे के कारबार से हुई हानि नहीं है) जिसके लिए ऐसा समामेलक सहकारी बैंक या निर्विलयित सहकारी बैंक, धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनयन और मुजरा करने के लिए हकदार होता मानो कारबार पुनर्गठन हुआ ही न हो;

(ख) "अनुपयोजित अवक्षयण" से समामेलक सहकारी बैंक या निर्विलयित सहकारी बैंक, यथास्थिति, के अवक्षयण के लिए उतना मोक अभिप्रेत है जो ऐसे बैंक को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष है और जो अनुज्ञात किया गया होता मानो कारबार पुनर्गठन हुआ ही न हो;

(ग) "समामेलित सहकारी बैंक", "समामेलक सहकारी बैंक", "समामेलन", "कारबार पुनर्गठन", "सहकारी बैंक" या "निर्विलयित सहकारी बैंक", "निर्विलयन", "पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक", "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" और "पारिणामिक सहकारी बैंक" पदों का वही अर्थ होगा जो धारा 44घख में उनका है।'। (13)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि नया खंड 17 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (I) के निलम्बन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17ख **धारा 80क का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 12 **के पश्चात्** निम्नलिखिज **अंतःस्थापित** किया जाए-

'17ख, आय-कर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (3)

(i) "धारा 80-झख" शब्द, अंकों और अक्षरों **के पश्चात्** "या धारा 80-झग" शब्द अंक और अक्षर **अंतःस्थापित** किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से **अंतःस्थापित** किए गए समझे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार **अंतःस्थापित** "धारा-80झग" शब्द, अंकों और अक्षरों **के पश्चात्**, "या धारा 80-झघ या धारा 80-झङ" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2008 से **अंतःस्थापित** किए जाएंगे।"। (14)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 17ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 धारा 80कग का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11 पंक्ति 13, 'या धारा 80 झघ' शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर 'या धारा 80 झङ', शब्द, अंक और अक्षर रखें। (15)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलम्बन हेतु प्रस्ताव।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 18 क धारा 80 ग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

"18क, आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (2) में, खंड (xxi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(xxii) 'कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे बंधपत्रों में, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में।'।"। (16)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 18 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 18क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 21 धारा 80क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 31 और 32 के स्थान पर रखें-

(ii) उपधारा (3), में-

(अ) खंड (क) में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित" शब्दों के स्थान पर, "विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (घ) के **पश्चात्**, निम्नलिखित खंड **अंतःस्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:-

(ङ) किसी व्यक्ति के संबंध में, "नातेदार" से उस व्यक्ति की पत्नी या पति और बालक अभिप्रेत हैं।'।"। (17)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिए गये।

नियम 80 (i) निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 23 क **धारा 80-झग का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 22 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें-

23क, आय-कर अधिनियम की धारा 80झग की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2008 से,-

(i) खंड (क) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2012" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2007" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2012" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2007" अंक और शब्द रखे जाएंगे।'। (18)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 23क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 23क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 24 क नई धारा 80-झङ का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

'24क. आय-कर अधिनियम में इस प्रकार अंतःस्थापित की गई धारा 80झघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

80झङ. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से ऐसे किसी उपक्रम को, जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत-प्रतिशत के बराबर की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(2) यह धारा किसी ऐसे उपक्रम को लागू होती है जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी राज्य में 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान,-

(i) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना;

(ii) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने के लिए सारभूत विस्तारण करना;

(iii) कोई पात्र कारबार करना;

आरंभ किया है या करता है।

(3) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है:

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है।

स्पष्टीकरण-धारा 80 झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उपक्रम को इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां इस धारा के अधीन या यथास्थिति, धारा 80झग या धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक या धारा 10ग के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक होती है।

(6) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम को लागू होंगे।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) ''आरंभिक निर्धारण वर्ष'' से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या सारवान विस्तार पूरा करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(ii) ''पूर्वोत्तर राज्यों'' में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत है;

(iii) ''सारवान विस्तार'' से ऐसे संयंत्र और मशीनरी में विनिधान में, विनिधान में, पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक की (किसी वर्ष में अवक्षयण को लेने से पूर्व) वृद्धि अभिप्रेत है जिसमें सारवान विस्तार किया जाता है;

(vi) ''पात्र वस्तु या चीज'' से निम्नलिखित से भिन्न वस्तु या चीज अभिप्रेत हैं:-

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के अधीन आने वाला माल, जो तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू स्थानापन्नों से संबंधित है;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के अधीन आने वाला पान मसाला;

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं.का.आ. 705(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1999 और का.आ. 698(अ), तारीख 17 जून, 2003 के तहत यथाविनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक थैले; और

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अधीन आने वाला पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित माल;

(v) ''पात्र कारबार'' से निम्नलिखित का कारबार अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(क) होटल (दो-सितारा प्रवर्ग से कम नहीं);

(ख) साहसिक और खाली समय के खेल-कूद, जिसके अंतर्गत रज्जूमार्ग भी है;

(ग) 25 बिस्तरों की न्यूनतम क्षमता वाले परिचर्या गृह में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना;

(घ) वृद्धाश्रम चलाना;

(ङ) होटल प्रबंध, खानपान और खाद्य कौशल, उद्यम विकास, परिचर्या और परा-चिकित्सा, नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण, फैशन डिजाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाना;

(च) सूचना-प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र चलाना;

(छ) सूचना-प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण करना; और

(ज) जैव-प्रौद्योगिकी।'।'। (19)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खण्ड 24 (क) विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 24(क) विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खण्ड 25 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 31 **धारा 115 कग का संशोधन**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 15 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-

'(खक) उस तारीख को, जिसको विकल्प कर्मचारी के साथ निहित होता है, धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य में से ऐसी प्रतिभूति या शेयरों की बाबत कर्मचारी द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त या उससे वसून की गई रकम को घटा दिया गया हो।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "उचित बाजार मूल्य" से ऐसी पद्धति के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए;

(ii) "विकल्प" से किसी कर्मचारी को पूर्व अवधारित कीमत पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयरों के लिए आवेदन करने का अनुदत्त कोई अधिकार अभिप्रेत है किन्तु वह बाध्यता नहीं हैं।'। (20)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 32 धारा 115 ब ब का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 44 से पंक्ति 47 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

"(3) जहां कोई निर्धारिती, जो कंपनी है, किसी किस्त के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर नियत तारीख तक संदेय रकम से कम है वहां वह निम्नलिखित दर से परिकलित साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा,-

(i) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत से कम होता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास;

(ii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के पैंतालीस प्रतिशत से कम होता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास;

(iii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 दिसंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के पचहतर प्रतिशत से कम होता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास; और

(iv) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदत्त अग्रिम कर संदेय अग्रिम कर के शत-प्रतिशत से कम होता है, एक प्रतिशत;

(4) जहां कोई निर्धारिती, जो कंपनी है, से भिन्न व्यक्ति है, किसी किस्त के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर नियत तारीख तक संदेय रकम से कम है वहां वह निम्नलिखित दर से परिकलित साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा,-

(i) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के तीस प्रतिशत से कम होता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास;

(ii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 दिसंबर को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के साठ प्रतिशत से कम होता है, तीन मास के लिए एक प्रतिशत प्रति मास; और

(iii) किसी ऐसी रकम पर, जिस पर वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदेय अग्रिम कर के शत-प्रतिशत से कम होता है, एक प्रतिशत;

(5) जहां कोई निर्धारिती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है, या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर धारा 115बङ या 115बच या धारा 115बछ के अधिन निर्धारित कर के

नब्बे प्रतिशत से कम है, वहां निर्धारिती उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से धारा 115बङ या 115बच या धारा 115बछ के अधीन कर के निर्धारण की तारीख तक की अवधि वाले प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।'' (21)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 32 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के निम्न 80 के खण्ड (i) को, जहां, तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा। और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के निम्न 80 के खण्ड (i) को, जहां, तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा। और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 32क नई धारा 115 बटक का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 47 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें,-

'32क, आय-कर अधिनियम की धारा 115बट के **पश्चात्** निम्नलिखित धारा **अंतःस्थापित** की जाएगी, अर्थात्:-

''115बटक, ऐसे किसी करार या स्कीम में किसी बात के होते हुए भी जिसके अधीन धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयर नियोजक द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके **पश्चात्** प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किया गया है, नियोजक के लिए उस करार या स्कीम में परिवर्तन करना विधिपूर्ण होगा जिसके अधीन ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयर आबंटित या अंतरित किया गया है जिससे कि कर्मचारी से अनुषंगी फायदा कर उस सीमा तक वसूल किया जा सके जिस तक ऐसा कर्मचारी, कर्मचारी को दिए गए और धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन अवधारित अनुषंगी फायदों के मूल्य के संबंध में अनुषंगी फायदा कर का संदाय करने का दायी है।''।'। (22)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नए खंड 32क विधेयक में जोड़ दिया जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 32क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 36 नई धारा 139 ग और 139 घ का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 14, ''संपरीक्षित रिपोर्टों'' के स्थान पर ''संपरीक्षा की रिपोर्टों'' रखें। (23)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54 धारा 245ग में संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 10 और 11, '(4) निर्धारित उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा।' के स्थान पर, '(4) निर्धारित, उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को, समझौता आयोग को ऐसा आवेदन किए जाने की, विहित रीति में सूचना भी देगा।" रखें। (24)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 54, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 54 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 55 धारा 245ध में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 24, "नौ मास" के स्थान पर "बारह मास" रखें। (25)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 55 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 55, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56 से 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 67 धारा 271 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 49, "और यह दावा करता है" के स्थान पर "और वह यह वादा करता है" रखें। (26)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 67 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 68 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 69 नई धारा 292ग का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 23, पंक्ति 35, और 36, "किसी तलाशी के दौरान" के स्थान पर "धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान" रखें। (27)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 69, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 69, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड संख्या 70 से 75 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 76 धारा 22 ग में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 27 और 28, '(4) निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा।' के स्थान पर, '(4) निर्धारिती, उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को, समझौता आयोग को ऐसा आवेदन किए जाने की, विहित रीति में सूचना भी देगा।''। रखें। (28)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 76 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 76 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 77 धारा 22घ में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 39, "नौ मास" के स्थान पर "बारह मास" रखें। (29)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 77, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 77 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 78 से 83 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 84 नई धारा 42घ का अंतःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 14, "किसी तलाशी के दौरान" के स्थान पर "धारा 37क के अधीन किसी तलाशी के दौरान" रखें। (30)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 84 को संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 84, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 85 धारा 2 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 27, "धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (3)" के स्थान पर "धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2)" रखें। (31)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 85 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 85 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 86 धारा 14 के नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 28, पंक्ति 30 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

"14(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए, आयातित माल या निर्यातित माल का मूल्य ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य होगा, अर्थात् माल के लिए, जब माल, यथास्थिति, भारत को निर्यात हेतु परिदान के लिए आयात के समय और स्थान पर या भारत से निर्यात हेतु परिदान के लिए, निर्यात के समय और उसके स्थान पर ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए विक्रय किया जाता है, वास्तविक

रूप से संदत्त या संदेय कीमत होगा, जहां माल के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और कीमत ही विक्रय के लिए एक मात्र प्रतिफल है:

परन्तु आयातित माल की दशा में ऐसे संव्यवहार मूल्य में, पूर्वोक्त कीमत के अतिरिक्त, कमीशन और दलाली सहित लागत और सेवाओं के लिए संदत्त या संदेय कोई रकम, इंजीनियरी, डिजाइन कार्य, स्वामित्व और अनुज्ञप्ति फीस, आयात के स्थान तक परिवहन की लागत, इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति में प्रभार्य बीमा, लदाई, उतराई और रख-रखाव प्रभार्य भी सम्मिलित है:

परन्तु यह और कि इस निमित्त बनाए गए नियम निम्नलिखित का उपबंध कर सकेंगे :-

(i) वे परिस्थितियां जिनमें क्रेता और विक्रेता संबंधी समझे जाएंगे;

(ii) माल की बाबत मूल्य के अवधारण रीति जब कोई विक्रय न हो या क्रेता और विक्रेता संबंधी न हो अथवा विक्रय के लिए या किसी अन्य दशा में कीमत ही एक मात्र प्रतिफल न हो;

(iii) जहां समुचित अधिकारी के पास ऐसे मूल्य और इस धारा के प्रयोजनों के लिए मूल्य के अवधारण की सत्यता और यथार्थता के बारे में संदेह करने का कारण हो, यथास्थिति, आयातक या निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य को स्वीकार या स्वीकार करने की रीति:

परन्तु यह भी कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को, जिसको, यथास्थिति, धारा 46 के अधीन प्रवेशपत्र प्रस्तुत किया जाता है या धारा 50 के अधीन निर्यात का पोतपत्र प्रस्तुत किया जाता है, यथाप्रवृत्त विनिमय की दर के प्रतिनिर्देश से की जाएगी।'' (32)

पृष्ठ 28, पंक्ति 43, 44 का लोप करें (33, 34)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 86, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 87 से 103 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 104 धारा 156 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 32, पंक्ति 20 का लोप करें। (35, 36)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 104, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 104, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 105 और 106 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (I) के निलंबन हेतु प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 106क केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का विपर्य न होना

संशोधन किये गए 5:

पृष्ठ 32, पंक्ति 33 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** करें-

'106क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 के **पश्चात्** निम्नलिखित धारा **अंतःस्थापित** की जाएगी, अर्थात्:-

"5ख, जहां निर्धारिती ने अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का संदाय कर दिया है और उसे उक्त उत्पाद के बनाने में प्रयुक्त निवेश, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर संदत्त शुल्क या कर या उपकर का प्रत्यय अनुज्ञात किया गया है किन्तु बाद में उक्त उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा उत्पाद शुल्क से प्रभार्य न होने के कारण रोक दी गई है वहां केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्धारिती को अनुज्ञात ऐसे प्रत्यय के विपर्य न करने के लिए आदेश ऐसी शर्तों के अधीन कर सकेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं:

परंतु प्रत्यय का विपर्य न करने के लिए आदेश वहां लागू नहीं होगा जहां निर्धारिती ने उसके द्वारा संदत्त उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया है:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना में उक्त उत्पाद के क्रेता द्वारा किए गए प्रत्यय का विपर्य न करने के लिए, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।";'। (37)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 106 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 106 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 107 से 134 विधेयक में जोड़ दिये गए।

प्रथम अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, क्या आप अपने संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

1. पृष्ठ 46, पंक्ति 32 से 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किए जाए,-

आय कर की दरें

(1) (क) जहां व्यष्टि, जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं है की कुल आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(ख) जहां व्यष्टि, जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं है की कुल आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 1,50,000 रुपये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर व्यष्टियों के मामले में या 1,80,000 रुपये (केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में) से अधिक है परंतु 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर व्यष्टियों के मामले में कुल आय 1,50,000 रुपये या 1,80,000 रुपये (केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में) से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक है किन्तु 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	5000 रुपये, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर व्यष्टियों के मामले में या 2000 रुपये (केन्द्रीय सरकार

	के कर्मचारियों के मामले में) धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है	25000 रुपये, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर व्यष्टियों के मामले में या 22000 रुपये (केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में) धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है;

(ii) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी महिला है और जो पूर्व के दौरान किसी समय साठ वर्ष से कम आयु की है-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक है किन्तु 2,25,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 2,25,000 रुपये से अधिक है किन्तु 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	2500 रुपये धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,25,000 रुपये से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है	17500 रुपये धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है;

(iii) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष से अधिक आयु का है-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक है किन्तु 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है	5,000 रुपये धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है; (1)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कृपया संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने फर्स्ट शैड्यूल में इन्कम टैक्स एक्जम्पशन के बारे में कहा है। सब कहते हैं कि उन्होंने काफी राहत दी है। मैं समझता हूं कि आम आदमी, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और सीनियर सिटिजन्स के साथ जितना विश्वासघात किया है इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है। उन्होंने कहा कि एक्जैम्पशन लिमिट को 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया है। सर्विस टैक्स के साथ एजुकेशन सेस लगाया गया है और इन्फलेशन बढ़ती चली जा रही है।...*(व्यवधान)*

मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, इसमें मेरी अमेंडमेंट यह है कि 1,00,000 रुपए के बजाय लिमिट 1,50,000 रुपए की जाए। सरकारी कर्मचारियों को 30,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, वित्त मंत्री जी ने इसका जिक्र किया है कि जब पहले 50,000 रुपए थी तब 30,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन थी और 12,000 इन्टरस्ट पर एक्जैम्पशन मिलती थी। यदि देखें तो एजुकेशन सेस इत्यादि मिलाकर उनकी स्थिति पहले से खराब हुई। इसलिए मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों के लिए एक्जैम्पशन लिमिट 1,50,000 रुपए होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इसे बढ़ाकर 2,00,000 रुपए एक्जैम्पशन लिमिट होनी चाहिए और इसके आगे कितना रेट हो -10 परसेंट हो, इसे मैंने अलग से इस अमेंडमेंट में कहा है। सीनियर सिटिजन्स के लिए 2,50,000 रुपए एक्जम्पशन लिमिट की जाए और इसके साथ उनकी आयु 60

वर्ष की होनी चाहिए क्योंकि 60 वर्ष में लोग रिटायर हो जाते हैं। इन्होंने जो एक्जैम्पशन लिमिट बढ़ाई है, वह 10,000 रुपए बढ़ाई गई जिससे 1,000 रुपए का फायदा हुआ। यह हर अरबपति, खरबपति, हिन्दुस्तान में जो करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले हैं उन्हें भी 1,000 रुपए की राहत दी है। यह बजट सचमुच खरबपतियों का बजट है और उनके लिए ही बनाया गया है। गरीब लोगों को आप 1,000 रुपए की छूट क्यों देना चाहते हैं? जो बीस करोड़ या पचास करोड़ रुपए का इन्कम टैक्स देते हैं, उन्हें 1,000 रुपए की छूट क्यों दी है? इसके बजाय अगर आप सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, सीनियर सिटिजन्स और गरीबों को देते तो बहुत राहत मिलती।

[हिन्दी]

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यहां जब मणिशंकर अय्यर जी ने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। मैं खरबपति की बात कहना चाहता हूं कि अभी वित्त मंत्री जी ने इस बात को बहुत जोर से कहा कि हमारे यहां 9.92 परसेंट ग्रोथ रेट हुआ है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

''इसलिए जब आप 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर की बात करते हैं तो यह सांख्यिकीय कल्पना भर होती है: 0.2 प्रतिशत हमारी जनता का 9.92 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विकास हो रहा है। परन्तु काफी संख्या में हमारी जनता है, मुझे पता नहीं ऐसी कितनी जनता है, जिनकी वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत से भी कम है। परन्तु निश्चित रूप से देश में वैसे लोगों की संख्या जिनकी वृद्धि अत्यल्प है और उन लोगों की तुलना में काफी अधिक है जिनकी वृद्धि दर सर्वाधिक है।....''

महोदय, इसके आगे वह कहते हैं:

''तथापि बजट प्रस्तुत करने के समय क्या होता है? प्रत्येक वित्त मंत्री एक अनुष्ठान के रूप में ....''...*(व्यवधान)*

उन्होंने यह भाषण दिया था।...*(व्यवधान)* मुझे पता है कि आपने भी टेलीविजन पर बोला था और कहा था कि उन्होंने गलत किया है। प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल एक निर्णय लेते हैं तथा एक केबिनेट मंत्री जाकर यह कहता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा:

''... एक पूर्ण अनुष्ठान के रूप में प्रत्येक वित्त मंत्री (मेरे सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम अपवाद नहीं है) अपने बजट भाषण के प्रथम चार या पांच पृष्ठ बहुसंख्यक आबादी के प्रति समर्पित करता है। ...''...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध इस संशोधन से नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मात्र अपने संशोधन पर बोल सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन इसी के बारे में है। यही संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके समर्थन में आने की जरूरत नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रख सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने कहा :

''प्रत्येक वित्त मंत्री अपने भाषण का प्रथम चार या पांच पृष्ठ भारत की बहुसंख्यक जनता को समर्पित करेगा और तत्पश्चात् भाग ख सहित अनेक पृष्ठ हमारी आबादी के शायद एक या दो प्रतिशत लोगों की बात करेंगे।...''...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका वित्त विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : एक या दो परसेंट पापुलेशन के लिए यह बजट बनाया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अय्यर साहब ने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस संशोधन से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस वाद-विवाद में नहीं बल्कि किसी अन्य वाद-विवाद में इसको उद्धृत कर सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं पहले ही एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं आपकी बात पर आऊंगा परन्तु किस प्रकार के वित्त मंत्री

[हिन्दी]

उन्होंने एक केबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो बाते कही हैं. वह ठीक है या चिदंबरम साहब की बात ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको अभी तक क्यों रखा हुआ है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, हमें यह कीमत एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं करने से चुकानी पड़ी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो अमैन्डमैन्ट दिया, हमने आपको उस पर पूरा बोलने दिया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, मैं यह कह रहा हूं कि अय्यर साहब की स्पीच और फाइनैन्स मिनिस्टर की स्पीच दोनों डायमैट्रिकली अपोजिट हैं। दोनों में से कौन सही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। परन्तु इसे यहां पर अभी उठाने का अवसर नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कौन सही है? कृपया प्रधान मंत्री जी को बताने दें कि आखिर श्री अय्यर की बात सही है अथवा श्री चिदम्बरम की।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न पूछने दें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं अपना संशोधन रख रहा हूं और मुझे बोलने दिया जाए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल, आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, जो-जो अमैन्डमैन्ट्स मैंने दिये हैं, उनके साथ मैंने कहा है कि जैश-ए-मौहम्मद ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से कहां जा रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जैश-ए-मौम्मद ने इंडियन इकोनोमी में...*(व्यवधान)* इन्होंने अभी जिक्र किया है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय बाजारों में अपना धन निवेश किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे जैश-ए-मोहम्मद के बारे में पता नहीं है। क्या वे कर का भुगतान करते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने उद्देश्य स्पष्ट कर दिए हैं और मुझे अपना काम करने दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, वह पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं।

[हिन्दी]

फाइनैन्स मिनिस्टर ने मैन्शन किया है कि जैश-ए-मौहम्मद ने हमारे शेयर्स में, रियल ऐस्टेट में, बजट में पूरा-पूरा इनवैस्टमैन्ट किया है। वित्त मंत्री जी को आकर हमें बताने दें...*(व्यवधान)*

मैं इस अमैन्डमैन्ट में कहना चाहता हूं कि इन्होंने गरीबों को धोखा दिया है, इंडियन इकोनोमी के बारे में गलत इनफोर्मेशन दी है

[अनुवाद]

इसलिए मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस संशोधन पर विशेष बल दे रहे हैं।

अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 1 सभा के समक्ष मतविभाजन हेतु रखता हूं। संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, हमारे सारे अमैन्डमैन्ट्स रिजैक्ट कर दिए गए हैं और हम समझते हैं कि यह गरीब आदमियों के साथ बहुत अन्याय है। इसलिए हम इसके विरोध में वाक-आउट करते हैं।

अपराह्न 4.42 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शांति से जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी। द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को, संशोधित रूप से पारित करने हेतु इसका प्रस्ताव करें।ण

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप से, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.43 बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 11 पर चर्चा करेगी- श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मद सं. 11 .....

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 11 आपसे संबंधित नहीं है। यह श्री दासमुंशी से संबंधित है। क्या आप कुछ और कार्य करना चाहते हैं?

संसदीय अर्थ मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : चिदम्बरम जी, आपका वित्त विधेयक पारित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ हेतु थोड़ी सहानुभूति दिखाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि अपको पता है आपने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लोक सभा सचिवालय में संसद का चैनल शुरू किया था और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। वर्तमान में जो अधिनियम हमारे पास है वह केवल नेटवर्क के लिए डी.डी. लोक सभा चैनल तथा डी.डी. राज्य सभा चैनल दिखाना बाध्यकारी बनाता है। अब मात्र डी.डी. राज्य सभा चैनल अस्तित्व में है और डी.डी. लोक सभा चैनल अस्तित्व में नहीं है। डी.डी. लोक सभा चैनल को संसद चैनल के रूप में बदल दिया गया है।

इसलिए, हमें इस अधिनियम की धारा 8 को संशोधित करना है ताकि नान-प्राइम बैंड चैनल लोक सभा की कार्यवाहियों का प्रसारण कर सकें। यह इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है तथा मैं आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी और इसे पारित करेगी ताकि जिस तरह से लोक सभा सचिवालय में इस चैनल को शुरू करने की आपने जो बुद्धिमता दर्शायी है उसे केबल आपरेटरों के लिए भी अधिनियम द्वारा जरूरी बनाया जाए।

मुझे बस इतना ही कहना था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, यहां जो केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है, उसका समर्थन ही करना है। लेकिन दो बातें मेरे मन में आयी हैं। मैं चाहूंगी कि उसके लिए किसी प्रकार का किंतु परंतु मन में नहीं रखें, चूंकि अब यह बात टेबल पर आई है, इसलिए कई दिनों से मन में एक बात आ रही थी कि यह जो लोक सभा का चैनल चलता है, इसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसके नियम किस तरीके से बने हुए हैं, इसे संचालित करने वाली बाडी क्या है, उसका बजट कहां से आता है और उसका संचालन किस तरीके से हो रहा है? इसका कभी कोई जिक्र यहां लोक सभा में नहीं हुआ। मैं चैनल की किसी तरह की आलोचना नहीं कर रही हूं, लेकिन उसके संचालन के बारे में मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं होगी।

चूंकि आज आपने इसे पार्लियामेंट में रखा है, एक अलग संदर्भ में इसे रखा है, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हम डीडी-1 और डीडी-2 के बारे में जानते हैं, वैसे ही इस चैनल के बारे में भी अगर थोड़ी सी जानकारी लोक सभा सदस्यों को मिल जाए कि किस तरीके से इसका संचालन होता है तो वह ज्यादा ठीक रहेगा। एक ओपन बात हो जाएगी और अगर यह भी 24 घंटे चलता होगा तो क्या वास्तव में इसकी 24 घंटे के लिए आवश्यकता है? कई बार लोक सभा की पुरानी डिबेट और कई अच्छे कार्यक्रम इस चैनल पर दिखाते हैं, इसमें लोक सभा के बारे में जानकारी भी दिखाई जाती है, इससे कई पुरानी बातें जो जनता को मालूम नहीं है, वे जनता को मालूम होती हैं। इस दृष्टि से चैनल ठीक है लेकिन कई बार ऐसा होता है जो आजकल हम बाकी चैनल्स के लिए भी देखते हैं कि 24 घंटे चलाना हो तो फिर जो चाहे कुछ भी उसमें आ सकता है। एक सलेक्टिविटी नहीं बचती। इस दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए कि जब लोक सभा नहीं चलेगी तब क्या उसके टाइमिंग हो सकते हैं? इस बारे में अगर आप संसद में यहां बताएं तो अच्छा रहेगा। यह सब देखते समय मुझे केवल एक ही बात महसूस हुई कि जब आपका यह अमेंडमेंट बिल सामने आया तो बाईचांस मैंने वे सारे रूल्स देखने शुरू किये जो आपके केबल रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तब मुझे लगा कि जो रूल्स आपने केबल आपरेटर्स के लिए बनाए हैं, वे किस प्रकार के चैनल्स दिखाएं और किस प्रकार के नहीं दिखाएं, तो नियमों के अनुसार चलने से तो सभी चैनल्स बंद करने पड़ेंगे।...*(व्यवधान)* जो आपके रूल्स हैं, उनमें रूल 6 देखें। एक प्रोग्राम कोड है जो केबल वालों के लिए लगाया गया है और उसमें इतना सारा लिखा है:- केबल सेवा में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जो रूचि एवं शालीनता को ठेस पहुंचाता हो" कई सारी बातें उसमें हैं- जैसे मित्र देश के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें डीसेंसी और इंडीसेंसी की भी कुछ व्याख्या की गई है। उसमें डेनीग्रे वीमैन की भी कुछ व्याख्या की गई है। महिलाओं के बारे में भी कहा है। अगर ये सब चीजें सभी चैनल्स पढ़ें, अगर आप एकता कपूर के सीरियल्स देखें तो मुझे लगता है कि वे सारे बंद करने पड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा चैनल चलेगा। उसमें कुछ वायलेशन नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सर, मैं मानती हूं कि अगर किसी महिला को आप कम कपड़ों में दिखाएं तो इंडीसेंसी होती है। लेकिन विचारों की भी एक इंडीसेंसी होती है। उसमें जिस तरीके से महिलाएं लगातार 24 घंटे बड़े-बड़े अलंकार रात को सोते समय भी पहने हुए रखती हैं और एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ कुछ-कुछ प्लानिंग करती रहती है कि इसे मैं नीचा कैसे दिखाऊं, ये सारी बातें देखने में इतनी गंदी, इतनी इंडीसेंट लगती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि या तो आप रूल्स चेंज करिए क्योंकि बेचारे केबल आपरेटर्स क्या करेंगे? कल आप उन पर बंदिश लगाएंगे। उन पर फाइन करेंगे। आपने नियमों में उनके लिए दो-दो साल कैद भी लिखी है।

उसके बाद कुछ बातें एडवरटाइजमेंट की आती है। केबल्स नीचे की लाइन की जो बातें दिखाते है, वे इन सब चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने ऐसे नियम क्यों बनाये हैं? कभी कभी लगता है कि ऐसे बहुत से लम्बे-चौड़े नियम बनाये गयो हैं। अभी यह बात चल रही है कि स्टेट कमेटी बने जो उसकी मॉनिटरिंग करे। आपने बहुत सारे नियम तो बना दिये लेकिन हर स्टेट अपनी तरफ से बात निकालती है। मैं देख रही थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि वह एस्ट्रोलौजी चैनल बंद करायेगी, उसके लिये कमेटी बनेगी। मैं जानना चाहती हूं कि उन्हें भविष्य की बात जानना पसंद नहीं लेकिन मैं कहती हूं कि हमारा वर्तमान बिगड़ रहा है, यह पहले सोचना चाहिये। सरकार ने एफ.टीवी बंद कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है। अध्यक्ष जी, आपने उस दिन कहा था कि यह मामला मत उठाइये, चैनल ने अपोलोजाइज किया है, ठीक है, इसलिये मैंने मामला नहीं उठाया। हर आदमी अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहता है। इस बिल में भी कहा है - टू एक्सप्लायट नेशनल एम्बलम-1 मगर यह क्यों हो रहा है? यहां मंदिरा बेदी की बात नहीं कि तिरंगे का अपमान किया गया लेकिन यह इन जनरल हो रहा है। आज के टी.वी. चैनल्स की जो पद्धति हो गई है, वह लोगों के सामने आई है। देश के लिये खेलना अलग बात है लेकिन खेल के लिये खेलना बचा नहीं है। हम लोग हर चीज को शो-बाजी की तरफ ले जाते रहे हैं। उसके पहले यह बात चली थी कि मंदिरा बेदी खेल में शामिल हो जायेंगी, कमेंटरी करेंगी और उसकी साड़ी का फैशन डिजाइन अलग रहेगा, वह बाजार में आयेगी, इस प्रकार का विज्ञापन आता रहा। मैं इस मानसिकता को उस दिन उठानी चाहती थी। यह केवल ध्वज के अपमान की बात नहीं है लेकिन हमारी जो मानसिकता हो रही है, उसमें कहीं न कहीं ऐसी सोच लानी पड़ेगी।

अध्यक्ष जी, आज विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की चर्चा की जाती है, लेकिन उसके साथ प्रचारिका या प्रसारिका, जो भी कहें, इसकी भी अपनी जिम्मेदारी है, जिसके लिये आपने रूल्स बनाये हैं। अभी उस दिन शिल्पा शैट्टी वाला मामला न्यूज चैनल पर हर 15 मिनट के बाद लगातार दिखाया जाता रहा। बच्चे उस कार्यक्रम में नहीं गये और वे नहीं जानते थे कि वहां क्या हुआ होगा, लेकिन चैनल लगातार हर 15 मिनट के बाद उसे बार बार दिखा रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें मिलेगी। चैनल पर हौरर शो रात के बाद शुरू होता है, क्या उसे 24 घंटे दिखायेंगे?

अध्यक्ष जी, मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करना चाहती परन्तु इस विषय पर फिर बाद में कभी बोल लूंगी। अभी तो इस बिल पर लिमिटेड बात कहना चाहूंगी। मैं दासमुंशी जी से जानना चाहती हूं कि आपने केबल नैटवर्क के लिये इतने सारे कानून बना दिये, लेकिन इन सब का क्या होगा? अगर इन नियमो को देखा जाये तो कोई भी चैनल अपना कार्यक्रम नहीं दिखा पायेगा। आपके बिल पर 1-2-3-4-5 नियम पूरे पन्ने पर लिखे हैं इससे मुझे नहीं लगता कि एक भी केबल चैलन अपने कार्यक्रमों को दिखा पायेगा। आप इस पर पुनर्विचार करें या उन पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर सोचें। मैं चाहती हूं कि लोकसभा टी.वी. के बारे में पूरी जानकारी माननीय सदस्यों को दे सकते हैं, तो अच्छा होगा ताकि वे अपने सुझाव दे सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं छूट ले सकता हूं? जैसा कि आप जानते हैं, हम सभा के सभी सदस्य इसके बारे में सोच रहे थे तथा अन्तत: इस लोक सभा चैनल के बारे में निर्णय ले लिया। मैं मानता हूं कि माननीय नेताओं को याद होगा इसकी सरंचना के बारे में चर्चा करने के लिए कम से कम दो बैठकें हुई थी। इस चैनल को शुरू करने में मैं उनके प्रोत्साहन के लिए आभारी हूं।

दूसरी बात यह कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सलाहकार समिति बनाई है। मैं माननीय नेताओं के प्रति आभारी हूं। कुछ सदस्यों ने उस बैठक में भाग भी लिया था। हो सकता है कि इसकी बैठकें जल्दी-जल्दी हों। मैं ऐसा मानता हूं।

तीसरी बात यह है कि एक विषय से जुड़ी बात उठाई गई है। यह चैनल 24 घंटे चलने वाला चैनल क्यों होना चाहिए? इसे अस्थाई तौर पर 24 घंटे चलने वाला चैनल बनाया गया है क्योंकि अन्यथा कोई भी केबल आपरेटर कतिपय घंटों के लिए इस चैनल को नहीं दिखाएगा क्योंकि वे सेवा में व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए,

हम माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहे थे कि इसका प्रसारण अनिवार्य किया जाए न कि इसे 8 घंटे या 10 घंटे का चैनल बनाया जाए। यदि ऐसा कर दिया गया तो यह उनके लिए लागू हो जाएगा तथा वे प्रसारण व्यवधान की दलील नहीं दे सकते हैं। ऐसा करने का यह एक कारण है। यह प्रस्ताव करने तथा इसका खुले दिल से समर्थन करने के लिए मैं माननीय मंत्री के प्रति आभारी हूं।

जहां तक संरचना, नियमों, विनियमों, कार्यकरण आदि का संबंध है इसके लिए में आपके सुझावों का तहेदिल से स्वागत करूंगा। मैं यह भी देखूंगा कि सचिवालय इसका उचित रूप से अध्ययन करे। मैं सभी माननीय नेताओं से सलाह मशविरा करूँगे। यह उसी प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार से आप सुझाव देंगे कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा किसी पर कोई दबाव नहीं है। अब तक जो भी सफलता मिली है यह सभा के सभी वर्गों से सहयोग के कारण ही मिली है। बहुत से माननीय नेता गण तथा माननीय मंत्री गण इसकी बैठकों में भाग लेते रहे है तथा मैं उन सभी के प्रति आभारी हूं। गलतियां हो सकती हैं तथा इन्हें सुधारने के लिए निश्चित रूप से आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हम आपके सभी सुझावों का स्वागत करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। क्या इसके लिए कोई अधिनियम भी बनेगा?

अध्यक्ष महोदय : हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका मालिक नहीं हूं तथा इसका मालिक कोई भी नहीं है। भारत की संसद इस चैनल की मालिक है। आपके सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस पर शीघ्र ही चर्चा करेंगे तथा मैं आपके सुझावों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अगले वक्ता है श्री के.एस. राव।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर दिया। मेरी राय में लोक सभा चैनल अब बहुत लोकप्रिय हो गया है कि अब इसे गांवों के लोग भी देख सकते हैं। यह सामान्य सी बात है कि गांवों, शहरी क्षेत्रों, छोटे कस्बों आदि में राष्ट्रीय टेलीविजनों की तुलना में केबल टेलीविजन ज्यादा लोकप्रिय हैं। स्वाभाविक रूप से, इस विनियमन से निश्चित रूप से इस देश में और अधिक लोग लोक सभा की कार्यवाही और लोक सभा चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देख सकेंगे।

महोदय, आपने लोक सभा से कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अनुमति देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरी राय से इससे कुछ सीमा तक लोक सभा के सदस्यों के व्यवहार करने में मदद मिलेगी। तथापि इस चैनल के शुरू होने के बाद गत वर्षों में कोई अधिक सुधार देखने को नहीं मिला है लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय के साथ वे इस बात को महसूस करेंगे लोग हमारा व्यवहार टेलीविजन पर देख रहे हैं। लोग हमेशा ही अच्छी चर्चा चाहते है तथा सत्तारूढ़ दल की आलोचना एवं खामियों के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन इसमें सभा का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एवं इस पर जनता का धन खर्च होता है। इसलिए, इस विधेयक से निजी आपरेटरों द्वारा इसें पुनः प्रसारित करना अनिवार्य हो जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से इसकी पहुंच अधिक लोगों तक हो सकेगी तथा अधिक संख्या में लोगा यह जान पाएंगे कि लोक सभा तथा राज्य सभा में क्या किया जा रहा है।

दूसरी बात यह कि कुछ कार्यक्रम जैसे गांवों में गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम जिन्हें हम यहां स्वीकृति दे रहे हैं, उनका पर्याप्त प्रचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने इसकी शुरूआत पिछले बजट में भी की थी, लेकिन यह उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाया हैं जितने लोगों के पास पहुंचना चाहिए था। इस विधेयक से गांव के लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि हम उनके लिए सभा में किस प्रकार के विधेयक ला रहे हैं और किस प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। इससे वे उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे तथा अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन भाजपा से हैं, लेकिन उन्होंने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। उन्होंने इस चैनल में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। मेरा यह भी मानना है कि लोक सभा चैनल की विषयवस्तु में सुधार हो और इसे अन्य चैनलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। लोगों में यह अभिरूचि जागृत होनी चाहिए कि वे इस चैनल को देखें। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दैनंदिन बात है तथा इसे देखना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, लोक सभा तथा राज्य सभा में हो रही गतिविधियों का प्रसारण करने के साथ-साथ इन्हे इस प्रकार से पेश किया जाना चाहिए कि ये इस देश के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें।

इसी प्रकार से प्रसारण के समय को भी देश के लोगों के अठश्ल बनाया जाए। अब, इसे 24 घंटे के आधार पर चलाया जा रहा हैं लेकिन कार्यक्रम इस प्रकार से दिखाए जाने चाहिए जो देश के ग्रामीण एवं गरीब लोगों के उपयुक्त हो।

अपराह्न 5.00 बजे

यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा करते समय कोई काट-छांट नहीं होनी चाहिए। खण्ड 2 में कहा गया है कि उपधारा 1 में संदर्भित चैनल किसी भी कार्यक्रम में बिना किसी कांट-छांट के प्रसारित किए जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई फेरबदल करना हो तो इससे बाद में बहुत सी जटिलताएं एवं समस्याएं आएंगी। अत: कार्यक्रमों में कोई विलोप या कांट-छांट नहीं होनी चाहिए।

इस सन्दर्भ में, मैं पूर्व में हमारे माननीय मंत्री द्वारा अपनाए गए रूख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब यह पता चला कि कुछ कार्यक्रम हमारी संस्कृति के प्रतिकूल हैं तो उन्होंने इस पर तुरन्त कार्रवाई की तथा रात्रि ग्यारह बजे बाद ए एक्स एम पर दिखाए जाने वाले मेन्स वर्ल्ड प्रोग्राम तथा योको हाइट इनक्रीज डिवाइस आफ 2005 पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्री जी को ऐसे चैनलों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो महिलाओं के बारे में अश्लील तस्वीरें दिखाते हैं तथा अपमानजनक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ऐसे विज्ञापन जो शराब, तम्बाकू के सेवन और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को बढ़ावा देते हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। यदि बिना समय बर्बाद किए इन चैनलों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है तो अन्य चैनल भी इस बात को महसूस करेंगे कि उन्होंने अधिनियम के विनियमों एवं नियमों का उल्लंघल किया तो उन्हें भारी दंड झेलना पड़ेगा। जबकि मंत्री जी ने उन्हें पूर्व में उनसे माफी-माफी लेकर छोड़ दिया था कि वे भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। दण्ड निवारक होना चाहिए ताकि अन्य लोग इसी बात की पुनरावृत्ति न करें।

मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं केबल कार्यक्रमों पर पूर्व-सेंसरशिप नहीं है। केवल स्वनियमन है अत: उन्हें स्वयं को विनियमित करना चाहिए। अन्यथा भारी दण्ड लगाया जाना चाहिए। यह उनकी समझ में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा जिस समय में यह लाया गया है उसका समर्थन करता हूं। मेरी इच्छा है कि माननीय मंत्री सही विषय वस्तु के साथ इसे और अधिक लोकप्रिय बनाएंगें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। धारा 8 के अंत: स्थापन हेतु यह एक सरल संशोधन है, जिसके माध्यम से लोक सभा और राज्य सभा टेलीविजन चैनलों को अनिवार्य पुन: प्रसारण मिलेगा। ये दोनों एजेंसियां दूरदर्शन से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। संविधि में पहले ही प्रावधान है कि दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों का पुन:प्रसारण करना अनिवार्य है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमें सांविधिक समर्थन की आवश्यकता है। इसी प्रयोजन के लिए यह संशोधन लाया गया है। अत: समर्थन का प्रश्न कोई समस्या नहीं है।

संसद में हम कई प्रकार से कार्य करते हैं। हम समितियों द्वारा कार्य करते हैं और हम लोक सभा चैम्बर में एकटा होकर कार्य करते हैं। मीडिया में, टेलीविजन में कार्यकरण का एक और रूप है। अत: इसमें भी कुछ विनियमन होना चाहिए। इस सभा के इस विशेष कार्यकरण हेतु हमें नियम बनाने चाहिएं। जैसा कि मैंने कहा, इस सभा के कार्यकरण का यह एक रूप है। यहां हम संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए प्रक्रिया नियमों के अधीन कार्य कर रहे हैं। हमें पूरा सांविधिक समर्थन प्राप्त है। हम उस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह कार्यकरण का एक और रूप है।

मैं इस उपाय का पूरा समर्थन करता हूं। यह उचित ही है और हमने अभी दृश्य मीडिया में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल सही है। हम अब आधुनिक प्रवृत्तियों और आधुनिक विकास का हिस्सा हैं। पहले, संसद का ऐसा कार्यकरण नहीं था। हम एक अलग तरीके से कार्य कर रहे थे। अब हम उचित समय पर दृश्य मीडिया में भी प्रवेश कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है कि हम कैसे कार्य करते हैं, हम किस प्रकार से कार्य करते हैं और किन नियमों के अधीन हम कार्य कर रहे हैं। अत: इसे आदर्श दृश्य शिक्षा होना चाहिए। इसलिए इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में इसका संचालन करना चाहिए।

आजकल टेलीविजन दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसका दुरूपयोग हो रहा है, जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों से विनियमन करने, केबल मीडिया आपरेटरों पर कुछ नियंत्रण करने का अनुरोध करता हूं। वे बहुत शरारत कर रहे हैं। वे ऐसे कतिपय कार्यक्रम दिखा रहे हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक मत के लिए भी बहुत हानिकारक हैं।

अत: हमारे पास मीडिया को नियांत्रित करने के लिए कुछ विनियम होने चाहिएं। केबल आपरेटरों के लिए हमारे पास कुछ विनियम होने चाहिएं। यह इस संशोधन विधेयक से संबंधित नहीं है तथा सभी केबल आपरेटरों के विनियमन के लिए एक संशोधन लाकर इसे अलग से पारित होगा। यह सही तरीका होगा। जैसे कि खाद्य अपमिश्रण एक आपराधिक कार्य है, उसी तरह सार्वजनिक जीवन में अपमिश्रण भी ऐसा ही है। वे सार्वजनिक जीवन को अपमिश्रित कर सकते हैं। दृश्य मीडिया

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। यही उचित समय है जब हमारे पास आपराधिक प्रावधान होने चाहिएं ताकि निजी केबल आपरेटर सार्वजनिक जीवन को प्रदूषित न कर पाएं। अपमिश्रित भोजन बहुत हानिकारक होता है और केबल आपरेटरों के दुरुपयोग की भी यही स्थिति है। यह मानव जीवन का खतरनाक पहलू है और इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। जैसे खाद्य अपमिश्रण को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास अधिनियम हैं, हमारे पास शरात करने वालों तथा गलत प्रचार दिखाने वाले तथा हमारे सार्वजनिक जीवन को बुरी तरह प्रदूषित करने वाले केबल आपरेटरों पर नियंत्रण करने के लिए भी एक अधिनियम होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार उचित प्राधिकरण नहीं है। आजकल समाचार-पत्र जनमत का सृजन नहीं करते बल्कि टेलीविजन जनमत तैयार करता है। कुछ सीमा तक जनता की राय हानिकारक होगी। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से इन पक्षों पर विचार करने तथा कुछ विनियमन करने का अनुरोध करता हूं ताकि जनता की राय अपमिश्रित न हो सके। टेलीविजन के इतने दुष्परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे जीवन का अनुभव है।

लोक सभा और राज्य सभा चैनल के बारे में बोलते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। इस चैनल पर नियंत्रण के लिए हमारे पास अलग विनियम होने चाहिए। जहां तक भारत में सार्वजनिक जीवन का संबंध है, हमें इसे नैतिक दृश्य मीडिया बनाना चाहिए। यह हमारा कर्त्तव्य है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सभी पक्षों पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय भी कुछ नियम बनाने पर विचार कर सकते हैं ताकि यह उचित तरीके से कार्य कर सके। यह चैनल 24 घंटे का होना चाहिए परन्तु इसपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। इस संयोजन के लिए हमें कुछ नियम बनाने चाहिएं। कुछ विशेषज्ञों को बुलाना होगा और यह उचित तरीके से किया जाना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि काफी लंबे समय से ऐसी धारणा थी कि हमारे यहां अमरीका की तरह हमारा अपना चैनल नहीं है जहां सी-स्पैन है जोकि लगभग चौबीस घंटे चलता है और सीनेट तथा सदन के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी है जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए कानून को लागू किया जा सके ताकि उदाहरण के लिए वे सभी केबल आपरेटर, जो इसे नहीं दिखा रहे हैं, आप उनका पता लगाकर उन्हें दंडित कर पाएं क्योंकि आज भी दूरदर्शन के बहुत से चैनल चल रहे हैं. मुझे विश्वास है कि दण्डाभाव के कारण उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी औद्योगिकी उपलब्ध है।

मैं अब कुछ सुझाव देना चाहूंगा। प्रथम तो यह कि इसे 24 घंटे का चैनल होना चाहिए या नहीं, मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। मेरा कहना यह है कि यदि यह 24 घंटे का चैनल होगा तो इसमें बहुत संभावनाएं विद्यमान हैं। यह सदस्यों का चैनल होना चाहिए। इस सभा में 545 सदस्य हैं। इसके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वस्तुत: हमारा सहयोग भी लिया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की विषय-वस्तु के बारे में निर्णय करने के लिए, वास्तव में इसमें लगे पेशेवर लोगों के अतिरिक्त आप संसद सदस्यों की विषयवार सलाहकार समितियों का गठन कर सकते हैं। हममें से कुछ की विशेष रूचियां हैं, हम कार्यक्रम की विषय-वस्तु का मार्गदर्शन कर पाएंगे तथा इस पर कार्य करेंगे। तब यह वास्तव में सदस्यों का चैनल बन जाएगा।

द्वितीय, संसद सदस्यों के सकारात्मक योगदान को प्रचारित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह वसतुत: बहुत उपयोगी होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : तृतीय, सरकार के पदाधिकारियों, चाहे वह विधान सभा का सदस्य हो अथवा पार्षद, उनकी तुलना में संसद सदस्यों के नियम और जिम्मेदारियों में काफी भ्रम विद्यमान है। मुझे लगता है कि इस चैनल का इस्तेमाल अत्यधिक कल्पनाशील कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है ताकि देश के सभी लोगों को पता चल सके कि संसद सदस्य क्या करते हैं और वे क्या नहीं कर सकते हैं। अत: संसद सदस्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अपेक्षाओं के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकता है। हम संसद की स्थायी समितियों तथा सलाहकार समितियों की कार्यवाहियों का प्रसारण कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में सर्वसम्मति है। आप उन्हें मनाने का प्रयास कर सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मैं यह जानता हूं। परन्तु मैं केवल सुझाव दे रहा हूं कि ऐसा संभव है। संसद की लोक लेखा समिति की कार्यवाही का प्रसारण किया जा सकता है, जोकि वस्तुत: कार्यकारिणी पर नियंत्रण करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में कई संसद सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं परन्तु केवल बुरी बातों का ही प्रचार किया जाता है। तो क्या हम ऐसे कुछ अच्छे कार्यों को चुन सकते हैं या नहीं जिसे संसद सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए हैं तथा क्या उनका प्रचार किया जा सकता है? इसलिए, कुछ विशेष कार्यक्रम होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उनमें से कुछ दिखाए जा चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : इसके अतिरिक्त कुछ संसद सदस्यों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बाहर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ न कुछ किया है। मैंने भी परिवर्तन केन्द्रों की स्थापना की है, जिसमें मैं लोगों को शामिल करता हूं और उनकी संख्या 115 है। क्या हम उनका प्रचार कर उनके बारे में बात नहीं कर सकते? संसद सदस्यों के बीच एक प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लोग 24 घंटे का चैनल चाहते हैं और कई चैनल संसदकी वस्तु से अलग का प्रसारण करते हैं। परन्तु हम सभी का मानना है कि संसद के कम से कम 150 दिन होने चाहिएं ताकि मुद्दों पर वाद-विवाद करने के लिए वास्तव में हमें और अधिक समय मिल सके। यदि ऐसा हो जाए तो इस समस्या का आंशिक समाधान हो जाएगा। परन्तु तब भी हमारे पास 200 दिन ऐसे होंगे जब संसद नहीं चलती। इस अवधि में इनमें से कुछ विचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम पुन: प्रसारण के बारे में सोच सकते हैं, जिसके बारे में संसद में चर्चा हो चुकी है क्योंकि लोक सभा सामान्यत: प्रात: 11 बजे से सायं 6 बजे तक चलती है, परन्तु उस समय के दौरान बहुत से लोग अपने कार्य स्थलों पर व्यस्त होते हैं। अत: हम समय बढ़ाकर इसका पुन: प्रसारण कर सकते हैं और लोगों को यह दिखा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शायद, यह दिखाया जा रहा है। आपके सुझाव के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, आप संसद सदस्यों की कुछ सलाहकार समितियां बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले से ही ऐसी एक समिति है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लोकसभा और राज्यसभा के चैनल स्वतंत्र है तथा दिसम्बर 2005 से इनके अपलिंक की अनुमति दी गई है और एक अच्छा कदम है और सभा का प्रत्येक सदस्य इसका स्वागत करता है।

महोदय, जैसाकि हम सभी को मालूम है कि हममें से अधिकतर सांसद केवल 2 करोड़ रुपए मांगने वाले के रूप में दिखाया जाता है। एमपीलैड निधि के कारण लोग यही सोचते है कि हमारे पास केवल यही जिम्मेदारी है। लेकिन यह बहुत जरूरी कि देशवासी हमारा आकलन करे, हमें देखें और यह भी देखे की हम किस प्रकार काम करते है। हम मूर्तिभंजक और बुर्जआ नहीं है। हम वे लोग नहीं है जो केवल इस सभा में आकर बैठ जाते है, हम वास्तव में आम आदमी की बात अथवा उसके अनुभव और उसकी भावनाओं को व्यक्त करते है। अत: इस संशोधन का जो हम सभी के लिए स्वाभाविक भी है का स्वागत करते है मैं माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि इस आधुनिक युग में वे 'नैतिक पुलिस' (मोरल पुलिस) बनने की हसरत न पाले। हमे मीडिया को अधिक से अधिक स्वतंत्रा देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश में मीडिया बहुत प्रगति कर रहा है।

जैसाकि आपको मालूम है कि शायद गांधी इस देश के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारतीयों की नब्ज पता थी। उन्हें मालूम था कि एक नस्ल के रूप में 'सविनय अवज्ञा' पर भारतीय अत्यधिक अवज्ञा करने वाली नस्ल है।इसलिए उनका सबसे ज्यादा जोर और उनका प्रमुख कार्यक्रम 'सविनय अवज्ञा' पर आधारित था। उन्हें मालूम था कि हमे ...*अपने निरालेपन कमजोरी अथवा अपनी ताकत का, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, का प्रयोग देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए, कैसे करना है।

इसलिए हमें इस विधेयक को पारित करते समय सचेत हो जाना चाहिए कि इसमें कोई कमी न रह जाए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस विधेयक के उपबंधों की भलीभांति जांच कर ले ताकि इसमें कोई ऐसी कमी न रह जाए जिससे हमें अवज्ञाकारी कहने वाले हमारे आलोचकों को यह कहने का मौका न मिले कि हम अच्छा कार्य करने के बाद कोई ऐसा बुरा काम कर देते है जिससे हमारे द्वारा किए गए अच्छे काम भी व्यर्थ हो जाते है और अन्तत:

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री तथागत सत्पथी]

इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के लोग इस सम्माननीय सभा के कार्यों हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हमें कैसे चुप कराते है और क्योंकि संपूर्ण देश हमे देख रहा होता है, उस दौरान हमारे माननीय अध्यक्ष द्वारा हमे बार-बार यह याद दिलाया जाता है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, लोग यह देखने से वंचित रह जाते है। क्या हमने अपने आपको इतना गिरा लिया है अथवा हम अपनी क्षुद्रताओं से ऊपर उठ चुके है, चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में देश के लोगों को लगातार बताना और दिखाना चाहिए ताकि वे सांसदों को अलग नजरियें से देखना सीख जाए।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप सब आगे आए। लेकिन यह सब उचित ढंग से होना चाहिए।

श्री तापिर गाव : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। देश के लोगों को यह देखने की आवश्यकता है कि वे किन्हें संसद में भेज रहे है। लोक सभा और राज्य सभा के इन चैनलों के माध्यम से अब हमें अधिकतर लोग गलियों, रेलवे स्टेशनों और विमानपत्तनों पर आसानी से पहचान सकेंगे। लोग हमसे कहेंगे कि उन्होंने मुझे लोक सभा के टी वी चैनल पर देखा हैं। मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, केबल टैलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 की आवश्यकताओं के मद्देनजर केबल आपरेटरों के कार्यकरण की निगरानी के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया था। निजी टी वी चैनलों के क्रिया-कलापों को नियन्त्रित करने के लिए ये समितियां क्या कार्य कर रही है? पहले जब भारत में पहली बार टेलीविजन आया था तब इसे 'इडियट बाक्स' कहा गया था लेकिन समय बीतने के साथ-साथ यह एक 'इडियट बाक्स' नहीं रह गया था। आज टेलीविजन को न केवल सभी आयु वर्गों के बच्चों द्वारा देखा जा रहा है अपितु बड़े लोग भी इसका लुत्फ उठा रहे है। आज टेलीविजन सूचना प्राप्त करने का जरिया बन गया है और बच्चों के दिलोदिमाग पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का सैंसर होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर मंत्रालयीय समिति की भूमिका केबल आपरेटरों के कार्यकरण को नियन्त्रित करना है और आज यहां माननीय सदस्यों ने जो चिंताएं व्यक्त की है उनका ध्यान रखना है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं लोक सभा के चैनलों में नियमित रूप से भाग लेता रहता हूं। पिछले शनिवार मुझे इस चैनल के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। उस दौरान कलकत्ता के एक भद्र पुरुष ने मुझसे पूछा था कि लोक सभा और राज्य सभा के अधिकतर चैम्बर्स खाली क्यो रहते है। मैंने उत्तर में कहा कि इस बात की जिम्मेदारी आपकी है कि आप किन लोगों को चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में भेजते है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि हमारे देश के लोग इन निर्धारित (डेडीकेटेड) चैनलों को देखकर काफी जागरूक हो गए है। हमें निजी आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन चैनलों को और अधिक महत्व देना होगा?

महोदय, मैं एक अन्य सुझाव यह देना चाहता हूं कि इन चैनलों पर शनिवार और रविवार को कुछ फिल्में दिखाई जा सकती है। लेकिन ये फिल्में फूहड़ प्रकृति की न होकर देशभक्ति पर आधारित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अवार्ड प्राप्त फिल्मों का प्रसारण पहले से ही किया जा रहा है।

श्री तापिर गाव : शनिवार अथवा रविवार को इन निर्धारित (डेडीकेटेड) चैनलों पर इन फिल्मों का प्रसारण किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इन फिल्मो को उपलब्ध कराने के लिए मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री का आभारी हूं।

श्री तापिर गाव : महोदय, संसद के तीन सत्र नामतः बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होते है। अंतर समावधि के दौरान ये चैनल रिकाडर्ड कसेटों के माध्यम से राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही का प्रसारण करने के बारे में सोच सकते है ताकि लोग राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों और बनाए गए कार्यक्रमों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें।

महोदय, इन शब्दों के साथ समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विधेयक की अगुवाई नहीं कर रहा हूं लेकिन जैसाकि आपको पता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इस विधेयक से जुड़ा हुआ हूं। राज्य विधान सभाओं के संबंध में, मैं सभी राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से यदि संभव हो तो उनके यहां की फुटेज भेजने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हम सभी विधान सभाओं में कैमरो की व्यवस्था नहीं कर सकते लेकिल हम उन्हें यहां

खुशी-खुशी दिखा सकते है। किसी राज्य के माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है और लोक सभा टी वी इन कार्यवाहियों को, यदि हमें फुटेज मिल जाता है, तो प्रसारण करने का उत्सुक है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : लोक सभा में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि किस प्रकार पेश आते है लोगों को यह दिखाने के मायनों में यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोकते हुए एक बात कहना चाहता हूं अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि इस चैनल का उद्देश्य हमारे सदस्यों के व्यवहार को प्रदर्शित करना है। ऐसा नहीं है। यह देखना इस देश के लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि इस देश की सर्वोच्च निर्वाचित मंच में क्या हो रहा है। उन्हें यह जानने का अधिकार है। यही मुख्य उद्देश्य है। यद्यपि हमारी दर्शक दीर्घाओं में 500 व्यक्ति आते है लेकिन हम उनका उल्लेख नहीं करते है। अब पूरा देश ही दर्शक दीर्घा बन जाएगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मैं भी यही कहना चाहता था। यह बहुत ही बड़ा विशाल देश है और प्रत्येक व्यक्ति दर्शक दीर्घा में आकर सभा की कार्यवाही नहीं देख सकता है। एक लोकतन्त्रीय व्यवस्था में लोगों को यह जानने का अधिकार है और आधुनिक तकनीक की मदद से हम इसे आसानी से उपलब्ध करा सकते है और ऐसा किया जा रहा है। इसलिए मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।

माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि जब कभी भी हमारे पास समय बचे उस दौरान हम अवार्ड जीतने वाली फिल्मों के साथ-साथ बहुत ही गंभीर विषयों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की फिल्मों का प्रसारण कर सकते है। यदि हमें अन्य मंचो की कार्यवाही को देखने का अवसर मिलेगा तो इससे आम आदमी को लाभ होगा। मैं कार्यक्रमों के विषयों को और गंभीर और सासंदों के साथ-साथ आम जनता को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने वाला बनाने का अनुरोध करता हूं। मैं यही कहना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, वैसे इनमें कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने कम से कम तीन-चार पत्र मंत्री जी को लिखे होंगे कि यह हमारे में नहीं दिखाया जाता। जब दिखाया जाना शुरू हुआ तो 64, 65 नम्बर पर हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं था। आप इस बिल को लेकर आए हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसे आपरेटर्स या मल्टी सर्विस आपरेटर्स अपने हिसाब से चलाते हैं और काफी कमियां करते हैं। अगर उनकी सरकार का जिला प्रशासन है या उनका परिचित है, तब वे चाहे कितनी ही अनियमितताएं करते जाएं, उनकी ओर-ध्यान नहीं दिया जाता। आपने जिले के अधिकारियों को इसकी मौनीटरिंग करने और देखने का इंचार्ज बनाया है। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो कुछ चैनल इस तरह प्रचार कर रहे हैं जिससे लगता है कि यह सारे नियमों से अलग हटकर प्रचार कर रहे हैं। वहां पूरे दो महीने तक प्रचार हुए जिसमें ऐसे-ऐसे प्रचार हुए जिनका मैं यहां उल्लेख करना उचित नहीं समझता। मैं आभारी हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, आपके प्रयासों से हमने एक नई व्यवस्था शुरू की। जैसे शुरू में कहा गया कि कोई एक्ट और नियम नहीं बनाएंगे, इसमें बहुत सी भर्तियां हुई हैं तथा दूसरे कार्य हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता से, आपके प्रयासों से हमने एक नई व्यवस्था शुरू की। जैसे शुरू में कहा गया कि कोई एक्ट और नियम नहीं बनाएंगे, इसमें बहुत सी भर्तियां हुई हैं तथा दूसरे कार्य हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता रहे लोगों को समझ में आए कि हम इसढंग के चैनल भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे एक बात कहनी है कि राज्य सभा चैनल के बारे में अभी तक राय नहीं बन पाई है। यह क्यों नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी चर्चा यहां करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका इतिहास जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : हमारा कहना है कि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है।

मैं बरेली क्षेत्र से आता हूं। वहां एक मल्टी सर्विस आपरेटर सारे नियमों को वायलेट करके काम करता है। मेरा आग्रह है कि इस संदर्भ में आप कुछ स्थानों पर इसकी जांच करें और कार्यवाही करें। जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। यहां आपने एफटीवी बंद करके अच्छा कार्य किया है।

आखिर में मेरी लोक सभा चैनल से शिकायत है कि वह हमारे क्षेत्र में छः महीने पहले गए थे। वे वहां से पूरी फिल्म बनाकर लाये थे। छः महीने हो गये लेकिन आज तक वह फिल्म दिखायी नहीं गयी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह काफी लम्बी फिल्म है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : हमारा आग्रह है कि यदि वे किसी क्षेत्र में आयें, तो वहां के लोगों को रूचि रहती है कि आप जो देखकर आये, उसके लिएकोई शैड्यूलिंग होनी चाहिए। अभी बताया गया कि वह चैनल 24 घंटे दिखाया जा रहा है। हमारे साथियों ने बताया कि सांसद कोष के बारे में बदनामी रहती है, लेकिन सांसद कोष से जो काम अच्छे होते हैं, वे भी लोगों की समझ में आना चाहिए कि एमपीलैड से ये काम भी हो सकते हैं। यह भी समझ में आना चाहिए कि हमारा सांसद किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से लोगों से डील करता है। चूंकि मैं टेलीविजन अक्सर देखता हूं मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी टाक्स आती हैं जो हर चैनल पर आपको देखने को मिल जायेंगी। हम चाहते हैं कि लोगों को स्पेसीफिक लगे ताकि वे अपने सांसद के बारे सही ढंग से जान सकें और उससे बात कर सकें। अगर उनसे क्वेश्चन्स भी कर सकें, तो ज्यादा उचित रहेगा।

मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि आपने अच्छी दिशा में काम किया है। लोक सभा चैनल प्रतिष्ठा पाये और अच्छे ढंग से काम करे, इस प्रकार की योजना बनायी जाये ताकि हम सही ढंग से इस काम में आगे बढ़ सकें।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : धन्यवाद महोदय, मैं एक ऐतिहासिक विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। यदि मैं यह कहू कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है तो वह गलत नहीं होगा। मैं इस विधेयक पर पहले चर्चा करने वाले अपने साथियों और माननीय सदस्यों से स्वयं को संबद्ध करना चाहूंगा। जबसे राज्य सभा और लोक सभा का टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ है लोग हम सभी संसद सदस्यों का आदर कर रहे हैं जो संसद की कार्यवाही देखते हैं। लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और इन सुविधाओं से बेहद खुश हैं। कई बार लोग जन प्रतिनिधियों के रूप में संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हमारी प्रशंसा करते हैं। यह बेहद खुशी की बात है कि सरकार एम पी एल डी कोष तथा 2 करोड़ रुपये के खर्च से संबंधित वृत्तचित्र तैयार करने के लिए कदम उठा रही है। यह जनता का सौभाग्य होगा कि वह यह जान सकेगी कि सांसद इस धनराशि का उपयोग उचित तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजे और इस विकासात्मक कार्यक्रम पर एक टेलीफिल्म बनाए और उसे लोक सभा और राज्य सभा के चैनलों तथा राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाए। ताकि इससे एम पी एल ए डी एस धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। एक ओर इस 2 करोड़ रुपये की इस धनराशि का दुरूपयोग करने वाले सदस्यों के लिए यह एक चेतावनी होगी। दूसरी ओर इससे माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रे में विकासात्मक कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित भी होंगे मैं पुन: जनता दल (एस) संसदीय दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और साथ ही इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वागत योग्य है। धारा (8) के संशोधन का मुख्य प्रयोजन इस चैनल को नान-प्राइम चैनल से एक प्राइम चैनल बनाना है। यह इस विधेयक का मुख्य पहलू है। इसका स्वागत किया जाता है।

सभा के समक्ष मेरी यही चिन्ता है। इस सभा के कार्यकरण के संबंध में यह संदेश दिया जा रहा है कि पूरा देश 'दर्शक दीर्घा' में है। संसद में यह जरूरी नहीं कि केवल हमारे देश में बल्कि अन्य लोकतंत्रों में भी सभापति बार-बार कहते है: ''यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।'' उस समय मान लीजिए 100 अथवा 200 साल पहले जब सभापति यह फैसला लेते थे कि कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी तो उसका अर्थ था कि यह मुद्रित नहीं की जाएगी। प्रिंट मीडिया इसे भविष्य में प्रकट या मुद्रित न करें। सभा में हुए सारे विचार-विमर्श सभा की सम्पत्ति हैं। मैं मंत्री जी और सभा से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

कुछ बातें कही जा रही हैं और तर्कसंगत तरीके से दी जा रही है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न जाए और इसे रिकार्ड किया जा रहा है और प्रसारित किया जा रहा है। अत: इलैक्ट्रानिक मीडिया वह सब कुछ दिखा रहा है जो कार्यवाही में हैं और जिन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसे कार्यवाही वृतांत से हटाना पड़े।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय मेरे विचार से इस संबंध में कुछ विचार किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : परन्तु श्री महताब मैं आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। जो यहां आकर कुछ ऊपर से हमें देखते हैं वे भी यह सब सुनते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय मैं यहां विनम्रता से यह कहूंगा कि प्रिंट मीडिया को इसे छापने नहीं दिया जाता जबकि लोक सभा चैनल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक मीडिया अध्यक्ष के आसन के समीप हुई घटनाओं तथा चल रहे सभी विचार-विमर्शों को बार-बार दोहराता है। अत: कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और नियमों में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आशा करते है कि प्रौद्योगिकी के द्वारा इस स्थिति से निपटा जा सकेगा।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं केवल माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

दूसरी बात यह है कि मैं एम एस ओ की बात करूंगा जिसका उल्लेख संतोष गंगवार जी ने किया है। हमने पांच या छ: साल पहले इस पर विचार किया है कि अधिनियम को सुनिश्चित कैसे करें विशेष रूप से केबल टेलीविजन आपरेटर अथवा सर्वर जो इसे उपलब्ध करा रहे है एम एस ओ के बीच विभिन्न शहरों तथा विभिन्न कस्बों में प्रतिस्पर्धा है। परन्तु साथ ही उपभोक्ताओं तथा केवल लेने वाले लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस अधिनियम को कौन लागू करेगा? इसे जिलाधीश तथा अनुमंडलीय दंडाधिकारियों द्वारा लागू किया जाना है। मुझे यह नहीं पता कि मंत्रालय इसकी निगरानी कर रहा है या नहीं। ऐसे कितने मामले वास्तव में दर्ज किए गए हैं? क्या इतने समय के बाद भी आज तक किसी एम एस ओ आपरेटर को दोषी करार दिया गया है। मैं केवल यह आशा करता हूं कि इस विधेयक के अधिनियमित होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा और सभी एम एस ओ तथा केबल आपेटर इसका पालन करेंगें।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इस महत्वपूर्ण (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण सुझाव देना है। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 24 घंटे प्रसारण के बारे में उल्लेख किया है। मैं यह महसूस करता हूं कि जब सत्र चल रहा हो तो इसका 24 घंटे प्रसारण किया जा सकता है परन्तु जब सत्र न चल रहा हो तो इसे कम किया जा सकता है। यह एक महत्वपूप्र पहलू है।

एक अन्य पहलू लोक सभा टेलीविजन चैनल की गुणवत्ता का है। मैं लोक सभा टेलीविजन चैनल की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इतने कम समय में इतना उत्कृष्ट संगठित कार्य तथा अच्छा कार्य किया है। महोदय मैं आपको तथा माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं क्योंकि आप इस पुरे कार्य में अग्रणी रहे हैं और सभा इसको समर्थन दे रही है। सभी न्यूज रिपोर्टर पूरे पेशवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं।

महोदय, इस अवसर पर मैं कुछ चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के माननीय मंत्री जी के हाल के निर्णय पर टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा अपनाए गए पक्ष का पूरा समर्थन करता हूं। हम मीडिया की स्वतंत्रता पर विश्वास रखते है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मीडिया कुछ भी दिखाता रहेगा जैसा उन पर कोई कानून लागू न हो। अत: माननीय मंत्री जी हम आपके साथ हैं और टेलीविजन पर इस तरह के अश्लील प्रसारण से हमारे समाज की नैतिकता पर असर पड़ रहा है।

अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अगर मुझे बोलने का यह अवसर नहीं मिलता तो मुझे सभा के समक्ष यह पहलू रखने का अवसर नहीं मिलता। एक बार किसी को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई) के अंतर्गत दी गई सूचना टेलीविजन चैनल के संबंध में थी।

उसके आधार पर यह दिखाया गया जैसे कुछ सांसद पूरें सत्र के दौरान सभा में उपस्थित नहीं थे जैसे कि यह कोई गलत कार्य हो। यह भी संकेत दिए गए थे कि सदस्य समितियों की बैठक में भाग ले रहे थे जैसे कि समितियों में उपस्थिति महत्वपूर्ण न हो।

मैं समझता हूं इस चैनल को समितियों की कार्यवाही का प्रसारण नहीं करने दिया जाए क्योंकि समितियों में किए गए विचार-विमर्शों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। परन्तु समितियों, विशेष रूप से स्थायी समितियों में कार्य, जो कि अति महत्वपूर्ण है, को किसी न किसी तरह कुछ महत्व मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समितियों के माननीय सभापतियों को इसके लिए कहें। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। अब तक वे सहमत हैं। मैंने कई बार प्रयास किया है।

श्री पी.सी. थामस : मुझे लगता है कि ऐसी धारणा है कि समितियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। समितियां काफी महत्वपूर्ण हैं। कुछ समितियों में किया जाने वाला कार्य इतना अच्छा होता है कि यह वास्तव में सभा की इच्छा का द्योतक होता है, फिर यह सभा में आता है और हम उसका समर्थन करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

यह एक बहुत छोटा संशोधन है जिसका देश पर अति व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि सभा इस विधेयक को आज पारित करके राजयसभा को भेज सका तो बहुत अच्छा होगा।

सर्वप्रथम मैं आपको प्रसार भारती के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त लोक सभा के स्वतंत्र चैनल को शुरू करने में आपकी बुद्धिमता के लिए अपने मंत्रालय की ओर से बधाई देता हूं। सभी दल आपका समर्थन करते हैं। जब भी आपने बैठक बुलाई है मैं भी हर अवसर पर उपस्थित रहा हूं। थोड़ी सी समयावधि में इस चैनल में जिस प्रकार का टीम कार्य किया गया है उसके लिए वह पूरी संसद की तरफ से तहेदिल से प्रशंसा के हकदार हैं। इन्होंने अद्‌भुत कार्य किया है। यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले तो वे संसदीय चैनल के लिए बेहतर कार्यक्रमों का निर्णय करेंगे। यह बात मैं अपने तथा अपने मंत्रालय और सरकार की ओर से कह सकता हूं।

संसद की कार्रवाई के अतिरिक्त, मैंने स्वयं देखा है कि उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की क्लीपिंग्स, संसद में पंडित नेहरू के भाषण और जनता के बीच की गई कुछ टिप्पणियों, उनकी यात्रा, नियति के साथ मिलन वाला भाषण आदि को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। यह एक अद्‌भुत दस्तावेज था। महोदय मैं आपको और चैनल को आश्वासन देता हूं कि जब कभी चैनल को प्रसार भारती फिल्म प्रभाग की पुरातत्व संबंधी सामग्री की आवश्यकता पड़ी तो हम इसे सहायता प्रदान करेंगे और इसे पूरी सहायता प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरे विचार से स्वतंत्र भारत का गौरव हमारा लोकतांत्रिक कार्यकरण है। लोकतांत्रिक कार्यकरण में एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह संसद है। इसलिए, संसद की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। वे संसद के विचारों और अभिव्यक्तियों को वस्तुगत दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। यह चैनल जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसकी सराहना करते हैं।

चैनल को चलाने के लिए भावी रूपरेखा हेतु सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में मेरा निवेदन है कि आपने पूर्व सुझावों को स्वीकार करके बड़ी कृपा की थी। आज आपने कहा है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। मैं इन पहलुओं पर विचार नहीं करूंगा। जब कभी ऐसी बैठकें बुलाई जाती है तो हम उनमें भाग लेंगे। मेरा मानना है कि आप समुचित मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप समुचित विधान, आचार संहिता और मार्ग-निर्देशों के बारे में विचार करते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। आप जिस प्रकार से भी इसे आवश्यक समझेंगे हम आपका समर्थन करेंगे।

आज, इसका सीमित लक्ष्य केबल आपरेटरों को निदेश देना है क्योंकि कानून के अंतर्गत केबल आपरेटर किसी भी प्रकार से लोक सभा चैनल के प्रसारण के लिए बाध्य नहीं हैं। कानून कहता है कि डी डी राज्य सभा और डी डी लोक सभा को अपलिंक किए जाने की आवश्यकता है। डी डी राज्य सभा चालू है। कोई समस्या नहीं है। परंतु हमने डीडी लोक सभा को हटा लिया है क्योंकि लोकसभा का नया, स्वतंत्र चैनल, संसद चैनल शुरू किया गया है। यह केबल आपरेटरों को दिए गए निदेश के कानूनी दायरे में आएगा। इसलिए, यदि आप विधेयक पर नजर डालें तो हमने उपबंध में संशोधन किया है और कहा है :

"प्रत्येक केबल आपरेटर संसद द्वारा अथवा संसद की ओर से प्रचालित चैनल का पुनः प्रसारण केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और नाम के अनुसार करेगा।" हमने "इन द मैनर" शब्दों का प्रयोग किया है।

आज, लोकसभा टी वी चैनल को संसद चैनल कहा जाता है। कल यदि दूसरी सभा अलग चैनल के बारे में सोचती है, जो कि प्रसार भारती के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त है तो इस प्रयोजनार्थ बिना कोई संशोधन लाए यह अधिनियम इसे दिशा देगा अथवा यदि भविष्य में लोक सभा यदि इस प्रकार से दूसरा चैनल शुरू करने पर विचार

करती है जिसे वे उचित समझते हों तो उसे भी इस संशोधन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अत: यह संशोधन फिलहाल केबल आपरेटरों तक सीमित नहीं है परंतु नया चैनल शुरू करने अथवा मौजूदा चैनल का नाम बदलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसीलिए हमने इस संशोधन को थोड़ा लचीला बनाया है।

महोदय, मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा किए गए सुझावों से पूर्णत: सहमत हूं। वर्ष 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। उन दिनों चैनलों की संख्या बहुत सीमित थी। अब अपने मंत्रालय में हम दूरदर्शन के चैनलों सहित लगभग 340 चैनलों की निगरानी और ध्यान रखने का कार्य कर रहे हैं। मेरी सूचना के अनुसार, हम वर्ष 2008 तक 400 चैनलों की संख्या को पार कर जाएंगे और ग्यारहवीं योजना के अंत तक अत्यधिक वृद्धि के साथ हम यूरोप और ऐशिया के सभी रिकार्ड तोड़ देंगे। जहां तक चैनलों की संख्या का संबंध है। तो यही स्थिति है। इसीलिए, सं.प्र.ग. सरकार ने विषय-वस्तु के विनियमन के संबंध में व्यापक विधान लाने का सही निर्णय लिया जैसा कि श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा उल्लेख किया गया है। हिस्सेदारों से दो बार बात करके, सभी सूचनाओं को वेबसाइट पर डालकर उनकी और राय मांगकर अब मैं बहुत तैयारी कर रहा हूं और मैं अपने विचार से अगले सत्र के शुरू में इस विधेयक को संसद में पुर:स्थापित कर पाउंगा जो कि अत्यधिक मीडिया-हितैषी होगा और प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करेगा। सरकार अथवा नौकरशाही का प्रत्यक्ष विनियमन होगा। इसका प्रेस काउंसिल जैसा अति रूचिपूर्ण स्वयं विनियामक तंत्र होगा जहां जिम्मेदारी हिस्सेदारों पर होगी और हम प्रबल के बजाय केवल गौण भूमिका निभाएंगे। हम इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : वर्तमान में मीडिया द्वारा केवल कारपोरेट समाचारों को कवर किया जाता है संसद समाचारों को नहीं। इस समय यही स्थिति है। आपको इसके लिए भी कुछ करना चाहिए क्योंकि जनता के लिए यह भी आवश्यक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस पर आ रहा हूं। यदि संसद इस प्रकार का कोई कानून पारित करती है कि देश में पूरा मीडिया संसद में सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को कवर करेगा तो मेरा विचार है कि न्यायालय उस कानून को रद्द कर देगा। इसलिए, मैं इस बात के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में किस संसद सदस्य के भाषण के कौन से भाग को मीडिया द्वारा कवर किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारा चैनल अर्थात् लोक सभा टेलीविजन चैनल को पूरे देश में केबल आपरेटरों द्वारा नान-प्राइम बैंड में प्रसारित किया जाना चाहिए कानून में यह कमी थी और आज मैं इसके लिए संशोधन लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अब मैं निगरानी वाले भाग पर आ रहा हूं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मंत्रालय में मंत्री बनने के बाद मुझे यह सोचकर थोड़ी निराशा महसूस हुई कि एक अरब (बिलियन) से अधिक जनसंख्या वाले इतने बड़े देश में जहां प्रत्येक जिले में एस पी और डी एम अपने स्थानीय विकास कार्यों में व्यस्त हैं तो वे वास्तव में इसकी निगरानी कैसे कर सकते हैं। वे दर्शकों, गेर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा की गई शिकायतों पर विश्वास करते हैं। यदि कुछ गलत होता है तो वे शिकायत के आधार पर केबल आपरेटरों को उससे अवगत करा देते हैं और चेतवानी देते हैं तथा यदि उनकी सीमा से बाहर कुछ गलत होता है तो वह मामला हमारे पास आता है। हम ऐसी स्थिति में क्या करें? हम जल्दबाजी में भी कार्रवाई नहीं करते हैं। यदि हमें शिकायत प्राप्त होती है तो पहले तो हम शिकायत का कैसेट द्वारा प्रमाणीकरण करते हैं। उसके बाद हम उसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों वाली अंतर मंत्रालयीय समिति को भेजते हैं। यदि वे सामूहिक रूप से यह महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी तरह से बुरा है तो वे किसी उपाय की सिफारिश कर सकते हैं और उस उपाय पर मंत्री को कार्रवाई करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मनमाने ढंग से करता हूं, बिलकुल नहीं।

महोदय, मैं आपको बता सकता हूं- यहां मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं- कि हमने सं.प्र.ग. सरकार के कार्यकाल के दौरान 75 से 80 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और अधिकांश मामलों में हमने मामले का आमने-सामने बैठकर निपटारा किया है क्योंकि हमने पाया है कि प्रसारणकर्ता बहुत जिम्मेदार हैं। वे अपनी गलतियों के लिए न सिर्फ माफी मांग रहे हैं बल्कि वे पूरी स्थिति में परिवर्तन भी कर रहे हैं और उचित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

मैंने केवल दो मामलों में कड़ा रूख अपनाया है और दो विदेशी चैनलों को कारण बताओं नोटिस जारी किए है। इनमें से एक चैनल ने अपना दोष स्वीकार किया और माफी मांगी तथा हमने इसे पुन: चालू कर दिया। परंतु अन्य चैनल ने कारण बताओं नोटिस या चेतावनी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

की परवाह नहीं की, अत: उस पर दो महीने का प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता पड़ी।

मैं आपको यह बताता हूं कि इस मीडिया में क्या-क्या चल रहा है वह यह है कि सरकार काफी हद तक मोरल पुलिस का कार्य कर रही है, मैं प्राय: इस स्थिति का सामना करता हूं। मैं इम्मोरल पुलिस अफसर की अपेक्षा मोरल पुलिस अफसर के अरोप को प्राथमिकता देता हूं। परंतु प्रश्न यह है कि हम टी वी क्षेत्र में किसी पुलिस का कार्य नहीं कर रहे हैं। कानून को संसद द्वारा पारित किया जाता है कि अगर आप कुछ गलत पाते हैं तो आप इस तरह मामले की जांच करते हैं और फिर आगे बढ़ते है। 340 चैनलों में से, एक वर्ष में, 1,20,000 से अधिक प्रसारण होते हैं और यदि वर्ष के अंत में दो चैनलों को गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाता है और यह गलत कार्य किसी सीमा से बाहर है तो उनसे सख्ती से निपटा जाता है, मीडिया द्वारा पूरे राष्ट्र को बताया जा रहा है कि मोरल पुलिस का कार्य किया जा रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। यह सही नहीं है।

मैं अश्लीलता, संस्कृती और अन्य बातों का निर्णायक अथवा इस पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं। एक मंच कलाकार शिल्पा शेट्टी के चुंबन के दृश्य को हमारे मानीटर में केवल 16.5 सैंकड के लिए रखा गया था। 16.5 सैंकड के इस दृश्य को एक मुद्दा बनाने के लिए ऐसा 120 बार पूरे दिन बार-बार टी वी पर दिखाया गया और वे इसे टी आर पी कहते हैं। यह पागलपन की दौड़ है। हम क्या करें? कानून हमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता हैं। मैं उनसे मित्र के रूप में अपील करता हूं कि वे इसे अपने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु, अधिक दर्शकों और इस मामले को न्यायालय में खींचने के लिए 100 बार न दिखाएं। बेचारी महिला को परेशानी हो रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है, आपको इसे नहीं दिखाना चाहिए और क्या गलत है। आपको इसे दिखाना चाहिए परंतु मैं जो कह रहा हूं क्या यह है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार और मीडिया को भागीदार होना चाहिए ना कि आपस में लड़ने, झगड़ने वाले समूह। हमे यह पसंद नहीं है।

हम नहीं मानते कि सरकार को मीडिया पर नियंत्रण रखना चाहिए, सरकार को टी वी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सरकार को टी वी के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए परंतु यह अवश्य मानते हैं कि चाहे विज्ञापन हो, चाहे वह विषय वस्तु उनके लिए कतिपय व्यवस्था, संहिता होनी चाहिए जिनका प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में पालन किया जाना आवश्यक हो फिर चाहे वह यूरोप हो या भारत हो। जब कभी आप भारत में कुछ करते हैं तो वे हमें भला-बुरा कहेंगे परंतु जब मैं विश्व के अन्य भागों के कानूनों को देखता हूं तो वे चुप हो जाते है।

भारत के उदारीकरण का अर्थ यह नहीं हैं कि इस देश की किसी परंपरा को नष्ट करने की स्वतंत्रता है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते और तब मैं इस पर आपत्ति करता हूं। हमने शराब, सिगरेट दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। हम कदम-दर-कदम कार्यवाही कर रहे हैं और केवल दो ही चैनलों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। वह भी, क्यों? क्योंकि विद्यालय जाने वाले छात्रों के माता-पिता कहते हैं कि उनके पास दो ही कमरे हैं। एक कमरे में माता-पिता रहते हैं और दूसरे कमरे में बच्चे पढ़ते और सोते हैं। वे कहते हैं उनकी परीक्षाएं चल रही है। हम उन्हे नहीं रोक सकते, क्योंकि हम मध्यमवर्ग के लोग हैं और हमारे पास एक ही टी.वी. है। बच्चे आते हैं और टी वी के सामने बैठ जाते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं और उसी समय के दौरान चैनल विशेष पर आपत्तिजनक प्रसारण हो रहा होता है।

न केवल मुख्याध्यपकों अपितु गैर-सरकारी संगठनों और महिलाओं संगठनों ने भी सैंकड़ो बार मुझे फोन किया। तब हमने कार्यवाही आरम्भ की। हमने इन चैनलों से सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने पत्र जारी किये, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिये। हमने उनसे इन्हे बन्द करने का अनुरोध किया किन्तु उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की क्योंकि ये विदेशी चैनल हैं। इसलिए, मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसे प्रतिबन्धित करने का निर्णय लेना पड़ा।

अब, प्रतिबन्ध करना ही विषय बन गया है कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है। मैं क्यों हस्तक्षेप कर रहा हूं? मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि आप न्यूज चैनलों को देखिए- मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं- केवल दो वर्ष पहले ये न्यूज चैनल देश में समाचार और सम सामयिक मुद्दों को दिखाने के लिए पंजीकृत हुए थे। वे दिन में 24 घन्टे, सही या गलत जैसी जैसी भी हो समाचार दिखाते थे। अब पिछले दो वर्षों से, आप देखेंगे कि ये न्यूज चैनल और सम सामयिक मुद्दों के चैनल मनोरंजक समाचारों के नाम पर अपने 60 प्रतिशत को मनोरजंन चैनल के रूप में बदल रहे हैं और देश के अन्य प्रमुख समाचारों, विकास के समाचारों और अन्य अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों को नजर अंदाज कर रहे हैं।

अगले माह मैं अनौपचारिक रूप से सम्पादकों के साथ एक बैठक कर रहा हूं यदि आप समझते हैं कि बालीवुड शुटिंग न्यूज चैनल का एक अंग होना चाहिए, आइये हम इसको परिभाषित करते हैं और संहिता तैयार करते हैं। न्यूज चैनल संसद को नजर अंदाज करते हैं; न्यूज चैनल देश के विकास को नजर अंदाज करते हैं; न्यूज चैनल भारत के विशेष हिस्से में साम्प्रदायिक सौहार्दता के प्रभाव को नजर अंदाज करते हैं। उस अवधि में वे समय में कटौती करके कुछ और दिखाने लगते हैं जो कि मनोरंजन चैनल का हिस्सा होता है। इसके अलग-अलग कारण हैं तब यह देश के लिए समस्या बन जाता है। इसीलिए हम अगले महीने से नये सिरे से उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे सहयोग करेंगे। महोदय, मैं पुनः यह बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रिंट मीडिया और भारतीय टेलिविजन चैनल राष्ट्र में संकट के समय पर, राष्ट्र में आवश्यकता के समय पर हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े रहे हैं। चाहे यह समझौता एक्सप्रेस विस्फोट का मामला रहा हो, चाहे बाम्बे में हुए एक के बाद धमाको का मामला हो, या अन्य कोई मामला रहा हो, वे देश की रक्षा में और समाज में किसी भी प्रकार के नरसंहार को रोकने में ये पीछे नहीं रहे। उन्होंने अनुकरणीय कार्य को अंजाम दिया।

इसलिए, मुझे उन पर विश्वास है। मैं उन्हे पाठ पढ़ाने वाली भाषा में नहीं बताना चाहता; मैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता; मुझे अभी भी आशा है। आशा है कि आगामी सत्र में जब यह विधेयक आयेगा तो आपके द्वारा दिए गए इन सुझावों को इसमें इस प्रकार से समाहित किया जायेगा जिससे कि जहां तक प्रसारण चैनलों का संबंध है इसे जनसंचार माध्यमों के मालिको, टेलिविजन मालिकों और सरकार को विश्वास में लेकर इसे कार्यान्वित किया जायेगा। सरकार को बार-बार उन्हे लाठी से नहीं हांकना चाहिए; यह किसी भी लोक तान्त्रिक देश के लिए गलत है। मैं इसी के अनुसार इस विधेयक को तैयार कर रहा हूं। महोदय, मैं आज यह दावा करता हूं कि जब यह विधेयक आयेगा तो यह समस्त संसार में अद्वितीय होगा; इस देश में हम इस विधेयक को ऐसा ही तैयार कर रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं।

यदि आप केबल को हटाना चाहते हैं तो सब जगह कैस का विस्तार करना होगा। संप्रग सरकार न्यायालय द्वारा दिए गए सीमित समय में चैन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुम्बई में बिना किसी बाधा के कैस को सफलता पूर्वक लागू करने में सक्षम हुई है। हमारा अगला कदम इसे चारों महानगरों में लागू करके इसे अन्य शहरों में फैलाने का है। डी टी एच और कैस आप को मुक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, मैं यह भी नहीं चाहता कि केबल आपरेटरों का पेशा समप्त हो जाए; वहां बहुत से लोग कार्यरत हैं। हम उन्हें भी अनुशासित कर रहे हैं; हम उनसे नकली कैसेट न बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी फिल्मों की नकली कैसेटो की वजह से भी हमारा फिल्म उद्योग तबाह हो रहा है। इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। मैंने एक निर्णय लिया है; मैंने एक समिति बनाई है। समिति की सिफारिशें मुझे प्राप्त हो गई हैं। इस समिति की अध्यक्षा श्रीमती शबाना आजमी थी। अगले दो महीनों में हम इसे लागू कर देंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि माहौल एकदम स्पष्ट और पारदर्शी रहेगा। जहां तक इस संशोधन विशेष का संबंध है इसे अन्य सदन द्वारा पारित किये जाने के तुरन्त बाद लागू कर दिया जायेगा, और लोकसभा चैनल को इस केबल नेटवर्क में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका मिलेगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह इस सभा को सूचित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं माननीय सदस्यों से मिले बहुत अच्छे सुझावों और कृतज्ञता तथा प्रशंसा के प्रति अपना आभार प्रस्तुत करता हूं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह चैनल केवल और केवल आठ महीनों से चल रहा है। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।

प्रश्न यह है :

"कि केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, -

"2006" के स्थान पर "2007 में" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"सतावनवें" के स्थान पर "अठावनवें" को प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और विशेषकर माननीय मंत्री जी को उनके सकारात्मक समर्थन के लिए धन्यवाद अदा करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा स्थगित की जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सर, जीरो आवर ले लीजिए।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : सर, अभी जीरो आवर लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री भर्तृहरि महताब।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने, पर्यावरणीय प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण देश का बहुत सा हिस्सा असामान्य रूप से लू का सामना कर रहा है।

अपरा 5.57 बजे

[श्री **वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

उड़ीसा के बहुत से जिलों में, विशेषकर झारसुगुडा, अंगुल, कटक, संबलपुर, सुंदरगढ़ और बोलनगीर में गत सात दिनों के दौरान तापमान 43 डिग्री से. से ऊपर चला गया है, जिससे कम से कम 36 लोगों की जान चली गई हैं। उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री के राहत कोष से प्रत्येक को केवल 10,000 रु. अनुग्रह राशि प्रदान की है। चूंकि लू लगने और बिजली गिरने को अभी प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है, इसलिए प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कोई राहत नहीं मिल रही है।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उड़ीसा में प्रति वर्ष बिजली गिरने से लगभग 230 से 250 व्यक्ति

मारे जाते हैं, जैसा कि सरकारी रिकार्ड में सूचित किया गया है किन्तु राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है।

1998 में उड़ीसा ने भयंकर लू का सामना किया था और लू लगने के कारण लगभग 2,042 लोग हताहत हुए थे। इस वर्ष भी उड़ीसा इसी प्रकार की लू का सामना कर रहा है और तापमान में असामान्य वृद्धि के कारण आम आदमी, कामगार वर्ग इसके शिकार बनते हैं और शोकसंतप्त परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष एक छोटी सी राहत है।

अतएव, मैं सरकार से बिजली गिरने और लू लगने को शीघ्रातिशीघ्र प्राकृतिक आपदा घोषित करने का आग्रह करता हूं ताकि शोक संतप्त परिवारों को यथेष्ट अनुग्रह राशि प्रदान की जा सके।

सभापति महोदय : मैं बारी-बारी से नाम पुकारूंगा। अब, श्री के फ्रांसिस जार्ज।

श्री के फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : सभापति महोदय, सरकार को मानव अंगों विशेषकर गुर्दों के व्यापार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए क्योंकि प्रतिदिन संगठित गैंगों द्वारा अबोध और अभागे लोगों को ठगने के मामले सामने आ रहे हैं।

महोदय, मैं दिल्ली के केरल स्कूल के एक छात्रा सुन्धी सोफिया जांन के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जोकि दैनिक 'मलयाला मनोरमा) में प्रकाशित हुआ है। उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए तुरंत गुर्दा प्रत्यारोपण कराने की सलाह दी गई। कानूनन वह इस अंग विशेष को केवलअपने रक्त संबंधी से ही प्राप्त कर सकती है, और चूंकि उसके संबंधी का गुर्दा उपयुक्त नहीं पाया गया था, अत: वह और उसमें माता-पिता तथाकथित गुर्दा माफिया की पेशकश में आ गए जिसनें उन्हें ठग लिया।

उसका आपरेशन केरल के त्रिचूर में एक अस्पताल में होना तय किया गया था और इस अस्पताल को प्रधानमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये दिये गए। यह संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के हस्तक्षेप पर हुआ था, यह राशि उस पर दया करके प्रदान की गई थी। मैडम सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया था और प्रधानमंत्री राहत कोष से गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए एक लाख रुपये की यह राशि प्रदान की गई थी।

सायं 6.00 बजे

अब स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि उसने वह राशि और अन्य जगहों से प्राप्त अन्य वित्तीय सहायता भी खो दी है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि बहुत से मामलों में गैंगों और रैकटों द्वारा अस्पताल पदाधिकारियों और कुछ डाक्टरों की मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्पष्ट है, इस अस्पताल ने प्रधानमंत्री राहत कोष से प्राप्त इस धनराशि को अपने पास रख लिया है जोकि इस गरीब लड़की को दी गई थी।

अतएव, में अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और देश में ऐसे माफिया गैंगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, छह बज चुके हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम जब तक 'शून्य काल' का आज का कार्य व्यापार समाप्त न हो तब तक के लिए सभा का समय बढ़ा सकते है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदया सभा सहमत है।

सभापति महोदय : तो सभा का समय आज के 'शून्य काल' के कार्य-व्यापार के समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी) : माननीय सभापति महोदया भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में केरल राज्य में एक उत्कृष्ट और संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। किंतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2000 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक महत्ता देकर नीति में परिवर्तन से केरल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अब गत पांच वर्षों से कुछ संकटापन्न स्थिति का सामना कर रहा है।

किंतु गेहूं किरोसिन के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन में बार-बार कमी के कारण और केरल में बीपीएल लोगों के अलावा अन्य कार्डधारकों को थोड़ी सी चीनी को भी रोकने से केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ढहने के कगार पर है। केरल, जो कि एक उपभोक्ता राज्य है, कीमतों में वृद्धि की आशंका का अन्य किसी राज्य से अधिक सामना कर रहा है।

[श्री टी.के. हमजा]

अब, प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा निजी ऐजन्सियों को भंडार के लिए विहित सभी सीमाओं को हटाते हुए, यथावांछित मात्रा में गेहूं की मात्रा की खरीद और भंडारण की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में, एफसीआई के गोदामों में कोई स्टाक नहीं मिलेगा।

माननीय मंत्री का ध्यान राज्य के लिए चावल और गेहूं के आबंटन में निरंतर कटौती की ओर भी आकर्षित किया जाता है। गत 27 वर्षों के दौरान चावल के आबंटन में कटौती करके इसे 1,59,641 मीट्रिक टन से 68,755 मीट्रिक टन कर दिया गया और गेहूं के आबंटन में कटौती करके इसे 37,000 मीट्रिक टन से 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया।

महोदय, यदि ऐसी स्थिति जारी रहती है, तो मुझे डर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी जिससे कीमतों में बढ़ोत्तरी होगी, अकाल और भुखमरी होगी। अतएव माननीय खाद्य मंत्री कृपया केरल की समस्या पर गंभीरता से विचार करें और गेहूं और चावल के आबंटन में यथा स्थिति बनाई रखी जाए।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : केन्द्र को देश में जाली करेन्सी नोटों के परिचालन की तुरन्त जांच करानी चाहिए। यद्यपि विभिन्न जांच एजेन्सियों के पास विदेशों से जाली नोटों के आने के संबंध में जानकारी है, किन्तु वे वास्तविक अपराधियों को पकड़ पाने में सफल नहीं हुई हैं। अतएव, जाली करेन्सी का बेरोकटोक परिचालन हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल ऐसे राज्य हैं जहां जाली करेन्सी अधिक प्रचलन में है। समाचार पत्रों में रिपोर्ट थी। कि कोचीन में जाली नोटों के दो कन्टेनर आए थे। किन्तु अभी तक कोई जांच नहीं की गई है।

जाली करेन्सी के रैकेट अब एक हजार रुपये की छपाई पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जबकि पहले वे पांच सौ रुपये के नोट के परिचालन में लिप्त थे। हजार रुपये के जाली नोट ऐसी सफाई व कुशलता के साथ बनाए जाते हैं कि गत छह वर्षों में मुद्रित किए गए तकनीकी रूप से सक्षम और नकल न किए जा सकने वाले नोट भी जाली बनाए जा रहे हैं। जाली नोटों के प्रचनल के कारण केरल में जमीन की कीमतें दस गुना बढ़ गई हैं। हाल ही में कोझीकोड में पाकिस्तान में छपे और दुबई के रास्ते से भारत आने वाले 20 लाख के जाली नोट पकड़े गए। केरल में जाली करेन्सी नोटों के प्रचलन के कई मामले दर्ज किए गए। किन्तु इन जाली नोटों को स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है।

देश में इतनी बड़ी मात्रा में जाली नोटों की इस तस्करी के पीछे कुछ देश और अंडरवर्ल्ड हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया जा सके। मैं केन्द्र सरकार से उनकी जांच करने उनकी जघन्य गतिविधियों को रोकने का आग्रह करता हूं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदया मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद! मैं अपनी राज्य सरकार के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहती हूं जोकि गांधीधाम-मुंदरा रोड़ को चार लेन का बनाने के संबंध में है।

अवसरचना, औद्योगिक विकास और पत्तन संपर्क कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एन एच डी पी चरण-3 में गांधीधाम-मुंदरा खंड को चार लेन का बनाने को शामिल किया जिसे पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि दिसंबर 2009 है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति को देखते हुए यह आवश्यक है कि मुंदरा पत्तन ईस्ट-वेस्ट कारिडोर से चार लेन की सड़क से जुड़ा हो।

मैं सरकार से इस कार्य को यथाशीघ्र कराने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं इसके साथ संबद्ध होने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री मधु गौड यास्खी। यह राज्य का मामला है। आप केवल इसका उल्लेख कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना राज्य का मामला है। यह आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है।

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद) : नहीं यह राज्य का विषय नहीं है।

धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में खतरनाक ढंग से होने वाली वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि प्रतिदिन पूरे देश में सैकड़ों आदमी सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। महोदया मैं आपके माध्यम से अपना विषय जानकारी में लाना चाहता हूं।

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : इतना अधिक विस्तार क्यों? क्योंकि यह राज्य का मामला है। आपने दुर्घटनाओं की उच्च दर की घटना के संबंध में बताया है।

श्री मधु गौड यास्खी : महोदय, मैं एक घटना बताना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, आप एक राज्य राजमार्ग को लें। विशेषकर आप यदि आंध्र प्रदेश राज्य को उदाहरण के तौर पर ले, तो एक तेलुगु समाचार पत्र में यह समाचार था कि प्रति घंटा एक आदमी, प्रतिदिन 28 और गत चार महीनों की अवधि में 3,224 लोगों की मृत्यु हुई, 12,000 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए, और 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए।

दुर्घटनाओं में मारे जाने वाने लोगों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि होना है, और राजमार्ग को अभी पूरा किया जाना चाहिए। मंत्रालय को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

हैदराबाद और विजयवाड़ा के मध्य राजमार्ग तथा हैदराबाद और निजामाबाद के मध्य राजमार्ग सं. 7 को अभी पूरा किया जाना चाहिए। कुछ राजमार्गों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोनोवाल, आप शुरू कर सकते हैं। वे अपना भाषण बंद नहीं करेंगे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं और वह है- असम में आईओसीएल के साथ बी आर पी एल का विलय।

महोदय, जैसा कि आप जानते है, बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 1974 में आस्तित्व में आया था। बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड राज्य में तीसरी रिफाइनरी थी जो कि साठ के दशक के मध्य में आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में नोगों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन का परिणाम था।

5 दिसंबर, 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने असम में रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल्स काम्प्लेक्स की स्थापना के निर्णय के बारे में संसद में घोषणा की थी। महोदय ढालीगांव में बोगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य थे, जो इस प्रकार थे: (एक) औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से शेष देश के साथ राज्य के अल्प विकसित भाग को जोड़ना, (दो) बीआरपीएल के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों पर आधारित अनुप्रवाह अनुषंगी उद्योगों के माध्यम से राज्य के इस भाग में औद्योगिक समूह के सृजन के लिए मार्ग तैयार करना, (तीन) इस क्षेत्र के निर्धन बेरोजगार लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना, और (चार) इस प्रकार औद्योगीकरण के माध्यम से लोअर असम के सदा से भेदभाव किए गए, वंचित, अनदेखा किए गए और पिछड़े तथा निर्धन बोड़ो जनजातियो, राजवंशियों और अन्य जातीय लोगों का समग्र विकास।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए आपकी मांग क्या है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदया बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बहुत सी समस्याओं से गुजर रहा है...*(व्यवधान)* मैं मुद्दों पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि बीआरपीएल के हितों के संरक्षण के लिए आई ओ सी एल के साथ बी आर पी एल का संपूर्ण विलय होना चाहिए, जैसा कि बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स कर्मचारी संघ और पूर्वोत्तर संसद सदस्य मंच तथा इसी तरह के विचार रखने वाले अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की मांग है। विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे निर्णय लेने के पश्चात विलय के विरूद्धलावी बनाने वाले ग्रुप के कुछ निहित हितों के कारण समूची प्रक्रिया में विलंब हो रहा है और यही एकमात्र विकल्प बचा है। यही कारण है कि मेरा आपके माध्यम से सरकार से विशेषकर संबंधित मंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि जैसा उन्होंने निर्णय लिया है, उन्हें तुरंत निर्णय को कार्य में बदल देना चाहिए, और जैसा वादा किया है, कार्यान्वियन करना चाहिए और बोंगाईगांव रिफाइनरी के हितों का संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद महोदय।

श्री कॅगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, कोल्लम-विरुदुनगर मीटर गेज रेल लाइन विगत 104 वर्षों से अस्तित्व में है। यह भारत की सबसे पुरानी रेलवे लाइनों में से एक है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली इस वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण रेल लाइन की लंबाई 94 किलोमीटर है। इस मीटर गेज के ब्रांड गेज में आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। 94 किलोमीटर में

[श्री वेंगरा सुरेन्द्रन]

से 84 किलोमीटर केरल राज्य में आता है, अर्थात् कोल्लम पुनलूर-44 किलोमीटर और पुनलूर-शेनकोट्टा-50 किलोमीटर। तमिलनाडु क्षेत्र में कार्य लगभग पूरा हो चुका है जबकि केरल में अपूर्ण है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि सात वर्ष के पश्चात् भी कोल्लम पुनलूर के मध्य कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और पुनलूर एवं शेनोकोट्टा के मध्य कार्य शुरू भी नहीं हुआ है।

अब, कोल्लम और पुनलूर के मध्य लाइन 1 मई, 2007 से बंद हैं। इस संबंध में मैं सरकार के ध्यान में तुरंत यह बात लाना चाहूंगा कि इस मार्ग पर विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग यात्रा करते हैं। कोल्लम और पुनलूर के मध्य रेल लाइन के बंद होने से ये यात्री काफी समस्या का सामना कर रहे हैं। अब यह निवेदन है कि लोगों की कठिनाइयों पर विचार करते हुए सरकार रेलवे को आमान परिवर्तन का कार्य छह माह में पूरा करने और मार्ग पर रेल सेवा पुनः शुरू करने का निर्देश जारी करे।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी भारतीय रक्षा कार्मिकों और भारतीय थलसेना के प्रति पूरा आदर है। वे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी तरह से सेवा करते रहे हैं। किन्तु नागरिक-सैन्य संबंध का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें थलसेना के दो कार्मिक मारे गए। तत्पश्चात्, पूरी थलसेना गांव गई, सभी गांववासियों को बाहर निकाला, उन्हें पंक्ति में खड़ा किया, उनके हाथ बांध दिए और उनसे बिना भोजन बिना पानी और बिना किसी अन्य चीज के काम करवाया और उन्हें दो दिन तक रखा।

पूरे राज्य में भारतीय थलसेना द्वारा किए गए इन अत्याचारों के कारण भारी असंतोष है, जिसका नेतृत्व ...*। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय उन चूककर्ता थलसेना कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई करे, जिन्होंने नागरिकों के साथ ऐसी गलती की। राज्य सरकार एक कठोर वक्तव्य ला रही है। महोदय, मैं यहां आज आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ऐसे सेनाधिकारियों को दंडित किया जाए।

श्री तापिर गाव : महोदय, मैं स्वयं को उनके साथ संबद्ध करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : ठीक है।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में तूतिकोरिन पत्तन नगर पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण पत्तन है जिसने सदियों से सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध प्रदान किए हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से लोग तूतिकोरिन पत्तन से रोजाना सामान और सब्जियां कोलंबो ले जाते है। भारतीय मुख्य भूमि और द्वीप राष्ट्र के बीच यात्री यातायात और माल की आवाजाही सदा से ही रही है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन हैं। किन्तु तूतिकोरिन और कोलंबो के मध्य कोई नियमित फेरी सेवा नहीं है। तमिलनाडु के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ. चिदम्बरम ने एक नौवहन कंपनी स्थापित की थी जो कि कोलंबो और तूतिकोरिन के मध्य जहाजरानी सेवा का संचालन करती थी। 1905 में ही उन्होंने यह जहाजरानी कंपनी शुरू की जो कि ब्रिटिशों को चिढ़ाने के लिए एक यात्री फेरी सेवा का संचालन करती थी। उनके इस देशभक्तिपूर्ण कदम से उन्हें जनता से भारी समर्थन मिला और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी जा रही सस्ती सेवा को अनदेखा करके वी ओ सी की स्वदेशी जहाजरानी कंपनी से यात्रा करने को प्राथमिकता दी। अतः अंग्रेजों ने राज्य विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें दो बार बीस-बीस वर्ष जेल की सजा सुनाई प्रत्येक बार उन्हें द्वीपसमूह की जेल में रखा गया। लोगों की जरूरतों पर विचार करते हुए और सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों पर विचार करते हुए यह किया जा सकता है और महान स्वतंत्रता सेनानी वी ओ सी की स्मृति में पिछले वैभव को जीवित करने के लिए यात्रियों और माल ढुलाई के लिए तूतिकोरिन और कोलंबो के मध्य एक दैनिक सेवा शुरू की जाए। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय : श्री पी.सी. थामस, आपने दो विषयों की सूचना दी है—दक्षिण भारत में एक नए रेलवे जोन की स्थापना या देश में गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं देश में गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों पर प्रतिबंध की आवश्यकता के बारे में बोलूंगा।

महोदय, भारत में बहुत से नर्सिंग स्कूल हैं किंतु यह खेद की बात है कि इन नर्सिंग स्कूलों का संचालन करने वाले बहुत से प्रबंधनों द्वारा बहुत धोखाधड़ी की जा रही है। हम बेहतर स्कूलों के प्रति सम्मान रखते है वे अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं, किन्तु हाल ही में कर्नाटक

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

उच्च न्यायालय ने पाया है कि लगभग 190 नर्सिंग स्कूलों को मान्यता प्राप्त नहीं है और वे बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। यदि न्यायालय को यह पता चला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ होगा, जो कि न्यायालय की नजरों से बच गया होगा और बहुत कुछ अन्य राज्यों में भी होगा। अतएव भारत सरकार को इसे काफी गंभीरता से लेना होगा। मैं सोचता हूं कि भारतीय नर्सिंग परिषद् की विधिवत मान्यता भी बहुत जरूरी है। किन्तु नर्सिंग इन सभी चीजों के बिना चल रहे हैं।

हाल ही में, कुछ कालेजों में कुछ घटनाएं हुई जिसमें छात्रों को कहा गया कि कालेजों को मान्यता प्राप्त है, किन्तु परीक्षा के समय उनसे कहा गया कि परीक्षा देने के लिए उन्हें दूसरे स्कूल में जाना होगा। वास्तव में सब कुछ दूसरे कालेज के नाम पर किया जा रहा था। छात्रों ने बैंकों से ऋण लिया है और वे परेशान हैं क्योंकि उन्होंने पहले कालेज के नाम पर ऋण लिया था, किन्तु पाठ्यक्रम के अंत में दिए गए प्रमाण-पत्र में दूसरे कालेज का नाम दिया गया है। अतएव, बहुत धोखाधड़ी की जा रही है और जिसके परिणमस्वरूप छात्रों और उनके माता-पिता द्वारा भी कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है।

सभापति महोदय : क्या आप उन गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मेरा केवल इतना अनुरोध है कि भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और मामले की जांच करानी चाहिए। इन स्कूलों के कार्यकरण की जांच कराई जानी चाहिए और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पी.सी. थामस द्वारा उठाए गए मुद्दे से निम्नलिखित संसद सदस्य स्वयं को संबद्ध करते हैं, श्री के. फ्रांसिस जार्ज, श्री टी.के. हमजा, डा. के.एस. मनोज, श्री पी. करुणाकरन, श्री लोनाप्पन नम्बाडन, श्री पी. राजेन्द्रन, श्रीमती पी. सतीदेवी और श्री चेंगरा सुरेन्द्रन।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत है। वहां के नागरिक बुरी तरह से एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्यों तीन साल से जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। इस कारण वहां का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। जिन मकानों में निजी हैंड पम्प लगे हुए थे, वे करीब डेढ़ माह पूर्व सूख गए हैं और जो हैंड पम्प सरकार द्वारा लगाए गए थे, वे भी एक माह से बराबर सूख रहे हैं।

सभापति महोदय, इस समय यह स्थिति है कि पीने के पानी के मारे वहां के क्षेत्रवासी बुरे तरीके से परेशान हैं। वहां के जानवर पानी न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार संसाधन मंत्री जी को निर्देश दें कि वे शीघ्र ही एक मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुला कर उत्तर प्रदेश को धन मुहैया कराएं, जिससे वहां पानी की समस्या का निदान हो सके और कोई अप्रिय घटना न घटे। वहां किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ऐसा न हो कि वहां के लोग भी दम तोड़ने लगें, इसलिए वहां पीने के पानी की तुरंत व्यवस्था कराई जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगले सदस्य श्री एम. शिवन्ना हैं। कृपया संक्षेप में बात कहें।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : महोदय, आज मैं कर्नाटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और गोआ एक्सप्रेस रेलों में रेल अधीक्षक सेवाओं को जारी रखने के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। रेलवे द्वारा सभी रेलों में यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा रेल अधीक्षक सेवाओं की शुरूआत की गई थी। किंतु गत दो वर्षों से कर्नाटक एक्सप्रेस रेल, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रेल और गोआ एक्सप्रेस रेल से ये सेवाएं हटा दी गई हैं। इस कारण से रेल यात्रियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यद्यपि यात्री के पास वैध आरक्षित टिकट होता है किंतु उन्हें रेल में अपनी आरक्षित बर्थ नहीं मिल पाती। उन बर्थों पर कुछ अनधिकृत यात्रियों का कब्जा होता है और आपातकाल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सही तरीके से सफाई नहीं की जाती। इन सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने और रेल यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए चलती हुई रेलगाड़ियों में रेल अधीक्षकों की सेवाएं जारी रखना अति आवश्यक है। अतएव, मैं सरकार से रेल अधीक्षकों की सेवाओं को जारी रखने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार। यह स्पष्ट रूप से राज्य का मामला है। आप इसे केवल एक वाक्य में उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, यह विषय केन्द्र सरकार से ही संबंधित है, क्योंकि वहां भारत पेट्रोलियम की रिफायनरी बन रही है और रिफायनरी राज्य सरकार नहीं बनाती है। रिफायनरी केन्द्र सरकार बनाती है।

महोदय, म.प्र. के सागर जिले में भारत पेट्रोलियम द्वारा निर्मित होने वाली बीना रिफायनरी के द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं तथा गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। बीना रिफायनरी काफी लम्बे-चौड़े भूमि के क्षेत्रफल में बनाई जा रही है, जिसकी सुरक्षा में मात्र 22 सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं। लगभग दो माह पहले एक मजदूर की रिफायनरी क्षेत्र में हत्या हो चुकी है। मैंने 11 नवम्बर, 2006 को सदन में यह मामला उठाया था कि वहां एक दीवार गिर गई जिसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, लेकिन रिफायनरी के अधिकारियों ने गलत जानकारी दी और उस घटना से सबक नहीं सीखा, जिसके परिणाम स्वरूप घटिया सामग्री का लगातार प्रयोग होता रहा। अभी 1 मई को हमने मजदूर दिवस मनाया। मजदूर दिवस से ठीक दो दिन पूर्व 29 अप्रैल को, फिर से बीना रिफायनरी में दीवार गिरने की घटना घटित हुई और एक महिला मजदूर की वहां मृत्यु हो गई तथा तीन महिला मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गईं। बीना रिफायनरी क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं होने के कारण वहां उनका इलाज नहीं हो सका। इसलिए उन्हें डिस्ट्रिक अस्पताल भेजा गया।

मैंने घटना स्थल पर जाकर देखा कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से पुन: घटना घटित हुई है। मजदूरों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं है। जिस पानी का उपयोग रिफायनरी को बनाने में किया जा रहा है, वही पानी मजदूरों को पीने के लिए दिया जा रहा है। अभी तक वहां पानी की टंकियां नहीं रखी गई हैं। मजदूरों को धूप से बचाने हेतु एक भी शैड नहीं बनाया गया है। न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान नहीं हो रहा है। 99 रुपए प्रति दिन, प्रति मजदूर, मजदूरी देने की बात प्रबन्धन द्वारा कही जा रही है, जबकि मजदूरों को सिर्फ 60 रुपए प्रति दिन मजदूरी के रूप में मिल रहे हैं। चिकित्सा के साधनों का आभाव है। वहां लगभग 2200 मजदूर काम कर रहे हैं, किन्तु मात्र एक डाक्टर की व्यवस्था की गई है, जो तीन घंटे सुबह आता है और तीन घंटे शाम को आता है। काम करने वाले मजदूरों का पंजीयन भी नहीं किया गया है। इस कारण मजदूरों का शोषण हो रहा है। अत: आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीना रिफायनरी की उपरोक्त घटना की जांच केन्द्रीय दल से कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना में जो मजदूर मृत हुए हैं, उनके परिवारों को दो-दो लाख रुपए तथा घायलों में से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए तथा आगामी समय में रिफायनरी के निर्माण कार्य में अनियमितताएं न हों, इसके लिए उचित प्रबन्ध किया जाए और मजदूरों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.22 बजे

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 4 मई, 2007/14 वैशाख, (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री कीरेन रिजीजू श्री धर्मेंद्र प्रधान	401
2.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	402
3.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील श्री असादूद्दीन ओवेसी	403
4.	श्री पी.सी. थामस श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	404
5.	श्री एम. अप्पादुरई	405
6.	श्री पी. करुणाकरन	406
7.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री एस.के. खारवेनथन	407
8.	श्री दुष्यंत सिंह	408
9.	श्री महावीर भगोरा	409
10.	डा. के. धनराजू श्री चंद्रकांत खैरे	410
11.	श्री हंसराज जी. अहीर श्री मिलिन्द देवरा	411
12.	श्री सुनील खां श्री ए.वी. बेल्लारमिन	412
13.	श्री बागुन सुम्बरूई श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर	413
14.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	414
15.	श्री वी.के. ठुम्मर श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	415
16.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री जुएल ओराम	416
17.	श्रीमती निवेदिता माने श्री नवीन जिंदल	417
18.	श्री जोवाकिम बखला	418
19.	श्रीमती पी. सतीदेवी श्री ई.जी. सुगावनम	419
20.	श्री हेमलाल मुर्मु	420

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3947, 3988, 4022, 4075, 4108
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3973, 4020

1	2	3
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3991, 4049, 4090, 4122
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	4008, 4061, 4106
5.	अर्गल, श्री अशोक	3903
6.	आठवले, श्री रामदास	3963, 4029, 4059
7.	बैठा, श्री कैलाश	3925
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3920, 3960, 3983
9.	बर्मन, श्री हितेन	3950, 3998
10.	बखला, श्री जोवाकिम	3998, 4022
11.	बेल्लारमिन् श्री ए.वी.	3989, 4084
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	3955
13.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3937
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3941, 4019, 4072
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3907, 3993, 4050, 4091, 4122
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3946
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3984
18.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3932
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3969, 4033, 4079
20.	चौरे, श्री बापू हरी	3912, 3958
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3939, 4070
22.	चिन्ता मोहन, डा.	3952, 4024
23.	चौधरी, श्री पंकज	4118
24.	चौधरी, श्री अधीर	4004, 4063, 4112, 4130

1	2	3
25.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3972
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	4002, 4003, 4022
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद	3942, 4020, 4073, 4107, 4129
28.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3951, 3941
29.	धोत्रे, श्री संजय	3912, 3958
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3977
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3983
32.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3982, 4040, 4048, 4076, 4083
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3912, 3958
34.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4011, 4062
35.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	3951
36.	हसन, चौधरी मुनव्वर	3916
37.	हुसैन, श्री अनवर	3975
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	3940, 4018, 4071, 4102
39.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3909, 4028
40.	झा, श्री रघुनाथ	3918, 4046, 4088, 4117
41.	जिन्दल, श्री नवीन	3996, 4057, 4097, 4124
42.	कनोडीया, श्री महेश	3960, 3983
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4016, 4069, 4109, 4119
44.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3986
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3914, 3992
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3999, 4052, 4096, 4125

1	2	3
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3908, 4005, 4056, 4104, 4126
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3937, 4067
49.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3945, 4021
50.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4098
51.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3952, 4024
52.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3941
53.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4070
54.	महतो, श्री नरहरि	3915, 4031
55.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3937
56.	महताब, श्री भर्तृहरि	3954, 4038
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	3982, 4040, 4083, 4109
58.	मनोज, डा. के.एस.	3933
59.	मरांडी, श्री बाबू लाल	3973
60.	मसूद, श्री रशीद	3990
61.	मेघवाल, श्री कैलाश	4016, 4069, 4119
62.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3966
63.	मिश्रा, डा. राजेश	3971, 3982, 4034
64.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3949, 4023
65.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3948
66.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4014, 4030, 4067
67.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3961, 4067
68.	नन्दी, श्री अमिताभ	3956

1	2	3
69.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3937, 4067
70.	नायक, श्री अनन्त	3967
71.	निखिल कुमार, श्री	4130
72.	ओराम, श्री जुएल	4013, 4065, 4099
73.	ओवसी, श्री असादूद्दीन	3997, 4074, 4111, 4128
74.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3917, 4001, 4054, 4093, 4120
75.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3957, 4022
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3929, 4051, 4092
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3924, 3982
78.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	3960
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3939, 3992, 4042, 4085, 4116
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3978, 4009, 4044, 4087
81.	पाठक, श्री ब्रजेश	3930
82.	पाठक, श्री हरिन	3960
83.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3964
84.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3974
85.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3994
86.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3930, 4041
87.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3921, 3956, 4002, 4055
88.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3929, 4067
89.	राई, श्री लकुल दास	3928
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3962, 4027, 4076, 4094, 4103

1	2	3
91.	राणा, श्री काशीराम	4042, 4070
92.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	3953
93.	राव, श्री के.एस.	3919, 4026
94.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3938, 4017, 4070, 4118
95.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3979
96.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3965, 4013, 4077
97.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3922, 4036, 4081, 4114, 4131
98.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3936, 4015, 4068, 4101
99.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3978
100.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4066, 4067, 4085
101.	रिजीजू, श्री कीरेन	4067
102.	सज्जन कुमार, श्री	3982
103.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3913, 4032, 4078, 4095, 4113
104.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3905
105.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3943
106.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3987
107.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3943, 3970, 4045
108.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3926, 3956, 4002
109.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3947, 3988, 4047, 4089
110.	शिवन्ना, श्री एम.	3923, 4007, 4058, 4100
111.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3930
112.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3929, 4092

1	2	3
113.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3937, 3981, 4037, 4082
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4006, 4066
115.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3959
116.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3968, 4117
117.	सिंह, श्री दुष्यंत	4012
118.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3982, 3985, 4040, 4048, 4083
119.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3902
120.	सिंह, श्री राकेश	3904, 4039, 4086, 4115
121.	सिंह, श्री रेवती रमन	3956, 3962
122.	सिंह, श्री सुग्रीव	4009, 4059, 4098, 4123
123.	सिंह, श्री उदय	3927, 4063
124.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3931, 4000, 4053, 4121
125.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3950
126.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3910
127.	थामस, श्री पी.सी.	4010, 4060, 4110, 4127
128.	तुम्मर, श्री वी.के.	3992, 4064, 4067
129.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3911, 3995, 4051, 4092
130.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3935, 3976, 4035, 4080, 4105
131.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3944, 4016, 4067
132.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3934, 4043
133.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3947, 3988, 4022, 4075, 4108
134.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	3980

1	2	3
135.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3906
136.	यादव, श्री गिरिधारी	4116
137.	यादव, श्री मित्रसेन	4025, 4067

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	403, 410
संस्कृति	:	408
रक्षा	:	407, 411, 419
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम		412
अल्पसंख्यक मामले		
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	401, 404, 413, 414, 417, 418
रेल	:	402, 406, 409, 415, 416, 420
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
पर्यटन	:	405.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	3936, 3937, 3941, 3956, 3971, 3974, 3976, 3977, 3978, 3998, 4001, 4010, 4016, 4022. 4027, 4043, 4045, 4052, 4060, 4067, 4085, 4103, 4114
संस्कृति		3914, 3919, 3944, 3954, 3964, 3968, 4003, 4006, 4009, 4040, 4048, 4079, 4083, 4092, 4122, 4130
रक्षा		3904, 3906, 3912, 3913, 3917, 3920, 3921. 3923, 3926, 3929, 3933, 3934, 3948, 3953. 3967, 3970, 3982, 3989, 3997, 4019, 4030, 4050, 4053, 4076, 4086, 4095, 4115, 4121
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		3907, 3952, 3963, 4026
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3943, 3996, 4126
अल्पसंख्यक मामले	:	3938, 4061, 4066, 4111, 4128
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		3910, 3922, 3927, 3947, 3951, 3955, 3962, 3972, 3987, 3988, 3991, 3999, 4004, 4012. 4017, 4021, 4024, 4029, 4031, 4032, 4034, 4035, 4039, 4051, 4059, 4063, 4074, 4075. 4077, 4080, 4082, 4096, 4101, 4116, 4119,

रेल	:	3902, 3903, 3905, 3908, 3909, 3911, 3916, 3918, 3925, 3930, 3932, 3935, 3946, 3949, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3969, 3973, 3980, 3983, 3984, 3985, 3986, 3990, 3993, 3994, 3995, 4000, 4002, 4005, 4007, 4008, 4011, 4013, 4014, 4023, 4025, 4028, 4033, 4037, 4038, 4041, 4042, 4044, 4046, 4047, 4055, 4056, 4057, 4058, 4062, 4064, 4065, 4069, 4070, 4071, 4072, 4081, 4084, 4088, 4089, 4090, 4091, 4093, 4097, 4098, 4099, 4100, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4112, 4113, 4117, 4118, 4120, 4123, 4125, 4129, 4131
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		3915, 3939, 3979, 3981, 3992, 4020, 4036, 4049, 4054, 4068, 4073, 4102
पर्यटन	:	3924, 3928, 3931, 3940, 3942, 3945, 3950, 3965, 3966, 3975, 4015, 4018, 4078, 4087, 4094, 4104, 4124, 4127

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/27/22/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।